

सर्वोदय ग्रन्थमाला—सख्या १

सर्वोदय अर्थशास्त्र

[सर्वोदय दृष्टि से अर्थशास्त्र की रूपरेखा]

लेखक विष्णु कमाक

‘समाज रचना, सर्वोदय दृष्टि से’ ‘मानव सुखति’

‘राजव्यवस्था, सर्वोदय दृष्टि से’ श्रीदिक्षु रघुविजय मार्ग

भगवानदास केला

भूमिका-लेखक

श्री श्रीकृष्णदास जाजू

भारतीय अन्थमाला

६० हीवेट रोड, इलाहाबाद

दूसरा संस्करण]

सन् १९५६ ई०

[मूल्य, चार रुपये

प्रकाशक—

व्यवस्थापक,

भारतीय ग्रन्थमाला

६० हीवेट रोड, इलाहाबाद—३

मुद्रक—

मैनेजर,

देश सेवा प्रेस

५४ हीवेट रोड, इलाहाबाद—३

निवेदन

सच्चा अर्थशास्त्र कभी भी उच्चतम धार्मिक स्तर के विरुद्ध नहीं होता, विलक्षण उसी प्रकार जैसे सच्चा धर्मशास्त्र, सही अर्थों में, साथ ही साथ उत्तम अर्थशास्त्र भी होना चाहिए।

—गांधीजी

यह पुस्तक मेरे साहित्यिक जीवन में एक खास मोड़ को, एक नयी दिशा को सूचित करती है। इसके सम्बन्ध में कुछ पहले-पीछे की बातों का उल्लेख करना आवश्यक है।

चालीस वर्ष पहले की बात—हिन्दी में भारतीय अर्थशास्त्र की आवश्यकता का अनुभव करके, मैंने सन् १९१७ में इस नाम और विषय की पुस्तक लिखना आरम्भ किया था, वह पुस्तक सन् १९२२ में जाकर पूरी हुई। मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में जैसा पूजीवादी अर्थशास्त्र पढ़ा था, उसी की रूप-रेखा के आधार पर मेरी पुस्तक तैयार हुई। यद्यपि गांधीजी उस समय अपने हृदय-स्पर्शी भाषणों और लेखों से अर्थशास्त्र को नयी दिशा दे रहे थे, मैं अपने पुराने संस्कारों के कारण उस ओर यथेष्ट व्यान न दे पाया। उसके कुछ वर्ष बाद श्रद्धेय श्री श्रीकृष्णदास जाजूने—जिनका स्नेह और आत्मीयता मुझे सन् १९१३ से प्राप्त थी—मेरी कुछ पुस्तकों की पहुँच स्वीकार करते हुए मुझे वर्धा आकर गांधी विचारधारा अध्ययन करने को लिखा, पर मैं आपके सुझाव को अमल में न ला सका, यों मैं अपनी पुस्तक के नये संस्करणों में स्थान-स्थान पर नैतिक बातों का समावेश अधिकाधिक करता रहा।

मेरे 'अन्तिम' विचार; सच्चा अर्थशास्त्र—होते होते सन् १९४४ आगया। मैं सख्त बीमार पड़ा और अपने आपको मृत्यु की गोद में जाने वाला समझने लगा। मुझे अपने उत्तराधिकारीयों से कुछ जरूरी बातें कह देने की बेचैनी हुई और मैंने पूरी शक्ति लगाकर जल्दी ही 'भावी नागरिकों से' अपनी अन्तिम

पुस्तक लिख डाली । उसमें अर्थशास्त्री बनने वाले से मैंने कहा—‘.. अर्थशास्त्र के नाम से जो कुछ आज दिन पढ़ा-पढ़ाया जाता है, वह तो स्वार्थ-शास्त्र है । नहीं नहीं, उसे शास्त्र का नाम देना ही भूल है । उससे सच्चे स्वार्थ का ज्ञान नहीं होता । हमारा सच्चा स्वार्थ समाज के स्वार्थ में ही है, उससे पृथक् नहीं । आइ । सबार में सच्चे अर्थशास्त्र को रचना और प्रचार कर होगा । अर्थशास्त्री जी ! क्या तुम इस पवित्र कार्य में कुछ योग दोगे ?’

दिशा-परिवर्तन—उस समय मुझे अपना जीवन समाप्त होता हुआ प्रतीत हो रहा था । मैं यह कल्पना नहीं कर सकता था कि इस पवित्र कार्य में मुझे भी कुछ योग देने का सौभाग्य प्राप्त होगा । पर ईश्वर की लीला कौन जानता है ! मेरा जीवन चलता रहा, यद्यपि मैं अत्यधिक रहा । मेरी लेखनी भी चलती रही । एक वर्ष, दो वर्ष, धीरे-धीरे छह वर्ष हो गये । सन् १९५० में श्री जाजू जी ने अपनी ‘अ० भा० चरखा-सघ का इतिहास’ पुस्तक मेरे पास भेजी । उसे देखते हुए मेरी नजर गाधीजी के एक वाक्य पर गड़ गयी, वह था—‘जो अर्थशास्त्र व्यक्ति की या राष्ट्र की नैतिक भलाई पर आधार लगाता है, वह अनैतिक अतः पापमय है ।’ इसे पढ़ना था कि मन में हलचल मच गयी, सोचने लगा, अब तक अर्थशास्त्र पर जो कुछ लिखा वह ‘अनैतिक अतः पापमय’ रहा । अब कम-से-कम, प्रायश्चित्त रूप ही सही, नयी रचना होनी चाहिए । मैंने एक लेख ‘यह कैसा अर्थशास्त्र !’ लिखा, जो बहुत से पत्रों में छपा, उस पर सम्पादकों, लेखकों और शिक्षकों का मत मँगाया । मैं चाहता था कि अर्थशास्त्र सम्बन्धी दृष्टिकोण में परिवर्तन हो, और कोई अन्य लेखक नैतिक और मानवीय विचारधारा के अनुसार नये अर्थशास्त्र की रचना करे । पर बड़ी-बड़ी तनखाहें पाने वाले या टेक्स्टबुकों और ‘सरस’ साहित्य से खूब कमाई करने वाले इस घाटे के काम को कैसे स्वीकार करते ! आखिर मुझे ही इसका बीड़ा उठाना पड़ा ।

सर्वोदय अर्थशास्त्र, पहला संस्करण—जनवरी-फरवरी १९५१ में मैं स्वाम्य-सुवार के लिए पिलानी रहा, वहाँ इस विषय का साहित्य देखा । वधुयर श्री नरहरि परीख की ‘मानव अर्थशास्त्र’ (गुजराती) पुस्तक देखते हुए वारंवार मन में यह विचार आगा कि यह सन् १९४५ का प्रकाशन है, और हम

हिन्दी वाले अब तक भी ऐसी रचना न कर पाये। मार्च १९५१ में मे 'लोक-वाणी'-सम्पादक श्री जवाहिरलाल जैन की सहायता लेने के लिए जयपुर गया। वहाँ स्वास्थ्य और ड्लाइ के लिए मैं नौ महीने गाधीनगर प्राकृतिक चिकित्सालय में रहा। भाई जैन जी समय-समय पर मुझे उपयोगी परामर्श देते रहे और अवकाश निकाल कर लिखते भी रहे। अप्रैल में सर्वोदय सम्मेलन के अवसर पर मैं आपके साथ हैदराबाद गया। इस यात्रा में सर्वथी श्रीकृष्णदास जाजू, किशोरलाल मश्रूवाला, हरिभाऊ उपाध्याय, श्री मन्नारायण अग्रवाल, आदि महानुभावों से इस पुस्तक के विषय के सम्बन्ध में विचार हुआ। नवम्बर में लिखने का काम बहुत-कुछ पूरा किया गया।

जाजू जी गांधी जयन्ती के अवसर पर जयपुर पधारे तो मैंने आपके साथ दो दिन के लिए सीकर जाकर और वहाँ पुस्तक दिखा कर आपके विचारों से लाभ उठाया। पीछे आपने इसकी भूमिका लिखने का अनुग्रह किया। दिसम्बर में मेरे प्रयाग आने पर मित्रवर श्री प्रोफेसर दयाशकर दुवे ने इस पुस्तक में कई सुझाव देने की कृपा की। मान्यवर पटित सुन्दरलाल जी की कृपा से यह पुस्तक 'नया हिन्द' प्रेस में श्री सुरेश राम भाई की देख रेख में छपने की न्यूनता हुई। भाई सुरेश जी सर्वोदय विचार धारा वाले हैं। आपने इसी टॉपिक से सारी पुस्तक देखी, आपके विचार-पूर्ण परामर्श से मैं बहुत कृतार्थ हुआ। आपने मेरे निवेदन पर इस पुस्तक के लिए सर्वोदय अर्थशास्त्र की पुकार लिखने की कृपा की। निदान, मुझे इस पुस्तक में कई मित्रों सेसहायता मिली।

श्री जैन और मेरी विचार-धारा एकसी होते हुए भी भाषा और शैली आदि के अन्तर के कारण, भाई जैन जी की पुस्तक 'सर्वोदय अर्थशास्त्र' अलग उनके नाम से छपी। इन दो पुस्तकों से सर्वोदय ग्रन्थमाला का श्री गणेश हुआ।

दूसरे सस्करण के सम्बन्ध में—ईश्वर का अनुग्रह है कि मेरे अस्वस्थ रहते हुए भी, सर्वोदय ग्रन्थमाला में मेरी वारह पुस्तके हो गयी। इस पुस्तक के इस सस्करण में आवश्यक सुधार किया गया है। सम्पत्ति सम्बन्धी स्वामित्व विसर्जन की बात स्पष्ट की गयी है, शरीर-श्रम और वौद्धिक कार्य, लगान तथा सूद और मजदूरी में सामाजिक न्याय की दृष्टि रखने, और मुनाफे की जगह

मेहनताना स्वीकार किये जाने, और ग्रामोद्योग और यंत्रोद्योग के विषय में अधिक विचार किया गया है।

अङ्ग्रेजी और हिन्दी के अतिरिक्त, इस देश की प्रान्तीय भाषाओं का भी सर्वोदय साहित्य देखने की मेरी इच्छा रही है। पहले गुजराती का एक विचार-पूर्ण ग्रन्थ अवलोकन करने की वात ऊपर कही गयी है। अब श्री अप्पा पटवर्द्धन की अग्रज पट्टगाचा निपेध (मराठी) का आनन्द लिया।

मुझे इस रचना के लिए प्रेरणा देने वाले श्री श्रीकृष्णदास जान् अब इस ससार में नहीं रहे। उनकी लिखी भूमिका पूर्ववत् दी जा रही है। श्री सुरेश रामभाई ने अपनी 'सर्वोदय अर्थशास्त्र की पुकार' फिर से लिखने की कृपा की है।

सर्वोदय विचार से विलक्षण आनन्द—साहित्य कार्य ने मुझे सदा ही आनन्द प्रदान किया है। सर्वोदय विचार से मेरे गिरते हुए स्वास्थ्य को समलने में भी बहुत मद्द मिली है। समय-समय पर बड़े मधुर अनुभव हुए हैं। इस पुस्तक के इस सस्करण के समय का भी एक प्रसग है। ३१ जुलाई के बड़े सवेरे जगने से पहले देखना हूँ, बड़े रमणीक वातावरण में एक विराट सभा हो रही है। गाँवीजी का प्रवचन है। जनता मन्त्र-मुख्य होकर एक-एक शब्द बड़े व्यान से सुन रही है। प्रवचन का अन्तिम वाक्य था—'जिस रामराज्य की वात मैंने कही है, वह सतत शिक्षा से प्राप्त होगा।' इसके बाद मेरा नम्बर था। मैंने कहना आरम्भ किया—'इस विषय की गहराई की वाते तो महात्माजी जैसे महानुभाव ही वता सकते हैं, जिन्हे इसका जीवन भर का अनुभव है। मैं तो कुछ मोटी-मोटी वातों की ही ओर आपका व्यान दिला सकता हूँ, जहाँ तक कि मैं उन्हें समझ पाया हूँ।' आँखे खुल ने पर उस मनोहर दृश्य की बार-बार याद आती रही।

पाठकों से—वास्तव में ज्यो-ज्यो हमारा सर्वोदयी समाज की रचना का अनुभव बढ़ेगा, इस विषय का शास्त्र अधिक अच्छे और सही रूप में उपस्थित किया जा सकेगा। इसकी व्योरेवार वातें तय करने, और इसकी रूप-रेखा सुधारने का दायित्व हमारे उत्तराधिकारियों, हमारे पाठकों पर है। आशा है, वे इस विचारधारा का यथेष्ठ चिन्तन और मनन करेंगे।

भूमिका

शास्त्र का काम आम तौर से यह समझा जाता है कि वस्तुस्थिति का परीक्षण कर उसकी विविव घटनाओं के सर्वसाधारण नियम बताये जाएँ, अर्थात् जो कुछ है, उसको नियम-बद्ध किया जाए। क्या होना चाहिए, इस विषय का शास्त्र अलग माना जाता है। प्रश्न यह है कि क्या अर्थ के जो प्राकृतिक व्यवहार सामान्य मनुष्य के द्वारा चल रहे हैं, उन्हीं का विवेचन करने वाला अर्थशास्त्र हमारे लिए काफी है ? यह बात सही है कि मनुष्य के जिन्दा रहने के लिए कई वस्तुओं की जरूरत है, एवं अर्थ से उसका अनिवार्य सम्बन्ध है। उसकी इन्द्रियों की स्वाभाविक प्रेरणा भी उनके विषयों की ओर है, उनको प्राप्त करने के लिए अर्थ की आवश्यकता है। तथापि क्या इन इन्द्रियों को वे-लगाम छूट देकर, उनकी माग के अनुसार चीजें मिलाने के प्रयास में ही व्यस्त रहने में मनुष्य का सच्चा कल्याण है ? इन्द्रियों के साथ मनुष्य में बुद्धि और विवेक भी है, जिनके द्वारा वह भूषिष्य का विचार कर अपने शाश्वत हित की दृष्टि से उनका समय कर सकता है। यह विषय, मनुष्य का अर्थ से सम्बन्ध क्या हो—इस क्षेत्र में आवा है। मुख्य प्रश्न यह है कि मनुष्य अर्थ के लिए है, या अर्थ मनुष्य के लिए।

सब स्वीकार करेगे कि अर्थ मनुष्य के लिए है। पर जब हम अर्थ का मनुष्य से क्या सम्बन्ध होना चाहिए, इस प्रश्न को अर्थशास्त्र से अलग कर देते हैं तो किर अर्थ प्रयान रह जाता है, न कि मनुष्य। कई अर्थशास्त्री, क्या होना चाहिए—यह प्रश्न नीतिशास्त्र का मान कर उसे अर्थशास्त्र से अलग रखते हैं, इस कारण पाश्चात्य अर्थशास्त्र प्रायः अर्थ की महिमा में ही उलझा रहा दीखता है। अगर सामान्य प्रकृत मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति को देखकर ही अर्थ का विचार करना हो तो उसकी दिशा बहुत करके वही रहेगी, जो पाश्चात्य अर्थशास्त्र ने हमारे सामने रखी है। पर मानव जाति के हित की दृष्टि से अर्थ की अपेक्षा मानवता को प्रधान स्थान मिलना चाहिए। अर्थ

पर जोर देने के कारण पाश्चात्य अर्थशास्त्र मानवता की छष्टि से एक प्रकार से अनर्थशास्त्र बन गया ।

मनुष्य सुख चाहता है, अर्थ का प्रयोजन भी सुख ही होना चाहिए । पाश्चात्य अर्थशास्त्र की किताबों में मनुष्य का सच्चा सुख किस बात में है, इसका विशेष विवेचन किया हुआ दीखता नहीं । कहीं कुछ थोड़ा सा हो तो उसे, नीतिशास्त्र का या आदर्शशास्त्र का मान कर, अर्थशास्त्र का अग नहीं बनाया गया । इसके परिणाम-स्वरूप उसमें अर्थ का प्रयोजन भोग-लालसा की तृप्ति ही रहा है । कहीं-कहीं पाश्चात्य सभ्यता की व्याख्या ही यह की गयी है—‘मनुष्य की आवश्यकताओं को बढ़ाना और उनकी पूर्ति करना, क्या इस पद्धति से मनुष्य को सच्चा सुख मिल सकता है ? शरीर और मन स्वस्थ रखने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है, उनके बारे में कोई विवाद नहीं । पर इससे आगे बढ़कर जब मन के रजन के लिए या नाना प्रकार के भोगों के लिए प्रयास करने में ही हित माना जाये तो गहराई में जाकर इस प्रश्न का उत्तर देना होगा कि क्या नाना भाँति के ऐश आराम की चीजे मनुष्य का सच्चा सुख बढ़ाने में समर्थ हैं । इस विषय में प्राकृत मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति के भरोसे कैसे रह सकते हैं । विवेकशील जीवन ही हमारा मार्गदर्शक हो सकता है । जगत के ऋषि-मुनियों ने नाना प्रकार के प्रयोग कर अपने अनुभव के बल पर यह सार निकाला है कि—

न जाहु कामः कामानाम् उपभोगेन शामानि ।
हविपा कृष्ण वत्मेव भूय एवाभिवर्तते ॥

। (वासना विषयों के उपभोग से शाक्त्र नहीं होती, उलटे आहुति डाली हुई अग्नि की तरह बढ़ती जाती है ।)

क्या यह अनुभव गलत है ? अगर सही है, जैसे कि हर एक को कबूल करना पड़ेगा, तो मानना होगा कि पाश्चात्य अर्थशास्त्र गलत नीव पर खड़ा है । मनुष्य के कल्याण की दृष्टि से उसकी रचना उक्त अनुभव के आधार पर होनी चाहिए ।

प्रचलित अर्थशास्त्र की किताबों में जो विचार पाये जाते हैं, वे प्रायः रचात्य राज्यों की आर्थिक व्यवस्था को लेकर हैं । यत्र युग शुरू होने पर वहाँ

जो केन्द्रित और जो पूँजीगत आर्थिक व्यवस्था निर्माण हुई, उसी पर वे आधारित हैं। समय के साथ कुछ परिवर्तन जरूर हुआ, पर मूल ढाचा जैसा का तैसा बना रहा। इसमें प्रवानता है बड़े-बड़े केन्द्रित उद्योगों की, जिनसे वनी हुई चीजें जगत् के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचती हैं। इतना ही नहीं। वरन् जहाँ आवश्यकता नहीं है, वहाँ भी नाना युक्ति-प्रयुक्तियों से लाद दी जाती हैं, और उनके लिए कच्चा माल जगत् भर से बटोर कर और कई देशों को अपने अधीन कर प्राप्त करने की आवश्यकता खड़ी होती है। बड़े-बड़े वर्ग-भेद खड़े होकर सर्वर्य के कारण बनते हैं, सर्दी तो उनका प्राप्त ही है, जिसमें छोटे पीसे जाते हैं, और गरीबों का शोषण होता है। कुछ थोड़े व्यक्तियों के हाथ में विराट स्वरूप के कारोबार आकर, भले ही कानून न हो, व्यवहार में एकाविकार आ जाना है। वे अपनी समर्थित शक्ति से जगत् में मनचाही उथल-पुथल कर सकते हैं। सब देशों में प्रजातत्र की दुहार्डी दी जाती है, पर जहाँ आर्थिक व्यवस्था जनतात्रिक न रहते हुए केन्द्रित रहती है और उसे कानून से सरक्षण मिलता है तो प्रजातत्र वास्तव में एक दिखावा रह जाता है। आज के पेचीदे समाज में राजनैतिक और आर्थिक व्यवस्थाओं का बहुत प्रभाव है। अगर उनका ठीक मेल न हो तो समाज का सच्चा हित कैसे सब सकता है। इस व्यवस्था में अमीरों का ही बोलबाला रहता है। गरीबों को उनकी मर्जी पर अवलम्बित रहना पड़ता है न कि अपने मानवोचित हक के आवार पर। इस पूँजीवाद की आच कुछ मद करने के लिए अब राज्य का कारोबार 'वेलफेर स्टेट' के नाम से चलने लगा है, समाजवाद भी आ खड़ा हुआ है, आरविरोध में हिन्दून्मक साम्प्रवाद तो है ही।

समाज में सुख-शान्ति रहने के लिए अर्यशाक्र पैसे की जगह मानवता पर आवाररित होना चाहिए। व्यक्ति का अपना निज मानवोचित स्वतत्र स्थान होना चाहिए, सबल हो या निर्वल, सबको स्वाभिमान-पूर्वक रहने का मौका मिलना चाहिए, सब प्रकार की कृत्रिम विप्रमत्ताएँ निट कर व्यवहार में यथा-सम्भव समता आना चाहिए और सर्दी के बदले सहकार। मनुष्य को अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं के बारे में स्वावलम्बी रहे त्रिना सच्ची स्वतत्रता सम्भव नहीं, इस लिए ऐसी चीजों का उत्पादन विकेन्द्रित होना चाहिए। राजसत्ता भी यथा-

सम्भव विकेन्द्रित हो । अपनी आवश्यकताएँ बढ़ाने की अपेक्षा, मन और शरीर को स्वस्य रखते हुए, कम से कम चोजो से काम चलाना चाहिए ।

अगर अर्थशास्त्र के नियम वास्तविक घटनाओं के आधार पर बताना है तो प्रत्यक्ष में तो ऊपर लिखे मुताबिक सर्वोदय समाज का ऐसा कोई चित्र नहीं है, जिसका परीक्षण कर निश्चित रूप से उसके नियम बनाये जा सके । तथापि सर्वोदय व्यवस्था जगत के कल्याण-रूप होने के कारण उसकी आर्थिक व्यवस्था क्या होनी चाहिए, इसका विचार करना आवश्यक हो गया है । उसमें सामान्य मनुष्यों की स्वाभाविक प्रवृत्ति के बदले मनुष्य के श्रेष्ठ अश अर्थात् मानवता का विचार करना होगा । यहाँ नीति-शास्त्र का सम्बन्ध आ जाता है । यह कहना ठीक नहीं होगा कि अर्थशास्त्र में नीतिशास्त्र लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह अर्थ काम का ही नहीं, जिसमें नीति न हो । मनुष्य के हृदय के दुकड़े नहीं हो सकते, अगर वह धनोपार्जन में नीति को महत्व नहीं देता है तो उसका असर उसके सारे जीवन पर पड़े बिना नहीं रह सकता । कहीं-कहीं ऐसी आवाज सुनायी देती है कि अगर सार्वजनिक जीवनमें मनुष्य शुद्ध हो तो उसके व्यक्तिगत जीवन की ओर देखने की हमें क्या जल्द, और जगह शुद्धता रखनी चाहिए पर राजनीति में यह बात चल नहीं सकती और उसकी जरूरत भी नहीं । ऐसी विचारधारा और अर्थ का नीति से सम्बन्ध ढूटना दिनोदिन अनीति बढ़ने का कारण बन रहा है ।

सर्वोदय की दृष्टि से जो विचार खड़े होते हैं, उनमें से अर्थशास्त्र सम्बन्धी कुछ विचार ऊपर लिखे गये हैं । सर्वोदय का सम्पूर्ण अर्थशास्त्र लिख डालना आसान नहीं है । कहीं वैसे समाज का व्यापक पैमाने का नमूना हो और उसका कुछ समय तक परीक्षण हो तब कहीं उस शास्त्र के नियम और वे भी अशतः ही हाथ आ सकते हैं । सर्वोदय समाज का रूप क्या हो, इस विषय में अब तक कुछ फुटकर विचार अवश्य किया गया है । पर उसका समग्र चित्र नहीं खींचा जा सकता । आज की दशा में इतना ही विवेचन किया जा सकता है कि अर्थशास्त्र के प्रचलित विचारों में सर्वोदय की दृष्टि से क्या फर्क होना चाहिए । इस किताब में यह किया गया है । प्रचलित अर्थशास्त्र के प्रधान अगों को लेकर उनमें क्या फर्क होना चाहिए, इसकी चर्चा की गयी है । जिस सामाजिक

और आर्थिक व्यवस्था को लक्ष्य में रखकर प्रचलित अर्थशास्त्र के नियम लिखे गये हैं, उससे सर्वोदयी रचना विलकुल भिन्न होने के कारण मामूली किताबों के विषय सारे के सारे, या कुछ अश में कहा तक उपयुक्त हो सकते हैं, यह वैसे समाज के प्रत्यक्ष अनुभव से ही तथ किया जा सकेगा। इस प्रकार शायद इस पुस्तक के विषय-विवेचन में आमूल परिवर्तन करना पड़े, तथापि इस में कोई शका नहीं कि यह पुस्तक सर्वोदयी अर्थ-रचना जानने की इच्छा रखने वालों के बहुत काम की होगी।

विद्यार्थियों के सामने पुराने विचारों की ही किताबें आती हैं, और उन्हें अपनी परीक्षाओं के लिए उन्हीं का अव्ययन करना पड़ता है। अब उनके कानों में 'सर्वोदय' शब्द पड़ने लगा है। पर उनके सामने ऐसी सामग्री नहीं के समान है, जिससे यह स्पष्ट हो कि अर्थशास्त्र की दृष्टि से उसका व्यवस्थित स्प कैसा हो। इस दशा में विद्यार्थियों के लिए यह किताब विशेष उपयोगी सावित होगी। समाज के सुन्दर नव-निर्माण का उत्तरदायित्व बहुत-कुछ अव्यापकों पर है, उन्हें सर्वोदय अर्थशास्त्र की विचारधारा से परिचित होना जरूरी है। आशा है वे भी इस पुस्तक से यथेष्ट लाभ उठावेगे।

सेवाग्राम

६-२-१९५२

श्रीकृष्णदास जाजू

सर्वोदय अर्थशास्त्र की पुकार

हर एक का अनुभव है कि बाजार में चीजों के दाम गिरते-चढ़ते रहते हैं। खासकर जो चीजें दुनियादी जरूरत की हैं जैसे अनाज, कपड़ा वगैरह, उनमें यह उत्तर-चढाव बहुत होता है, जिससे मामूली गिरस्थी आदमी को हैरत होती है कि आखिर माजरा क्या है कि एक वक्त में एक चीज के तो दाम कम हो जाते हैं पर दूसरी के बैसे ही बने रहते हैं। फिर, यह समझ में नहीं आता कि अगर किसी वक्त यह उत्तर-चढाव आता हे, तो क्यों आता है।

दूसरा अनुभव यह है कि खेत में जो किसान चोटी का पसीना एड़ी तक बहाता है, उसे तो खाने को ठीक से नहीं नसीब होता, लेकिन उसकी मेहनत के पैदा किये हुए अनाज का लेन-देन करने वाला शहर वाला जो आढ़तिया है वह गद्दी पर बैठा ठाठ करता है और दुनिया के सारे सुख उसे हासिल है। कारखाने में जो मजदूर दिन भर खड़े रह कर मशीनों को चलाता है, उसे गदी और तग कोठरी में रहना पड़ता है। लेकिन उसकी मेहनत से तैयार होने वाले माल का लेन-देन करने वाला व्यापारी महलों में रहता है और देश-विदेश में आनन्द विहार करता है। रात-दिन, तीसों दिन, वारामास मैला साफ करके अपना खून पसीना एक कर देने वाला तो भगी कहलाता है और समाज में सबसे गिरी निगाह से देखा जाता है। लेकिन जिसे सुईं में धागा डालने वारावर भी परिश्रम नहीं करना पड़ता, वह प्रोफेसर या मिनिस्टर माननीय कहलाता है और समाज में ज्यादा से ज्यादा तलब पाता है। होना तो यह चाहिए था कि अपने हाड़ मास गलाने वाले किसान, मजदूर और सफेया आराम की जिंदगी बसर करते, लेकिन इसका उलटा ही दीख रहा है।

ताजुब इस बात का है कि विज्ञान के जमाने में यह सब हो रहा है। दोष चाहे विज्ञान का हो या समाज का, या दोनों का, इससे कोई इनकार नहीं करेगा कि आज जितनी विषमता और असमानता मिलती है, उतनी पहले कभी नहीं थी। और, जिसे अर्थशास्त्र कहा जाता है, वह इसे रोक पाना तो दूर, इसे

बढ़ाने में ही अपनी ताकत लगा रहा है। इसलिए इसे अर्थशास्त्र की बजाय स्वार्थशास्त्र कहना ठीक होगा। पर स्वार्थ भी चद लोगों का सधता है, और सधने पर भी उन्हें कोई सतोष हासिल नहीं होता—जितना सधे उतना ही थोड़ा। इसकी वजह यही है कि यह अर्थशास्त्र बहुत प्रतिक्रियाशील और शोपण-प्रधान आधारों पर खड़ा है, जिनमें मुख्य यह हैं।—

(१) सम्पत्ति या उत्पादन के साधनों पर निजी मालकियत।

(२) मानसिक श्रम और शरीर श्रम के पारिश्रमिकों में जमीन आसमान का भेद।

(३) लेन-देन के माध्यम के रूप में पैसे की स्थापना और पैसे का नियमूल्य बदलना।

(४) पैसे की ही पूँजी या लक्ष्मी के समान प्रतिष्ठा।

यदि इन मान्यताओं पर गास्त्र चलेगा, समाज इन पर लट्टू होगा, तो उसका नतीजा लाजमी तौर पर वह होगा जो आज हम देख रहे हैं। इन मान्यताओं को अँग्रेजों ने और भी प्रतिष्ठा दी। यहाँ तक कि धरती जैसे उपज के बुनियादी साधन का भी मोल पैसे में होने लगा। यह वैसा ही हुआ, जैसे कोई कहे कि एक घटे में पैंतीस फुट होते हैं। कहाँ धटा और कहाँ फुट। एक है समय का माप, दूसरा है दूरी का। तब दोनों में मेल कैसे हो। इसी तरह कहाँ यह अनाज और फल-फूल पैदा करने वाली धरती और कहाँ नायिक प्रेस में छुरने वाला नोट। लेकिन राजसत्ता अँग्रेजों के पास थी। उन्होंने जैसा पहित जवाहरलाल नेहरू ने 'डिस्कवरी आफ इंडिया' (भारत की खोज) में कहा है, पैसे की अर्थनीति को हिन्दुस्तान में जारी कर दिया। देश की बरबादी दिनों-दिन बढ़नी शुरू हो गयी।

दुख की बात यह है कि अँग्रेजों के जाने के बाद, हिन्दुस्तान के आजाद होने पर हम उन्हीं के चलाये मूल्यों की उपासना कर रहे हैं। यही नहीं, 'सम्य' और 'विकसित' कहलाने की आकाश्चां से हमारी सरकार ने पैसा, विशेषज्ञ और सामान बाहर से मँगा-मँगाकर इन्हीं मूल्यों के आधार पर नये भारत की रचना शुरू कर दी। लेकिन वेकारी फेली और आर्थिक विधमता बढ़ी। यही वजह है कि अधिकाश जनता, विशेषकर समाज का गरीब और दुखी हिस्सा सरकारी

योजनाओं में सहयोग नहीं दे पाता । जिन्हें कुछ प्राप्ति होती है, जो लूटने में कुशल है, जो अपना सच्चा-भूठा असर कायम कर लेना जानते हैं, वही इसमें आगे आते हैं ।

ऐसी हालत में यह जरूरी हो जाता है कि हम बुनियादी तौर से स्थिति पर चिचार करे । ठड़े दिमाग से इस पर सोचे । क्या समय नहीं आया कि चालू मूल्यों को अब ज्यादा न चलने दिया जाय, जिस साचे में हम सब ढलते जा रहे हैं, उसमे फरक किया जाय, जिस आधार पर देश की रचना हो रही है, उसे बदला जाय ? अगर जवाब यह हो कि ‘अभी नहीं’, तो क्या कल स्थिति आज की अपेक्षा ज्यादा बदतर, पेचीदा और गम्भीर नहीं हो जायेगी ? क्या कल तक हम देश में मनोमालिन्य, विप्रमता और दरिद्रता को बढ़ने दे ? आज जो चद लोगों का, अल्प सख्त्या का भला होता है, उसे ही होने दे ? अल्पोदय की जो धारा वह रही है, उसमे अँख मीचे बढ़ते रहें ?

नहीं, नहीं, देर की गुजायश नहीं है । देश की गरीबी चुनौती दे रही है । जमाना आवाहन कर रहा है, विज्ञान इशारा कर रहा है कि देर की गुजायश नहीं है । प्यासे को बहुत देर से प्यास लगी है । अगर अच्छा पानी उसे फौरन नहीं मिलता तो वह नाले का, या कही का भी, कैसा भी क्यों न हो, गदा पानी पी लेगा । वैसी सूख हमारे यहाँ है । चद लोगों के भले का जमाना खत्म हुआ, ‘अल्पोदय’ के दिन लद गये । अब तो नीच से नीच समझे जाने वालों का, सब का, हर किसी का उत्थान होना चाहिए । ‘अन्त्योदय’ होना चाहिए, ‘सर्वादय’ होना चाहिए, ‘अल्पोदय’ नहीं । ‘सर्वोदय’ के आधार पर हमारा चिन्तन चलना चाहिए । व्यक्ति-व्यक्ति का जीवन चलना चाहिए, देश का नवनिर्माण चलना चाहिए । जिन्हें राजनीति और अर्थशास्त्र कहा जाता है, उन्हें बदल कर सर्वोदय का स्वरूप लेना चाहिए ।

बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि सर्वोदय की दृष्टि से अर्थशास्त्र की शक्ल क्या होगी ? इसके अनुसार धन या दौलत किसे कहेंगे, मजदूरी या वेतन किसे, उत्पादन या पैदावार किसे, वगैरह-वगैरह ? इनकी जानकारी अगर कोई हासिल करना चाहे तो कैसे करे ? वैसे तो ससार के धर्म-ग्रन्थ, सन्तों और महात्माओं की वाणियाँ मौजूद हैं, जो धर्म के साथ-साथ अर्थशास्त्र के भी सबसे अच्छे

खजाने हैं, पर तालीम का ऐसा असर है कि जब तक हमारे सामने चीज़ अर्थशास्त्र कह कर नहीं आये, हम उसे समझने से इन्कार करते हैं। महात्मा गांधी ने इस अर्थशास्त्र को अपने जीवन में उतारा पर उसे किताबी जामा न उन्होंने पहनाया, न उनका वह काम था। लेकिन उनके सामने से ही देश के कुछ विद्वानों ने यह काम अपने ऊपर उठा लिया था, उन सब में खास नाम डाक्टर जो० का० कुमारप्पा का है। गांधीवादी या सर्वोदय अर्थशास्त्र का नाम अब पढ़े लिखे लोग भी जान गये हैं, इसका श्रेय कुमारप्पाजी को ही है। पर इनका दायरा ज्यादातर अग्रेजी पाठक तक सीमित रहा है। धीरे-धीरे अपने देश की भाषाओं में भी इस तरह का साहित्य तैयार होने लगा है, जैसे गुजराती में श्री नरहरि भाई परीख की 'मानव अर्थशास्त्र' नाम की किताब। हिन्दी में अब तक यह कमी बनी हुई थी, सो इस तरफ श्री भगवानदास केलाजी ने पहला कदम उठाया। हिन्दी-संसार उन्हें बखूबी जानता है। राजनीति और अर्थशास्त्र सम्बन्धी उनकी किताबें करीब दो पीढ़ी से विद्यार्थी भाई-बहन पढ़ते आ रहे हैं। अब हिन्दी में सच्चे या सर्वोदय अर्थशास्त्र के साहित्य-भवन की बुनियाद की पहली ईंट भी उन्होंने ही रखी।

'सर्वोदय अर्थशास्त्र' का यह दूसरा संस्करण है। चार साल के अन्दर पहला संस्करण खत्म हो गया। इससे पता चलता है कि धीरे-धीरे यह विचार घर बनाता जा रहा है। वैसे भी इन चार वर्सों में भूटान यज्ञ ने जो प्रगति की है, उससे देश के अन्दर एक विश्वास पैदा हुआ है कि महात्मा गांधी जो बातें कहते थे, सत विनोदा जो आज कह रहे हैं, वे ख्याली पुलाव नहीं हैं, वल्कि असली और सच्ची बातें हैं। लगभग पाँच लाख दाताओं द्वारा ब्यालीस लाख एकड़ से ऊपर जमीन का मिलना और फिर करीब बारह सौ गाँवों का ग्रामदान ऐसी जबरदस्त घटनाएँ हैं जिनकी गूंज वहरों के कान तक भी पहुँच रही है। सर्वोदय व्यवहार क्षेत्र में उत्तर आगा है। अगर उसका साक्षात् दर्शन करना है तो उड़ीसा के कोरापुर ज़िले में मिलेगा, जहाँ ग्रामदानी क्षेत्र में नये सिरे से समाज-रचना हो रही है। यह प्रयोग नवयुवकों को आवाहन कर रहा है कि अपने देश को खड़ा करने में कधा लगावे, बुजुर्गों को, और विशेषकर जो पुराने अर्थशास्त्र में पले-बढ़े हैं उनको, दावत देता है कि इसकी जाँच करे

फिर इसमें हाथ बँटाये । नये समाज के निर्माण का यज्ञ शुरू हुआ है, उसमें हिस्सा लेना हर एक का फर्ज है ।

बाबूजी (श्री केलाजी) ने यह किताब लिखी है, काकाजी (स्वर्गीय जाजूजी) ने इसकी भूमिका लिखी है, फिर किसी तीसरे की तरफ से कोई चीज आने की जरूरत नहीं थी । पर बाबूजी का हुम्म हुआ । साथ-साथ में उनका प्रेम । मैं सारी किताब को अच्छी तरह पढ़ गया हूँ और मुझे इसका पढ़ना अपने लिए बहुत उपयोगी और फायदेमन्द साक्षित हुआ, मुझे यकीन है कि मेरी तरह या उससे ज्यादा फायदा दूसरे पाठक उठायेगे—प्रोफेसर और विद्यार्थी तो विशेषकर । आखिर में, सिरजनहार से मेरी विनती है कि इस किताब को पढ़कर हमारे अन्दर ऐसी प्रेरणा पैदा हो कि हम सतो और महात्माओं के हिन्दुस्तान की आर्थिक और सामाजिक बेड़िया काट कर उसे आजाद बनाये और सच्चे या परमार्थी यानी सर्वोदय अर्थशास्त्र का नमूना दुनिया के आगे पेश करे ।

इलाहाबाद
२४ - ८ - १९५६

सुरेश रामभाई

विषय-सूची

पहला खंड—विषय प्रवेश

१—सर्वोदय अर्थशास्त्र क्या है ?

अर्थशास्त्र का विषय—वर्तमान अर्थशास्त्र, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति पर जोर—‘आर्थिक मनुष्य’ की कल्यना—गलत दृष्टिकोण और उसका दुष्परिणाम—गांधीजी के विचार—वर्तमान अर्थशास्त्र का सकुचित चेत्र—दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता—सर्वोदय अर्थशास्त्र—अर्थशास्त्र और नीति—प्रगति की बात—सच्ची प्रगति बनाम आर्थिक प्रगति—सच्ची प्रगति के लिए सर्वोदय अर्थशास्त्र की आवश्यकता—विशेष वक्तव्य।

पृष्ठ ३ से १५

२—धन किसे कहे ?

धन के लक्षण, वर्तमान अर्थशास्त्र के अनुसार—सर्वोदय अर्थशास्त्र के अनुसार धन का विचार—कोई व्यक्ति वास्तव में धनवान कह माना जाना चाहिए ।—किसी देश के धनी होने की सच्ची कसौटी—सच्चा आदमी ही सच्चा धन है—विशेष वक्तव्य।

पृष्ठ १६ से २२

३—अर्थशास्त्र के भाग

मनुष्य की आर्थिक क्रियाएँ और अर्थशास्त्र के भाग—उपयोग, आर्थिक क्रियाओं का मूल हेतु—उत्पत्ति का अर्थ, उपयोगिता की वृद्धि—उपयोगिता का सही अर्थ—विनिमय—वितरण—अर्थव्यवस्था और राज्य—अर्थशास्त्र के भागों का सही महत्व।

पृष्ठ २३ से २६

दूसरा खंड—उपयोग

४—उपयोग का लक्ष्य

उपयोग का महत्व—उपयोग का लक्ष्य, सुख की प्राप्ति—सुख की पहचान, हितकारी और स्थायी सुख—सुख का चेत्र—उपयोग और आवश्यकताएँ—

मनोनिग्रह या इन्द्रिय-दमन—आवश्यकताएँ मनुष्य के बड़प्पन की मापक नहीं—आवश्यकताओं सम्बन्धी आदर्श—प्राथमिक आवश्यकताएँ, उपयोग में सामाजिक दृष्टि होनी चाहिए—आवश्यकताओं का नियंत्रण—सदुपयोग और दुरुपयोग—दुरुपयोग और आदते—क्या धनवान् अपना धन खर्च करने में स्वतंत्र रहें?—समय के सदुपयोग की आवश्यकता—उपयोक्ताओं का कर्तव्य—सादगी से व्यय की बचत—सादगी और सुख—सादा जीवन और उच्च विचार। पृष्ठ ३३ से ४६

५—हवा, प्रकाश, पानी और मिट्टी

[१] हवा । हवा का महत्व, इसके शुद्ध रहने की आवश्यकता—हवा शुद्ध रखने के उपाय—हवा के उपयोग की विधि । [२] प्रकाश । प्रकाश से लाभ—सूर्य की किरणों का उपयोग—शहरी सभ्यता से बाधा । [३] पानी । पानी स्वच्छ और अच्छा होने की आवश्यकता—पानी शुद्ध करने के उपाय—पानी के उपयोग सम्बन्धी विचार । [४] मिट्टी । मिट्टी के स्वास्थ्य-वर्द्धक गुण—मिट्टी का उपयोग—मिट्टी के वर्तन—विशेष वक्तव्य । पृष्ठ ४७ से ५६

६—भोजन

भोजन का उद्देश्य और महत्व—भोजन का परिमाण—खाद्य पदार्थ, उनके शुद्ध रहने की आवश्यकता—भोजन में स्वावलम्बन—स्थानीय वस्तुओं का उपयोग—उपयोग-विधि, विटामिन—दूध का उपयोग—भोजन पकाने की क्रिया, ईंधन और धुंए का सवाल—मसाले—उत्तेजक और मादक पदार्थों का सेवन—चाय, कहवा आदि—तमाखू—अफीम—अन्य मादक पदार्थ, शराब आदि—भोजन-सुधार से जीवन-सुधार। पृष्ठ ५७ से ६६

७—वस्त्र

कपड़ा पहनने का उद्देश्य—सभ्यता की वृद्धि के साथ कपड़े के उपयोग में वृद्धि—तये-नये फैशन और पहनावे में विषमता—कपड़ा और स्वास्थ्य—विशेष वक्तव्य । पृष्ठ ६७ से ७०

८—मकान

मकान की आवश्यकता—गाँवों के घर—शहरों के मकान—बहुत से आदमियों के लिए मकानों की कमी—मकानों की समस्या, सर्वोदय भावना की

आवश्यकता—मकान बनाने की सामग्री स्थानीय होनी चाहिए—मकानों का बहुत अविक उपयोग —मकानों की रचना और स्वास्थ्य । पृष्ठ ७१ से ७६

६—शिक्षा

प्राथमिक शिक्षा को यथेष्ट महत्व दिया जाना चाहिए—बुनियादी शिक्षा, खेती या स्थानीय धर्म का आवार—उच्च शिक्षा—कुछ मुख्य बातें—अम-प्रतिष्ठा—प्रौढ़ शिक्षा—शिक्षा जीवन-व्यापी हो—श्री विनोदा के विचार ।

पृष्ठ ७७ से ८३

१०—स्वास्थ्य और मनोरजन

[१] स्वास्थ्य । लोगों का अल्पायु होना समाज के लिए हानिकर—निरोग रहने के उपाय, तादा रहनसहन, व्यायाम और खेल—रोग निवारण, औषधियों का सेवन—प्राकृतिक चिकित्सा की विशेषता—ग्रामीण बातावरण की आवश्यकता—सथम । [२] मनोरजन । काम में ही मनोरजन—कुछ हितकर मनोरजन—हानिकारक मनोरजन—विशेष वक्तव्य ।

पृष्ठ ८४ से ९१

११—रहनसहन का दर्जा और जीवन-स्तर

रहनसहन का दर्जा, पदार्थों का उपयोग—पाश्चात्य देशों में लोगों का जीवन—भारत की बात—रहनसहन का दर्जा ऊँचा करने की अनिष्टकारी सनक—रहनसहन का दर्जा ऊँचा होने के कारण—जीवन-स्तर ऊँचा होना चाहिए—जीवन-स्तर पर प्रभाव डालने वाली बातें—जीने की कला सीखने की जरूरत ।

पृष्ठ ९२ से ९८

तीसरा खंड—उत्पत्ति

१२—उत्पत्ति का इद्देश्य

उत्पत्ति में बुनियादी आवश्यकताओं को प्रधानता देने की जरूरत—उत्पत्ति का उद्देश्य मुनाफा नहीं होना चाहिए—सेवा-भाव होना चाहिए—उत्पत्ति के उद्देश्य के अनुसार उत्पादन-विधि—उत्पादन-विधि का मनुष्य पर प्रभाव ।

पृष्ठ १०१ से १०३

१३—उत्पत्ति के साधन

उत्पत्ति के साधन, भूमि और श्रम—पूँजी का विचार—क्या प्रबन्ध और साहस भी उत्पत्ति के साधन हैं ? पृष्ठ १०४ से १०६

१४—भूमि

भूमि का क्षेत्र—प्राकृतिक परिस्थिति का आर्थिक जीवन पर प्रभाव—जगल—नदियाँ—खनिज पदार्थ—पशु-पक्षी—प्राकृतिक शक्ति—भूमि सामाजिक सम्पत्ति है, किसी की निजी मिल्कियत नहीं—भूमि का उपयोग समाज-हित की दृष्टि से होना चाहिए—अन्तर्राष्ट्रीय हित का व्याव रखने की आवश्यकता—भूमि-वितरण के तरीके, श्री विनोदा का शिक्षाप्रद उदाहरण—विशेष वक्तव्य ।

पृष्ठ १०७ से ११६

१५—श्रम और बौद्धिक कार्य

श्रम किसे कहते हैं ?—व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित की दृष्टि से श्रम के मेद अनुचित हैं—बौद्धिक कार्य के सम्बन्ध में सर्वोदय विचार—शरीर-श्रम और श्रमियों की प्रतिष्ठा—समाज में अनुत्पादकों की भरमार—बौद्धिक कार्य का उपयोग, लोकसेवा के लिए—शरीर-श्रम का आदर्श । पृष्ठ ११७ से १२३

१६—श्रम-विभाग वनाम श्रम-समन्वय

कार्य-विभाग, भारत की वर्ण-व्यवस्था—आधुनिक श्रम-विभाग—श्रम-विभाग से हानियाँ—श्रम-समन्वय की आवश्यकता—श्रम-समन्वय की दृष्टियाँ—स्त्री-पुरुष दृष्टि—पारिवारिक दृष्टि—सामाजिक दृष्टि—प्रादेशिक दृष्टि—भौगोलिक या राष्ट्रीय दृष्टि—विशेष वक्तव्य । पृष्ठ १२४ से १३१

१७—पूँजी

पूँजी क्या है ? अतिरिक्त उत्पादन और अपहृत श्रम—समाज में आर्थिक विषमता न होते हुए पूँजी की वृद्धि की आवश्यक है—पशुओं की उन्नति—पूँजी का उपयोग लोकहित की दृष्टि से होना चाहिए—राष्ट्रीय पूँजी—विदेशी पूँजी के उपयोग का सवाल—पूँजीवाद को हटाकर शोषणहीन समाज का निर्माण—पूँजी वनाम श्रम । पृष्ठ १३२ से १३८

१८—खेती

खेती का महत्व—भूमि का उचित विभाजन—भूमि के उपयोग में व्यान देने की बातें—सतुलित खेती—व्यापारिक फसलों का प्रतिवर्ण—खेती की उन्नति, बैलों का सवाल—सिंचाई, कुँए, तालाब और बॉध—विजली के पर्मो और नहरों से हानियाँ भी हैं—कृषि-यत्रीकरण से लाभ हानि—वैज्ञानिक खेती की आवश्यकता—खाद के सम्बन्ध में विचास—रासायनिक या खनिज खाद से सावधान!—खड़े पैमाने की ओर छोटे पैमाने की खेती—विशेष वक्तव्य।

पृष्ठ १३६ से १४८

१९—ग्रामोद्योग

ग्रामोद्योग किसे कहते हैं?—गांधी जी के विचार—कुटीर उत्योग और ग्रहोद्योग—ग्रामोद्योगों का महत्व, समाज-सगठन—शोपण का अभाव और स्वावलम्बन—अमियों की स्वतत्रता—मनुष्य का विकास—वेकारी का हल—विकेन्द्रीकरण, लोकराज्य और अहिन्सात्मक समाज—युद्ध-स्थिति की दृष्टि से ग्रामोद्योगों का महत्व—ग्रामोद्योग और यत्र—यत्रों के युग में ग्रामोद्योग भ्यो? ग्रामोद्योगी चीजें महँगी हैं!—ग्रामोद्योग का अर्थशास्त्र—ग्रामोद्योगों से ग्राम-सुवार—ग्रामोद्योगों का क्षेत्र—ग्रामोद्योगों का सरक्षण, मिल-उत्योग का वहिकार—ग्रामोद्योगों की सहायता के कार्य—ग्रामोद्योगों के अपने पावां पर खड़े होने की बात—ग्रामोद्योग और उत्पादन-वृद्धि—विशेष वक्तव्य।

पृष्ठ १४६ से १६३

२०—यत्रोद्योग

यत्र-युग की मुख्य बात, उत्पत्ति का केन्द्रीकरण—शहरों की वृद्धि और ग्राम-जीवन का ह्रास—अन्य हानियाँ, आवश्यकताओं की वृद्धि—हानिकारक उत्पादन—वेकारी—आर्थिक विषमता—वर्ग-विद्वेष आदि—रचनात्मक भावना और स्वाभिमान का लोप—चरित्र-ह्रास—उत्पादक और उपयोक्ता में पारम्परिक सम्पर्क का अभाव—सैनिक सगठन और विदेशी आक्रमण का खतरा—साम्राज्यवाद और अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध—अवकाश की समस्या—केन्द्रीकरण—यत्रवाट और मनुष्य का विकास—श्री रम्भिन के विचार—यत्रोद्योगों की

मर्यादा—ग्रामोद्योग और वन्नोद्योगों में प्राथमिकता किसे दी जाय ?—औद्योगीकरण के सम्बन्ध में विचार—औद्योगीकरण नहीं, 'प्रत्येक को काम' चाहिए—विशेष वक्तव्य ।

पृष्ठ १६४ से १७७

२१—जनसंख्या

कनसख्या की वृद्धि ने चिन्ता—दूसरा पहलू—सतान-वृद्धि की रोक—स्यम का उपयोग—जनसंख्या-वृद्धि और गरीबी—जीवन-पद्धति सुधारने की आवश्यकता—विशेष वक्तव्य ।

पृष्ठ १७८ से १८३

चौथा खण्ड—विनिमय

२२—विनिमय की उपयोगिता की सीमा

विनिमय की आवश्यकता—अदलवदल और क्रय-विक्रय—विनिमय का अनावश्यक विस्तार, भोजन में—कपड़े की बात—विनिमय की वृद्धि से हानि—दलालों की सुष्टि, समाज सगठन को आघात—विशेष वक्तव्य ।

पृष्ठ १८६ से १८९

२३—मुद्रा व्यवस्था के दोष

मुद्रा का बेहद महत्व—मनुष्य मुद्राजीवी हो गया है—श्रम और उत्पादन मुद्रा के लिए—मुद्रा व्यवस्था से समाज के आर्थिक जीवन में अस्थिरता—मूल आवश्यकताओं की उपेक्षा और व्यापारिक वस्तुओं की भरमार—आदमी अपने पैदा किये हए पदार्थों से बचित—परिश्रद्ध और स्वार्थ-भावना की वृद्धि—हिंसा, चोरी और लूट—लोकजीवन में सरकार का हस्तक्षेप—मानवता का हास—कागजी मुद्रा—विशेष वक्तव्य ।

पृष्ठ १६० से १६६

२४—बैंक

बैंकों से हानि, पूँजी का केन्द्रीकरण—बैंकों की दूषित व्यवस्था—मिश्रित पूँजी के बैंकों का व्यवहार—बैंकों से हमारे रूपये का हमारी भावना के विरुद्ध उपयोग—अमानुषिक व्यवहार—बैंकों का उद्देश्य क्या हो ?—बैंकों की कार्यप्रणाली का सुधार—सहकारी समितियों की नीति—सहकारी समितियों के कार्य—अनाज बैंक—वस्तु विनिमय बैंक—श्रम-बैंक—राष्ट्रीय बैंक—विशेष वक्तव्य ।

पृष्ठ १६७ से २०५

२५—सही कीमत

मूल्य के दो भेद—उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य में अन्तर—पैसे को प्रतिष्ठादेना और अन्न की कीमत कम समझना गलत—कीमत सम्बन्धी वर्तमान धारणा से अनिष्ट—आमूल परिवर्तन की आवश्यकता, सर्वोदय दृष्टि—सामाजिक न्याय और कीमतें ।

पृष्ठ २०६ से २०८

२६—व्यापार और उसके साधन

समाज की अर्थव्यवस्था में व्यापार का स्थान—व्यापार : एक सेवा-कार्य—सेवा का पारिश्रमिक—सेवक श्रीमान् बन गया—व्यापार के मार्ग और साधन—इनके उपयोग में व्यान देने की वात—सड़के—मोटर—रेल ।

पृष्ठ २१० से २१६

२७—व्यापार नीति

व्यापार की दृष्टि पद्धति—कृत्रिम मॉग पैदा करना और बढ़ाना—महेंगे-सस्ते का विचार—व्यक्ति के लिए सस्ता पदार्थ समाज के लिए बहुत महेंगा हो सकता है—मानवीय दृष्टिकोण की आवश्यकता—मुनाफाखोरी रोकी जाय—विदेशी व्यापार की वर्तमान नीति—व्यापार-वृद्धि का भ्रम—तैयार माल के निर्यात की प्रतियोगिता और संसार सर्कट—आयात-निर्यात नीति में सुधार की आवश्यकता—वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से संसार और समाज का विप्रम विभाजन—विशेष वक्तव्य ।

पृष्ठ २१७ से २२४

२८—पैसे की प्रभुता से मुक्ति

विनिमय का मानव, सोने चाँदी की जगह श्रम—मूल्य-माप के लिए सूत की गुड़ी, इसकी विशेषता—सूत की गुड़ी का चलन, इससे लाभ—पैसे की प्रभुता से मुक्ति पाने के कार्य—श्री विनोदा के विचार—पैसे का सीमित उपयोग निर्दोष—विदेशी व्यापार के लिए स्पर्ण-पत्र—राष्ट्रीय कृपन और रेलवारट—पैसे की प्रभुता से मुक्ति पाने से मानव कल्याण—विशेष वक्तव्य ।

पृष्ठ २२५ से २३४

पॉचवाँ खण्ड—वितरण

२६—वितरण की समस्या

वितरण का महत्व—वितरण के दो प्रकार—वितरण की जटिलता—समस्या हल करने की आवश्यकता।

पृष्ठ २३७ से २३८

३०—लगान

लगान का विरोध—भूमि वैयक्तिक सम्पत्ति नहीं, सामाजिक है—निजी मालकियत और लगान का मूल, (१) परिश्रम—(२) जोरजबरदस्ती—(३) शोषक साहूकारी—जमीन खरीदने की बात—भूमि की न्यायानुकूल व्यवस्था—विशेष वक्तव्य, लगान का अन्त।

पृष्ठ २४० से २४४

३१—मजदूरी

नकद और असली मजदूरी—अधिकाश मजदूरी अन्न और वस्त्र के रूप में मिले—मजदूरी की विषमता—बौद्धिक कार्य और शरीर-श्रम का पारिश्रमिक—समाज-विरोधी बौद्धिक व्यवसाय—बुद्धि और धनोपार्जन—मिल-मजदूरा का मिलो में साफ़ा—मिल मजदूर और हाथ-मजदूर की वेतन एकसी हो—प्राथमिक आवश्यकताओं की चीजों के उत्पादकों को अधिक वेतन मिलना चाहिए—स्त्री-पुरुष के वेतन में भेद रखना अनुचित है—न्यूनतम मजदूरी या निर्वाह-वेतन—कृषि-श्रमियों की न्यूनतम मजदूरी—वेकारी के समय का प्रश्न—भारत में न्यूनतम मजदूरी—मजदूरी समान करने का ब्रयत्व—प्रत्येक श्रमी को रोज़ी का अधिकार—मजदूरों को अपना दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता—बुद्धिजीवी क्रान्ति की ओर बढ़े—मजदूरी सम्बन्धी आदर्श, गाँधीजी के विचार—विशेष वक्तव्य।

पृष्ठ २४५ से २५६

३२—सूद

सूद का विचार, पूजी का विश्लेषण—धन तो श्रम से ही पैदा होता है—सूद का विरोध—सूद का व्यवहार—सूद की आय से हमारा तथा हमारे उत्तराधिकारियों का अनिष्ट—सूद नहीं रहना चाहिए—श्री अप्पापटवर्द्धन के विचार—

सर्वादय अर्थव्यवस्था में सूद का स्थान नहीं—क्या वैंकों से भी सूद न लिया जाय ?—किसी को ऋण लेने की नौबत न आये—विशेष वक्तव्य ।

पृष्ठ २६० से २६८

३३—मुनाफ़ा

मुनाफ़े का अर्थ—मुनाफ़ा वौद्धिक कार्य का फल—शोषण पर निर्भर—मुनाफ़े की मर्यादा—मुनाफ़े का अधिकार, व्यक्तियों को होने से हानि—मुनाफ़े का अविकार समाज को होना चाहिए—स्वेच्छा-पूर्वक त्याग का विकल्प, राष्ट्र-स्वामित्व—सर्वादय अर्थव्यवस्था में मुनाफ़े का स्थान नहीं—मुनाफ़े के विना काम कैसे होगा ?—विशेष वक्तव्य ।

पृष्ठ २६८ से २७३

३४—आर्थिक समानता

आर्थिक समानता का अर्थ, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार—आर्थिक समानता न होने के कारण—असमानता से हानि, भूखमरी और नेतृत्व पतन—आर्थिक समानता की स्थापना लिए अपरिग्रह की आवश्यकता—स्वामित्व-विसर्जन—उत्पादन के साधनों का बटवारा—द्रस्टीशिप—व्यापारिक उत्पादन पर नियन्त्रण—लोगों का कर्तव्य—विचाराणीय बात ।

पृष्ठ २७४ से २८१

छठा खंड—अर्थव्यवस्था और राज्य

३५—राज्य का स्वरूप

अराजवाद का आदर्श—अहिसक राज्य—सरकार का कार्य-क्षेत्र रीमित रहने की आवश्यकता—सरकार का सगठन—निर्वाचन-प्रडति कैसी हो ?—शासन-स्थापन—सरकारी नौकर, उनकी योग्यता और वेतन—विशेष वक्तव्य

पृष्ठ २८४ से २८९

३६—राज्य और उपयोग

सरकार उपयोक्ता के रूप में—मितव्ययिता की आवश्यकता—रक्षार्थी कर्मचारियों के ध्यान देने की बात—सरकारी उपयोग नीति का प्रमाण—सरकारी नियन्त्रण, मादक वस्तु विचार—विशेष वक्तव्य

पृष्ठ २९० से २९५

३७—राज्य और उत्पत्ति

आम-पचायते और उत्पादन कार्य—उत्पत्ति में सरकारी सहायता—सरकार द्वारा उत्पत्ति बहुत सीमित हो—आर्थिक योजनाओं के सम्बन्ध में विचार—विशेष वक्तव्य ।

पृष्ठ २६४ से २६६

३८—राज्य और विनियम तथा वितरण

राज्य और विनियम । [१] मुद्रा—वैक—यातायात और आमदारफत के साधन—राज्य का व्यापार सम्बन्धी दृष्टिकोण ।

राज्य और वितरण । [२] आर्थिक विप्रमता-निवारण—विशेष वक्तव्य ।

पृष्ठ ३०० से ३०६

३९—राज्य और शान्ति तथा रक्षा

सर्वोदय व्यवस्था में अपराधों की कमी—अपराधियों के सुधार की व्यवस्था—न्याय-कार्य—रक्षा व्यवस्था—मूल मत्र, अहिन्सा, सत्यग्रह और असहयोग—शान्ति-सेना की तैयारी—विशेष वक्तव्य ।

पृष्ठ ३०७ से ३१३

४०—राज्य और अर्थनीति

पचायतों का प्रभुत्व—प्रादेशिक सरकार की आय, मालगुजारी—मालगुजारी जिन्स के स्तर में होनी चाहिए—श्रम के स्वरूप में चुकाने की व्यवस्था—केन्द्रीय सरकार आ सीमित अधिकार—सरकारी अर्थ नीति का लक्ष्य, आय-व्यय की वृद्धि नहीं, जनता का कल्याण—आय का रूप, नकदी, माल और मजदूरी—सर्वोदय व्यवस्था में खर्च बहुत कम होगा—विशेष वक्तव्य ।

पृष्ठ ३१४ से ३१६

सातवां खंड—उपसहार

४१—सर्वोदय अर्थशास्त्र की विशेषताएं

इस अर्थशास्त्र से सब का हित—भौतिक पदार्थों की अपेक्षा मनुष्य का महत्व अधिक—उत्पादन को नहीं, उपयोग को प्राथमिकता—उपयोग हो,

उपयोग नहीं—औद्योगिक विकेन्द्रीकरण तथा स्वावलम्बन—पेसा साथ्य नहीं, साधन मात्र है—प्रतिष्ठा पैसे की नहीं, श्रम की—बुद्धि का उपयोग लोकसेवा के लिए—विनिमय की मर्यादा—वितरण की समस्या का अन्त—विकेन्द्रित और लोकतंत्री राजमत्ता—विश्व-शान्ति का मार्ग प्रशस्त ।

पृष्ठ ३२२ से ३३०

४२—हमारा कर्तव्य

सरकार के भरोसे न रहें—दूसरे आदमियों की प्रतीक्षा में भी न रहना चाहिए—अक्ति आगे बढ़े, थड़ा, वैर्य, दृढ़ता की आवश्यकता—ध्यवदारिक नाते—विचार-वारा के प्रचार की आवश्यकता—विशेष वक्तव्य ।

पृष्ठ ३३१-३३५

सहायक साहित्य

पृष्ठ ३३६

सर्वोदय अर्थशास्त्र की छोटी पुस्तक भी छप गयी । नाम है—

सर्वोदय अर्थशास्त्र की मूल वाते

मूल्य, एक रुपया चार आने

पहला खंड

विषय-प्रवेश

१—सर्वोदय अर्थशास्त्र क्या है ?

२—धन किसे कहें ?

३—अर्थशास्त्र के भाग

अर्थशास्त्र को प्राय शुष्क तथ्यों और आंकड़ों, तर्क-वितर्क और वादविवाद का नीरस, नीति-रहित और मानवता-विहीन विषय माना जाता है। इसमें माग और पूर्ति, सस्ता लेने और मँहगा बेचने, अधिक से अधिक मुनाफा कमाने, आर्थिक प्रगति के लिए भौतिक आवश्यकताओं को निरन्तर बढ़ाते रहने की चर्चा होती है, दूसरों के श्रम से लाभ उठा कर धनवान बनने, शहरों द्वारा गाँवों का, और स्वदेश द्वारा विदेशों का, शोपण होने को बुरा नहीं माना जाता, उत्पादन का विवेचन होता है, पर उत्पादकों की चिता नहीं की जाती। खेती और उद्योग-धन्वयों के विकास और उन्नति का विचार होता है, पर किसानों और मजदूरों को प्राय भुला दिया जाता है। बड़े-बड़े निर्माण-कार्यों की योजनाएँ बनती हैं, रूपये-पैसे का, सोने-चांदी का, कागजी टुकड़ों (नोटों) का व्योरा उपस्थित किया जाता है, पर असली धन (मनुष्य) की उपेक्षा की जाती है, अथवा, उसे भी क्रय-विक्रय का पदार्थ समझ लिया जाता है। रस्किन, गांधी और विनोद जैसे व्यक्तियों का अर्थशास्त्री होना स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि वे नीति, प्रेम, सेवा और त्याग आदि मानवी गुणों की बात कहते हैं।

मैं अर्थशास्त्र के लेखकों, अध्यापकों और शिक्षार्थियों से विनम्रता-पूर्वक परन्तु स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जिस साहित्य में 'गांधी विचार-धारा' को यथेष्ट स्थान नहीं दिया जाता, अर्थात् जो साहित्य मानवता का या सर्वोदय का दृष्टिकोण नहीं अपनाता, उसे शास्त्र का नाम देना शास्त्र का अपमान करना है। अर्थशास्त्र के नाम पर हो या किसी और नाम पर हो, जो साहित्य हमें कोरा वौद्धिक ज्ञान देता है और हमारे हृदय में मानवीय भावनाओं का विकास नहीं करता, उसे लिखना या पढ़ना-पढ़ाना बेकार है, वह एक कुसेवा है। प्रत्येक भाषा के विद्वानों, हितैषियों और सेवकों को यह व्यान में रख कर अपना कर्त्तव्य पालन करना चाहिए।

—लेखक

पहला अध्याय

सर्वोदय अर्थशास्त्र क्या है ?

जो अर्थशास्त्र किसी व्यक्ति या किसी राष्ट्र विशेष के विकास अथवा कल्याण में वाधक होता है तथा एक देश को दूसरे देश की लृट करने की अनुमति देता है, वह अनीतिमय है, पाप-रूप है। —गांधीजी

सर्वोदय अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों के अनुमार चला जाय तो सभी का उदय हो, न कि मुझी भर लोगों का या बहुमत का। उसका व्येय है सर्व जनहिताय, सर्वजन मुखाय। —लेखक

पारिवारिक अर्थशास्त्र, ग्राम्य अर्थशास्त्र, नागरिक अर्थशास्त्र, राष्ट्रीय अर्थशास्त्र आदि शब्द तो सुने गये हैं, अब यह सर्वोदय अर्थशास्त्र क्या ? पहले अर्थशास्त्र की बात ले।

अर्थशास्त्र का विषय—मावारण भाण में यह कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र मनुष्य के ऐसे प्रगतियों और व्यवहारों का विचार करता है, जो अर्थ या धन सम्बन्धी हो। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, इसलिए अर्थशास्त्र में मनुष्य के उन्हीं व्यवहारों का विचार होता है, जो वह समाज में रहते हुए करता है। आडमी को अपने जीवन-निर्वाह के लिए भोजन, वस्त्र और मकान की आवश्यकता होती है। उसे अपना दिल बहलाने के लिए मनोरजन के साधन चाहिए। उसमें विविध वस्तुओं तथा विषयों का ज्ञान प्राप्त करने की भावना होती है। स्वभाव से उसे नर्या-नर्या वातां की जानकारी हासिल करने का कौतुहल होता है। इस प्रकार उसके शरीर की तरह उसका मन भी विकास चाहता है। इसी प्रकार मनुष्य में अपने दूसरे साथियों के प्रति सेवा, त्याग, प्रेम और सहयोग की प्रवृत्ति होती है, यह उसकी सास्कृतिक ज्ञावा-पूर्ति के विविध रूप है। इस तरह मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और सास्कृतिक तीन प्रकार की इच्छाएँ होती हैं। इनकी पूर्ति के लिए वह जो विविध कार्य करता है, वे कई प्रकार के होने

हैं, कुछ को सामाजिक कहा जाना है, कुछ को राजनैतिक, और कुछ को धार्मिक आदि। मनुष्य के जीवन के अलग अलग टुकड़े नहीं किये जा सकते। जीवन के सब अगों का परस्पर में बहुत सम्बन्ध होता है, तथापि अध्ययन की सुविधा के लिए अर्थशास्त्र में जीवन के उस हिस्से का विवेचन होता है, जो अर्थ या धन से सम्बन्धित हो।

वर्तमान अर्थशास्त्र, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति पर जोर—
 अर्थ या धन मनुष्य के सुख और विकास के साधनों में से एक है, परन्तु वर्तमान अर्थशास्त्र इसे एकमात्र सावन मान कर चलता है। इस विचारधारा के अनुसार, मनुष्य की अधिकारा शक्ति भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में लगी रहती है। मानसिक विकास को गौण स्थान दिया जाता है, अथवा यों कहा जा सकता है कि उसका मुख्य उपयोग हम यही समझते हैं कि उपके द्वारा हमें भौतिक आवश्यकताओं की प्राप्ति में सुविधा हो। विज्ञान के नये-नये आविष्कार हो रहे हैं, यत्रों और अन्य सावनों की वृद्धि हो रही है। पर सब का मुख्य उद्देश्य या उपयोग यही माना जाता है कि वे हमारे भौतिक सुख की वृद्धि में सहायक हों। हमें प्रधानतया अपने सुख का व्यान रहता है, पर अपने गाँव, नगर या देश के आदमियों के अभावों या काटों की व्येष्ट चिन्ता नहीं होती। हम अपना सास्कृतिक विकास करने की ओर समुचित व्यान नहीं देते, जिससे दूसरों से आत्मीयता का अनुभव करें, और उनके दुखों और कष्टों को अपना दुख और कष्ट माने तथा उनके जीवन की विविध यातनाओं को दूर करने से दिलोजान से छुट जाये।

‘आर्थिक मनुष्य’ की कल्पना—इसने ऊपर कहा है कि वर्तमान अर्थशास्त्र में भौतिक आवश्यकताओं को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। इसकी बुनियाद इंगलैंड में अठारहवीं सदी में पड़ी, जबकि वहाँ पूँजीवाद, साम्राज्यवाद और शैक्षणिक कान्ति का जोर या। वहाँ के अर्थशास्त्रियों ने मानव जीवन के अन्य पहलुओं की उपेक्षा करके आर्थिक पहलू को इतना महत्व दिया कि ऐसे ‘आर्थिक मनुष्य’ की कल्पना कर डाली, जो अपने जीवन में प्रत्येक बात केवल अर्थ की ही दृष्टि से सोचता और करता है। उसकी विचारधारा का केन्द्र-विन्दु धन

हे और उसके जीवन का प्रसुत्व नाय नहीं है नि जें नी वन, अपित से ग्राहित पैग प्राप्त कर। उसके लिए इर्द नार्द ईर्द उपरामिना दी क नी जा मापट वही है नि उससे कितना इव्व मिलता है। इन 'आर्थिक मनुष्य' के लिए वह सोचा जाना स्वाभाविक ही या कि वह चीज़ को गमने से सभ्वे उपायों से बनाव। मजदूरी कम चुकाने के लिए उन्होंने उपयोग करे, चाहे इससे जनता में स्थिती ही बेंगारी बढ़े। इन समीं चीज़ को उपायों के लिए तरह-तरह के विजापना आदि से वह लोगों को अपनी आवश्यकताएँ बढ़ाने की प्रेरणा कर, आग उनकी खूब मौग पड़ा इसके बह उन्हे अपने देश में तथा विदेश में महगे से महगे भाव से बेचे। अपने माल की खपत बढ़ाने के लिए वह सरकारी अधिकारियों की सहायता लेने के लिए भले-बुरे सभी उपायों को काम में लाय। वह अपने राज्य का प्रभाव या अधिकार अधिक से अधिक बढ़ाने का इच्छुक हो। इस प्रकार वह अपने स्वार्थ के लिए राज्य का सहायक और समर्पक हो और दोनों की समिलित शक्ति का उपयोग देश में लोकतंत्र का विकास रोकने में और विदेशों में उपनिवेश स्थापना या प्रभुता-विस्तार करने में हो। वह म्पाट है कि 'आर्थिक मनुष्य' भी कल्यना के साथ व्यक्तिवाद, दृजीवाद, पत्रवाद और साम्राज्यवाद का स्वभावत गठ-बन है।

ऐसे 'आर्थिक मनुष्य' के आवार पर वर्तमान अर्थग्राहक की (जो वास्तव में पाश्चात्य अर्थग्रास्त्र है) रचना की गयी थी। पीछे वह अनुभव किया गया कि 'आर्थिक मनुष्य वा अध्ययन अमली आदमी जा अन्यथन नहीं है। आदमी अपने विविव कार्य केवल आर्थिक भावनाओं से प्रेरित होकर नहीं करता। अर्थग्रास्त्र मानव जीवन की परिवितियों के प्रति न्याय तभी न र सकता है जब वह मनुष्य की विविव प्रेरक जक्तियों का नया उनके आपनी मम्बन्धों का प्रयोग द्यान रखे। इन तरह 'आर्थिक मनुष्य' की विवेचना को पीछे आने वाले अर्थग्रास्त्रियों ने विशेष महत्व नहीं दिया, तथापि वे उनकी छाया से मुक्त नहीं हो पाये। अर्थशास्त्र में अर्थ जा बन को ही प्रभुता दी जानी रही। गस्तिन, कालांदिल आदि जिन लेखकों ने इन दृष्टिकोण का विरोध किया और नीति पर आधित मानवी मूल्यों को प्रवानता दी, उनके ग्रन्थों को कुछ महत्व नहीं दिया

गया, उन्हें अप्रामाणिक कहा गया। अग्रेजों के प्रभुत्व के कारण भारत में भी यही होता रहा।

गलत दृष्टिकोण और उसका दुष्परिणाम—जीवन में केवल आर्थिक या स्वार्थमय दृष्टिकोण रखना गलत है। इससे हम दूसरों के हित की उपेक्षा करते हैं, हमारे काग़ाया व्यवहार का उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका विचार नहीं करते। अनेक बार तो हम जानवूझ कर दूसरों का कष्ट बढ़ाते और उनका शोपण करते हैं। नेतिक तथा सास्कृतिक आवार से वचित होने के कारण वर्तमान अर्थशास्त्र ने व्यक्ति के मन में भोग-विलास की कामना बढ़ा दी है। आदमी 'धन' कहे जाने वाले पदार्थों को ही सामाजिक प्रतिष्ठा, सम्मति और श्रेष्ठता का साधन मान कर उसे प्राप्त करने में लगा रहता है। वह जैसे भी बन आये, अविक-अधिक धनवान बनना चाहता है, उसकी यह तृष्णा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। वह इस प्यास को बुझाने में अपने शरीर को खपाता रहता है, और अपने जीवन के अन्तिम अव्याय में यह स्वीकार करता है—

तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा,
भोगा न भुक्ता, वयमेव भुक्ता।

अपनी भोगेच्छा की पूर्ति में ही लगा हुआ आदमों अपना भी यथेष्ट विकास नहीं कर पाता। वह शारीरिक सुख की ओर ही ध्यान देता है, मानसिक विकास को भौतिक सुख-सामग्री उत्पन्न करने के साधन के रूप में काम लाता है, और सास्कृतिक विकास की अवहेलना करता है। इस प्रकार उसका विकास अपूर्ण और एकागी होता है, उसमें सतुलन नहीं रहता। ऐसे व्यक्तियों से सामाजिक कल्याण की क्या आशा की जाय! वर्तमान आर्थिक विचारधारा देश में सिर्फ मुट्ठी भर आदमियों को करोड़पति या अरबपति बनाती है, और कुछ थोड़े से आदमियों को साधारण मव्यम स्थिति में छोड़ कर जेष्ठ को—कुछ दशाओं में अन्सी-पिचासी फीसदी जनता को—दीन, दरिद्र, शोषित और पीड़ित बनाती है।

वर्तमान आर्थिक दृष्टिकोण इस बात के लिए उत्तरदायी है कि सासार आज विस्फोटक पदार्थों का सा बना हुआ है। प्रत्येक समर्थ देश दूसरे देशों का अधिक-से-अधिक शोपण करना चाहता है। वह उन्हें अपने कारखानों के लिए

आवश्यक कच्चे पटाखे का उत्पादक और तैयार माल का बाजार बनाने का इच्छुक है। इसका नतीजा यह है कि बड़ी-बड़ी शक्तियों की गिर्द-दृष्टि विविव भू-भागों पर विशेष रूप से लगी हुई है। इससे उन बड़ी-बड़ी शक्तियों में आपस में प्रतिगोगिता और सघर्ष है।

इस पीढ़ी के आदमी पिछले महायुद्ध के सकटों के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाये हैं, कि फिर युद्ध की भाषा नुनने और बोलने लग गये हैं। इस प्रकार इस समय शान्ति इतनी अल्पकालीन और कम प्रभाव बाली रहती है कि युद्ध ही इस युग का सत्य हो रहा है।

गाँधीजी के विचार—इस युग में जिन महानुभावों ने मसार की आर्थिक स्थिति पर मानवता की दृष्टि से गहरा विचार किया है, उनमें गाँधीजी प्रमुख हैं। उनका मत ह—

“पश्चिम के अर्थशास्त्र की बुनियाड गलत दृष्टि-विन्दुओं पर डाली गयी है, इस लिए वह अर्थशास्त्र नहीं, बल्कि अनर्थशास्त्र हो गया है। वे गलत दृष्टि-विन्दु इस प्रकार हैं—

(१) उसने भोग-विलास की विविधता और विशेषता को सख्ति का प्राण माना है।

(२) वह दावा तो करता है ऐसे सिद्धान्तों का, जो सब देशों और सब कालों पर घटित होते हो, परन्तु सच वात यह है कि उनका निर्माण यूरोप के छोटे, ठड़े और खेती के लिए कम अनुकूल देशों में, वनी वस्ती वाले परन्तु मुझी भर लागो की, अथवा बहुत थोड़ी आवादी वाले उपजाऊ बड़े खड़ो की परिस्थिति के अनुभव से हुआ है।

(३) पुस्तकों में भले ही नियेव किया गया हो, फिर भी योजना और व्यवहार में यह मानने और मनवाने की पुरानी रट से मुक्त नहीं हो पाया है कि (क) व्यक्ति, वर्ग या अधिक हुआ तो अपने ही छोटे से देश के अर्थ-लाभ को प्रधानता देनेवालों और उसके हित की पुष्टि करने वाली नीति ही अर्थशास्त्र का अचल शान्त्रीय सिद्धान्त है, और (ख) कीमती धातुओं को हड़ में अधिक प्रधानता दी जाय।

(४) उसकी विचार-श्रेणी में अंर्य और नीति-धर्म का कोई सम्बन्ध नहीं

सर्वोदय अर्थशास्त्र

माना गया है। इस लिए उसने अपने समाज में अर्थ की अपेक्षा अधिक महत्व-दर्शी जीवन के विषयों को गौण समझने की आडत डाल दी है।

इसके फल-खलूप—

१—यह अर्थशास्त्र यत्रों का, शहरों का तथा (खेती की अपका) उद्योगों का अध-प्रजक बन गया है।

२—इसने समाज के विभिन्न वर्गों और देशों में समन्वय करने के बजाय विरोध उत्पन्न किया है और सर्वोदय के बड़े थोड़े लोगों का थोड़े समय के लिए ही लाभ सिद्ध किया है।

३—यह पिछड़े हुए समझे जाने वाले देशों में आर्थिक लूट मचा कर तथा वहाँ के लोगों को दुर्व्यसनों में फसा कर और उनका नैतिक अध पतन करके समृद्धि का पथ खोजता है।

४—जिन राष्ट्रों या समाजों ने इस अर्थशास्त्र को अग्रीकार किया है, उनका जीवन पशुबल पर ही टिक रहा है।

५—इसने जिन-जिन वहमों (अन्य विश्वासों) को जन्म दिया या बढ़ाया है, वे धार्मिक या भूत-प्रेतादिक के नाम से प्रचलित वहमों से कम बलवान् नहीं हैं।†

वर्तमान अर्थशास्त्र का भंकुचित क्षेत्र—ऊपर अर्थशास्त्र सम्बन्धी गलत दृष्टिकोण के कारण होनेवाली हानियों पर प्रकाश डाला गया है। इन सारी बुराइयों का मूल कारण यह है कि हमने अर्थशास्त्र का क्षेत्र बहुत सकुचित, सीमित या सकीर्ण रखा है। पारिवारिक अर्थशास्त्र में हम परिवार के हित की बात सोचते हैं। पर इस बात पर जोर नहीं देते कि प्रत्येक परिवार का हित अन्य परिवारों के हित के साथ सम्बन्धित है। हम बहुधा अपने पड़ोसी परिवारों के हित की अवलेहना करते हैं। ग्राम्य अर्थशास्त्र में हम गाँव की, और नागरिक अर्थशास्त्र में नगर की उन्नति का विचार करते हैं, परन्तु किसी गाँव या नगर की कुल सम्पत्ति का योग बढ़ाना ही उसकी वास्तविक उन्नति नहीं है, खासकर जब कि वहाँ अपने स्वार्थ के लिए एक वर्ग दूसरे वर्ग का, एक गाँव दूसरे गाँव का, या एक नगर दूसरे नगर का अहित करने में सकोच न करता हो। वर्तमान काल

† श्री किशोर लाल मशरूवाला की 'गांधी विचार दोहन' से।

में नगर ग्रामों का भवकर शोपण का रह है जहाँ तक कि उनके जीवन का आवार ही ग्रामों का अविक-अविक हाल हो रहा है। नद्दीं अर्यगान्द में हन गाड़ का कुल उत्पादन या सुख-मानांशी और चरनि बनाने जा लड़ रही है परन्तु एक तो उनके नव वगों की, व्यामकर निम्न वगों वी, येष्ट चिन्ना नहीं करते, दूसरे, वह भूल जाते हैं कि हमारा चिन्ना-ज्ञेत्र गाड़ तक स्मित न रहकर मानवता का होना चाहिए। समन्वय मनुष्य जानि का हुख-सुख एक है, जब तक उसके कुछ भागों का या एक भी भाग का जोपण होगा, विज्ञ-शान्ति नहीं हो सकती।

दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता—वह स्थाट है कि लोकहित के लिए, जनता के कल्याण के लिए, प्रत्येक देश में सर्वसावारण भी दीनता और कगाली दूर करने के लिए, ससार का समाजिक स्वप्न में उथान करने के लिए, नगी समाज-रचना के लिए और वर्तमान अशान्ति, संघर्ष, चिन्ना और वेदना को दूर करने के लिए वर्तमान अर्यशास्त्र के दृष्टिकोण में आमल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इस अनवशास्त्र की जगह वास्तविक या सच्चे अर्यशास्त्र की रचना करनी है।

ज्ञान अर्यशास्त्र हमें नित्य अपनी आवश्यकताएँ बढ़ाने और उनकी पुर्ति में प्रेरणा रहने से बचने का मार्ग दिखायेगा। उसके अवध्यन और चित्तन से हम भौजन-बन्धादि का उपयोग उस सीमा तक ही करेगे, जहाँ तक कि ये बत्तुएँ हमारी जीवन-यात्रा के लिए आवश्यक हो। हम केवल खाने के लिए जीवित रहना नहीं चाहेगे, वरन् इसलिए खायेगे कि हम अच्छी तरह जीवन घृतीत कर सकें। यही बात बख्ता और मकान आदि के उपयोग के लिए लागू होगी। हम भौगोलिक साधनों की अविक-से-अविक बृद्धि में नहीं लगे रहेगे और बनी घक्कि को बड़ा आडमी नहीं मानेंगे। हम धन का ठीक अर्य ग्रहण करेंगे और उसे मानवता से अविक महत्व नहीं देंगे। 'वन' हमारे लिए एक सावन मात्र होगा, साथ नहीं। हम मानवता का यथेष्ट मूल्याकृत करेंगे, हमारी किसी आर्थिक क्रिया से हमारे गाँव या नगर निवासी का अहित न होगा, वरन् हमें अपने प्रत्येक कार्य में अपने देश वालों की शारीरिक, मानसिक तथा सास्कृतिक उन्नति का विचार रहेगा। यही नहीं, हम दूसरे देश के शोपण को अपने देश

की समृद्धि मानने की भूल नहीं करेगे। हम विश्वव्युत्प का आदर्श रखते हुए सभी राज्यों के नागरिकों से अपनत्व की भावना रखेगे और उनके उत्थान में भरसक सहायक होंगे।

सर्वोदय अर्थशास्त्र—उपर्युक्त भावनाओं और आदर्शों की पूर्ति का मार्ग बताने वाला अर्थशास्त्र ही इस युग की मामा है। हमें ऐसे अर्थशास्त्र की रचना करनी चाहिए, जिसका आवार किसी छोटे ढोत्र के मनुष्यों का स्वार्थ न हो कर सभी का कल्याण हो। वास्तव में किसी एक व्यक्ति, एक समूह या एक देश के हित में किसी का हित नहीं है, सब व्यक्तियों तथा सब देशों के हित में सब का हित है, और सबके साथ ही हमारा भी हित है। दूसरों के हित की उपेक्षा करके हम अपना हित नहीं कर सकते। इस लिए हमारे अर्थशास्त्र का लक्ष्य मानव समाज के किसी अग विशेष की उन्नति न हो कर सभी की उन्नति होनी चाहिए, और वह उन्नति भी एकाग्री अर्थात् केवल भौतिक न होकर सर्वाङ्गीन अर्थात् शारीरिक, मानसिक और साकृतिक होनी चाहिए। ऐसे अर्थशास्त्र का आधार नैतिक होना अनिवार्य है। इस अर्थशास्त्र के उपर्युक्त गुणों के कारण इसे 'सर्वोदय अर्थशास्त्र' नाम दिया जा सकता है।

'सर्वोदय' का अर्थ है सबका हित, मनुष्य मात्र का विकास। समाज में कोई व्यक्ति या वर्ग ऐसा न हो जिसके हित या विकास का विचार न हो। जो व्यक्ति सामाजिक कड़ी के अन्तिम छोर पर हो, उसका भी कल्याण हो। जैसे एक परिवार के सदस्यों में शारीरिक या मानसिक योग्यता में भिन्नता होते हुए भी सबके हित का व्यान रखा जाता है, सब की ही आवश्यकताओं को समान रूप से पूर्ण करने का प्रयत्न किया जाता है, ऐसे ही सर्वोदय अर्थशास्त्र समाज के किसी अग विशेष के लिए ही न होगा, चाहे वह अग बड़ा या बहुमत वाला ही क्यों न हो। यह अर्थशास्त्र बहुसंख्यकों के अविकल्प हित की बात मान्य न कर सबके ही कल्याण का विवेचन करेगा। गांधीजी का निम्नलिखित कथन इसका केन्द्र विन्दु है—

'मैं उद्यादा से उद्यादा सख्ता के उद्यादा से उद्यादा भले के सिद्धान्त को नहीं मानता। उसे नगे रूप में देखे तो उसका अर्थ यह होता है कि ५१ फीसदी के मान लिये गये हितों की खातिर ४६ फीसदी के हितों का

वलिदान कर दिया जाना उचित है, वह सिद्धान्त निर्देश है और इससे मानव समाज की बहुत हानि हुई है। सब का ज्यादा से ज्यादा भला करना ही एक सच्चा, गोरखयुक्त और मानवता-पूर्ण मिद्धान्त है, और यह मिद्धान्त अधिकतम स्वार्थत्याग से ही अमल में लाया जा सकता है।

अस्तु, सर्वादिय अर्थशास्त्र सम्पूर्ण मानव समाज के हित की दृष्टि से विचार करेगा, उसमें वर्मों, जातियों, वरणों या वर्गों की विभिन्नता को मान्य नहीं किया जाएगा। वह किसानों, मजदूरों, कारीगरों को, गोरे, काले, पीले सब रंगों के आदमियों को, एशिया, यूरोप, अमरीका, अफ्रीका आदि सभी भू-भागों के निवासियों को समान समझेगा।

अर्थशास्त्र और नीति—सामाजिक विना होने के कारण अर्थशास्त्र का दूसरे सामाजिक शास्त्रों से सम्बन्ध होना अनिवार्य है। पर वर्तमान अर्थशास्त्री इसे नीतिशास्त्र से सर्वथा पृथक् रखते हैं। वह कहाँ तक टीक है? नीति हमारे सामने आदर्श उपस्थित फरती है, वह बतलानी है कि कौनसा काम अच्छा है और कौनसा बुरा, मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अर्थशास्त्र हमारे सामने आर्थिक प्रबन्धों द्वारा होनेवाले समाज और विज्ञ के कल्पणा का आदर्श रखता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र और नीति का घनिष्ठ सम्बन्ध स्पष्ट है। अर्थशास्त्र बतलाता है कि वितरण किस प्रकार ऐसा हो कि उसमें आर्थिक विप्रमता कम-से-कम हो, अमज्जीवियों को बेतन कितना दिया जाना चाहिए, जिससे उन्हें जीवन-निर्वाह और विकास के साधन प्राप्त हों, वस्तुओं का मूल्य किस प्रकार ऐसा निर्धारित किया जाय कि उन्हें को जीवन-रक्षक और निपुणता-टापक पदार्थों की उत्पत्ति के लिए प्रोत्साहन मिले।

आर्थिक परिस्थितियों का मनुष्य के नैतिक जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जब देश में लोगों को खाने-पहनने की आवश्यक चीजें यथेष्ट परिमाण में नहीं मिलतीं तो उनमें कलह, सघर्ष, चोरी और लूट आदि बढ़ना स्वामानिक ही है। कहा है, ‘भूखा आदमी कौनसा पाप नहीं करता’, और ‘भूखे मजन न होय गोपाला।’ वास्तव में भूख और प्यास से पीड़ित व्यक्तियों से ऊँचे नेतिक आदर्शों की आशा नहीं की जा सकती। इस प्रकार अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र को एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता।

खेद है कि वर्तमान अर्थशास्त्रियों में स अविकाश लेखक अर्थशास्त्र के विवेचन में नैतिक दृष्टिकोण की उपेक्षा करने हैं। वे इसके विज्ञान-पक्ष पर जोर देते हुए कहते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, त्र्यांत क्या उचित है और क्या अनुचित—इसका विचार करना अर्थशास्त्र का काम नहीं है। इस प्रकार वर्तमान अर्थशास्त्र प्रायः नीति से जुदा है, इससे व्यक्ति तथा समाज के विकास में भयकर वाधा उपस्थित है। सर्वोदय अर्थशास्त्र, अपने आपको नीति से अलग नहीं मानता, वह ऐसे ही व्यवहार किये जाने वा आदेश करता है, जिससे सब का, सम्पूर्ण जनता का, विश्व भर का कल्याण हो।

प्रगति की बात—सर्वोदय दृष्टि अपनाने के लिए हमें प्रगति के सम्बन्ध में अच्छी तरह विचार करना चाहिए। प्रगति का सही अर्थ क्या है—यह अच्छी तरह समझे विना आजकल हर कोई प्रगति की बात करता है, प्रगति के लिए प्रयत्नशील है। वर्तमान अर्थशास्त्र के विचारक आर्थिक प्रगति को ही प्रगति मानते हैं, और उसका आशय वे भौतिक प्रगति लेते हैं। क्या यह ठीक है? क्या भौतिक प्रगति से ही सच्ची या नैतिक प्रगति हो जाती है? और यदि उससे नैतिक प्रगति नहीं होती, अथवा उससे नैतिक प्रगति में कुछ वाधा होती है, तो क्या नैतिक प्रगति के अभाव में जो आर्थिक प्रगति होती है, उसका स्वागत किया जाय? क्या ऐसा करने से मनुष्य को सुख-शान्ति मिलेगी, जिसे प्राप्त करने की उसे सदैव इच्छा बनी रहती है?

‘सच्ची प्रगति बनाम आर्थिक प्रगति—इस विषय में गाधीजी के आगे दिये विचार बहुत मनन करने योग्य हैं। उन्होंने कहा है—

“क्या आर्थिक प्रगति और सच्ची प्रगति में विरोध है? आर्थिक प्रगति से, मैं समझता हूँ हमारा मतलब असीम बढ़ती रहने वाली भौतिक समृद्धि से है, और सच्ची प्रगति से हमारा मतलब नैतिक उन्नति से है। यह नैतिक उन्नति ही हमारे अन्दर जो स्थायी तत्व है, उसकी उन्नति है। इसलिए इस विषय को दृढ़रे शब्दों में इस प्रकार रखा जा सकता है—क्या नैतिक, उन्नति उसी अनुपात में बढ़ती है जिस अनुग्राम में भौतिक प्रगति आगे बढ़ती है?

“कभी किसी ने यह नहीं कहा कि नितान्त गरीबी का परिणाम नैतिक पतन

के सिवा कुछ और हो सकता है। हर एक मनुष्य को जीने का अधिकार है और उसलिए उसे अपना पेट भरने के लिए सावन पाने का और जहाँ आवश्यकता हो, वहाँ पहनने के लिए बन्ने और रहने के लिए घर पाने का भी अधिकार है। पर इस सरल क्रन के लिए हमको अर्यंशान्नियों से या उनके नियमों से कोई सुरोकार नहीं है।

“म तो यह नी मांचने की हिम्मत करना हूँ कि ससार के वर्ष-ग्रन्थ आर्थिक नियमों के सम्बन्ध में अनेक आदुनिक पाठ्यक्रमों वाली पुस्तकों से कही अधिक ऐष्ट है।

“हमने आदुनिक भौतिकवादी सन्दर्भ को ही अपना आदर्श बना लिया है और तथाकथित उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते हुए हम वास्तव में गढ़े की ओर जा रहे हैं। इसी कारण ने प्राचीन आदर्श यही रहा है कि मनुष्य को व्यक्तिगत सम्पदा को बढ़ाने वाली कार्यवाहियों में सीमा नियारित करनी चाहिए। इससे रुच भौतिक महत्वाकान्त्रियों का अन्त ब्दापि नहीं होना। आज भी सदा की तरह हमारे बीच में ऐसे व्यक्तियों का होना आवश्यक है, जो बनोपार्जन ही अपने जीवन का व्येय बनाये हुए हैं। पर हमने सदा ही इसे स्वीकार किया है कि यह आदर्शों से गिर जाना है। हमको तो कभी-कभी यह जानकर बड़ी प्रसन्नता होती है कि हम लोगों में से कुछ सबसे बड़ी लोग वहुवा यह स्वीकार करते हैं कि वे स्वेच्छापूर्वक गरीब रहे होते तो उनके लिए कहीं अधिक अच्छा रहता।

“यह बड़े मूल्य का आर्थिक मत्त्य है कि आप एक साथ ही ईश्वर और कुबेर की पूजा नहीं कर सकते। हमको दोनों में से किसी एक को ही चुनना है। आज पाश्चात्य राष्ट्र भौतिक्याद के राक्षस देव की एडी के नीचे दबे हुए कराह रहे हैं। उनका नैतिक उथान रुक गया है। वह अपनी उन्नति पौट, शिलिंग, पेस में गिना करते हैं। अमरीका की आर्थिक समृद्धि उनके लिए आदर्श हो गयी और अमरीका की वरफ लोग ईर्ष्या की ट्रिप्टि से देखते हैं। हमने बहुत से देशवासियों को यह कहते सुना है कि हम अमरीका जैसी ही सम्पदा प्राप्त करेंगे। मैं यह कहने की हिम्मत करूँगा कि यदि ऐसा प्रयास किया भी गया तो वह निश्चित रूप से असफल होगा। हम एक ही अवसर पर बुद्धिमान, शान्त और

कुद्द नहीं हो सकते। मैं तो चाहूँगा कि हमारे नेतागण हमको यह शिक्षा देते कि हम नैतिक दृष्टि से ससार में सबके ऊपर रहे।”

सच्ची प्रगति के लिए सर्वोदय अर्थशास्त्र की आवश्यकता—इस प्रकार सच्ची सुखदायक प्रगति नैतिक प्रगति ही है और उसके लिए हमें अर्थशास्त्र में सर्वोदय की दृष्टि रखनी चाहिए। हमारा अर्थशास्त्र सर्वोदय अर्थशास्त्र होना चाहिए। यह अर्थशास्त्र महलों और भोपडियों वालों के, मालिक और मजदूरों के, धनी और गरीबों के, ऊचे और नीचे कहे जाने वालों के बीच की भेदभाव-सत्त्वक खाई को पाठने का यत्न करेगा। बिना किसी अपवाद के प्रत्येक व्यक्ति के लिए रोटी, कपड़े, मकान और शिक्षा तथा स्वास्थ्य का साधन प्राप्त करायेगा, पर साथ ही यह व्यान रखेगा कि मनुष्य केवल रोटी-कपड़े के लिए ही जीवित न रहे। यह धन की वृद्धि करेगा, पर इसकी मान्यता होगी कि चाँदी-सोने के ढुकड़े या नोट रूप कागज धन नहीं है, किसी देश का असली धन वहाँ की सच्ची, ईमानदार, सच्चित्र और लोकसेवी जनता है। यह अर्थशास्त्र कुछ व्यक्तियों का नहीं, मानवता का मान बढ़ायेगा। इस का नीतिशास्त्र से ३६ का सम्बन्ध न होगा, परन्तु इसके प्रत्येक^१ नियम-व्यवहार का आधार ही नीति होगी अर्थात् प्रत्येक आर्थिक क्रिया शोपण और स्वार्थमूलक न होकर नीतियुक्त होगी। इस प्रकार यह अर्थशास्त्र देश के जन-जन में तो प्रेम, सेवा और सहयोग की लहर फैलायेगा ही, इसके अनुसार कार्यक्रम रखने वालों का विदेशियों से भी कोई सङ्घर्ष, हानिकारक प्रतियोगता या द्वेष आदि न होगा; कारण, इसका आदेश होगा कि विश्व एक है, मनुष्य जाति एक है, सब एक विशाल परिवार के सदस्य है। अस्तु, सर्वोदय अर्थशास्त्र ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ की शिक्षा देने वाला होने के कारण इसे अपनाये जाने की आवश्यकता स्वयं-सिद्ध है।

विशेष वक्तव्य—ऐसा अर्थशास्त्र बहुत से पाठकों को केवल काल्पनिक और उपहास-प्रद प्रतीत होगा। इस पर तरह-तरह के आक्षेप किये जायेंगे। खासकर वह कहा जायगा कि जब आदमी अपने-अपने (सकुचित) स्वार्थ सावने में जुटे हुए हैं, इस अर्थशास्त्र को कौन मान्य करेगा, वह तो मुनाफे को तिलाजलि देकर धाटे का रोजगार करने का आदेश करता है। ऐसा कहने वालों

की बात में सच्चाई अवश्य है, पर वह भी तो सच है कि मनुष्य में अनन्त सम्भावनाएँ हैं, वह कुछ से कुछ बन सकता और कहीं से कहीं पहुँच सकता है। वह नर से नारायण हो सकता है। हमें मनुष्य जानि के विकासशील भवित्व में पूर्ण अद्वा है। इस समय भी सासार में ऐसे सज्जनों का अभाव नहीं है, जो अपने रोजमर्रा के व्यवहार में त्याग, प्रेम और सेवा-भाव का मुन्द्र परिचय दे रहे हैं। वह कोई आश्चर्य नहीं कि यह भावना अविकाविक व्यक्तियों में उत्पन्न हो, और राष्ट्र तक की सीमा में न रह कर अनर्गीढ़ीय बने, विश्ववन्नुत्त का स्प ले। अम्तु, ऐसी ही आगा और विश्वास से हम नम्रतापूर्वक अपनी अत्य दुदि के अनुसार, यह रचना विचारशील पाठ्य की सेवा में उपस्थित करने का माहस करते हैं।

दूसरा अध्याय

धन किसे कहें ?

धन साधन मात्र है और उससे सुख तथा दुःख तथा दोनों हो सकते हैं। यदि वह अच्छे मनुष्य के हाथ में पड़ता है तो उसकी बढ़ौलत खेती होती है और अन्न पैदा होता है, किसान निर्दीप मजदूरी करके संतोष पाते हैं और राष्ट्र सुखी होता है। खराब मनुष्य के हाथ में धन पड़ने से उससे (मान तीजिए कि) गोले-वास्तु बनते हैं और लोगों का सर्वनाश होता है। गोला-वास्तु बनानेवाला राष्ट्र और जिस राष्ट्र पर इनका प्रयोग होता है, वे दोनों हानि उठाते हैं और दुख पाते हैं। इस तरह हम देख सकते हैं कि सज्जा आदमी ही सज्जा धन है।

—गांधीजी

सम्पत्ति की उपयोगिता इसी में है कि वह समाज के काम आकर सामाजिक जीवन को अधिक पूर्ण बनाये।

—पुरुषोत्तमदास टड़न

सर्वोदय अर्थशास्त्र की व्याख्या के सम्बन्ध में विचार कर चुकने पर अब हम यह जानते कि इस अर्थशास्त्र में अर्थ या धन किसे कहते हैं, कारण, इस विषय में वर्तमान अर्थशास्त्र और सर्वोदय अर्थशास्त्र में तात्त्विक अन्तर है, और इस अन्तर से दोनों अर्थशास्त्रों की कितनी ही महत्वपूर्ण वातों में जुदा-जुदा विभिन्नोण हो गया है।

धन के लक्षण; वर्तमान अर्थशास्त्र के अनुसार—पहले हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि वर्तमान अर्थशास्त्र के अनुसार अर्थ या धन से अभिप्राय ऐसी प्रत्येक वस्तु से होता है, जिससे मनुष्य की किसी आवश्यकता की पूर्ति होती हो, और साथ ही जिसको टेकर बदले में कोई दूसरी उपयोगी वस्तु मिल सकती हो। इस तरह अन्न, कोयला, लोहा, लकड़ी आदि चीजें इन गिनी

जाती हैं। सक्षेप में वर्तमान अर्थशास्त्र में सब उपयोगी और विनिमय-साध्य वस्तुएँ बन मानी जाती हैं। कोई वस्तु विनिमय-साध्य तब कहीं जाती है, जब आदभियों को उसकी, दूसरी उपयोगी वस्तुओं से अदल-चदल करने में, जरूरत होती हो, और इसलिए उसका अदल-चदल अथवा क्रय-विक्रय होता हो। समार में ऐसी कितनी ही वस्तुएँ हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी तो हैं, परन्तु विनिमय-साध्य नहीं हैं। ऐसी वस्तुओं को वर्तमान अर्थशास्त्र में धन नहीं कहा जाता। उदाहरण के तौर पर आदमी के जीवित रहने के लिए सब से अधिक आवश्यक वस्तुएँ हवा, पानी और रोशनी (मूर्ख का प्रकाश) हैं। पर साधारण दृश्य में इन्हें प्रात करने के लिए मनुष्य को कोई श्रम नहीं करना पड़ता, जिसे जितने परिमाण में इनकी आवश्यकता होती है, उसे उतने परिमाण में ये सहज ही मिल जाती है। इन पर किसी को अविकार या स्वामित्व रखने की जरूरत नहीं होती, इनका विनिमय या क्रय-विक्रय नहीं होता। ऐसी प्राकृतिक या सर्वसुलभ वस्तुओं को वर्तमान अर्थशास्त्र में धन नहीं कहा जाता।

वह तो भौतिक सम्पत्ति की बात हूई, अब अभौतिक सम्पत्ति की बात ले। विनिमय-साध्य वस्तुओं के अतिरिक्त, ऐसे कायाँ या सेवाओं को भी वर्तमान अर्थशास्त्र में धन माना जाता है, जो विनिमय-साध्य हो, उदाहरण के लिए अव्यापक, जज, सिपाही, चिकित्सक, उद्योग-सचालक, वैज्ञानिक, आविष्कारक, लेखक, कवि तथा अन्य कलाकार का कार्य, समाज के रीति-स्थिराज या राज्य के कायदे-कानूनों से मिलनेवाले स्वामित्व या मिल्कियत आदि के अविकार, जैसे पुस्तकों का मुद्रणाधिकार (कापी राइट), औपधियों, यत्रों या व्यापार-चिन्हों का 'पेटन्ट', दुकान या कोठी की ख्याति या प्रसिद्धि ('गुड विल')—ये उपयोगी भी हैं और विनिमय-साध्य भी, अर्थात् इनका क्रय-विक्रय हो सकता है। इस लिए ये भी वर्तमान अर्थशास्त्र में धन मानी जाती हैं।

इस प्रकार वर्तमान अर्थशास्त्र में अर्थ या धन मानी जाने वाली वस्तुओं के दो लक्षण हैं:—(१) उपयोगिता और (२) विनिमय-साध्यता। कोई वस्तु विनिमय-साध्य होने के लिए यह आवश्यक है कि वह परिमित परिमाण में हो, और श्रम से उत्पन्न की जाती हो। साय ही, वह ऐसी हो कि उस पर व्यक्ति का अधिकार हो सके और वह एक व्यक्ति से दूसरों को हस्तान्तरित की जा सके। यदि कोई

उपयोगी वस्तु हिन्दूक पशुओं से घिरे हुए जगल में अथवा गहरे समुद्र में इस प्रकार रखी हो कि दूसरा आदमी उसे अपने अधिकार में न ले सके तो यह वस्तु विनिमय-साध्य न होगी और इस लिए धन भी नहीं मानी जायगी।

धन के, वर्तमान अर्थशास्त्र के अनुसार माने जाने वाले लक्षणों में से एक उपयोगिता बतलाया गया है। इसके सम्बन्ध में विचार करने की आवश्यकता है। कुछ लोग शौक या नशे के लिए शराब पीने लगते हैं, और इसे उपयोगी समझ कर इसे खरीदने को तैयार रहते हैं। इसलिए, शराब को वर्तमान अर्थशास्त्र में धन माना जाता है। इस अर्थशास्त्र के रचयिताओं का कथन है कि ‘शराब मनुष्य के लिए उपयोगी है, इससे उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है; फिर, इसके धन माने जाने में क्या सन्देह रहा! मनुष्य की शराब पीने की आदत अच्छी है या बुरी, उसका अपनी इस आवश्यकता को पूरा करना उचित है या अनुचित—यह विचार करना अर्थशास्त्र का काम नहीं।’

सर्वोदय अर्थशास्त्र के अनुसार धन का विचार—पहले बताया जा चुका है कि सर्वोदय अर्थशास्त्र का उद्देश्य व्यक्ति तथा समाज का हित और विकास करना है। इस प्रकार इस अर्थशास्त्र की टृष्णि से ऐसी प्रत्येक वस्तु या सेवा धन है, जो व्यक्ति तथा समाज का हित साधन करती है, और उनके विकास में सहायक होती है। इस टृष्णि से हवा, पानी या रोशनी भी धन है, क्योंकि इनके बिना तो व्यक्ति तथा समाज जीवित ही नहीं रह सकता। ऐसी अत्यन्त महत्वपूर्ण वस्तुओं को धन न मानना सर्व या अनुचित और भ्रमपूर्ण है। सृष्टि में ये चीजें अपरिमित मात्रा में मिलती हैं, इनको प्राप्त करने के लिए आदमी को श्रम नहीं करना पड़ता और ये चीजें विनिमय साध्य नहीं हैं, तो इस कारण इनका महत्व कुछ कम नहीं होता, और इनको धन माने जाने से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

पुनः सर्वोदय अर्थशास्त्र शराबः आदि को केवल इसलिए अर्थ या धन नहीं कहेगा कि इन वस्तुओं से किसी व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति होती है और वह इन्हे खरीदता है। इस अर्थशास्त्र के अनुसार तो यह विचार करना है कि इनसे मनुष्य का हित साधन होता है या नहीं। अगर शराब के सेवन से आदमी बेसुध हो जाता है, गाली-गलौन बक्ता है और पीछे इससे उसके शरीर

की पुष्टि न होकर उसके स्वास्थ्य पर हानिकर प्रभाव पड़ता है तो शराब, वर्तमान अर्थशास्त्र की दृष्टि से उपयोगी और 'विनिमय-साध्य' होते हुए भी, वात्सल्य में अर्थ नहीं है, अनर्थ है। हाँ, यदि शराब का उपयोग किसी रोग को दूर करने में, औपचिके के रूप में, किया जाय तो उस सीमा तक उसे सर्वोदय अर्थशास्त्र में भी अर्थ या धन माना जायगा।

इसी प्रकार हथियारों के विषय में विचार करें। एक आदमी उनका उपयोग लुटेरे या हिंसक पशुओं से अपनी रक्षा करने के लिए करता है, दूसरा आदमी उनसे दूसरे निर्दोष व्यक्तियों की हत्या करता है। इससे स्पष्ट है कि यह एक ही वस्तु अपने उपयोग के अनुसार सुपदायक भी हो सकती है और दुखदायी भी, अर्थ भी हो सकती है और अनर्थ भी। निदान, किसी वस्तु के अर्थ या वन होने के लिए एक विचारणीय व्रत यह है कि आदमी उसका उपयोग किस प्रकार, किस रीति से या कहाँ तक करता है। वह वस्तु (सर्वोदय अर्थशास्त्र के अनुसार) उसी दशा में अर्थ मानी जायगी जबकि उसका उपयोग व्यक्ति तथा समाज के हित में होता हो। इसके विपरीत, यदि उस वस्तु का 'उपयोग' इस प्रकार होता है कि व्यक्ति या समाज के लिए हानिकर और इनके विकास में वाधक होती है तो वह वस्तु अनर्थ ही मानी जायगी। भारतीय विचारको ने इसे 'आनुरी सम्पत्ति' कहा है।

अब अभौतिक सम्पत्ति की बात ले। जैसा पहले कहा गया है, इसमें मनुष्य की सेवाएँ गिनी जाती हैं। वर्तमान अर्थशास्त्र के अनुसार वे सेवाएँ धन मानी जाती हैं, जो विनिमय-साध्य हो। इस प्रकार अव्यापक, डाक्टर, वकील, लेखक आदि का कार्य भी धन माना जाता है। परन्तु सर्वोदय दृष्टि यह है कि उपर्युक्त पेशा करने वाले बुद्धिजीवी हैं, इन्हे अपना कार्य लोकसेवा के लिए करना चाहिए, और किसी प्रतिफल की आशा न रखनी चाहिए, अपने निर्वाह के लिए इन्हें शरीर-अम करना चाहिए। इस विषय पर खुलासा आगे लिखा जायगा, यहाँ यही कहना है कि यदि इनकी योग्यता स्वार्थ-साधन में काम आती है, तो सर्वोदय अर्थशास्त्र में यह धन की गणना में नहीं आती। इसी प्रकार पुस्तकों का कापीराट्ट (मुद्रणाधिकार), औपचिके या यत्रो आदि का पेटन्ट-अधिकार, किसी दुकान या कोठी आदि की ख्याति ('शुड विल') आदि भी ऐसी

ही चीजें हैं, जिनका उपयोग बुद्धिजीवी अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। इन्हे भी सर्वोदय अर्थशास्त्र में धन नहीं माना जाता।

अस्तु, सर्वोदय अर्थशास्त्र के विचार से अर्थ या धन ऐसी प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति या समाज के लिए हितकर तथा इनका विकास करने वाली है। उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह विनिमय-साध्य भी हो, अथवा यों कहा जा सकता है कि सर्वोदय अर्थशास्त्र के अनुसार अर्थ या धन विनिमय-साध्य भी हो सकता है और अविनिमय-साध्य भी। आगे के विषय को समझने के लिए अर्थ या धन के इस लक्षण को व्यान में खबरना बहुत आवश्यक है।

कोई व्यक्ति वास्तव में धनवान कह माना जाना चाहिए?—इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि किसी आदमी को केवल इसलिए धनवान या सम्पत्तिवान नहीं समझा जाना चाहिए कि उसके पास बहुत सा रूपया-पैसा, नोट या सरकारी सिक्यूरिटी आदि है, या हिन्सक अख्यात या विषैले पदार्थ आदि इतने बड़े परिमाण में हैं कि उनका विनिमय-मूल्य बहुत अधिक मिल सकता है। हमें यह सोचना होगा कि वह व्यक्ति इस द्रव्य का तथा इन वस्तुओं का उपयोग किस रीति से करता है। जब वह इनके सचय और उपयोग में लोकहित की भावना का परिचय देता है, दूसरों से अपने भाई-बहिन की तरह प्रेम का व्यवहार करता है, तब ही वह धनवान कहलाने का अधिकारी है। यदि इसके विपरीत, वह व्यक्ति समाज के कल्याण की उपेक्षा कर उस वस्तु-संग्रह का अपने निजी स्वार्थ-साधन में और दूसरों के शोषण और पीड़न में उपयोग करता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए अनर्थवान या विपत्तिमान उपाधि देना ठीक होगा।

किसी देश के धनी होने की सच्ची कसौटी—उपर्युक्त विचारधारा के अनुसार किसी देश में बहुत सी वस्तुओं की बड़े परिमाण में उत्पत्ति होने से ही उस देश को अर्थवान नहीं माना जा सकता। इस समय अनेक देश ऐसा हिसाब उपस्थित कर सकते हैं कि कुछ वर्ष पहले उनकी जितनी सम्पत्ति थी, उसकी अपेक्षा आज कई गुनी बढ़ी हुई है। पर इनमें से कितने ही ऐसे हैं जिनके पास रूपया तथा कृत्रिम आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले पदार्थ खूब होते हुए भी वहाँ भोजन-वस्तु आदि की कमी है। इन देशों को धनवान नहीं कहा जाना

चाहिए। भोजन-बख्त आदि की कुल राशि यथेष्ट होने पर भी कोई देश उस समय तक धनवान कहे जाने का अविकारी नहीं है, जब तक इस वन का अविकारा भाग कुछ थोड़े से पूँजीपतियों, लखपतियों या करोड़पतियों, सेठ-साहूकारों या जागीरदारों-जमीदारों आदि के ही पात है, और सर्वसाधारण को अपनी रोजमर्ग की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन यथेष्ट परिमाण में सुलभ नहीं होते। इस प्रकार देश के प्रति व्यक्ति की औसत सम्पत्ति का विशेष महत्व नहीं, वह औमत का हिसाब अनेक बार कितना धोखा देने वाला होता है, यह सहज ही समझा जा सकता है। हम किसी देश को वास्तव में धनवान तभी कहेंगे, जब वहाँ सब आदमियों को अपने जीवन-निर्वाह तथा शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के सावन उपलब्ध हों, और उनमें आर्थिक विप्रमता बहुत ही मर्यादित परिमाण से अधिक न हो। यह भी जरूरी है कि वह देश समष्टि रूप से और वहाँ के निवासी व्यक्तिगत रूप से अपनी जस्तरते कम करते हुए नैतिक ऊँचाई की तरफ लगातार बढ़ रहे हों। नैतिक ऊँचाई का मापदण्ड यही है कि उस देश के आदमी आपस में एक-दूसरे को या अन्य देशों के लोगों को अपने ही जैसा मान कर उनके दुख और तकलीफों से द्विष्यात्मक सहानुभूति का परिचय देते हैं।

एक बात और। पहले कहा गया है कि सर्वोदय अर्पणास्त्र के अनुसार हवा, पानी और रोपानी जैसी प्राकृतिक और सर्व-सुलभ सम्पत्ति भी धन है, भले ही वह विनियम-साव्य न हो। इस प्रकार दो देशों में अन्य अर्थ की दृष्टि से समानता होते हुए जिस देश में आदमी इन चीजों का इनके प्राकृतिक शुद्ध रूप में यथेष्ट उपयोग करते हैं, अथवा जहाँ ये आधिक गुणकारी हैं, वही देश आधिक धनवान माना जायगा।

सच्चा आदमी ही मच्छा धन है—यदि सच्चम विचार किया जाय तो किसी देश की वास्तविक सम्पत्ति कुछ पदार्थ न होकर वहाँ के नर-नारी हैं। ये जितने अविक स्वस्थ, गुणवान, नीतिवान, सेवाभावी होंगे, उतना ही वह देश अविक धनवान माना जाना चाहिए। गावीजी ने कहा है ‘सच्चा आदमी ही सच्चा धन है। जिस राष्ट्र में नीति है।’ वह धन-सम्पन्न है, इसी प्रकार रस्किन का कथन है—‘जीवन ही सच्चा धन है, वह जीवन जिसमें प्रेम, आनन्द और सद्भावना की

सम्पूर्ण शक्तियाँ वर्तमान हैं। वही राष्ट्र सब से अधिक धनवान है, जिसकी गोद में अधिकाधिक उदार और सुखी मानवात्माएँ पलती हैं। वही मानव सब से अधिक मालदार है, जो अपने जीवन के सम्पूर्ण कर्तव्यों को पूरा कर, दूसरे प्राणियों के जीवन पर व्यक्तिगत रूप से एवं अपने प्राप्त ऐश्वर्य द्वारा अधिकाधिक प्रभाव डालता है।

सर्वोदय अर्थशास्त्र वस्तु-मूलक न होकर व्यक्ति-प्रधान है। अगर किसी बात या चीज से एक व्यक्ति का सच्चा हित सधता हो—यह निश्चय है कि इस हित से किसी दूसरे का अहित हरणिज नहीं हो सकता, और अगर होता है, तो उस हित में ही दोष है—तो वह बात या चीज धन समझी जायगी। यह है सर्वोदय अर्थशास्त्र द्वारा स्वीकृत धन सम्बन्धी विचार-धारा। क्या हम इस अर्थ में धनवान बनने का प्रयत्न करेंगे और अपने देश तथा इस विश्व के ऐसे धन को कुछ बढ़ाने की दिशा में अग्रसर होगे?

विशेष वक्तव्य—वर्तमान अवस्था में ससार की सर्वश्रेष्ठ वस्तु अर्थ (रूपया-पैसा) माना जाता है। आदमी लक्ष्मी के पुजारी है। कहा जाता है—सर्वे गुणा काचनमाश्रयन्ति। प्रत्येक वस्तु का मूल्याकन अब पैसे में किया जाता है। बुद्धि और योग्यता का भी माप इस बात में है कि उनसे कितना धन प्राप्त किया जा सकता है। यह पूजीवाद का लक्षण है। इस विचारधारा के अनुसार श्रम का यथेष्ट महत्व नहीं माना जाता। इससे विप्रमता और सघर्ष बढ़ता है। इसे दूर करना है। यह सर्वोदय की भावना से, श्रम की यथेष्ट प्रतिष्ठा करने से ही सम्बव है। अस्तु, सर्वोदय में अर्थ या धन को उसके सिंहासन से उतार कर मानवी गुणों को उच्च स्थान प्रदान करना है।

तीसरा अध्याय

अर्थशास्त्र के भाग

उत्पत्ति का उद्देश्य और व्येय उपयोग है, इसी प्रकार उपयोग का उद्देश्य और व्येय जीवन है।

—रसिकन

जो आदमी जमीन में एक बीज डालता है और वहुसल्यक बीज उपजाता है, वही वन का सच्चा निर्माता है। किसी एक माल को नया रूप देना सच्चा उत्पादन नहीं है।

—जो का कुमारापा

मनुष्य की आर्थिक क्रियाएँ और अर्थशास्त्र के भाग—मनुष्य को अपने जीवन-निर्वाह तथा विकास के लिए विविव वस्तुओं से आवश्यकता होती है, वह इनका उपयोग करता है। ये चीजें प्राप्त उसे बनानी, पैदा करनी अथवा सम्रह करनी होती है। कोई आदमी अपनी जल्दत की मव चीज स्वयं पैदा नहीं कर सकता, उसे दूसरों की बनाती चीजे लेनी, और बढ़ले में अपनी बनाती चीजें दूसरों को देनी होती हैं। वहधा आदमी विविध वस्तुओं की उत्पत्ति में दूसरों की सहायता लेता है। इस दशा में उसे उनकी दस सहायता का प्रतिफल देना होता है। इस प्रकार मनुष्यों की आर्थिक क्रियाएँ मुख्यत ये होती हैं—(१) खाना-पहनना आदि, अर्थात् उपयोग, (२) उपयोग के लिए वस्तुएँ बनाना, पैदा करना या सम्रह करना, अर्थात् उत्पत्ति (३) पदार्थों का अदल-बदल या क्रय-विक्रय, अर्थात् विनिमय, और (४) उत्पत्ति में सहायता देने वालों को उनका प्रतिफल देना, अर्थात् वितरण।

इन आर्थिक क्रियाओं के अनुसार अर्थशास्त्र के मुख्य चार भाग किये

जाते हैं—उपयोग,* उत्पत्ति, विनिमय और वितरण। इनके अतिरिक्त इसमें यह भी विचार होता है कि प्रचलित अर्थ-व्यवस्था के साथ राज्य का क्या अर्थवा कहों तक सम्बन्ध है। अब हम अर्थशास्त्र के सब भागों का अर्थ और विषय कुछ स्पष्ट करते हैं। पहले उपयोग को लीजिए।

उपयोग; आर्थिक क्रियाओं का मूल हेतु—सावारणतया यदि किसी वस्तु का उपयोग न हो, तो उसका उत्पादन भी न हो, फिर उसके विनिमय और वितरण की तो बात ही क्या! मनुष्य को विविध वस्तुओं के उपयोग करने की आवश्यकता होती है, इसीलिए उसका उत्पादन आदि होता है। इस प्रकार उपयोग हमारी आर्थिक क्रियाओं का मूल हेतु कहा जा सकता है। हाँ, यह स्मरण रहे कि अर्थशास्त्र में वस्तुओं या सेवाओं के सभी प्रकार के खर्च को उपयोग नहीं कहा जाना, यह विचार करना होता है उस खर्च से किसी आदमी या समाज के जीवन-निर्वाह या विकास में सहायता मिली या नहीं। उदाहरण के लिए एक आदमी रोटी खाकर अपनी भूख मिटाता है और दूसरा उसे आग में फेंक कर जला डालता है। दोनों दशाओं में रोटी खर्च हो गयी, उसकी उपयोगिता समाप्त हो गयी। परन्तु पहली दशा में, अर्थात् खाने से, आदमी का जीवन-निर्वाह हुआ, इसे रोटी का उपयोग हुआ, कहा जायगा। इसके विपरीत, दूसरी दशा में, रोटी के जलने से किसी आदमी को कुछ लाभ नहीं हुआ, इसे रोटी का उपयोग नहीं कहा जायगा। हमारे इस उदाहरण को कुछ पाठक कृत्रिम समझेंगे। परन्तु अमरीका में अनाज की पकी फसलों को जला डालने और डगलैड में फलों को नदी में बहाने की घटनाएँ असत्य नहीं। अस्तु, उपयोग का अर्थ किसी वस्तु

—वर्तमान अर्थशास्त्र में ‘उपभोग’ शब्द का व्यवहार किया जाता है। पर उसमें भोग-विलास की गध आती है। वह सर्वोदय अर्थशास्त्र की उस भावना से मेल नहीं खाता, जिसकी दुनियाद ही समय और त्याग हो, जिसका लक्ष्य जरूरतों को बढ़ाना नहीं, बल्कि उन्हे यथा-सम्भव कम करना है। इसलिए हमें उपभोग के स्थान पर उपयोग का व्यवहार करना उचित ज़न्चता है।

*आजकल बहुधा उत्पादन में उपयोग को प्रधानना न देकर सुनाफे का लक्ष्य रखा जाता है। इसके बारे में खुलासा विचार अगे किया जायगा।

को ऐसे काम में लाने से होता है, जिससे किसी व्यक्ति या समाज का हित या विकास हो। अर्थशास्त्र के इस भाग में यह विचार किया जाता है कि मनुष्य जो नर्ह-तरह के पदार्थों को खर्च करता है, वह कहाँ तक उचित है और किस सीमा पर अनुचित हो जाता है, आदमी का रहनसहन का दर्जा बढ़ाने का वास्तव में क्या अर्थ है, और वह कहाँ तक बढ़ाया जाना चाहिए।

अब उचिति का विचार करें।

उत्पत्ति का अर्थ, उपयोगिता की वृद्धि—वास्तव में मनुष्य किसी सर्वथा नयी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकता। वह उसे केवल पहले से अधिक उपयोगी बनाता है। उपयोगिता-वृद्धि को ही अर्थग्रास्त्र में 'वनोन्नति' बहा जाता है। उपयोगिता-वृद्धि कई प्रकार से होती है। कुछ दशाओं में वस्तु के रूप या आकार में परिवर्तन होने से उसका उपयोगिता बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए किसान द्वारा खेती की जाती है, वह अन्न के रूप में प्रकृति की सहायता से मिट्टी, हवा, पानी और प्रकाश के द्वारा ऐसा परिवर्तन करता है कि अन्न के एक एक दाने भे कई-कई दाने पेढ़ा हो जाते हैं। इस प्रकार वह बीज की उपयोगिता रूप-परिवर्तन द्वारा बढ़ाता है। जो अन्न पहले दो-चार दिन ही परिवार का निर्वाह करता, उससे अब कई माह तक काम चल सकता है, अथवा यो कहे कि जिससे एक परिवार का पालन होता, उससे अब अनेक परिवारों का हित होता है।

रूप-परिवर्तन द्वारा ऐसी उपयोगिता-वृद्धि भी होती है कि कच्चे माल का तेयार माल बन जाय। उदाहरण के लिए अन्न की रोटी बनायी जाती है, लकड़ी से मेज, कुर्सी आदि सामान बनाया जाता है, रुई से तरह-तरह के कपड़े बनाये जाते हैं। इस प्रकार विविध शिल्प और उद्योग धन्वे, रूपान्तर द्वारा होने वाली उपयोगिता-वृद्धि के उदाहरण हैं।

उपयोगिता का सही अर्थ—यहाँ उपयोगिता का वास्तविक अर्थ विचार-रीय है। वर्तमान अर्थशास्त्र और सर्वोदय अर्थशास्त्र में, इस विषय में मौलिक मत-भेद है। वर्तमान अर्थशास्त्र ऐसी प्रत्येक किसा को उपयोगिता बढ़ाने वाली कहता है, जो किसी वस्तु या सेवा को पहले से अधिक मूल्यवान या कीमती बना दे। उसकी उपयोगिता की कसौटी विनिमय-मूल्य है, वह उपयोगिता का

माप पैसे से करता है। इसी विचारधारा के कारण आजकल पदार्थों के रूप-परिवर्तन की क्रियाएँ उत्तरोत्तर बढ़ रही हैं। वस्तुओं को अधिक आकर्षक, सुन्दर, लुभावनी या स्वादिष्ट बनाने की दिशा में नये-नये प्रयत्न किये जाते हैं। इससे अनेक दशाओं में उनकी वास्तविक उपयोगिता नहीं बढ़ती, वे स्वास्थ्य के लिए हानिकर हो जाती हैं। उदाहरण के लिए धान को मिलो में कट कर उसका केवल छिलका ही नहीं उतारा जाता, वरन् चावल का ऊपरी हिस्सा भी बटा दिया जाता है, जिससे वह बहुत सफेद और चमकीला हो जाय। इस चावल में पोषक तत्व कम रह जाता है, और यह 'वेरीवेरी' आदि रोग पैदा करता है। दालों को पालिश किया जाता है, हल्दी, सौंठ, इलायची आदि मसालों को रगा जाता है, यहाँ तक कि मिठाइयों में रग डाला जाता है। ऐसे रूप-परिवर्तन से असल में उपयोगिता-वृद्धि नहीं होती, वरन् उपयोगिता घटती ही है। आदमी यह कार्य अपने मुनाफे या स्वार्थ के लिए करते हैं। इस लिए असल में यह कार्य उत्पत्ति के अन्तर्गत् नहीं माना जाना चाहिए, चाहे बाजार में ऐसे पदार्थ ऊँचे भाव से विक्री हों। तो फिर उपयोगिता किसे कहना चाहिए ?

इसका उत्तर गाधीजी के शब्दों में इस प्रकार दिया जा सकता है:—‘उपयोगी वह है, जिससे मानव जाति का भरण-पोषण हो, भरण-पोषण वह है जिससे मनुष्य को यथेष्ट भोजन-वस्त्र मिल सके, या जिससे वह नीति के मार्ग पर स्थित होकर आजीवन अम् करता रहे।’^{१५} इस प्रकार किसी वस्तु की उपयोगिता-वृद्धि की कसौटी यह है कि वह मनुष्य के जीवन-निर्वाह या नैतिक विकास में पहले की अपेक्षा कितनी अधिक सहायक हुई है।

— **विनिमय**—आवृत्तिक अर्थ-व्यवस्था में उत्पत्ति और उपयोग के बीच में विनिमय और वितरण ने अत्यधिक महत्व प्राप्त कर रखा है। यह ठीक है कि जिन दशाओं में मनुष्य स्वावलम्बी नहीं हो सकता, वह दूसरों की सहायता ले, और उनकी आवश्यकतानुसार उन्हें सहायता दे। परं यह कार्य उसी सीमा तक होना उचित है, जहाँ तक यह दोनों के पक्ष में हितकर अर्थात् दोनों के विकास और प्रगति में सहायक हो। अस्तु, समाज में पदार्थों का अदल-वदल, एक

^{१५} ‘सर्वोदय’ पुस्तक से।

सीमित परिमाण में ही आवश्यक और उपयोगी है। आधुनिक सासार में प्राप्त पदार्थों का सीधा अदलवदल न हो कर उनका मुद्रा या नोट द्वारा क्रय-विक्रय होता है। इसे विनिमय कहते हैं।

विनिमय में वस्तुओं के अधिकारियों या स्वामियों का परिवर्तन तो होता ही है, कुछ दशाओं में उसके साथ ही स्थान-परिवर्तन भी हो सकता है। जब वस्तु का क्रय-विक्रय उसी स्थान (गाँव या नगर) के आदमियों के हाथ होता है तो इस विनिमय में खासकर अविकारी-परिवर्तन होता है। इसके विपरीत, जब वस्तु को दूसरे गाँव या नगर में लेजाकर बेचा जाता है तो उसमें स्थान और अविकारी दोनों का परिवर्तन होता है। दोनों ही दशाओं में लोकसेवा की भावना भी हाँ सकती है, और स्वार्य-साधन या मुनाफ़ की भी। आजकल अविकाश व्यापारियों का उद्देश्य लोकहित न होकर नफा कमाना अर्थात् स्वार्य-साधन करना होता है। वर्तमान अर्थात् पञ्चमी अर्थशास्त्र इसकी कोई निन्दा नहीं करता, परन्तु सर्वोदय अर्थशास्त्र इसे सर्वथा अनुचित या त्याज्य मानता है।

सर्वोदय अर्थशास्त्र में विनिमय के अन्तर्गत वह विचार किया जाता है कि देश के जुटा-जुटा हिस्सों में वस्तुओं का उत्पादन स्थानीय आवश्यकताओं को लक्ष्य में रख कर किया जाय, जिससे आम तौर पर किसी स्थान के आदमी को अपनी बन्तुएँ विक्री के लिए दूर-दूर भेजना न पड़े, जो बन्तुएँ स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति होने के उपरान्त बचे, उन्हें ही बाहर भेजा जाय, और वह भी ऐसे स्थानों में जहाँ उनकी उत्पत्ति कम होने से वे बहुत आवश्यक हों। इस प्रकार व्यापार बहुत सीमित हो और उसमें पैसे की प्रभुता न हो नया उसका उद्देश्य मुनाफ़ा न होकर लोकसेवा हो।

वितरण—आजकल बहुत से पदार्थों का उत्पादन केन्द्रित रूप में और वडे पैमाने पर होता है। योजक या व्यवस्थापक को अपने साधनों पर निर्भर न रह कर दूसरों के साधनों का आश्रय लेना होता है। वह किसी से भूमि लेता है, किसी का थम, और किसी की पूँजी। इससे उन साधनों के मालिकों को उनका प्रतिफल—लगान, मजदूरी और सूद—देकर वाकी सब को व्यवस्थापक अपने मुनाफ़े के रूप में ले लेता है। इस अर्थव्यवस्था का मूल मुनाफ़ा ही है।

सर्वोदय अर्थशास्त्र बतलाता है कि एक परिवार या परिवार-समूह के आदमी मिलकर अपने श्रम से और अपनी पैंजी से अपनी मुख्य आवश्यकताओं का सामान पैदा करें जिससे यथा-सम्भव लगान, मजदूरी और सूद का प्रश्न ही न हो, मुनाफे की बात न उठे, और वितरण की जटिलता का अन्त हो।

अर्थव्यवस्था और राज्य—ऊपर बताये हुए चार विषयों के अतिरिक्त अर्थशास्त्र में यह भी विचार किया जाता है कि अर्थव्यवस्था का राज्य से क्या सम्बन्ध है। बात यह है कि मनुष्यों को, समाज या समूहों में रहने की दशा में, कुछ काम ऐसे कराने होते हैं, जो सब के हित के होते हैं और सामूहिक रूप से किये जाते हैं। इनके लिए आदमी अपनी और से कुछ सच्चा उन लोगों को देते हैं, जो इनके करने के बास्ते नियुक्त होते हैं। इस प्रकार राजसत्ता का निर्माण होकर वह जनता के बास्ते आवश्यक कार्य करती है या उनमें योग देती है। इन कार्यों में जो खर्च होता है, वह निर्वाचित नियमों के अनुसार जनता से बसल बिया जाता है।

सर्वोदय अर्थशास्त्र में स्वावलम्बन का लद्द रहता है, अत यह विचार करना होगा कि जनता किस प्रकार अपने कार्यों के लिए सरकार पर कम-से-कम निर्भर रहे, और इस दृष्टि से शासन-व्यवस्था कैसी हो। इस प्रकार अर्थशास्त्र का एक भाग 'अर्थव्यवस्था और राज्य' होगा।

अर्थशास्त्र के भागों का सही महत्व—अर्थशास्त्र के उपर्युक्त पाँच भागों में से, वर्तमान अवस्था में उत्पत्ति को प्रधानता दी जाती है, और उत्पादन प्रणाली दूषित होने से, अर्थात् उत्पादन के बड़े पेमाने पर एक-एक स्थान में केन्द्रीकरण होने से तथा उत्पन्न पदार्थों का उपयोग वहुन दूर-दूर तक होने के कारण, इन अर्थव्यवस्था में विनियम और वितरण को बहुत महत्व मिला हुआ है। विनियम सम्बन्धी क्रियाओं और सावनों ने विशाल स्वरूप धारण कर रखा है। इनके लिए वितनी व्यवस्था की जाती है, वह आगे बताया जायगा। इसी प्रकार वर्तमान अर्थव्यवस्था में वितरण की एक जटिल समस्या उपस्थित है और इसे हल करने के लिए विविव विचारवाराएँ सामने आती हैं। विचार करने से वह स्पष्ट हो जाता है कि विनियम और वितरण तो उपयोग के सहायक मात्र हैं।

इनके कारण, सरकार के आर्थिक कार्यों का वढ़ना अनुचित है। सामाजिक जीवन के आरम्भ में सरकार का आर्यक्षेत्र वहूत ही परिमित ही था, यह क्रमणः वढ़ता गया। अब अनेक विचारक राज्य-हीन या शासन-निरपेक्ष समाज की कल्पना ही नहीं, आशा भी करते हैं। इस प्रकार अर्थशास्त्र में विनियम, वितरण और सरकारी कारों का महत्व वर्तमान काल को विशेष परिभिन्नियों के कारण वहूत बढ़ा हुआ है, सावारण स्वाभाविक अवस्था में इनका स्थान गौण होना चाहिए।

सर्वोदय अर्थशास्त्र में इनका स्थान गौण ही है। यह अर्थशास्त्र उत्पत्ति और उपयोग का सामजिक उत्पादन से जिन चीजों की जरूरत हो, वे अविकाश में वहाँ ही तथा विकेन्द्रित उत्पादन से ही पूरी की जायें। केवल कुछ खास-खास चीजें ही बाहर से मगायी जाय, वे भी यथा सम्भव पड़ोसी क्षेत्र से ही। इस प्रकार विनियम और वितरण का क्षेत्र सीमित किया जाय, ये वहूत ही कम रहे। विकेन्द्रित और स्वावलम्बी उत्पादन पद्धति से यही होता है। इस प्रकार सर्वोदय अर्थशास्त्र के अनुसार सरकार के आर्थिक कार्य वहूत ही सीमित रह जाते हैं। अन्त में अर्थशास्त्र के भागों में से केवल उपयोग और उत्पत्ति रह जाते हैं। इनमें से भी, सर्वोदय अर्थशास्त्र उपयोग को प्रधानता दे कर, उसी की विधि से उत्पत्ति करने का आदेश करता है, अगले खड़ में हम उपयोग का ही विचार करेंगे।

दूसरा खड़

उपयोग

४—उपयोग का लक्ष्य

५—हवा, प्रकाश, पानी और मिट्टी

६—भोजन

७—वस्त्र

८—मकान

९—शिद्धि

१०—स्वास्थ्य और मनोरंजन

११—रहनसहन का दर्जा और जीवन-स्तर

धनी के घर उसके लिए अनावश्यक चीजें भरी रहती हैं, मारो-मारी फिरती है, खराब होती रहती है, दूसरी ओर उनके अभाव में करोड़ों मनुष्य भटकते फिरते हैं, भूखों मरते हैं, जाड़े से ठिठुरते हैं। यदि सब लोग अपनी आवश्यकता-भर को ही सप्रह करे तो किंसी को तरी न हो और सब को सन्तोष रहे। आज तो दोनों ही तंगी अनुभव करते हैं। करोड़पति अरवपति होने को छृटपटाता है, उसे सतोष नहीं रहता। कगाल करोड़पति होना चाहता है, उसे पेट भरने-भर को ही पाकर सतोष होता दिखायी नहीं देता। परन्तु कगाल को पेट-भर पाने का अधिकार है, और समाज का वर्म है कि उसे उतना प्राप्त करा दे। अतः उसके और अपने सतोष के लिए शुरुआत धनी को करनी चाहिए। वह अपना अल्यंत परिग्रह ल्याग दे तो दरिद्र के काम-भर को सहज में मिल जाय और दोनों पक्ष सतोष का सबक सीखे।

—गांधीजी

चौथा अध्याय

उपयोग का लक्ष्य

तू करोड़ों खुशी से कमा । लेकिन समझले, तेरा धन सिर्फ तेरा नहीं, सारी दुनिया का है । इस लिए जितनी तेरी सच्ची जहरते हैं, उतनी प्रीरी करने के बाद जो बचे, उसका उपयोग समाज के लिए कर ।

—गाँधी जी

अर्थशास्त्र के कौन-कौन-से भाग होते हैं, इसका विचार पहले किया जा चुका है । अब एक-एक भाग के सम्बन्ध में खुलासा लिखा जायगा । पहले उपयोग को लेते हैं ।

उपयोग का महत्व—उपयोग का महत्व उत्पादक तथा उपयोक्ता दोनों की दृष्टि से है । पहले उत्पादक की बात लीजिए । आदमी ऐसी ही चीजें बनाता या पैदा करता है, जो या तो स्वयं उसके काम आये, या जिन्हे दूसरों को देकर उनसे वह अपनी जरूरत की चीजें ले सके । इस प्रकार यह आवश्यक है कि हम जो वस्तुएँ उत्पन्न करें, वे ऐसी हों, जिनका उपयोग होता हो । हम अनुपयोगी वस्तुओं का उत्पादन न करें । साथ ही हमें वह भी विचार रखना चाहिए कि हम अपनी सुविधा या लाभ के लिए ऐसी वस्तुओं का उत्पादन न करें, जो लोक-हित की दृष्टि से हानिकर हों । इस प्रकार उत्पादकों के लिए उपयोग का विषय बहुत विचारणीय तथा महत्वपूर्ण है ।

दूसरी ओर उपयोग करने वालों की दृष्टि से भी यह विषय कम महत्व का नहीं । यदि हम आवश्यक वस्तुओं का उपयोग न करें तो हमारी जीवन-रक्षित्ति द्वीण होने से उत्पादन-क्षमता भी कम हो जाती है । ऐसी दशा में हमें अपने खाने-पहनने को भी प्रा नहीं मिल सकता । इसका परिणाम यह हो सकता है कि अन्त हम जीवित ही न रहें । फिर, प्रायः उपयोक्ताओं की रुचि और इच्छाओं को देख कर ही उत्पादक तरह तरह की वस्तुएँ बनाते हैं । यदि देश में

शौकीनी, भोग विलास और ऐश्वर्य आदि का सामान बहुत बड़े परिमाण में बनाया जाता है तो इसके लिए उत्पादक तो दोषी हैं ही, पर उसका मुख्य दायित्व उन लोगों पर है जो इन चीजों का उपयोग करते हैं। उत्पत्ति की बाग द्वारा उनके ही हाथ में है, वे अपनी सुखचिंता और सयम का परिचय देकर देश के उत्पादकों का उचित पथ-प्रदर्शन और नेतृत्व कर सकते हैं। इन बातों से उपयोग का महत्व स्पष्ट है।

उपयोग का लक्ष्य, सुख की प्राप्ति—उपयोग सम्बन्धी विविध बातों का विचार करने से पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि उपयोग का क्या लक्ष्य है, अथवा क्या होना चाहिए। पहले कहा जा चुका है कि मनुष्य में जीवित रहने की स्वाभाविक अभिलापा है, पर वह सुख-पूर्वक जीना चाहता है, दुख या क्लेश भोगते हुए नहीं। वह विविध कार्य इसीलिए करता रहता है कि उसे किसी प्रकार का कष्ट न हो, उसका जीवन आनन्दमय हो। प्रत्येक व्यक्ति आनन्द की खोज में है, उसकी सारी दौड़-वूप का उद्देश्य इसी की प्राप्ति है। हम खाना खाते हैं तो सुख के लिए, कपड़ा पहनते हैं तो सुख के लिए, सकान लिना कर रहते हैं तो सुख के लिए। अन्य तरह-तरह के पदार्थों के उपयोग करने में भी हमारा हेतु यही रहता है। मनुष्य जाति आरम्भ में इनी-गिनी वस्तुओं का उपयोग करती थी, धीरे-धीरे उपयोग के लिए नवी-नवी वस्तुओं का आविकार किया गया। ‘सम्भृत’ की वृद्धि के साथ उपयोग में आने वाली वस्तुओं की सत्त्वा या परिमाण बढ़ता गया। आजकल के साधारण ग्रामीण के भी रहन-सहन का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उसके द्वारा होने वाला उपयोग कितना बढ़ गया है और बढ़ता जा रहा है। यह प्रगति सुख-प्राप्ति की लालसा से की गयी है। इस प्रकार उपयोग का लक्ष्य सुख की प्राप्ति है।

सुख की पहचान, हितकारी और स्थायी सुख—प्रायः सुख से हम ऐसे ही सुख का आशय लिया करते हैं, जो खाने पहिनने, सूखने या सुनने आदि से मिलता है। यह इन्द्रिय-सुख या शरीर-सुख है, और कितने ही आदमियों के लिए वही सब-कुछ नहीं, तो बहुत-कुछ होता है। परन्तु वास्तव में मनुष्य केवल उसका शरीर नहीं है, और उसका सुख केवल शारीरिक सुख में ही नहीं समा-

सकता । शरीर-सुख वहुधा क्षणिक या अस्थायी होता है । अनेक बार तो उसके बाद बहुत कष्ट भोगना पड़ता है । हम जीभ के स्वाद से जब खूब भोजन कर लेते हैं तो पहले तो सुख मालूम होता है, पर पीछे बीमार पड़ कर अपने किये पर पछताते हैं । श्री काका कालेलकर ने कहा है—

‘सुख की चाह तो सबों को है, लेकिन सब लोग सुख को पहचानते नहीं हैं । इसीलिए भगवान् को अपने गीता शास्त्र में सुख का कुल विवेचन करना पड़ा । उन्होंने सुख के तीन प्रकार बताये हैं और उनमें से जो सुख सबसे अधिक हितकारी, स्थायी और उन्नतिकर है, उसे सात्त्विक सुख कहा है, और उसकी व्याख्या करते हुए कहा कि जो शुरू में जहर के जैसा कड़वा और अरुचिकर मालूम होता है, लेकिन अन्त में अमृत के जैसा स्वादिष्ट और कल्याणकारी है, वही सात्त्विक सुख है । हमारे सामाजिक जीवन में न्यायनिष्ठा, सदाचार और विश्ववन्धुत्व शुरू में कड़वा सालगता है, स्वार्थ का विनाशक सा मालूम होता है, लेकिन अन्त में वही सुखमय और अमृतमय है । उपनिषद् के ऋषि कहते हैं कि जिनमें हिम्मत नहो है, वे अल्प सुख को—प्रेय को—पसन्द करते हैं, और जो सयाने हैं, दीर्घदर्शी है, वे स्थायी सुख को सर्वसुख को, श्रेय को पसन्द करते हैं । महात्मा जी ने हमें हमेशा इस श्रेय-सुख का ही रास्ता बताया है ।’

सासार में कुछ आदमी भावी जीवन को सुखमय बनाने का प्रयत्न किया करते हैं और कुछ तो अगले जन्म के सुख के लिए तरह-तरह के दान-र्वम, प्रत, उपवास आदि भी करते हैं, तथापि प्रायः आदमी तात्कालिक सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, चाहे वह अल्पकालीन ही हो । इस प्रकार वह सोचता है कि आज का दिन, वर्तमान समय अच्छी तरह मौज से बीते । वह कल की, भविष्य की चिन्ना नहीं करता । वह भावी सुख के लिए, चाहे वह दीर्घकालीन ही हो, आज के सुख या आराम का ल्याग करना नहीं चाहता । इस प्रकार आदमी भोग विलास और फैशन या शौकीनी का जीवन विताने का इच्छुक रहता है । इसमें जो सुख प्रतीत होता है, वह अल्पकालीन ही होना है, पीछे इसकी आदत पड़

जाने पर इसकी अधिकाधिक आवश्यकता होने लगती है, जहरते बढ़ती जाती हैं, और पूर्ति न होने से शरीर को ही नहीं, मन को भी कष्ट होता है। इसलिए हमें चाहिए कि विविध पदार्थों का उसी सीमा तक उपयोग करें, जितना अत्यन्त आवश्यक हो, अर्थात् भोग-विलास, शौक, नशे आदि के लिए उपयोग न करें। हम उपयोग में दूरदर्शिता से काम ल, जिससे इस समय कुछ-असुविधा भी सह कर, अपने तात्कालिक सुख में कुछ कमी करके भी पीछे दीर्घ काल तक सुख पाये। उदाहरण के लिए आदमी अपना द्रव्य क्षणिक सुख देने वाले मादक पदार्थ में खर्च न कर पौष्टिक भोजन में करें, जिससे शरीर को वास्तविक और दीर्घकालीन लाभ हो। इसी प्रकार धन खर्च करने के अन्य उदाहरण लिये जा सकते हैं।

सुख का क्षेत्र—मनुष्य एकाकी नहीं, सामाजिक प्राणी है। उसे समाज के सुख-दुख का व्यान रखना होता है। समाज के सुख में उसका सुख है, और समाज के दुख में उसका दुख है, भले ही वह इस बात को न समझे या न विचारे। माँ अपने बच्चों को सुख देने के लिए स्वयं अनेक प्रकार के कष्ट उठाती है, और इसमें सुख का अनुभव करती है, कारण बच्चों का सुख माँ का अपना सुख है। स्त्री-पुरुष एक दूसरे को सुखी करने के लिए उत्सुक रहते हैं, यह कोन नहीं जानता! इसी तरह हम परिवार के अन्य सदस्यों के सुख में अपना सुख मानते हैं। हमारे विचार का क्षेत्र बढ़ता है तो हम अपने मुहल्ले, ग्राम या नगर के लिए सुख के साधन जुटाने की बात सोचते हैं और आगे बढ़ कर, हम देश-प्रेम या राष्ट्र-भक्ति आदि का विचार करते हैं। हमारे विकास की यही चरम सीमा नहीं है। इसके आगे की मजिल विश्वबृद्धुत्व या मनुष्य-मात्र का भाईचारा है, जिसे 'सर्वे सुप्तिनः भवन्तु' या सर्वोदय में प्रकट किया गया है। आदर्श तो 'सर्व भूत हिते रतः' अर्थात् प्राणी-मात्र के सुख का विचार रखना है। अस्तु, मनुष्य के सुख का क्षेत्र, उसकी ज्ञान-वृद्धि के साथ-साथ बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि उसे यह अनुभव होता है कि यथा सम्भव उसे सबके सुख का ख्याल रखना चाहिए, किसी को भी कष्ट न दिया जाय, यहाँ तक कि वृक्षों और वनस्पति आदि की भी रक्षा और वृद्धि तथा खनिज आदि प्राकृतिक पदार्थों का भी ख आवश्यक है। अस्तु, इस विषय के विस्तार में न जा कर हमें

यहाँ यही कहना है कि मनुष्य के सुख का ढोव विश्वव्यापी है, उसे छोटे दायरे में सीमित करना उसके अंतर्गत का सचक और उसके वास्तविक तथा दूर के स्वार्थ में वादक है। आटमी को चाहिए कि अपने सामने उपयोग का लक्ष्य स्थायी, हितकर और सात्त्विक सुख अर्थात् श्रेय रखे।

उपयोग और आवश्यकताएँ—हम अनेक बार अपनी आवश्यकताओं का ठीक विचार न करके ऐसा उपयोग करते हैं, जिससे हमें ज्ञानिक अर्थात् थोड़ी देर का ही सुख मिलता है, और पीछे बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, हमारा स्वास्थ्य विगड़ जाता है, मन में विकार पैदा होता है, हमारा विकास रुक जाता है और समाज-हित में वादा होती है। इससे स्पष्ट है कि आवश्यकताओं का विप्रय बड़ा महत्व-पूर्ण है। आजकल मनुष्य ने अपनी भौतिक आवश्यकताएँ बहुत बढ़ा रखी हैं, और वह उन्हें बढ़ाता ही जाता है। आवश्यकताओं के कम या ज्यादा होने के आवार पर समाज में बहुत भेद-भाव उपस्थित है। जिन आदमियों को अधिक आवश्यकताएँ पूरी करने के साधन प्राप्त हैं, उन्हें ऊचे वर्ग का माना जाता है, और दूसरों को नीचे वर्ग का। इस प्रकार का भेद बहुत अनिष्टकारी है। गार्वीजी ने कहा है—

‘किमी भी उच्च वर्ग और आम जनना के, राजा और रंक के वीच के बड़े भारी भेद को यह कहकर उचित नहीं मान लेना चाहिए कि पहले की आवश्यकताएँ दूसरे से बड़ी हुई हैं। आज के अमीर और गरीब के भेद से दिल को चौट पहुँचती है।’

प्रथमिक आवश्यकताएँ; उपयोग में सामाजिक दृष्टि होनी चाहिए—मनुष्य की प्रायमिक आवश्यकताएँ प्रकाश, हवा, जल, भोजन-वस्त्र और मकान हैं। प्रकाश और हवा को प्रकृति ने सर्वत्र सुलभ किया है, और इन्हें असीमित मात्रा में दिया है, ये सबके ही उपयोग के लिए हैं। अत, इन पर किसी व्यक्ति या सम्बन्ध का अविकार नहीं माना जाना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी को यह अधिकार न होना चाहिए कि अगुवाया कीटाणु वम द्वारा इन्हे दूषित कर सके। यही बात जल के सम्बन्ध में है। जमीन के नीचे से जल खींच कर लाने में परिश्रम की आवश्यकता होती है, इसलिए उस पर व्यक्ति या परिवार का

अविकार मान लिया जाता है, तथापि कुछें या बाबड़ी आदि के जल का उपयोग दूसरे आदमी भी अपनी-अपनी आवश्यकता के लिए करते हैं, इस प्रकार व्यवहार में इस जल पर भी व्यक्तिगत उपयोग के लिए समाज का अधिकार मान्य होता है। फिर प्राकृतिक तालाब नाले नदी आदि तो समाज के हैं ही, और होने भी चाहिए। * इसलिए इनके उपयोग में सामाजिक टॉप्ट रहनी चाहिए। गम्भीर विचार करने से इसका अर्थ यह है कि इनके उपयोग में यह ध्यान में रखा जाय कि ये वर्तमान पीढ़ी के लिए ही नहीं, आनेवाली पीढ़ियों के लिए भी हैं, इसलिए इनका अधाधुध उपयोग न कर मितव्ययिता या किफायत करनी चाहिए।

भोजन, वस्त्र, मकान आदि के लिए आदमी को श्रम करना होता है, इसलिए इन पर एक सीमा तक व्यक्ति या परिवार का अधिकार मान्य है। पर किसी व्यक्ति और परिवार को यह नहीं भूलना चाहिए कि वह समाज का अग है, इसलिए उस पर यह दायित्व है कि वह अपनी अनिवार्य आवश्यकता से अविक इनका ऐसा उपयोग न करे जो समाज के व्यापक हित म बाधक हो।

आवश्यकताओं का नियंत्रण—साधारणतया आदमी आवश्यकताओं की पूर्ति मे सुख का अनुभव करता है, परन्तु जब आवश्यकताएँ अनन्त हों, और नित्य नयी बढ़ती जाती हो तो अनेक आवश्यकताएँ हर दम अतृप्त रहने वाली ठहरीं। ऐसी दशा मे आदमी को सुख कैसे मिल सकता है। तो क्या सभी आवश्यकताओं का नियंत्रण किया जाना चाहिए? क्या ऐसा करना सम्भव या व्यावहारिक है? यदि सब आवश्यकताओं का नहीं, तो कौन-कौनसी या किस प्रकार की आवश्यकताओं का नियंत्रण किया जाना अभीष्ट है?

प्राप्त सुख दीर्घकालीन अथवा अल्पकालीन होने की दृष्टि से आवश्यकताएँ दो प्रकार की होती है—(१) जिनकी पूर्ति से व्यक्तिगत तथा सामाजिक लाभ होता है, जैसे अपनी या अपने परिवार की जीवन-रक्षक या निपुणता-वर्द्धक भोजन-वस्त्र तथा रिच्चा आदि की आवश्यकता, दूसरों की भलाई की आवश्यकता, देशोन्नति की आवश्यकता। (२) जिनकी पूर्ति से क्षणिक सुख तो अवश्य

* भूमि के सम्बन्ध मे अगले खण्ड मे विचार किया जायगा।

मिलता है, पर अन्त में दुख ही होता है और दीर्घकालीन दृष्टि से समाज और देश को हानि पहुँचती है, जैसे माटक या उच्चेजक पदार्थों तथा विलासिता आदि की वस्तुओं का सेवन, अपने स्वार्थ के लिए हानिकर वस्तुओं का प्रचार या दूसरों का शोपण। इन दो प्रकार की आवश्यकताओं में प्रथम प्रकार की तो उचित है, और उनकी पूर्ति की जानी चाहिए, दूसरे प्रकार की आवश्यकताएँ अनिष्टकारी हैं, इनका नियन्त्रण होना आवश्यक है।

मनोनिग्रह या इन्द्रिय-दमन—जो व्यक्ति अविक तथा स्थायी सतोप और नुख पाना चाहता है, उसे अपने मन और इन्द्रियों को वश में रखना बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी कृतिम या ऐसी आवश्यकताओं को नियन्त्रित करना चाहिए जो हमारी वान्नविक—शारीरिक, मानसिक और आत्मिक—उबति में वाधक हों, जिनमें लोकहित में रुकावट होनी हो। अवश्य ही अपनी आवश्यकताओं के नियन्त्रण में आदमी को आरम्भ में कुछ कठिन प्रतीत होना स्वाभाविक है, परन्तु धीरे-धीरे उसका अभ्यास हो जाता है और उसे वह शक्ति प्राप्त हो जाती है, जिसे मनोनिग्रह या इन्द्रिय दमन कहा जाता है। इस शक्ति से वह ऐसी आवश्यकताओं का नियन्त्रण करे, जिनके कारण वह शौकीनी या भोग विलास के पदार्थों का उपयोग करने को प्रेरित होता है। हमाग आदर्श वह नहीं है कि सभी आवश्यकताओं को रोको, खाना-पीना भी बन्द कर दो और शरीर को सुखा डाजो। हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि जीवन-गति के लिए आवश्यक वस्तुओं का उपयोग करो, पर इसमें विवेक से काम लो, मर्गदा जा जान रखो दूसरों के हित का भी विचार करो। जीत्रो और जीने दो—यही नहीं, दूसरों को जीवित रखने के लिए, नमान के सुख और कल्याण के लिए अपना जीवन विताओ। चास्तव में यही जीवन है, इसी में मन्त्रा और असली सुख है।

आवश्यकताएँ मनुष्य के वडप्पन की मापक नहीं—आवश्यकताओं के नियन्त्रण की त्रात कुछ पाठकों को बहुत खटकेगी। आजकल प्राप्त आदमी के वडप्पन का माप उसकी भौतिक आवश्यकताओं से किया जाता है। जिस व्यक्ति की आवश्यकताएँ जिननी अधिक होती हैं, उतना ही उसे ऊँचे ढर्जे का तथा अविक सम्य माना जाता है, और समाज में अधिक प्रतिष्ठा दी

जाती है। असल में होना यह चाहिए कि जो व्यक्ति समाज की जितनी अधिक सेवा करे और उसकी उन्नति में जितना अधिक सहायक हो तथा अपनी निजी आवश्यकताएँ जितनी कम रखे, उसे उतना ही अधिक सम्म माना जाय और अधिक आदर-मान मिले।

आवश्यकताओं सम्बन्धी आदर्श—आजकल तो 'सम्म' आदमी अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाता ही रहता है, साथ ही जितने पदार्थों की उसे तत्काल जरूरत होती है, उससे भी अधिक अपने पास रखना चाहता है। वह समाज के दूसरे लोगों की जरूरत का व्यान नहीं रखता। इससे बड़ा अनर्थ हो रहा है। आवश्यकताओं के सम्बन्ध में हमारा आदर्श क्या होना चाहिए—इस विषय में गांधीजी की आगे दी हुई पक्षियों पथ-प्रदर्शक है—

'यदि मैं कोई ऐसी वस्तु रखता या लेता हूँ जो मेरी तात्कालिक आवश्यकता की नहीं है तो मैं किसी दूसरे की चोरी करता हूँ। मैं यहाँ तक कहने का साहस करता हूँ कि यह प्रकृति का अपवाद-रहित नियम है कि वह हमारी दैनिक आवश्यकता की वस्तुएँ पर्याप्त मात्रा में प्रदान करती हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक न ले तो ससार में दरिद्रता का लोप हो जाय; ससार का एक भी व्यक्ति भूखी न भरे।'

गांधीजी का मत है कि हमे अपनी आवश्यकताओं में सामजस्य लाना चाहिए और जनहित के लिए स्वेच्छा-पूर्वक भूखे भी रहना चाहिए ताकि उनका भोजन-वस्त्र द्वारा भरण-पोपण होता रहे। उपयोग में ऐसा सथम और त्याग-भाव रहने से ही यथेष्ट लोकहित हो सकता है।

सदुपयोग और दुरुपयोग—आवश्यकताओं के इस विवेचन से यह स्फूट है कि उपयोग के बारे में हर एक आदमी को बहुत विचार करने की जरूरत है। यद्यपि, जैसा कि पहले कहा गया है, उपयोग वास्तव में वही है, जिससे व्यक्ति एव समाज दोनों का हित हो, साधारण तौर पर उसके दो भेद किये जाते हैं— दुपयोग और दुरुपयोग। सदुपयोग उसे कहते हैं, जिससे उपयोक्ता के साथ समाज देश को भी लाभ हो। उदाहरण के लिए जो व्यक्ति पदाया का उपयोग

इस प्रकार करता है कि उससे उसके जीवन का रक्षण और पोषण होता है, अथवा उसकी सास्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो उसके द्वारा किना जाने वाला उपयोग सदुपयोग कहा जायगा। इसी प्रकार समाजोपयोगी सम्मिलित, वाचनालय, पुस्तकालय, चिकित्सालय, कृषि, ग्रामोद्योग आदि में सहायता करना सदुपयोग है।

अब दुरुपयोग की बात ले। दुर्भाग्य से प्रत्येक टेग में दुरुपयोग काफी होता है, भारत में भी इसकी कमी नहीं। कुछ दुरुपयोग तो ऐसा होता है, जिसमें उपयोक्ता की नीयत या उद्देश्य बुरा नहीं होता। वह अपने अज्ञान, आलस्य अथवा लाचारी से अपनी तथा समाज की, दोनों की हानि करता है। इसके कुछ उदाहरण मादक पदार्थों का सेवन, अविवेकता-मूलक दान वर्म, कुरीतियों में होने वाला अपव्यय, भूठी मुकदमेवार्जी, सम्पत्ति भी गाड़ भर रखना, जेवर बनवाना आदि हैं।

दूसरे प्रकार का दुरुपयोग वह है, जिसे उभयोन्ता अपने निजी नाभ, सुविधा या शौकीनी आदि के लिए करता है पर जिससे समाज को हानि पहुँचती है। जैसे बहुत से शौकीन आदमी विलासिता की वस्तुओं का सेवन करते हैं। किन्तु ही आदमी सड़क के बीच में कड़ा या मैली वस्तुएँ फेंक देते हैं, नालियों में टट्टी फिरते हैं, नल से पानी लेकर उसे खुला ही छोड़ देते हैं, नदी या तालाब में स्नान करते हुए पानी का कुप्पा करते हैं, रेल के डिब्बे में यात्रा करते हुए वहां ही थूकते रहते हैं। ये लोग अपनी जरा सी सुविधा के लिए सड़क, नाली, नदी, तालाब या रेल के डिब्बे आदि का दुरुपयोग करते हैं, जिससे समाज की बहुत हानि पहुँचती है।

दुरुपयोग और आदते—ऊपर दुरुपयोग के थोड़े से विशेषों का उल्लेख किया गया है, दूसरी बातों का विचार पाठक स्वयं करले। बहुत से दुरुपयोग का कारण, मनुष्यों की आदते होती है। जब आदमी दूसरे की देखा-देखी, या गलती से एक बार दुरुपयोग करने लग जाता है तो कुछ समय बाद उसे उसकी आदत ही पड़ जानी है, फिर, ज्यों ज्यों समय बीतता है, वह आदत पक्की हो जाती है और और उसका क्लूटना कठिन हो जाता है। हरेक आदमी को चाहिए कि व्युती

आदतों का शिकार होने से बचे, आरम्भ से ही अच्छी सगत में रहे, और सालिक साहित्य का अवलोकन करे।

वया धनवान अपना धन खर्च करने में स्वतंत्र रहे ?—धनवान लोग प्रायः कह देते हैं कि हम अपना वन अपनी इच्छानुसार खर्च करे, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होती है। उनका यह कवन ब्रह्ममूलक है। यह व्यान में रखना आवश्यक है कि उनके पास जो धन है, वह उन्होंने अकेले-अकेले नहीं पैदा किया। उसकी उत्पत्ति समाज द्वारा दी हुई सुविधाओं और परिस्थितियों से हुई है। समाज के अन्य लोगों का सहयोग न होता तो उनके पास वह सम्पत्ति कदापि न आती। इस प्रकार इस सम्पत्ति की उत्पत्ति का बहुत-कुछ श्रेय समाज को है, और इसलिए इसके उपयोग में समाज-हित का व्यान रखा जाना आवश्यक है। अगर धनवान मनुष्य मनमाने तौर पर आराम और विलासिता के पदार्थों को खरीदे तो इसका नतीजा यह होगा कि जीवन-रक्षक और निपुणतादायक पदार्थों की पैदायश घट जायगी। इनकी कीमत बढ़ जाने से गरीब और मध्य श्रेणी के लोग इन वस्तुओं को उपयुक्त परिमाण में सेवन न कर सकेंगे। इससे उनका स्वास्थ्य, बल और कार्यक्षमता का हास होगा, उत्पत्ति कम और घटिया होती जायगी और सारे समाज को हानि पहुँचेगी। इससे स्पष्ट है कि धनवानों को अपना वन विलासिता के पदार्थों में खर्च करने की स्वतंत्रता गही होनी चाहिए।

कुछ धनी लोग कह दिया करते हैं कि 'हमारी बदौलत मजदूरों को काम मिलता है, वेकारी दूर होने में सहायता मिलती है, परन्तु जब देश में जीवन-रक्षक तथा निपुणता-बद्धक पदार्थ ही सब लोगों को सुलभ न हो तो आवश्यकता इस बात की है कि लोगों को इनके उत्पादन में लगाया जाय। ऐसा न करके उन्हे विलासिता के पदार्थ तैयार करने में लगाना सरासर गलत है, और सामाजिक अपराध है। वास्तव में धनवानों के उक्त कथन में कोई सार नहीं, उनमें लक्ष्य परोपकार या समाज-हित न होकर अपनी मोगेच्छाओं को पूरा करना होता है, और वे वेकारी-निवारण आदि की झड़ी आड़ लेते हैं।

ममय के मदुपयोग की आवश्यकता—हमने ऊपर कुछ प्रकार के गो से बचने और सदुपयोग करने की बात कही है। ये तो उदाहरण मात्र हैं।

इसी तरह अन्य वस्तुओं के विषय में विचार किया जा सकता है, कुछ आदमी करते भी ह। पर एक बात जिसकी और लोगों का व्यान विशेष रूप से जाने की आवश्यकता है, यह है कि समय का सदृपयोग किया जाय। जो लोग दूसरे विषयों में बहुत मितव्यग्री और दूरदर्शी होते हैं, वे भी कभी-कभी अपना बहुत सा समय नष्ट करने के दोषी होते हैं। किन्तु ही आठमी गपशप में बन्टे गुजार देते हैं। किंतु ही युवकों को अनेक बार, करने को कुछ काम ही नहीं मिलता, वे 'समय काटने' के लिए कुछ फालतू काम की खोज करते हैं और ताश, शतरज, सिनेमा आदि मनोरञ्जनों में भाग लेते हैं। शिक्षा-संस्थाओं में, खासकर कालिङ्ग और विश्वविद्यालयों में, साल भर में कुल मिला कर छह-चाहते माह तक की छुट्टियाँ होती हैं, पर किंतु विद्यार्थी अपने उस समय का ठीक उपयोग करते हैं। और, विद्यार्थियों को ही क्या कहा जाय जब कि उनके रिक्तक, प्रोफेसर आदि भी इस विषय में प्राप्त अन्याय उदाहरण उभरियत करने वाले नहीं होते। अनेक किसानों को जब खेती का काम नहीं रहता तो वे कताई आदि उत्तोग धन्धा करने का विचार नहीं करते। मजदूरों को जब छुट्टी मिलती है तो वे चीड़ी पीकर अपना समय बिताते हैं। इस तरह जिस राज्य में समय लप्पी बन कर ऐसा दुरुपयोग होता हो, वह किस प्रकार सुख समृद्धि की आशा कर सकता है। आवश्यकता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के एक-एक बन्टे का ठीक उपयोग करे। इसके लिए प्रति दिन डायरी में समय का हिसाब लिखते रहने से बहुत सहायता मिल सकती है। निटान, हम अपने जीवन में प्रत्येक वस्तु का, एवं समय की प्रत्येक इकाई का प्रयोग सदृपयोग करे, तभी हमारा मानव जीवन सर्वक होगा।

उपयोक्ताओं का कर्तव्य—प्रत्येक उत्तरांका को चाहिए कि वह उपयोग के लक्ष्य का बान रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करे। वास्तव में उस पर बहुत जिम्मेदारी है। जिस तरह की वस्तुओं का वह उपयोग करता है, उसी नरह की चीज़ा की उत्पत्ति देश में अधिक होती है। यदि वह भोग-विलास की सामग्री अधिक काम में लाता है तो देश की भूमि, श्रम और पैंची उस सामग्री के उत्पादन में लग जाती है, और क्योंकि इनका परिमाण सीमित ही है, इसलिए उनका जितना अधिक भाग भोग-विलास की सामग्री में लगता है, उतना ही जीवन की

मूल आवश्यकताओं के लिए कम भाग रह जाता है, और इससे अनेक आदमियों को अपने जीवन-निर्वाह की आवश्यकताओं से भी वचित होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए उपयोक्ता को इस विषय में सतर्क रहना चाहिए कि वह किस-किस प्रकार की वस्तु का उपयोग करता है।

यही नहीं, उसे यह भी सोचना चाहिए कि जिन वस्तुओं का वह उपयोग करता है, उनकी उत्पादन-विधि कैसी है, वह चुराई हुई तो नहीं है, उसके उत्पादन में भूमि और पूँजी का दुरुपयोग तो नहीं हुआ है, अथवा उसमें श्रमियों का शोषण तो नहीं किया गया है, उस उपयोग से समाज में बेकारी आदि तो नहीं बढ़ती है। इस प्रसंग में गांधीजी का यह कथन बराबर याद रखने योग्य है—

‘जो वस्तुएँ अत्यधिक शोषित मजदूरों ने उत्पन्न की है, उनको खरीदना और उपयोग करना पाप है। यह भी पाप है कि मैं अमरीका का गेहूँ खाऊँ और मेरा पड़ोसी अनाज का व्यापारी इसलिए भूखा मरे कि उसको कोई ग्राहक नहीं मिलता। इसी तरह मेरे लिए यह भी पाप है कि मैं ‘रीजेन्ट स्ट्रीट’ (विदेश) से तैयार वडिया से वडिया कपड़ा पहनूँ जब कि मुझे यह मालूम है कि मैं अपने पड़ोसी कातने वालों और बुनने वालों का तैयार किया हुआ कपड़ा पहनता तो उससे न केवल मेरा तन ढकता बल्कि उनको भी भोजन-वस्त्र मिलता।’

हम अपने नजदीक के ही माल की उत्पादन-विधि आसानी से जान सकते हैं। इसलिए हमें दूर-दूर के स्थानों के माल का उपयोग करना ठीक नहीं (इससे यातायात का अनावश्यक विस्तार भी होता है)। जो व्यक्ति उत्पादन-विधि की बात पर यथेष्ट ध्यान देगा, और इस बात का निश्चय करना चाहेगा कि जिस माल का वह उपयोग करना चाहता है, वह नैतिक दृष्टि से शुद्ध है। उसके लिए आवश्यक है कि उन्हीं वस्तुओं से काम चलाये जो उसकी जानकारी के ज्ञेत्र में बनी है। अगर हमारे लिए यह जानना सम्भव नहीं है कि दूर से आपनी वस्तु किस प्रकार के बातावरण में बनी है तो हमें अपना उपयोग खासकर अपने पड़ोसी या स्थानीय व्यक्तियों की बनायी वस्तुओं तक ही सीमित रखना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, जब कि प्रत्येक उपयोक्ता कुछ वस्तुओं का उपयोग करके समाज में उनकी कमी करता है तो उसे उनकी पूर्ति का भी भरमक प्रयत्न करना

चाहिए। किसी राज्य में विरासत सम्बन्धी कानून चाहे जो हों, किसी उपयोक्ता का यह सोचना टीक नहीं कि मैं तो अपने वाप-दादा की कमाई खाता हूँ, मुझ पर उत्पादन सम्बन्धी कोई जिम्मेवारी नहीं है। उपयोक्ताओं को उत्पत्ति में अपनी शक्ति-भर भाग लेना ही चाहिए।

साठगी से व्यय की वचत—उपयोग सम्बन्धी जो नीति वर्ती जाने के लिए ऊपर कहा गया है, उसका व्यवहार होने के लिए हमारे जीवन में साठगी होना आवश्यक है। साठगी होने से उत्पादन और विनियोग सम्बन्धी व्यवधि का व्यय बहुत हद तक घटाया जा सकता है।

‘आधुनिक ढङ्ग के जीवन की कितनी ही चीजे ऐसी हैं, जो सखलता से बनायी जा सकती है। परन्तु आज वेसा नहीं होता। उत्पादण के लिए दृत-मजन हर गाँव में तैयार हो सकता है, मामूली कागज और ग्राही हर तालुके के कस्बे में तैयार हो सकती है, चर्खे और कर्वे के खास तरह के यान्त्रिक भाग, उसी प्रकार का दूसरा घरेलू सरजाम, अम्बाव आदि जिले के शहर में उतने क्षेत्र के लिए वन सकते हैं, साधारण परिस्थिति में किसी गाँव को अपनी खुराक, कपड़े, वर वाँधने के साधारण सामान आदि के बारे में दूसरे पर अवलम्बित रहने की कोई जरूरत न होनी चाहिए। लेकिन आज की जीवन-रचना में खदेशी का ब्रत पालने वाले वस्त्रिंग के लोग भी कलकत्ते का दृष्ट-मजन, केरल का सादुन, आन्ध्र की रथाही, राज-स्थान का हाथ-कागज या टीटाघर का मिल-कागज, मद्रास या वगाल का चमड़े का सामान, पजाव की ताँत आदि खरीदते हैं, और उन्हीं वस्तुओं को उस प्रान्त के लोग दूसरे प्रान्त से लेते हैं, यानी वस्त्रिंग का दृष्ट-मजन कलकत्ते में और वगाल का सादुन केरल में विकता है। इस तरह माल का निष्कारण यातायात और खराबी होती है।’.

इस विषय पर विशेष अगले खंडों में लिखा जायगा। यह स्पष्ट है कि उपयोक्ता इधर व्यान देकर, अपनी जीवन-व्यवस्था सखल करके, इस अनावश्यक व्यय और विनाश को बचा सकते हैं, और उन्हे बचाना चाहिए।

*श्री किशोरलाल मश्रूवाला की ‘गाधी और साम्बवाद’ पुस्तक से।

सादगी और सुख—हमने ऊपर आवश्यकताओं के नियत्रण की चात कही है। यह ठीक है कि जब आदमी को भोग-विलास की आदत पड़ जाती है तो आवश्यकताओं का नियत्रण करने से पहले-पहल कुछ कष्ट प्रतीत होता है। पर पीछे जब वह इनके नियत्रण द्वारा बचाये हुए अपने धन और शक्ति को लोक-सेवा या परोपकार में लगाता है तो उसे ऐसे उच्च कोटि के तथा स्थायी आनन्द की प्राप्ति होती है, जो अन्य प्रकार से सम्भव ही नहीं। इसलिए हमें हमेशा दूसरों के हित का व्यान रखते हुए त्याग-भाव से ही वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए।

सादा जीवन उच्च विचार—आदमी सादा जीवन विता कर लोक-सेवा सम्बन्धी उच्च विचार रखता हुआ स्थायी सुख प्राप्त कर सकता है। सादे जीवन का अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य आधे-पेट भोजन करे, या अर्द्ध-नग्न रहे, अथवा जगलों पहाड़ों में ही समय व्यतीत करे, मकान आदि ही न बनावे। ऊपर कहा जा चुका है कि मनुष्य को जीवन-रक्षक तथा निपुणता-वर्द्धक पदार्थों की अपनी आवश्यकताएँ पूरी करते रहना चाहिए। हाँ, शौकीनी या विलासिता के पदार्थों के सेवन पर कड़ा प्रतिवन्ध लगा देना चाहिए। स्मरण रहे कि यह कार्य अपनी इच्छा से जान बूझ कर होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति साधन-हीनता, दरिद्रता या लाचारी के कारण विलास-सामग्री का सेवन नहीं कर सकता तो उसे सादा जीवन व्यतीत करने वाला नहीं समझना चाहिए। जो आदमी अपने मन से इन वस्तुओं के उपयोग की इच्छा को निकाल देगा, साधन होने पर भी इनका सेवन नहीं करेगा, वही असल में सादे जीवन वाला है।

जो आदमी ऐसा जीवन नहीं विताता, अपनी जरूरते बढ़ाता और उन्हे दिन-रात पूरा करने में लगा रहता है, उसे लोकसेवा के लिए सुविधा या समय नहीं मिल सकता, उसका मन भी इस और विशेष नहीं जा सकता। लोकसेवा के विचार रखने और उन्हे अमल में लाने के लिए सादा जीवन विताना, और आवश्यकताएँ कम रखना अनिवार्य है। अस्तु, सादा जीवन और उच्च विचार —यही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है, और उपयोग में इसका यथेष्ट व्यान रखा जाना चाहिए।

पाँचवाँ अध्याय

हवा, प्रकाश, पानी और मिट्टी

जिन तत्वों से यह मनुष्य-रूपी पुतला बना है, वही नैसर्गिक उपचारों के साधन है। पृथ्वी (मिट्टी), पानी, आकाश (अवकाश), तेज (सूर्य) और वायु से यह शरीर बना है।

—गांधी जी

जिस घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आता, उसमें डाक्टर को आना ही पड़ेगा।

—ग्रंथजी कहावत

प्रकृति हमारी माता है। उसी में से हमारा शरोर आता है और अपनी अवधि के बाद फिर उसी में बुल-मिल कर समाप्त हो जाता है। अपनी माता का साक्षिध्य जीवन के पूर्व और पश्चात् ही नहीं जीवन-काल में भी हमें सदा ही आनन्ददायक होंगा।

—जवाहरलाल जैन

वर्तमान अर्थशास्त्री हवा, प्रकाश, पानी आर मिट्टी के बने पदार्थ के तो उपयोग का विचार करते हैं, परन्तु व्यक्ति उनके उपयोग का विचार नहीं करते। उनकी बन की परिमाण के अनुमान ये पदार्थ बन र्ही थ्रेणी में नहीं आते, क्योंकि ये विनिमय-साध्य नहीं हैं, ये प्रकृति न ग्रनल परिमाण में दिय है। पर जसा कि हम पहले कह चुके हैं, सर्वादिय अर्थग्रन्थ वर्ति विचार वाग इससे जुड़ा है। उसके अनुसार इनके विवेचन को प्रायभिकता दी जानी चाहिए, नारण, ये मनुष के जीवन के लिए अन्य सब पदार्थों से अधिक अवश्यक हैं।

हवा

हवा का महत्व; इसके शुद्ध रहने की आवश्यकता—मनुष्य को जीवित रहने के लिए सांस लेते रहना जरूरी है और सास हवा के बिना नहीं लिया जा सकता। इस प्रकार मानव जीवन के लिए हवा की अनिवार्यता स्पष्ट है। परन्तु हवा शुद्ध होनी चाहिए। यदि वह अशुद्ध होगी तो वह शरीर में अनेक विकार पैदा करेगी। इसलिए मनुज्यों को चाहिए कि यथा-सम्भव शुद्ध हवा का सेवन करे, अधिक से अधिक समय खुली हवा में रहें, जहा तक हो सके रात को खुले स्थान में ही सोये, जिससे उन्हे शुद्ध स्वास्थ्य-प्रद हवा मिलती रहे।

हवा शुद्ध रखने के उपाय—खेद है कि आजकल लोगों को शुद्ध वायु चहुत कम मिलती है। अधिकाश आदमियों का बहुत सा समय गन्दी हवा में सास लेते बीतता है। हवा गन्दी होने के विविध कारण हैं, उन्हें दूर करने का भरसक प्रयत्न किया जाना चाहिए। निजी क्षेत्र में व्यक्तियों तथा परिवारों को और सार्वजनिक क्षेत्र में स्थानीय स्थानों द्वारा हवा को शुद्ध रखने के विविध उपाय काम में लाये जाने चाहिए। इसके बास्ते नागरिकों में वायु सम्बन्धी यथेष्ट ज्ञान का प्रचार किया जाना चाहिए, जनता की दरिद्रता दूर की जानी चाहिए, शहरी सम्यता का बढ़ता हुआ प्रवाह और कल-कारखानों द्वारा होनेवाली बड़े पैमाने की केन्द्रीकृत उत्पत्ति को रोका जाना चाहिए। इस विषय की व्योरेवार बातों में न जाकर हम यहाँ कुछ अन्य बातों का उल्लेख करते हैं—जब घर के भीतर सोना पड़े तो ऐसी जगह सोना चाहिए, जहाँ बहुत सामान भरा हुआ न हो और जिसमें हवा वरावर या लगातार आती-जाती हो। जिन लोगों का सोने का स्थान ऐसा हो कि बाहर से हवा मुश्किल से आती हो, उन्हे चाहिए कि हवा साफ करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक दिन आधा घटे के लिए बिना धुए के काफी आग जलाये।

हवा शुद्ध करने के कुदरती साधन ओंधी, प्रकाश और वृक्ष है। प्रकाश की बात दूसरी जगह कही गयी है। ज्यो ज्यो वस्तियाँ बढ़ती जा रही हैं, जगल बहुत काटे जा रहे हैं। वृक्ष हमारे सास से निकले हुए जहरीले कार्बोनिक एसिड

गेस को ग्रहण करते हैं (इससे उनका पोषण और वृद्धि होती है) और हमें आपसीजन देते हैं, जो हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। बृक्षों के कट जाने से इस प्राकृतिक व्यवस्था में विकार पैदा होता है। इसलिए जरूरत है कि वनों की रक्षा की जाय, और नये-नये पेड़, न केवल वस्तियों के पास, वर्तिक जगह-जगह वस्तियों के भीतर भी लगाये जाते रहें, जिससे हवा शुद्ध होने में यथेष्ट सहायता मिले।

हवा के उपयोग की विधि—हवा को शुद्ध रखने के साथ उसका उपयोग भी ठीक रीति से होना चाहिए, वथा—

१—आदमी को झुककर बैठना या चलना न चाहिए, हमेशा द्युती आगे को निकली रहे, जिससे फेफड़ों में हवा काफी जाय।

२—सास हमेशा नाक से ली जाय, मुँह से नहीं।

३—वथा-शक्ति शेरीर-श्रम या व्यावाम आदि किया जाय, जिससे फेफड़े ठीक रहें।

४—प्राणायाम या लम्बा सास लेने का अन्यास किया जाय।

५—यथा-सम्भव प्रतिदिन कुछ समय सारे शरीर को शुद्ध ताजी हवा लगायी जाय, अर्यात् वायु-स्नान किया जाय।

६—कपड़ा उतना ही पहना और ओढ़ा जाय, जितना सर्दी से बचने के लिए आवश्यक हो, फैशन या दिखावे के लिए उसकी भरमार न हो।

प्रकाश

सृष्टि की सब बनस्पति पेड़-पौधों, पशु-पक्षियों तथा मनुष्य के जीवन का मूल आधार सूर्य है। उससे हमें तेज (गरमी) तथा प्रकाश मिलता है। हम इन चीजों का यथेष्ट उपयोग नहीं करते और प्रायः हम इनके उपयोग से होने वाले लाभों को जानते भी नहीं।

प्रकाश में लाभ—अवकार में शाक-सब्जी बहुत कम पैदा होती है, और जो होती भी है, वह प्रकाश में पैदा होने वाली की अपेक्षा बहुत कम शुण वाली होती है। पेड़-पौधों की हरी पक्षियाँ सूर्य की किरणों से जो शक्ति ग्रहण करती हैं वही

अन्न आदि में सचित होती है। मनुज्य आदि सभी जीव अन्न और फल आदि से ही शक्ति ग्रहण करते हैं, यहाँ तक कि मास-भक्षी प्राणी भी शाकाहारी प्राणियों के मास से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। इसी कारण कहा जाता है कि 'खाद्य पदार्थ शीतल आवार में सुरक्षित सूर्य-रश्मियाँ ही हैं।' धूप और मैदान में घास चरने वाली गायों के दूध में विटामिन डी काफी मात्रा में होता है, इतना विटामिन उन गायों के दूध में नहीं मिलता, जो सारे दिन घर में ही रहती है। इस प्रकार सूर्य की किरणों के समान बलकारक और आरोग्यप्रद वस्तुएँ ससार में बहुत कम हैं।

सूर्य की किरणों का उपयोग—इसलिए स्वास्थ्य-लाभ के वास्ते सूर्य-किरणों का यथेष्ट उपयोग किया जाना चाहिए। इनमें सबसे महत्व की किरणें उत्तर-वैगनी (अल्द्वा-वायलेट) रंग की होती हैं। ये सब से अधिक प्रात. काल के समय रहती हैं। सूर्योदय के समय खुले वदन इनके सेवन करने से शरीर बलवान होता है, उसकी रोग भगाने की शक्ति बढ़ती है और नवजीवन का आविभाव होता है। इसलिए इन्हे यथा-सम्भव नियमानुसार प्रतिदिन ग्रहण किया जाना चाहिए। दोपहर के सूर्य की किरणे उतनी लाभकारी नहीं होती, खाल्सकर गरमी में या गरम प्रदेशों में इनसे बचने का प्रयत्न होना चाहिए। घर भी इस प्रकार बनाना चाहिए कि प्रात. काल के सूर्य की किरणे उसमें अच्छी तरह आ सकने में वाधा न हो, अर्थात् पूर्व की ओर कोई पेड़ आदि न हो, हाँ पश्चिम की ओर पेड़ लगाकर दोपहर के बाद की किरणों के आने में वाधा पैदा करना ठीक ही है।

भारत में कुछ आदमी सूर्य-नमस्कार करते हैं, उन्हें धूप-स्नान का लाभ सहज ही मिल जाता है। गायत्री मंत्र की महिमा प्रसिद्ध है—वह सूर्य की ही पूजा है। निर्धारित पद्धति से हर रोज धूप-स्नान या सूर्य-स्नान करना बहुत उपयोगी है। इससे विविध रोग दूर हो जाते हैं। इस विषय की व्योरेवार बातें जानने के लिए स्वास्थ्य सम्बन्धी स्वतंत्र साहित्य अवलोकन किया जाना चाहिए।

शहरी सम्यता से वाधा—खेद है कि शहरी सम्यता में हम हवा की तरह प्रकाश जैसी अमूल्य वस्तु से भी येषट लाभ नहीं उठा पाते। खुले वदन रहना आजकल असम्यता की बात समझी जाती है, हम हर समय बढ़ने वो

कपड़ो से ढक कर रखते हैं और उससे किरणों को स्पर्श नहीं होने देते। धूप-स्नान आदि की वात लोगों को उपहासास्थित प्रतीत होती है। फिर, आजकल बड़े-बड़े शहरों के मकानों के अधिकार भाग ऐसे होते हैं जिनमें वृप के कभी दर्शन नहीं होते, और प्रकाश भी डतना कम होता है कि दिन में भी निजली आदि की कृत्रिम रोशनी से काम चलाया जाता है।

गहरी सम्मता की वृद्धि का एक मुख्य कारण यत्रोन्योग और केल्जित उत्पादन है। इन पर रोक लगाने और ग्रामोन्योगों की ग़ज़ा और उन्नति से वे परिस्थितियाँ प्राप्त हो सकती हैं, जिनमें प्रकाश से अविक लाभ उठाया जा सकता है।

पानी

मनुष्य के शरीर का सत्तर प्रतिशत भाग पानी है, यह पानी बाला हिस्सा नियमित रूप से मल, मूत्र और पसीने के साथ बाहर निकलता रहता है। शरीर में इस रस की समता को टीक बनाये रखने के लिए पानी विशेष रूप से आवश्यक है। यदि हम पानी यथेष्ट परिमाण में न ले तो प्रकृति ग़ून, मॉस-पेशियों और शरीर के ततुओं से पानी का हिस्सा खीचने के लिए बाब्द होगी। इससे शरीर दुबला-पतला होने और फिर स्वने लगता है। जल की कमी के कारण शरीर में पहले कब्जी (बदहमी) होती है। इसके बाद गूत की कमी और फिर क्रमशः कई प्रकार के रोगों के लक्षण दिखाती देने लगते हैं।

हमारा शरीर प्रतिदिन कुछ क्षय होता रहता है। जो जीव-कोष नष्ट हो जाते हैं, वृन्त उनको धोम्र बाहर कर देता है। किन्तु यदि गूत में पानी का अश कम हो तो इन नाट हुए जीव-कोशों में से कुछ अश शरीर में रह जाते हैं। इससे शरीर में विजातीय पदार्थ जमा होने और बढ़ने लगते हैं और विधि-रोग पेटा हो जाते हैं। इन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर करने के लिए भी यथेष्ट पानी पीना आवश्यक है। फिर, पसीने से शरीर पर जमने वाले मैल को हटाने के बास्ते स्नान करने के लिए भी पानी बहुन जरूरी है। पानी के विधि-पूर्वक सेवन से किम प्रकार कौनसा रोग दूर होता है, उसका विवेचन करने का यहाँ स्थान नहीं है। इस विषय की व्योरेवार बाते चिकित्सा सम्बन्धी साहित्य में देखी जा सकती है।

पानी स्वच्छ और अच्छा होने की आवश्यकता—यह तो स्पष्ट ही है कि पानी, जो नहाने-धोने के काम आये, या जिससे शरीर की बाहरी या भीतरी सफाई करना अभीष्ट हो, वहुत साफ और अच्छा होना चाहिए। मैला पानी हमारे कपड़ों या शरीर को साफ नहीं कर सकता। फिर, पीने के लिए पानी का उपयोग करने में तो और भी अधिक सावधान रहना चाहिए, कारण, केवल देख कर या चख कर ही निश्चय-पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि यह पानी पीने के लायक है। अनेक बार जो पानी इस कसौटी से अच्छा मालूम होता है, वह वास्तव में शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। पानी का सेवन करने पर ही आदमी को यह अनुभव होगा कि यहाँ का पानी कैसा है, उससे खाना ठीक तरह हजम हो जाता है या नहीं, हजम होने में बहुत देर तो नहीं लगती, इत्यादि।

पानी शुद्ध करने के उपाय—ऊपर पानी के गन्दे होने के जो कारण बताये गये हैं, उन्हें दूर करके पानी शुद्ध करने का प्रयत्न करना चाहिए, कुछ कारण तो आदमी निजी तौर पर दूर कर सकते हैं, दूसरे कारणों को दूर करने के लिए सामूहिक या पचायती उच्योग होना चाहिए। कुछ दशाओं में आदमी गन्दा पानी इसलिए काम में लाने को मजबूर है, कि वहाँ अच्छे पानी की व्यवस्था नहीं है, और व्यवस्था करना बहुत श्रम तथा व्यय-साध्य है। कुछ स्थानों में पानी इतनी अधिक गहरायी पर मिलता है कि वहाँ एक कुओं बनवाना कोई मामूली काम नहीं है। ऐसे स्थानों में सरकार और जनता को मिलकर पानी की व्यवस्था करनी आवश्यक है। जहाँ पानी की शुद्धता के विषय में शका हो, वहाँ पानी उचाल कर या 'फिल्टर' करके (विशेष विधि से छान कर या निथार कर) पीया जाना चाहिए। इस प्रसंग मे गाधीजी ने कहा है—

'अजनवी घर या अजनवी कुएँ का पानी न पीने की प्रथा का पालन करना अच्छा है। वगाल में तालाब होते हैं, उनका पानी अकसर पीने के लायक नहीं होता। बड़ी नदियों का पानी भी पीने के लायक नहीं होता, खासकर के जहाँ नदी वस्ती के पास से गुजरती है, और जहाँ उसमें स्टीमर और दूसरे वाहन आया-जाया करते हैं। ऐसा होते हुए भी यह सच्ची बात

है कि करोड़ों मनुष्य इसी प्रकार का पानी पीकर गुजारा करते हैं। मगर यह अनुकरण करने जैसी चीज नहीं है जहाँ पानी की शुद्धता के विषय में शका हो, वहाँ पानी को उवाल कर पीना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को अपने पीने का पानी साथ लेकर घूमना चाहिए। असत्य लोग धर्म के नाम से मुसाफिरी में पानी नहीं पीते। अबानी लोग जो धर्म के नाम से करते हैं, आरोग्य के नियमों को मानने वाले वही चीज आरोग्य के खातिर क्यों न करे!**

पानी के उपयोग सम्बन्धी विचार—रीतें का पानी स्वच्छ होना चाहिए। यह ऊपर बताया जा चुका है। पर इसके साथ यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि पानी उचित रीति से और आवश्यक परिमाण में पीना चाहिए। अधिकाश आदमी इस विषय में गलती करते हैं। हमें उनका व्यान एक खास बात की ओर दिलाना है। अनेक स्थानों में शौकीन या धनी लोग तथा उनकी देखा-देखी अन्य व्यक्ति भी प्यास लगने पर या भोजन के साथ तथा उसके बाद शराब, लेमनेड, सोडावाटर, शर्वत आदि पेय या टडाईं आदि ही पीया करते हैं, केवल जल नहीं पीते। अनेक आदमी कुदरती जल न पीकर वर्स आदि का पानी लेते हैं, ये सब बाते प्राय अनावश्यक ही नहीं, हानिकारक भी हैं। सब से अधिक उपयोगी पेय तो अच्छा पानी ही है। इसी का यथेष्ट सेवन किया जाना चाहिए।

जिन प्रदेशों में, जिन दिनों में बहुत अधिक सर्दी न हो, वहाँ प्रति-दिन प्रात काल ठड़े पानी से स्नान करना बहुत उपयोगी है। स्वस्थ व्यक्ति का तालाब या नदी में हुक्की लगा कर स्नान करना सबसे उत्तम है, यो अधिकतर आदमियों को कुएँ पर या नल पर स्नान करने की सुविवा होती है। बहुत से तो घर में ही बाल्टी आदि में पानी लेकर लोटे से स्नान करते हैं। रोगियों के लिए विविध प्रकार के स्नान प्रचलित हैं, यथा पूर्ण स्नान, स्पज स्नान, चद्दर स्नान, कटि स्नान, घपर्ण-स्नान, गरम और ठटा स्नान आदि, इनके सम्बन्ध में यहाँ विस्तार से लिखने का स्थान नहीं। ये स्नान किसी अनुभवी व्यक्ति की देख-रेख में सावधानी से किये जाने चाहिए।

** ‘आरोग्य की कुजी’

मिट्टी

मनुज्य मिट्टी का पुतला है। कवीर ने कहा है, 'माटी ओढन, माटी पहरन, माटी का सरहाना, आखिर माटी में मिल जाना'। आधुनिक सम्यता में इस उक्ति के पहले भाग की बात अविकाधिक दूर होती जा रही है। - आदमी प्रकृति से इतना दूर होता जा रहा है कि मिट्टी का स्पर्श अब असम्यता या ग्रामीण जीवन का लक्षण माना जाता है। शहरी या बनवान माता पिता अपने शरीर या वस्त्रों को जरा भी मिट्टी लगने देना नहीं चाहते, वे अपने बालकों को 'धूल-धूसरित' देखना पसन्द नहीं करते। बहुत छोटी उम्र से ही वे उनके लिए यथेष्ट वस्त्रों का प्रबन्ध कर देते हैं, फिर आधुनिक मकानों में फर्श भी सीमेट, चूने या पत्थर का होता है, जिससे मिट्टी का कण भी देखने को न मिले। हम भूल गये हैं और भूलते जा रहे हैं कि मनुज्य के शरीर के लिए मिट्टी कितनी गुणकारी है।

मिट्टी के स्वास्थ्य-बद्धक गुण—मिट्टी स्वास्थ्य बढ़ाने वाली तथा रोग मिटाने वाली अमूल्य वस्तु है। वीमारी की हालत में शरीर में जो विशेष ताप हो जाता है, उसे खांच लेने तथा रोग के विष को सोखने की जितनी क्षमता मिट्टी में है, उतनी अन्य किसी वस्तु में नहीं। जिन लोगों को रात को अच्छी गहरी नीद नहीं आती, या सपनों से भरी तन्द्रा-मात्र आती है, उन्हें नियम से नगे पॉव मिट्टी पर ठहलने से बहुत लाभ होता है। वच्चे साफ सुधरी और स्वी मिट्टी पर (खुली हवा में) खेले तो उन्हें बहुत-सी वीमारियों से छुड़ी मिल जाय और उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे। उनका रोना-वोना कम हो जाय और वे शान्त प्रकृति के बन जाये। युवकों तथा ग्रौढों को भी नगे पॉव मिट्टी पर खेलने या ठहलने से बहुत लाभ होता है। मिट्टी शरीर को सानुन की तरह साफ कर देती है, विशेषता यह कि मिट्टी मल कर स्नान करने के बाद तेल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। मिट्टी से गन्दगी दूर हो जाती है, यह तो इसी से स्पष्ट है कि भारत में आदमी शौच जाने के बाद मिट्टी मल कर हाथ धोते हैं।

मिट्टी का उपयोग—शरीर को मिट्टी के सर्सर्ग में लाने का सब से सुगम उपाय नगे पॉव ठहलना या खेलना है। भारत में पहले आदमी जूता बहुत कम

पहनते थे, अधिकतर नगे पाँव ढोलते थे, वा खड़ाऊं आदि का उपयोग भरते थे, जिससे मिट्टी का यथेष्ट स्पर्श होता था। अब तो अनेक गलक छोटी उम्र से ही तरह-तरह के जूते पहनते हैं, वही नहीं, उनके साथ जराव और मोजे भी पहनते हैं, जिससे उनके शरीर को मिट्टी (और हवा तथा वृक्ष) वथा-सम्मव चिल्कुल न लगने पाये। पहले यहाँ गेड़-बत्ता, गुल्ला-उटा, कुश्ती या कब्ज़ूली आदि खेलों का चलन था, जिनमें नगे पाव रहा जाता था, और शरीर को मिट्टी के उपयोग का लाभ मिलता था। अब ये खेल गाँवों में भी कम होते जा रहे हैं, शहरों से तो बे प्राय उठ ही चले हैं। ग्रनेजों की देखा-देखी यहाँ क्रिकेट, फुटबाल और हाकी, टेनिस, वाली-बाल आदि चेलों का चलन बढ़ रहा है, जिनमें पांवों में जूते और मोजे होने के कारण मिट्टी का स्वर्ण चिल्कुल नहीं हो पाता।

सिर धोने या स्नान करने के लिए अब तरह-तरह के साधुन काम में लाये जाते हैं, दात साफ करने के लिए कीमती मजन या 'इय-पेस्ट' आदि का व्यवहार होता है, यहाँ तक कि शौच जाने के बाद हाथ धोने के लिए तथा रूपड़े धोने के लिए साधुन का उपयोग बढ़ रहा है। इन सब कामों में मिट्टी का व्यवहार अधिक लाभदायक तथा कम खर्चाला है।

बहुत सी वीमारिया में मिट्टी की पुलिटिस से बहुत जल्द और मुफ्त में आराम हो सकता है, पर आधुनिक काल में अनेक आदमी तरह-नरह की कीमती व्याइंगों का इस्तेमाल करते हैं, जिनसे बहुवा रोग का निवारण न होकर उसका स्पान्तर मात्र हो जाता है, या वह ऐवल कुछ अस्थायी रूप से दृश्य जाना है। अगर आदमी जरा विचार करे तो वे मिट्टी के जादू से बूँद लान उठा सकते हैं। स्मरण रहे कि मिट्टी अच्छी होनी चाहिए और मिन्न-मिन्न प्रकार के मिट्टियों के शुरुआं का विचार कर के उनका उपयोग किया जाना चाहिए।

मिट्टी के वर्तन—आज कल अपने आप को संन्य कहने वाला और समाज में अपनी हैसिनत कुछ ऊची दिखाने वाला आदमी मिट्टी के वर्तनों का बहुत ही कम उपयोग करता है, शहरों और कस्बों में तो मानो इनका रिवाज उठ ही गया है, गाँवों में भी भोजन पकाने वा खाने में कुछ गरीब आदमी ही उनका

उपयोग करते हैं। धातुओं के वर्तनों का चलन बढ़ता जा रहा है, और उनमें खाने की चीजें न विगड़े, इसलिए उन पर कलई करादी जाती है, परन्तु प्रायः वह अच्छी नहीं की जाती और अधिक समय के बाद की जाती है। इसलिए कलई किये हुए वर्तन मीठे नहीं रहते। निदान, धातु के वर्तन इस्तेमाल करना हानिकारक है, उनसे शरीर में जहर पहुँचता है। आवश्यकता है कि जहाँ तक बन आये मिट्टी के वर्तनों का उपयोग किया जाय, इसमें खर्च तो कम होता ही है, यह स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हितकर है।

‘धातु के वर्तन में आँच सीधी अन्न को लगकर वह जल्दी पक जाता है इसलिए वह अन्न जल्दी पककर उसमें का पौष्टिक भाग कुछ हड़ तक नष्ट हो जाने का हमेशा अदेशा रहता है। पर मिट्टी के वर्तन में से अन्न धीरे-धीरे पकता है और इसलिए उसका बहुत-सा पौष्टिक भाग नष्ट नहीं हो पाता, क्योंकि अन्न को उषणा बहुत आहिस्ता आहिस्ता लगती है और वह भी वर्तन के छेदों में रहने वाली भाप से मिलती रहती है। मिट्टी के वर्तन एक ‘कुकर’ का भी काम करते हैं, क्योंकि उनके छिद्रों में पानी भरा रहता है और उसकी उषणा से अन्न पकता है।’^{११}

विशेष वक्तव्य—इधर कुछ समय से स्वास्थ्य और चिकित्सा के सम्बन्ध में नये-नये अनुसधान और आविकार हो रहे हैं। तरह-तरह के पौष्टिक पदार्थ और औषधियों बनायी जाती हैं, पर ये अधिकतर स्वास्थ्य-नाशक ही हैं। प्रकृति की अमूल्य देन हवा, प्रकाश, जल और मिट्टी के सम्बन्ध में यथेष्ट अव्ययन और मनन नहीं हुआ है। लोकसेवी सजनों को इस ओर व्यान देना चाहिए। सर्वसाधारण जनता के लिए ये ही सुलभ हैं, कृत्रिम खाद्य पदार्थ और कीमती औषधियों उन तक नहीं पहुँच सकती और जो उनका सेवन करते हैं, वे अधिकतर दशाओं में पीछे जा कर प्रत्यक्ष या परोक्ष हानि ही उठाते हैं। इसलिए उनका प्रचार रोक कर उपर्युक्त प्राकृतिक पदार्थों के उपयोग को प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

^{११} ‘ग्रामोद्योग पत्रिका’ से।

छठा अध्याय

भोजन

जीवित रहने के लिए भोजन करो, न कि भोजन करने के लिए जीवित रहो ।

—नीति वाक्य

चाय, कहवा और कोको के त्याग में मैंने कुछ भी खोया नहीं है, उलटा पाया ही है । जो स्वाद मैं चाय इत्यादि में लेता था, उसमें कहीं अधिक अथवा मैं सामान्य भाजियों को उत्तराल कर उनके पानी से लेता हूँ ।

—गाँधीजी

हम जो खाते हैं, उसका एक-तिहाई हमें जिन्दा रखता है, और दो तिहाई डाक्टरों को ।

—डाक्टर लिडलहर

भोजन का उद्देश्य और महत्व—भोजन करने के मुख्य उद्देश्य ये हैं—(१) शारीरिक परिश्रम से दूटे हुए शरीर-ततुओं की मरम्मत करना तथा शरीर को पोषक तत्व प्रदान करना, (२) शरीर की दर्द होनेवाली शक्ति की पूर्ति करना, और (३) शरीर को आवश्यकतानुसार गर्म बनाये रखना । यह व्यान में रखने हुए आटमी को ऐसा भोजन करना चाहिए कि शरीर स्वस्य और हाण्ट-पुण्ट रहे । हमारा स्वास्थ्य प्रकाश हवा और पानी के अतिरिक्त बहुत-कुछ हमारे भोजन पर निर्भर हे । जर्मनी के प्राकृतिक चिकित्सा-विशेषज्ञ डाक्टर अडोल्फ जूम्ट का यह कथन खास तौर पर व्यान में रखने योग्य है कि—

‘चीमारी मनुष्य के शरीर में अप्राकृतिक भोजन के प्रवेश से पैदा होती है—जो भोजन प्रकृति ने मनुष्य के लिए नहीं बनाया है और जिसके लिए शरीर के पचाने वाले अवयव अनुकूल नहीं हैं । ऐसा भोजन या तो

विलकुल हजम नहीं होता या आधा-पर्वा हजम होता है। भोजन के जिस अश का पाचन नहीं होता, वह विजातीय द्रव्य बनकर शरीर में पड़ा रहता है, अग प्रत्यग में धुस जाता है, सड़ने लगता है और मनुष्य के लिए विविध प्रकार के रोग, दुख तथा कष्टों का कारण बनता है।^१

भोजन का हमारे शरीर के अतिरिक्त, हमारे विचारों पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार उचित भोजन हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बनाये रखने का प्रबल साधन है। इसलिए उसके उद्देश्य का निरतर व्यान रखा जाना चाहिए, तभी वह व्यक्ति तथा समाज का वास्तविक हित साधन कर सकता है।

भोजन का परिमाण—बहुत से आदमी स्वाद के कारण आवश्यकता से अविक खा जाते हैं, यह हानिकारक है। अन्नाहार हो, फलाहार हो या मासाहार हो, उसका उपयोग भोग, स्वाद या वासना की दृष्टि से न होना चाहिए, और उसके परिमाण का यथेष्ट व्यान रखा जाना चाहिए। श्री विनोदा ने कहा है—

‘वासना-पूर्वक फल खानेवाले को बनिस्वत केवल चुधा-हरण के लिए मछली खानेवाला ज्यादा भक्त है.....क्या खाना चाहिए, इसके बजाय कितना खाना चाहिए—यह वस्तु आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्व की है। एक आदमी मामूली ढाल-रोटी खाता है—जो कि शायद राजस अन्न समझा जायगा—लेकिन ठीक मात्रा में खाता है, जीभ पर कावू रखता है, स्वाद की वृत्ति नहीं रखता तो आध्यात्मिक दृष्टि से उसकी योग्यता अधिक है, बनिस्वत उसके जो कि सात्त्विक आहार करता है, लेकिन परिमाण में अविक खा लेता है, और स्वाद चखने की वृत्ति रखता है।’

खाद्य पदार्थ; उनके शुद्ध रहने की आवश्यकता—शरीर के लिए कौन-कौन से तत्व आवश्यक हैं, और उनकी प्राप्ति किस-किस खाद्य पदार्थ से होती है, अर्थात् हमें कौन-कौन से पदार्थ किस परिमाण में खाने चाहिए, यह आहार-विज्ञान सम्बन्धी अच्छी पुस्तकों ने तथा अपने अनुमत से ज्ञात हो सकता है। इसका एक मोटा अनुमान आगे ‘खेती’ के अव्याय में दिया गया है। हमें

^१ ‘प्राकृतिक जीवन की ओर’ पुस्तक से

चाहिए कि भोजन के पदार्थों का नुनाव तथा उनके परिमाण का निश्चय करने में इस बात का व्यान रखें कि वास्तव में वे हमारे लिए कहाँ तक आवश्यक और उपयोगी हैं।

आजकल आदमी बहुत ऐसा चीजें खाते हैं जो ताजा या शुद्ध नहीं होतीं। बाजार से लायी जाने वाली मिठाईयों आदि अनेक बार कई-कई दिन की होती हैं, उनकी शोभा के लिए उनमें रग पढ़ा होता है, गह निश्चय नहीं रहता कि उनमें जो थी लगा है, वह कहाँ तक शुद्ध या ताजा है। अब तो अनेक स्थानों में बनत्पति तेल का उपयोग या उसकी मिलावट होती है। एक अन्न के आटे में दूसरे बटिया अन्न का आटा मिला होता है, कई बार तो उसके साथ दूसरे पदार्थ, यहाँ तक कि अखान्य पदार्थ भी, पिने हुए होते हैं। इन बातों का परिणाम गह होता है कि भोजन के पदार्थों से मनुष्य को जितना लाभ या सुख मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाता, यही नहीं, अनेक बार उनके उपयोग से आदमी भयकर रोगों का शिकार बनता है। इसलिए वह बहुत ही आवश्यक है कि खाने के पदार्थ तजे, और शुद्ध या वे मिलावट के होने चाहिए।

भोजन में स्वावलम्बन—इसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि आदमी यथा-सम्भव अपने घर पर बनी हुई चीजों का उपयोग करे। वर्तमान अवस्था में हम बाजार की तथा दूसरे नगरों ही नहीं, बिंदेशों से आयी हुई खाद्य सामग्री का बहुत अधिक उपयोग करते हैं। ज्यो-ज्या हमारा रहनसहन शहरी ढग का होता जाता है, हमारी वह प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। इसका कड़ा नियत्रण होना जरूरी है। आवश्यकतानुसार हम कच्चा माल दूसरों से लेले, पर उससे भोजन स्वयं अपने घर पर ही बनाये। आरामतलव आदमी को ऐसी बात सुहाती नहीं, पर जिन्हें अपने तथा अपने बाल-बच्चों के जीवन और स्वास्थ्य की चिन्ता हो, उन्हें यह, कुछ कठिन प्रतीत होने पर भी, करना चाहिए।

स्थानीय वस्तुओं का उपयोग—हमने आवश्यकता होने पर भोजन सम्बन्धी कच्चे पदार्थ दूसरों से लेने की बात कही है। इसमें भी व्यान रहना चाहिए कि हम स्थानीय पदार्थों का ही उपयोग करे। जहाँ जो अन्न, शाक वा फलादि पैदा होते हैं, वहाँ के आदमियों को उनका ही सेवन करना चाहिए।

बहुत से आदमी अपने यहाँ के ज्वार, बाजरा आदि का उपयोग न कर बाहर से गेहूँ और चावल मगाते हैं। शाक-भाजी भी हम कई-कई मील दूर के स्थानों से आये हुए काम में लाते हैं। फल और मेवा तो दूसरे प्रान्तों या देशों तक के मगाये जाते हैं। भारत में सभी स्थानों के आदमी काँबुली या कधारी अनार, कश्मीरी सेव, नागपुरी सतरे, बम्बइया केले आदि का उपयोग करने के इच्छुक रहते हैं। इस प्रकार पदार्थों का आयात-निर्यात तो अनावश्यक रूप से बढ़ता ही है, ये चीजें मनुष्य को परावलम्बी बनाती हैं, और बहुधा उसकी प्रकृति के अनुकूल भी नहीं होतीं। साधारण रिद्धान्त यह है कि जो व्यक्ति जहाँ का निवासी होता है, उसे वहाँ के ही पदार्थ अनुकूल होते हैं। अत यहमें वया-सम्भव स्थानीय पदार्थों का ही उपयोग करना चाहिए।

उपयोग-विधि; 'विटामिन'—वैज्ञानिकों का मत है कि विविध खाद्य पदार्थों में खास-खास 'विटामिन' (पोषक-तत्व या जीवन-तत्व) होते हैं। ये शरीर के लिए ऐसे उपयोगी हैं, जैसे इजिन के लिए तेल। इनके कई भेद हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, आदि। ये विभिन्न प्रकार से शरीर की पुष्टि तथा रोग-निवारण के लिए जरूरी हैं। भोजन में खास-खास विटामिन की कमी से कुछ खास-खास रोग हो जाते हैं, इसलिए ऐसा प्रयत्न होना चाहिए कि प्रत्येक प्रकार का विटामिन काफी मात्रा में रहे। किन्तु हम प्रायः भोजन इस तरह बनाते हैं कि उसका बहुत-सा विटामिन नष्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए पकाने से तथा उस पर विविध प्रक्रिया होने से उसमें इनकी कमी हो जाती है। पदार्थों को उतना ही पकाना चाहिए जितना बहुत ही जरूरी हो अर्थात् जितना पकाये बिना वे न खाये जा सके। मिल (मशीन की चक्रकी) में पीसे हुए मैदे या वेसन के जीवन-तत्व कम हो जाते हैं, यह पचाने में भारी होता है। अतः आठा हाथ की चक्रकी का पिसा हुआ ही इस्तेमाल करना चाहिए तथा उसमें से छानस या चोकर नहीं निकालना चाहिए, जिससे वह जल्दी हजम हो सके तथा शरीर को उसके सब पोषक तत्वों का लाभ मिल सके।

चावल भी 'पूरा' खाया जाना चाहिए, जो धान का केवल छिलका हटा देने के बाद शेष रहता है। आजकल मिलों में चावल का ऊपर का हिस्सा हटा कर इसे सफेद और चमकीला किया जाता है। इस 'घटाए हुए' चावल

का बहुत सा पोषक तत्व निकल जाता है और वह स्वास्थ्य के लिए अन्न्या नहीं होता। चावल को पकाने से पहले कई बार मल कर धोना भी उसके पोषक तत्व को कम कर देता है। फिर, भात बना कर माड़ फेंक देना भी बहुत स्वराच है, इससे न केवल बहुत सा विटामिन अलग हो जाता है, बरन् माट के साथ बहुत उपयोगी न्यनिज लवण भी निकल जाता है। ऐसे चावल न्यानेवाला बहुत थाटे में रहता है, उसे चावल से यथेष्ट पोषण प्राप्त नहीं होता, और जो तत्व मिलते हैं, उनमें उचित अनुपात न रहने से वह रोग पैदा करने वाले हो जाते हैं।

स्वास्थ्य की दृष्टि से दाल धोयी हुई नहीं खानी जानी चाहिए, छिलके चाली 'काली' दाल उससे कही अधिक गुणकारी और पोषिक है।

पकवान, मिठाइयाँ, तथा कारबानों में बने विस्कुट आदि में पोषक तत्व बहुत कम रहता है, अतः इनका उपयोग न कर घरों में तैयार किये जाने वाले सावारण (विना तले या विना छोके हुए) भोजन का ही उपयोग किया जाना चाहिए।

दूध का उपयोग—दूध बहुत उपयोगी है, पर हम बहुत से दूध से तरह-तरह की मिठाइयाँ बनाकर उसकी उपयोगिता कम कर देते हैं। खड़ी, मलाई और खुर्चन बनाना भी दूध का दुरुपयोग ही है। खोवा उतना बनने लग गया है कि वी की उत्पत्ति बहुत बढ़ गयी है। उसकी पृथिवी बैंजिटेल (बनसपति) तेलों से की जा रही है, जिन्हें वी का भूता नाम दे दिया जाता है। दूध की अपेक्षा खोवा बहुत ही कम उपयोगी है। फिर, खोवे की बनी मिठाइयाँ और भी कम गुणकारी हैं, बरन् कहना चाहिए कि बहुत हानिकारक हैं। खोवा बनने से आदमी छाछ से भी बचित हो जाते हैं, जो एक बहुत ही गुणकारी पदार्थ है। इसलिए खोवा बनाना बन्द करने या बहुत कम करने का प्रयत्न होना चाहिए।

भोजन पकाने की क्रिया, ईंधन और धुएँ का सवाल—पहले कहा जा चुका है कि खाने की चीजों को पकाने की दृतनी आवश्यकता नहीं है, जितनी चे आज कल पकायी जा रही हैं। बहुत पकाने से उनका पोषक तत्व नष्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त ईंधन का भी बेहद खर्च होता है। ईंधन के उपयोग में

बहुत किफायत की जरूरत है। बहुधा चूल्हे या भट्टी आदि ऐसी बनी होती हैं कि उनमें आग का यथेष्ट उपयोग नहीं होता, और धुआँ बहुत अधिक होता है। आवश्यकता है कि चूल्हे या भट्टी ऐसी बनायी जाय कि ईंधन का खर्च कम हो, उनकी आग का अविक से अधिक उपयोग हो। मगनवाडी (वर्धा) आदि कई स्थानों में चूल्हे इसी उद्देश्य से नये ढग के बनाये गये हैं, उनका प्रचार होना चाहिए। ईंधन भी ऐसा काम में लाया जाना चाहिए, जिससे धुआँ न हो या बहुत ही कम हो। इस ट्रिट से 'कुरु' का उपयोग अच्छा है, हाँ, इसमें भी बहुत सुधार की आवश्यकता है। जहाँ-जहाँ स्वावलम्बी व्यवस्था हो सके, त्रिजली के चूल्हों से काम लिया जाना चाहिए।

मसाले—समझ है कि आरम्भ में मनुष्य ने एक-एक मसाले (मिर्च, हल्दी, सोठ, हींग, जीरा, धनिया आदि) को किसी विशेष अवसर पर खाया हो, और उससे उसे किसी रोग के निवारण में सहायता मिलने का अनुभव हुआ हो। इस प्रकार औपधि के रूप में काम में लाया हुआ मसाला पीछे न्याद लगने के कारण रोजमर्रा के उपयोग का पदार्थ बन गया और विविध मसाले भोजन के आवश्यक अग माने जाने लगे।

मसालों के बारे में यह बात तो है ही कि ये बिना जरूरत खाये जाते हैं। इसके अलावा, इनके मिश्रण से तरह-तरह की चटनियाँ और अचार आदि बनाये जाते हैं, जिनकी सहायता से आदमी बहुधा भोजन आवश्यकता से अधिक परिमाण में करता है। इस तरह मसालों के रूप में तथा इनके डारा होने वाला अपव्यय स्पष्ट ही है। इस से अधिक चिन्तनीय बात यह है कि आदमी अपना स्वास्थ्य बिगड़ता है। गांधी जी ने अपनी 'आरोग्य की कुर्जी' में यहाँ तक लिखा है कि 'एक आदमी जिसे मिर्च खाने का बहुत शौक या, उसकी तो भरी जवानी में ये मिर्चे मृत्यु का कारण बनी।' निदान, मसाल खाकर अपने स्वास्थ्य को बिगड़ने वाला व्यक्ति राष्ट्र और समाज के सामन अपराधी है। लोगों को इनके सेवन से बचना चाहिए। खासकर माता पिता इस और ब्यान दे, बहुधा उन्हे मसाले खाते देखकर या उनकी प्रेरणा से ही बालक भी मसाले खाने लग जाते हैं, पीछे तो उनकी आदत ही पड़ जाती है।

उत्तेजक और माटक पदार्थों का सेवन—मसाला के अतिरिक्त आदमी और भी कई ऐसे पदार्थों का सेवन करता है, जो उसे शरीर की रक्षा या पोषण के लिए आवश्यक नहीं होते, अथवा कुछ विशेष परिस्थितियों में और परिमित मात्रा में ही उपयोगी होते हैं। आदमी क्षणिक स्वाद, शौक या उत्तेजना आदि के लिए उनका बहुत अधिक उपयोग करता है, यहाँ तक कि उनका आदी हो जाता है। चाय, तमाखू, शराब तथा अन्य माटक पदार्थ इसी श्रेणी के हैं। ये अधिकांश में अनावश्यक तथा हानिकर हैं।

चाय, कहवा आदि—पहले चाय की बात ले। इसका चलन सब से पहले चीन में हुआ। वहाँ जल का विकार दूर करने के लिए इसका उपयोग होता था। इसे उबलते पानी में ढालकर पानी शुद्ध रखा जाता था। पीछे धीरे-धीरे आदमी इसकी सुगन्ध और रंग से आकर्षित होकर आदतन इसका सेवन करने लगे। क्रमशः अन्य देशों में इसका प्रचार हो चला। भारत में तो हमारे देखते-देखते ही इसका प्रचार बेहद बढ़ा है। आदमी इसका सेवन शौकिया करते हैं। इससे शरीर को कोई लाभ नहीं, इसके विपरीत, इससे आदमी की भूख मारी जाती है और बढ़हमी होती है। इससे स्वभावत शरीर की पुष्टि में बाबा होती है, और वह क्षीण होकर विविध रोगों का शिकार बन जाता है।

कुछ वर्ष पहले चाय का शौक ऊचे दर्जे की रहनमहन वाले ही करते थे। धीरे-धीरे युवकों और विद्यार्थियों ने इसे अपना लिया। अब तो साधारण मजदूरों तक में इस अनावश्यक और हानिकर वस्तु का प्रचार बहुत जोर से हो गया है। अनेक आदमियों को इसकी आदत पड़ गयी है। उन्हें यह समझ पर न मिले तो उन्हें चैन नहीं पड़ती। उन्हें अधिक प्रचार का मुख्य कागण चाप-कम्पनियों की विजापनवारी है। कई टाक्टरों की सम्मति है कि चाय एक हल्का उत्तेजक पदार्थ है, इसके द्वारा मनुष्य की कार्य-क्षमता को बढ़ाना ऐसा ही है, जैसा चाउक या हन्डर से दुर्वल बोडे को तेज बनाना। लोगों को चाहिए कि मिथ्या या अत्युक्ति-पुरुण विजापनों के धोने में न आये। यदि उन्हें अपनी शक्ति वास्तव में बढ़ानी है तो वे दूध, बी, फल, मेवा आदि पौष्टिक पदार्थों का सेवन करें, न कि चाय जैसे उत्तेजक पदार्थ का।

जो वाते चाय के बारे में कही गयी है, वे ही कहवे और कोको के बारे में भी सत्य है। इस विषय में गाधी जी का अनुभव बहुत शिक्षाप्रद है, उसका उल्लेख इस अव्याय के आरम्भ में किया गया है।

तमाखू—तमाखू ने अपना जाल सासार भर में फैला रखा है। प्रत्येक देश में इसका विविध रूपों में प्रचार है। बहुत से आदमियों के लिए यह भोजन की तरह आवश्यक है। भारत में पहले आदमी हुक्का पिया करते थे। अब शौकीनों को हुक्का अच्छा ही नहीं लगता, वे सिगरेट या बीड़ी पीते हैं, यद्यपि उसका धुआँ हुक्के के धुएँ से अधिक हानिकारक है। बहुतेरे आदमी तमाखू पीते नहीं, तो सूधने वा खाते ही है। निदान, बहुत कम आदमी ऐसे मिलेंगे, जो इसका त्रिलकुल ही व्यवहार नहीं करते। सभव है, कुछ आदमी तमाखू का सेवन किन्हीं विशेष अवस्थाओं में, कोई खास बीमारी दूर करने के लिए, औषधि-रूप में करते हां, परन्तु इनकी सख्त्या मुश्किल से एक फी-सदी होगी। अधिकाश आदमी देखा-देखी, शौक के लिए, इसका खुद डस्टेमाल, और वार-दोस्तों में प्रचार करते हैं। बड़े-बड़े वैद्यो और डाक्टरों का मत है कि तमाखू खाने, पीने या सूधने से इन विकारों के होने का भय रहता है—मद-हाइटि, मूर्छा, कलेजे में जलन, छाती में कफ बढ़ना, दौतों की कमजोरी, पित्त की वृद्धि और शरीर की कमजोरी आदि।

तमाखू के सेवन की आदत बहुत ही गन्दी है। इसे (जर्दे के रूप में) खाने वाले बहुधा घर के कोनों तथा दीवारों पर थूकते रहते हैं। पीने वाले आदमियों का घर बदबूदार धुएँ से भरा रहता है, और सूधने वाले बारबार नाक पोछ कर अपने कपड़े खराब किया करते हैं। पैसा और स्वास्थ्य नष्ट करने वाला तथा गदगी फैलाने वाला तमाखू का यह उपयोग बहुत ही निन्दनीय है। लोक-सेवी सज्जनों को चाहिए कि इसके विरुद्ध यथेष्ट लोकमत तैयार करे।

अफीम—अफीम सेवन करने वाला आदमी आलस्य और तद्रा का अनुभव करता है। बहुधा माताएँ अपने बच्चों की सार-सभार से निश्चिन्त होने के लिए उन्हें अफीम खिला देती है। अधिक मात्रा में तो यह धातक होती ही है, साधारण मात्रा में, अयत्रा औषधि के रूप में भी यह कहाँ तक उपयोगी है, यह सदिग्द ही है। जो हो, इसके सेवन की आदत डालना बहुत हानिकारक और स्वास्थ्य-नाशक है।

अन्य मादक पदार्थ; शराब आदि-चाय, तमाखू और अफीम के अतिरिक्त और भी कई पदार्थ उत्तेजक वा मादक हैं। नारत में साधु कहे जाने वाले तथा अन्य बहुत से आदमी भाग, गाजा और चरस आदि का सेवन करते हैं। इवर कुछ समय से यहाँ शराब का प्रचार बढ़ता ही जा रहा है। जैची श्रेणी के वे मनुष्य, जो विलायती दग से रहने लगे हैं, मद्र-पान से प्रहरे नहीं करते। मजदूर, विशेषता रुल-कारवानों में काम करने वाले, एक-दूसरे और देखा-देखी अपनी बहुत-सी गाढ़ी कमाड़ इसमें खर्च कर डालते हैं।

वहाँ ताड़ी का भी कुछ उत्तेजक आवश्यक है। यह स्वजर के गस से बनती है, ताजे रस में नशा नहीं होता, उसे नीरा कहते हैं। पर यह जल्दी ही नशीली हो जाती है। जहाँ नीरा को ताजा ही न पिया जा सके, वहाँ इसका गुड़ बनाया जा सकता है, जो बहुत गुणकारी होता है। पर अनेक आदमी इसे मादक पदार्थ बनाकर ही काम में लाते हैं।

सभी मादक पदार्थ आदमी को कम-ज्ञान वेहोश करते हैं। शराब पाने वाले तो वेहोशी में अपशब्दों का व्यवहार करते हैं, और बहुधा गदे मजाक करते हैं। वे अक्सर नालियों में लोटते हैं, उन्हें अपने शरीर या लज्जा-निवारण आदि का कुछ व्यान नहीं रहता। कुछ लोगों का मत है कि बहुत ठड़े प्रदेशों में रहने वालों, या सर्दी में काम करने वालों के लिए इसका परिमित परिमाण में उपयोग किया जाना लाभकारी है तथा कुछ श्रीमारियों में भी यह गुणकारी है। इसकी आलोचना में न जाकर वहाँ यही कहना है कि ससार के सभी देशों में शराब आदि का अधिकतर उपयोग अनावश्यक और हानिकारक है। इससे लोगों के ब्रह्म, स्वास्थ्य और चरित्र सभी को क्षति पहुँचती है। अतः इसके सेवन को, कुछ विशेष दशाओं को छोड़ कर, बन्द किया जाना चाहिए।

भोजन-सुधार से जीवन-सुधार—यदि हम अपने खान-न्यान में भोजन करने के उद्देश्य को व्यान में रखें तो हमें मितव्यप्रिता और स्वास्थ्य का लाभ तो मिले ही, इसके अतिरिक्त हमारे व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में भी बहुत उत्तर हो जाय। वर्तमान दशा में भोजन सम्बन्धी विविध क्रियाओं में हमारा कितना समय और शक्ति अनावश्यक रूप से खर्च हो रही है। हमें उनसे कुछ

लाभ नहीं होता, उलटा हम बहुत हानि उठा रहे हैं। हमें इस विषय का बहुत सोच-विचार करना पड़ता है कि किस प्रकार खाने के नये-नये जायकेदार पदाथ तैयार किये जाय, और उन्हे अधिक से अधिक परिमाण में खाया जाय। हम दिन में चार-चार पाँच-पाँच समय कुछ न कुछ खाते-पीते रहते हैं। सबेरे का नाश्ता, दोपहर का भोजन, तीसरे पहर का फलाहार, शाम का खाना, फिर सोते समय दूध आदि, इसके अतिरिक्त समय-समय पर सोडा, लेमनेड, शर्बत, ठडाई लस्टी, चाय, कहवा, कोको आदि अन्य पेय भी चलते रहते हैं। हमारे घर कोई मेहमान आता है तो एक खास काम यह हो जाता है कि उसे 'किस समय क्या-क्या पदार्थ खाने-पीने को दिये जाय। भारत में घरों में औरतों का मुख्य काम तरह-तरह के बढ़िया कहे जाने वाले भोजनों की व्यवस्था करने का ही रहता है। बाजार में हलवाई की दुकान, होटल या विश्रान्ति-गृह आदि का काम करते हुए अनेक आदमियों का जीवन बहुत सबेरे से लेकर, बड़ी रात गये तक तरह-तरह के मिष्ठान या नमकीन पदार्थ तथा पेय बनाने या सजा कर रखने का ही रहता है।

विवाह शादी या तीज त्योहार के समय हम अपने अतिथियों का सत्कार खूब 'बढ़िया' भोजन से करते हैं और साथ में चूर्ण चटनी या पाचक पेय की भी व्यवस्था करते हैं। हमारी खातिरदारी ऐसी सीमा तक होती है कि अतिथियों को अपने घर लौटने पर कई-कई दिन तक बदहज्मी आदिकी शिकायत रहती है, और उन्हे याद रहता है कि अमुक व्यक्ति के यहाँ हमारा ऐसा स्वागत हुआ था (जिसके फल-स्वरूप वे इतने बीमार पडे।)

यदि आदमी भोजन में सादगी का व्यवहार करे तो उपर्युक्त वातों में कितना परिवर्तन हो जाय—अतिथियों को बीमार पड़ने का अवसर न आये, घर वालों की बहुत सी परेशानी बच जाय, बियों को भोजन बनाने का ही काम मुख्य न रहे, और वे अपने समय का अधिक सदुपयोग कर सकें, हलवाईयों को तथा होटल वालों को बहुत विश्राम मिल सके और उनका समय-विभाग बहुत सतुलित हो सके। इस प्रकार सर्वसाधारण के लिए भोजन-सुधार का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इससे जनता के स्वास्थ्य और रोजमर्झ के जीवन में यथेष्ट सुधार होगा।

सातवाँ अध्याय

वस्त्र

आपके देश (अमरीका) में शायद सज्जनता को वस्त्राभूपण की कसौटी पर कसा जाता है, पर जिस देश से मैं आ रहा हूँ, वहाँ सज्जनता की पहचान चरित्र से होती है, ऊपरी वेशभूपा से नहीं ।

—विवेकानन्द

कपड़ा शरीर के लिए है, न कि शरीर कपड़ों के लिए ।

—कहायत

कपड़ा पहनने के उद्देश्य—आजकल प्राप्त सभी आदमी योजा या वहन किसी न किसी तरह का कपड़ा पहनते हैं । मनुष के नग्न अवस्था को छोड कर, कपड़ा पहनना शुरू करने के प्राय तीन कारण बताये जाते हैं— १—शरीर की सर्दी-गर्मी से रक्षा, २—लज्जा-निवारण, ३—शरीर की सजावट ।

आम तौर से इनमें पहली दो बातें मुख्य मानी जाती हैं, परन्तु इतिहास से पता चलता है कि लज्जा का भाव शुरू में था ही नहीं, और यह भाव कपड़ा पहनने का कारण नहीं, वल्कि उसका परिणाम है, अर्थात् धीरे-धीरे जब आदमी कपड़ा पहनने लग गया तो न पहनने की दशा में उसे लज्जा या शर्म का अनुभव होने लगा । इसी तरह सर्दी-गर्मी से शरीर की रक्षा की बात है । जब आदमी जगली हालत में रहता था, तो उसे सर्दी-गर्मी विशेष नहीं लगती थी । उसमें पशुओं की तरह सहन करने की शक्ति काफी थी, जो पीछे धीरे-धीरे कम हो गयी । इस प्रकार शुरू में आदमी को कपड़े पहनने की जल्दत सर्दी-गर्मी से बचने के लिए भी नहीं थी ।

खोज से पता लगा है कि आदमी को पहले-पहल कपड़ा पहनने की जरूरत अपने शरीर को सजाने की इच्छा से हुई । पीछे तो उसे इसकी आदत ही पड़

गयी। धीरे-धीरे वह यह अनुभव करने लगा कि ठड़ के समय विना कपड़ा पहने उसे सर्दी लगती है और तेज धूप के समय शरीर पर कुछ कपड़ा होने से गर्मी कम सताती है। इसलिए सर्दी-गमा से बचने के लिए कपड़ा पहनना उपयोगी है। क्रमशः आदमी में यह भावना पैदा हो गयी कि कपड़ा पहनना इसलिए जरूरी है कि इससे लज्जा निवारण होती है। कपड़ा हमारी सम्मता और शिष्टाचार का सूचक हो गया।

सम्यग की वृद्धि के साथ कपड़े के उपयोग में वृद्धि—ज्यो-ज्यो संभवता बढ़ती गयी, आदमी ग्रामीण जीवन छोड़ कर शहरी जीवन विताने लगे, कपड़े का उपयोग अधिक होने लगा। अब बहुत से आदमी बहुत ही अधिक कपड़ा पहनते हैं, या पहनना 'चाहते हैं, लज्जा-निवारण के लिए पुरुष या स्त्री को बहुत थोड़े कपड़े की जरूरत होती है। इसी प्रकार सर्दी-गर्मी से बचने के लिए भी आदमी को कपड़ा मामूली ही चाहिए, सर्दी-गर्मी का अनुभव बहुत कुछ आदमी की आदत पर निर्भर है। कुछ लोग बहुत अधिक सर्दी के समय भी थोड़े से कपड़े से काम चला लेते हैं, इसके विपरीत, दूसरे आदमी जो बहुत अधिक कपड़े पहनने के आदी हो जाते हैं, उन्हें उन कपड़ों में जरा कमी करने से ही बहुत ठड़ लगने लगती है। भारत का साधारण किसान या मजदूर एक घोती और चदर में स्तोष कर लेता है, जबकि यूरोप-अमरीका के 'सम्य' पुरुष तथा उनका अनुसरण करने वाले भारतीयों की पोशाक में देखिए कितने कपड़े चाहिए—बनयान, कमीज, वास्टर, कोट, कालर, नेकटाई टोप, जाधिया (अडरवेयर), पतलून और उसके साथ पेटी या गैलिस, मोजे, गेटिस और जूते। [ये लोग दिन में कई बार कपड़ा बदलते हैं और अलग-अलग अवसर के लिए जुदा-जुदा पोशाक रखते हैं।] इससे शरीर को यथेष्ट धूप और हवा नहीं मिलती, रोग बढ़ रहे हैं, क्यों आदि वीमारियाँ फैलती जा रही हैं, और लोगों का स्वास्थ्य विगड़ता ही जाता है।

नये-नये फैशन, और पहनावे में विषमता—आजकल पोशाक के नियंत्रण नये फैशन निकलते रहते हैं। धनवान या शौकीन लोग अपनी पोशाक के पुराने ढग को बदल कर नये ढग की पोशाक ग्रहण करते रहते हैं अथवा बहुत

वद्विया कपड़ा काम में लाते हैं। कुछ आदमी सती या ऊर्नी कपड़े से सतोष न कर रेशमी वस्त्र पहनते हैं, जिनके लिए असस्त्य किंडे मारे जाते हैं। कुछ लोग ऐसे कपड़े का उपयोग करते हैं, जो सोने-चाढ़ी के तारों के कारण बहुत कीमती होता है। खासकर यूरोप-अमरीका की शौकीन मिश्रों अपनी पोशाक में ऐसे पक्षियों के पर लगवाती हैं जो बहुत दुर्लभ होते हैं। उनके टस फेशन या शौक के वास्ते वे-जवान पक्षियों को अपनी जान खोनी पड़ती है। यहीं नहीं, कुछ रमणियों के गले के बन्ध या कोट आदि के लिए 'टो' नामक चमड़ा काम आता है, जो भेड़ के गर्भमय बच्चे की नर्म रोयेटार खाल से बनता है। इसके लिए भेड़ तथा उसके बच्चे की एक-साथ हत्या की जाती है। सम्मता के इस युग में जब स्त्री, सन, पटसन, ऊन आदि के तरह-तरह के कपड़े बनने लग गये हैं, सिर्फ़ शौक पूरा करने के लिए जीवों की यह हिसा खेदजनक है।

वर्तमान सासार में कितनी विषमता है! कुछ आदमी तो कपड़े का उपयोग जस्तर से ज्ञादा करते हैं, और नित्य नये फैशन के तथा कीमती कपड़े पहनते हैं तथा पर्दे, चॉटनी, खोली या गिलाफ आदि में खर्च करते हैं। इसके विपरीत, हमारे अनेक भाड़यों को अपनी शरीर-रक्षा के लिए भी योग्य वस्त्र नहीं मिलता, इससे उनके च्वास्त्य को हानि पहुँचती है, और वे समाज में नीची श्रेणी के माने जाते हैं।

कपड़ा और स्वास्थ्य—जस्तर से कम कपड़ा पहनना स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, यह तो सब जानते हीं है। उल्लेखनीय बात यह है कि आदमी के लिए अधिक कपड़ा पहनना भी टीक नहीं। वह जितना अधिक कपड़ा पहनता है, उतना ही वह हवा, प्रकाश और मिट्टी के उपयोग से बच्चित होता जाता है और फल स्वरूप अपने स्वास्थ्य को हानि पहुँचाता है। पर आदत और सम्मता का विचार आदमी को कपड़े का इस्तेमाल घटाने से रोकता रहता है। तथापि कही-कही कुछ प्रतिनिया नजर आ रही है। भारत में तो सातुर सन्तो ने सदा ही बहुत कम कपड़ा पहना है, यहाँ तक कि वे प्रायः लगोटी लगाये या अर्ड्डनग्न अवस्था में रहते आये हैं। अब यूरोप अमरीका में कितने ही नगर-निवासी धूप का लाभ उठाने के लिए पहाड़ों पर, समुद्र के किनारे या दूसरी सुरक्षित जगहों में जाते हैं और काफी समय नगे बैठे

रहते अथवा धूमते हैं। इससे उनका स्वास्थ्य बहुत सुधर जाता है। यह विचार ठीक नहीं है कि कम कपड़ा पहनने या नगा रहने से आदमी की विषय-वासना बढ़ती है। अक्सर जो पुरुष और स्त्रियाँ बहुत अधिक कपड़ा पहनती हैं, और जो स्त्रियाँ पर्दे में रहती हैं, उनमें विषय-वासना अपेक्षाकृत अधिक होती है। इस प्रकार कपड़े का अधिक उपयोग हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है।

‘स-८’ मनुष्य को अपनी नगा रहने की हालत छोड़े इतना समय बीत गया है और कपड़ा पहनने का वह इनना आदी हो गया है कि अब फिर शुरू की हालत में जाने की सहसा आशा नहीं की जा सकती। तो भी यह विषय विचार करने का है। जहाँ ऋतु अनुकूल हो, आदमी को दिन में थोड़ा समय उधाड़े बदन अवश्य रहना चाहिए, जिससे उसका आकाश, धूप और हवा का सर्सग हो। जहाँ विशेष वाधा न हो, आदमी को कुछ समय नगे पाँच चलना चाहिए, जिससे शरीर से मिट्टी का स्पर्श हो, और उसका लाभ मिले। इसके अलावा हमें अपने बदन को बहुत अधिक या तग कपड़ों से ढके रखना नहीं चाहिए। इस प्रकार खासकर गर्भी में आवी वाहों की कमीज या बड़ी और हाफ-पेन्ट या मामूली धोती का पहनाव अच्छा है। कपड़ा का रग भी बहुत चमकीला या भड़कीला न होना चाहिए, जो आँखों के लिए हानिकारक होता है।

विशेष बक्तव्य—आवश्यकता है कि आदमी जो कपड़ा पहने वह जलवायु के विचार से अनुकूल हो, स्वास्थ्य के लिए हिनकारी हो। हम याद रखें कि कपड़ा शरीर के लिए है (अर्थात् उनका उद्देश्य शरीर की रक्षा करना है) न, कि शरीर कपड़े के लिए। प्रायः हम शरीर से कपड़ों की एक छोटी-सी प्रदर्शनी का काम लेते हैं, हम कपड़ा खासकर इसलिए पहनते हैं कि दूसरे आदमी हमारी अनीरी या वैभव का परिचय प्राप्त करे, इस भावना के होते हुए हम निय नये और बहुमूल्य कपड़ों का उपयोग करके भी सतोष या सुख नहीं पा सकते। इसके अतिरिक्त हम अपने गरीब माझों से दूर होते जाते हैं। हमारा लद्य मानव समाज में एकता और समानता बढ़ाना है। हम जरा सोचें और कृत्रिम वेश-भूषा से बचें, इसी में सबका कल्याण है।

आठवा अध्याय

मकान

यदि घर वार के बिना या कपड़ों के बिना हम हम अनन्त (आकाश) के साथ सम्बन्ध जोड़ सके तो हमारा शरीर बुद्धि और आत्मा पूरी तरह आरोग्य का अनुभव करे। इस आदर्श को भले हन न पहुँच सके या करोड़ों में से एक ही पहुँचता हो तो भी उस आदर्श को जानना समझना और उसके प्रति आठर-भाव रखना आवश्यक है; और यदि वह आदर्श है तो जिस हद तक हम उसे पहुँच सके गे, उस हद तक हम सुख, शान्ति और सन्तोष का अनुभव करे गे।

—गाँधीजी

देहात के अवेरे और उजाड़ घर उनमें रहने वाले लोगों के जीवन की एक तसवीर है। उनमें न हवा है, न प्रकाश है, न किसी तरह की सुन्दरता का स्थाल है। ,

—शान्ता वेर्लकर

मकान की आवश्यकता—आदमी को घूमने फिरने का जाहे जिन्हांना काम हो, उसे निवास करने या भोजन बनाने और सोने आदि ने लिए एक ऐसे स्थान की आवश्यकता होती है, जहाँ धूप, सर्दी, बर्फ और ओलों आदि ने उसकी रक्षा हो सके। युकाच्यो और पेड़ों के सोखर आदि का जयोग भरने के बाद मनुष्य ने क्रमशः भोपडियों आदि बनायी, फिर तरह-तरह के घर जो निर्माण किया। घरों ने गाँवों और शहरों की सृष्टि की, जिनके समूह भी देश नथा राज्य कहते हैं। अस्तु, भोजन और वस्त्र की तरह घर या निवास भी मनुष्य की प्रायमिक आवश्यकताओं में से है।

गांवों के घर — गाँवों में अधिकाश मकान कच्चे होते हैं। कुछ तो निरी झोपड़ियाँ ही होती हैं—घास-फूस और लकड़ियों की बनी हुई। इनमें धूप, वर्षा आदि से यथेष्ट रक्षा नहीं होती, आधी-तूफान में इनके जल्दी उखड़ जाने की आशका रहती है, तथा भोजन बनाते समय बहुत सावधान रहना पड़ता है कि कहाँ आग न लग जाय। वैसे झोपड़ियाँ सादे रहन-सहन की प्रतीक होती हैं, हवा और रोशनी इनमें कुदरती तौर पर आते रहने से इनमें प्राकृतिक जीवन की छुटा रहती है। इनमें रहने वाले आदमी को इनकी समय-समय पर मरम्मत तथा देखभाल करनी होती है, इस प्रकार वह परिश्रमी और कष्ट सहने वाला होता है, इससे उसका स्वास्थ्य अपेक्षाकृत अच्छा रहता है।

गाँवों में झोपड़ियों से कुछ ऊंचे दर्जे के निवास-स्थान कच्चे घर होते हैं। इनकी दीवारे घास और बङ्गी आदि की अथवा मिट्टी या गारे की होती है, अथवा कच्ची ईटों या पत्थर आदि की होती है। इन पर फूस का छप्पर डाला जाता है अथवा लकड़ी की कड़ियों पर तख्ते डाल कर उन पर मिट्टी की छूत बनाली जाती है। इनकी समय-समय पर और खासकर वरसात के पहले मरम्मत करने की जल्दत होती है, अन्यथा ये टपकते हैं, और दो-तीन साल में गिरने ही लगते हैं। यद्यपि इधर कुछ समय से इन घरों की बनावट में रोशनी और हवा का विचार किया जाने लगा है, प्रायः इनमें खिड़कियाँ या रोशनदान आदि नहीं होते, रसोई के लिए अलग कोठरी नहीं होती, गाय-मैस आदि पशु भी आदमियों के साथ उसी कोठरी में रहते हैं। इससे होने वाली स्वास्थ्य-हानि स्पष्ट ही है।

शहरों के मकान — सभ्यता के विकास में गाँवों की जगह शहर बने। शहरों के अधिकाश मकान पक्की ईटों या पत्थरों की दीवार वाले होते हैं। इनके ईट, पत्थर, चूने या सीमेट के होते हैं और छतें भी इन्हीं चीजों की बनायी जाती है, हाँ, उसमें लकड़ी या लोहे आदि की सहायता ली जाती है। इस प्रकार ये मकान पक्के और मजबूत होने हैं। परन्तु इनमें भी बहुत से दोष होते हैं। शहरों की बढ़ी हुई आवादी की दृष्टि से मकानों की सख्त्या बहुत कम होती है, और अधिकाश आदमी गरीब होने के कारण एक बहुत ही छोटा मकान रख

सकते हैं या वडे मकान जा बहुत ही छोटा हिन्मा किराये पर ले सकते हैं। उसका नर्तीजा यह होता है कि बहुत से आदमी तग तथा अधकार वाले मकानों में रहते हैं। एक-एक कमरे में कई आदमियों को तथा कुछ दण्डाओं में कई-कई परिवारों को जैसे-तैसे निर्वाह करना पड़ता है। इन मकानों में शुद्ध हवा मिलना बहुत कठिन होता है। फिर, शहरों में मिलाँ और कारखानों ने मजदूरों के लिए मकानों की अलग ही समस्या उपस्थित कर रखी है। इसका असर वहाँ की अन्य जनता को भी भोगना पड़ता है। इससे लोगों का स्वास्थ्य चिगड़ता रहता है।

बहुत में आदमियों के लिए मकानों की कमी—प्रत्येक देश के एक-एक नगर वा गाँव में प्रति मकान किनने व्यक्ति रहते हैं, उसके अपने में विभिन्नता होगी। भारत में औसतन प्रति पाँच मनुष्यों पीछे एक घर है। कस्तों में तथा देहातों में वह औसत लगभग समान है। विशेष विचार करने की बात यह है कि ससार के किसी भी देश के सम्बन्ध में वह नहीं कहा जा सकता कि वहाँ के प्रत्येक नगर और ग्राम में सब आदमियों के पास अपने मकान हैं, अवश्य जो मकान है, वे काफी हैं। आस्ट्रेलिया आदि जिन देशों में जनसंख्या के अनुपात से भूमि काफी है, वा अधिक भी कही जा सकती है, वहाँ गौराग लोगों ने अपने मकान आदि के लिए बहुत अविक भूमि वेर रखी है, और अन्य लोगों के लिए, खासकर वहाँ के मूल निवासियों के लिए मकान आदि की तरी है। अन्य देशों में प्रथम तो मकानों के काम में आने वाली भूमि ही कम है, दूसरे, पूजीपतियों और सत्ताधारियों ने अपने लिए बड़े विशाल भवन बना रखे हैं तथा अपने दहलने आदि के लिए निजी पार्क आदि बना कर सर्वसाधारण के लिए मकानों के बास्ते जगह कम कर दी है। यह बात केवल नगरों तक ही सीमित नहीं है, प्राय गाँवों में भी ऐसे हज़य साधारण हैं कि कुछ थोड़े से आदमियों के पास बहुत लम्बे चौड़े मकान हैं, और बहुत से आदमियों को मकान का अभाव है। निवान, शहरों में तथा गाँवों में अनेक आदमी ऐसे हैं, जिन्होंने अपना या किराये पर लिया हुआ भी कोई घर वा भोपड़ी नहीं, ये लोग दिन में जहाँ तहाँ धूमते रहते हैं, और रात को बाजार वा सड़क के बिनारे लेट कर अपना समय काटते हैं।

जहाँ एक शिकायत को दूर करती है, प्रकारान्तर से दूसरी व्याधि खड़ी करती है, जिसे दूर करने के लिए दूसरी औपचियों की जस्तत पड़ती है। वह दुश्चक्र चलता रहता है। हमारी जखरते बढ़ती रहती है, और वे पूरी नहीं होती तो हमें असन्तोष और वेदना होती है। यह जानते हुए भी हम उसका सरल उपाय नहीं करते—साटगी और परिश्रम का जीवन नहीं विताते। मकानों की स्वच्छना में यह दृष्टिकोण व्यान में रखा जाना आवश्यक है।

नवाँ अध्याय

शिक्षा

सर्वोदय की शिक्षण पद्धति जीवन सम्बन्धी कियाओं पर आधार रखती है। परन्तु इतनी ही उमकी विशेषता नहीं है, उसका व्येय अहिंसा और सत्य की बुनियाद पर एक नये समाज की रचना का प्रयत्न करना भी है।

—जौ० का० कुमारपा

बुनियादी शिक्षण-पद्धति में गरोवों की सर्वागीण उन्नति के लिए आतुरता भरी हुई है। इसके अन्दर जीवन-विकास की दृष्टि है। इसमें हाथ पाव और स्तिष्ठक—तीनों के विकास की सामग्री और उपाय हैं।

—काका कलेलकर

पिछले अध्यायों में मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं—भोजन वस्त्र और मकानों के विषय में लिखा गया है। इनके अतिरिक्त हमारी अन्य प्रमुख आवश्यकताएँ शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरजन हैं। वहाँ शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है।

प्राथमिक शिक्षा को यथेष्ट महत्व दिया जाना चाहिए— मानव जीवन में शिक्षा की उपयोगिता या महत्व सब जानते हैं, फिर भी शिक्षा-प्रणाली कैसी हो, यह विषय बहुत मत-भेद का है। इन विषय पर कितनी ही पुस्तके लिखी गयी हैं, पर समस्या अच्छी तरह हल नहीं हुई। यह साफ जाहिर है कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को केवल अधिक-ने-अधिक धन पेटा बरने वाला यत्र बनाना नहीं है। शिक्षा-पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि व्यक्ति न्यूर्स्य स्वावलम्बी, सुसङ्खृत और समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी पूरा करने वाला बने। यह बात तभी अच्छी तरह हो सकती है, जब वालक वालिशाओं से

प्रारम्भ से ही उनिन शिक्षा मिले। परन्तु आजकल भारत में तथा और भी कई देशों में प्राथमिक शिक्षा को कुछ महत्व नहीं दिया जाता। वही उम्र के तथा ऊँची कक्षाओं के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए योग्य से योग्य व्यक्तियों की खोज की जाती है, उनके लिए खूब खर्च किया जाता है और विविध प्रकार के सामान जुटाये जाते हैं। परन्तु प्राथमिक शिक्षा पाने वाले बालकों के लिए मामूली व्यक्तियों को शिक्षक नियुक्त कर दिया जाता है, जिन्हे कुछ विषयों का ज्ञान भले ही हो, बालकों सम्बन्धी ज्ञान नहीं होता, जो बालकों के स्वभाव, विचार, उनके मन पर होने वाली क्रियाओं-प्रतिक्रियाओं आदि से विलक्षुल परिचिन नहीं होते। वे अव्यापक बालकों के दिमाग में कुछ वातें जैसे-तैसे ठूँसने का प्रयत्न करते हैं, इनमें बालकों को भावी जीवन के लिए तैयार करने की योग्यता नहीं होती। अस्तु, आवश्यकता है कि प्राथमिक शिक्षा को उसकी उपयोगिता के अनुसार वयेष्ट महत्व दिया जाय।

बुनियादी शिक्षा, खेती या स्थानीय धन्धे का आधार— लोकहित की दृष्टि से बुनियादी शिक्षा-पद्धति सबसे उत्तम है। इसकी मुख्य बातें ये हैं—छह-सात साल के सब बालकों के लिए, उनकी मातृभाषा में सात साल तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रबन्ध हो। शिक्षा का आधार या केन्द्र किसी प्रकार की दस्तकारी हो, या खेती हो, और सब विषय (भाषा, गणित, भूगोल, इतिहास और आलेख्य आदि) उस दस्तकारी के सहारे सिखाये जाय। दस्तकारी का चुनाव स्थानीय परिस्थिति को व्यान में रख कर किया जाय। जहाँ सम्भव और व्यवहारिक हो, कनाई-बुनाई को प्राथमिकता दी जाय। प्रत्येक बुनियादी शाला अपने खर्च का अधिक से अधिक अंश अपने छात्रों और अध्यापकों के उद्योग से प्राप्त करने का प्रयत्न करें।^{१५} इसमें मुख्य हेतु यह है कि छात्रों में शरीर अम के सम्बन्ध में तथा निर्माण-कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न हो, और वे पीछे इस अम का वयेष्ट सम्मान करने वाले हों, उसे

— गांधीजी का मत था कि बुनियादी शिक्षा के सात वर्षों का औसत लेकर शिक्षा की आव और व्यव बराबर होना चाहिए। हाँ, विद्यार्थियाँ द्वारा बनायी हुई चीजों को निश्चित दामों पर सरकार खरीदे।

वौद्धिक कार्य से नीचे दर्जे का माननेवाले न हो, वे स्वावलम्बी बने, और देश से बेकारी दूर हो। कहना नहीं होगा -) खासकर निर्धन देशों में, सर्वसाधारण को ऐसी ही शिक्षा आसानी से दी जा सकती है, और डसी से जनता का कल्याण हो सकता है।

उच्च शिक्षा—माध्यमिक और उच्च शिक्षा में भी ऊपर कही वारो का व्यान रखा जाना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी और अव्यापक अपनी आजीविकाप्राप्ति में स्वावलम्बी हो तथा दूसरों को स्वावलम्बी बनाने में सहायक हो। विज्ञान की शिक्षा दी जाय, और युवकों की आविष्कार-बुद्धि विकसित की जाय, पर उनके मन में यह वात जम जानी चाहिए कि हमारा ज्ञान हमारे स्वार्थसाक्षण के लिए नहीं, लोक-कल्याण के लिए है।

गांधीजी के मत से उच्च (विश्वविद्यालयों की) शिक्षा को भी उत्पादक दस्तकारियों पर आधारित होना चाहिए। इस शिक्षा का दायित्व सरकार पर नहीं, गैर-सरकारी संस्थाओं और व्यक्तियों पर होना चाहिए। डिजिनिरिंग, व्यावसायिक, और व्यापारिक विद्यालयों का भार व्यापारिक और औद्योगिक संस्थाओं को उठाना चाहिए। कृषि, विज्ञान, चिकित्सा और साहित्य तथा सामाजिक विज्ञानों के लिए विद्यालयों को या तो स्वावलम्बी होना चाहिए या दान पर आधारित होना चाहिए। राज्य के विश्वविद्यालय केवल परीक्षाओं का प्रबन्ध करे और परीक्षाओं की फीस द्वारा स्वावलम्बी रहे।

इस समय भारत में उच्च शिक्षा देने वाली संस्थाओं से जनता का प्रायः कुछ भी हित नहीं हो रहा है, और वे सर्वसाधारण से प्राप्त टेक्सो आदि की आव पर एक भार बनी हुई है। वह अनुचित है। इसमें आभूल परिवर्तन करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए जो० का० कुमारप्पा ने कहा है—

‘आज हमें यह भावना पैदा करनी चाहिए कि हमारे खेती-कालिजों की जिम्मेदारी है कि जमीन पर कहर न पड़ने दे। अगर वे ऐसा नहीं करते तो इन कालिजों को पालने में कोई तुक नहीं है। अब तक इन कालिजों में जुदा-जुदा जाति की ईखें उगायी गयी हैं ताकि मिलों को हर महीने ईख मिलते रहे और मशीने लगातार चलती रहे। अमरीकी रुई

ओर देशी रुई के मेल से उन्होंने नयी रुई बनायी है, लेकिन गाँव वालों की असली जहरत की परवाह जरा भी नहीं की जाती ।^{१४}

कुछ मुख्य बातें—इस प्रकार शिक्षा-पद्धति की कुछ मुख्य बातें ये होनी चाहिए :—

- (१) विद्यार्थी शारीरिक श्रम करने वाले, और उसकी इच्छत करने वाले हो ।
- (२) वे शिक्षा पाकर अपने ग्रामीण भाइयों से सम्पर्क रखने वाले हों, एक अलग दुनिया में विचरण करने वाले न हों ।
- (३) वे स्त्री जाति के सुख-सुविधाओं और उन्नति का प्रयत्न करने वाले हों ।
- (४) वे अपने जीवन का उद्देश्य स्वार्थ-साधन न मानें, और लोक-कल्याण में भाग लेने वाले हों ।
- (५) वे अपने निकटवर्ती समाज की सेवा तो करे ही, पर देश या राज्य के हित का व्यान रखे । यही नहीं, उनकी नागरिकता की भावना किसी सकीर्ण क्षेत्र तक परिमित न होकर विश्वव्युत्प वाली हो ।

अम-प्रतिष्ठा—ऊपर कहा गया है कि विद्यार्थी श्रम करने वाले और उसकी इच्छत करने वाले हों । इस समय इस पर बहुत व्यान दिये जाने की आवश्यकता है, कारण, आधुनिक शिक्षा पद्धति में इसकी बहुत ही अवहेलना की जाती है, और परिणाम-स्वरूप पढ़े-लिखों का अपनी आजीचिका के लिए इधर-उधर मारे-मारे फिरना, बेकारी बढ़ना, देश में उत्पादन कम होना, तथा शिक्षितों का, किसानों और मजदूरों से अलग ही दुनिया बनाना आदि बातें हमारे सामने हैं । इन बातों का अन्त होना चाहिए ।

इस प्रकार भविष्य में हमारे विद्यालय खेतों और उद्योग-गृहों में होने चाहिए हमारे शिक्षित वालक सर्वप्रथम गौरवशील किसान और औद्योगिक हों । हमारे शिक्षक स्वयं खेतीहर और औद्योगिक हों ।

प्रौढ-शिक्षा—प्रौढ-शिक्षा का अर्थ यही नहीं है कि बड़ी उम्र के वालकों को, जो नियमित रूप से स्कूलों में नहीं पढ़ सके हैं, अक्षर-ज्ञान करा दिया जाय । इस शिक्षा का मुख्य कार्य व्यवहार-ज्ञान या नागरिकता की शिक्षा होना चाहिए ।

१४. 'गांधी अर्थ विचार' से

अच्छर-ज्ञान इसमें सहायक हो सकता है। वह शिक्षा कम-पढ़े-लिखे तथा ज्ञान-पढ़े-लिखे सभी प्रकार के लोगों को दी जा सकती है। अपना गोजगार-धधा शुरू बने के बाद भी आठमी अपनी शिक्षा जारी रखे, यही प्रौढ़ शिक्षा है। यह कार्य सरकार के भरोसे छोड़ देना ठीक नहीं है। जिन लोगों को विशेष शिक्षा प्राप्त करने का सुअवसर मिला है, उनका कर्तव्य है कि वे अपने पास-पड़ोस के उन भाई बहनों को शिक्षा दे, जो इससे बचित रह गये हैं। उन्हें प्रोटो को पढ़ाने की जिम्मेवारी अपने ऊर ले लेनी चाहिए, और उस समय की प्रतीक्षा न करनी चाहिए जब सरकार कानून द्वारा उन्हें यह कार्य-भार लेने के लिए वापर करे। गावीजी के शब्दों में—

- ‘प्रौढ़-शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो स्त्री-पुरुणों को हर तरह वेहतर नागरिक बनाये...किताबें होंगी, पर वे विद्यार्थी के बजाय शिक्षकों के काम की अधिक होंगी, हम बहुमत को यह सिखाना होगा कि वे अल्पमत वालों के साथ कैसा वर्ताव करें, और यही अल्पमत वालों को भी सिखाना होगा।’ ठीक ढग की प्रौढ़-शिक्षा लोगों को पड़ोसियों का भाई चारा सिखायेंगी और इस तरह अस्पृश्यता और साम्प्रदायिक समस्या की जड़ पर ही कुठाराघात करेंगी।...हमें गाँव वालों को सहकारिता की भी शिक्षा देनी है।’

शिक्षा जीवन-व्यापी हो—सचेष में वह कहना है कि हरेक वालक और प्रौढ़ को, पुस्तक और स्त्री को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए कि वह स्वयं सात्विक और स्थानी सुख वाला जीवन विताये और समाज के भी ऐसे ही जीवन विताने में सहायक हो। आजकल शिक्षा भी एक फेशन हो चला है, जिन शिक्षा या कम शिक्षा वालों को नीचे दर्ज का माना जाता है, इस लिए हम अपने वालों को विश्व-विद्यालयों और विद्यापीठों की टिक्की-टिक्कोमा दिलाने का प्रयत्न करते हैं। होना यह चाहिए कि एक खास लक्ष्य रख कर हम उन्हें जीवन की शिक्षा दिलाये। इस प्रसঙ्ग में श्री जो० का० कुमारण्या ने कहा है—

‘वालकों की शिक्षा में जीवन के सारे क्षेत्रों का समावेश होना चाहिए, जसे व्यक्तिगत सफाई, धरेलू कामकाज, समाज-सेवा, उत्पादन और वितरण। वन्चों

की उम्र के मुताविक इन कामों को सिखाने की तजवीज हो। सर्वोदय का कार्य-क्रम जीवनव्यापी है, क्योंकि उसमें सब के उत्कर्ष का अभिप्राय है। इस लिए हमारे देश के समूचे जीवन के साथ कम्बन्ध रखने वाली हर चीज से हमारे बच्चों का परिचय होना चाहिए। देश की जरूरत की चीजें देश में ही पैदा करके हम सबकी तरक्की सिद्ध करेंगे। हमको स्वयं पूर्ण और स्वावलम्बी बनना है।'

श्री विनोदा के विचार—श्री विनोदा ने इस विषय पर खूब चिन्तन और मनन ही नहीं किया हे, वरन् कई वर्ष-बालकों को-यह शिक्षा दी हे। उनकी अनुभव-पूर्ण बातें बहुत विचारणीय हैं। उनका मत है कि हर देहात में प्रातः-काल सूर्योदय के समय एक घटे का स्कूल चलाया जाय। इसमें बालकों को पढ़ाया जाय। इसी तरह शाम को प्रौढों के लिए श्रवण वर्ग चले, जिसमें रामायण भागवत आदि किताबों को पढ़ कर सुनाया जाय, सतो के चरित्र और गाथाएँ भी सुनायी जायें, गाँव की समस्या सोची जायें। खेती इत्यादि के बारे में नयी जानकारी दी जाय, भजन सर्गीत बगैरह सुनाया जाय। ऐसे स्कूल के अव्यापक दिन भर अपना काम कर सकते हैं। उन्हें बहुत तनख्वाह देने की जरूरत नहीं है, गाँव के लोग योड़ा सा अनाज साल भर में उन्हें दे देंगे, सम्भव है उसकी भी आवश्यकता न हो। जैसे हम सम्पत्तिदान का हिस्सा लेते हैं, वैसे वह भी दिन में एक घटा लोगों को प्रेम से सिखाने में बुद्धिदान देगा। इस तरह स्कूल करीब-करीब मुफ्त में ही चलेगा।

इस एक घटे के स्कूल में जो पढाई होगी उसका सम्बन्ध खेती, गृह-उद्योग इत्यादि ग्राम-जीवन के साथ होगा। घर-घर में रसोई चलती है, खाना बनता है वह भी तालीम का एक साधन माना जायगा, आहार-शास्त्र इत्यादि की कई बातें उसके जरिये सिखावी जायेंगी। गाँव में सफाई करने का गाँव बालों का जो कर्तव्य है वह भी गाँव का एक बुनियादी साधन माना जायगा। गाँव में कोई रोग फैला है तो रोग-निवारण का जो कार्य किया जायगा वह भी ज्ञान-प्राप्ति का एक साधन होगा। गाँव में कोई शख्स मर गया है तो उसकी मृत्यु भी ज्ञान का साधन होगी। कहीं वारिश ज्यादा हुई है इसलिए कम फसल पैदा हुई, तो वह भी ज्ञान का साधन होगी। गाँव में जो उत्सव होंगे, गाँव में शादी होंगी, वे भी

ज्ञान-प्राप्ति के साधन हों जायेंगे । इस तरह गाँव की हर एक घटना, गाँव का हर एक विषय ज्ञान-प्राप्ति का साधन होगा ।

इतना सारा काम एक घटे में कैसे होगा ? एक घटा नुवह और एक घटा गाम, इस तरह से दो घटे के अवण-पठन वर्ग में बहुत ज्ञान मिल सकता है । यह म अपने अनुभव से कह रहा हूँ । आज जहाँ पाच पाँच घटे का स्कूल चलता है, वहाँ छह-छह महीने की छुट्टी दी जाती है । इसलिए वह दाँड़ घटे का स्कूल हो गया । उसमें सीखने के साथ भूलने का भी काम होता है । हमारा स्कूल रोज का स्कूल होगा, उसमें भूलने के लिए अवसर नहीं मिलेगा । इसके अलावा जसे रोज खाते हैं तो शरीर की पुष्टि होती है, इसी तरह रोज योद्धा योद्धा अव्ययन करने से मन को तुष्टि मिलेगी । ज्ञान-स्पी भोजन के बाहरे छुट्टी की जस्तरत होती ही नहीं है ।

* काचीपुरम् सम्मेलन में दिये प्रवचन से सकलित ।

दसवाँ अध्याय

स्वास्थ्य और मनोरञ्जन

जिस चीज का मनुष्य पुतला है, उसी से इलाज ढूँढ़े । पुतला पृथ्वी, पानी, आकाश, तेज और वायु का बना है, इन पाँच तत्वों से जो मिल सके सो ले ।... शुद्ध शरीर पैदा करने का प्रयत्न सब करे और उसी प्रयत्न में कुदरती इलाज अपने आप मर्यादित हो जाता है । दुनिया के असल्य लोग दूसरा कर भी नहीं सकते, और जिसे असल्य नहीं कर सकते, उसे थोड़े क्यों करे ।

—गांधीजी

(१) स्वास्थ्य

ससार के सभी देशों में स्वास्थ्य सम्बन्धी बहुत से सुधार करने की गुजायश है, गरीब और अशिक्षित जनता का स्वास्थ्य तो बहुत ही चिन्तनीय दशा में है । आदमी की आदर्श आयु सौ वर्ष की मानी गयी है । कुछ देशों में औसत उम्र साठ वर्ष है, तो भारत में सिर्फ अट्टाइस वर्ष ही है ।

लोगों का अल्पायु होना समाज के लिए हानिकर—लोगों की उम्र कम होने से समाज की कितनी हानि होती है, यह सहज ही पूरी तरह व्यान में नहीं आता । कल्पना करो कि एक आदमी की उम्र तीस वर्ष की है । उसकी उम्र के पच्चीस वर्ष तो शिक्षा और काम सीखने आदि के निकाल दिये जायें तो समाज के उपयोग में उसके जीवन के केवल पाँच वर्ष ही आये । अब अगर इस आदमी का जीवन दस वर्ष और बढ़ जाय तो यह समाज को पन्द्रह वर्ष के कार्य और अनुभव का लाभ दे सके । इसका अर्थ यह हुआ कि चालीस वर्ष का आदमी तीस वर्ष वाले की अपेक्षा तिगुना उपयोगी हो जाता

है। इसी प्रकार आगे विचार किया जा सकता है। निदान, प्रत्येक गांड को दीर्घजीवी और स्वस्थ व्यक्तिया की आवश्यकता है।

निरोग रहने के उपाय; साडा रहनसहन, व्यायाम और खेल—यहाँ स्वास्थ्य-रक्षा के उपायों में विस्तार से लिखने का स्थान नहीं है, खास व्यान इस बात की ओर ढिलाना है कि मनुष्य की गर्भर-रचना इस प्रकार की है कि यदि वह स्वाभाविक जीवन व्यतीत करे और प्राकृतिक सावनों का उचित उपयोग करता रह तो बीमार पड़ने का प्रसग बहुत कम आये। पर मनुष्य ने अपना रहनसहन बहुत कृत्रिम बना लिया है, वह अपने भोजन बन्ध और मकान में शरीर के हित का विचार न करके सामाजिक दिखावे या आडम्बर, शौकीनी और विलासिना पर जोर देता है। यदि वह प्रकृति के निकट रहे, खानपान और रहनसहन साडा रखे तो वह बारबार बीमार न पड़े, प्राय स्वस्थ ही रहे। इस विषय की मुख्य बातें पहले बतायी जा चुकी हैं। यहाँ व्यायाम और खेलों के बारे में ही कुछ विचार करना है।

व्यायाम और खेल स्वास्थ्य-रक्षा के लिए आवश्यक और उपयोगी हैं। आदमी चाहे तो इनकी व्यवस्था बिना कुछ दृढ़ खर्च किये ही हो सकती है। भारत में पहले टड़ बेट्क और कुश्ती आदि का प्रचार था, अब तो कितने ही आदमी अभ्येजों की टेक्का-टेक्की व्यायाम के लिए सेंडो के डम्बल तथा अन्य उपकरणों का उपयोग करते हैं, जो काफी कीमती होते हैं। इसी प्रभार यहाँ कबड्डी और गेन्ड-बल्ले आदि का चलन कम हो गया है, और पड़े-लिये या शौकीन आदमी क्रिकेट, फुटबाल, टेनिस आदि ऐसे खेल खेलने हैं, जिनमें खर्च बहुत होता है, और जिनका विशेष लाभ इने-गिने आदमियों को ही मिलता है। इस विषय में दृष्टिकोण बदलने की बहुत जरूरत है। हमें ऐसे खेलों में भाग लेना चाहिए, जिनमें खर्च बहुत कम हो, इससे भी अन्द्या यह है कि खेती और ग्रामोद्योग के काम करे, जिनसे उत्पादन में नहायता मिलते और देश का हित हो। लोकोपयोगी कार्य करने में आनन्द मिलता ही है। निदान, हमें शौकीनी के आमोद-प्रमोद से बच कर उत्पादक, तथा स्वास्थ्य बढ़ानेवाले व्यायाम और खेलों में भाग लेना चाहिए।

रोग निवारण, औषधियों का सेवन—अधिकाश आदमी चाहे वे जाने या न जाने, किसी न किसी रोग से ग्रस्त हैं। डाक्टर और वैद्यों की सख्ता उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है, और ज्यो-ज्यो वह बढ़ रही हैं, त्यो-त्यों नये-नये रोगों की, और रोगियों की भी बृद्धि हो रही है। किंतु इन्हीं आदमी प्रतिदिन भोजन की ही तरह औषधि का सेवन अनिवार्य मानते हैं, और भोजन के बाद कोई चूर्ण, चटनी या लेमनेड आदि ऐसा पदार्थ लेते हैं, जिससे खाना हजम होने में मदद मिले। अन्य आदमी समझ-समय पर विविध रोगों से विशेष रूप से ग्रस्त हो जाने पर तरह-तरह की—सैकड़ों प्रकार की—इवाइयों लेते हैं। औषधियों में जड़ी-बूटी या बनस्पति आदि के अतिरिक्त अनेक प्रकार के खनिज या सामुद्रिक पदार्थ—ज़ोटा, चॉदी, सोना, पारा, गवक, अभ्रक, मूगा मोती, शख आदि न-जाने क्या-क्या होता है, अफीम, शराब, सखिया आदि का भी उपयोग होता है, अनेक जानवरों का रक्त, चर्वी, मास आदि भी विविध रूपों में दिया जाता है। औषधियों के विषय में नित्य नये अविष्कार हो रहे हैं, कौन जानना है, जो चीजें अब तक औषधियों के रूप में काम में नहीं आने लगी है, उनमें से भी कौनसी कच, किसी न किसी रूप में औषधि बन जाय। आदमी को अपने इस निरतर बढ़ते हुए ज्ञान का गर्व है। परन्तु, अफसोस! वह भूलता है, अधिकाश औषधियों हानिकारक हैं, वे एक रोग को दबाती हैं, तो थोड़े-बहुत समय में उसी रोग को या किसी नये रोग को आमत्रित करने वाली होती है। वास्तविक रोग-निवारण के लिए हमें खासकर प्राकृतिक चिकित्सा अपनानी चाहिए।

प्राकृतिक चिकित्सा की विशेषता—अन्यत्र बताया गया है कि सर्वोदय की दृष्टि से हमारे उद्योग-धर्घों तथा रहनसहन में केन्द्रीकरण की भावना न विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा समाज को विकेन्द्रीकरण और ही ले जाती है। इसके द्वारा आदमी अपने गाँव और घर में ही रहते हुए स्वास्थ्य-लाभ कर सकता है, कारण, इसके लिए जिस धूप, पानी, हवा और मिट्टी की जल्लत होती है, ये हर जगह, खासकर गाँव में सुलभ हैं। शहरों में वस्ती बहुत धनी और ऐन्द्रित हो जाने से मकानों में धूप बहुत कम

आती है, हवा खराब रहती है, और खुली तथा ताजी हवा दुर्लभ होती है, पानी भी नलों का होने से वैसा अच्छा नहीं रहता, जैसा कुओं से मिलने वाला होता है। इस प्रकार शहरी वातावरण में प्राकृतिक जीवन के साधनों का अभाव होता है। वहाँ आदमी ऐलोपेयी पद्धति की ओर झुकता है, जिसमें बहुत चर्च है, और बहुत सा रुपया विदेशों को खेजना होता है, तो भी शहर में विजारीय पटाओं का प्रवेश होने से लाभ ज्ञानिक ही होता है, और अनेक दशाओं में वह नीं नहीं होता।

निस्सदेह यह विचारणीय है कि बड़े-बड़े औपधालय या अस्पताल, जिनमें से एक-एक के लिए हजारों और लाखों रुपये की ओपवियों और यत्रों की आवश्यकता होती है, आखिर देश में किनने बनाये और बढ़ाये जा सकते हैं। लाखों वस्तियों में विवरी हुई जनता के बास्ते वे कभी भी काफी नहीं हो सकते। वे साधारण स्थिति के आदमियों की पहुँच से बाहर ही रहने वाले हैं। इस प्रकार जनता की चिकित्सा की समस्या प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से ही हल हो सकती है।

ग्रामीण वातावरण की आवश्यकता—अपर बताया गया है, कि मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक प्राकृतिक तत्व ग्रामों में ही अच्छी तरह मिल सकते हैं। इस प्रकार हमारे लिए ग्रामीण वातावरण बहुत उपयोगी है। आधुनिक सम्यता में इसका निरतर हास होता जा रहा है। उत्पत्ति का केन्द्रीकरण करने वाले कल-कारखानों ने जनता का जीवन और रहनसहन अस्वाभाविक बना दिया है, सम्पत्ति और सुख के साधन मुट्ठी भर बनी लोगों को ही प्राप्त होते हैं, उनमें से भी बहुत से अपनी विलासिता के कारण विविध गेगों के शिकार बने रहते हैं। आवश्यकता है कि अविक से अधिक उत्पादन स्वतंत्र ग्रामोद्योग पद्धति से हो, जिससे जनता प्राकृतिक जीवन प्रियानेवाली और मादे रहनसहन वाली हो।

संयम—स्वास्थ्य के लिए उपर्युक्त वातों की अपेक्षा मानसिक स्वयम का कुछ कम महत्व नहीं। मनुष्य में अन्य प्राणियों की अपेक्षा बुद्धि या विचार-शक्ति की विशेषता है, इसके कारण जहाँ वह पशुओं से बहुत ऊँचा उठ सकता है, वह उनसे बहुत नीचे भी गिर सकता है। दुर्भाग्य से स्त्री-पुरुष सम्बन्ध में मनुष्य कुछ

दशाओं में पशुओं से भी गया-बीता है। वह केवल सन्तान-प्राप्ति के लिए ही सम्मोग नहीं करता, वरन् कामुकता या वासना का शिकार होकर अनुचित समय पर तथा आवश्यकता से कहीं अधिक सम्मोग करता है। ऐसा व्यक्ति, स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य नियमों का चाहे जितना पालन करे, स्वस्थ नहीं रह सकता। उसकी कार्यकुशलता का हास होकर ही रहेगा। इसके अतिरिक्त वह रोगी और कमज़ोर सन्तान की सुषिट्ठि कर समाज के लिए सकट उपस्थित करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि स्वास्थ्य के लिए मनुष्य को सयम पर भी यथेष्ट व्यान देना चाहिए, हाँ, घर का तथा समाज का वातावरण भी इसके अनुकूल होना चाहिए।

(२) मनोरञ्जन

मानव जीवन में मनोरजन का भी महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। सभी आदमी मनोरजन चाहते हैं, और उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। कुछ मनोरजन आदमी के लिए हितकर होते हैं और कुछ हितकर नहीं होते, और कुछ तो हानिकारक ही होते हैं। इस विषय में कुछ विशेष विचार आगे किया जायगा।

काम में ही मनोरंजन—आजकल कितने ही आदमी सिर्फ बौद्धिक कार्य करते हैं, शरीर-श्रम नहीं करते, और अनेक शरीर-श्रमियों में बौद्धिक कार्य करने के लिए योग्यता या सुविधा नहीं है। दोनों ही तरह के आदमियों को अपने रोज-मर्द के काम में कुछ मनोरजन नहीं होता। फिर, वर्तमान पूजीवाणी व्यवस्था और यत्रोदय पद्धति में आदमी का काम नीरस और थकाने वाला होता है, उसमें उसको, कुछ द्रव्य मिलने के अतिरिक्त, कोई दिलचस्पी नहीं होती। होना यह चाहिए कि काम में ही आदमी को रस हो। आनन्द को काम से बाहर ढूँढ़ने

जरूरत न रहे। छह-सात घटे काम और एक घटा सिनेमा या जुएघर आदि, या नशे की अवस्था में प्रतीत होने वाला मनोरजन—यह विभाजन अस्वाभाविक और पतनकारी है। निस्सदेह धन्य है, वे व्यक्ति जो मनोरजन की खोज अपने काम से बाहर नहीं करते, उसे अपने नित्य के कार्य में ही पाते रहते हैं। जब एक प्रकार के कार्य से जी उकताये तो आदमी दूसरे प्रकार का कार्य हाथ में

ले सकता है, इससे उसे बहुत राहत मिलेगी। हाँ, यह बात तभी अमल में आ सकती है, जब आदमी स्वतंत्र रूप से खासकर खेती या ग्रामोद्योग का कार्य करता है, किसी की अधीनता में या यत्रोद्योगों का नहीं।

कुछ हितकर मनोरंजन—कुछ दशाओं में आदमी को अपने काम धर्वे से बाहर के मनोरजन की भी आवश्यकता हो सकती है। इसलिए वहाँ उसका उल्लेख किया जाता है। अच्छे समाचारपत्र और पुस्तकों के अवलोकन से मनोरजन के साथ हमें ज्ञान-वृद्धि और चरित्र-निर्माण में भी सहायता मिल सकती है। कभी-कभी अपने गाँव या नगर से बाहर दूसरे स्थानों में जाकर प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक दृश्य देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार चित्रकारी, वागवानी, तेरना, खेलना-कूटना आदि भी मनोरजन के अच्छे साधन हैं। हम समय-समय पर अपने मुहूर्ले की गलियों आदि की सफाई में भाग ले सकते हैं, अथवा अपने यहाँ के बालकों को साफ-सुथरा रखने में सहायता कर सकते हैं। कुछ आदमी मनोरजन के लिए ताश चौसर या शतरज आदि खेलते हैं। ये देल साधारणतया निर्दीप होते हैं, पर हम स्मरण रखें कि ये एक सीमा तक ही उपयोगी हैं, इनमें हमारा बहुत अधिक समय न जाय। जब आदमी समय की मर्यादा न रख कर कई-कई घटे इनमें लगे रहते हैं तो इनका वास्तविक उद्देश्य ही नाट हो जाता है।

हानिकारक मनोरंजन—आज कल सिनेमा, नाटक, नाचवर कल्प आदि में, सम्य कहे जाने वाले लोगों के समय, द्रव्य और शक्ति का कितना दुरुपयोग होता है। शहरों में रेडियो का प्रचार बढ़ रहा है, पर इसका भी सदुपयोग कम ही होता है। इसमें सन्देह नहीं कि सिनेमा और नाटक, मनोरजन के अतिरिक्त, शिक्षा के भी अच्छे साधन हो सकते हैं। पर आजकल अधिकांश सिनेमाओं से लोगों के शील और सदाचार को आधात पहुँचता है। उनके फ़िल्मों या चित्रपटों के चुम्बन, आलिगन आदि दृश्यों से प्रायः युवराजों और युवतियों के हृष्टयों पर अनिष्टकारी प्रभाव पड़ता है और दुराचार या व्यभिचार को प्रोत्साहन मिलता है। कितने ही चित्रपटों में चोरी, टकैती, नारीहरण या शिशुहरण आदि दृश्य ऐसी शैली से दिखाये जाते हैं कि दर्शकों में छल, कपट, दुस्साहस, चचलता

ज्यारहवाँ अध्याय

रहनसहन का दर्जा और जीवन-स्तर

जीवन का स्तर केवल आर्थिक सुविधाओं से ऊँचा नहीं होता, उसमें आदर्श की ओर चलने की प्रेरणा चाहिए। मनुष्य-जीवन की सफलता इन्द्रिय-भोग की प्रचुरता में नहीं, किन्तु उसके नियत्रण में है। देश की सम्पत्ति बढ़ाने के लिए हम अपनी आवश्यकताएँ बढ़ाएँ—यह अर्थशास्त्र को उलटा समझना है।

—पुरुषोत्तमदास टडन

जीवन की उन्नति ही बुनियादी चीज़ है, जीवन-रिद्धि (रहनसहन का ढग) नहीं। रिद्धि की वृद्धि तो मनुष्य के शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक आदर्श और सुख व प्रत्यक्ष शक्तियों को कम करके उसके जीवन की उन्नति को ठेस पहुँचा सकती है।

—किशोरलाल मश्रूवाला

पिछले अव्यायों में भोजन, वस्त्र और मकान आदि के बारे में लिखा गया है। इनका मानव जीवन में बड़ा महत्व है। हम क्या खाते-पीते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे स्थान में रहते हैं, इन बातों का असर हमारे जीवन पर तो होतां ही है, कुछ अश में दूसरों के जीवन पर भी होता है, कारण, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वह अक्सर दूसरों को देखकर अपना रहनसहन का ढग निश्चित करता है, और समय समय पर उसमें आवश्यक परिवर्तन करता है। इसलिए रहनसहन के नमने वा दर्जे ऐसे बनाये जाने चाहिए, जिनसे हमारा वास्तविक हित हो, और यदि उनके अनुसार दूसरे आदमी चले तो उनका भी हित हो।

रहनसहन का दर्जा, पदार्थों का उपयोग—आजकल वहुत से आदमी समाज में सम्यका धनवान गिने जाने के लिए हमेशा इस फिक में रहा करने हैं कि उनका रहनसहन, खानपान और वेश-भूषा गढ़िया, ऊँचे टजें की दिखायी दे। यही कारण है कि काम में आने वाली चीजों की उपयोगिता का विचार मुख्य न होकर यह सोचा जाता है कि वे देवने में अच्छी हों, खूब गढ़िया, कीमती, विविध प्रकार की या नये-नये दृग की हों। हमारे उपयोग के पदार्थों की सख्ता वेशुमार है, तथा उत्तरोत्तर घटनी जा रही है, उदाहरण के लिए खाने के बास्ते तरह-तरह के विस्कुट, उबल रोटी मिटाइयों, अचार, मुरब्बे, पहनने के लिए रुड़, ऊन, रेशम, सन, पटमन आदि के भौतिभौति के कपड़े, 'बीमारियों से बचने' के लिए सैकड़ों रजिस्टर्ड पेटन्ट या अनुभूत् दवाइयों, सुनने के लिए, ग्रामोफोन और रेडियो, देखने के लिए मिनेमा और नाटक आदि, सैंधनों के लिए विविध सेन्ट या सुगन्ध वाले द्रव्य, स्वाद या जापके के लिए लेमन-प्यूस, आइस-क्रीम (मलाई का वर्फ) और चुस्की, विश्राम करने के लिए मुलायम गद्दे, तकिये और आराम कुर्सी या कोच आदि, मनोरजन के लिए उम्म्यास, नाटक, कहानियों संगीत और चित्रादि। अनेक आठमियों के लिए यह सब कुछ है, और इससे वहुत अविक है। फिर भी उन्हें सतोष या शान्ति नहीं।

पाश्चात्य देशों में लोगों का जीवन—नमाज में रहनसहन वा दर्जा ऊँचा दिखाने के लिए इगलैण्ड में आदमी केसा जीवन विता रहे हैं, इस पर प्रकाश डालते हुए श्री विलफ्रेड वेलाक ने लिखा है—‘जहाँ तक विटेन का सम्बन्ध है, अविकाश लोगों के लिए रहनसहन का दर्जा घटने का मतलब नह है—प्रति दिन आठ घण्टे का नीरस और निर्यक काम जिसमें उनकी सर्जक शक्ति का कोई उपयोग नहीं होता, तथा घटले से घटनी मजबूरी कि वे मनचाही शराब और सिगरेट खरीद सके, सिनेमा देख सके और फुटबाल, ब्लैन्डजी तथा कुत्तों और घोड़ों की ट्रौड को लेकर जो अनेक नमाझे और जुए होते रहने हैं, उनमें भाग ले सके। त्रियों के लिए भी उसमा यही मतलब है कि वे नियम से सिनेमा देखती रहें तथा सिगरेट पीती रहें और तग्द-तरह के अगरागों ते शरीर सजाती रहें।

‘साल में आठ-नौ महीने तक प्रति शनिवार लगभग १०-२० लाख लोग लगातार ऐसे तमाजे देखते रहते हैं, और इनसे भी ज्यादा सख्त्या में लोग इन खेतों से सम्बद्ध जुओं में भाग लेते हैं। इस तरह वे अपना अधिकाश समय और अपनी आव के ७० करोड़ पौराण उनमें प्रति वर्ष बरबाद करते हैं। तमाख शराब और जुए पर ब्रिटेन का वार्षिक व्यव अब दो अरब पौराण से भी ज्यादा है।’

इससे यूरोप अमरीका के विविध देशों की स्थिति का अनुमान किया जा सकता है।

भारत की बात—यूरोपीय देशों की अपेक्षा भारत बहुत निर्धन है, पर यहाँ भी रहनसहन का दर्जा ऊँचा करने की लहर चल रही है। शौकीनी का सामान, औषधियाँ, चाव, सीगरेट-बीड़ी आदि का उपयोग बढ़ता ही जा रहा है, सिनेमा-घरों की उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। एक-एक शहर में कई-कई सिनेमा-घर हैं। तो भी वे काफी नहीं समझे जाते। अनेक आदमी होठ लाल करने के लिए पान का सेवन करते हैं, उससे सतुष्ट न होकर नये शौकीन खास तरह की बत्तिया (‘लिप-स्टिक’) इस्तेमाल करते हैं। चेहरे खूब-सूख दिखायी दे, इसके लिए तरह-तरह के पाउडरों का उपयोग किया जाता है। स्त्रियाँ तो शृगार के लिए प्रसिद्ध ही हैं, हमने ऐसे पुरुष भी देखे हे, जिन्होंने अपने नख रगने के लिए ‘नेल-पालिश’ लगा रखा था।

रहनसहन का दर्जा ‘ऊँचा’ करने की अनिष्टकारी सनक—इस प्रकार अनेक आदमी अपना रहनसहन ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं, जो समाज में ऊँचे दर्जे का कहा जाता है। वास्तव में जिसे आजकल ‘ऊँचा’ दर्जा कहा जाता है, वह ऊँचा नहीं है, वह बहुत जटिल या पेचीदा अवश्य है। इसी प्रकार जो रहनसहन नीचे दर्जे का कहा जाता है, उसे सादा रहनसहन कहना चाहिए। अस्तु, जहाँ साधारण अल्प-मूल्य चीजों से काम चल सकता है, हम बढ़िया, बहुमूल्य वस्तुओं को उपयोग करने में अपना गौरव मानते हैं। इसके उदाहरण हमारे रोजमर्रा के जीवन में पग-पग पर मिलते हैं। दॉत साफ करने के लिए नीम या बबूल की दतबन बहुत उपयोगी होती है, शहरों में जहाँ इन्हें प्राप्त करने में कुछ कठिनाई है, मिट्टी, राख या नमक आदि से

अच्छा दत्त-मन्जन बन सकता है, पर शोकीनी के लिए कीमती 'दूय व्रुग' और 'दूय-पेस्ट' चाहिए, जो अगर ठीक तरह इत्तेमाल न किये जाय तो बहुत हानिकर होते हैं। कर कर या कार्टों से पांवों की रक्षा के लिए साधारण चम्पल या मामली जूते काफी हैं, पर आदमी तीस-पैंतीस स्पंथ तक के बाय इसमें भी बढ़िया बूट पहनना चाहते हैं, जिसके साथ जरावर या मोजे भी होने चाहिए, और फिर सारी पोशाक ही उस के अनुसार कीमती हुए बिना शोभा नहीं देती। जहाँ साधारण मृती कपड़ा अच्छा काम दे सकता है, रहनसहन का दर्जा ऊँचा रखने के अभिलाप्ती बढ़िया सिल्क (रेशम) आदि का बन्ध पहनना परम्परा करते हैं, और टो-तीन जोड़ी कपड़ों से सन्तुष्ट न हो ट्रक के ट्रक या अलमारिया भरे कपड़े रखते हैं, इनकी खुलाई और तह कराई में सूब खर्च करते हैं। इसी प्रकार अन्य अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं।

रहनसहन का दर्जा 'ऊँचा' होने के कारण—मनुष्यों व रहन सहन का दर्जा 'ऊँचा' होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं—

(१) आराम और भोग विलास की प्रवृत्ति। पहले बतागा जा चुका है कि मनुष्य की बहुत सी आवश्यकताएँ इसलिए होती हैं कि उसमें आराम या सुविधा प्राप्त करने की, तथा भोग विलास की प्रवृत्ति होती है। जिन वस्तुओं से उन आवश्यकताओं की पूर्ति होती प्रतीत होती है, उनका उपयोग वह गहरा ही आरम्भ कर देता है, और ऋमशः व्रदाता रहता है।

(२) अनुकरण-प्रियता। मनुष्य में दूसरों का अनुकरण या नमूने की आदत होती है। जब समाज में कोई बड़ा या प्रतिष्ठित माना जाने वाला व्यक्ति किसी पदार्थ का उपयोग करता है, तो उसकी देखाई उसके पास रहन या उसके समर्क में आने वाले भी उन पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। इच्छा समय में इन पदार्थों के उपयोग का खिलाज चल पड़ता है। इस वीच में उच्च नये फेशन निकल आते हैं।

नये-नये फेशन जैसे कुछ लास आदमियों ने देखाई सी चलते हैं, ऐसे ही कुछ देशों के अनुकरण के आधार पर भी चलते हैं। यूरोप में फ्रांस नये-नये फैशन चलाने के लिए प्रसिद्ध रहा है। भारत में अपेजों के शासन के समर-

इंगलैण्ड का बहुत अनुकरण किया गया, वहाँ तक कि अंग्रेजों के चले जाने पर भी अनेक आदमियों पर अंग्रेजी फैशन का भूत सवार है। आज कल बहुत से देशों में अमरीका के फैशनों की धूम है, वहाँ के वेश-भूषा आदि की अनेक स्थानों में नकल की जाती है।

(३) शहरी जीवन और उद्योगीकरण। फैशन अधिकतर समुदायवट्ट, शहरी, और वनी आवादी वाली वस्तियों में चलते हैं। केन्द्रित उत्पादन या यत्रोद्योगों की विपुलता में वस्तियों का ऐसा होना अनिवार्य है। इस प्रकार नये-नये फैशन खासकर पिछले देढ़ सौ साल में बहुत बढ़े हैं।

(४) व्यापारियों की स्वार्थमूलक विज्ञापनवाजी। आजकल उत्पादन पर जोर दिया जाता है। नफे को लक्ष्य में रख कर अधिक से अधिक माल पैदा किया जाता है, फिर इसे खपाने के लिए वाजारों की तलाश होती है। झूठी-सच्ची तरह-तरह की विज्ञापनवाजी की जाती है। उससे प्रभावित होकर या धोखे में आकर आदमी अनेक बार अनावश्यक या हानिकारक वस्तुएँ भी खरीद लेते हैं।

जीवन-स्तर ऊँचा होना चाहिए—यह स्पष्ट ही है कि रहनसहन का दर्जा 'ऊँचा' करने वाली वाते जीवन-स्तर को ऊँचा करने वाली नहीं कही जा सकती। भोजन, वस्त्र या वेश-भूषा आदि की वाहरी टीपटाप वाला व्यक्ति त्याग, सेवा आदि मानवी गुणों से बहुत-कुछ वचित हो सकता है, और बहुधा होता है। इसके विपरीत, एक 'अर्द्ध-नम' या 'अर्द्ध-सम्भ' गाँवी या विनोदा अपना रहनसहन सादा रखने पर भी मानव सस्कृति का कहीं ऊँचा प्रतीक होता है।

इसलिए लोगों को चाहिए कि अपने रहनसहन का दर्जा 'ऊँचा' करने और अधिकाधिक आवश्यकताएँ बढ़ाने के लिए चिन्तित न हों, और अपना जीवन-स्तर ऊँचा उठाने के प्रयत्न में लगे। इसके लिए वह आवश्यक है कि मनुष्य के जीवन-निर्वाह की न्यूनतम आवश्यकताएँ पूरी हों, जैसे स्वच्छ भोजन, वस्त्र, साफ ताजी हवा वाले मकान, बालकों की शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा सम्बन्धी यथेष्ट व्यवस्था। इसके अतिरिक्त ऐसे पदार्थों का भी अधिक उपयोग हो, जिनसे मनुष्य की निपुणता बढ़े, वह देश तथा समाज के लिए यथेष्ट उपयोगी और सुयोग्य हो। विलासिता की या कृत्रिम वस्तुओं के उपयोग से जीवन-स्तर ऊँचा नहीं होता, उससे तो वह नीचा ही होता है।

याद रहे कि किसी देश के कुछ योद्धे से आदमियों का जीवन-स्तर ऊँचा होने में ही, चाहे इससे वह दूसरे देशों में किनना ही प्रभिष्ठ हो जाय, वहाँ भी जनता का जीवन-स्तर ऊँचा नहीं कहा जा सकता। नव आदमियों का जीवन नुस्खा हो, तभी यथार्थ में देश में जीवन-न्तर का ऊँचा होना माना जा सकता है।

जीवन-स्तर पर प्रभाव डालने वाली बातें—अपना जीवन-न्तर ऊँचा करने के लिए हमें जानना चाहिए कि इस पर नीचे लिखी गयी कांगों का विशेष प्रभाव पड़ता है—

(१) स्वास्थ्य। मनुष्यों की मूल आवश्यकताएँ—भोजन, वस्त्र, आवास—पूरी होने के अतिरिक्त उनका स्वास्थ्य ठीक रहने का प्रबन्ध होना चाहिए। इसके लिए, दूसरी बातों के साथ, लोगों की शारीरिक ही नहीं, मानसिक स्वच्छता या सफाई की भी बहुत जरूरत होती है। अफसर आदमियों की निजी या पारिवारिक स्वच्छता की ओर व्यान दिया जाता है, वह काफी नहीं है। सामाजिक अर्थात् मुहल्ले और बस्ती की भी सफाई होती रहनी चाहिए, इस दिशा में बहुत सुधार होने की आवश्यकता है।

(२) इतियनिग्रह और स्यम। जो आदमी भोग-विलास, फशन और शौकीनी में नहीं फसता, सादा जीवन और उच्च विचार का जीवन व्यतीत करता है, उसे अपनी सारी शक्ति और समय अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में ही खर्च करना नहीं पड़ता। वह इनकी कुछ व्यत कर सकता है, और उस व्यत को वह अपना जीतन-स्तर ऊँचा करने में लगा सकता है। फिर, स्यमी पुरुष दे सन्तान कम होती है, इससे वह उनके भरणपोपण और शिक्षण के लिए अपेक्षाकृत अच्छी व्यवस्था कर सकता है। इससे सतान का भी जीवन-न्तर ऊँचा होने वा मार्ग प्रशस्त होता है।

(३) शिक्षा। शिक्षा शब्द का उपयोग हम व्यापक अर्थ में क्ष रह है, केवल अच्छर-ज्ञान के अर्थ में नहीं। अस्तु, शिक्षित व्यक्ति विचारशील और दूरदर्शी होते हैं, उन्हे अपने प्रति, सन्तान के प्रति तथा समाज के प्रति पालन किये जाने वाले कर्तव्यों का ज्ञान होता है, और वे अपने उत्तरदातिव द्वा अच्छी तरह निभाते हैं। वे अपना ही जीवन-स्तर ऊँचा नहीं रखते, वान अर्णा सतान का और समाज के अन्य व्यक्तियों का भी ऊँचा करने में लहान नहीं।

(४) लोकसेवा की भावना । जिस व्यक्ति मे लोकसेवा की भावना जितनी अधिक होगी, उसका जीवन-स्तर उतना ही ऊचा माना जायगा । इसलिए आवश्यकता है, लोगों में दूसरों की सहायता, सहानुभूति का विचार हो, वे त्याग-भाव से, सादगी से रहने का अभ्यास करें, अपने सम्पर्क से आने वाले व्यक्तियों के हित-साधन का प्रयत्न करें, सत्सग और अच्छे साहित्य का अवलोकन करें ।

जीने की कला सीखने की जरूरत—हमें उपयोग का उद्देश्य या लक्ष्य अच्छी तरह ध्यान मे रखना चाहिए । विविध पदार्थों का उपयोग हमें जीवन के विकास की दृष्टि से करना है । हमें जीवन की कला सीखनी है । हम आनन्द-पूर्वक रहें, दूसरों के लिए आनन्द, प्रेम, मित्रता और सेवा तथा त्याग की भावना रखें । ये बातें उस समय तक असम्भव हैं, जब तक हम अधिक से अधिक कीमती चीजों का उपयोग करने की चिन्ता मे ग्रस्त हैं । जब हम अपने जीवन-व्यवहार को कुछ सरल बनायेंगे, जब हम कृत्रिम, दिखावटी या बनावटी आडम्बर से मुक्ति पायेंगे, तभी हम अपनी सकीर्ण और छुट्ठ परिधि से निकल कर महत् जीवन का अनुभव कर सकेंगे । इस समय जीवन हमारे सामने गौण है, हम जीते हैं तो सुन्दर बढ़िया चीजें खाने के लिए, और तरह-तरह की वेश-भूषा करने के लिए । हमारा समय शारीरिक या भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति मे जा रहा है, और उनके पूरा न होने से हमारे मन मे क्षोभ है, भुझलाहट है । जब हम क्षणिक इन्द्रिय-सुख को लात मार कर सच्चे जीवन को प्रधानता देंगे, और जीवित रहने के लिए ही विविध आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, तभी हमें जीवन के वास्तविक सत्य का ज्ञान होगा और हम जीवन की कला सीखने वाले होंगे ।

तीसरा खड़

उत्पत्ति

- १२—उत्पत्ति का उद्देश्य
- १३—उत्पत्ति के साधन
- १४—भूमि
- १५—थ्रम और वाँछिक कार्य
- १६—थ्रम-विभाग और थ्रम-समन्वय
- १७—पूँजी
- १८—खेती
- १९—ग्रामोद्योग
- २०—यंत्रोद्योग
- २१—जन संख्या

अर्थशास्त्री मनुष्यों के आचरण पर विचार न कर अधिक पैसा बटोर लेने को ही अधिक उन्नति मानते हैं और जनता के सुख का आधार केवल धन को बताते हैं। इसलिए वे सिखाते हैं कि क्लांकौशल आदि की वृद्धि से जितना धन इकड़ा हो सके, उतना ही अच्छा है।

जिस धन को पैदा करने में जनता तबाह होती हो, वह धन निकम्मा है। आज जो लोग करोड़पति हैं, वे बड़े-बड़े और अनीतिमय सम्राटों के कारण करोड़पति हुए हैं। वर्तमान युग के अधिकांश युद्धों का मूल कारण धन का लोभ ही दिखायी देता है।

*

*

*

आप अहिन्सा का निर्माण बड़ी मिलों (केन्द्रित उत्पादन) की सम्यता पर नहीं कर सकते, किन्तु उसका निर्माण स्वावलम्बी गाँधी के आधार पर हो सकता है।..... मेरा सुझाव है कि यदि भारत को अहिन्सक रीति से विकास करना है तो उसे बहुत बातों का विशेषज्ञ करण करना होगा।

—गांधीजी

वारहवॉ अंग्रेज

उत्पत्ति का उद्देश्य

भारत का, और हाँ, ससार का अर्थविद्यान ऐसा होना चाहिए कि किसी व्यक्ति को भोजन और वस्त्र के अभाव का कष्ट न हो, दूसरे शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति को अपना निर्वाह करने के लिए यथोष्ट कार्य पाने योग्य होना चाहिए।

—गांधीजी

विविव वस्तुओं का उत्पादन इमलिए किया जाता है कि उनके द्वाग लोगों की आवश्यकताएँ पूरी हो। आवश्यकताएँ अनेक हैं, पर वे खानकर टो तरह की होती हैं—(१) बुनियादी, आधारभूत या मुख्य और (२) कृत्रिम, दिसावर्टी या गौण। बुनियादी जस्तरतो में प्रधातिट्ठ पदार्थों (हवा, प्रकाश, पानी, मिट्टी) के अतिरिक्त भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्यादि का समावेश है। कृत्रिम आवश्यकताओं की तो कोई सीमा ही नहीं, इनकी पूर्ति से जीवन निर्वाह या विकास नहीं होता, ये मौज-शौक या ऐशोआराम के लिए होती हैं।

उत्पत्ति में बुनियादी आवश्यकताओं को प्रधानता देने की जहरत—वह स्फट ही है कि प्रत्येक आदमी को पहले ऐसी ही चीज उत्पन्न करनी चाहिए, जो बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली है। परन्तु वर्तमान अर्थव्यवस्था में अनेक आदमी ऐसे ही पदार्थों के उत्पादन में लगे रहते हैं, जिन्हे प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए। उठाहरण के लिए जब कि जनता के खाने के लिए अन्न की कमी है, वे अपनी भूमि में जूट या कपान दड़ बरते हैं, जिससे वे उन पदार्थों को बेच कर अन्न की अपेक्षा अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकें। वह व्यवहार अनुचित और अमानवीय है।

उत्पत्ति का उद्देश्य मुनाफा नहीं होना चाहिए—लोगों के ए-

व्यवहार का कारण उनका ज्ञुद स्वार्थ है। वे ऐसी ही वस्तु की उत्पत्ति करते हैं, जिससे उन्हें अधिक से अधिक नफा हो। उनका मुख्य लक्ष्य अपने मुनाफे का रहता है, उनके कार्य से समाज का, और अनेक दशाओं में स्वयं उनका भी हित होता है या नहीं, अथवा उनकी उत्पादन-विधि से श्रमियों के कुशल-ज्ञेम फी बढ़ि होती है, या नहीं, इसकी वे परवाह नहीं करते, या यों कह सकते हैं कि उतनी ही परवाह करते हैं, जितनी कानून-भग के दोषी होने से बचने के लिए करना जरूरी हो। असल में, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि बाहरी दबाव के बिना, स्वेच्छा से ही नीति का पालन करें, और मुनाफेखोरी की भावना न रखें।

सेवा-भाव होना चाहिए—मनुष्य को अपने अन्य कार्यों की भाँति उत्पादन में भी सेवा-भाव रखना चाहिए। जो व्यक्ति सेवा-भाव से उत्पादन करता है, उसे अनेक दशाओं में तरह-तरह की असुविधाएँ और कष्ट होता है। पर यह होते हुए भी, यदि वह विवेकशील है तो उसे अपने कार्य में अद्भुत आनन्द मिलता है, जो दूसरे व्यक्तियों को कभी प्राप्त नहीं होता। बात यह है कि जितना हम दूसरों से प्रेम करते और सद्भावना का परिचय देते हैं, उतना ही हमारा आत्मिक विकास होता है, हमें अपने जीवन की उपयोगिता प्रतीत होती है और हम सात्त्विक तथा स्थायी मानसिक सुख-शान्ति का अनुभव करते हैं।

उत्पत्ति के उद्देश्य के अनुसार उत्पादन-विधि—मुनाफेखोरी की भावना से उत्पादन करने वाला वह विचार नहीं करता कि जो चीज मै बना रहा हूँ, वह वास्तव में आवश्यक है या नहीं, अथवा उसका कितना पारिमाण उपयोगी होगा। असल में उसके लिए वस्तु का बनाना मुख्य बात नहीं, उसकी नजर तो ग्राहकों की जेव पर रहती है, किस प्रकार उनका पैसा उसके पास आ जाय। इसमें सफलता पाने के लिए वह किसी भी कुटिल या अनेतिक उपाय काम में लाने से परहेज नहीं करता। वह उत्पादन में घटिया से घटिया सामग्री काम में लाता है, क्योंकि वह सस्ती मिलेगी, चाहे उससे उपयोक्ता को स्वास्थ्य-हानि ही हो। वह अपने बनाये पदार्थ का रूप, रग, गध ऐसा रखता है कि ग्राहक उसकी ओर आकर्षित हो जाय। उदाहरण के लिए हलवाई अपनी मिठाइयों में आटा या मैदा बहुत खराब काम में लाते हैं, धी की जगह बनस्पति-तेल

(जिसे बनस्थिति वी कहा जाता है) या दूसरी सत्ती चीज ढालता है, पर उसमें रग ढाल कर तथा गुलाब जल आदि छिड़क कर उसके दोषों को ढक देता है और ग्राहकों को आसानी से फँसा लेता है ।

इसके विपरीत, सेवा-भाव से उत्पादन करने वाले की विधि दूसरी ही होगी । वह मिठाई बनाने के लिए अच्छा बढ़िया आटा तैयार करवेगा जिसमें किसी तरह की मिलावट न हो । वह वी भी शुद्ध ही काम में लायेगा । यदि उसके बर वा वी नहीं है, तो वह बहुत विश्वास की जगह से लेगा । वह मिठाई को सुन्दर बनाने के लिए उसमें किसी प्रकार का अनावश्यक पटार्व (रग) नहीं मिलायेगा । उन्मी मिठाई की लागत ज्यादा होगी, और उसे कुछ मुनाफ़ा न होगा, उसकी मेहनत का पारिश्रमिक भी कम भिलेगा । पर उसे उसी में सतोष रहेगा । उसे यह अनुभव होगा कि मेरे द्वारा कुछ लोकसेवा हुई है, मेरा जीवन समाज के लिए उपयोगी है ।

उत्पादन-विधि का मनुष्य पर प्रभाव—आठमी के प्रत्येक कार्य वा उस पर प्रभाव पड़ता है । हम प्राय शरीर पर ही पड़ने वाले प्रभाव वी वात सौचते हैं, परन्तु उसके अतिरिक्त मन पर भी प्रभाव पड़ता है । वात यह हि कार्य करते समय हमारी जैसी भावना होती है, जैसी विचारवारा होती है, उसमी छाप मन पर पढ़े बिना नहीं रहती । यदि हम छुल-कपट या चतुराई चालाकी से दूसरा का पेसा ऐठना चाहते हैं, अपने स्वार्थ के लिए उन्हे काट देते हैं तो उनसे हमारा मानसिक पतन होता है । इसके विपरीत, जब हम अपने कार्य को करते हुए अपने सामने प्रेम, सेवा और त्याग की भावना रखते हैं तो हमें मानसिक शान्ति और सुख मिलता है, हमारे चरित्र और व्यक्तित्व का विकास होता है । इसलिए मनुष्य के स्वयं अपने हित के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने उत्पादन-कार्य का उद्देश्य मुनाफेलोरी न रख कर सेवा-भाव ही रखे । इससे उसका तो कल्याण होगा ही, समाज का भी हित होता है, उसके उथान में सहायता मिलती है ।

तेरहवाँ अध्याय

उत्पत्ति के साधन

जीवन की मूल आवश्यकताओं के पदार्थों की उत्पत्ति के साधन सर्व-साधारण जनता के नियन्त्रण में रहे।

—गांधीजी

प्रकृति मानव को जो कुछ देती है, उसे वह श्रम के द्वारा ही अपना सकता है।

—जवाहिरलाल जैन

उत्पत्ति के साधन, भूमि और श्रम—आदमी भूमि पर रहता है—चाहे वह स्थल हो, या जल या वायु। भूमि के बिना आदमी के रहने की व्यवस्था नहीं होती, फिर धनोत्पत्ति की तो बात ही क्या। आदमी को किसी भी प्रकार की वस्तु उत्पन्न करनी हो, उसके लिए भूमि अनिवार्य है। भूमि के अतिरिक्त, उत्पत्ति का दूसरा साधन श्रम है, यदि कोई व्यक्ति श्रम या मेहनत करने वाला न होगा तो धनोत्पत्ति कौन करेगा? भूमि पर आदमी काम करता है तभी धन उत्पन्न होता है।

पूँजी का विचार—आरम्भ में आदमी ने धनोत्पादन का कार्य अपने शरीर के अंगों से ही, बिना किसी अन्य साधन के, किया होगा, तथापि बहुत प्राचीन समय से वह किसी न किसी प्रकार के औजार आदि का उपयोग कर रहा है। पहले उसने लकड़ी की मदद ली, पीछे पत्थर या लोहे आदि के औजार बनाये और पशुओं को पाल कर अपना सहायक बनाया। ये औजार आदि मनुष्य की पूँजी है। पूँजी उस वन को कहते हैं, जो और अधिक धन पैदा करने में सहायक हो। इसका खुलासा विचार 'पूँजी' नाम के अव्याय में किया जायगा।

स्मरण रहे कि उत्पत्ति पर भूमि के तल के अलावा उसके भीतरी भाग (भू-नार्म), जल-वायु, वर्षा आदि का भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए इन्हें भी

भूमि के अन्तर्गत समझा जाता है। अर्थशास्त्र में, भूमि में वे सभ उपयोगी वस्तुएँ आ जाती हैं, जो मनुष्य ने न बनायी हों, उदाहरण के तौर पर जगल पहाड़, सान, नदी, झील, तालाब और समुद्र आदि, और इनसे अपने आप विना मेहनत मिलने वाले विविव पदार्थ—लकड़ी, पशु-पक्षी, औपवियों, वातुएँ शख, मोती, मछलियों आदि। इसी तरह कुदरती तौर पर मिलने वाली जल-शक्ति, वायु-शक्ति, सूर्य का प्रकाश आदि भूमि में ही गिने जाते ह। इसलिए भूमि की जगह 'प्रकृति' शब्द का भी उपयोग किया जाता है।

वर्तमान अर्थशास्त्र में श्रम की अपेक्षा पूँजी को बहुत ही अधिक महत्व दिया जाता ह। यह कहाँ तक टीक है ? किसान भी पूँजी वैज, हल डैन, आर प्राट आदि हैं। इनमें से पहले बीज की बात लीजिए। किसान को आगम्भ में भूमि से जो अन्न मिला या उसने अपने श्रम से, प्रकृति की महागता से प्राप्तिया उसमें से कुछ उसने खाया और कुछ आगे के लिए बचा कर गया। इन चलाये हुए अन्न में से कुछ का उसने बीज के लिए उपयोग किया। इस प्रभाग बीज भी उत्पत्ति में मूल साधन भूमि और श्रम ही है। इसी प्रकार हल आ विचार करें। इसकी लकड़ी या लोहा उसे भूमि से मिला है, और अपने श्रम से उनने इन चीजों का हल बनाया है। वैलों की भी यही बात है। पशु तो प्रकृति से प्राप्त है ही मनुष्य ने अपने श्रम से उन्हें अपने काम में आने लायक बनाया है। याद के बरे में भी कोई नवी बात नहीं है, आदमी ने अपने श्रम से इसे प्राकृतिक भदार में से संग्रह किया है। निदान, जिन चीजों को वर्तमान अर्थशास्त्रिया न कियान की पूँजी कहा है उनका मूल भूमि और श्रम ही है। इसीलिए पूँजी भी अपेक्षा श्रम को कहीं अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, नवोदय अर्थजान्त्र में ऐसा ही किया जाता है।

वया प्रवन्ध और साइम भी उन्पन्नि के साधन हैं?— प्राय, वर्तमान या पाञ्चाल्य अर्थशास्त्रियों का कथन है कि भूमि, श्रम और पूँजी से ही धनोत्पत्ति का कार्य नहीं हो सकता, जब तक भी कोई व्यक्ति इन तीनों को उकटा न करे और यह निश्चर न करे कि अभी उत्पादन के लिए इन तीनों में से प्रत्येक की कितने-किनने परिमाण में व्यावर्जकता है। किंतु आज कल धनोत्पादन की विधि में बहुत अन्तर हो गया है। एक-एक ग्रन्ति कागजाने

में हजारों आदमी इकट्ठे होकर काम करते हैं। इन सब को अपने-अपने निर्धारित कार्य में लगाने के लिए एक पृथक् व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जो इस ब्रात का प्रबन्ध करे कि कौनसा काम (या काम का हिस्सा) कब और किस प्रकार किया जायगा, तथा कौन-कौन आदमी कहाँ-कहाँ काम करेगे, भूमि कौनसी अच्छी है और लाखों या करोड़ों रुपये की आवश्यक पैंजी कैसे, कहाँ-कहाँ से कितनी-कितनी मात्रा में सग्रह की जायगी। इन सब ब्रातों के प्रबन्ध को उत्पत्ति का एक जुदा (चौथा) सावन मानना चाहिए। इसके अतिरिक्त, वर्तमान अर्थशास्त्रियों के अनुसार, आजकल उत्पत्ति के लिए एक और व्यक्ति या व्यक्ति-समूह की आवश्यकता है, जो उसकी हानि-लाभ का जिम्मेवार हो, जो कल-कारखाने को चलाने की जोखम उठावे। ऐसे 'साहस' को धनोत्पत्ति का एक अलग (पॉच्चवा) साधन माना जाता है।

विचार कर देखा जाय तो प्रबन्ध और साहस उत्पत्ति के पृथक् और स्वतन्त्र साधन नहीं हैं। ये एक प्रकार से श्रम के ही रूप हैं। प्रबन्धक सब श्रमियों का निरीक्षण और नियन्त्रण करता है और भूमि और पैंजी का प्रबन्ध करता है। आधुनिक बड़ी मात्रा की उत्पत्ति में इसका बड़ा महत्व गिना जाता है। पर यह है वौद्धिक कार्य का ही रूप।

इसी प्रकार साहसी भी बुद्धिजीवी हैं, जो हानि-लाभ की जोखम उठाकर बड़े पैमाने के उत्पादन का जिम्मा लेता है, और उसके चलाने की जिम्मेवारी लेता है, तथा यदि वह डूब जाय तो उसकी हानि सहने को तैयार रहता है। यह सब आखिर है तो वौद्धिक कार्य ही। ऐसा कार्य करने वाला, प्रायः अपने लाभ को दृष्टि में रखकर धनोत्पत्ति के सावन छुटाता है, और वर्तमान दशा में लोकहित को गौण मान कर और बहुधा उसकी उपेक्षा कर दूसरों के श्रम से अपना स्वार्य साधन करता है।

अस्तु, प्रबन्ध और साहस उत्पत्ति के पृथक् या स्वतन्त्र साधन नहीं, ये वौद्धिक श्रम के ही रूप हैं। इस के सम्बन्ध में खुलासा विचार आगे किया जायगा।

इन दोनों साधनों को सयुक्त नाम 'व्यवस्था' दिया जाता है।

चांदहवां अध्याय

भूमि

जैसे हवा और पानी पर सब का हक है, वैसे जमीन पर सब का हक है, और जबकि कई लोगों के पास बिलकुल जमीनें नहीं हैं, उस हालत में वहुत ज्यादा जमीन अपने पास रखना गलत चात है।... यह कभी नहीं हो सकता कि आम जनता को जमीन में महसूस रखा जाय और जनता इस चीज़ को कायम के लिए वरदाश्त करे। — विनोदा

जिस तरह हवा और पानी मनुष्य की उतनी ही निजी सम्पत्ति है, जितनी वह सास लेकर और पीकर अपना सके, उम्मी तरह कोई भी व्यक्ति उतनी जमीन अपनाने का हकडार है, जितने पर वह अपने शरीर-श्रम से पैदा कर सके। — धीरेन्द्र मज्जमढार

भूमि का लेत्र—पिछले अन्याय में वहा गया है, कि उत्पत्ति के तीन साधनों में से एक भूमि है, वहाँ इसके सम्बन्ध में विशेष विचार करना दे। जैसा पहले बताया जा चुका है अर्थशास्त्र में भूमि का अर्थ केवल पृथ्वी-तल ग जमीन से ही नहीं लिया जाता, बरन् इसके अन्तर्गत वे सब पदार्थ तथा शक्तिया समझी जाती हैं, जो प्रकृति से प्राप्त होती हैं, और जिन्हें मनुष्य श्रम के द्वारा अपने लिए उपयोगी बनाता है। इस प्रकार इसमें निम्नलिखित वस्तुएँ तथा शक्तियाँ सम्मिलित हैं —

१—पृथ्वी-तल तथा पृथ्वी से प्राप्त होने वाले पदार्थ जैसे लोहा, कोपला, सोना, चादी, अन्य धातुएँ, मिट्टी का तेल, कुण्ड या श्रोत का जैल, और भूमि की उत्पादक शक्तिया तथा जगल में निलने वाले पदार्थ, विविध जटी-बटी आदि।

२—भूमि के ऊपर का जल, नदी, तालाब, झील, समुद्र और इनमें मिलने वाली मछलिया, शख, मोती आदि।

३—वायु, गर्भा-सर्दी, प्रकाश, वर्षा, तथा जल-शक्ति, वायु-शक्ति, सूर्य-शक्ति आदि ।

इनमें से प्रत्येक के विषय में अलग-अलग व्योरेवार लिखने की यहाँ आवश्यकता नहीं । कुछ थोड़ी सी बातों का विचार करना है । हमारा विशेष व्यान इस और रहना चाहिए कि उत्पत्ति के लिए इनका उपयोग करने में हमारा दृष्टिकोण उदार और व्यापक रहे । किसी का उपयोग कुछ थोड़े से व्यक्तियों के स्वार्थ-साधन में न होकर मानव समाज के हित की दृष्टि से होना चाहिए ।

प्राकृतिक परिस्थिति का आर्थिक जीवन पर प्रभाव—जिस देश की जैसी प्राकृतिक स्थिति, जल-वायु, वर्षा आदि होती है, वहाँ उसके अनुसार ही आर्थिक जीवन का निर्माण होता है । परिस्थिति अनुकूल होती है तो आवश्यक वस्तुएँ सहज ही पैदा हो सकती हैं और मनुष्य का जीवन सुखमय बीतता है । उसे खूब अवकाश मिलता है, वह कलाओं का विकास करने और आव्यासिक बातों को सोचने में लग जाता है । परन्तु वह आरामतलब और आलसी भी हो सकता है । यदि परिस्थिति प्रतिकूल होती है तो उसे अपने निर्वाह आदि के लिए आवश्यक वस्तुओं की उत्पत्ति में बहुत श्रम करना होता है और उसका जीवन बहुत कष्टमय रहता है, परन्तु इससे उसे कुछ दशाओं में मेहनत करने की आदत पड़ जाती है, और वह तरह-तरह के आविष्कार करने लगता है ।

मनुष्य ने अपने प्रयत्न द्वारा बहुत से स्थानों में प्राकृतिक परिस्थिति में आवश्यक परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाने में एक सीमा तक सफलता प्राप्त की है । अनेक अनुपजाऊ स्थानों को हरा भरा बनाया गया है, रेगिस्तान में नहरे निकाल कर उसका कायाकल्प किया है, पहाड़ को चीर कर उसमें से आनेजाने का रास्ता बना लिया है, समुद्र के किनारे को मिट्टी से पाटकर उस पर

बना लिये है, ऊचे-ऊचे दुर्गम पहाड़ी स्थानों को उपयोग में लाया गया

। नकली भीले और सरोवर आदि बनाये गये हैं । इस प्रकार मनुष्य विज्ञान से प्रकृति पर नयी-नयी विजय प्राप्त करने का दम भरता जा रहा है । तथापि समय-समय पर प्रकृति अपनी विशाल या अजेप

शक्ति का परिचय देती रहती है। जब उसका कोप होता है, तो वर्षों के प्रवलन से बनाये हुए नगर भूकृष्ण आदि से वात की वात में धराशायी हो जाते हैं, जहाँ हम वरावर म्यल टेक्ने के अभ्यस्त रहे हैं, वहाँ एक दम जल-ही-जल हो जाता है। अस्तु, प्राकृतिक नियति का मनुष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

जंगल—जगलों से मनुष्य को कई तरह के लाभ है—(१) ये वायु को शुद्ध करते हुए मनुष्य के स्वास्थ्य को बनाये रखने तथा उने सुधारने में नहायक होते हैं। (२) ये वर्षों के पानी को जलदी व्यक्ति चले जाने से रोकते हैं और उसे जमीन में इकट्ठा करके उसे पीछे बीरे-बीरे देते हैं। (३) पेड़ों के पत्ते द्वा को तरी टेकर उसकी गर्मी को कम करते हैं, इस प्रकार ये गर्म प्रदेशों की उम्मता को नियन्त्रित करके मनुष्य के लिए अनुकूल बनाते हैं। (४) इनसे पशुओं के चरने के लिए अच्छी चरागाहे होती हैं। तथा इमारतों और दैधन आदि के लिए लकड़ी मिलती है, (५) इनसे कई अन्य उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे गोद, खड़, लाय, चमटा, रगने के लिए पेड़ों की छाल, तरह-तरह के मसाले, तथा कागज बनाने की धास आदि। (६) जगलों से भूमि पर वर्षों भी अधिक होती है। (७) पेड़ों की जड़े मिट्टी को बांधे रहती हैं। इससे नदियों भी चाढ़ आदि के कारण मिट्टी कम वहती है, और भूमि का कटाव रक्त रहना है। (८) जगलों से अनेक प्रकार के पशु पक्षी तथा बनसपतियों प्राज्ञ होती हैं, जो मनुष्य के बहुत काम आती हैं।

आवादी बढ़ने से बहुत से स्थानों में जगलों को काट कर उस भूमि को निवास-योग्य बनाया जा रहा है। फिर, मनुष्यों को इमारतों तथा दैधन के लिए भी लकड़ी की जरूरत बढ़ने से जगल अधिकाधिक काटे जा रहे हैं। इससे अन्य सम्पत्ति कम होती जा रही है। इसलिए वनों की रक्षा और उन्नति की ओर ज्ञान-ध्यान बना रहना चाहिए, यथा-सम्मव सून्वे या बेकार पेड़ों को ही काटा जाय, अन्य पेड़ों का उपयोग बहुत किफायत से होना चाहिए, साथ ही नये-नये पेड़ों को लगाने तथा उन्हें बढ़ाने का क्रम वरावर चलता रहना जरूरी है। अन्ध जगलों में वासीं के आपस में खड़ने से आग लग जाती है, और उससे नम्र विनाश हो जाता है। उसकी चोकसी रखने की ज़रूरत है।

नदियों—नदियों का मानव जीवन पर आरम्भ से ही बहुत प्रभाव रहा है। नादियों ने मनुष्य को शारीरिक एवं मानसिक भोजन दिया है। अनेक तीर्थ स्थान तथा व्यापारिक नगर किसी न किसी नदी के किनारे बसे हैं, और उससे सौन्दर्य प्राप्त कर रहे हैं। प्राचीन काल में मनुष्यों के समूह के समूह नदियों के किनारे रहते आये हैं। 'जय मातु गगे' तथा 'जय जमुना मैया' के धोप या नारो में गगा जमुना को माता के रूप में मानना विना कारण ही नहीं हुआ है। प्राचीन सम्प्रताओं का उद्गम नदियों और समुद्र के तट पर ही विशेष हुआ है। इन्होंने मनुष्य जाति के खासकर आर्थिक इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लिया है। नदियों से खेती में सहायता मिलती है, और मछलियों आदि प्राप्त होती है। नदियों के डेल्टों और टापुओं की जमीन बहुत उपजाऊ होती है। नदियों के रास्ते यातायात और यात्रा-कार्य सुगम होता है। हाँ, नदियों की बाढ़ से बहुधा गाँव नष्ट हो जाते हैं, और माल असबाब तथा मनुष्य और पशु वह जाते हैं। लेकिन बाढ़ से यह लाभ भी होता है कि कहीं-कहीं भूमि पर उपजाऊ मिट्ठी के परत जम जाते हैं, सखे और बजर स्थानों में तरावट पहुँच जाती है, एवं ऊसर और रेह वाली मिट्ठी वह जाती है।

नदियों से नहरे काट कर, वर्षा न होने के समय में भी खेती की जाती है। ऐसी व्यवस्था की जाती है कि नदियों अधिक उपयोगी हो और इनकी बाढ़ से हानि यथा-सम्भव न हो। इनके बांध बना कर तथा इनमें से नहरे निकाल कर अधिकाधिक क्षेत्र में सिर्चाई की जाती है, इनसे बड़े पैमाने पर बिजली पैदा की जाती है। यातायात की सुविधा के लिए इन पर पुल भी बनाये जाते हैं।

एक बात ऐसी है जिस की ओर बड़ी वेपरवाही की जाती है; वह है नदियों की स्वच्छता। अनेक स्थानों में बस्तियों का मल-मूत्र वह कर नदियों में मिल जाता है, कुछ शहरों के पास तो कल कारखानों का गन्दा पानी भी इन्हीं में मिला दिया जाता है। इससे प्रायः बस्तियों के पास नदियों का जल स्वच्छ

रहता और जो आदमी वहाँ नहाते हैं, अथवा इस जल को पीते हैं, उन्हें का यथेष्ट लाभ नहीं मिलता, कुछादशाओं में हानि ही होती है। आवश्यकता कि मल-मूत्र और गटे पानी का, खाद आदि के लिए उपयोग किया जाय, उसे नदियों में न मिलने दिया जाय, और यदि वह कहीं मिले भी तो बस्ती से

काफी फासले पर, जिससे वह दूर तक वहने से न्यन्त्र हो जाय और बस्ती के आदमियों के लिए उस जल का उपयोग हानिकर न हो।

खनिज पदार्थ—भूमि से मनुष्य को तरह-तरह के खनिज पदार्थ मिलने हैं, जो शुद्ध किये जाने पर बहुत उपयोगी होते हैं। इनके बारे में यह बात याद रखनी है कि जब ये खानों से एक बार निकाल लिये जाते हैं तो वे सदा के लिए खाली हो जाती हैं, धातुएँ किर पंडा नहीं की जा सकती। इसलिए उन्हें सावधानी से तथा वैज्ञानिक पद्धति से निकाला जाना चाहिए, जिससे इनका कोई भाग अनावश्यक रूप से नष्ट न हो। साथ ही इनका उपयोग बहुत मितव्यिता पूर्वक होना चाहिए—इसमें भावी पीटियों की आवश्यकता का यंकट ध्यान रहना चाहिए।

पशु-पक्षी—जगली और पहाड़ी में तरह-तरह के अनेक पशु-पक्षी पाये जाते हैं। क्रमशः उनमें से कुछ के बारे में आदमी को मालूम हुआ कि उन्हें मार कर खा लेने की अपेक्षा उन्हें पालना अविकल्प लाभदातक है। तब गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि से पीने के लिए दूध लिया जाने लगा। बोड़ा, गधा, बैल, भैंस, ऊट, हाथी और खच्चर आदि सवारी तथा सामान दोने के काम में लाये गये। प्रायः उपयोगिता की हासिली से विविध स्थानों में भिन्न-भिन्न पशुओं को विशेष महत्व दिया गया, उदाहरण के लिए भारत में गाय का खास स्थान है। समुद्र और नदियों में दूसरे जानवरों के अलावा मछुलियाँ बहुतायत ने मिलती हैं, जिन्हें आदमी खासकर खाने के काम में लाता है। पशुओं की तरह अनेक पक्षी भी आदमी के बहुत काम आते हैं। हाँ, कुछ पशु-पक्षी ऐसे भी हैं जो मनुष्य को तरह-तरह का नुकसान पहुँचाते हैं, और जिन्हें वह आज तक अपने लिए उपयोगी नहीं बना सका है। अपने जीवन तथा सुख-सुविधा के लिए उसे इनको मारना पड़ता है। वर्तमान दशा में उसे क्षम्य कहा जा सकता है और कुछ दण्डों में आवश्यक भी माना जा सकता है, पर जो पशु-पक्षी किसी प्रकार हानि नहीं पहुँचाते, उन्हें अपने स्वाद, फैशन या गौमीनी के लिए मारना कहाँ का न्याय है। चहचहाते जगतों को निर्जीव करने का प्रयत्न केवल उचित कहा जा सकता है।

प्राकृतकि शक्ति—आदमी की विशाल शक्ति का रहस्य यह है कि वह अपने शरीर के अंगों पर ही निर्भर न रह कर, दूसरे साधनों की सहायता ले सकता है। बहुत प्राचीन समय से ही वह विविध औजारों से काम लेता रहा है और उनमें समय-समय पर सुधार करता रहा है। इनके अतिरिक्त उसने पशुओं का उपयोग किया। बाद में भाषा आदि का उपयोग जान लेने पर उसने उससे चलने वाली मशीनों का आविष्कार किया। भाप से चलने वाले यत्रों में कोयले या ईंधन का खर्च बहुत होता है। क्रमशः आदमी को पेट्रोलियम का उपयोग ज्ञात हुआ, मशीने चलाने में इससे खूब काम लिया जा रहा है। ऊचे-ऊचे पहाड़ों के जल प्रपातों से तथा बड़ी-बड़ी नदियों से विजली पैदा करके लाभ उठाने का प्रयत्न हो रहा है। जिन स्थानों में वायु-शक्ति वडे परिमाण में है, वहाँ उसका उपयोग हो रहा है। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि एटम-वर्म और हाइड्रोजन वर्म में प्रग होने वाली परमाणु-शक्ति का उपयोग इजिन आदि विविध यत्रों के चलाने में सफलता-पूर्वक हो सकेगा। उष्ण कटिवन्ध के देशों में सर्व के-प्रकाश (धूप) से मिलने वाली शक्ति अनन्त है, उसे इकट्ठा करके सचालन-शक्ति के रूप में लाने की दिशा में प्रगति हो रही है। हाँ, किसी शक्ति को खर्च करते समय यह व्यान में रखना आवश्यक है कि वह कहाँ तक उचित और अनिवार्य है।

भूमि सामाजिक सम्पत्ति है; किसी की निजी मिलकियत नहीं—भूमि प्रदूति की देन है, वह सब के लिए है। प्राचीन काल में भूमि व्यक्ति की सम्पत्ति न होकर कवीले या समूह की सम्पत्ति मानी जाती थी। कुछ देशों में पिछली शताब्दी तक ऐसी ग्राम-संस्थाएँ रही हैं, जिनका उनके ज्ञेत्र की सब भूमि पर अधिकार था। कोइ व्यक्ति अपने यहाँ की ग्राम-संस्था की अनुमति या रजामन्दी से ही निर्धारित जमीन में खेती कर सकता था।

पृथ्वी का मालिक भगवान है, जिसका साकार रूप समाज है। पृथ्वी सब सब की माता है। माता का प्रेम प्राप्त करने का अधिकार प्रत्येक सतान को है, जो उसकी सेवा करे। इस प्रकार जमीन की पैदावार का अधिकार उसी को है, जो खेती करने की मेहनत करे। जो आदमी खेती करना जानता नहीं और

खेती करना चाहता नहीं, वह जमीन उपयोग करें, पर मर्यादा अन्याय ह अनुचित हे।

भूमि का उपयोग समाज-हित की दृष्टि से होना चाहिए— हम भूमि की उपयोगिता का जो लाभ उठा रहे ह, वह समाज की सहायता में ही सम्भव हुआ ह। किस-किस तरह की जमीन में क्या-न्या चीजें पेंदा हो सकती हैं, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए क्या-न्या उपाय काम में लाये जाने चाहिए—इन बातों का ज्ञान आदमी की अनेक पीढ़ियों ने लगातार खोख करके प्राप्त किया है। खेती के ओजार बनाने में अनेक आदमियों का शरीर-अम और दुष्टि लगी है। इसलिए किसी वक्ति या परिवार का उस पर विशेष ग्रन्तिग्राम जमाना अनुचित है। जैसा कि श्री जो का कुमारपणा ने कहा है—

‘धूप हवा, पानी बर्गेरा में मिलिक्यत हो ही नहीं सकती, इसी तरह से जमीन पर कोई कव्जा नहीं माना जा सकता। यह समाज की मानी जानी चाहिए। किसी आदमी को उतनी ही जमीन दी जा सकेगी, जितनी समाज के भले के लिए इस्तेमाल करने की उसमें योग्यता हो। जमीन पर मिलिक्यत तो समाज की ही होनी चाहिए। जो आदमी जिस जमीन पर काश्त करे, उसे उस जमीन की पेंडावार का पूरा कायदा मिलना चाहिए और जो वेशी बचे, सिर्फ उसे ही दूसरे लोगों में बाँटा जाय। जब यह रिवाज चालू होगा, तभी बैटवारा-न्याय कायम हो सकेगा। बाँटने के काम एक-एक आदमी के सुपुर्दे न हो कर सहयोगी नमितियों के सुपुर्दे हो।’^१

अन्तर्राष्ट्रीय हित का ध्यान रखने की आवश्यकता—भूमि ने सम्बन्ध में हमारा दृष्टिकोण राष्ट्रीय ही नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय होना चाहिए। पहले बताया जा चुका है कि मानव जाति को भिन्न-भिन्न दुर्घटों में बॉट कर उन्हें हित का अलग-अलग विचार करना अनुचित और विनाशकारी है। मानव समाज के एक हिस्से का अपने स्वार्थ में लीन होना अन्तत उसके लिए भी हानिग्रह है। इसलिए भूमि की व्यवस्था में हमें अपने नामने समाज के किसी ननीर्ण

¹. ‘गाँधी-अर्व विचार’ से।

रूप को न रख, उसके पूर्ण और व्यापक स्वरूप का व्यान रखना चाहिए। वर्तमान दशा में इस ओर घोर उपेक्षा हो रही है।

उदाहरण के तौर पर भारतीय सध के १२ लाख वर्गमील के क्षेत्र में ३६ करोड़ आदमी रह रहे हैं, और इसके पास आस्ट्रेलिया है, जिसका क्षेत्रफल इससे ढाई शुना अर्थात् ३० लाख वर्गमील होने पर भी उसकी आवादी केवल ७५ लाख है। इसका अर्थ यह है कि जब कि भारत में प्रति वर्गमील आवादी ३०० है, आस्ट्रेलिया में वह औसत सिर्फ ढाई है, एक का दूसरे से १२० और १ का अनुपात है। फिर भी आस्ट्रेलिया भारतवासियों के लिए तथा सभी रगदार जातियों के लिए अपना द्वार बन्द किये हुए हैं। वह केवल गौर वर्ण का स्वागत करता है। दक्षिण अफ्रीका की वर्ण-विद्वेष नीति का कटु अनुभव हम चिरकाल से करते आ रहे हैं। प्रायः गौराग जातियाँ अपने लिए अधिक से अधिक भूमि को सुरक्षित रखना चाहती हैं। खासकर सयुक्त-राज्य अमरीका के विशाल और उपजाऊ प्रदेश में अन्य देशों के काफी आदमी रखने की क्षमता है। निदान, वर्तमान भूमि-व्यवस्था की यह विषमता दूर की जानी चाहिए।

यह कार्य अच्छी तरह तभी होगा, जब ससार के सब देशों का एक राज्य और एक विश्व-सरकार स्थापित होगी। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए किसी को दूसरों की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। जो भी राज्य इस शुभ कार्य में अग्रणी हो सके, उसे अपना कर्तव्य पालन करके दूसरों के लिए उदाहरण बनना चाहिए। इसी प्रकार व्यक्तियों को राज्य के कानून बनने की राह देखना अनुचित है। जो भी व्यक्ति इस दिशा में कुछ अच्छा कदम उठा सके, उन्हे इसमें ढील न करनी चाहिए। इस विचारधारा के, गाँव-गाँव और नगर-नगर में प्रचार होने की आवश्यकता है।

भूमि-वितरण के तरीके, श्री विनोद का शिक्षाप्रद उदाहरण—
भूमि-वितरण के तीन तरीके हैं:— (१) बड़ी-बड़ी जमीनों के मालिकों से जबरदस्ती जमीन छीन कर उसे भूमिहीनों में बॉट देना। इसके लिए हत्या और खून-खराकी की भी आवश्यकता हो सकती है और इसे शान्ति-पूर्वक स्थायी रूप में रखना भी कठिन है। इससे प्रजातत्र को खतरा तथा अधिनायकवाद की तैयारी होने की आशका होती है। (२) कानून द्वारा उचित मुक्रावजा देकर,

जर्मीटारो से उनके पास की अनिरिक्त भूमि लेकर उसे भूमि हीनों में बाटना। मुत्त्रावजे का प्रयत्न कितनी कठिनाइयाँ पेटा करना है, और यह कितना अच्छवहारिक है, इसका अनुभव भारतवासियों को गतवर्षों में अच्छी तरह हो चुका है। (३) अधिक भूमिवालों का इण्टिकोण बदल कर उनसे उपहार या भेट के रूप में भूमि प्राप्त करके उसे भूमि-हीन किसानों में बाटना।

श्री विनोबा ने इनसे से तीसरे तरीके को अपनाया है। उन्होंने मई-जून १९५१ में तैलगाना (हेदरावाड़) में गरीबों को बाटने के लिए लगभग तेहर हजार एकड़ जमीन हासिल की। भारत भग्न में उनका लक्ष्य सन १९५७ तक पाच करोड़ एकड़ भूमि संग्रह करना है, एक करोड़ उत्तर प्रदेश में, और ऐप अन्य प्रदेशों में। शहरी लोगों को भूमि की आवश्यकता न होने से, उन्हें छोड़ दे, तो भारत में प्रति परिवार को सात एकड़ भूमि मिल सकती है। जिनके पास इससे अधिक है, उन्हें स्वेच्छा से उसका दान भर देना चाहिए। भूमि-दान की यह पद्धति भू-स्वामियों के लिए शोभास्पद तथा भूमि-हीनों के स्वाभिमान की रक्षा है। यह अहिन्सात्मक क्रान्ति का मार्ग प्रगम्न करती है। यह कानून से भी अधिक सफल है। अगर कानून बने, और उसमें मान लो कि श्रीमानों के लिए दो सौ एकड़ भूमि की मर्यादा खत्ती जाय तो इससे कम भूमि वालों से जमीन नहीं ली जा सकेगी। पर विनोबाजी ने तो एक-एक एकड़ वालों से भी भूमि प्राप्त की है। कोई सरकारी कानून इतनी थोड़ी भूमि वालों से भूमि की मार्ग नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ हृदय-परिवर्तन हो जाता है, वहाँ ऐसी बात सहज ही हो जाती है।*

* मई १९५६ तक के भूदान सम्बन्धी आँकड़े इस प्रकार है—

प्राप्त भूमि (एकड़ों में)	४१,८२,०६१
दान-पत्र सख्त्या	५,३७,४७८
वितरित भूमि (एकड़ों में)	४८६,०५८
परिवार सख्त्या	१,४६,०४३
ग्रामदान	१,१०६

विशेष वक्तव्य—इस प्रकार भारत में एक अहिन्सात्मक क्रान्ति का प्रयत्न हो रहा है। इसकी सफलता का अनुमान सिर्फ मिली हुई भूमि के परिमाण से नहीं लगाया जा सकता, वल्कि जो वृत्ति वहा निर्माण हुई है, उससे लगाया जाना चाहिए। इस मनोवृत्ति की भूख आज हिन्द्या से यके मादे सारे सासार को है।

श्री मथुवाला ने लिखा है—‘वह सारी सफलता वल या कानून का आश्रय लिये बिना हुई है। इससे जाहिर है कि मनुष्य इतने नहीं गिर गये है, जितने हम कभी-कभी निराशा के क्षणों में सोचने लगते हैं। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा की तरह मनुष्य आज भी अहिन्सा की वाणी से प्रभावित होता है, हा, वह किसी प्रेम-मूर्ति साधु-पुरुष के मुह से निकलनी चाहिए।’ क्या भारत में ऐसे प्रेम-मूर्ति साधु-पुरुषों की परम्परा नहीं बनी रह सकती? और क्या सासार के अन्य देशों में उनका अभाव रहेगा? हमें मानवता के उदय में और मनुष्य जाति के उत्थान में दृढ़ विश्वास है।

पन्द्रहवाँ अध्याय

श्रम और वौद्धिक कार्य

हाथ पाँते का श्रम ही मज्जा श्रम है और हाथ-परों से मजदूरी करके ही आजीविका प्राप्त करना चाहिए। मानसिक और वौद्धिक शक्ति का उपयोग समाज-सेवा के लिए ही करना चाहिए। हम हाथ-पर न हिलाये तो क्या बुद्धि से खेती करेगे?

—गाधीजी

आज जहाँ मजदूरों का शरीर ज्यादा काम से विस्तार जा रहा है, वहाँ शिक्षितों का शरीर कोई काम न होने से विस्तार जा रहा है, यानी दोनों का नुकसान हो रहा है। बुद्धि की भी यही हालत है, बुद्धिमान लोगों को बुद्धि का ज्यादा काम पड़ता है, इसलिए उनकी बुद्धि विस्तीर्ण जा रही है, और मजदूरों की बुद्धि को काम नहीं मिलता, इसलिए उनकी बुद्धि चीरण होती जा रही है, इसलिए दोनों वर्गों को दोनों नरह का काम मिलना चाहिए।

—विनोदा

यदि गाँवों तथा शहरों के लोग खुद मेहनत करने लगें, खुद मड़के नहरे, खूल आदि बनाने लग जायें, दफ्तरों में वायू बनने की व्याहिश छोड़ दे और सरकार की तरफ मुँह ताकना बन्द कर दे तो थोड़े ही दिनों में हमारे देश का नक्शा बदल सकता है।

—जवाहरलाल नेहरू

पिछले अव्याय में, भूमि के विपय में लिया गया है। वह खुद अर्थात् विना मनुष्य के मेहनत किये, केवल योड़े से, सो भी कच्चे पटार्य ददा करना है। जगलों में अपने आप पेदा होने वाली चीज़, मेहनत के गिना, मनुष्य के

लिए विशेष उपयोगी नहीं होतीं। फिर, विविध उपयोगी वस्तुओं का संग्रह करके रखने में या प्राकृतिक पदार्थों को ऐसे रूप में लाने में कि वे उपयोगी हो सकें, श्रम आवश्यक है। अब इसी के बारे में विचार करते हैं।

श्रम किसे कहते हैं?—वर्तमान अर्थशास्त्र का मूलाधार धन है। इसमें श्रम के अन्तर्गत मनुष्य द्वारा किया हुआ वह सब प्रयत्न समझा जाता है जिससे धन की उत्पत्ति हो। इस प्रकार इस अर्थशास्त्र में वौद्धिक कार्य को भी श्रम माना जाता है, और कवि, लेखक, चित्रकार, डाक्टर, बकील आदि को भी श्रमियों में गिना जाता है। सर्वोदय अर्थशास्त्र के अनुसार आदमी को अपनी वौद्धिक कृति का उपयोग लोकसेवा में करना चाहिए और अपने निर्वाह आदि के लिए अविकर शरीर से श्रम करना चाहिए। इस प्रकार यह अर्थशास्त्र खासकर ऐसी मेहनत को ही श्रम मानता है, जो हाथ-पैर से की जाती है और जिसे साधारणतया शरीर-श्रम कहा जाता है।

व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित की दृष्टि से श्रम के मेद अनुचित हैं—कुछ अर्थशास्त्री श्रम के नीचे लिखे मेद करते हैं—
 (१) व्यक्ति और समाज दोनों के लिए हितकर, अर्थात् ऐसी उपयोगी चीजों के बनाने का श्रम, जिसकी मजदूरी खूब अच्छी मिले। (२) व्यक्ति के लिए हितकर, परन्तु समाज के लिए अहितकर, जैसे नशे या विलासिता की वस्तुएँ बनाने का श्रम, जिससे श्रमी को खासी आमः नी होती है, पर समाज को हानि पहुँचती है। (३) व्यक्ति के लिए आर्ता तकर, परन्तु समाज के लिए हितकर, जैसे शिक्षा, साहित्य, चिकित्सा आदि का ऐसा सेवा-कार्य करना, जिसका पारिश्रमिक बहुत कम मिले।

समाज की वर्तमान व्यवस्था ऐसी है कि त्यागभाव से लोकसेवा करने वाले और निर्धनता का जीवन बिनाने वाले व्यक्तियों में से बहुत कम का यथेष्ट आदर मान होता है, और समाज को हानि पहुँचाने वाले सब व्यक्तियों को राज्य की ओर से समुचित दड नहीं दिया जाता। उदाहरण के लिए आतिश-धार्जी की चोंडे या अनेक प्रकार के मादक पदार्थ बनाने वालों के, शौकीनीया विलासिता बढ़ाकर लोगों का द्रव्य हरण करने वालों के, और मुकदमेवाजी

बढ़ाने वाले वकीलों के कार्य को उड़नीय नहीं माना जाता। वर्तमान अर्थशास्त्र में इनका कार्य उत्पादक माना जाता है, चाहे इनसे दूसरों को कितनी ही हानि पहुँचे। यह अर्थशास्त्र व्यक्ति और समाज के हित में भेद करता है और पूरे समाज के कल्याण की बात नहीं सोचता, और जब कभी या कुछ अश में अपने देश के हित का विचार करता है तो इसे दूसरे देशों का अहित होने में कोई आपत्ति नहीं होती।

इसके विपरीत, सर्वोदय अर्थशास्त्र व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में भेद नहीं मानता। इसके अनुसार, कोई अम व्यक्ति के लिए वास्तव में हितकर तभी हो सकता है, जब उससे समाज का भी हित होता है। व्यक्ति समाज का अग है, समाज को हानि पहुँचाकर कोई आदमी अपना हित नहीं कर सकता। चौर, आतिशधार्य या मादक वस्तु बनाने वाला व्यक्ति अपने कार्य से अपना नैतिक पतन करता है, अपनी आत्मा की उन्नति या विकास में बाधक भनता है, इसलिए वह कुछ बन कराते हुए भी ब्राटे का काम करता है। इसी प्रकार जब हम त्याग और सेवा-भाव से कार्य करते हैं तो हमारे मन को जो आनन्द और सतोष मिलता है, वह दिन-रात पेसे के पीछे पड़े रहने वालों को कहाँ मिल सकता है। इस प्रकार व्यक्ति-हित और समाज-हित को अलग-अलग मान कर श्रम के भेद करना ठीक नहीं है, सर्वोदय अर्थशास्त्र का यही आदेश है।

वौद्धिक कार्य के सम्बन्ध में सर्वोदय विचार— पहले कहा गया है कि सर्वोदय अर्थशास्त्र वौद्धिक कार्य को खासब्र लोकसेवा के रूप में लेता है। बात यह है कि अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य में बुद्धि की विशेषता है। यह बुद्धि क्रमशः विकसित होती रहती है। आदमी को चाहिए कि वह अपनी इस विशेष शक्ति का उपयोग शरीर-निर्वाह या विलासिता में न लगा कर लोकहित में लगाये। परन्तु अधिकाश ग्रादमी ऐसा न कर, इसका उपयोग निजी स्वार्थों की पूर्ति या प्रतिष्ठा की वृद्धि में करते हैं, और इस प्रकार आर्थिक तथा सामाजिक असमानता बढ़ाते हैं। भारत में इससे जाति भेद, ऊँच-नीच, या छूत-अछूत के भेद-भाव की सुटि हुई और इसे धार्मिक तौल मिल गया। किसी न किसी रूप में ऐसी भावना

अन्य देशो मे भी है। इसे हटाया जाना चाहिए। इसलिए बौद्धिक कार्य को स्वार्थ-सिद्धि का साधन न मान कर, लोगों के लिए अपने जीवन-निर्वाह आदि के वास्ते यथा सम्भव शरीर श्रम करने की आवश्यकता पर जोर देना जरूरी है।

शरीर-श्रम और श्रमियों की प्रतिष्ठा—समाज को न्यायाधीश, अव्यापक, लेखक, कवि आदि की आवश्यकता है। तो क्या किसान, बढ़ी, जुलाहे, लुहार, चमार और मेहतर के काम की जरूरत नहीं है? एक तरह से इनकी जरूरत और भी ज्यादा है। इनके श्रम के बिना समाज की जीवन-यात्रा ही नहीं चल सकती। फिर, इन दोनों वर्गों मे बौद्धिक कार्य करने वालों को इतना ऊँचा माना जाना, और शारीरिक श्रम करने वालों को निम्न पद मिलना कहा का न्याय है। एक को दूसरे की अपेक्षा कई शुना वेतन क्यों मिले? इस विषय मे खुलासा विचार आगे किया जायगा। इसके अतिरिक्त, बुद्धिजीवियों को शरीर-श्रमियों की अपेक्षा अपने आपको ऊँचा न समझना चाहिए और उनसे समानता स्थापित करने के लिए कुछ समय अनिवार्य रूप से शरीर-श्रम द्वारा उत्पादक कार्य करना चाहिए। वास्तव मे हमारी किसी श्रमी के साथ वरावरी की भावना तभी सिद्ध होती है, जब हम उसका काम करने को तैयार रहे।

प्रत्येक बुद्धिजीवी को अभी कम से कम कितना श्रम अवश्य करना चाहिए, इस विषय मे श्री श्रीकृष्णदास जाजू का मत है कि इसकी मात्रा महीने मे २४ घण्टे मजदूरी उचित समझनी चाहिए, फिर चाहे रोजाना काम एक घटा हो या इससे अधिक सामान्यता. दिन भर का काम छँ घटो का मानना चाहिए। इस हिसाब से २४ घटो का काम महीने भर मे चार दिन का होता है। श्री जाजूजी ने भारत की वर्तमान अवस्था मे खेती सम्बन्धी काम को प्रथम स्थान देते हुए लिखा है—

अगर दूसरो के खेत मे काम करना पड़े तो जैसे अन्य मजदूर लोग मजदूरी लेते है, वैसे ही हम भी लेवे। ऐसा करने से काम मे लगन आयेगी। खेत का मालिक पूरा काम किये बिना ठीक मजदूरी नहीं देगा। इसके अलावा दूसरा एक बड़ा लाभ यह होगा कि मामूली मजदूरों पर हमारे काम का नैतिक असर पड़ेगा। दंहातो के सिवा कस्बो मे भी

खेती की मजदूरी का काम मिल सकता है। शहरों में मुश्किल होना, पर शहर वाले परिस्थिति के अनुसार वहाँ मकान आदि की मजदूरी का काम ढूँढ सकते हैं। *

समाज में अनुत्पादकों की भरमार—प्रत्येक व्यक्ति को जीवन-निर्वाह के लिए विविध वस्तुओं की ज़रूरत होती है, यदि और नहीं तो कम से कम इसी विचार से उन उत्पादक श्रमी होना चाहिए। जिन आटमियों के हाथ-पौँच ठीक काम करने हैं, वे दूसरों पर भाग क्यों बने। दान-दक्षिणा लेना केवल उनके लिए ही श्रीक है जो अपार्टिंज होने की बजह ने, भरसक उत्पोग करने पर भी अपना निर्वाह नहीं कर पाते, अथवा जो अपना सब समझ लोकसेवा करने में लगाते हैं। अन्य किसी समर्थ और स्वस्थ व्यक्ति ने परावलभी होना अनुचित है। परन्तु श्रीक जॉन की जाप तो प्रत्येक नमाज में बहुत से आदमी ऐसे मिलेंगे, जो उत्पादक कार्य नहीं करते, अथवा बहुत कम करते हैं।

जिन लोगों का जहा तक वश चलता है, वे वहाँ तक श्रम को टालते हैं। बुद्धिजीवियों ने अनेक ऐसे मार्ग निकाल लिये हैं, जिनसे उन्हेशरीर-श्रम न करना पड़े। अनेक आदमी वास्तव में उत्पादक न होते हुए भी उत्पादकों की तरह, वरन् उससे भी अधिक आदर मान पाते हैं। निम्नलिखित व्यक्ति असल में अनुत्पादक या बहुत-कुछ अनुत्पादक ही हैं, भले ही वे उत्पादक समझे जाते हों—

(१) रडेस, सेल, साहूकार जौ म्हणि झपाई पर मौज उड़ाते हैं।

(२) कल कागजानों के मालिक, जो उनमें पमा लगाने के अनियन्त्रिकोई उत्पादक श्रम नहीं करते।

(३) जमीन जापदाद के मालिक जो कुछ श्रम न करते हुए लगान ना कियाये की आमदनी लाते हैं।

(४) जुआरी, सट्टेवाज आदि जो वात की वात में बहुत देमेके हक्कान बन जाते हैं।

(५) पुजारी और महन्त आदि जो समाज में नैतिक या आध्यात्मिक शिक्षा के प्रचार में योग नहीं देते ।

(६) वे सब आदमी और औरतें जो अपने बाप-दादा या अन्य रिश्तेदार की कमाई में से खाते पीते हैं ।

(७) ऐसे वकील या डाक्टर आदि जो लोकहित या समाजहित की परवाह न कर अपने मवक्किलों और रोगियों से अनापशनाप धन एठने हैं, और समाज में मुकदमेवाजी और रोग फेलाने में सहायक होते हैं ।

(८) वे सब दुकानदार जो अपनी चीजों में मिलावट करते तथा वेहद मुनाफेखोरी करते हैं, या चीजों को बहुत अधिक आकर्षक बना कर ग्राहकों को ठगते हैं ।

(९) वे लेखक, कवि, चित्रकार, सिनेमा-नाटक दिखाने वाले आदि जो लोकहित की भावना न रख अपनी कृतियों से जनता में चचलता, उद्वेग और विलासिता बढ़ाते हैं ।

(१०) ऐसे सब सरकारी तथा गैर-सरकारी नौकर जो नाम-मात्र के काम के लिए बहुत अधिक द्रव्य पाते हैं ।

यह सूची पूरी होने का दावा नहीं करती । इसी प्रकार के अन्य व्यक्ति भी हैं, जो पूर्णतया या अशतः मुफ्तखोरे और परावलम्बी हैं । इन्हें समाज में मान-प्रतिष्ठा न मिलनी चाहिए । वह तो श्रम को ही दी जानी चाहिए । यदि श्रम को आदर नहीं मिलता तो राष्ट्र का पतन स्वाभाविक है । प्राचीन काल में यूनान रोम आदि की सभ्यताएं लुप्त हो गयीं, क्योंकि उनका आधार दासता थी, ऊँचा समझा जानेवाला वर्ग आराम और विलासिता का जीवन बिताता था । वर्तमान राष्ट्रों को इस इतिहास से शिक्षा लेनी चाहिए ।

वौद्धिक कार्य का उपयोग लोकसेवा के लिए – लोगों को चाहिए कि वौद्धिक कार्य प्रायः लोकसेवा के ही लिए करें । कुछ पाठकों को यह आशका हो सकती है कि जब इसमें उसका कोई निजी स्वार्थ न होगा तो आदमी ऐसा क्यों करेगा । पर सोचना चाहिए कि इस समय भी कितने ही आदमी अनेक कार्य निष्पार्थ और परोपकार भाव से करते हैं । यदि सर्वसाधारण की शिक्षा-दीक्षा प्रारम्भ से ही ठीक हो और अनुकूल वातावरण मिले तो इस दिशा में

प्रगति होने में कोई सन्देह नहीं हो सकता। मनुष्य में नर से नारायण तकने की क्षमता है।

शरीर-श्रम का आदर्श—गावीजी ने जीवन-निर्वाह के लिए शरीर-श्रम को आवश्यक माना है। उनका मत है कि बोद्धिक कार्य और (रोटी कमाने के अतिरिक्त) अन्य शारीरिक श्रम प्रेम का श्रम होना चाहिए और उसे केवल समाज-सेवा के लिए किया जाना चाहिए। स्वेच्छा से इस आदर्श को अपनाने ने समाज का दुख टचिता कितनी कम हो जाय और उसके सुख शान्ति में कितनी वृद्धि हो जाय। आठमी का रहनसहन सादगी का होने से उसे जीवन की जटिलता और परेशानी से मुक्ति मिल जाय और उसका स्वास्थ्य भी बहुत बुधर जाय। इसके अतिरिक्त उससे उसकी मानसिक उन्नति में भी सहायता मिले, ज्योकि शारीरिक शक्ति बढ़ने से बुद्धि का भी विकास होता है। पिर, शरीर-श्रम से देश में उत्पादन बढ़ने से वह स्वावलम्बी होगा, और उसके स्वाभिमान की रक्षा होगी। एक और महत्वपूर्ण परिणाम यह होगा कि इससे बुद्धिजीवियों और श्रमजीवियों के बीच की घातक खाई पटने में विलक्षण सहायता मिलेगी। ऐसे बौतकी कल्पण करनेवाले आदर्श को व्या-सम्बन्ध प्राप्त घरने के प्रयत्न पर किसी को कुछ व्यापत्ति ना शका क्यों हो ?

सोलहवां अध्याय

श्रम-विभाग बनाम श्रम-समन्वय

आदमी श्रम को बचाते रहते हैं, यहां तक कि हजारों बेकार हो जाते हैं और बाजारों में भूखा मरने के लिए फेंके दिये जाते हैं। मैं समय और श्रम की बचत मुझी भर लोगों के लिए नहीं, सब के लिए चाहता हूँ।

—गाधीजी

श्रम से सम्बन्ध रखने वाला एक विषय, जिसे आजकल बहुत महत्व दिया जाता है, वह है जिसे आधुनिक अर्थशास्त्र में 'श्रम-विभाग' कहा जाता है। यह वास्तव में श्रम का विभाजन नहीं होता, कार्यों का, या एक-एक कार्य की विविध क्रियाओं का विभाजन होता है। इस अध्याय में इस बात का विचार किया जायगा कि व्यक्ति तथा समाज की सर्वाङ्गीण उन्नति की दृष्टि से यह कहाँ तक हितकर या हानिकर है, और यदि यह अन्ततः अनिष्टकर है तो इसके स्थान पर श्रम-समन्वय का उपयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए।

कार्य-विभाग, भारत की वर्ण व्यवस्था—पहले मनुष्यों की एक-एक टोली या परिवार अपनी जल्दते पूरी कर लेता था, धीरे-धीरे उनमें काम का बटवारा होने लगा। समूह के कुछ आदमी सब की रक्षा करने का काम करने लगे, कुछ सब के खाने, कपड़े आदि की व्यवस्था करने के वास्ते पशु-पालन, खेती, उद्योग धन्धे तथा व्यापार करने लगे, कुछ दूसरों को अच्छी अच्छी बाते सिखाकर उनका और साथ में अपना। ज्ञान बढाने लगे। इनके

कुछ आठमीं अपनी योग्यता का विकास न कर सकने के कारण मामूली मेहनत मजदूरी आदि से ही अपना निर्वाह करने वाले होने लगे। भारत में इस प्रकार के कार्य-विभाग ने शास्त्रीय-म्बरूप धारण कर लिया। यह माना जाता है कि यहाँ वर्ण-व्यवस्था अर्थात् समाज का ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य

और शूद्र इन चार भागों में विभाजन पहले गुण-कर्म के अनुसार था। पीछे धीरे-धीरे वह जन्म के आवार पर समझा जाने लगा और चार जुटा-जुटा जातियों बन गयी, तथा प्रत्येक के मैमड़ों भेद-उपभेद हो गये। बढ़इ, लुहार, जुलाहा, भेहतर, चमार आदि वश-परम्परा के अनुसार होने लगे, उनमें परस्पर में सामाजिक सम्बन्ध न रहा, ऊच-नीच का भी भेद-भाव आ गया। कुछ जातियों तो अस्तृज्य या अल्लूत ही मानी जाने लगी, उनका काम नीचे दर्जे का माना जाने लगा। यहाँ तक कि उनका काम करने पर 'ऊची' जातियों के आदमी भी सामाजिक दृष्टि से गिरे हुए समझे जाने लगे। इस प्रकार भारत में कार्य-विभाग जात-पात और ऊच-नीच के भेद-भाव गाला हो गया।

आधुनिक अम-विभाग—ग्रौयोगिक कार्य-विभाग सभी देशों में रहा है। यह रूपण बढ़ता गया। अठारहवीं सदी से भाष्य आदि में चलने वाली मणीनों का आविष्कार होने पर यह कार्य-विभाग और आगे बढ़ा। यहले आदमी एक काम के सब हिस्सों को पूरा करके कोई चीज बनाना था, अब एक काम के विविध हिस्से किये जाकर वे अलग-अलग आदमियों के, या जुटा-जुटा समूहों ने सुपुर्द किये जाने लगे। यत्रों से चलने वाले कल-कारणों में प्रत्येक कार्य कई सूख्म हिस्सों में बद्य होता है। प्रत्येक हिस्सा अपर्ण होता है, और स्व हिस्सों के काम हो चुकने पर अन्त में अभीष्ट बत्तु तंगर होती है। उदाहरण के लिए पहले एक आदमी अपने परिवार वालों के साथ मिल कर कपास आटता, रुड़ बुनता, नूत कातता और कपड़े बुन लेता था। अब कल-कारणों में कपड़ा तेयार करने की किंवा सैकड़ों भागों में विभक्त है और प्रत्येक भाग अलग-अलग समूहों को सेंपा जाता है। हरेक समूह में सैकड़ों या हजारों आदमी काम करते हैं, तब कपड़ा तेयार होता है। खासकर ऐसे ग्रौयोगिक कार्य-विभाग को ही 'अम-विभाग' कहा जाता है।

अम-विभाग से हानियों—वर्तमान अर्थशास्त्र में अम-विभाग के गुणों का खूब बदान किया जाता है। इससे मुख्य लाभ ये बताये जाते हैं—एक खाम किंवा को लगातार करने से उसका करना आसान हो जाता है, उसे करने के लिए यत्रों का आविष्कार हो सकता है, समय की और अन की बचत होती है, उत्पादन अधिक होता है, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी शक्ति और वोग्यता गे-

अनुसार काम दिया जा सकता है इत्यादि । इन लाभों के विषय में पाठकों को काफी जानकारी होगी । इसलिए इन्हे विस्तार से लिखने की आवश्यकता नहीं । हम यहाँ श्रम-विभाग से होने वाली हानियों का विचार करते हैं, उनके सम्बन्ध में प्रायः आधुनिक अर्थशास्त्र में बहुत कम व्यान दिया जाता है । ये हानियों खासकर निम्नलिखित हैं:—

(क) श्रम-विभाग श्रमी को मनुष्य के बजाय एक यत्र जैसा बना देता है । अनेक आदमियों को अन्त में कहना पड़ता है कि हमारी सारी जिन्दगी आल-पीनों की नोक घिसने में, बटन दबाने में या कीले ठोकने जैसे काम में ही गयी । उन्हे कोई पूरी चीज बनाने का और अपने काम का प्रत्यक्ष पूरा परिणाम देखने का आनन्द या गौरव प्राप्त नहीं होता । उनकी विचार और योजना शक्ति का उपयोग न होने से उसका विकास नहीं होता । यह बात मनुष्य जाति की उन्नति या कल्याण में बहुत बाधक है ।

(ख) प्रत्येक श्रमी को एक कार्य के छोटे से उपविभाग की किया करनी होती है । उसे उसी का अन्यास होता है । यदि किसी कारण से उसका वह किया करने का कार्य छूट जाय तो उसकी कार्य-कुशलता एक खास द्वेष तक ही परिमित रहने के कारण, उसे अन्यत्र काम मिलना आसान नहीं होता ।

(ग) एक क्रिया करने वालों को अपने काम का दूसरी क्रियाएँ करने वालों के साथ मेल बैठाना पड़ता है । यदि दूसरी क्रिया वाले अपना कार्य कुछ जल्दी या तेजी से कर लेते हैं तो इन्हें भी अपनी क्रिया उसी गति से करनी पड़ती है । जिस गति से सम्बन्धित यत्र चलता है, उसी गति से आदमी को चलना होता है । जब तक यत्र चलता है, आदमी को भी चलना पड़ता है । जब यत्र चलना बन्द होता है, तो आदमी को भी अपना काम बन्द करना होता है । इस प्रकार यत्र आदमी पर हावी रहता है । इससे स्नायुओं या नसों पर बहुत अधिक दबाव पड़ता है, जो अस्वाभाविक और अस्वास्थ्यकर होता है ।

श्रम-विभाग का उपयोग खासकर यत्रोदयों में होता है, अतः इससे होने वाली हानियों की विशेष जानकारी 'यत्रोदय' नाम वाले अध्याय से होगी ।

श्रम-समन्वय की आवश्यकता—श्रम-विभाग में मनुष्य को सिर्फ एक धनोत्पादक यत्र माना जाता है । इससे मानवता का हास होता है ।

आवश्यकता है मनुष्य को मनुष्य मानने की, और उसके सब पहलुओं के विकास के लिए थ्रम-समन्वय की दृष्टि से विचार करने की। थ्रम-विभाग भले ही किसी देश की कुल धन-राशि को बढ़ाने वाला हो, उससे अधिकाश जनता का गोपण होता है, और दूसरे देशों पर साम्राज्य का चक्र चलाने का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए इसे वथासम्भव त्याग कर थ्रम-समन्वय को अपनाया जाना आवश्यक है।

थ्रम-समन्वय की दृष्टियाँ—थ्रम-समन्वय का विचार कई दृष्टियों से होना आवश्यक है—

- (१) स्त्री-पुरुष की दृष्टि से,
- (२) पारिवारिक दृष्टि से,
- (३) सामाजिक दृष्टि से,
- (४) औद्योगिक दृष्टि से,
- (५) प्रादेशिक दृष्टि से,
- (६) भौगोलिक या गर्फ़ाय दृष्टि से।

ग्रामों इनके सम्बन्ध में क्रमशः विचार किया जाता है।

स्त्री-पुरुष दृष्टि—स्त्री-पुरुष की शरीर-स्वच्छा में कुछ नैसर्गिक भेद है। स्त्री रजस्वला होती है, उस समय तथा गर्भवती होने पर प्रसव-काल से कुछ दिन पहले से लेकर, कुछ समय बाद तक उसमें थ्रम करने की ज्ञानता कम रहती है। इसलिए उसके काम में इस बात का व्यान रखा जाना जरूरी है। परन्तु किसी काम धर्घे को नीचा समझना और इसलिए उसे खियो के ही करने का मानना ठीक नहीं है। इस दृष्टि से पुरुषों को भी रसोई बनाना, आटा पीसना, दून कातना, बच्चों की सार-सभार करना आना चाहिए, और आवश्यकता होने पर जब उन्हें ये काम करने पड़े तो बहुत परेशानी या कष्ट अनुभव न करना चाहिए। इस प्रकार स्त्री-पुरुषों के काम में उससे अधिक अन्तर या विभिन्नता न होनी चाहिए, जितनी नैसर्गिक दृष्टि से होनी जरूरी है। इसमें जो सामाजिक तथा अन्य वाधाएँ हो, उन्हें दूर किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए भारत के कुछ भागों में तथा दूसरे भी कुछ देशों में स्त्रियों को पर्दे में रखा जाता है और उन्हें घर से बाहर की दुनिया का कुछ ज्ञान या अनुभव नहीं होता। इससे

उनके जीवन में बहुत एकाग्रीपन और अस्वस्थता आती है, इसका निवारण होना आवश्यक है।

पारिवारिक दृष्टि—पारिवारिक जीवन में आदमी त्याग और सेवा की शिक्षा लेता है। इस प्रकार परिवार समाज-संगठन की एक स्वाभाविक डिकार्ड और विश्वव्युत्पत्ति की क्रियात्मक पद्धति है। भारत और चीन आदि में इसका बहुत चलन रहा है। इस जमाने में इसका हास होता जा रहा है। आजकल लोगों में वैयक्तिक भावना बढ़ रही है। आदमी अपनी कभाई को अपनी ही इच्छानुसार, और अधिकतर अपने ही सुख के लिए खर्च करना चाहता है, अपने भाई या दूसरे रिश्तेदारों की वह चिन्ता नहीं करता। आवश्यकता है कि आदमी अपने स्वार्थ का, समूह के स्वार्थ के साथ, मेल बैठाये।

संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली समाजवाद का एक व्यवहारिक स्वरूप है, इसे बनाये रखना चाहिए, हाँ, इसमें जो दोप आ गये हैं, उनका निवारण होना चाहिए। उदाहरण के लिए संयुक्त परिवार में सब को रोटी-कपड़ा मिलने का भरोसा होने से कुछ आदमी भरसक श्रम करने और स्वावलम्बी होने का यत्न नहीं करते, वे खाली-बैठे दिन काटते हैं। यह देखकर जो कमाने वाला होता है उसे भी उत्पादन-कार्य में विशेष उत्साह नहीं रहता। इससे घर की आर्थिक दशा खराब हो जाती है, वह वैसी अच्छी नहीं होती, जैसी उस दशा में, जब प्रत्येक समर्थ व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार खूब मन लगा कर श्रम करता है। इस प्रकार के उदाहरण समाज में यथा-सम्भव कम हो, ऐसा प्रयत्न होना चाहिए।

संयुक्त-परिवार-प्रथा को धक्का पहुँचाने वाली एक खास बात यह है कि ग्राय-बड़े-बूढ़ों के विचार पुराने ढग के होते हैं और अनेक युवक और युवतियों नये 'प्रगतिशील' विचारों के होते हैं। एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता न होने से बहुत के संयुक्त परिवारों में सर्वधर्ष बना रहता है। इसका परिणाम अन्ततः यही होता है कि युवक-युवतियाँ उनसे अलग रहने की तैयारी कर लेते हैं, और संयुक्त परिवार समाप्त हो जाता है। आवश्यकता है कि बड़े-बूढ़े कुछ उदार दृष्टिकोण चाले हों। पुरानी व्यवस्था उनके समय में अच्छी रही हो तो भी उन्हें उसको युवकों पर बलपूर्वक लाठने की कोशिश न करनी चाहिए। साथ ही युवकों को यथा-सम्भव बड़े-बूढ़ों का दृष्टिकोण समझने का प्रयत्न करते रहना चाहिए।

और जब उनकी कोई बात वे न मान सके तो भी उनके प्रति आदर-भाव और सेवा-सुश्रुता में किसी प्रकार की कमी न आने देना चाहिए। ऐसे घबहार से पारिवारिक संशर्पण का अवसर कम आयेगा और संयुक्त-परिवार-प्रथा भी रक्षा में सहायता मिलेगी।

सामाजिक दृष्टि—हमने भारत की वर्ण-व्यवस्था का उल्लेस किया है। उसका उद्देश्य यही था कि समाज में सब आटमी अपने-अपने समूह का नये इस प्रकार करे कि सब का समन्वय होकर समाज-व्यवस्था अच्छी तरह बनी रहे और सबकी उचिति का मार्ग प्रशस्त रहे। उस उद्देश्य को मुला दिये जाने से विविव समूहों वा वर्णों में पृथक्ता वा विभाजन की भावना बढ़ती गयी। ऊँच-नीच के भेद-भाव ने विषमता उत्पन्न कर दी, नमानता और भद्रोग के विचार का हास हो गया, वहां तक कि समाज का एक सारा बटा भाग अस्थृत्य माना जाने लगा, उससे विकास का मार्ग ही रुक गया।

सामाजिक भेद-भावों का श्रम की उपरोगिता अर्थात् उत्पादन पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए बहुधा जब ऐसे चार-छ. आटमियों को किसी जगह नाम रखना होता है, तो वे उकड़े नहीं रहते, प्रत्येक अपने रहने और भोजन बनाने की अलग अलग व्यवस्था करता है, इसमें कितनी असुविधा और अपव्यय होता है, इसका सहज ही अनुमान हो सकता है। खेद है कि ससार के बहुत से आटमियों ने अभी तक यह नहीं समझा कि मनुष्य-मात्र आपस में भाई-भाई हैं। जो लोग सिड्डान्त में विश्वव्युत्पत्ति की बात दीक मानते हैं, उनके भी सर्फ़ार ऐसे पड़े हुए हैं कि घबहार में वे अपने उठार दृष्टिकोण को भूले ही रहते हैं।

मनुष्य जाति को ढुकड़े-ढुकड़े करने वाले विकार मुख्यतः निम्नलिखित हैं—
 (१) जाति भेद—ग्राहण, ज्ञात्री, वेश और शुद्धतया इनके अनेक भेद, (२) सम्प्रदाय भेद—हिन्दू-मुसलमान, ईसाई-पूर्णी, रोमनकैथलिक-प्रोटेस्टेंट, गिरा-सुनी आदि, (३) वर्ण भेद—गौराग, पीत वर्ण, ज्याम वर्ण आदि। इस प्रकार सब भेद-भाव मानवता के बीच में खाइरों बनाये हुए हैं। इनके आधार पर मिंग हुआ कार्य-विभाग अत्यन्त अनिष्टकारी है। निवान, समाज की प्रगति और ब्ल्याण्ड के लिए श्रम-समन्वय की विचार-वारा के अनुसार घबहार होना चाहिए।

प्रादेशिक दृष्टि—किसी उद्योग धधे की विविध क्रियाएँ कई-कई और दूर-दूर के स्थानों में होना कितना हानिकारक है, यह एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। आजकल भारत में कुछ बुनाई हाथ के करघो पर होती है और इसके लिए मिल का सूत काम में लाया जाता है। इस पर विचार कीजिये। देहात कपास पैदा करते हैं पर वे उसके अधिकाश भाग को बोरो में भरकर पास के कस्तों और शहरों में भेज देते हैं। वहाँ वह कारखानों में ओटी जाती है और उसकी गाँठे बाँधी जाती है। वहाँ से वह उन शहरों में भेजी जाती है, जहाँ कातने की मिले हैं। इन स्थानों में गाँठे खोली जाती है, रुई धुनी जा कर उसकी पूनियाँ बनायी जाती हैं, तब उसे काता जाता है, फिर सूत की गाँठे बाँध कर उसे गाँवों में भेजा जाता है। यहाँ हाथ-करघो से बुनाई होती है। बुने हुए कपडे का बहुत सा हिस्सा विकने के लिए फिर कस्तों या शहरों में भेजा जाता है। इसमें माल लाने-लेजाने और बाँधने-खोलने की कितनी व्यर्थ की मेहनत होती है। यदि गाँव के आदमी अपने यहाँ ही ओटने, बुनने, कातने और बुनने की व्यवस्था कर ले तो कितना खर्च सहज ही बच सकता है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि किसी प्रकार के उद्योग-धधे का, खासकर उनका जो मनुष्य की प्रारम्भिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, कार्य गाँवों और शहरों में विभाजित न हो, प्रादेशिक दृष्टि से उत्पादन में हमारी दृष्टि श्रम-विभाग या कार्य-विभाग की ओर न होकर श्रम-समन्वय की ओर होनी चाहिए।

भौगोलिक या राष्ट्रीय दृष्टि—कार्य-विभाग एक सीमा तक देश-देश में भी होता है। जिस देश में जो माल पैदा करने की विशेष सुविधा होती है, वह देश उस माल को पैदा करे और अपने लिए आवश्यक अन्य पदार्थों को उन दूसरे देशों से लेले, जिन्हें उन पदार्थों को पैदा करने की विशेष सुविधा हो—ऐसी व्यवस्था से सारी दुनिया को अधिक से अधिक लाभ होता है, इसे सिद्धान्त रूप से स्वीकार करके सुकृदार व्यापार-नीति का चलन हुआ। इस नीति को अवलम्बन कर इंग्लैण्ड ने खेती करना प्रायः छोड़ ही दिया, वह एक ग्रौद्योगिक देश बन गया। वह अपने भोजन के पदार्थों तथा उद्योग-धधों के बास्ते, आवश्यक कच्चे सामान के लिए दूसरों पर आश्रित रहने लगा। ऐसी अर्थनीति का दुपरिणाम युद्ध-काल में खास तौर से सामने आता है, वैसे भी

ऐसी परिस्थितियों आ सकती है कि ब्राह्मण का सामान उचित समय पर और यथेष्ट परिमाण में न मिल सके और सर्वसावारण के लिए दोर सकट उपनियत हो जाए। अस्तु, प्रत्येक राष्ट्र को अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं के लिए स्वावलम्बी होना चाहिए। इस प्रकार भौगोलिक या राष्ट्रीय दृष्टि से भी हमें श्रम-विभाग या कार्य-विभाग नहीं चाहिए, अर्थात् कुछ देश केवल खेती करने वाले हो, और कुछ उद्योग वर्गों वाले हो, ऐसा न होकर सब को खेती और उद्योग धर्धों से वथा-सम्भव मिला-जुला उत्पादन करना चाहिए। यह श्रम समन्वय ही मानव जाति के लिए कल्पाणकारी है।

विशेष वक्तव्य—जैसा श्री नरहरि परिख ने ‘मानव अर्थशास्त्र’ में कहा है, प्रत्येक कार्य-विभाग—चाहे वह समाज के जुटा-जुटा वर्गों के बीच हो, या एक उद्योग की जुटा-जुटा क्रियाओं को करने वालों के बीच हो, या शहरों और गाँव के बीच हो, अथवा एक देश के जुटा-जुटा भागों के बीच हो या भिन्न-भिन्न देशों के बीच हो—उसी अवस्था में अभीष्ट है, जब जिन जिन के बीच यह चलता हो, उन सब के हित के लिए हो। वर्तमान समार में सास-बहू का सा कार्य-विभाग चल रहा है। सास बहू से कहती है—‘त घर आयी है तो अब हम दो जने हैं। अब हम काम का बटवारा कर ले, तू रसोई कर मै जीमूँ, तू विस्तर विछाँ, मै सोऊँ। इस प्रकार का कार्य-विभाग ओगोगिक दृष्टि से उन्नत और अवनत देशों में शहरों और गाँवों में, पृजीपतियों और श्रमियों में, जर्माटार और किसान में, ऊँची कही जाने वाली जातियों और नीची मानी जाने वाली जातियों में, गौराग या श्वेत वर्ण और अश्वेत वर्णों में चल रहा है। इसका आवार शोपण है। उत्पादन में किसी का शोपण न होकर सब का पोपण हो—यह कसौटी होनी चाहिए। इसलिए हमारी उत्पादन पद्धति का आवार कार्य-विभाग या श्रम-विभाग न होकर श्रम-समन्वय होना चाहिए।

हम सब मिल-जुल कर काम करें, कोई अपने स्वार्थ और दूसरों के गोपण का विचार न करें। हम अपने बीच में तरह-तरह की विभाजक ठीकारे रखें। न करें, यदि हम किसी विशेष विषय में दूसरों की अपेक्षा अधिक उन्नत या विकसित हों, तो हमारी उन्नति या विकास मानवता की वृद्धि में सहायक हो।

सतरहवाँ अध्याय

पूँजी

विना दूसरे के मर्म-स्थान को आवात पहुँचाये, विना कठोर कर्म किये, विना मनुवाहे की तरह निर्दयी होकर हिंसा किये वड़ी सम्पत्ति प्राप्त नहीं होती।

—नीति वाक्य

आज कल पैसा जरूरी चीज है, लेकिन दौलत मेहनत से ही पैदा होती है, असल दौलत इन्सान की मेहनत है। अगर हमारे देश में सोना-चाँदी ज्यादा नहीं है तो क्या, इन्सान तो है, जो मेहनत करके दौलत पैदा कर सकते हैं।

—जवाहरलाल नेहरू

पूँजी क्या है ?—पूँजी वह वन है, जो और धन को पैदा करने में काम आये, धन किसे कहते हैं, वह पहले बताया जा चुका है। सावारण-तथा आदमी, पूँजी का अर्थ रुपग-पैसा समझते हैं, परन्तु आजकल पूँजी में नकद रुपये का भाग बहुत कम होता है। उसमें अविकर कच्चा पदार्थ, हल, बैल, बीज, श्रमियों के मकान, कार्यालय, कारखाने, औजार, मशीन आदि होती है।

अतिरिक्त उत्पादन और अपहृत श्रम—पूँजी बचत का फल है। आदमी जितना धन पैदा करते हैं, वही उस सब को खर्च कर डाले, और भविष्य में धनोत्पादन करने के लिए, उसमें से कुछ बचाकर न रखे, तो पूँजी कहाँ से आये ! अन खर्च करने में मिन्द्रयिता का विचार रहना आवश्यक है, फजूल-खर्ची रोकी जानी चाहिए। इसके लिए मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं पर नियंत्रण रखना होता है। जो लोग पूँजी इरटी करते हैं, उनमें से कोई-कोई बहुत ही कठिनाइयों सहते हैं, यहाँ तक कि अपने भोजन-वस्त्र में भी बहुत

किफायत से काम लेते हैं। इस प्रकार वे बहुत कम धन में अपना काम चलाते हैं, और थोड़ी-थोड़ी पूँजी जमा करते जाते हैं।

पूँजी सचय करने का दूसरा स्पष्ट यह है कि हम जितना खर्च करें, उससे अधिक पेंदा करें। कुछ खास दशाओं में, और एक सीमा तक ऐसा हो सकता है। पर साधारणतया यह बात वडे-पेमाने पर नहीं होती। किन्तु इसका भी एक गत्ता निकाला गया है। चतुर चालाक आदमी दूसरे मनुष्यों (अमियों) द्वारा धन पदा कागजे उसे सब में अच्छी तरह नहीं बॉटते, वे उत्पन्न बन से दूसरों को साधागण मजदूरी देकर शेष सब (जो काफी बड़ा हिस्सा होता है) अपने लिए रख लेते हैं, और इसमें से कुछ हिस्सा अपने इने-गिने खास सहायकों को देकर उन्हें सतुराट रखते हैं, जिससे इन्हें उनका सहयोग मिलता रहे। आधुनिक काल में भाष्य और विजली आदि की शक्तियों से चलने वाले वडे-वडे कल कारखानों से इस दिशा में बहुत सुविधा होने लग गयी है। उनके कारण अब अर्थव्यवस्था ऐसी है कि जब हजारों मजदूरों को प्रति व्यक्ति अस्सी-सौ रुपये माहवार मिलते हैं और ये जैसे तैसे अपना निर्वाह करते हैं, तो दूसरी ओर मेनेजर आदि को कई कई हजार रुपये प्रति मास मिलते हैं, और मिल-मालिक का तो कुछ हिसाब ही नहीं, उन तो लाखों रुपये मिलने में भी कोई रोक टोक नहीं। ये लोग न्यून टाट-बाट से रहते हैं, मनमाना खर्च करते हैं, फिर भी उनके पास काफी धन बचा रहता है, जिसे ये और अधिक बन पेंदा करने में लगाते रहते हैं। इस तरह उनकी पूँजी अधिकाधिक बढ़ती जाती है। इस पूँजी पर मजदूरों का बेसा ही अधिकार होना चाहिए, जैसा मिल-मालिक आदि का, व्योकि उन्होंने कुछ कम घटे या कम मेहनत का काम नहीं किया है। वास्तव में उन्होंने तो अधिक कष्ट उठाया है, जबकि मिल-मालिक आदि ने शरीर-भ्रम न करदे, अपनी बुढ़ि या ही उपयोग किया है जो कि स्वार्थ-साधन के बजाय सेवा-कार्य में होना चाहिए था। अस्तु, वर्तमान बड़ी-बड़ी पूँजी के कारोबार प्राय अपहृत श्रम के मर्निमान स्पष्ट है और मानव जाति के दुर्भाग्य की घोपणा कर रहे हैं।

समाज में आर्थिक विषमता न होते हुए पूँजी की वृद्धि आवश्यक है—समाज की उन्नति या विकास के लिए विविध वस्तुओं और

कामों की जरूरत है। उनके लिए धन की आवश्यकता होने से यह स्वयं-सिद्ध है कि प्रत्येक देश में पूजी बढ़ायी जाने के यथेष्ट प्रयत्न हो। वर्तमान अर्थशास्त्र भी इस बात पर जोर देता है, परन्तु सर्वोदय अर्थशास्त्र में और उसमें यह अन्तर है कि यह समाज में आर्थिक विषमता पैदा करने वाली बातों का निवारण करके पूजी द्वारा ऐसे तथा इस प्रकार धन की उत्पत्ति बढ़ाने का आदेश करता है, जिससे किसी वर्ग विशेष का ही हित न होकर समस्त समाज का सुख और विकास बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हो। प्रत्येक देश में पूजी की वृद्धि होनी चाहिए, हाँ, पूजी स्वयं लद्दग नहीं है, उसका उद्देश्य है लोकसेवा या सर्व-हित।

भारत में पूजी की वृद्धि के लिए जनता में रिक्षा के अतिरिक्त, मितव्यप्रिया और दूरदर्शिता के भावों का प्रचार होना चाहिए, व्याह-शादी, नाच-रंग और जन्म-मरण आदि सम्बन्धीय पञ्जलखर्चों की विविध रीति-रसमें हटनी चाहिए, तथा खेती और उद्योग-धर्धों आदि की उन्नति की जानी चाहिए और इसके लिए इनमें काम आने वाले विविध औजारों तथा पद्धतियों के सम्बन्ध में उपयोगी आविष्कार होते रहने चाहिए। इस समय मशीनों और यत्रोदयों को बहुत महत्व दिया जा रहा है, इससे जो हानि है, उसका विचार अन्यत्र किया गया है।

पशुओं की उन्नति—पहले कहा जा चुका है कि पशु भी पूजी का अग है, इसलिए पूजी की वृद्धि का एक कार्य पशुओं की उन्नति करना तथा उनका स्वास्थ्य सुवारना है। अनेक स्थानों में इस ओर काफी व्यान नहीं दिया जाता। उन्हे प्राय मैला कुचैला पानी तथा घटिया दर्जे का और कम चारा दिया जाता है, इससे वे कमज़ोर और रोगी रहते हैं, तथा उनकी आयु कम होती है। इस बातों का सुधार होना चाहिए। आज कल सभी देशों में नगरों की वृद्धि होती जा रही है, इससे पशुओं के चरागाहों तक में मकान बनते जा रहे हैं, या उन्हें खेती के लिए जोत लिया जाता है। इससे पशुओं को यथेष्ट चारा नहीं मिलता। इसका प्रबन्ध होने की आवश्यकता है। पशुओं के रोगों का इनाज करने की व्यवस्था खास-खास न्याया में ही नहीं, प्रत्येक बड़े गाँव या ग्राम-समूह में होनी चाहिए। पशुओं की नसल सुधारने की भी यथेष्ट व्यवस्था होने की जरूरत है।

बहुत से पशु मनुष्य के मासाहार के लिए नारे जाते हैं। यद्यपि आदमी क्रमशः धिकारी अवन्या को छोड़कर अविभावित पशुपालन इनता जाता है, तथापि अभी तक उसकी मासाहार की प्रवृत्ति अपी बनी हुई है। कुछ अग्रमें तो भोगोलिक स्थिति ही इसका कारण है। जहाँ आदमी को अपने निर्वाह के लिए अन्न या फलादि पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते, वहाँ उसका मासाहारी होना स्वाभाविक है। पर बहुत से म्यानों में आदमी बैवल न्याद के लिए पशु-व्यक्तियों को मारता है। कितने ही पशु खासकर चमड़े के लिए नारे जाते हैं। आदुनिक सभ्यता में चमड़े का इम्तेमाल किनना बढ़ गया है, यह नव विदित है, यदि मरे हुए जानवरों की खाल से ही बने चमड़े का उपयोग म्या जाये तो अनेक जानवर मारे जाने से बचाये जा सकते हैं। कुछ देशों में ऐसा सरकारी नियम है कि दूध देने वाले (मादा) पशुओं को न माग जाये, पर बहुत से देशों में इतने विवेक का भी परिच्छय नहीं दिया जाता।

इससे अधिक अमानुषिक वात है गर्भवती मेडों आदि औ उमलिए मारा जाना कि उनके गर्भ के बच्चे का मास बहुत त्वाद, तथा उसका चमड़ा गरोआ बहुत कोप्तल समझा जाता है और उसके इतने दाम उठ जाते हैं कि माँ और बच्चे दोनों को मारने में नफा ही रहता है। मेडों की इस प्रकार नी हत्या का उल्लेख सातवें अव्याय में (बच्चे के प्रसाग में) ही चुका है। विषिव देशों की सरकार और जनता को यह जातक व्यापार बन्द करने का उपयोग करना चाहिए।

यदि रहे कि भारत में बैल ही खेती का प्रमुख सावन है। यातायात का भी यह बड़ा महारा है। बैल की जन्मदाता होने से तथा अपने दूध के विशेष गुणों के कारण यहाँ गौ को माता कहा जाता है। हमारी अर्धव्यवस्था में गौ की रक्षा और उन्नति का व्यवेष्ट व्यान रखा जाना जरूरी है।

पैंजी का उपयोग लोकहित की दृष्टि से होना चाहिए— आवश्यकता है कि पैंजी से सर्वसाधारण को लाभ हो, न कि कुछ थोड़े ने व्यक्तियों का स्वार्थ-सावन या भोग विलास की वृद्धि। अत उन्परि उपकरणों पर किसी व्यक्ति या सम्बा का ऐसा न्यानित्व न होना चाहिए कि उसके द्वाग दूसरों के शोपण में नुक्ति हो। प्रत्येक परिवार के पान इन्हीं पैंजी

हो जिससे वह अपनी असली जरूरते पूरी कर सके और साथ ही अपने गाँव या नगर के हित में भी कुछ खास भाग ले सके। स्थानीय सम्पत्तियों को अपने गाँव या नगर के व्यापक हित का ध्यान रखना चाहिए। जिन कार्यों के लिए विशेष पूँजी की आवश्यकता हो, तथा जिसका उपयोग देश के किसी खास भाग के लिए न होकर राष्ट्र के हित के लिए हो, उनकी व्यवस्था राष्ट्रीय सरकार द्वारा की जानी चाहिए। ऐसे कार्यों का परिमाण स्वभावतः कम ही रहेगा। हमें देश की अधिकाश पूँजी का उपयोग विकेन्द्रित रूप में करके उन दोषों से बचना है जो पूँजी के केन्द्रीकरण से होते हैं। वर्तमान अवस्था में जहाँ एक-एक व्यक्ति के पास कुछ इकट्ठी पूँजी है, वे उसका उपयोग 'ट्रस्ट' या अमानतदार के रूप में करें। इसके सम्बन्ध में आगे 'मुनाफा' अव्याय में लिखा जायगा।

राष्ट्रीय पूँजी—अब ऐसी पूँजी का विचार किया जाता है, जो सर्व-साधारण के उपयोग के लिए होती है, और जिसके प्रबन्ध या व्यवस्था आदि का कार्य सरकार करती है। यह पूँजी खासकर रेल, सड़क, तार, डाक, टेलीफोन, रेडियो, खाने, नदियाँ, बांध, नहरें, समुद्र-तट आदि है। सरकार को चाहिए कि इनकी उन्नति करे, परन्तु इसके साथ ऐसी व्यवस्था भी करे कि वे सर्व-साधारण के लिए यथेष्ट उपयोगी हों, ऐसा न हो कि कुछ खास श्रेणी या वर्गों के आदमी ही उनसे विशेष लाभ उठा सके। उदाहरण के लिए सड़कों और रेलों के बारे में कुछ खुलासा विचार आगे व्यापार के प्रसग में किया जायगा।

विदेशी पूँजी के उपयोग का सवाल—पूँजी के उपयोग के सम्बन्ध में एक विचारणीय प्रश्न यह रहता है कि किसी देश की सरकार द्वारा विदेशी पूँजी का उपयोग कहाँ तक उचित है। हम ऊपर कह चुके हैं कि प्रत्येक देश में पूँजी का उपयोग विकेन्द्रित रूप में होना चाहिए। सरकार द्वारा यातायात सवाद-वाहन या सिंचाई आदि के ऐसे ही कार्य किये जाने चाहिए, जो उसके लिए करना अनिवार्य हो। इस प्रकार उसे पूँजी की आवश्यकता कम ही होनी चाहिए। यह पूँजी उसे बहुधा अपने देश की ही जनता से मिल जायगी, खासकर जब वह जनता के श्रम के उपयोग की उचित व्यवस्था करेगी और नकद पूँजी को विशेष महत्व न देगी। फिर, जब कोई देश, विदेशी पूँजी का

उपयोग करता है तो उस पर अृणु देने वाले राष्ट्र का प्रभाव पड़ कर उसका आर्थिक दृष्टि से पराधीन हो जाना स्वाभाविक है। यही नहीं, उमर्जी गजनीति भी एक सीमा तक दूसरे देश की सरकार द्वारा नियन्त्रित होने की आशा रहती है। इस प्रकार वर्तमान अवस्था में किसी देश में विदेशी पूँजी से काम लेना खतरे से खाली नहीं। आजकल कितने ही देश औंगोंगीकरण के लिए विदेशी पूँजी का उपयोग करने के दब्बुर रहते हैं, उन्हें इस विषय में सतर्क रहने की आवश्यकता है। खासकर उन देशों में, जहाँ भारत की तरह जनसख्ता यथाठ है, लोगों को ग्रामोद्योग या हाथ-उद्योग को ही बढ़ाना चाहिए, जिससे पूँजी की विशेष आवश्यकता ही न हो। इस विषय पर आगे यत्रोद्योग शीर्षक अध्याय में विशेष विचार किया जायगा।

पूँजीवाद को हटा कर शोपणहीन समाज का निर्माण—वर्तमान अर्थव्यवस्था जन-शक्ति के आधार पर न होकर पूँजी के आधार पर ह। श्रमियों का शोपण हो रहा है, यह दो प्रकार से है—एक तो व्यवन्था, प्रवन्ध या इन्तजाम के नाम पर, और दूसरे केन्द्रित उत्पादन की चीजों का वितरण करने के बहाने। हाथ-उद्योग या ग्रामोद्योग स्वावलम्बी और विकेन्द्रित उत्पादन का प्रतीक है। इसमें वितरण की आवश्यकता तो अपने-आप सतम हो जाती है, और जब इस पद्धति को समझ बूझ कर अपनाया जाय अर्थात् इन्तजाम भी जनता स्वर्व ही सहकारिता आधार पर कर ले, तब शोपण के भी मार्ग बन्द हो जाते हैं। इस प्रकार स्वावलम्बी और विकेन्द्रित उत्पादन पद्धति अपनाने से ही जनता शोषण से मुक्त हो सकती है। ग्रामोद्योग, विकेन्द्रित उत्पादन और वितरण के सम्बन्ध में खुलासा विचार आगे किया जायगा। यहाँ सचेष में यह सूचित करना है कि इस समय जो पूँजी का प्रभुत्व है, और अम अर्थात् सर्व-साधारण का शोपण हो रहा है, उसे समान कर शोपणहीन समाज का निर्माण किया जाना चाहिए। आवश्यकता है कि पूँजीपति अर्थात् शोपक समझ बूझ कर शारीरिक अम अपनाकर 'मजूर' बन जाये, मजदूरों में विलीन हो जाये, अन्यथा वे मजदूर द्वारा समात किये जाने के लिए तैयार रहें। आजके युग की स्तर से बड़ी और मुख्य माँग शोपणहीन समाज की रचना है और यदि हम उस माँग को स्वेच्छा से पूरी नहीं करेंगे तो हमें यह कार्य मजबूर होकर करना पड़ेगा।

पूजी वनाम श्रम—आजकल पूजी की तुलना में श्रम की बहुत कुछ उपेक्षा की जाती है। यहाँ तक कि उसे पूजी बढ़ाने का साधन मान लिया गया है। बड़े-बड़े यत्रोद्योगों में निरतर यह प्रयत्न होता रहता है कि जिस काम को एक हजार श्रमी करते हैं, उसे करने के लिए ऐसी मशीन रूपी पूजी का आविष्कार हो जाय, जिसके द्वारा उसे केवल सौ-दो सौ और पीछे क्रमशः उससे भी कम श्रमी कर सके। मशीनों और इमारतों की वृद्धि और विस्तार देश का वेमध्य माना जाता है। उनमें काम करने वाले श्रमियों की कमी पर गर्व किया जाता है। यह नीति वनाशकारी है। हमें याद रखना चाहिए कि कोई राष्ट्र लोहे और पत्थरों का, अथवा आलीशान इमारतों आदि का नहीं होता। उसका जीवन प्राण तो श्रम करने वाली जनता ही होती है। यदि श्रम है तो आवश्यक सम्पत्ति या पूजी का निर्माण सहज ही हो सकता है, और, आखिर पूजी का उपयोग भी तो इसी में है कि वह जनता के हित में लगे। निदान, पूजी और श्रम में प्राथमिकता तो श्रम को ही मिलनी चाहिए।

अठारहवां अध्याय

खेती

मेरी आखिरी आकाशा यह है कि हर गाँव एक-एक कुदुम्ब वन जाय, सब मिलकर जमीन जोते, पेटा करे, खायें-पीये और रहें। मैं चाहता हूँ कि हर गाँव गोकुल वन जाय।

—विनोदा

विद्युले अध्याय में उत्पत्ति के साक्षों—भूमि और ध्रम थाइ—जे सम्बन्ध में लिख चुकने पर अब हम खेती सम्बन्धी विविध प्रश्नों पर सवाल पूछते से विचार करेंगे।

खेती का महत्व—खेती से आदमी भी नूल आवश्यकताओं की पूर्ति न ही सामान नहीं मिलता, इससे उसे स्वान्ध्य सूक्ष्मिकी और ताजगी भी प्राप्त होती है। इसका उसके जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जहाँ तक सम्भव हो खेती करनी चाहिए। खेती से आदमी को प्रकृति माता गी गोद में रहने का अनुनव होता है। इसका आनन्द प्राप्त करने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए।

भूमि का उचित विभाजन—पहले कहा जा चुका है कि इस समय भूमि विविध राष्ट्रों में तथा प्रत्येक राष्ट्र के सब व्यक्तियों में लोकहिन की दृष्टि से विभाजित नहीं है। ऐसी नियति में खेती की पेटावार वयेष्ट न होना, तथा जो होती हैं, उसका जनता में बहुत असमान रूप से बटना स्वाभाविक ही है। विविध राष्ट्रों में एक-दूसरे के प्रति, तथा एक राष्ट्र के सब आदमियों ने आपस में, सदानुभूति और बधुल की कियात्मक भावना हो अहीं इस नियति में सुधार होना चाहिए। इस विषय में खुलासा पहले लिखा जा चुका है। प्राकृतिक स्थिति या भूमि के शुणों की भिन्नता के नारण सब न्यानों में मिसी परिवार के लिए आवश्यक भूमि का एक ही परिमाण निर्धारित नहीं किया जा

सकता, तथापि यह कहा जा सकता है कि एक परिवार के पास इतनी भूमि होनी चाहिए, जिसकी पैदावार से उसकी जीवन-रक्षा के पदार्थ यथेष्ट परिमाण में मिल सके, और जिस पर वह साधारणतया स्वयं ही खेती कर सके। जो लोग खेती करने योग्य न हों, या स्वयं खेती न करते हों, उन्हें जमीन रखने की आवश्यकता नहीं, वे उद्योग धन्धो आदि से अपना निर्वाह करें।

भूमि के उपयोग में ध्यान देने की बात—भूमि के उपयोग में प्राथमिकता आदमी की मुख्य आवश्यकताओं—भोजन, पर्श और मकान आदि—की पूर्ति को देनी चाहिए। इसलिए

(१) यथा-सम्भव मकानों के लिए ऐसी ही भूमि काम में लायी जाय जो खेती के लिए आयोग्य हो अर्थात् जिस पर खेती न हो सकती हो, या खेती करने से पैदावार की मात्रा बहुत कम होती हो।

(२) जहाँ तक सम्भव हो हर एक बस्ती के आदमियों को अपने भोजन की तथा अन्य प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति के पदार्थ अपनी बस्ती में उत्पन्न करने चाहिए, जिससे वे स्वावलम्बी हों, उन्हें दूसरों के आश्रित रहने की जरूरत न हो।

(३) हर एक बस्ती को अपने स्थान के लिए आवश्यक उद्योग धधोंके लिए जिस-जिस और जितने-जितने कच्चे माल की आवश्यकता हो, उसे वह माल भी उतनी मात्रा में स्वयं पैदा करने का प्रयत्न करना चाहिए।

(४) अपनी जरूरत से अधिक पैदा करने में अपने अन्य बधुओं की सहायता करने का लक्ष्य रहे, मुनाफा कमाने का नहीं।

संतुलित खेती— अनेक स्थानों में यह शिकायत है कि खेती के लिए इतनी भूमि नहीं है, जिससे वहाँ जनता की भोजन-वस्त्र सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। उदाहरण के लिए भारत में प्रति व्यक्ति के हिसाब से औसतन पौन एकड़ भूमि आती है, और इससे इतनी पैदावार नहीं होती कि सब निवासियों का अच्छी तरह निर्वाह हो जाय। भूमि की वह कमी मालूम होने का मुख्य कारण यह है कि हमारा भोजन संतुलित नहीं है, हम अधिकतर अन्न पर निर्भर रहते हैं। यह ठीक है कि एक एकड़ भूमि में पैदा होने वाला अन्न उसमें पैदा हो

उक्कने वाले अन्य पदार्थों की अपेक्षा अधिक 'केलोरी' वा जीवन-मान (शरीर के लिए आवश्यक उत्पादों की मापक इकाइया) देता है, परन्तु अन्न से गरीर-रक्त के भोजन के अश कम मात्रा में मिलते हैं। अगर हम ये अश लेने के लिए बैबल भोजन के अन्न पर ही निर्भर रहें तो अन्न की बहुत बड़े परिमाण में आवश्यकता होती है। इसके विपरीत, यदि अन्न के प्रकृति के रूप में फल, सब्जी, दूध और उसकी बनी चीज़, गुड़, मेवा आं तेलहन आदि का उत्पयोग करें तो सतुलित भोजन के विविध भागों की पूर्ति, केवल अन्न की अपेक्षा इन पदार्थों के रूप परिमाण से ही हो सकती है। गुड़ में तथा आलू आदि कन्दमूल में, प्रति एकह अन्न को लाख है। इसमें प्रति व्यक्ति भूमि की आवश्यकता कम होती है, और साथ ही इससे शरीर को ठीक और स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक तत्व उचित परिमाण में मिल जाने हैं। इसका विचार करके खेती करने से भूमि की रक्षा की समस्या में मिल जाने हैं। प्रत्येक वस्ती की भूमि विविध फसलें पेदा करने के सहज ही हल हो जाती है। प्रत्येक वस्ती की भूमि विविध फसलें पेदा करने के लिए इस प्रकार विभाजित की जानी चाहिए जिससे वहाँ की जनता की सतुलित भोजन, अन्न आदि की प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए।

आगे के नक्शे में यह दिखाया जाता है कि एक लाज़ आवादी के लिए मतुलित खेती करने के बाने भूमि का विभाजन इस प्रकार होना चाहिए। इसमें ऐसे सतुलित शाकाहार वा निरामिय भोजन का हिसाब लगाया गया है कि औरन ढर्जे के आदमी को प्रति दीन २८४० जीवन-मान तथा प्रति वर्ष २५ गज़ क्षेत्र मिल जाय। मासाहारियों के लिए दूध के बजाय १० तोले नास वा मछली त्रोर एक अंडा रखा जा सकता है।

इसमें सारे भारत के अर्मों के आधार पर भोज्य हिसाब लगाया गया है, अवश्य ही इसमें स्थान-मेड से अन्तर रहेगा। अगर हम प्रत्येक व्यक्ति को आठ छूट्याक अन्न देते हैं तो इसका अर्थ यह है कि ६५.२ प्रतिशत भूमि अन की खेती में लगानी चाहिए। इसी प्रकार अन्य बातें समझी जा सकती हैं। न टिसाब एक लाख आवादी के लिए लगाया गया है। अगर कोई गाँव या मिली हुई इकाई इन पदार्थों को इस अनुपात में पेदा करे तो वहाँ के आवनियों की प्रमुख आवश्यकताएं पूरी हो जायगी। इस लिए हमें इस प्रकार भी सतुलित

पदार्थ	तोले प्रति दिन जीवन-मान	एक लाख जनता के लिए		भूमि प्रतिशत ०
		सेर प्रति वर्ष	आवश्यक भूमि एकड़ो में	
१—भौजन				
आन	५०.००	१८२५०	४३,४००	६,५५२.
दाल	५.००	२००	५,४००	६,२१०
गुड	५.००	२००	२,२००	२,३८०
मिठा	२५.०	१४५	१,१४०	१.८
तेल	१०२५	२५५	२,६००	२,८३०
घी	१०२५	२५५	५,७०	३,४५०
दध	३०.००	२४०	५,७०	—
सबजी	२०.००	५८	१३६८५	—
आलू, आदि	१००.००	१००	४५,६२	२,८४०
फल	१०.००	५८	४५,६२	२,१५०
२—कपड़ा				
रुई	२८४०	६१२५	७,११२५	११३
योग			६६,६००	१०००

१०८

चीज तथा वास
के लिए १५%
अतिरिक्त भूमि

खेती का लक्ष्य रखना चाहिए। किसानों को अपनी भूमि में उसी विचार से फसलों को पेटा करने की अनुमति दी जानी चाहिए, उन्ह भूमि का उपयोग समाज-हित की दृष्टि से करना चाहिए, अपने मुनाफे के लिए नहीं। २.

व्यापारिक फसलों पर प्रतिबन्ध—इससे वह सष्ट ही है कि व्यापारिक पेटावार बहुत सीमित कर दी जानी चाहिए। समझदार विचार स्वयं ऐसा करेगे, तथापि पचायतों द्वारा ऐसे पथ-प्रटर्शन की व्यवस्था होनी चाहिए कि किसान किस-किस फसल को पेटा करे। जिस भूमि पर फसले मुनाफे की दृष्टि से पेटा की जाय, उन पर मालगुजारी काफी अधिक लगायी जाए।

खेती की उन्नति, बैलों का संवाल—खेती की उन्नति के सावारण उपाय सर्वविदित है। अत. यहाँ उनका विचार न कर बैल, सिचाई और खाद के बारे में कुछ बातों का उल्लेख किया जाता है। भारत में बलों को सर्वावहुत काफी है, परन्तु अविकृत बैल कमज़ोर है, उनसे योग्य काम नहीं होता, वे प्रायः किसानों के लिए भार-रूप हैं। अच्छे बैल यहाँ आवश्यकता से कम हैं। इसलिए यहाँ बैलों की नसल सुवारने और उन्हे हार्ड-पुण्ड बनाने की बहुत आवश्यकता है।

कुछ दशाओं में इससे भी समस्या हल न होगी। आवश्यकता होने पर गायों से भी खेती आदि का काम लिया जा सकता है। मिन्न में इसकी सामान्य प्रथा है। गायों से काम लेने से उनका दूध कम नहीं होता, और न उनके स्वास्थ्य पर ही कुछ हानिकारक प्रभाव पड़ता है। जब गाय खेती आदि का भार करने लगेगी तो उनकी उपयोगिता बढ़ने से उन्हे भली-भाति खिलादा दिलाया भी जा सकेगा। यही बात साड़ों के बारे में विचारररीय है। उनसे काम न लेने के सम्बन्ध में हमारी जो अविकेप-पूर्ण विचारधारा बनी हुई है, उसे छोड़कर हमें अपने पशु-धन की, और उस के साथ येती की, उन्नति करनी चाहिए।

सिचाई, कुएँ, तालाब और घांध—सासार में बहुत कम देंगे ऐसे हैं, जहा सिचाई के साधनों की पूर्ण व्यवस्था हो। भारत में तो ७० प्रनिशत

• श्री जो का. कुमारपा की 'इकानामी आफ परमेनेस्ट', भाग २. ने

भूमि ऐसी है कि उसमे उचित वर्षा होने से ही ठीक उपज हो सकती है। अतः वृष्टि और अनावृष्टि दोनों ही बहुत हानिकर है। इन्हे रोकने के लिए छोटे छोटे बाधों और तालाबों की जरूरत है। अधिक वृष्टि होने पर खेतों का पानी बाधों तथा तालाबों में भेजा जा सकता है, और कम वृष्टि होने पर उनमे एक-त्रित जल से तिचाई हो सकती है। भारत मे पहले छोटे-छोटे तालाबों की सख्त बहुत थी। पर इवर लोगो ने स्वार्थवश उनके खेत बना लिये। आवश्यकता है कि पुराने तालाबों को ठीक किया जाय और जहाँ-तहाँ नये तालाब, और बाध बनाये जाये। यहाँ बहुत से क्रृएं भी नष्ट हो गये हैं, अर्थवा उनमें मिट्टी गिर जाने से उनमे पानी बहुत कम रह गया है। इनकी मरम्मत आदि की जानी चाहिए। किसानों को ऐसे कामों के लिए यथेष्ट प्रोत्साहन और सहायता दी जाने की जरूरत है।

विजली के पम्पों और नहरों से हानिया भी हैं—सिंचाई के दो बड़े साधन विजली के पम्प और नहरें हैं। इनसे बहुत लाभ होता हुआ प्रतीत होता है, पर कुछ सज्जनों के मत से हानिया और भी अधिक है। उदाहरण के लिए श्री जो का कुमारपा ने लिखा है कि ‘विजली के पम्प के आ जाने से जमीन के नीचे का पानी इतना गहरा उत्तर जाता है कि तालाब और कुओं में नहीं आ पाता। यही नहीं, पुराने झाड़ भी सूख जाते हैं, क्योंकि जमीन के नीचे का पानी उनकी जड़ों से नीचे उत्तर जाता है। सूखे झाड़ काट डाले जाते हैं और मिट्टी वह जाने के लिए खुली कर दी जाती है। हमारी जमीन की हालतों से यह स्पष्ट है कि जो जलरी है वह यह नहीं कि हमारी जमीन के नीचे के पानी को खूब खींचा जाय, बल्कि यह कि समुद्र मे व्यर्थ वह जाने वाले पानी का सग्रह किया जाय। दूसरे शब्दों मे कहे तो यह कि विजली के पम्पों की अपेक्षा हमे नदी नालों पर छोटे-छोटे बाध बाधने की ज्यादा जरूरत है, जिससे वरसात के पानी का सग्रह किया जा सके।’

इसी प्रकार नहरों की बात है। इनके भी फायदे तो सब बताते हैं, पर प्रायः इनसे होने वाली हानियों की ओर व्यान नहीं दिया जाता। नहर की व्यवस्था अनिवार्यत, सरकार के अधीन होने से इसमे परावलम्बन तो है ही। इसके अतिरिक्त नहरों से प्रायः ये हानिया होने की सम्भावना रहती है—(१) खेतों में

वालू पहुँचने से पेटावार पर बुग ग्रसर पड़ता है, (२) नेह या अन्य खाद की अविकल्पता वाले केवल से बहकर आने वाला पानी खेतों पर दजर बना डालता है। (३) नहरों के कारण वर्षा के पानी न स्थानाविक बहाव रुक जाता है, पानी सहजता है, सील की जगह पदावार कम या खराब होती है। आसपास की वस्तियों के मनुष्यों तथा पशुओं का न्यान्य बिगड़ता है।

प्रत्येक देश की सरकार या चाहिए कि विजली के पम्पा या नहरां द्वारा सिंचाई का विस्तार करने से पूर्व अब्जने यहाँ की भूमि पर इनके पड़ने वाले प्रभाव की विशेषज्ञी द्वारा अन्धी तरह जाँच करा ले, और विस्तार केवल उन्हीं स्थानों में करे, जहां यह बहुत उग्योगी नावित हो।

कृषि-यत्रीकरण में लाभ हानि—बहुत से देशों में मितनी ही भूमि ऐसी है, जिसमें प्रगति करने से यती होना सम्भव है, पर की नहीं जाती। उदाहरण के लिए कहीं-कहीं खाड़ या अन्य धास उगी रहती है, जिसमें जड़े जमीन के अन्दर बहुत गहराई तक गरी हुई होती है। इस धास को निकालना और इस भूमि में हल चलाना या बीज बोना आसान नहीं है। ट्रैक्टरों की सहायता से यह काम हो सकता है। पर क्या साधारण भूमि में भी ट्रैक्टरों आदि मशीनों से काम लेना अच्छा है? पहले भारत की वृष्टि से विचार करें। अभी तो मशीन विदेशों से मगाने का सवाल है, पर मान लो तुझ समय बढ़ ये यहा ही बनावी जा सकती हैं। तब भी इन्हें चलाने के बान्ते पेट्रोल की जल्लत होगी, इसके लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना होगा। दूसरी ओर हमारे यहा मनुष्य-शक्ति की कमी नहीं, यहाँ तो उसका योग्य उपयोग करने की ही समस्या है, जिससे हर आदमी को काम अर्थात् आजीविका का सावन प्राप्त हो। बड़े-बड़े यन्त्रों से तो बेकारी बढ़ने वाली ठहरी। उस प्रकार यहा कुछ खास दशाओं में और बहुत परिमित सीमा तक ही उनका उपयोग किया जाना चाहिए।

अमरीका में यह अनुभव में आया है कि ट्रैक्टरों या बड़ी मशीनों व्य सहायता से खेती की उपज उस समय तो बहुत बढ़ जाती है, पर पीछे उस वृद्धि का परिमाण घट जाता है, वृद्धि को बनाये रखने के लिये या तो राजापनिक और खनिज खाद दिये जाते हैं, (जिन के विषय में हम आगे लिखेंगे) या

फिर उस भूमि को छोड़कर दूसरी नयी जमीन में खेती की जाती है। यह सप्तष्ट ही है कि जिन देशों में भूमि कम है, और सारी भूमि पर निरतर खेती होती है, वहाँ यह विधि उपयोगी नहीं हो सकती। ट्रैक्टरों से खेती की उपज में यदि कुछ वृद्धि होती है तो वह अस्थायी ही होती है, इसलिए टीर्धकालीन हित की दृष्टि से उनका उपयोग वाढ़नीय नहीं है।

वैज्ञानिक खेती की आवश्यकता—बहुधा यात्रिक खेती और वैज्ञानिक खेती का भेद भुलाकर दोनों को एक ही समझ लिया जाता है। वास्तव में ये अलग-अलग हैं। वैज्ञानिक खेती वह है जिसमें इस बात का अच्छी तरह विचार रखा जाय कि अमुक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए किस प्रकार की भूमि तथा कैसी आवोहवा का ज्ञेत्र उपयोगी होगा, उसमें खाद कैसा, कितना और किस प्रकार दिया जाय, उसमें पानी कब और कितना देना ठीक होगा। इसके विपरीत, यात्रिक खेती में खेती सम्बन्धी विविध प्रक्रियाओं को यत्रोदारा करने पर जोर दिया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य मजदूरों को कम करना होता है (पैदावार बढ़ाना नहीं)। इस प्रकार वैज्ञानिक खेती यत्रों के बिना भी हो सकती है। प्रत्येक देश में खेती वैज्ञानिक पद्धति से होने की जरूरत है। भारत में इस और यथेष्ट व्यान दिया जाना चाहिए।

खाद के सम्बन्ध में विचार—वर्तमान अवस्था में, अनेक स्थानों में प्राकृतिक खाद का यथेष्ट उपयोग नहीं किया जाता। भारत में खासकर गाँव में गोवर खूब होता है, परन्तु खाद के लिए उसके प्रायः उतने ही हिस्से का उपयोग किया जाता है, जो वर्षा ऋतु में मिलता है। शेष आठ-नौ माह तो गोवर के कडे या उपले बनाये जाकर उनसे ईंधन का काम लिया जाता है। आवश्यकता है कि गाँवों के पास जगल और चरागाह काफी हों, जिससे वस्ती की हवा शुद्ध होने के अतिरिक्त, लोगों को ईंधन और चारा यथेष्ट परिमाण में मिल सके, और गोवर जलाने की जरूरत न रहे।

इसके अलावा यह भी विचार करना चाहिए कि गाँवों में आदमी मल-मूत्र और कूड़ाःरुचरा जहा-तहों छोड़ते रहते हैं, इससे हवा बिगड़ने और लोगों का स्वास्थ्य खराब होने के अतिरिक्त खेती बहुत से कीमती खाद से बच्चित रहती है। हरेक वस्ती से बाहर गढ़े खोद कर शौचगृह बनवाने और उन्हीं में गोवर,

कुड़ा कच्चग ढालने की व्यवस्था होनी चाहिए। एक गट्टे के भरने के बाद उसका खाद तैयार होने तक दूमरे गट्टे का उपयोग किया जाय। इससे गाव की गन्दगी दूर होने के साथ बहुत उपयोगी खाद मुफ्त में ही मिल जाती है।

रसायनिक या खनिज खाद से मावधान !— याद रहे कि रासायनिक या खनिज खाद जमीन के लिए स्वाभाविक पोषक नहीं है। ये जमीन को कुछ हठ तक उत्तेजित करते हैं, इससे पेटावार बढ़ जाती है, पर उस पेटावार में पोषक या स्वास्थ्यप्रद तत्व व्येष्ट परिमाण में नहीं होते।

इसलिए अनेक विशेषज्ञों का मत है कि रासायनिक या खनिज खाद का उपयोग बहुत सोच विचार कर, एक परिमित परिमाण में ही होना उचित है, अन्यथा लाभ के बदले हानि ही होगी। भारतव में यह कार्य ऐसा ही है, जैसा सोने का अड़ा टेने वाली मुर्गी वा पेट चीर कर एक साथ ही पूरा फानदा उठाने की चेष्टा से हमेगा होनेवाले लाभ से बचित हो जाना।

बड़े पैमाने की ओर छोटे पैमाने की खेती— कुछ आदमी बड़े पैमाने की खेती पर बहुत जोर दिया करते हैं। भारत में इसकी उपयोगिता सीमित ही है। इस प्रस्तुति में श्री किशोरलाल मश्तूवाला का निन्नलिखित कथन विचारणीय है —

‘किसी का छोटे पैमाने पर की जाने वाली खेती में विश्वास हो या न हो, आज के हिन्दुस्तान में तो अनाज की पेटावार का वही एक मुख्य जरिया है। बड़े पैमाने की खेती का दायरा व्यापारी फसलों तक ही सीमित रहे, उसे अनाज की फसलों की होड़ में उत्तरने का मौका नहीं मिलना चाहिए। अगर इससे अनाज भी पैदा करना हो तो वह काम खुद सरकार को ही करना चाहिए।’

इसी प्रकार श्री विनोदा ने कहा है कि—

‘भूमि व्यवस्था को हल करने के लिए हमें रस व अमरीका की नकल नहीं करनी चाहिए की करनी है। अमरीका में प्रति व्यक्ति १५ एकड़ से भी अधिक भूमि उपलब्ध है और रस में तो उसका औसत और भी बड़ा है, पर भारत में जितनी भूमि है वह सब को वरावर बाँट

भी दी जाय तो एक या सवा एकड़ से ज्यादा का औसत यहाँ नहीं पड़ता। इसलिए यहाँ न तो रुस का सामूहिकवाद चल सकता है, न अमरीका का यांत्रिक-खेतीवाद। १००% मेरा अनुभव है कि छोटे खेतों में, जिसकी किसान स्वयं पूरी देख-भाल कर सकता है, उत्पादन का औसत अधिक होता है। हाल ही में भारत सरकार ने जो अधिक अब उत्पादन प्रतियोगिता की थी, उससे पता चला कि एक एकड़ भूमि में एक किसान ने अपना ध्यान-तथा मेहनत केन्द्रित कर १५० मन धान उत्पन्न कर सखार का रेकार्ड तोड़ा, यद्यपि ससार में उसकी भूमि से अधिक उपजाऊ भूमि तथा साधन उपलब्ध थे। यदि वह एक एकड़ के स्थान पर सौ एकड़ की खेती करता तो यह औसत कभी नहीं पड़ सकता था, क्योंकि एक तो उसके पास इतना समय न होता, जो सारे खेत की देखभाल तथा मेहनत में लगा सके और दूसरे उसके पास इतनी बड़ी जोत के लिए खाद व अन्य खर्चों की पूँजी भी नहीं हो सकती थी, और, जिसके पास पूँजी होती और जो नौकरों से काम लेद्दा वह इतना काम करा नहीं सकता, जितना कि वह खुद कर सकता।

विशेष वक्तव्य—सहकारी पद्धति से खेती करने से कई बातों में किफायत होती है, और पैदावार बढ़ती है। पर भारत की वर्तमान स्थिति में याह लाभकारी नहीं हो रही है। श्री विनोद का इरादा प्रारम्भ में इसी पद्धति का समर्पन करने का था। पर तेलगाना में विचार और अनुभव के बाद उन्हें यह समझियक नहीं लगा। उनका मत है कि सहकारिता का प्रयोग तभी सफल हो सकता है, जब वह युक्ति और गणित से किया जाय। जिन लोगों को सहकारिता का अभ्यास नहीं है, और हिसाब-किताब का यथेष्ट ज्ञान नहीं है, उन पर यह चीज लादना ठीक न होगा। हा, आगे जाकर छोटे-छोटे हिस्सों की जमीन बांले किसानों में कई बातों में सहकार हो सकता है, जैसे दस-पाच परिवार मिलकर बैलों की जोड़िया रख सकते हैं। हरेक किसान अलग-अलग रखवाली करे, इसके बजाए वह काम सहकार से किया जा सकता है। फिर जमीन के साथ ग्रामीण दोग भी रखने की ज़रूरत तो है ही। ग्रामोद्योगों के विषय में आगे लिखा जायगा।

उन्नीसवाँ अध्याय

ग्रामोद्योग

लोग पूछते हैं कि छोटी-छोटी वातों से क्या होना है, यह जमाना महत् परिणामों के लिए काम करने का है। ग्रामोद्योगों में जब करोड़ों हाथों का उपयोग हो सकता है, और करोड़ों लोगों का पेट भर सकता है, तब यह काम छोटा कैसे माना जा सकता है।

—विनोदा

साधारण आवश्यकताओं की पृति के लिए हमारा यह ध्येय होना चाहिए कि अपने ग्रामों और घरों में अपने कुदुम्ब के भाथ रह कर कारीगर उत्पादन का कार्य करे। इसी नीति से सुझे मानवता और नीतिकता की रक्षा दिखायी देती है।

—पुस्पोत्तमदास टंडन

ग्रामोद्योग किसे कहते हैं?—ग्रामोद्योग से ऐसे उद्योग का आशय है, जिसके द्वारा बनने वाली चीजों का उत्पादन, विनियम और उपयोग बहुत-कुछ गाँव के भीतर ही हो जाय। उदाहरण के तौर पर मिट्टी के वर्तनों को ले। ये गाँव में बनते हैं, वही उनका अटलबटल या खरीट-बेच होती है, और वही वे काम में लाये जाते हैं। नेतृ, पशु-पालन हाथ-चब्बी, तेलघारी, चर्पा, कर्धा, चमारी, कुम्हारी आदि के बन्धे ऐसे व्यापक और पिराट उद्योग हैं, जो हरेक गाँव में फैले हुए हैं, जो गाँव की अर्थ-व्यवस्था और गाँव के जीवन के मूल आधार है। इनमें काम आने वाला कच्चा माल स्वार्नीम होता है। ये उद्योगफैशन और विलाचिता, सजावट और प्रदर्शन की बन्तुएँ उत्पन्न नहीं करते, बल्कि बहुत बड़े परिमाण में दैनिक आवश्यकताओं की अनिवार्य बन्तुओं ना उत्पादन करते हैं।

ग्रामोद्योग प्रत्येक परिवार को स्वावलम्बी बनाने के लिए नहीं होते। वास्तव में कोई परिवार अपने जीवन-निर्वाह के लिए पूरे तौर से स्वावलम्बी हो भी नहीं सकता। अस्तु, ग्रामोद्योगों का लद्य यही होता है, और हो सकता है कि एक गाँव या दो-चार या पाच-दस गाँवों के क्षेत्र की एक-एक इकाई आत्म-निर्भर या स्वावलम्बी हो। इस प्रकार इस अर्थ में भी ये उद्योग ग्रामोद्योग होते हैं।

गांधी जी के विचार—भारत के ग्रामोद्योग के सम्बन्ध में गांधी जी के कुछ विचार श्री मश्रुवाला के शब्दों में ये हैं—

हिन्दुस्तान में खेती और उद्योग एक दूसरे से अलग नहीं किये जा सकते वल्कि खेती के साथ कोई भी दूसरा धन्धा अवश्य होना चाहिए।

सहायक धन्धे में नीचे लिखी अनुकूलताये होना चाहिए—

(अ) वह मुख्य धन्धे यानी खेती के अनुकूल होना चाहिए। उसके लिए खेती विगड़नी पड़े, ऐसा न होना चाहिए। (आ) अतः यह धन्धा ऐसा होना चाहिए कि मुख्य धन्धे को बिना कोई नुकसान पहुँचाये 'चलाया जा सके। (इ) इसके सिवाय इस धन्धे का रूप नौकरी का नहीं वल्कि स्वतन्त्र श्रम का होना चाहिए। (ई) इन्ही कारणों से इस धन्धे में यत्र अथवा माल के लिए इतनी पूजी की आवश्यकता न होनी चाहिए कि वह निर्धन जनता की सामर्थ्य से बाहर हो। (उ) यदि करोड़ों जनों को उसे अपनाने की सलाह देना है तो यह धन्धा ऐसा होना चाहिए कि इसका माल आसानी से खपाया जा सके अर्थात् यह सार्वजनिक उपयोग की बस्तु हो।

कुटीर उद्योग और गृह उद्योग—इस प्रसग में यह जान लेना चाहिए कि कुटीर उद्योग और गृहोद्योग का क्या अर्थ है और इन उद्योगों में और ग्रामोद्योगों में क्या अन्तर है। कारण कुछ लोग इन तीनों शब्दों में विशेष भेद नहीं करते और इनका उपयोग कुछ मिले जुले अर्थ में कर लेते हैं। अस्तु, कुटीर उद्योग में यह आवश्यक नहीं है कि उसके लिए कच्चा माल स्थानीय ही हो, जैसे गटापाचा या झास्टिक बाहर से मगा कर उसके खिलौने बना लिये जाते हैं। ये चीजे प्रायः ऐसी होती हैं कि आदमी अपने फुरसत के समय बना सके, और धनवानों या शौकीनों के काम आये। इन्हें अपने यहाँ बेचने के

अलावा विदेशी बाजारों में भी भेजा जा सकता है। प्रबोधोगों में सम आने वाले सरल छोटे-छोटे पुर्जे बनाने या उन्हें ठीक टग से बैठाने का काम भी घरों में किस जाने की दशा में कुटीर उद्योग कहलाता है। उदाहरण के लिए घड़ी, फाउन्टेनपेन या ताली आदि के उद्योगों की कुछ किसाएँ कुटीर उद्योग के स्पष्ट में होती हैं।

ग्रहोदय अविकृत ऐसे उद्योग हैं, जिनका काम वर वाले, लाखकर तिरों कर लेती हैं। बेल-बूटा, भिलाई या भौजे, स्चेटर और बनश्चन आदि भी बुनाई का काम, जाली का काम और मुख्य, अचार पापड आदि इनके द्वारा उदाहरण हैं। इन जीजा का उपयोग प्राप्त वर में ही हो जाता है।

ग्रामोद्योगों का महत्व, समाज-भंगठन—ग्रामोद्योगों में उत्पादन और उपयोक्ता में प्रलक्ष या भीधा सम्पर्क रहता है। बिसान, कारीगर, बैची, चमार, जुलाहा, तेली, टर्डी आदि एक दूसरे को जानते हैं। उनके अच्छे कार्यों की प्रशसा, और स्वराच काम की आलोचना होती है। उन पर लोकमन न प्रभाव पड़ता है, और उन्हें अच्छे व्यवहार की प्रेरणा मिलती है। हरेक आटमी अपनी कुछ आवश्यकताओं की पृथिवी के लिए दूसरे को आजीविका का काम देकर उसकी ऐसी सहायता करता है, जिससे न तो देनेवाले में अहंकार आता है, और न लेने वाले में कुछ दीनता आती है। दोनों समाज धरातल पर रहते हैं। इस प्रकार ग्रामोद्योगों से समाज एक स्वस्थ और न्यायी आवार पर सगठित होता है, जिसमें एक सदस्य की उन्नति का अर्थ स्वभावत दूसरे सदस्यों की भी उन्नति होना है, और सब मिल कर उन्नति करते हुए जीवन व्यतीव करते हैं।

शोपण का अभाव और स्वायत्लभन—ग्रामोद्योग में श्रमी लकड़न और न्यावलभी होता है, वह दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। वह साधारण औजारों से काम करता है, जिनका मालिक वह नुद ही होता है। उत्पादन का प्रा लाभ उसे ही मिलता है, कोई दूसरा व्यक्ति अर्थात् पैर्जीपति उसके द्वारा होने वाली आय के किसी अग्र का अपहरण नहीं कर सकता, कारण, उसका इसमें कोई स्थान ही नहीं होता। इस प्रवार ग्रामोद्योग पड़ति में शोपण की गुबाहश नहीं होती।

हिंसाद्व से मालूम हुआ है कि भारत के सूती कपड़े के कारखानों में बिके माल की कीमत का केवल वीस-वाईस प्रतिशत ही मजदूरी का भाग होता है, जबकि खादी में इस भाग का अनुमान ६० से ७० प्रतिशत तक होता है। वास्तव में ग्रामोद्योगों ने वस्तु के मूल्य में, कच्चे माल तथा यातायात का व्यय और दुकानदार का साधारण पारिश्रमिक निकल कर शेष सब मजदूरी ही होती है, उसमें मुनाफे का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रमियों की स्वतन्त्रता—ग्रामोद्योग में श्रमी किसी के अधीन नहीं होता, वह स्वयं अपना मालिक होता है। उसे जब जरूरत हो, उसकी तबियत ठीक न हो, बाल-बच्चों की सांसभार करनी हो, या घर का कोई काम करना हो, अथवा किसी अतिथि का स्वागत-संत्कार आदि करना हो, या किसी की विवाह शादी या मृत्यु-संस्कार आदि में भाग लेना हो तो वह अपने काम से सहज ही अवकाश ले सकता है। यत्रोद्योग पद्धति में यह बात कहाँ।

मनुष्य का विकास—ग्रामोद्योगों में आदमी पूरी चीज बनाता है, वह उस चीज के विविध हिस्सों का पारस्परिक सम्बन्ध जानता है, और उनका एक-दूसरे से मेल बैठाता है। इसमें उसे अपनी बुद्धि का उपयोग करना होता है। इससे स्वभावत उसका विकास होता रहता है। यत्रोद्योगों में यह बात नहीं होती। आदमी यत्र के द्वारा किसी वस्तु के छोटे से भाग को बनाता रहता है, अथवा यों कहें कि वह उसमें काम आने वाली सैकड़ों क्रियाओं में से किसी एक को करने में लगा रहता है, असल में वह किया तो मशीन से होती है, आदमी केवल उसकी देख-रेख या सार-सभार करता है, उसे अपनी सूझ-बूझ से काम लेने का अवसर नहीं मिलता। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति में कारी-गरी का जो योड़ा-बहुत मादा होता है, वह यत्रोद्योग में समाप्त हो जाता है। मनुष्य के विकास की विशेष गुजायश ग्रामोद्योगों में ही है।

नेकारी का हल—भारत में लगभग सत्तर फीसदी आदमियों का धधा खेती है, और ये साल में कुल मिलाकर कई-कई माह वेकार रहते हैं। इनके अलावा दूसरे आदमियों में भी वेकारी है ही। छत्तीस कोड आत्रादी वाले इस देश की इतनी बड़ी जनता को रोजगार देने के लिए यत्रोद्योग कदापि सफल

नहीं हो सकते। वास्तव में यत्रोद्योगी व्यवस्था इतनी महगी है कि उसमें यहाँ के कार्यशील लोगों में से बहुत योड़े खों को ही काम दिया जा सकता है। यह इसी से स्पष्ट है कि भारत के यत्रोद्योगों में बहुत नीचे अनुसान के अनुसार भी लगभग पॉच सौ करोड़ रुपये की पूँजी लगी हुई है, और उनका विकास बहुत बढ़ों से हो रहा है तो भी उसमें काम करने वालों की कुल सख्त्या तीन लाख से अधिक नहीं है। इस प्रकार यत्रोद्योगों ने यहाँ के करोड़ों आदमियों को काम कैसे दिया जा सकता है। यहाँ बेकारी की समन्या का हल ग्रामोद्योग को अपनाने से ही हो सकता है। यही कारण है कि गांधी जी जन्म-भर ग्रामोद्योगों के विस्तार और वृद्धि के लिए आनंदोलन करते रहे। श्री जवाहरलाल नेहरू ने भी, जो वन्ननाड़ के काफी जोरदार पक्षपाती हैं, भारत की मिथिति देने हए व्यापारियों को रहा या —

‘ओद्योगीकरण हम कितना ही शीघ्र क्यों न बढ़ायें फिर भी हम अपने लाखों करोड़ों लोगों को उसमें कैसे काम दे सकेंगे, यह सेरी ममम में नहीं आता। हमारे कारखानों में बहुत हुआ तो दो करोड़, तीन करोड़ या उससे कुछ अधिक लोग काम करेंगे, फिर भी जो बचेंगे, उनमा क्या? जब तक आप गृह-उद्योग यानी छोटे पैमाने पर या सहकारी पद्धति में चलने वाले उद्योग खड़े करके बेकारों से काम नहीं लेने तब तक आप उनका पूरा उपयोग नहीं कर सकेंगे।’

विकेन्द्रीकरण, लोकराज्य और अहिमामक समाज—ग्रामोद्योग पद्धति की एक विशेषता विकेन्द्रीकरण है। उसमें सैकड़ों या हजारों आदमी किसी उच्च अविकारी के आदेशों का आंख मीचकर पालन करनेवाले नहीं होते। इसमें तो आदमी अपने परिवार के मटन्यों के साथ अथवा सहकारी पद्धति से दूसरे व्यक्तियों के साथ काम करता है। सब का प्रेम-पूर्वक सहनोग होता है, किसी की दूसरों पर हकूमत नहीं होती। इस प्रकार ग्रामोद्योगों से लोक-राज्य के अनुकूल परिस्थितियाँ बनती हैं और उसका उत्तरोत्तर विकास होता है।

वर्तमान हिन्दूत्पक समाज की जगह हम अहिन्दूत्पक समाज की न्यायपना करना चाहते हैं तो उसकी सम्भावना विकेन्द्रीकरण-नीति से ही हो सकती है।

गांधीजी ने १६३६ में लिखा था—

‘मेरा कहना है कि यदि भारत को अहिन्सात्मक समाज की ओर बढ़ना है तो उसे कई पदार्थों का विकेन्द्रीकरण करना पड़ेगा। केन्द्रीभूत पदार्थों की स्थिरता तथा सुरक्षा पर्याप्त बाहुबल के बिना नहीं की जा सकती। आप अहिन्सा का निर्माण बड़ी मिलो (केन्द्रित उत्पादन) की सम्भवता पर नहीं कर सकते, उसका निर्माण स्वावलम्बी गांवों के आधार पर हो सकता है।’

युद्ध-स्थिति की दृष्टि से ग्रामोद्योगों का महत्व—वर्तमान काल में युद्ध इस युग का सत्य बना हुआ है। इसलिए अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में सैनिक दृष्टि से भी सोचना जरूरी है। अगर हम जनता की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यत्रोद्योगों या औद्योगिक केन्द्रों पर निर्भर रहेंगे तो युद्धकालीन स्थिति में हम अपने विनाश का मार्ग प्रशस्त करने वाले होंगे। जनता के जीवन को प्रचड़ हवाई तथा अन्य आधुनिक हमलों से सुरक्षित रखने का एक-मात्र उपाय यही है कि हमारे उद्योग-धर्म केन्द्रित न हो, क्योंकि औद्योगिक केन्द्रों में मिलो और कारखानों में बम वर्सा कर उन्हें एकदम नष्ट-भ्रष्ट किया जा सकता है। ग्रामोद्योग ही, एटम बम के युग में, डटे रहने का साहस कर सकते हैं।

ग्रामोद्योग और यंत्र— अकसर यह पूछा जाता है कि क्या ग्रामोद्योगों में विजली या अन्य शक्ति से चलने वाले यत्रों से काम लेकर उनमें लगाने वाले श्रम और समय की बचत न की जाय। इस सम्बन्ध में हम याद रखें कि ग्रामोद्योगों का लक्ष्य गाँव वालों को स्वावलम्बी जीवन विताने योग्य बनाना है। इसलिए किसी ग्रामोद्योग में कठोर श्रम बचाने वाले ऐसे सावारण छोटे यत्र का उपयोग करने में हर्ज नहीं है, जो उसे चलाने वाले व्यक्ति या परिवार के अधिकार और स्वामित्व में हो, जो उसे चलाने वाले पर हावी न हो जाय, और जो श्रमियों को वेकार करने वाला अथवा उन्हे आलसी या परमुखापेक्षी बनाने वाला न हो। इस प्रकार किसी गाँव में विजली से चलने वाले किसी यत्र का उपयोग करना तभी ठीक होगा, जब उसका उत्पादन स्थानीय क्षेत्र में हो सके, और उसके लिए दूर-दूर के केन्द्रों पर निर्भर न होना पड़े।

यंत्रों के युग में ग्रामोद्योग क्यों ? ग्रामोद्योगी चीजें सहंगी हैं !—ग्रामोद्योगों को लक्ष्य करके कहा जाता है कि 'पुराने जमाने की बातों में क्या धरा हे । अब विज्ञान और यंत्रों का युग हे । जब कारखानों में वनी सस्ती चीज मौजद है तो ये महगी चीजें खरीदना बेवकृफी है ।' महगाई के सम्बन्ध में नीचे लिखी वाले विचारणीय हैं—

(१) मिलों को कई प्रकार से सरकार द्वारा सहायता मिलती है, जैसे स्टड को साफ और सुन्दर बनाने के लिए सरकार द्वारा अन्वेषण किये जाते हैं, उनमें खच का भार जनता पर ही पड़ता है । रुई को उत्पत्ति-स्थान से मिलों तक पहुँचाने और फिर मिलों के बने कपड़े को जहा-तहा भेजने के लिए रेल (और डाक तार आदि) की व्यवस्था करने में जो खर्च पड़ता है, वह भी जनता से ही बसून किया जाता है । मालिक तथा मजदूरों के भगड़े निपटाने के लिए भी सरकार काफी सहाया खर्च करती है । मिल-मालिकों को जमीन कम कीमत में, तथा पूँजी कम सूद पर मिलती है । ये सब त्रुविधाएँ ग्रामोद्योगों को मिले तो वे कितने सस्ते हो जाय ।

(२) कारखानों में तैयार होने वाले माल के लिए बाजार दुरक्षित रखने होते हैं, इसमें प्रतिम्पद्दा होने से युद्ध की तैयारी रखनी पड़ती है, अर्थात् सहारन अल्प बनाये जाते हैं । यह सब खर्च कारखानों पर डाला जाय तो साफ मालूम हो जाय कि उनका माल सस्ता नहीं होता ।

(३) मिलों और कारखानों का सस्ता माल खरीद कर हम अपने अनेक भाई-बहनों का जीवन सस्ता बना देते हैं । कितने ही आदमी बेकारी से निराश होकर अपनी तथा अपने परिवार वालों की हत्या करते ह और कितनी ही औरतें बेश्म-वृत्ति करने को मजबूदूर हो जाती हैं ।

(४) कल-कारखानों में सौ आदमी काम करते हे तो उनसे हजारी भी आनीविका छिन जाती है । ये बेकार आदमी राष्ट्र के लिए भयकर भार होते हैं । इनमें से कुछ लोग चोरी या लूट-मार करते हे, इसलिए राष्ट्र का पुलिस और जेल सम्बन्धी खर्च बढ़ जाता हे । ये लोग अन्वस्थ और रोगी रहते हैं, इससे वस्ती में वीमारी फैलती हे, इसकी रोक-थाम ने लिए भी सरकार को प्रभन्ध और खर्च करना पड़ता हे । जनतानी सरकारों का यह भी कर्तव्य होता हे कि

राज्य में किसी को भूखा-नगा न रहने दे। इसलिए राज्य में वेकारों की सख्त वटने पर सरकार को उनके भरण-पोषण के लिए आर्थिक सहायता देनी होती है। यह सब खर्च सरकार जनता से करों या चन्द्रों के रूप में वसूल करती है।

जो लोग खादी और ग्रामोद्योगी वस्तुओं को महगी समझ कर इस्तेमाल नहीं करते, वे इन सब बातों का विचार करें। अपने उपयोग के लिए वे जो कारखानों की 'सस्ती' चीजें खरीदते हैं, वे उन्हे बास्तव में कितनी महगी पड़ती है। यह भी सोचना चाहिए कि ग्रामोद्योगों के द्वारा हम अपने भाई-बहिनों की भूख प्यास मिटाते हैं, उन्हे वेकारी से होने वाली बे-आपी मौत से बचाते हैं। मिल की चीजें खरीदने हमें उसकी सीधी कीमत चाहे कम देनी पड़ती हो, परन्तु केन्द्रित एव पूँजीवादी उत्पादन-पद्धति के कारण जो भ्रष्टाचार, अनैतिकता, रोग एव असामाजिक प्रवृत्तियाँ आदि फैलती है उन सबका हिसाब लगाया जाय तो ग्रामोद्योगी वस्तुएँ हमारे लिए आर्थिक, सामाजिक और नैतिक सभी दृष्टियों से निश्चित रूप से अत्यधिक सस्ती पड़ेगी।

ग्रामोद्योग का अर्थशास्त्र—खासकर गाँव वाले अपने-अपने गाँव की बनी चीजों का उपयोग करे तो वे आपस में प्रेम और सहयोग बढ़ाते हुए, गाँव के जीवन को अविक मधुर और गतिशील बनाने में सहायक होते हैं। उनके लिए एक दूसरे की चीजें किसी प्रकार महगी हैं ही नहीं। यह श्री विनोदा के आगे दिये कथन से अच्छी तरह स्पष्ट हो जायगा—‘गाँव में चमार है। वह जूता बनाता है तो उसका जूता हम नहीं खरीदेगे और बाहर का खरीदेगे तो गाँव का चमार मर जायगा। . . . लेकिन हम कहते हैं कि हमारे गाँव के चमार का जूता, तेली का तेल, बुनकर का कपड़ा महगा है। इस तरह अगर गाँव के चमार का जूता, तेली का तेल, बुनकर का कपड़ा, गाँव का गुड़ और गाँव की (अन्य) चीजें हमें महगी लगेगी तो हम जी नहीं सकेगे। हम महगा-महगा कहते हैं, लेकिन बास्तव में वह महगा नहीं है। गाँव के तेली का तेल उसी गाँव का चमार खरीदता है और चमार का जूता तेली खरीदता है तो इसका पैसा उसके घर में जाता है और उसका पैसा इसके घर में जाता है। हम अपने घर की लड़कियाँ दूसरों के घर देते हैं, और उनकी लड़कियाँ अपने घर

लेते हैं। क्या वह सौदा महगा पड़ता है। इसी तरह अगर तेली का पेसा चमार के घर और चमार का पेसा तेली के घर जाता है तो किस का नुकसान होता है। इस तरह जिसे आप महगा कहते हैं, वह महगा नहीं है, वहलिक उस पर ही हमारे गाँव का जीवन चलता है।^४

अन्यथ विनोदा ने कहा—‘कोई पृष्ठेगा कि क्या इस युग में तेलधानी चलेगी ? और मूर्ख ! हिन्दुन्तान में तेलधानी नहीं चली तो तिलहन के बदले यहाँ मजदूर ही पेरे जायगे।’^५

इस लिए यदि हम चाहते हैं कि हमारे करोंगे श्रमी भाई वहिनों का जीवन दुखमय न हो तो खासकर लाने पहनने आदि के रोजमर्सां नाम आने वाले पदार्थ तो ग्रामोद्योगों से ही लाने, उपयोग किये जाने चाहिए।

ग्रामोद्योगों से ग्राम सुधार—गाँवों की ग्राहिक तथा अन्य उन्नति के विषय में नीचे लिखे तीन दण्डिकोण हैं, इनमें से तीसरा अर्थात् ग्रामोद्योग और ग्राम-स्वावलम्बन ही सब से उत्तम है—

(१) गाँवों को शहरों में स्थित मिलों और कारखानों के लिए कल्पा माल पेटा करने वाला समझ कर उनकी सारी अर्धव्यवस्था को नगरनिवासियों की आवश्यकताएँ पूरी करने की दण्डिट से ही बनाना। इस तरीके को काम में लाने से गाँवों को उन्नत करने की बात ही गौण पड़ जाती है, शहरों के हितों के लिए उनका बलिदान या शोषण होता है।

(२) गाँवों की आवादी को खासकर उपयोक्ता मान कर उन्हें नगरों के उत्पादन के लिए बाजार समझना। अगरेजों के शासन-काल में विदेशी कल-कारखाने वालों ने गाँवों में अपना माल दप्त कर भरसक नफा कमाया, जब उनकी जगह भारतीय कारखाने वाले ऐसा करे तो गाँव वाले अपने उद्योग चला अर स्वावलम्बी होने के अवसर से पहले की ही तरह बचित रहें।

(३) गाँव को अधिक से अधिक स्वावलम्बी इकाई मान कर वहा के निवासियों को अपनी आवश्यकताएँ पूरी करने की सुविधाएँ देना। गाँव में जेती तो होती

* ‘सत्रोंदय यात्रा’

५ ‘सन्त विनोदा की आनन्द यात्रा।’

ही है, वे अपने पैदा किये हुए कच्चे माल का वहा ही उपयोग करते हुए तरह-तरह के उद्योग धधे चलाये तो वहा वालों को आजीविका के साधन भी मिल जाये, और उनके मन से आर्थिक परावलम्बन की बात दूर होकर वे हीनता की भावना से छुटकारा पाये। इस पठति से ही उनमें नये जीवन का सचार होगा, और वे स्वाभिमान पूर्वक अपना मस्तक ऊचा रख सकेंगे।

ग्रामोद्योगों का क्षेत्र—ग्रामोद्योगों की उन्नति के लिए इनका क्षेत्र निर्वासित और सुरक्षित होना आवश्यक है। ग्रामोद्योग का मूल सिद्धान्त यह है कि उसके द्वारा बनने वाली चीजें ऐसी ही हों, जिनकी गाँव वालों को जरूरत हो, इसलिए ग्रामोद्योगों के वास्ते हमें जनता की प्रमुख या बुनियादी जरूरतों के विषय में विचार करना चाहिए। उदाहरण के लिए खेती, धान कूटना, आटा पीसना, गुड़ बनाना, तेल पेरना आदि साध्य पदार्थों के लिए ग्रामोद्योगों को ही अपनाना और प्रोत्साहन देना चाहिए। उसी तरह कपड़ा भी चर्खे से कते और कर्धे से बुने सूत का बनाया जाना चाहिए। यदि रोजमर्द के उपयोग की चीजों के उत्पादन में विजली आदि का उपयोग करना ही पड़े तो उसका उत्पादन और नियन्त्रण भी विकेन्द्रित हग से किया जाय। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वे धधे गावों के लिए सुरक्षित कर दिये जाने चाहिए, जिनसे बनने वाली चीजें मनुष्य की मूल आवश्यकताओं में से हों तथा जिनके लिए कच्चा माल गाँवों में मौजूद हो। गाँवों से उसी तथा उतने ही कच्चे माल का शहरों में निर्यात हो, जिसका तैयार माल वहा न बन सके या जिसके बने तैयार माल की उन्हें आवश्यकता न हो। श्री विनोबाने कहा है—

‘देहातियों के जो उद्योग हैं, वे उनके हाथ में रखने चाहिए। देहात के कुछ उद्योग ऐसे हैं जो उनके हक के हैं। वे अगर उनसे कोई छीन लेगा तो उसके खिलाफ वगावत करनी चाहिए और कहना चाहिए कि ये हमारे उद्योग हम नहीं छोड़ेंगे। जिन उद्योगों का कच्चा माल देहात में होता है, उनका माल करने का उद्योग देहात में ही होना चाहिए।’^{१५}

*‘सर्वोदय यात्रा’।

ग्रामोद्योग का संरक्षण; मिल-उद्योग का वहिकार—ग्रामोद्योगों की उपयोगिता और महत्व का विचार करके कही कही कुछ आठमी इनका प्रचार करते हैं, और सम्झार भी इनकी सहायता करके इन्हें प्रोत्साहन देना है परन्तु इससे इनका यथेष्ट सरक्षण नहीं होता। इसके लिए तो लोक-हितर्गी व्यवस्था को इट निश्चय करना चाहिए कि कम से कम अपने याने और ऊपड़े के मामले में मिल-उद्योग का वहिकार कर केवल ग्रामोद्योग भी चीजों का ही उपयोग करेंगे और देश भर की जनता में ऐसा सकल्प करने वा आनंदोलन चलायेंगे। जब तक देहाती जनता यत्रोद्योगों का वहिकार नहीं करेगी, उनका उत्थान नहीं होगा, कर्ही-कर्ही कुछ फुटकर कार्य नले ही हो, ग्रामोद्योगों के सरक्षण में विशेष सफलता नहीं मिल सकती। जैसा कि श्री धर्मेन मज्जुमदार ने कहा है, इस विषय में ‘हमें मनुष्य की तात्कालिक मानविक नियति जा भी यान रखना होगा। अगर बाजू के सेत में ड्रेक्टर चल तो जिमओ पास नामन नहीं है, उसे हल चलाने में रुचि नहीं होगी, क्योंकि सावन-विहीन होने के नाय नाभ उसके मानस पर निराशा का असर पड़ेगा और इसलिए वह खाली गह कर भूमि रह सकता है पर हल नहीं चलायेगा। जिस गाव में हजार गज ऊपड़े श्री आदि श्यकता है, उसमें मिल का सस्ता कपड़ा ५०० गज पहुँच जाय तो तामनी वृत्ति होने के कारण गाव वाले उनके पास खाली समय होते हुए भी अद्वैत नान हालत में रहकर धीसो साल तक अधिक तादाद में मिल का कपड़ा आने की इन्तजार में बैठे रहेंगे, लेकिन अम करके कपड़ा पेटा नहीं रखेंगे।’^५

अस्तु, खासकर भोजन-बलादि की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें यत्रोद्योगों को ग्रामोद्योगों की प्रतिस्थाप्ति करने का अवसर न देना =हिरा और वथा सम्बन्ध यत्रोद्योगों के वहिकार की नीति अपनानी चाहिए। गोपीनाथ ने अब से आदी शताब्दी पूर्व (सन् १६०८ में) अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक ‘हिन्द म्य-राज्य’ में लिखा था—‘ऐशा में मिले बढ़ने पर खुश होने जी कोई जन्मन नहीं है। मिल मालिकों का हम तिरस्कार नहीं करते। यह तो सम्भव नहीं कि वे एनाएक मिल छोड़ देंगे, लेकिन उनसे यह प्रार्थना जहर कर सज्जे है कि वे इन्हें और

न बढ़ावे । परन्तु मिल मालिक ऐसा करे या न करे लोग खुद ही कारखानों में बनी चीजों का इस्तेमाल करना बन्द कर सकते हैं । यह सम्भव नहीं कि ये बातें सभी आदमी एक साथ करने लगेंगे । पहले इरादा पक्का करने की जरूरत है, फिर उसके अनुसार काम होगा । पहले एक ही आदमी ऐसा करेगा, फिर दस, उसके बाद रौ, इस तरह बढ़ते जायगे ।'

ग्रामोद्योगों की सहायता के कार्य— ऊपर ग्रामोद्योगों के सरक्षण और मिल-उद्योगों के वहिष्कार की बात कही गयी है । ग्रामोद्योगों की सहायता के लिए खाराक्षर नीचे लिखे कार्य किये जाने चाहिए—

१—उन्हें सहकारी संस्थाओं या सरकारी गोदामों से कच्चा माल मिलने की सुविधा हो, उसका मुगतान तैयार माल अथवा किस्तों में हो सके ।

२—उन्हें अनुकूल शर्तों पर आवश्यक पूँजी दी जाय ।

३—बिजली से चलने वाले उद्योगों के लिए बिजली देने की यथेष्ट और सुविधाजनक व्यवस्था हो ।

४—उनके तैयार माल की विक्री की सहकारी संस्थाओं या सरकारी गोदाम द्वारा यथेष्ट व्यवस्था हो ।

५—उनके लिए अनुसधान केन्द्र जगह-जगह खोले जायें ।

६—बड़े कारखाने उन्हीं वस्तुओं के खोले जायें, जो ग्रामोद्योगी पद्धति से तैयार न हो सके । उसका क्षेत्र सीमित तथा निर्धारित रहे ।

७—राज्य अपनी विविध विभागों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ग्रामोद्योगी वस्तुओं को प्राथमिकता दे ।

८—कारीगरों की औद्योगिक शिक्षा की यथेष्ट व्यवस्था हो, सर्वसाधारण की शिक्षा में इसे समृच्छित स्थान मिले ।

ग्रामोद्योगों के अपने पावों पर खड़े होने की बात— ग्रामोद्योगों के सरक्षण और सहायता की बात कुछ लोगों को ठीक नहीं ज़ंचती और सरकार जब उन्हें थोड़ा-बहुत सरक्षण देती है तो प्रायः अधिकारी यह कह दिया करते हैं कि आखिर तो ग्रामोद्योगों को स्वावलम्बी होना चाहिए । इस पर हमारा निवेदन है कि जनकोष से सरकार द्वारा वडे कारखानों को करोड़ों रुपये की सहायता

बगवर मिलती रही हे, उसके बिना वे विटेंडी माल के सुझाविले में नहीं टिक सकते थे। आज भी उन्हें कई प्रकार के सरक्षण पा महापता की जस्तरत बतायी जाती हे। उदाहरण के लिए उत्तर-भारत के चीनी उद्योग की गत लीजिए। पिछले वर्षों में इसे सरकार की भारी महापता मिलती रही हे तो भी इस उद्योग वालों का कथन हे कि चीनी मिल चलाना कठिन हो गया हे, चीनी के उत्पादन पर शुल्क तथा उप-कर मे रियापत होनी चाहिए, और भी सहृदयित्वे तथा प्रोत्साहन मिलना चाहिए। सरकार भी इस उद्योग को बनाये रखने के लिए उनकी बातों पर बहुत सहानुभूति से विचार करने को उन्नुक रहती ह, और उन्हे भगवनक महायता देती रहती हे। अभी हाल से बात हे कि एक उद्योगपति जो जो मिल खोलने के लिए लगभग एक करोड़ रुपया लगायेंगे, उगमन ने चालीम लाख रुपये तक ऋण देने और वित्तीय निगम ने भी वन डिलाने वा निश्चय किया हे। इसके अतिरिक्त उनकी मिल को मिलने वाले ईंजन की रीमन मामूली कीमत से कम रहेगी।

जबकि सरकारी कोष से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप मे इन द्वादेव्हे, करोड़ों रुपयों से चलने वाले शक्तिशाली कारखानों के लिए सरकार भा अरब्बा ला व्यव होता हे तो कोई वजह नहीं कि करोड़ों व्यक्तियों के जीवन के आजान बने हुए ग्रामोद्योगों को, जो इन मिलों की होड़ मे अधमरे हो रहे ह पर्वान उत्पादन न दिया जाय।

ग्रामोद्योग और उत्पादन वृद्धि—कुछ आदमी रहते हे ति उत्पादन का परिमाण बढ़ाने के लिए कल कारखानों को बढ़ाना चाहिए। वह यीकु हे कि आदमी मशीन की सहायता से साधारण हाय-वर्मा की अपेक्षा अधिक उत्पादन कर सकता हे। इस प्रकार मरीनों से प्रति व्यक्ति जर्वे वा अनुपात अधिक रहता हे, परन्तु हमें तो प्रति व्यक्ति विचार न कर कुल देश की वृद्धि से विचार करना चाहिए। वड़ी जनसंख्या वाले देशों मे व्योद्योगों ने नो बहुत योड़ी ही जनता लगायी जा सकती हे। पहले बताया जा चुका ति भागत में बहुत वर्षों के प्रवल के बाद भी केवल तीस लाख आदमी व्योद्योगों मे जाम करते हैं। मानलो इनमे से प्रत्येक द्वारा होनेवाला उत्पादन हाय-गनेगर वा अपेक्षा तिशुना-चौशुना हे परन्तु भारत में तो करोड़ों आदमी जाम वर सम्ने

है, इन सब के लिए काफी कल-कारखाने तो स्थापित किये ही नहीं जा सकते। इसलिए इनके वास्ते ग्रामोद्योगों के साधन जुटाये जायें तो यह स्पष्ट है कि उनसे उत्पादन का परिमाण यत्रो से होनेवाले वर्तमान उत्पादन की अपेक्षा कई शुना अधिक हो। इस प्रकार भारत जैसे बड़ी जनसख्या वाले देश में उत्पादन बढ़ाने का उपाय निश्चित रूप से ग्रामोद्योग ही है, यत्रोद्योग नहीं।

फिर यह भी विचारणीय है कि 'क्या उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक मनुष्यों को उद्योगहीन रखना आवश्यक है ? जिस सयोजन में जीवनोपयोगी पदार्थों का निर्माण और मनुष्यों को उद्योग-प्रवीण बनाना, ये दोनों बातें साय-साथ नहीं हो सकती, वह सयोजन न केवल विवेकहीन ही है, अपितु अवैज्ञानिक भी है। उत्पादन की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, जिससे उत्पादक के व्यक्तित्व का विकास भी होता रहे। हमारे देश में गरीबी है और चीजों का अभाव है, इसलिए चीजों की इफरात करने की दृष्टि से सयोजन होना जरूरी है, लेकिन साथ-साथ मनुष्यों की उत्पादन-कुशलता का तथा सॉस्कृतिक विकास का विचार भी उसी योजना में होना चाहिए। तभी वह सयोजन वास्तविक कल्याणकारी सयोजन होगा।'*

विशेष वक्तव्य—ग्रामोद्योगों में कई महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं—(१) ये शरीर की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, (२) इनकी पद्धति विकेन्द्रीकरण की है, जिससे श्रम का उचित और स्वाभाविक उपयोग होता है, (३) इनमें स्वावलम्बन और शरीर-श्रम की प्रतिष्ठा का सिद्धान्त होता है, और (४) ये जनता जनादर्दन की सेवा-पूजा की शिक्षा देते हैं। ग्रामोद्योगों के लाभ अमरीका और इगलैंड आदि उद्योग-प्रधान देशों के विचारशील व्यक्ति उन देशों के लिए भी स्वीकार करने लगे हैं। भारत के लिए तो इनकी उपयोगिता और आवश्यकता में कोई सन्देह ही नहीं। तो भी यहाँ के अधिकाश पढ़े-लिखे आदमी इन्हे आशका की दृष्टि से देखते हैं, और सरकार इन्हें स्थापित करने में बहुत हिचकती है। उन्हें श्री भारतन कुमारपा के निम्नलिखित लेखाश पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करना चाहिए—

* श्री दादा धर्माविकारी ('राजस्थान', १८ जुलाई ५६)

‘ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में, जहाँ उत्पादन की मात्रा स्थानीय आवश्यकताओं तक ही सीमित रहेगी, मनुष्य की दृच्छा के बल उतना ही पाने की होगी, जितने की उसे आवश्यकता है। ऐसे प्राकृतिक जीवन में मनुष्य की वज्री हुई शक्ति और समय का मूल्यवान उपयोग होगा। भोतिक टटिट से मनुष्य का जीवन-स्तर उद्योग-प्रधान देशों की अपेक्षा भले ही हल्के दर्जे का दिलायी दे, लेकिन मनुष्य की आत्मा का विकास होगा, हिमन बढ़ेगी, विचार और आचार में वह स्वतंत्रता अनुभव करेगा तथा उसमें सहकारिता, व्यवस्थापन और स्थानीय सुरक्षा के प्रति प्रेम की मात्रा बढ़ेगी। वास्तव में ये ही वे शुण ह जिनसे मनुष्य को आत्मिक सुरक्षा मिलता है, न कि कल कारखानों द्वारा उत्पादित तरह-तरह की वस्तुओं के द्वेर से।’^१

‘लोकसंबंधक’, १५. दिसम्बर ५२

वीमवां अध्याय

यंत्रोद्योग

मैं ऐसी मशीन का स्वागत करूँगा जो भोपड़ों में रहने वाले करोड़ों मनुष्यों के बोझ को हलका करती है। करोड़ों सजीव मशीनों के मुकाबिले, जो भारत के सात लाख गांवों में हैं, निर्जीव मशीनों को स्थान नहीं दिया जा सकता। अगर हिन्दुस्तान का अंदाधुंध उद्योगीकरण हो जाता है तो हमें शोषण के लिए ससार के अन्य भू-खड़ों को खोजने के लिए एक नादिरशाह की जरूरत होगी।

—गांधीजी

औजार जरूरत के लिए होते हैं और मशीन पैसा बनाने के लिए। फेक्टरी का काम सिर्फ धन पैदा करना है, वह लोगों की जरूरते पूरी करने के बजाय उन्हें बढ़ाना ही चाहती है।

—जी० भ० कृपलानी

पिछले अध्याय में ग्रामोद्योगों के बारे में विचार कर चुकने पर अब यत्रोद्योगों की बात लेते हैं। स्मरण रहे कि यो तो चर्खा और चक्की आदि भी एक प्रकार के यत्र ही हैं, यहा यत्रोद्योगों से हमारा अभिप्राप, भाप विजली आदि शक्ति से चलने वाले यत्रोद्योगों से है जिनमें बहुत से आदमी एक जगह काम करते हैं और केन्द्रित उत्पादन होता है। आजकल इनका प्रचार निरन्तर बढ़ता जा रहा है, और इस जमाने की मशीनों या यत्रों का युग कहा जाता है।

यंत्र-युग की मुख्य बात, उत्पत्ति का केन्द्रीकरण—यत्रोद्योगों का होना कहाँ तक उचित या लोकहितकारी है, इसका विचार करने से पूर्व यत्र-युग की कुछ मुख्य-मुख्य बातों को व्यान में रखना आवश्यक है। यत्र के कारण समाज में एक ऐसे दल का निर्माण हो जाता है, जो मिलों या कल-कारखानों

का मालिक होता है। एक मिल आदि में हजारों मजदूर इकट्ठे काम भरते हैं, ये पिन्न-भिन्न स्थानों के होते हैं। इन्हे केवल उनकी मजदूरी दी जाती है। कारबान में दूर-दूर से कच्चा माल आता है, और उसका तंगर माल बनवार पहले कुछ खास-खास स्थानों में और वहाँ से विविध न्यानों में जाता है। इस प्रकार उत्पत्ति और व्यापार कुछ योड़े से स्थानों में केन्द्रित हो जाता है, ये न्यान बढ़-बढ़े शहर वा कस्बे होते हैं।

शहरों की वृद्धि और ग्राम-जीवन का हाम —यत्रोन्मायों से उपज
 और व्यापार केन्द्रित हो जाने के कारण शहरी जीवन का विनार और उनकी समस्याओं की वृद्धि होती जाती है। शहरों की जनसंख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, जिसमें खासा हिस्सा बाहर गांवों से आये लोगों का होता है। आवादी घनी होती जाती है। अनेक लोगों के रहने के लिए सावाण मकान मिलने भी कठिन होते हैं, स्वास्थ्य-प्रद और खुली हवा वाले मकानों की तो बाल ही क्या। जनता में शौकीनी बढ़ जाती है, लोगों को गराम या सिनेमा आदि के कृतिम मनोरजन, और साड़ुन, आइस-फ्रीम, बर्फ, सोटापाटर, आदि की जरूरत मालूम होती है। लाटरी, वेकारी, भिज्ञा-वृत्ति, छूल कपट, तरह-तरह की बीमारियाँ, वेश्यावृत्ति आदि की वृद्धि शहरी जीवन के विस्तार का ही परिणाम है।

यह स्पष्ट ही है कि जिस सीमा तक शहरों और नगरों का निर्माण और वृद्धि होगी, उतना ही गांवों का हास होगा और अब आदि कृषि-जन्य पदार्थों का ज्ञेन घट जायगा। फिर, यत्रोन्मायों से गांवों के उन्नोग धर्षे नष्ट हो जाते हैं। वहाँ के आदमी अधिकाधिक खेती पर आश्रित रहने को बाब्य होते हैं, वेसार्ग के शिकार होते हैं, या गाव छोड़ कर शहरों में मजदूरी की तलाश में मारे-मारे फिरते हैं। जो आदमी शहरों में जाते हैं, वे बहुत समझ तक वहाँ अस्थायी न्य से ही रहते हैं, वर वसा कर नहीं रह सकते। उनके ली-वज्रे गाव में रहते हैं। इस प्रकार पारिवारिक जीवन भग होता है, और सब व्यवस्था बिगड़ जाती है।

यत्रोन्मायों के कारण कुछ देश तो प्राष्टिक ग्राम-जीवन में बहुत-सुन्दर बन्चित हो चुके हैं, और अन्य देश उसी मार्ग पर बढ़े जा रहे हैं। नारत और चीन जैसे देश जिनमें अभी तक ग्राम-जीवन—चुरा-नला जैसा भी हो—सुन्दर बन रह सका है, सोचे और आगे का कार्यक्रम गम्भीरता-पूर्वक निश्चित करें।

अन्य हानियाँ, आवश्यकताओं की बुद्धि—यत्रोदयोगों के केन्द्री-करण के कारण बहुत सी अनावश्यक आवश्यकताएँ बढ़ जाती हैं। उदाहरण के लिए जगह-जगह पैदा होने वाले धान को किसी केन्द्रीय कारखाने में कुटवा कर उसे फिर फैली हुई आवादी में वितरण करने में पैकिंग के सामान और यातायात के सावनों की जरूरत बढ़ जाती है। यातायात की समस्या से रेल और मोटर आदि की जरूरत इतनी बढ़ती जा रही है कि पूरी ही नहीं हो पाती।

हानिकारक 'उत्पादन'—यत्रोदयोगों के सचालक, चीजों के उत्पादन में, जनता के जीवन-रक्तक पदार्थों को प्रायमिकता न देकर अपने नफे के लिए शौकानी या विलासिता के पदार्थ तैयार करने में लगे रहते हैं। उदाहरण के लिए देश में अब की कमी होते हुए भी वे इसे विस्कुट और मिठाइयों बनाने में खर्च करते रहते हैं, जिनमें अब के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। एक विज्ञापन की बात लीजिए—

'पूर्व की सब से बड़ी और सब से ज्यादा आधुनिक विस्कुट-फेक्टरी चालू हो गयी। भारत की औद्योगिक प्रगति में एक बड़ा कदम, पूर्व की दुनिया में कोई दूसरी फेक्टरी उत्पादन की ज्ञमता में इसका मुकाबला नहीं कर सकती। प्रतिदिन ३० टन विस्कुट और ६० टन मिठाइयों। एक भव्य प्रयास!' ('हिन्दुस्तान टाइम्स', १६ जुलाई १९५१)

ऐसे कारखाने में अब और शक्ति का कितना खर्च होता है! और, यह लोगों की भूल मिटाने के काम में न आकर सिर्फ नाश्ते की तरह और जीम के स्वाद के लिए होता है? इससे कितने ही आदमी एक मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति से बचित हो जाते हैं। इस दृष्टि से यह उत्पादन-कार्य न होकर विनाश-कार्य है, देश के लिए गौरव की बात न होकर लज्जा की बात है, प्रगति के बजाय ह्वास का सूचक है।

बेकारी—किसी मिल या कारखाने में एक ही जगह बहुत से आदमियों को काम करते देखकर साधारण बुद्धि वाले ही नहीं, बहुत से समझदार व्यक्ति भी यह कह दिया करते हैं कि यत्रोदयोग से अनेक आदमियों को काम मिलता है। यह भुला दिया जाता है कि यदि उसमें हजार आदमी काम करते हैं तो उनसे पहले

जो लाखों आदमी उस काम को हाथ से करके अपनी आजीविका कमाते थे, अब वेकार हो जाते हैं। वेकारों की स्थिति उसी अनुपात में बढ़ती जाती है, जिसमें मरीने अधिक बढ़िया और नये दृग की होती हैं। यत्रोद्योग की सफलता ही इस बात में मानी जाती है कि वह कम से कम आदमियों से काम चला ले।

आर्थिक विप्रमता—फिर, कल-कारखानों में मजदूरों का शोषण होता है, (जो हिमा का ही रूप है) और आर्थिक विप्रमता बढ़ती है। अगर मजदूर को टो-तीन रुपये रोज मिलते हैं तो इंजिनियर और मेनेजर आदि को रुट्ट-कर्ड सौ रुपये महीना और बहुत-सी सुविधाएँ दी जाती हैं, और मालिक की आमदनी का तो कुछ हिसाब ही नहीं। दूसरों को वरी हुई वेतनादि देकर सब बचत उसी की होती है। इस प्रकार अनेक दशाओं में उसे साधारण मजदूरों की अपेक्षा बीस-तीस गुनी ही नहीं, सैकड़ों गुनी आप होती है। ग्रामोद्योगों में यह बात नहीं। जब ये काम किसी स्थिति या सगठन द्वारा किये जाते हैं तो भी ऊंचे से ऊंचे अधिकारी को नीचे के कार्यकर्ता से पॉच छह गुने से ज्यादा नहीं मिलता। इसके अलावा उनकी एक-दूसरे से बहुत घनिष्ठता रहती है, मालिक और मजदूर का सम्बन्ध नहीं रहता। बहुत-कुछ समानता होती है।

यदि मोटे तौर से विचार करे और कपड़े का उदाहरण ले तो हम देखते हैं कि यत्रों से तैयार होनेवाले एक गज कपड़े की कीमत एक रुपया हो तो उसमें से केवल -॥ किसान को मिलता है, -॥ मिल में काम करने वाले मजदूरों के हाथ लगता है और शेष ॥॥ आने मरीनों और उसके मालिनों के लिए होते हैं। पर उतनी ही (अर्थात् एक रुपये की) खादी खरीदने पर तेरह आने उन लोगों के पास पहुँच जाते हैं जो सीवे खादी के उत्पादन में लगे हुए हैं। वितरण का विवरण इस प्रकार हे—

किसान को, रुड़ का मूल्य	३॥
रुई धुनाई पर	२
चरखे की कताई पर	१-॥
धुनकरों को	१

शेष ⚡) अन्य खर्चे होते हैं जैसे कपास की खरीद, धुनने, बुनने वालों के पास पहुँचाने और पुन. वहाँ से विक्री केन्द्रों तक लाने के लिए व्यय। इस प्रकार वह स्पष्ट है कि खादी की कीमत का एक रूपया भारत की जनता (किसान, धुनकर, बुनकर आदि) को तेरह आने देता है और मिल के बने एक रूपये का कपड़ा भारतीय जनता को केवल चार आने ही देता है, शेष बारह आने लोहे की मशीनें या मिल के चलानेवाले खा जाते हैं। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि यत्रोद्योगों से समाज में भयकर आर्थिक विषमता होती है।

वर्ग-विद्वेष— यत्रोद्योगों से, समाज में दो परस्पर विरोधी वर्गों का निर्माण हो जाता है। पूँजीपति और मजदूर दोनों अपने-अपने स्वार्थ को देखते हैं। मजदूर निर्धन होने के कारण प्राय. दबे रहते हैं। कल कारखानों के मालिक उनसे अपनी शर्तें मनवाने के लिए समय-समय पर काम बन्द करने की धमकी देते हैं, और कभी-कभी द्वारावरोध या तालाबन्दी करके मजदूरों का काम पर आना रोक देते हैं। मजदूर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अपना सगठन करते हैं। वे असतुष्ट तो रहते ही हैं, जहा उन्हें कोई उकसाने वाला या उनका नेतृत्व करने वाला मिल जाता है, वे हड्डताल कर बैठते हैं, कभी-कभी तोड़-फोड़ करके कल कारखाने को हानि पहुँचाते हैं। द्वारावरोध हो या हड्डताल, प्रत्येक दशा में उत्पादन घट जाता है और राष्ट्र को कष्ट और द्वाति सहनी पड़ती है।

रचनात्मक भावना और स्वाभिमान का लोप— मनुष्य ऐसा प्राणी है, जिसमें हुनर प्राप्त करने की, कुछ रचनात्मक कार्य करने की, अपनी कार्य-कुशलता प्रकट करने की भूख रहती है। जब तक उसे अपने जीवन में इस भूख को शान्त करने का यथेष्ट अवसर नहीं मिलता, उसे कुछ अभाव मालूम होता है, यह उसे बहुत खटकता रहता है।

श्री डाक्टर आनन्दकुमार स्थामी ने कहा है कि 'मनुष्य को तब तक सच्ची खुशी हामिल नहीं हो सकती जब तक कि वह जो कुछ बनाता है, उसका ही जिम्मेदार नहीं, वल्कि उसके साथ ही अपनी बनायी चीजों के गुणों और प्रकार मा भी वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार न हो। कोई समाज सम्य तभी कहा जा सकता है, जब उस समाज का हर एक सदस्य अपना भरण

पोपण ऐसे कार्य द्वारा करे जो रुचिकर है तथा जिसके सिवाय दूसरा कोई कार्य करना उसे अच्छा ही न लगता हो। ऐसी व्यवस्था उन्हीं समाज-रचनाओं में लाना सम्भव होता है जो धर्म के आधार पर, अर्थात् स्वर्वम् पर कायम हुई हों।^१

अब यत्रोद्योगी पद्धति की बात लीजिए, इसमें आदमी की रचनात्मक शक्ति का विशेष उपयोग नहीं होता। वह प्रायः यत्र के साथ और यत्र की तरह कुछ क्रियाएँ करता रहता है, कभी वह कोई वटन दबाता है, कभी यत्र के किसी भाग पर पानी या तेल डालता है या उसे हिलाता है, ढीला या तग करता है, कभी कुछ चीजों को एक जगह से दूसरी जगह रखता है। इस प्रकार उसे बहुधा वह पता नहीं होता कि उसके श्रम से किस प्रकार कौनसी चीज बनेगी और वह क्या काम आयेगी।

अमरीका से एक आदमी जमीन के नीचे एक कारखाने में एक प्रकार के वटन को घिस घिस कर तैयार करता था। चालीस वर्ष बाद उसे मालूम हुआ कि वटन ऐसी राइफल में लगाया जाता है, जिससे इसके दबाने से अनेक आदमी मारे जा सकते हैं। ऐसे आदमी को अपनी कृति के लिए कुछ स्वाभिमान नहीं होता। उसका मानसिक और साकृतिक विकास रुका रहता है।

चरित्रहास——यह कहा जाता है कि वड उद्योगों से उत्पादन जल्दी हो जाने से मनुष्य को आमोद-प्रमोद के लिए अधिक समय मिल जाता है, परन्तु कल-कारखानों में काम करने वालों का सिनेमा, जुग्रा, शराब और वेश्यालय से अविकाविक सम्बन्ध सर्व-विदित है। इससे उनके चरित्र की हानि पर यथोऽप्रकाश पड़ता है। फिर यत्रोद्योगों में श्रमी वालों को और छियों से होने वाला दुर्व्यवहार भी छिपा नहीं। जब कि एक-एक व्यक्ति की अधीनता में सैकड़ों, हजारों आदमी काम करते हैं तो मनुष्य-मनुष्य के बीच भेट भाव बढ़ना और चरित्र-नाश होना अनिवार्य है।

उत्पादक और उपयोक्ता में पारस्परिक सम्पर्क का अभाव— यत्रोद्योगों में किसी वस्तु के उत्पादक और उपयोक्ता में सम्पर्क नहीं रहता। कारखाने में बना जूता और मिल में बुना हुआ कपड़ा खरीदते समय हम दुकानदार

को ही जानते हैं, जो क्रय-विक्रय करने वाला मव्यस्थ या दलाल मात्र है, जिस पर वस्तु के अच्छी या दुरी होने की कोई जिम्मेवारी नहीं, जो देश के उत्पादन में कोई भाग न लेकर केवल अपने नफे से मतलब रखता है। यत्रोद्योग पद्धति में उत्पादकों से हमारा सीधा सम्बन्ध न होने से समाज में वह सगठन और स्नेह नहीं होता, जो ग्रामोद्योगों में होता है।

सैनिक संगठन और विदेशी आक्रमण का खतरा—यत्रोद्योगों में केन्द्रीकरण के कारण सम्पत्ति योड़े से मालदारों के पास इकट्ठी हो जाती है। उनके महलों, कोठियों और तिजोरियों की चोरों और डकैतों से रक्षा करने के लिए जवान चौकीदारों और सिपाहियों की जहरत होती है, पुलिस और फौज का सगठन मजबूत करना होता है, जब कि मामूली हैसियत वाले नागरिकों के घरों की रखवाली के लिए इसकी प्रायः कुछ भी चिन्ता नहीं करनी होती। फिर, यत्रोद्योगों से शहरों की वृद्धि होती है। उनमें सम्पत्ति जितनी अधिक केन्द्रित होती है, उतना ही वहाँ विदेशी आक्रमणकारियों को लूटमार और हमला करने का आकर्षण अधिक होता है। उनमें फौजी और हवाई ताकते कितनी ही क्यों न हो, उन्हें विखरे हुये गावों की अपेक्षा बहुत जल्दी नष्ट किया जा सकता है।

साम्राज्यवाद और अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध—उद्योगों के केन्द्रीकरण से सैनिक सगठन होने की बात ऊपर कही गयी है। सैनिक में स्वभाव से लड़ने की प्रवृत्ति रहती है, वह युद्ध का वहाना दूढ़ता रहता है—कभी ‘सम्यता के प्रचार’ की बात कही जाती है, कभी ‘बढ़ी हुई आवादी के लिए रहने की ठौर’ प्राप्त करने की आवाज उठायी जाती है, और नहीं तो ‘युद्ध समाप्ति के लिए युद्ध’ का नारा लगाया जाता है। ये सब साम्राज्यवाद की प्रत्यक्ष या परोक्ष भूमिकाएँ हैं।

फिर, प्रत्येक राज्य के बड़े-बड़े उद्योगपति विदेशों से कच्चा माल मगाने और अपना तैयार माल खपाने के लिए लालायित रहते हैं। इनका स्वार्थ आपस में टकराता है और क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र की सरकार अपने यहाँ के कारखाने वालों के पक्ष का समर्थन करती है, इसलिए विविध राष्ट्रों की सरकारों का आपस में मनोमालिन्य हो जाता है और वह उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। इससे थोड़े-बहुत समय में बड़े-बड़े राष्ट्रों में युद्ध होने की नौवत आती है। विविध राष्ट्रों के शुट बनने

या दलवन्दी होने से वह युद्ध अन्तर्राष्ट्रीय महायुद्ध का स्वप्न बारण करता है। इस प्रकार विश्व-सङ्कट की आशका हर दम बनी रहती है।

अवकाश की समस्या—पहले बताया जा चुका है कि हाय-उद्योगों में आदमी को आवश्यकतानुसार तथा उचित समय पर विश्राम करने की स्वतंत्रता होती है। उसके लिए अवकाश की समस्या नहीं होती। पर यत्रोद्योगों की बात दूसरी है। इनमें तो आदमी को अपनी शारीरिक तथा मानसिक परिस्थिति के विचार को दूर रख कर मशीन के साथ चलना पड़ता है। इनमें जब निर्धारित समय होगा, तब सब को एक साथ ही विश्राम करना होगा, भले ही किसी को उस समय उसकी जरूरत हो या न हो। वास्तव में विश्राम प्रत्येक व्यक्ति की निजी आवश्यकता होती है, उसका सब के लिए एक ही समय निर्धारित करना अस्वाभाविक है। अस्तु, कल कारखानाओं में नामूहिक अवकाश की बात रहती है। मजदूरों के लगातार सर्वर्प से, अब काम के लिए प्रायः आठ बटे का दिन और छः दिन का सप्नाह माना जाने लगा है। रूस में अवकाश का समय सभार के अन्य देशों से अधिक है। अवकाश का समय बढ़ाने की माग का सामाजिक, आर्थिक तथा स्त्रास्थ्य आदि के आधार पर समर्थन किया जाता है, परन्तु सास्कृतिक पहलू की ओर व्यान नहीं दिया जाता। यदि कानून द्वारा अवकाश का समय बढ़ ही जाय तो श्रमी उस समय का उपयोग अपने हित के लिए ही करे, और उनका हित किन-किन बातों में है—क्या वह भी कानून से निश्चित किया जाय ? अस्तु, यत्रोद्योगों में अवकाश की समस्या बनी ही रहती है।

केन्द्रीकरण—यत्रोद्योगों का आधार केन्द्रीकरण है और इसका एक खास दोष है परावलम्बन। उत्पादकों को कन्चे माल के लिए दूर-दूर के द्वेषों पर निर्भर रहना पड़ता है, फिर, वहा से माल लाने के लिए रेल आदि वातावात के बड़े-बड़े सावन चाहिए। मशीनों की जरूरत होती ही है, और भारत जैसे देशों में इनके लिए विदेशी कारखाना के आवित रहना पड़ता है। गरीब देशों के लिए पैंजी की भी समस्या होती है। इसके अतिरिक्त यत्रोद्योगों में माल बड़े परिमाण में तैयार होने से उसे खपाने का सवाल आता है, इसके लिए दूर-दूर के बाजारों पर निर्भर रहना पड़ता है, तथा उन्हे हथियाने के प्रयत्न में

अन्य राष्ट्रों से सधर्घ होता है। इस प्रकार यत्रोद्योगों से होने वाला केन्द्रीकरण कितना अनिष्टकारी है, यह स्पष्ट है।

यंत्रवाद और मनुष्य का विकास—इस प्रसग में हमें एक बात का और विचार करना जरूरी है। वह यह कि यत्रों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह तो अब सर्वमान्य ही है कि अपने काम का अर्थात् उसे करने की विधि का मनुष्य पर, उसके आनन्द, उसकी स्फूर्ति और विकास पर गहरा असर पड़ता है। इस प्रकार यह बात बहुत महत्व की है कि आदमी अपने उत्पादन कार्य में किस प्रकार के साधनों का उपयोग करता है। इस दृष्टि से विचार करें तो मालूम होता है कि मनुष्य विज्ञान का अर्थात् वैज्ञानिक आविष्कारों और यत्रों का ठीक उपयोग नहीं कर रहा है। ससार-प्रसिद्ध डा० अलेक्सिस करेल जिन्हें शरीर-शास्त्र की खोजों पर नोबल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, अपनी पुस्तक 'मैन दि अननोन' (मानव, जिसके बारे में हम अनजान है) में मानव समाज के हास के बारे में लिखते हुए कहते हैं—

'विज्ञान के भडार में से हमने केवल कुछ चीजें चुन ली हैं। यह चुनाव करते समय हमने मानव समाज के विकास का कोई व्यान नहीं रखा है, हम केवल अपनी स्वाभाविक वृत्तियों की ओर ही झुके हैं। हमने जो आविष्कार किये हैं, उनकी सफलता या श्रेष्ठता के लिए हमने अधिक से अधिक आराम और क्लम से कम काम का सिद्धान्त लागू किया है। हमने अपने आविष्कार तेजी, परिवर्तन और ऐशोआराम द्वारा मिलने वाले आनन्द तथा आत्म-प्रताडना से मुक्त रहने की आवश्यकता के आधार पर किये हैं। लेकिन क्या किसी ने कभी अपने आपसे यह भी पूछा है कि गति-पूर्ण यातायात के साधन, तार, टेलीफोन, आधुनिक व्यापार पद्धतियाँ, लिखने और हिसाब लगाने के यत्र और ऐसी मशीनें जिनसे घर का सारा काम हो जाता है, आदि के द्वारा जीवन में जो जल्दबाजी आजाती है उसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है।'

' औद्योगिक जीवन के सगठन में यह व्यान नहीं रखा गया है कि कारखानों का मनुष्य के शरीर और मन पर क्या असर पड़ता है। आधुनिक उद्योगों का आधार है कम से कम खर्च में अधिक से अधिक उत्पादन करना, ताकि कोई व्यक्ति विशेष वा व्यक्ति-समूह मनमाना धन कमा सके। यत्रों को जटिल और

वृहत्तर बनाने में उन लोगों की प्रकृति का जरा भी विचार नहीं किया गया जो कारणानों में काम करते हैं।^१

थ्री रस्किन के विचार—इन वातों की ओर नुग्रहित विचारक रस्किन अब से सौ वर्ष पहले ज्ञान दे चुका था, जब कि इनकी केवल शुश्वात् थी। उसने लिखा है—

‘हमने आत्मनिक काल में श्रम विभाजन के शास्त्र को अन्धी तरह समझ लिया है, उसमें पारगतता प्राप्त करली है, केवल उसको हमने नाम गलत दे रखा है। सच प्रद्युम्न जाय तो आज की उत्पादन पद्धति में विभाजन श्रम का नहीं, मनुष्य का होता है। मानव के छोड़े-छोड़े ढुकड़े कर डाले हैं—जीवन को ऐसे सूक्ष्म भागों में बाट दिया है कि एक आदमी की सारी कार्यकुशलता और वृद्धिमत्ता एक पिन या कील भी पूरी नहीं बना पाती। अपना साग हुनर खर्च करके वह सिर्फ पिन की नोक या कील का मत्था भर बना पाता है। वह तो ठीक है और होना भी चाहिए कि दिन भर में कई पिने बनजारे, लेकिन साथ ही अगर हम यह भी देख पाते कि उनके सिरे विसने में मानव आत्मा की कैसी महीन रेती काम में लायी जाती है।’

‘हम उन भिलों, कारणानों और वडे शहरों में मनुष्य को छोड़कर वाकी सभी चीजों का सूजन करते हैं। हम कपास सफेद बनाते हैं, इसात की मजबूत बनाते हैं, शक्कर को साफ करते हैं, चीनी मिट्टी के वर्तन गढ़ते हैं, लेकिन एक भी जीवित आत्मा को सफेद बनाना या गढ़ना हमारे लाभ के तप्तमीने में नहीं आता।’

‘इसका तो निर्फ एक ही हल है और वह यह कि सब वर्ग के लोगों में ऐसी समझ पेटा करना जिससे वे यह पहचान सकें कि फिस प्रकार का श्रम मनुष्य के लिए अच्छा है, उसे जॉचा उठाने वाला है और उसके लिए खुशहाली लायेगा। ऐसी हर जुनिवा, ऐसी हर खूबसूरती और ऐसे हर सन्तोषन का हमें निश्चय-पूर्वक त्याग करना होगा जो केवल कारीगर के हास द्वारा ही सम्भव है। साथ ही हमें स्वास्थ्य-वर्धक और जॉचा उठाने वाले श्रम द्वारा उत्पन्न की हुई वस्तुओं के लिए उतने ही निश्चात्मक रूप में माग पेटा करनी होगी।’

^१ श्री देवेन्द्रकुमार का लेख, ‘कस्तूरवा दर्शन’, अगस्त १९५०।

वैज्ञानिक 'प्रगति', भौतिक उन्नति, और भोग विलास के साधनों की चकाचौध में यदि आदमी रस्किन जैसे मनीषियों की बात पर व्यान न देगा तो वह अपने लिए अशुभ भविष्य को निमत्रण देगा। आवृन्तिक युग में गाधीजी ने फिर इस ओर हमारा व्यान दिलाया है। क्या मानव समाज अब भी चेतेगा और प्रेय को छोड़कर श्रेय को ग्रहण करके अपने विवेक का परिचय देगा?

यंत्रोद्योगों की मर्यादा—तो क्या यंत्रोद्योग विलकुल न रहे? यदि रहें, तो किन दशाओं में? पिछ्के अव्याप में वह बताया जा चुका है कि हमारी मूलभूत आवश्यकनाओं के पदार्थों की उत्पत्ति ग्रामोद्योग पद्धति से होनी चाहिए। भोजन-वस्त्र आदि की वस्तुओं का उपयोग प्रत्येक व्यक्ति अलग-अलग करता है, इनके उत्पादन के लिए हाथ से चलने वाले उद्योग ही ठीक हैं, इनमें मशीनों या बड़े यंत्रों की जरूरत नहीं, यदि कुछ विशेष दशाओं में विजली आदि का उपयोग करना ही हो तो वह ग्राम या नगर के स्वावलम्बन के आधार पर हो।

यंत्रोद्योग पद्धति-सामूहिक उपयोग के पदार्थों के उत्पादन के लिए ही उपयुक्त हो सकती है। ये चीजें परिमित ही हैं। इसलिए सामूहिक उत्पादन मर्यादित ही रहना चाहिए। इसके दो भेद किये जा सकते हैं।—(१) विजली, नल के पानी आदि का प्रबन्ध उस गाव या नगर की स्थानीय स्थाया (पचायत या म्युनिसपेलटी) द्वारा होना चाहिए, जिससे इनका सम्बन्ध हो। इनके उत्पादन तथा वितरण में किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का अधिकार न रह कर, वहाँ की उक्त स्थाया की प्रमुखता रहनी चाहिए, जिसमें उस वस्ती के सभी प्रौद्यव्यक्ति भाग लें। कुछ दशाओं में दो-चार गाँव या कस्बे मिलकर भी व्यवस्था कर लें, पर ऐसा तभी होना चाहिए, जब इनकी पचायतों के लिए मिल कर सम्मिलित रूप से कार्य कर सकना व्यावहारिक हो, किसी एक स्थान की पचायत या म्युनिसपेलटी का उसमें प्रभुत्व न हो। (२) इन कार्यों के अतिरिक्त रेल, तार, डाक, बोयले आदि की खाने, सड़क, हवाई जहाज, या नहर आदि जल-मार्गों का कार्य ऐसा होता है, जिसका किसी एक नगर या प्रान्त से ही सम्बन्ध नहीं होता। इनका उपयोग राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय होता है। ऐसी वस्तुओं के उत्पादन और वितरण में यंत्रोद्योगों का उपयोग होना उचित है। इनका सचालन

राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय पचाथो द्वारा होना चाहिए। श्री जवाहिरलाल, जैन का मत है कि इस तरह के उद्योगों का सचालन अर्छा-स्वतंत्र कारपोरेशनों के जरिये किया जाना चाहिए, जिन्हे द्वारा सरकार निश्चित पैंजी दी जाय और जिनकी व्यवस्था सीधे सरकार के हाथ में न रह कर सरकार, उद्योग के अमिचारियों और उपयोक्ताओं के प्रतिनिधियों द्वारा हो।

सबाद्य व्यवस्था का अच्छी तरह प्रचार और उपयोग होने, तथा ससार भर में इसके अनुसार व्यवहार होने तक राज्यों की मुद्राकी व्यवस्था करने की आवश्यकता रहेगी। सेनिक उद्योग केन्द्रित और बड़े पेमाने पर होगे। इनके लिए भी यत्रोन्योग पद्धति ही ठीक रह सकती है। इनका सचालन देश की केन्द्रीय सरकार द्वारा हो।

ग्रामोद्योग और यंत्रोद्योगों में प्राथमिकता किसे दी जाय—

ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट है कि ग्रामोद्योग पद्धति भी रहे, और यत्रोन्योग पद्धति भी। तो क्या दोनों प्रकार के उद्योग साय-साय चले ? हाँ, एक सीमा तक दोनों को साय चलने देना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि इनमें प्राथमिकता किसे दी जाय। हम याद रखें कि उद्योग-पद्धति और समाज-व्यवस्था का घनिष्ठ सम्बन्ध है। दोनों एक दूसरे पर बहुत निर्भर हैं। याचिक या केन्द्रित उद्योग पद्धति के अमल में आने से समाज का ढाढ़ा एक खास प्रकार का होगा, और ग्रामोद्योगी पद्धति पर जोर देने से समाज-रचना दूसरे प्रकार की होगी। इसलिए हमारे सामने दो रास्ते हैं (१) हमारी समाज-रचना बड़े-बड़े याचिक उद्योगों को केन्द्र मान कर चले, और जितना बहुत ही जरूरी हो उतना ही स्थान ग्रामोद्योगों को दिया जाय या (२) समाज-रचना का आधार ग्रामोद्योग होगे, और कल कार-खानों को उतना ही स्थान मिलेगा जितना लाचारी से देना होगा। इन दो रास्तों से हमें निश्चित और स्पष्ट रूप से एक को पसन्द करना है, द्विलमिल नीति रखना ठीक नहीं। जैसा पहले कहा जा चुका है, सासकर भारत जैसे बड़ी आवादी वाले देश में ग्रामोद्योग पद्धति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हमारी अर्थव्यवस्था में केन्द्र ग्रामोद्योग ही होने चाहिए। बड़े-बड़े यत्रोन्योग उस दशा में तथा उसी सीमा तक चलाये जाय, जब कि उन्हें ग्रामोद्योगों के हित में, इनके पूरक के स्पष्ट में चलना आवश्यक हो : वे इनके प्रतिसद्धी न बनने पायें।

ओद्योगीकरण के सम्बन्ध में विचार—आज-कल ओद्योगीकरण की बहुत चर्चा है। प्रायः आदमी इस कार्य के लिए यत्रोद्योगों की ही बात सोचा करते हैं, ग्रामोद्योगों का रास्ता उन्हें अनुपयुक्त जन्मता है। एक भाई ने गाधीजी से पूछा कि 'क्या आप हिन्दुस्तान का ओद्योगीकरण नहीं करेंगे?' इस पर गाधीजी ने कहा—

'जरुर करेंगा। पर अपने अर्थ में। हिन्दुस्तान तभी तबाह हुआ जब हमारे शहर विदेशी बाजारों के बड़े बनाये गये और विदेशी को सस्ती और चटकीली चीजों को हमारे गावों में लाद कर उनको चूसना शुरू कर दिया गया। मैं बड़ी से बड़ी मशीनों का स्वागत करेंगा अगर उन से हिन्दुस्तान की गरीबी मिटती है और लोगों को कार्य मिलता है।'

इस सम्बाद से पता चलता है कि मशीनों के उपयोग के बारे में गाधीजी की तीन कसौटियाँ थीं—(क) उनसे शोषण न हो। (ख) उनसे सामाजिक विषमता और असमान वितरण पैदा न हो। (ग) उनसे जीवन में कृत्रिमता न आये।

इस पर कोई कह सकता है कि तब तो हमें आज की बहुत सी मशीनों को ढुकराना पड़ेगा। जरुर। कौन नहीं जानता कि इंगलैंड या यूरोप और अमरीका की मशीनी प्रगति तभी हो सकी जब उन्हें एशिया और अफ्रीका के बाजार मिल गये, हिन्दुस्तान जैसे देश पर हुक्मत हासिल हो गयी और अपनी-अपनी सरकारों का पूरा बल मिल गया। आज जब दुनिया का हर देश अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है तो परदेश के बाजारमिलने की गुजाइश नहीं जैसी है। फिर, जो दो महायुद्ध यूरोप ने देखे—और तीसरे का सकट जो सामने खड़ा है—वे इसी गलत ओद्योगीकरण का परिणाम है। इन मशीनों के कारण आज इंगलैंड, अमरीका और रूस में असमानता है और जन-जन का राज नहीं न्यायित हो सका है।^५

ओद्योगीकरण नहीं, 'प्रत्येक को काम' चाहिए—स्पष्ट है कि खासकर भारत जैसे बड़ी आवादी वाले देश में अर्थनीति का आधार ओद्योगीकरण न होकर, 'प्रत्येक को काम' होना चाहिए। देश के प्रत्येक नागरिक को

^५ श्री सुरेशराम भाई के लेख से, 'भारत' ६ मार्च १९५६।

अपने भरण-पोषण के लिए भोजन बस्त्रादि मिलना ही चाहिए। इसका सरल और न्यायोचित उपाय यही है कि जो आदमी जहा है, उन्हे साधारणतया वहाँ ही काम मिले। काम न मिलने से बेकार आदमी की आजीविका का सहारा नहीं रहता और वह देश का उन्वाटन बढ़ाने में अपना योग देने से बचित रहता है। वह तो स्वयं समाज पर भार होता है, इससे उसका स्वाभिमान नष्ट हो जाता है। इस प्रकार औद्योगीकरण के रूप में वहाँ सुत कातने, कपड़ा बुनने, आटा पीसने, तेल निकालने आदि की मिले चलाना कतवारियों, बुनकर्गं, पिसनहारियों और तेलियों को भूखों मारना है। ग्रामोद्योगों और गृहोद्योगों को नष्ट करके बेकारी बढ़ाना और फिर बेकारी को दूर करने के उन्होंने का विचार करना कहाँ की बुद्धिमानी है। वह तो मानवता विरोधी दुष्कृति है।

विशेष वक्तव्य — इस समय यत्रों के दुरुपयोग को देख कर मनुष्य यह सोचने लगता है कि क्या विज्ञान मनुष्य के लिए अभिशाप तो नहीं होता जा रहा है। ऐसा प्रसग न आये और विज्ञान मनुष्य के लिए बरदान ही हो, इसके बास्ते आवश्यक है कि हम यह स्वीकार करें—यत्र मनुष्य के लिए है मनुष्य यत्र के लिए नहीं, मनुष्य यत्र पर नियन्त्रण रख सके, यत्र मनुष्य पर हावी न हो, यत्र को मनुष्य के शोषण का साधन न बनाया जाय। शरीर-अम और बौद्धिक कार्य को समान प्रतिष्ठा तो मिले ही, यथासम्भव प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ उत्पादक शरीर-अम करना आवश्यक हो। समाज में इस प्रकार की मान्यताओं का प्रचलन होने पर ही, एक सिमित क्षेत्र में, यत्रोद्योग कुछ कल्याणकारी हो सकते हैं।

इककीसवाँ अध्याय

जनसंख्या

ईश्वर की योजना ऐसो सुन्दर है कि एक मुंह के बढ़ते ही उसके साथ दो हाथ भी पैदा होते हैं। इसलिए सख्या-वृद्धि से न डरे । ..प्रजा अगर वीर्यवती, कर्मयोगी, दक्ष हो तो जो सतान पैदा होगी, उसका भार बहन करने के लिए यह बमुन्धरा तैयार है—ऐसा मेरा विश्वास है ।

—विनोदा

जो सरकार अपनी प्रजा से यह कहती है कि वह लोकहित-वर्द्धक राज्य तब तक कायम नहीं कर सकती, जब तक कि जनसंख्या कम न हो जाय, वह शासन के लिए उतनी ही अयोग्य है, जितनी कि वह दूसरी जो युद्ध तथा अपनी अन्य साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की सिद्धि के लिए जनता को जनसंख्या बढ़ाने के लिए मजबूर करती है ।

—किशोरलाल मशूबाला

पिछले अव्यायों में इस बात का विचार किया गया है कि लोकहित की दृष्टि से विविध प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन में जनता को किन-किन बातों का व्यान रखना चाहिए । उत्पत्ति के साथ जनसंख्या का घनिष्ठ सम्बन्ध है । कल्यना करो एक देश में खाद्य पदार्थों आदि का उत्पादन जनता के लिए पर्याप्त है । पर यदि कुछ समय बाद खाद्य पदार्थों के परिमाण में दस प्रतिशत की वृद्धि हो जाय और उस समय तक जनसंख्या में पन्द्रह प्रतिशत की वृद्धि हो जाय, तो उक्त बढ़े हुए खाद्य पदार्थ भी अब अपर्याप्त हो जायेंगे । इस प्रकार उत्पत्ति के प्रसग में जनसंख्या का विचार किया जाना आवश्यक है ।

जनसंख्या की वृद्धि से चिन्ता—इस समय समार की आवादी ढाई सौ करोड़ है और यह प्रति वर्ष एक प्रतिशत अर्थात् लगभग ढाई करोड़ के हिसाब से बढ़ रही है । आगे कुछ वर्षों के बाद जब आवादी अधिक हो जायगी

तो वार्षिक वृद्धि का परिमाण भी बढ़ जायगा, अर्थात् वह हर वर्ष ढाई करोड़ से अधिक होने लगेगी। आवादी प्रायः सभी देशों में बढ़ रही है। कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि अगर यह वृद्धि रोकी न गयी तो दरिद्रता, वीमारी या महायुद्ध का सकट बढ़ेगा। इसलिए बहुत से आदमियों को आवादी की वृद्धि से बहुत चिन्ता है।

दूसरा पहलू—पिछले वर्षों के अनुभव से यह सिद्ध हो गया कि उपर्युक्त अर्थशास्त्रियों ने खाद्य पदार्थों की कमी की जो आशका प्रकार की थी, वह सत्य नहीं है। नयी भूमि में खेती की जाने में, तथा उन्नत तरीकों के काम में लाये जाने से खाद्य पदार्थों की पेदावार में आशातीत वृद्धि हुई है। ऐसा मालूम होता है कि बड़े-बड़े शहरों की घनी वस्तियों को देख कर यह अनुमान कर लिया गया या कि सासार में जनसख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ रही है। वास्तव में पेदायश बहुत अधिक नहीं है।

कुछ वैज्ञानिकों ने समय-समय पर यह हिसाब लगाया है कि इस धरती की पेदावार कितनी जनसख्या के लिए पर्याप्त हो सकती है। ऐसे हिसाब से अलग अलग परिणाम निकलने स्वाभाविक हैं, कारण, कुछ महत्वपूर्ण वातों की व्याख्या आदमी अपने-अपने ढग से करते हैं। कुछ कानून है कि पृथ्वी की खेती-योग्य पूरी भूमि में काश्त होने लग गयी है, और खेती के तरीकों में उन्नति करने की सीमा आ पहुँची है। दूसरे सज्जन बहुत आशावादी हैं। इनमें से कुछ के हिसाब से पृथ्वी की पेदावार कम से कम ७०० करोड़ और अधिक से अधिक १६०० करोड़ जनसख्या होने तक काफी होगी। अमरीकी न्टेट विभाग ने बहुत से तथ्यों और औकड़ों के आवार पर अनुमान लगाया है कि आज भी विना किसी विस्मयकारी अन्वेषण के मानव इस स्थिति में है कि यदि आवादी तिशुनी हो जाय तो भी भूख का इस धरती से नाम-निशान मिटा सके। और, यदि उन्पाठन में वैज्ञानिक तरीकों से वृद्धि की जाय और उपयोग की विधि में यथेष्ट सुधार हो तो इससे भी अधिक आवादी का निर्वाह हो सकेगा। इस नमय तो पूजीवादी व्यवस्था में अनेक बार अन्नादि इसलिए नष्ट कर दिया जाता है कि उसके दाम न गिरने पाये। इसके अतिरिक्त अनेक आदमी कुछ उत्पादन कार्य न करके

भूमि पर भार बने हुए हैं। अखु, पृथ्वी की उत्पादन-शक्ति के कम होने के विषय में चिन्ता का अवसर नहीं है।

यह ठीक है कि इस समय सारा सासार खाद्य पदार्थों आदि की समस्या पर एक इकाई की तरह विचार नहीं करता, विविध राज्यों में गुटबन्दी और स्वार्थ का बोलबाला है। इसलिए तमाम सासार की उपज के परिणाम के आधार पर यह अनुमान लगाना ठीक नहीं कि इससे इतनी जनसख्या का निर्वाह हो जायगा। पर यह स्थिति बहुत समय रहने वाली नहीं। और, यह तो स्पष्ट ही है कि मूल समस्या विशेषतया राजनैतिक है।

सन्तान-वृद्धि की रोक—बहुत से आदमियों के लिए जनसख्या की वृद्धि बहुत चिन्ता का विषय है। यूरोप अमरीका के कुछ भागों में कृत्रिम उपायों द्वारा इस वृद्धि को रोका जाता है। इस बात के समर्थकों की सख्या बढ़ती ही जा रही है। भारत में भी इसका जोर बढ़ता जा रहा है। इसमें खासकर ये दोष हैं—

१—जब मनुष्य विषय-भोग के परिणाम अर्थात् सतान की ओर से निश्चन्त हो जाता है तो उसका विषय-भोग में अधिक फसना स्वाभाविक ही है। इससे वह कमजोर हो जाता है, और भावी पीढ़ी के भी निर्वल और तेजहीन होने की सम्भावना होती है।

२—कृत्रिम साधनों का विशेष उपयोग शिक्षित, शहरी और धनवान लोग करते हैं। इनकी सतान तो वैसे ही कम होती है।

३—इससे पुरुष खियों का अनुचित सम्बन्ध अर्थात् नैतिक दुराचार बढ़ता है।

अन्यान्य लेखकों में गाधीजी ने इस विषय पर गम्भीर चिन्तन किया और विस्तार से लिखा है। आपका कथन है कि—

‘कृत्रिम साधनों से नुकसान नहीं होता—ऐसी गवाही तो कोई भी नहीं देगा। ऐसा मैं अपनी खोजो और अवलोकन के परिणाम-स्वरूप जोर देकर कह सकता हूँ। ... जानकार मनुष्य कहते हैं कि खियों को होनेवाले कैन्सर जैसे रोगों का मूल इन कृत्रिम साधनों के उपयोग में है। ... इसमें भयकर बात तो यह है कि जहाँ एक बार ऐसे कृत्रिम साधनों का प्रचार वेधड़क होने लग गया कि फिर इस अत्यन्त हीन ज्ञान को

रोकने का एक भी उपाय नहीं किया जाता और उसके प्रचार को रोकने की किसी में भी शक्ति नहीं रहेगी, और ये बाते सब से पहले प्रजा के युवाओं में पहुँचती हैं।*

कृत्रिम निरोध की पद्धति ठीक नहीं है, पर सन्तान-वृद्धि को रोकने की जरूरत से इन्कार नहीं किया जा सकता, हा, अब की कमी के कारण नहीं, वृत्तिक अन्य कारणों से। बात यह है कि वच्चे ज्यादा और जल्दी-जल्दी होने से एक तो माँ का स्वास्थ्य गिरता है, दूसरे, वच्चों की भार सभार, पालन-पोषण और शिक्षा-दीक्षा अच्छी तरह नहीं हो सकती।

संयम का उपयोग—चाहे जनसंख्या की वृद्धि को रोकना हो या दूसरा लक्ष्य सामने हो, संयम और इन्डिय-निग्रह की उपयोगिता हर दशा में है। इस विषय में श्री विनोदा की यह बात भुलायी नहीं जा सकती कि 'साल में एकाध बार खी-पुरुष सम्बन्ध हो जाने से भी पुत्रोत्पत्ति हो सकती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को असंयमी समझने का कारण नहीं है। इस दृष्टि से एकाध खीस वच्चों का बाप भी दो वच्चों के बाप से ज्यादा संयमी हो सकता है।'

संयम की भावना बढ़ाने में सादा जीवन और लोकसेवा आदि के उच्च विचारों से बड़ी सहायता मिलती है। ऐसे विचार बाले व्यक्ति कम सन्तान से या बिना सन्तान के भी सन्तुष्ट रहते हैं। आवश्यकता है कि मनुष्य कोई महान् ध्येय रखे और उसकी प्राप्ति में अपनी सारी शक्ति लगाने का दृढ़ निश्चय करे।

जनसंख्या वृद्धि और गरीबी—साधारण अनुभव की बात है कि अन्य बातों के समान होते हुए साधारणतया धनवानों या सम्पन्न व्यक्तियों की अपेक्षा गरीबों के परिवार में सन्तानोत्पत्ति अधिक होती है। अक्सर धनवान दम्पति सन्तान का मुँह देखने को तरसते रहते हैं, जबकि गरीबों के यहाँ उसकी भरमार होती है, वच्चे उनकी जरूरत से कहीं ज्यादा होते हैं। श्री ब्रह्मदत्त ब्रजपेयी ने लिखा है—

* 'विवाह समस्या अर्थात् खी-जीवन' से।

‘बढ़ती हुई जनसंख्या के विषय में कुछ अध्ययन करने से यह शीघ्र ही दीखने लगता है कि उसका भूख से बहुत निकट का सम्बन्ध है। जो राष्ट्र भूखे एवं गरीब हैं उनकी जनसंख्या भी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, जैसे चीन और भारत इत्यादि। इन राष्ट्रों में जिन प्रान्तों और जिलों में भूखे और गरीब अधिक हैं उनमें जनसंख्या भी अधिक तेजी से बढ़ रही है। हमारे प्रान्त के पूर्वी जिले तथा बिहार, बगाल और उडीसा इत्यादि इसकी मिसाले हैं। जो राष्ट्र, जातियाँ अथवा परिवार सम्पन्न हैं, भूख से मुक्त हैं उनमें प्रजनन भी कम होता है, जनसंख्या कम बढ़ती है।’*

स्पष्ट है कि किसी प्रदेश की जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ने का एक मुख्य कारण, अन्य बातों के समान होते हुये, वहाँ की आर्थिक हीनता होती है। इस लिए जनसंख्या की विशेष वृद्धि को रोकने का एक अच्छा उपाय वहाँ की निर्धनता दूर करना है।

जीवन-पद्धति सुधारने की आवश्यकता—इसके अतिरिक्त हम याद रखें कि सन्तान अच्छी होने के लिए जिन बातों की जल्दत होती है, उनसे ही सन्तान में कमी भी हो जाती है। आवश्यकता है जीवन-पद्धति में सुधार करने की। इसके लिए निम्नलिखित तरीके काम में लाये जाने चाहिए :—

(१) जनता में यह प्रचार किया जाय कि जीवन-स्तर ऊँचा करे, अच्छे मकान, तथा उत्तम भोजन वस्त्र आदि का उपयोग करे और सास्कृतिक उन्नति की ओर ध्यान दे।

(२) नागरिकों की, अपना उत्तरदायित्व समझने और दूरदर्शी बनने की भावना विकसित की जाय। वे सन्तान के प्रति अपनी जिम्मेवारी का विचार रखें।

(३) सदाचार और संयम का वातावरण पैदा किया जाय, विवाह की उच्च बढ़ायी जाय और बहुत अधिक आयु वालों के विवाह बन्द किये जायें।

(४) निर्वल, दग्धि, वशानुगत रोगी, पागल या विशेष शारीरिक या मानसिक विकार वाले आदमियों के विवाह सम्बन्ध बन्द होने चाहिए।

* ‘ब्रह्मूत पत्रिका’ १८, मई १९५६.

(५) पुरुषों और स्त्रियों में ऐसी भावना भरी जानी चाहिए कि दूसरों के बालकों से भी यथेष्ट प्रेम करे, इस प्रकार जिनके कोई सन्तान न हो वे दूसरे बालकों से प्रेम करते हुए उनके पालन-पोषण और शिक्षण में सहायक हों।

(६) आदमी कृत्रिम, शाहरी, आडवर-पूर्ण जीवन की अपेक्षा प्रकृति के अनुकूल चले, और ग्राम-जीवन के मुक्त वायुमंडल में रहें।

विशेष वक्तव्य—परमात्मा ने मनुष्य को एक मुह या एक पेट के साथ दो हाथ दिये हैं। यदि हम ऐसी योजना बना कर अमल में लाये कि सारे हाथों का पूरा उपयोग हो सके तो जनसख्या की समस्या कुछ कठिन न रहे। ऐसी योजना के लिए 'थ्रम बचाने वाले' यत्रों को और दूसरों के थ्रम-फल को हड्डपने वाली जीवन-प्रणाली को समाप्त करना होगा। मानव थ्रम को केवल उपयोगी और उत्पादक कार्यों में ही लगाना होगा, उत्पन्न सामग्री को फैशन या विलासिता में नष्ट होने से बचाकर उसका लोकहित की दृष्टि से बहुत प्रितव्ययितापूर्वक उपयोग करना होगा। अगर प्रत्येक व्यक्ति परिश्रमी, शुर्गान्तर, न्वावलभ्वी, सदाचारी और लोकसेवी हो तो ऐसी जनसख्या से देश या संसार को डरने का कोई कारण नहीं। अस्तु, वास्तव में समस्या आवादी की सख्या की नहीं, बल्कि उसके सही और पूरे उपयोग की है। आदमी न तो आलस्य, अकर्मण्यता और विलासिता का जीवन विताये, और न हिसक और विनाशकारी कार्यों में अपनी शक्ति लगाये। माता-पिताओं को, शिक्षा-संस्थाओं को, तथा राज्याधिकारियों को इस दिशा में अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए।

व्यापारियों में दूषित प्रतिस्पद्धा चल रही है और उसके फल-स्वरूप धोखेवाजी, दगा, फरेब, चोरी आदि अनीतियाँ बढ़ गयी हैं। दूसरी ओर जो माल तैयार होता है, वह खराब और सड़ा हुआ होता है। व्यापारी चाहता है कि मैं खाड़ें, मजदूर चाहता है कि मैं ठग लूं और प्राहक चाहता है कि मैं बीच से कमालूं। इस प्रकार व्यवहार विगड़ जाता है, लोगों में खटपट मच्छी रहती है, गरीबी का जोर बढ़ता है, हड़ताले बढ़ जाती है, महाजन ठग बन जाते हैं, प्राहक नीति का पालन नहीं करते। एक अन्याय से दूसरे अनेक अन्याय उत्पन्न होते हैं। अन्त में महाजन, व्यापारी और प्राहक सब दुख भोगते हैं और नष्ट होते हैं।

—गांधीजी

चौथा खंड

विनिमय

- २२—विनिमय की उपयोगिता की सीमा
- २३—मुद्रा-व्यवस्था के दोष
- २४—बैंक
- २५—सही कीमत
- २६—व्यापार और उसके साधन
- २७—व्यापार नीति
- २८—पैसे की प्रभुता से मुक्ति

बाइसवॉ अध्याय

विनिमय की उपयोगिता की सीमा

व्यापारी लोग अपने स्वार्थ के लिए लाखों रुपये खर्च करके जनता में अनावश्यक चीजे चलाने की कोशिश करते हैं। जब वे चल निकलती हैं तो उनको मांग का रूप दिया जाता है।

—श्रीकृष्णदास जाजू

शोषणहीन समाज स्थापित करने के लिए गांवों में शहरों के माल का वहिष्कार करना होगा, आवश्यकता हो तो सत्याग्रह और धरने की शरण लेनी होगी, दूसरी ओर प्रबन्धकों से भी असहयोग करना होगा।

—थीरेन्द्र मजूमदार

विनिमय की आवश्यकता ; अदल-बदल और क्रय-विक्रय—
किसी आदमी का काम केवल अपनी ही बनायी हुई वस्तुओं से नहीं चल सकता। उसे दूसरों की बनायी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, और इन्हें लेने के लिए उसे बदले में दूसरों को ऐसी वस्तुएँ देनी होती है, जिनकी उन्हें जरूरत हो। इस प्रकार का व्यवहार बहुत प्राचीन समय से होता रहा है। इसे विनिमय कहते हैं, यह दो तरह का होता है— (१) जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाती है, इसे अदल-बदल कहते हैं, अब इसका चलन खासकर गाँवों में रह गया है। (२) जिसमें वस्तु के बदले द्रव्य दिया जाता है। मुद्रा द्वारा खरीद-वेच या क्रय-विक्रय करने की पद्धति के लिए ही अब 'विनिमय' शब्द का प्रयोग होता है। यह उत्तरोत्तर बढ़ रहा है।

विनिमय का अनावश्यक विस्तार, भोजन में—ऊपर विनिमय की उपयोगिता बतायी गयी है, पर इसकी एक सीमा है। आजकल विनिमय का क्षेत्र बेहद बढ़ा हुआ है। अनेक आदमी अपने गाव में पैदा होने वाले अब का उपयोग न करके दूसरे प्रकार के अन्न खाने के इच्छुक रहते हैं, जो वहा पैदा

नहीं होता। इसलिए वहां पैदा हुआ अब बहुधा बोरों में भर कर, और वैल-गाड़ियों, मोटर और रेल द्वारा ले जाया जाता है, और दूसरे स्थानों से दूसरा अब इसी ग्रकार लाया जाता है। इसमें कितनी शक्ति और समय खर्च होता है तथा लाने-लेजाने या लादने-उतारने आदि में कितना अब नष्ट हो जाता है।

दूसरा उदाहरण ले। कुछ स्थानों में बान पैदा होता है, पर आदमी वहाँ ही उसे हाथ से कूट कर चावल तैयार नहीं करते। वे उसे बेच देते हैं, और वह मिलों में ले जाया जाता है, वहां वह यत्र से कृटा जाता है, और उस पर पालिश करके चमकीला किया जाता है। इस चमकीले चावल का खासा अश उन गावों या कस्बों में जाता है, जहां धान पैदा हुआ था, और बेचा गया था। मिल की उपर्युक्त क्रिया इसलिए की जाती है कि बान की अपेक्षा चावल को लाना-लेजाना आसान तथा कम व्यय-सान है, और पालिश किये बिना चावल जल्दी खराब हो जाता है। मिल की क्रिया से चावल का बहुत सा पोषक तत्व नष्ट हो जाता है, और उसके खाने से 'वेरीवेरी' रोग पैदा होता है। इस रोग को रोकने के लिए इस चावल पर पौष्टिक तत्वों का लेप चढ़ाने की दूसरी क्रिया निकाली गयी है। इससे उपयोक्ताओं पर दोहरे खर्च का भार पड़ता है। अस्तु, विनिमय के कारण होने वाली हानि स्पष्ट है।

एक और उदाहरण लीजिये। भारत के बहुत से गाँवों में गन्ना पैदा होता है, और उसका आसानी से गुड बनाया जा सकता है, जो बहुत स्वास्थ्यप्रद और पौष्टिक होता है। पर अनेक गावों वाले गन्ने को दूर-दूर मिलों में ले जाकर बेचते हैं, वहां उसकी चीनी बनायी जाती है। (जिसे स्वास्थ्य के लिए हानिकर होने के कारण गाधीजी ने 'सफेद जहर' कहा था), उस चीनी को फिर विविध गाँवों में ले जाया जाता है। वहां इसे वे लोग भी खरीदते हैं, जिन्होंने गन्ना पैदा किया था। गन्ने की खरीद-बेच से लेकर चीनी के क्रय-विक्रय तक लोगों को कितनी दानि और परेशानी होती है, इसका वर्णन करने की जरूरत नहीं।

भोजन के पदार्थों की बात छोड़ कर अब हम वस्त्र का विषय लेते हैं।

कपड़े की बात — आधुनिक काल में भारत में समय-समय पर कपड़े का सकट रहा है। इस समय भी यहा कपड़े की कमी की बहुत शिकायत है। आश्चर्य और खेद है कि जहां कपास पैदा होती है, वहां भी कपड़े का सकट हो। अस्तु,

यह सकट बहुत-कुछ विनिमय की अनावश्यक वृद्धि के कारण ही है। आदमी कपास को ओट कर तथा रुई का सूत कात कर अपने यहा कपड़ा बुनवा लिया करे तो उन्हें येष्ट वस्त्र सहज ही मिल जाया करे। पर यहा तो कपास ओटने से लेकर उसका कपड़ा बनाने तक विनिमय और यातायात की अनेक क्रियाएँ होती हैं। इन क्रियाओं से, कपड़े का उद्योग करने वालों पर मध्यस्थों की दलाली और मुनाफे आदि का बहुत भार पड़ता है, और कपास पैदा करने वाले किसानों को अर्द्ध-नग्न रहना पड़ता है। इसी प्रकार अन्य पदार्थों के विनिमय के हानिकारक प्रभाव का विचार किया जा सकता है।

विनिमय की वृद्धि से हानि—विनिमय से होने वाली पूरी हानि का अनुमान करने के लिए यह ध्यान में लाना होगा कि इस समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल लाने-लेजाने में कितनी शक्ति लग रही है। माल भरने के लिए एक छोटे से देश में भी कितने बोरों, सदूकों या टाट आदि का खर्च हो जाता है, कितने बैल, घोड़े, खच्चर, गधे, ऊंट, मोटर, रेल, जहाज और हवाईजहाज आदि इस काम में लगते हैं। उन्हें चलाने के लिए आदमियों की कितनी जरूरत होती है। उन सब चीजों का हिसाब-किताब रखने में कितना आदमियों का कितना समय लगता है। फिर, लाने-लेजाने में इन चीजों का कितना हिस्सा बिगड़ जाता है, या बिलकुल ही अनुपयोगी हो जाता है। हम इन बातों के इतने अभ्यस्त हो गये हैं कि इन्हें ध्यान देने योग्य ही नहीं समझते। तथापि समय-समय पर यातायात के साधनों की कमी आदि कुछ घटनाएँ ऐसी होती रहती हैं कि हमें इन बातों पर गम्भीरता पूर्वक सोचने को विवश हो जाना पड़ता है।

जो माल हमें दूसरे देशों से मगाना होता है, उसके लिए महीनों पहले लिखा-पढ़ी होती है, भाव तय किये जाते हैं। पर अनेक बार माल से भरा कोई जहाज आदि रास्ते में ही नष्ट हो जाता है। फिर संसार में युद्ध का चातावरण बुरी तरह से बना हुआ है, न-मालूम कब कौन-सा देश युद्ध-ग्रस्त हो जाय और उसका प्रभाव दूर-दूर तक फैल जाय। उसके कारण एक ओर तो वह देश हमें कुछ माल देने में असमर्थ हो जाय, दूसरी ओर अगर हम वह माल किसी अन्य देश से भी मगाना चाहें तो रास्ता सुरक्षित न होने की दशा में वह

देश उस माल को हमारे वहाँ भेजने की जोखम न उठाये। इस प्रकार यदि हम अब बख्तादि जीवन-रक्षक पदार्थ के लिए परावलम्बी रहते हों तो युद्ध-काल में हमारे सकट का क्या ठिकाना !

दलालों की सूष्टि, समाज-संगठन को आधात—विनिमय की इस पढ़ति ने उत्पादक और उपयोक्ता के बीच में एक मध्यस्थ को अनिवार्य बना कर उनका पारस्परिक सम्बन्ध तोड़ दिया है। जुलाहे को किसान की, या किसान को जुलाहे की अब कोई आवश्यकता नहीं रह गयी है। जुलाहा अब खरीदने के लिए और किसान कपड़ा खरीटने के लिए एक दूसरे के पास नहीं जाते। ये दोनों ही एक तीसरे व्यक्ति के पास जाते हैं, जो इन दोनों के बीच मध्यस्थ गा दलाल है, अथवा दुकानदार या आदतिगा है। यह दलाल स्वयं कोई शरीर-श्रम न करके भी उत्पादकों से अधिक धनवान और प्रतिष्ठित बन जाता है। यह अपनी चातुरी और चालाकी से उत्पादकों का शोषक बन जाता है और वहुधा उपयोक्ताओं से भी अनुचित लाभ उठाता है। यह बात समाज के स्वाभाविक जीवन के लिए एक बड़ा सकट है।

विशेष वक्तव्य—इसलिए भोजन-वस्त्र जैसी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति तो यथा-सम्बन्ध गाँव-गाँव में या पाँच सात गाँवों की डकाउ में हो जानो चाहिए, जिससे आटमी विनिमय के दूषित चक्र से बचे। अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में भी प्रत्येक बड़े गाँव या ग्राम-समूह का स्वावलम्बी होना ही अच्छा है। पर यदि उनके सम्बन्ध में ऐसा न भी हो तो इतना हानिकर नहीं, कारण, जब कभी ऐसा अवसर उपस्थित हो कि दूसरे स्थान में वह पदार्थ अधिक पेटा या तैयार न हो अथवा वहाँ से आने में यातायात सम्बन्धी कोई वाधा उपस्थित हो जाय तो जनता का जीवन तो सकट में न पड़ेगा। साधारण परिस्थिति में, रोजमर्रा के जीवन में खासकर मूल आवश्यकताओं के पदार्थों के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न गाँवों या नगरों में विनिमय-कार्य का बढ़ना परावलम्बन बढ़ाना है। इसका यथेष्ट नियन्त्रण होना चाहिए, और एक देश से दूसरे देश का व्यापार तो और भी कम, तथा केवल कुछ खास दशाओं में ही रहने देना चाहिए।

तेझसवाँ अध्याय

मुद्रा व्यवस्था के दोष

आज लेनदेन एक मुनाफे की चीज बन गयी है, और महज लेनदेन का काम करने वालों ने ससार की सम्पत्ति पर अधिकार जमा रखा है। रुपये ने साधन को ही साध्य बना दिया है।

—जौ० का० कुमारण्ण

साधन को साध्य समझ लेने का फल यह होता है कि हमारा सामूहिक जीवन, हमारा सामाजिक संगठन अब पारस्परिक श्रम और सहयोग पर अवलम्बित नहीं, पैमों के सहारे रोग, दुख और अभाव के एक विचित्र गोरखधर्थे में उलझा हुआ लड़खड़ा रहा है।

—रामकृष्ण शर्मा

आजकल विनिमय के माव्यम के लिए खासकर सोने चाँदी के सिक्के काम में लाये जाते हैं। नोट आदि कागजी मुद्रा का चलन बढ़ रहा है, उसका आधार धातु की मुद्रा ही है, और इसके एवजी या स्थानापन के रूप में ही उसका व्यवहार होता है। इस समय हमारे जीवन में मुद्रा का महत्व कितना बढ़ा हुआ है, तथा मुद्रा-व्यवस्था से क्या हानियाँ हैं—इन बातों का आगे विचार किया जाता है।

मुद्रा का देहद महत्व—विनिमय की वर्तमान पद्धति से मुद्रा को असाधारण महत्व मिल गया है। पहले जब प्रत्येक गाँव अपनी रोजमर्रा की सावारण जरूरते पूरी करने के लिए स्वावलम्बी था तो आदमी स्थानीय पदार्थों का अदल-बदल करके सहज ही अपना काम चला लेते थे। उन्हें पैसे की विशेष आवश्यकता नहीं होती। पैसा तो उन्हें खासकर उसी दशा में जरूरी मालूम होता था, जब उन्हें कोई ऐसी चीज लेनी होती थी जो दूर-दूर के स्थानों में मिलती थी। इस प्रकार पैसे का उपयोग बहुत कम ही होताथा।

भारत में सतरहवीं-अठारहवीं सदी तक ऐसी ही वात थी। श्री विनोबा ने कहा है—‘अग्रेजों के राज्य में यहाँ पर पेसे की कीमत बढ़ गयी। गॉव-गॉव के उद्योग टूट गये और गॉव के लोग शहर से चीजें खरीदने लगे। इस तरह से पेसे के गुलाम होने के कारण वे प्रेम को भूल गये। आजकल इन लोगों ने पेसे की विद्या बनायी है और उसको ‘अर्थशास्त्र’ नाम दिया है। अपने धर का पेसा कैसे बढ़ाना, इसकी वह विद्या है। लेकिन वह विद्या नहीं, अविद्या है।’

मनुष्य मुद्रा-जीवी हो गया है—पहले आदमी जाने पहनने आदि के काम में आने वाली चीजों का सब्रह रखता था। अब को वन मानने का प्रमाण ‘वन-धन्य’ शब्द के प्रयोग से मिलता है। ‘गो-धन’ शब्द भी यहाँ बहुत प्रचलित रहा है, गौ को धन की इकाई माना जाता रहा है। इस प्रकार मनुष्य पहले वस्तु-जीवी था। अब तो वह मुद्रा-जीवी है। धनवान कहे जाने वाले आदमियों के धरों में व्यवहारोपयोगी वस्तुएँ बहुत मामूली परिमाण में ही होती हैं। लखपति या करोड़पति के यहाँ बहुधा साल भर के शुजारे लायक भी सामान नहीं होता। उसके यहाँ केवल सिक्के (या नोट) होते हैं। सिक्कों से आदमी का पेट नहीं भरता, न उसकी सर्दी गर्मी से रक्षा होती है। अनेक बार ऐसे अवसर आते हैं, जब सिक्का बहुत बड़े परिमाण में होते हुए भी आदमी अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता।

पाठकों ने एक राजा की कथा पढ़ी होगी। उसे ऐसा वरदान मिला था कि वह जो चीज़ कूटा था, वह सोने की बन जाती थी। वह खुश था कि मैं अपना सोने का भडार मनचाहा बढ़ा सकता हूँ। परन्तु जब उसका छुआ हुआ भोजन भी सोने में बदल गया और उसे भूखा रहना पड़ा तो उसे वरदान की तुच्छता मालूम हुई और वह उसे शाप समझने लगा। मुद्रा-व्यवस्था ने अब व्यक्तियों तथा देशों को कुछ वैसी ही हालत में ला दिया है, धन के लोभ के कारण हम भोजन-वस्त्र आदि की सामग्री को सिक्कों में बदल कर कष्ट पा रहे हैं।

अम और उत्पादन मुद्रा के लिए—इस समय हमारे समस्त लोक-व्यवहार का केन्द्र मुद्रा है, उसी के लिए हम अम करते हैं और उसी को लक्ष्य

मेरख कर उत्पादन किया जाता है। इससे विविध प्रकार का श्रम और उत्पादन करने वालों का पारस्परिक मेल-जोल और घनिष्ठता नष्ट हो गयी है। जैसा कि श्री रामकृष्ण शर्मा ने लिखा है—‘अब एक किसान दूसरे से यह कहता हुआ बहुत कम देखा जाना है कि भाई मेरे खेत में चार दिन सिन्हाई करा दो, मैं तुम्हारे खेत में चार दिन शुडाई करा दूँगा। अब वह कहता है कि चलो हमारे खेत में पानी चला दो, दो आने पैसे दे दूँगा। श्रम ही नहीं, उत्पादन भी पैसों के लिए हो रहा है। कल वाला किसान जो गेहूँ, जौ या तूर की पैदावार करके अपनी तथा सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व सभाले हुए था, आज वही जौ, गेहूँ या तूर की अपेक्षा गन्ने की फसल पर उत्तर आया है और चीनी की मिले उसकी खड़ी फसल को लेकर तत्काल पैसे दे देती है, इस प्रकार वह अनेक भक्खटों से बचने की तो सोचता ही है, पैसे भी उसे अधिक मिलते हैं। अब उसका लक्ष्य पैसों पर है, न कि जीवनावश्यकताओं पर।’ *

मुद्रा-व्यवस्था से समाज के आर्थिक जीवन में अस्थिरता—पैसे का उपयोग वस्तुओं का मूल्य मापने वाली इकाई के रूप में है। यदि इस इकाई का ही मूल्य समय-समय पर बदलता रहे तो यह दूसरी वस्तुओं का मूल्य स्थिर रखने में सर्वथा असमर्थ होगी, यह स्पष्ट ही है। जब पैसे के मूल्य में अकस्मात् या एक दम भारी उथल-पुथल हो जाती है तो जिस समाज की सारी अर्थव्यवस्था का आधार ही पैसा है, उसके जीवन में भयकर अस्थिरता उत्पन्न होना स्वाभाविक है। श्री विनोदा ने कहा है—‘आज स्पष्ट के एक सेर चावल, कल डेढ़ सेर, दस साल पहले १२ सेर थे, कौन जाने कब और कितना होगा। इस तरह इस भूठे पैसे को हम सिर्फ निवाह नहीं रहे हैं, हमारा कारोबार ही बना चुके हैं। अगर लफगे को हम कारोबारी बनाये तो हम धोखे में नहीं आयेगे तो और क्या होगा।’

मूल आवश्यकताओं की उपेक्षा और व्यापारिक वस्तुओं की भरमार—मुद्रा-व्यवस्था के कारण हम प्रायः ऐसी चीजों के उत्पादन की ओर अधिक ध्यान देते हैं, जिनसे मुनाफे आदि के रूप में हमें अधिक

* ‘नवभारत’

से अधिक पेसा मिले। इससे विविध देशों में व्यापारिक वस्तुओं का परिमाण तो बढ़ गया है परं लोगों की मूल आवश्यकताओं की चीजें कम रहती हैं। व्यापारिक वस्तुओं को अनेक बार मध्यम श्रेणी के तथा निर्धन लोग भी खरीद लेते हैं, इससे उन्हें अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति में बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। इस प्रकार उनका जीवन सकटमय होने का एक मुख्य कारण व्यापारिक वस्तुओं की अविकता है, जिसका मूल वर्तमान मुद्रा-व्यवस्था है। इस के चक्र में पड़ने से अब किसान केवल उपयोगी अनाज का उत्पादन नहीं करता, बल्कि वह कई ऐसी चीजों की खेती में लगा रहता है, जो समाज के लिए हानि-कारक है। भूख से पीड़ित जनता के लिए अन्न पैदा करने के बजाय वह तमाखू आदि पैदा करता है, जिसे बेचने से उसे अधिक लाभ होता है। अस्तु, व्यापारिक हाइट में किया हुआ यह उत्पादन बहुत अनीतिमय और अनिष्टकारी है।

आदमी अपने पैदा किये हुए पदार्थों से वचित—मुद्रा-व्यवस्था से हमें पद-पद पर ‘समुद्र में भी माँन प्यासी’ के उदाहरण मिलते हैं। अब्रदाता किसान प्रायः बटिया अन्न पर निर्वाह करते हैं, और वह भी उन्हें अनेक दशाओं में काफी नहीं मिलता। उनका बटिया अन्न उनके दाने के लिए नहीं होता, वह तो बिक्री के लिए होता है। किसान उसे बेच कर पैसा प्राप्त करने के लिए लालायित रहता है। प्राप्त देवतने में आता है कि गाँवों के जिन घालों के बहा मनों दूध होता है, उनके बच्चों को दूध नसीब नहीं होता। वे लोग अपनी गाय भैंस का अधिक से अधिक दूध निकालते हैं, यहाँ तक कि बछिया बछड़े और पहुँचे भी यथेष्ट दूध नहीं पीने देते। कुछ दण्डाओं में तो वे गाय के बच्चा को थोड़े दिन का होने पर ही कसाई को बेच कर उसके दाम उठा लेते हैं, और फिर गाय को धोका देने के लिए, उसका दूध निकालते समय उसके सामने एक नकली बच्चा खड़ा कर देते हैं, जिससे गाय दूध देने लगे। इस प्रकार वे अधिक से अधिक दूध निकाल कर उसे बाजार में ले जाकर हलवाइयों के हाथ बेच देते हैं, अथवा उसे अपने बरां में जमा कर उससे धी निकाल कर पेसा प्राप्त करने की फिक में रहते हैं। उनके बच्चों को सिर्फ़ मट्टा या छाछ मिलती है। माली या बागवान अपने यहाँ की सब अन्धी बटिया साग-भाजी और फलों को बेच ढालते हैं। उनके बालकों को यह सिसाया

जाता है कि ये चीजें हमारे खाने की नहीं हैं, ये बेचने की हैं, इनके दाम उठाने हैं। इस तरह के अनेक उदाहरण हमारे चारों ओर मौजूद हैं और मुद्रा-व्यवस्था के दोषों की घोषणा कर रहे हैं।

परिग्रह और स्वार्थ-भावना की वृद्धि—वर्तमान मुद्रा-व्यवस्था में

यह शुण समझा जाता है कि इससे आदमी को उसे बचा कर रखने, उसका संग्रह करने की सुविधा है। पर इसके दूसरे पहलू का विचार नहीं किया जाता। अब आदमी को परिग्रह के लिए अच्छा साधन मिल गया है। वह निन्यानवे के फेर में रहता है। अधिकाधिक मुद्रा-संग्रह करने की फिक्र करता है। उसकी टृणा की सीमा नहीं। पहले जब मुद्रा का चलन न था तो आदमी अन्य पदार्थों का संग्रह तो करता था, पर उसकी सीमा रखता था। अब आदि का संग्रह कोई कितना कर सकता है! उसके लिए पहले तो स्थान ही बहुत चाहिए। फिर, यह भी आशका रहती थी कि वह कुछ समय में—वृष्टि, दो वर्ष में—खराच हो जायगा। इसलिए आदमी उसमें से काफी हिस्सा आवश्यकता होने पर, दूसरों को देकर उनकी सहायता कर देता था। पर अब मुद्रा-व्यवस्था होने की दशा में वह बात नहीं रही। मुद्रा रखने के लिए स्थान नाम मात्र का चाहिए और उसके खराच हो जाने का डर है ही नहीं। आदमी उसे अपनी आवश्यकता से कहीं अधिक जोड़ता रहता है, उसके स्वार्थ और परिग्रह पर अब कोई अकुश नहीं।

हिंसा, चोरी और लूट—स्वार्थ और परिग्रह की भावना बढ़ जाने की

दशा नें, समाज में जो आदमी शान्तिपूर्वक सरल सीधे उपायों से धन-संग्रह नहीं कर पाते उनमें से बहुत से नीति अनीति का विचार छोड़कर चाहे जैसे उपायों को काम में लाने लगते हैं। इस प्रकार हिंसा, चोरी और लूट का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, और इसमें मुद्रा-व्यवस्था बहुत सहायक सिद्ध होती है। आदमी के लिए अनाज आदि तो दस-बीस रुपये का (मन दो मन वजन वाला) भी चुरा कर ले जाना बहुत कठिन है, पर वह सैकड़ों रुपये सहज ही इस तरह छुपा कर ले जा सकता है कि दूसरों को मालूम न हो। नोटों की तो बात ही क्या, वह तो बहुत ही बड़ी बड़ी रकमों के आसानी से चुराये जा सकते हैं। अमीरों के यहाँ सौ-सौ वा हजार-हजार रुपये के नोट रहते हैं, वे कितनी बड़ी कीमती तक के ले जाये जा सकते हैं, यह पाठक सहज ही अनुमान करले। अस्तु, हिंसा,

चोरी और लूट वडे परिमाण में होने में मुद्रा-व्यवस्था विलक्षण रूप से सहायक है, वह स्पष्ट है।

[नोटों की चोरी तो पशु-पक्षी भी करते हैं, यद्यपि इनसे उनका कुछ भला नहीं होता। उपर्युक्त पक्षियाँ लियते समय (२ अगस्त ५६) समाचार मिला कि छुपरा मुफमिल याने के शेरपुर गाँव में एक व्यक्ति जो अपने भीगे हुए ५-६ रुपये के दो नोट सुना रहा था, उन्हें दो चिडियाँ ने चुग लिया। वे दोनों नोट कुएँ में गिर गये थे और कठिनाई से बाहर निकाले गये थे। नोटों को चिडियों ने उससे अधिक जस्तमन्द व्यक्ति को दिया था क्या किया, पता नहीं चला।]

लोक-जीवन में मरकार का हस्तक्षेप—मुद्रा का महत्व बहुत बहा हुआ होने से तथा उसे चलाने, उतना न्यू और परिमाण जिरीरित करने का कार्य सरकार के नुपुर्द होने से हमारे सामाजिक जीवन में सरकार का हस्तक्षेप बहुत ही बढ़ गया है। हमें अपने रोजमर्रा के घरबाहर में अपनी देनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सरकार का सहारा अनिवार्य प्रतीत होता है। हमारे जीवन की बागडोर उसके हाथ में चली गयी है। हम न्यू सरकारी हस्तक्षेप का समर्थन करते हैं और समर आने पर अपनी इस भवकर मूल के दुपरिणाम को भुगतते हैं। दूसरे महायुद्ध (१९३६-४५) के समय जनता को बाजार में अपने उपयोग की जीजे लेने में जो कठिनाई उपस्थित हुई, वह सर्वविदित है।

मानवता का हास—विशेष खेट और लज्जा की बात यह है कि अब हम आदमी का मूल्य मुद्रा या धन में आक रहे हैं, जो जितना अधिक धनवान है, वह उतना ही अधिक शुणवान और योग्य समझा जाता है। हम यह नहीं सोचते कि उन धनवानों में मानवी शुण कहों तक है, उन्होंने अपने सामाजिक जीवन में लोकसेवा क्या की है, उनमें नेतृत्व कितनी है। इसका परिणाम यह है कि आदमी नेकचलन और अच्छे शुणों वाला बनने की परवाह न करते, जैसे भी ही धनवान होना चाहते हैं, और इसके लिए भले-बुरे सभी उपायों को काम में लाते रहते हैं। ऐसी विचारधारा और ऐसे व्यवहार से व्यक्ति का तथा समाज का पतन होना स्वाभाविक ही है। इससे बचने के तरीकों का विचार इस उठ के आखिरी अध्याय में किया जायगा।

कागजी मुद्रा—जो वाते रूपये-पैसे या धातु-मुद्रा के बारे में कही गयी हैं, वे कागजी मुद्रा अर्थात् नोटों आदि के सम्बन्ध में भी लागू होती हैं, हाँ, अनेक दशाओं में, कहीं अधिक परिमाण में। नोटों को सप्रह करके रखना, रूपये-पैसे की अपेक्षा और भी अधिक सुविधाजनक है। फिर, बहुत सी मुद्रा सरकारी मोहर के कारण ही चलती हैं, उसका वास्तविक मूल्य (धातु मूल्य) उसके चलन-मूल्य से बहुत कम, यहाँ तक कि कुछ दशाओं में तो तिहाई-चौथाई ही होता है। कागजी मुद्रा में तो वास्तविक मूल्य कुछ होता ही नहीं। सौ रूपये का नोट हो या हजार रूपये का, उनका यह चलन-मूल्य केवल सरकारी मोहर से ही होता है। अन्यथा उस कागज का मूल्य एक पैसा भी न मिले। सिक्कों की तरह नोटों का मूल्य तत्कालीन सरकार की मोहर के कारण होता है। यह मूल्य तभी तक रहता है जब तक सरकार उसे मान्य करती है। किसी देश की सरकार के बढ़ल जाने पर नयी सरकार उस मूल्य को अस्वीकार कर सकती है, फिर इससे चाहे उसे कुछ नैतिक क्षति ही उठानी पड़े। एक देश के नोटों का दूसरे देश में तो कोई मूल्य होता ही नहीं। अनेक बार जब किसी राज्य में नोट आवश्यकता से अधिक जारी कर दिये जाते हैं, और इनके लिए यथेष्ट धातु (सोना-चॉदी) नहीं रखा जाता तो वे अपने ही देश में अपना मूल्य बहुत-कुछ खो बैठने हैं। खासकर महायुद्ध आदि के समय इसका कटु अनुभव होता है। तो भी आदमी इन्हे प्राप्त करने और जोड़ कर रखने को बहुत उत्सुक रहते हैं, यद्यपि इनसे उनकी भूल-प्यास या सर्दी-गर्मी नहीं मिटती। उनकी कोई शारीरिक जरूरत पूरी नहीं होती।

विशेष घटतव्य—पिछले समय में आदमी में सिक्कों या नोटों को जोड़-जोड़ कर रखने की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती रही है। वैकों ने उसे इस कार्य में विलक्षण सुविधा प्रदान कर दी है। किसी आदमी की अधिकतम जमा कितनी (कितने हजार, लाख या करोड़ रूपये) होगी, इसकी अब कोई सीमा ही नहीं रही है। वैकों के विषय में आगे लिखा जायगा, तभी यह भी विचार किया जायगा कि इनकी वर्तमान पद्धति में क्या दोष हैं, और वास्तव में इन्हें किस प्रकार चलाया जाना चाहिए।

चौंदीसवां अध्याय

वेंक

पूँजी या धन के कुछ लोगों के हाथ में सचित हो जाने से भारत की आवश्यकता की पूर्ति न होगी, वह तो तभी होगी, जब उसका वितरण १६०० मील लम्बे और १५०० मील चौड़े इस भूखड़ के सात लाख गांवों में इस प्रकार हो कि वह गाँव वालों को मुलभ हो जाय।

— गाँधीजी

आम तौर से धन चाँदी और सोने के सिक्कों के रूप में ही जमा किया जाता है, और जमा करने का यही तरीका जहरीला है, हाँ वैकों में जमा करना तो वेहट जहरीला है।..... सचमुच सुख पेसे के जमा करने में नहीं है, उसके छितराने और विखराने में ही है।

—भगवान्दीनजी

मुद्रा तथा नोट आदि के बारे में लिख चुकने पर अब हम इनसे सम्बन्ध रखने वाली सस्था अर्थात् वैकों के विषय में विचार करते हैं। अक्सर हम वैकों के फायदों की बात किया करते हैं और वैकों के बहने को देश की आर्थिक उन्नति का लक्ष्य समझते हैं। इनसे होने वाली दुराइयों की ओर हमारा ध्यान बहुत कम जाता है।

वैकों से हानि; पूँजी का केन्द्रीकरण—वडे-वडे यत्रोगों और कल-कारखानों में अम का केन्द्रीकरण होने की दुराइयों पहले बतायी जा चुकी हैं। वैकों में पूँजी का केन्द्रीकरण होता है, इन में बहुत से आदमी अपनी-अपनी रकम जमा करते हैं, इससे जो पूँजी पहले त्रिपुरी हुई होती है, वह एक-एक स्थान पर डक्टी हो जाती है। और, वह तो सावारण अनुभव की बात है कि जिनने आदमी वैकों में रुपया जमा करते हैं, उनकी अपेक्षा वैकों से उधार लेने वालों की सख्ती बहुत कम होती है। इस प्रकार जिस पूँजी का उपयोग पहल

बहुत से आदमी करते, वैको के कारण उसका केन्द्रीकरण हो जाता है, और उसका उपयोग थोड़े से ही आदमी करने लगते हैं। ये लोग उसे ऐसे काम में लगाते हैं, जिससे इन्हे अधिक से अधिक आय हो, दूसरे शब्दों में यो कहा जा सकता है कि इनके द्वारा पूँजी जनता का अधिक से अधिक शोषण करने में लगायी जाती है, इनके इस दुष्कर्म का सहायक साधन वैक है।

वैंकों की दूषित व्यवस्था—वात यह है कि आजकल वैक मुख्य-तथा मुनाफा कमाने में लगे रहते हैं। जो भी व्यक्ति या संस्था इन्हे अधिक व्याज दे सकती है, उसे ही ये रूपया उधार दे देते हैं, फिर चाहे वह आदमी या संस्था उस रूपये को किसी भी लोकहित-विरोधी या जनता का शोषण करने वाले काम में लगाये। प्रायः प्रत्येक वैक पर एक व्यक्ति अथवा कुछ इने-गिने व्यक्तियों का प्रभुत्व होता है, और वे ही उसके अधिकाश प्रबन्ध और मुनाफे के अधिकारी होते हैं। वर्तमान काल में अनेक आदमी वैंकों में रूपया जमा करके सिर्फ उसके सूद से खूब मौज उड़ाते हैं और वेकारी का जीवन विताते हैं। सूद के बारे में खुलासा विचार अगले खड़ में किया जायगा। यहा तो खासकर इस वातकी ओर व्यान दिलाना है कि वैक अपनी सफनता इसी में समझते हैं कि खूब रूपया जमा करके उससे अविक से अधिक लाभ उठाये। अपनी आमदनी बढ़ाना ही वे अपना लक्ष्य मानते हैं, चाहे उनके द्वारा सर्वसाधारण का हित न हो कर, उलटा अहित ही क्यों न हो।

मिश्रित पूँजी के वैंकों का व्यवहार—उदाहरण के लिए मिश्रित पूँजी के वैंकों की बात ले, जो प्रायः परिमित देनदारी के होते हैं। इनके अनेक हिस्सेदार वैक के कारोबार की ओर असावधान हो जाते हैं, और सचालक अनाप-शनाप खर्च कर डालते हैं। फिर, हिस्सेदारों (पूँजीपतियों) का श्रमियों से सम्पर्क नहीं रहता और वे उनके सुख दुःख का समुचित व्यान नहीं रखते। अमरीका आदि कुछ देशों में बड़ी-बड़ी वैंक-कम्पनियाँ राजकर्मचारियों और प्रभावशाली व्यक्तियों को अपने पक्ष में करके मनचाहे कानून बनवाने में सफल हो जाती हैं। कुछ कम्पनियाँ अपने प्रतिद्विन्दियों को व्यवसाय-क्षेत्र से हटाकर पदार्थों को घटिया बनाकर अथवा महगा बेचकर मनमाना लेने की

चित्ता में रहा करती हैं। इन कम्पनियों में नेतिक आदर्श नहीं रहता। सचालउ प्राय अपने मित्रों तथा रिश्तेदारों को बड़े-बड़े वेतन पर नियुक्त करा देते ह, और अपने मिलने वालों से कच्चा माल महगे दामों में लाकर उसे कम्पनी के नाम लिखा देते हैं। बनावटी हिसाब के द्वारा वे मुनाफा अधिक दिखा देते ह और इस प्रकार हिस्सा की कीमत बढ़ जाने पर अपने हिस्से बेचकर लाभ उठाते हैं। सचालों की ऐसी बेंडमानी तथा छल-कृपट से सर्वसाधारण को बहुत बोझा और हानि होती है। राष्ट्र के नानूनों द्वारा उन पर कुछ नियन्त्रण किया जाता है, पर वे बहुधा कानून से बचने के नयं-नये उपाय निकाल लेते हैं।

बैंकों ने हमार रूपये का हमारी भावना के विरुद्ध उपयोग—
बैंकों से आजकल अनेक दशाओं में हमारा रूपया ऐसे काम में लगाया जाता है, जहाँ हम उभी लगाना न चाहते। प्राय जब किसी आटमी के पास कुछ काफी बचत होती है तो वह उसे बैंक में जमा करा देता है। इसी प्रकार जब किसी संस्थ के पास कुछ बड़ी रकम जमा हो जाती है तो वही समझा जाता है कि वह मन्त्री या सभापति आदि किसी पदाधिकारी के काम न आकर किसी बैंक में जमा करा दी जाय, जिससे वह अधिक सुरक्षित रहे और ब्याज भी मिले। वैक हम ऐसा ही पसन्द करते हैं, जो हमें सब से अधिक ब्याज दे। हम वह नहीं सोचते कि वह बैंक हमारी रकम का उपयोग कैसे काम में करेगा, और वह काम हमारी भावना के कहाँ तक अनुकूल या प्रतिकूल होगा। इस प्रकार वह मर्यादा सम्भव है कि गोरक्षा और ग्रामोग्रामों के लिए सचित निविं बैंकों द्वारा गोहत्या और यत्रोग्यगी कानों में काम आये। श्री विनोदा ने कहा है—

‘चलां सध का पेसा बैंक में पड़ा रहता है, जिसका ब्याज उन्हें मिलता है। सोचने की बात है कि ब्याज मिलता कहा से है। वह पेसा दूसरे धरों में लगाया जाता है, इसलिए ब्याज मिलता है। चलें के लिए दिया हुआ ‘इयर-मार्क’ (निश्चित परिमाण का) पेसा गोसेवा जैसे अच्छे काम में लगाया जा सकता है। यह मर्यादा हम मानते हैं और वह ठीक भी है। लेकिन बैंकों द्वारा दूसरे धरों में वह लगाया जा सकता है और लगाया जा रहा है। यह एक महान आपत्ति है। वह धन-लोभ ही है, चाहे संस्था के नाम से ही क्यों न हो। इसी तरह हमने कस्तूरवा कोप में फड़ इकट्ठा किया है और अब नावी जी

के स्मारक में किये जा रहे हैं। इतने पैसे की जरूरत क्यों होनी चाहिए? और अगर पैसे की जरूरत है और उसे इकट्ठा किया गया है तो साल दो साल में वह खत्म करना चाहिए। पर वह बनता नहीं और बैंक में पैसा रख कर व्याज लेने की बात चुभती नहीं। उसमें हम दोष नहीं देखते, कारण, हम रहते ही ऐसे समाज में हैं, जहाँ व्याज न लेना मूर्खता माना जाता है।’ *

अमानुषिक व्यवहार—बैंकों के कारण अब आदमी लाखों करोड़ों रुपये आसानी से उनमें जमा कर सकता है। लोभी व्यक्ति अपनी बैंक की जमा बढ़ाने में लगा होता है। उसके लोभ की कहीं सीमा नहीं। दस हजार रुपये जमा हो गये तो ग्यारह हजार करने की इच्छा है। अगर दस लाख हो जाय तो ग्यारहवें लाख के लिए प्रयत्न जारी रहेगा, चाहे उसके पास पड़ोस के आदमी या रिश्तेदार आदि घोर आर्थिक कष्ट सहते हों। पहले जब आदमी के पास अन्न का भड़ार होता था तो वह जब दूसरों को भूखा-नगा देखता तो उसका हृदय सहज ही पिंगल जाता और वह उनकी सहायता के लिए अपना भड़ार खोल देता, पर अब आदमी अपनी बैंक की जमा में सहज ही कमी करना नहीं चाहता, उसे हमेशा यह फिक्क लगी रहती है कि अगर वह करोड़पति है तो कहीं लखपति न रह जाय।

बैंकों का उद्देश्य क्या हो?—बैंकों को चाहिए कि जनसाधारण की रोजमर्रा की आर्थिक समस्याएं हल करने में सहायक हो, खेती और उद्योग धधों की उन्नति के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करें, खासकर गावों की जनता के मार्ग में आने वाली कठिनाइयाँ दूर करें। पहले कहा जा चुका है कि किसी देश की आर्थिक उन्नति का माप यह नहीं है कि उसकी नकदी या पूँजी का परिमाण बहुत अधिक हो, वरन् यह है कि उससे आम निवासियों की मूल आवश्यकताएँ पूरी हों, और उन्हे अपने सास्कृतिक विकास का अवसर मिले। बैंकों को इस दिशा में महत्वपूर्ण भाग लेनेवाला होना चाहिए।

बैंकों की कार्य-प्रणाली का सुधार—इस सभय बैंकों का मुख्य काम

* सर्वोदय सम्मेलन, राऊ, के खुले अधिवेशन में दिये गये भाषण से।

लोगों का रूपया जमा करके उस पर साधारण मूद देना और दूसरे आदमियों को उधार देकर उनसे अधिक सूद लेना है। इस प्रकार वे सूद लेते हैं, और देते भी हैं। 'सूद' के अव्याय में आगे बताया जायगा कि सूद लेना सर्वोदय भावना के विरुद्ध है, और सूद की आमदनी वस्तु करने के लिए सूद पर रूपया जमा करना भी अनुचित है। व्यक्तियों की भाति सस्थाओं की कार्य-प्रणाली में सर्वोदय दृष्टि रहनी चाहिए। इस प्रकार वैक ऐसे होने चाहिए जो लोगों का कष्ट या सकट हटाने में सहायता करे, और अपना स्वार्य सिद्ध करने का लक्ष्य न रखे। उन्हें तो लोकहित के लिए यथा-सम्भव त्याग करने का ही आदर्श गगना है। ऐसे वैक सूद आदि की आमदनी के साधन न होकर धारे का ही कारोबार करेंगे।

जब कि वैकों को अपनी पूँजी बढ़ाने का लोभ नहीं होगा, तो वे हर किसी को उधार देने की बात नहीं सोचेंगे। वे तो ऐसे ही व्यक्तियों को उधार देंगे, जिन्हे उसकी आवश्यकता वास्तव में अपने भगण-पोषण या विकास के लिए है, न कि नगेखोरी, विलासिता, ऐश्वर्य और वाहरी आदम्बर के लिए।

यह कहा जा सकता है कि ऐसी कार्यपद्धति वाले वैक चलेंगे कसे। उनमें रूपया कहाँ से आयेगा। इस विषय में हमें जानना चाहिए कि परोपकार भाव से काम करने वाले, दूसरों के लिए त्याग करने या धारा उठाने वाले योद्दे-वहुत व्यक्ति सभी जगह सभी समय में होते रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को बोज कर उनका सगठन किया जाय। यदि स्वार्थी वनिकों का सगठन हो सकता है, तो क्या परोपकारी वनिकों का सगठन नहीं हो सकता, जब कि वे भी समाज में निश्चित रूप से हैं। हाँ, ऐसा सगठन करने वाले म साहस, वर्य और लगन चाहिए। अस्तु, यह कोरी कल्पना नहीं है कि परोपकारी व्यक्ति परोपकारी वैकों के हिस्सेदार बने और उसमें रूपया जमा करे। यह रकम क्रमशः बढ़ने के बजाय घटेगी, पर इसके साथ परोपकारी भाई वहनों की नवी रकमें आती रहेगी। इस प्रकार वैकों का कारोबार चलता रहेगा। परन्तु यदि पूँजी खर्च हो जाय और नवी पूँजी जमा न हो तो भी बवराने की कोई बात नहीं। जब तक जो वैक रहेगा, उससे लोक-कल्पाण होगा। स्वार्थी वैक भी तो अजर अमर नहीं होने।^५

^५ 'व्याज बड़वात्रा निषेध' (ले०—श्री अप्पा पटवर्धन) के आधार पर।

सहकारी समितियों की नीति और कार्य—बैंकों का एक भेट सहकारी बैंक है, उनका सचालन सहकारी समितियों द्वारा होता है। इनकी नीति भी रूपवा कराने या अपनी पूँजी बढ़ाने की न होनी चाहिए। इन्हें परोपकारी भावना से काम करना है। इसलिए इन्हे उन बातों का विचार रखना है, जो बैंकों की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में बतायी गयी हैं। इस प्रकार इनके सदस्यों को चाहिए कि जिस भाई की फसल अच्छी हो, वह ऐसे गल्ले को जो उसकी जरूरत से अविक हो, ऐसे लोगों के उपयोग के लिए समिति में जमा करे जिनकी फसल अच्छी नहीं होती, या जिनकी फसल उस वर्ष खराब हो गयी हो। जो गल्ला आदि गाँव भर की जरूरत से अधिक हो वह पास पड़ोस के गाँव के काम आ जाना चाहिए।

अगर किसी साल, किसी गाँव में सभी किसानों की फसल खराब हो जाय या कोई अन्य सकट उपस्थित हो तो उस गाँव की सहकारी समिति से व्येष्ट सहायता मिलनी चाहिए।

ऐसी नीति रखते हुए, प्रत्येक बड़े गाँव या ग्राम-समूह में बहु-उद्देश्य सहकारी समिति स्थापित होनी चाहिए, जिसके कुछ कार्य ये हो—

१—वह गाँव वालों के लिए आवश्यक और अच्छे अन्न का, तथा ग्रामीयों के बास्ते कच्चे पदार्थों का यथोष्ट संग्रह करे।

२—वह गाँव की अतिरिक्त-पैदावार की बिक्री का प्रबन्ध करे, तथा उसके बदले में गाँववालों की अन्य आवश्यकताओं का सामान मिलाने और उसे गाँवों में वितरण करने की व्यवस्था करे।

३—वह खेती के लिए बढ़िया बीज तथा कुदरती खाद आदि का संग्रह रखे और किसानों को आवश्यकतानुसार दे। इसी प्रकार वह उद्योग धन्धों में काम आने वाले औजार आदि उपकरणों की समुचित व्यवस्था करे।

४—वह सरकार और जनता के बीच में मध्यस्थ रूपसे रहती हुई सरकारी-मालगुजारी वसूल करने का प्रबन्ध करे।

आजकल फसल के दिनों में अनाज दूर-दूर की केन्द्रीय मण्डियों में विक्री

के लिए ले जाया जाता है, और पीछे जब गाँव वालों को जस्तरत होती है तो वे उन मडियों से ही बहुत महगे भाव से लाने के लिए बाव छोटे हैं। इने लाने-लेजाने में काफी सर्व पटसा और बहुत चर्चादी होती है। सहकारी समितियों के प्रयत्न से अनाज बैंक खोले जाकर इसमें रोक-गाप होनी चाहिए।

अनाज-बैंक—इस समय बैंक प्राय नकद स्पया ही जमा करते हैं। इससे किसानों को बहुत अमुविधा और हानि होती है। कल्पना करो, जिसी किसान को फसल के समय तीन मन अनाज बेचना है, जिसका भाव तीन नेर फी रपना है, तो उसके चालीस रुपये मिलते हैं, इसमें से किराया, चुंगी दस्ती, दलाली आदि के दो-तीन रुपये और निफल जाते हैं। पीछे जिसन जब इस रुपये से अब खरीदना चाहता है तो अब का भाव चढ़ा हुआ होता है, समझ है, वह दो सेर का ही हो, फिर उसे मंडी से लाने में खर्च भी पड़ेगा। इस प्रकार उसे पैने दो मन से भी कम अब मिल पायेगा। इससे किसान को होने वाली हानि स्पष्ट है। पहले की अपेक्षा उसकी कम-शक्ति लगभग आवी ही रह गयी। सहकारी समितियों का काम है कि अब आदि वस्तुओं के बैंकों की पद्धति चला कर किसानों को इस अपार हानि से बचाये। ऐसे बैंक में किसान फसल के समय अपना अतिरिक्त अब जमा कर सकते हैं इस अन्न-कोप में से कोई किसान आवश्यकता होने पर निर्धारित नियमों के अनुसार अब ले सकता है। यह कार्य मुनाफे के लिए नहीं होगा, बरन् किसानों में सहकारिता की भावना बढ़ाने और उन्हें एक-दूसरे को सहायता करने वी क्रियात्मक शिक्षा देने के लिए होगा। कुछ स्थानों पर इस तरह की योजना अमल में आ रही है। आवश्यकता है, स्थान-स्थान पर ऐसी व्यवस्था हो, दो, अनाज को अच्छी दशा में रखना और समय-समय पर बढ़ाव रहना चाहिए।

वस्तु-विनियमय बैंक—अनाज-बैंकों के अनिरिक्त, जगह-जगह वस्तु-विनियमय बैंकों की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इन बैंकों में मनुष्य के काम आने चाली प्रमुख वस्तुओं का सम्राह रहे, और आदिमियों को कोई वस्तु जमा करके, उसके नदले में दूसरी वस्तु लेने की सुविधा हो। एक गाव या ग्राम-समूह के आदिमियों को अपनी पेदावार बेचने तथा अपनी अन्य मूल आवश्यकताओं के पदार्थों को खरीदने के लिए दूर-दूर जाने की जरूरत न

हो। उनका काम वहाँ का वहाँ ही हो जाय, और वे क्रय-विक्रय की जटिलता से तथा इससे होने वाली आर्थिक हानि से बचे।

श्रम-वैंक—ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिए कि आदमी अपने श्रम के बदले भी जीवन की प्रमुख आवश्यकताओं के पदार्थ प्राप्त कर सके। श्रम करने का इच्छुक कोई व्यक्ति अपनी आजीविका की खोज में इधर-उधर भटकता फिरे, यह हमारे सामाजिक जीवन की दूषित पद्धति का जीता-जागता प्रमाण है। इस का अन्त होना ही चाहिए, और, इसका उपाय उपर्युक्त श्रम-वैंक ही है। प्रत्येक ग्राम या ग्राम-समूह की पचायत को यह जानते रहना चाहिए कि वहाँ किस प्रकार के कैसे-कैसे काम की आवश्यकता है, और कौन-कौन व्यक्ति उसे पूरा करने योग्य हैं। इस प्रकार वह व्यक्ति और श्रम का सामजस्य वैठाये। ऐसा होने से लोगों को पैसे की वर्तमान दासता से छुटकारा मिलेगा और वे अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अच्छा नागरिक जीवन विता सकेंगे।

राष्ट्रीय वैंक—प्रत्येक राज्य में एक राष्ट्रीय वैंक होना चाहिए, जिसकी शाखाएं देश के खास-खास केन्द्रों में हो। इस वैंक का कार्य वडे पैमाने पर हो, यह अन्य वैंकों को आवश्यक होने पर सहायता दे। साधारणतया ऐसी सहायता का अवसर कम ही आयेगा, जब कि देश भर में सहकारी वैंक, अनाज-वैंक और वस्तु-विनियम वैंकों का जाल सा विछाहुआ होगा और ये सब वैंक एक दूसरे के सहायक होंगे। हाँ, कभी सयोग से किसी वडे क्षेत्र में अकाल आदि पड़ जाय तो राष्ट्रीय वैंक उसका कष्ट-निवारण करेगा। यह वैंक किसी ऐसी फसल की खेती को या ऐसे उन्योग धर्घे को कोई सहायता न देगा, जिसके द्वारा केवल मुट्ठी भर लोगों को खूब मुनाफा, और योडे से आदमियों को आजीविका मिले, परन्तु वहुसख्यक श्रमी बेकार हो जायें।

सर्वोदय अर्थव्यवस्था में प्रत्येक ग्राम या ग्राम-समूह अपनी मूल आवश्यकताओं के सम्बन्ध में स्वावलम्बी होगा तो देश के स्वावलम्बी होने में कोई शका ही नहीं है। तथापि विशेष परिस्थितियों में ऐसा सम्भव है कि किसी ऐसी वस्तु की आवश्यकता हो जो दूसरे देश से लेनी पड़े। इस प्रकार कुछ विदेशी विनियम

की आवश्यकता होगी, यह कार्य राष्ट्रीय बैक द्वारा किया जायगा, और जैसा आगे बताया जायगा, अनेक दशाओं में बखु-विनियम द्वारा ही हो सकेगा।

विशेष वक्तव्य—भारत में तथा और भी बहुत से स्थानों में बैक सर्वसाधारण की स्थिति नहीं है। इनका अधिकार कारोबार कुछ बनी लोगों तक सीमित होता है, उन्हें ये और अधिक बनवान बनाने में सहायक होते हैं। इन बैंकों में करोड़ों, अरबों रुपये जमा होते हुए भी देश के असख्य गरीबों के लिए इनका होना न होना बराबर है। उन्हें इनसे कोई गहरा नहीं मिलती। इन बैंकों का आवार पूँजी है, अम या जिन्स नहीं। आवश्यकता है कि ये श्रम और जिन्स के आवार पर चलाये जायें, और यदि इनमें कुछ व्रच हो, वह भी सर्व साधारण के हित में राम आये।

पञ्चीसवां अध्याय

सही कीमत

जीवन के लिए ज्यादा महत्व की चीजों की कीमत ज्यादा आकर्ष जाय और कम महत्व की चीजों की कीमत कम।

—किशोरताल मश्रूलाता

सामाजिक आवश्यकता से ही किसी चीज की कीमत आँकी जानी चाहिए। आज हमारी शिक्षा तो हमें हर चीज को पैसे से तोलने का सवक सिखा रही है।

—जो का कुमारापा

अर्थशास्त्र में मूल्य या कीमत का बड़ा महत्व है, यहाँ तक कि इसे अर्थशास्त्र का केन्द्र-विन्दु कहा जा सकता है। वास्तव में हमारे जीवन में मूल्यकन का विषय बहुत विचारणीय है।

मूल्य के दो भेद—जब हम यह कहते हैं कि अमुक वस्तु बहुत मूल्यवान वा कीमती है तो इसके आगे दिये दो अर्थों में से कोई एक या दोनों ही हो सकते हैं—(१) इसकी उपादेयता बहुत है, यह बहुत उपयोगी है, और (२) इससे दूसरी वस्तुएँ बड़े परिमाण में खरीदी जा सकती हैं या इसके खरीदने के लिए दूसरी वस्तुओं की बाफी परिमाण में आवश्यकता है। इस तरह मूल्य के दो भेद हुए—उपयोग-मूल्य और विनिमय-मूल्य। बहुत-सी चीजों का उपयोग-मूल्य अपेक्षाकृत बहुत अधिक होने पर भी उनका विनिमय-मूल्य नहीं के बराबर होता है, इसके विपरीत, अनेक वस्तुओं का उपयोग-मूल्य प्राप्त कुछ भी नहीं वा बहुत कम होने पर भी उनका विनिमय-मूल्य बहुत बढ़ा-चढ़ा रहता है।

उपयोग-मूल्य और विनिमय-मूल्य में अन्तर—जितनी ही चीजों के उपयोग-मूल्य और विनिमय-मूल्य में आकाश-पाताल का अन्तर होता है। इसका एक सुख्य कारण यह है कि कुछ चीजें (जिनमें मनुष्य के जीवन-रक्त क पटार्य भी है) बहुत बड़ी मात्रा में मिल जाती हैं, वे प्रकृति-दत्त हैं और प्रकृति ने उन्हें खूब उदारता से दिया है। आदमी उनका नित्य काफी परिमाण में उपयोग करता है और उपयोग करते-करते वह यह भूल सा गया है कि उनकी उपयोगिता कितनी अविक है। इसके विपरीत, दूसरी कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत परिमित परिमाण में ही मिल पाती हैं। यथापि मनुष्य के लिए उनकी उपयोगिता विषेष नहीं है, पर उसके मन में उनके वास्ते खास आरूपण है, वह उनको सदृश करके रखना चाहता है। वर्तमान अर्थशास्त्रियों की भाषा में उनकी माग बहुत है, और पूर्ति कम है। लोगों में उन्हें लेने के लिए प्रतिस्पर्द्धा या चढ़ाऊंचरी है। इस से उनके दाम अस्वाभाविक रूप से बढ़ जाते हैं। एक हीरे आटि का उपयोग-मूल्य नहीं के बराबर होने पर भी उसका विनिमय-मूल्य हजारों और लाखों-रुपये होता है।

पेसे को प्रतिष्ठा देना और अब की कीमत कम समझना गतित—आज हम पदार्थों के उपयोग-मूल्य का विचार न कर विनिमय के विचार से ही उसका मूल्याकन करते हैं। यह सरासर अनुचित है। श्री विनोद ने कहा है ‘इन दिनों लद्दी का रूपातर पेसे में किया जाता है। हम बाजार में चावल बेचने के लिए ले जाते हैं तो व्यापारी एक भाषा बोलता ही नहीं। कभी कहता है चार आने सेर तो कभी छँ. आने सेर। इस तरह दाम बढ़लते रहते हैं। किसान समझना ही नहीं कि दाम क्यों बढ़ने-उतरने चाहिए। एक सेर चावल का मूल्य यह है कि उससे एक मनुष्य को एक दिन का पोषण मिलता है। एक सेर अनाज की यह जो कीमत है वह न कम होती है, न बढ़ती है। पिछले साल एक सेर अनाज से जितना पोषण मिलता था, उतना ही इस साल भी मिलता है, लेकिन फिर भी बाजार में उसके दाम गिरते-बढ़ते हैं। समझने की बात है कि चावल की कीमत न बढ़ती है न गिरती है, अल्प पैसे की कीमत बढ़ती है और गिरती है क्योंकि उस पैसे की कोई कीमत ही नहीं है। उसे काल्पनिक

कीमत दी गयी है। चावल की कीमत तो तब बढ़ेगी-गिरेगी, अगर कही ऐसा होजाय कि एक सेर चावल से जितना पोषण मिलता था, उतना ही पोषण सबा सेर या ७० तोले चावल से मिले। आपको खेत में जाकर मेहनत करनी पड़ती है तब चावल पैदा होता है, लेकिन पैसा तो नासिक के छापाखाने में पैदा होता है। उस पैसे की वरावरी चावल से कैसे होगी? चावल है लकड़ी, वह पोषण देता है, और पैसा है कागज या धातु। क्या पाच रूपये का नोट चवाकर खाने से पोषण मिलेगा? इसलिए पैसे को प्रतिष्ठा देना और अन्न की कीमत कम समझना बिलकुल गलत है।

कीमत सम्बन्धी वर्तमान धारणा से अनिष्ट—आजकल सेर भर रोटी की अपेक्षा पाव भर लोहा और पाव भर लोहे की अपेक्षा एक तोला सोना तथा सेर भर दूध की अपेक्षा छटाक भर शराब अधिक कीमती मानी जाती है। हम ‘कीमती’ चीजों के सब्रह और सचय में लगे हैं। धनी कहे जाने वाले आदमियों के घरों में उनके उपयोग के विविध सामान के अलावा जो धन होता है, वह सोना, चादी, सिक्के या नोट आदि के रूप में होता है, जिसे वे अपने दूसरे भाइयों की सहायता के लिए खर्च करने में काफी कजूस होते हैं। हमारा धनवान होना दूसरों के क्या काम का! अनेक बार हमारा गाव या नगर अर्थशास्त्रियों के हिसाब से धनी गिना जाते हुए भी भूखे मरने वालों का निर्देश साक्षी होता है।

आमूल परिवर्तन की आवश्यकता; सर्वोदय दृष्टि—कीमत सम्बन्धी वर्तमान विचार-धारा को आमूल बदलने से ही नीति और मानवता की रक्षा होगी। हमारा व्यवहार ऐसा होने की आवश्यकता है कि जीवन के लिए जो चीज जितने अधिक महत्व की हो, उतनी ही उसकी कीमत अधिक मानी जाय। इस विषय में श्री किशोरलाल मश्रूवाला के कुछ सुझाव ये हैं—*

१—प्राणों की, खासकर के मनुष्य के प्राणों की, कीमत सबसे ज्यादा आकी जानी चाहिए। किसी भी जड़ पदार्थ और स्थान की प्राप्ति को मनुष्यों के प्राणों से ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए।

* ‘जड़-मूल से कान्ति’ पुस्तक से

२—अन्न, जलाशय, कपड़े, वर सफाई व तन्दुरुन्ती वग़ग़ह से सम्बन्ध रखने वाली चीजें और उन्हें सिद्ध करने वाले धवे दूसरी सब चीजों और धधों की अपेक्षा पेसे के रूप में ज्यादा कीमत उपजाने वाले होने चाहिए।

३—देश की महत्व की सम्पत्ति उसकी अन्न पेटा करने की शक्ति और मानव सख्त्य के आधार पर निश्चिन की जानी चाहिए, उसकी सनिज सामग्री, विरल सम्पत्ति या यत्रों के आधार पर नहीं। अगर एक आदमी के पास सोना या पेट्रोल पैटा करने वाली पाँच एकड़ जमीन हो और अन्न पैटा करने वाली पाँच सौ एकड़ की खेती हो और उन दोनों में ने एक को छोड़ना पड़े तो आज के अर्यशाल के मुताबिक वह पान नो एकड़ की खेती को छोड़ देगा। मन्त्री कीमत-गणित के मुताबिक उसे पाँच एकड़ की गदान छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, यानी ऐसा तरीका काम में लाना चाहिए जिससे सम्पत्ति की कीमत स्वर्णपट्टी से नहीं, अन्नपट्टी से और उभयोगिना की शक्ति से आँकी जाए।

४—‘सोने का भाव अमुक रूपये तोला है और चावल का भाव अमुक रूपये मन है’—इस भाषा में अब कोई अर्थ नहीं रह जाना चाहिए। सच पृथ्वी जाय तो इसमें कोई अर्थ रहा भी नहीं, क्योंकि रूपया खुद ही म्थिर माप नहीं है। ‘मोने का भाव फी तोला अमुक मन गेहूं या चावल है’, ऐसी भाषा काम में लानी चाहिए।

सामाजिक न्याय और कीमतें—सामाजिक न्याय की मांग है कि किसी पदार्थ की कीमत मांग और पूर्ति के निर्देशी नियम से निश्चिन न होकर उसके उन्यादर के भरण-पोपण की आवश्यकता के अनुसार तय होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, जैसा श्री जो० का० कुमारप्पा ने कहा है—कल्पना मीजिए कि एक खजूर का रस निकालने वाले को अपने सतुलित आहार, स्वास्थ्यप्रद मजान आदि के लिए आज की कीमतों के अनुसार १५० न्यया प्रति माह की आवश्यकता है तो जितना रस वह ईमानदारी और होणियारी से एक माह में निकाल सके, उसके लिए उसे १५० रूपया प्रति माह मिलना चाहिए। हो सकता है कि इसके लिए हमें शुड़ की कीमत आज की वनिस्वत ज्यादा ऊँची रखनी पड़े। यदि हमारा उद्देश्य सामाजिक न्याय की स्थापना करना है तो ऊँची कीमतों से डरना नहीं चाहिए।

छत्तीसवां अध्याय

व्यापार और उसके साधन

आपके गांव में सब तरह की शक्ति है, तोभी आप भिखारी हैं। आप अपनी चीजों को बेचना चाहते हैं। और बेचते क्यों हैं? पैसे के लिए। और, पैसा क्यों चाहिए? बाहर से सारा पक्का माल खरीदने के लिए। अपना कच्चा माल आप बेचते हैं और पक्का माल मोल लेते हैं, इस तरह से आप लोग स्वराज्य का अनुभव नहीं कर सकेंगे।

—विनोदा

समाज की अर्थव्यवस्था में व्यापार का स्थान—आरम्भ में आदमी का मुख्य कार्य उत्पादन था, समाज में अदल-बदल, पदार्थ-विनिमय या व्यापार का स्थान बहुत समय तक गौण था। उत्पन्नि में तो सब आदमी भाग लेते थे और व्यापार में योड़े से ही, और जो आदमी व्यापार करते थे, वे अकेले इसी काम में न लगे रहकर उत्पादक कार्य अवश्य करते थे। समाज का कोई वर्ग ऐसा न था, जो केवल व्यापार ही करे। अब तो व्यापारियों का एक अलग और बहुत बड़ा वर्ग है। वे उत्पादक न होकर केवल खरीद-बेच करने वाले रह गये हैं। वे उत्पादकों और उपयोक्ताओं के बीच में मध्यस्थ बने हुए हैं। इसलिए ये समाज के उक्त दोनों वर्गों को अधिक से अधिक दूर रखने में अपना हित मानते हैं। वे उत्पादकों के आश्रित हैं, अगर उनसे उन्हे कुछ माल मिल जाता है तो वे उसे उपयोक्ताओं के पास पहुँचा देते हैं, अन्यथा उन्हे कुछ काम नहीं रहता। इसलिए वे चाहते हैं कि उत्पादक ऐसा माल बनावे जिसकी उपयोक्ताओं में अधिक से अधिक और जल्दी से जल्दी खपत हो और वे (व्यापारी) खूब मुनाफा ले सकें।

व्यापार एक सेवा-कार्य है—असल में व्यापार वह है जिसमें आदमियों की ऐसी चीजों को, जो उनकी जरूरत से ज्यादा हों, उन आदमियों के

पास पहुँचाया जान, जिन्हें उनकी अनिवार्य आवश्यकता हो। इस प्रकार व्यापार का अर्थ केवल अतिरिक्त बम्बुओं का ही विनियम है, अपने मुनाफे के बान्ते लोगों को उनके लिए आवश्यक भोजन-वस्त्र से उचित करके उन्हें कुछ फेरान, शृगार, भोगविलास की वस्तुएं देना नहीं। इस प्रकार असली व्यापार के एक सेवा-कार्य होने में कोई सन्देह नहीं है। व्यापारियों को जानना चाहिए कि स्थानीय जनता को मूल आवश्यकताओं की कौन-कौनसी वस्तुओं की कमी है, और कौनसी वस्तुएं ऐसी हैं जो उनकी आवश्यकता से अधिक हैं। फिर उन्हें मालूम करना चाहिए कि ऐसे स्थान कौनसे हैं जहाँ वे अपने यहाँ की अतिरिक्त वस्तुओं को लेजाकर या भेजकर वहाँ से ऐसी वस्तुएं ला सकते हैं या मगा सकते हैं, जिनका वहाँ तो उपयोग न होता हो, पर जो यहाँ (व्यापारियों के स्थान में) वहुत आवश्यक हो। इस प्रकार व्यापारी दोनों म्यानों के निवासियों का हित-साधन कर सकते हैं, और करना चाहिए।

सेवा का पारिश्रमिक—पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान लाने-लेजाने में जो खर्च हो, उसे तो व्यापारी अपने ग्राहकों से लेगा ही, उसके अतिरिक्त वह अपने श्रम का उचित प्रतिफल या मेहनताना भी ग्राहकों से ले सकता है। इस प्रकार पदार्थों को खरीदने की कीमत से एक निर्धारित सीमा तक ऊँचे भाव से बेचने में कोई हर्ज नहीं है, हाँ, उसका कार्य जनता को सुविधाएं पहुँचाना है, और सेवा भाव से ही किया जाना चाहिए। स्वाड है कि व्यापारी के सेवा-कार्य के पारिश्रमिक की एक मर्यादा रहनी चाहिए। उसे उन लोगों की हेसियत का व्यान रखना जरूरी है, जिनकी वह सेवा करता है। मामूली किसान और मजदूर के मेहनताने से अधिक लेने का उसे कोई नेतिक अधिकार नहीं। वर्तमान दशा में व्यापारी के मेहनताने की कोई सीमा ही नहीं, उसकी एक दिन की आमदनी इतनी हो सकती है जितनी किसी सावारण किसान की एक महीने में या कई-कई महीनों में भी नहीं होती।

सेवक श्रीमान बन गया !—इस प्रकार आधुनिक काल में व्यापारी श्रीमान बन गया है। वह अपने स्वामी से कहीं अधिक धनवान है जो सरातर अनुचित और अन्यायमूलक है। इस विषय में श्री विनोदा ने कहा है—

‘मालिक गरीब बन गया है और सेफरु श्रीमान बन गया है। और वह श्रीमान कैसे बना। मालिक को लूट कर। आज अगर उन सेवकों को कोई उनका धर्म सिखाये तो वे नहीं सीखेंगे। इसलिए अब मालिक को ही जाग जाना चाहिए। मालिक के जागने का मतलब यह है कि वह अपना आधार बाजार पर न रखे। मेरा तो विश्वास है कि अगर गाँव वाले अपनी जरूरत की चीजें गाँव में बना लेंगे तो हर गाँव बादशाह बन सकता है।’ ॥

इस समय व्यापार कैसा होता है, और उसमें क्या नीति वर्तीं जाती है, तथा सर्वोदय की दृष्टि से उपमे क्या परिवर्तन होना चाहिए, इन बातों का विचार अगले अव्याय में किया जायगा, यहाँ व्यापार के मार्ग और साधनों के सम्बन्ध में लिखा जाता है।

व्यापार के मार्ग और साधन—व्यापार के तीन मार्ग हैं—स्थल-मार्ग, जल-मार्ग और वायु-मार्ग। स्थल-मार्ग में कच्ची या पकड़ी सङ्को पर ठेलो, पशुओं, मोटरो (मोटर-लारियो) आदि से या लोहे की पटरी पर रेल से माल ढोया जाता है। कहीं-कहीं रेले जमीन के नीचे भी जाती है। जल-मार्ग में नदियों, नहरों और समुद्र का गिनती होती है, इनमें नाव, स्टीमर और जहाज आदि चलते हैं। पनडुब्बियों से भी माल ढोया जाता है। वायु-मार्ग से हवाई जहाजों द्वारा माल लाया-लेजाया जाता है। सभी प्रकार के व्यापार में डाक, तार, टेलीफोन, वेतार का तार आदि सहायक होते हैं।

इनके उपयोग में ध्यान देने की बात—वर्तमान अर्थव्यवस्था में व्यापार को बहुत अधिक महत्व दिया जाने के कारण प्रत्येक देश उपर्युक्त साधनों की उन्नति और वृद्धि की ओर खूब व्यान देता है और इस मद में काफी खर्च करता है। हम पहले कह आये हैं कि आधुनिक व्यापार अधिकाश में निजी मुनाफे के लिए किया जाता है। सर्वोदय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से यह सेवा के लिए किया जाना चाहिए, उस दशा में इसका परिमाण स्वभावतः बहुत कम रह जायगा। तब इन साधनों के उपयोग की भी इतनी आवश्यकता न रहेगी, तथापि कुछ तो रहेगी ही। इसके अतिरिक्त यातायात के बास्ते भी ये

साधन जरूरी है। और, ससार के विविव देशों के आदमी एक दूसरे से सम्पर्क बढ़ाये और भ्रातृभाव स्थापित करें—गह आवश्यक और उपयोगी है। इसलिए इन साधनों की उन्नति और वृद्धि होना भी उचित है। परन्तु इसमें एक बात का व्यान रखना बहुत जरूरी है। उन साधनों का निर्माण तथा उपयोग इस प्रकार होना चाहिए कि वे कुछ थोड़े से आदमियों के लिए न गह कर सब के काम आये, खासकर जनता के उस हिस्से के लिए उपयोगी हों, जो नीचे स्तर वाला माना जाता है। साथ ही इसमें समाज का व्यापक हित, अर्थात् भावा पीढ़ियों की भलाई की उपेक्षा न की जानी चाहिए। हम यहाँ प्रत्येक साधन के सम्बन्ध में अलग-अलग न लिखना, केवल ऊपर कही हुई बात को साफ करने के बास्ते उदाहरण-स्वरूप सड़क, मोटर और रेल के बारे में ही विचार करते हैं।

सड़के—प्राय गाँवों में जान वाली सड़कों की ओर बहुत कम व्यान दिया जाता है। वहें-वहें शहरों की सड़कों पर, मोटरों की नुवेदा का ख्याल करके सड़के कितनी बढ़िया बनायी जाती है, और उन पर कितना अविक व्यव किया जाता है। फिर, उन पर बहुत बेलगाड़ियों को चलने का निषेध रहता है, वैसे भी इन तारकोल या सिमेट की सड़कों पर बैलों को चलने में बहुत कठिनाई होती है, उन पर उनके पॉवर रपट जाते हैं। हम सोचें कि शहरों की इन बढ़िया सड़कों का उपयोग कितने योड़े से व्यक्तियों के हित के लिए होता है, हमारी अविकाश जनता गाँवों में रहती है, उन्हें माल दोने के लिए बेलगाड़ी, टड्डू, खच्चर, गधे, ऊट, भेंसे आदि का उपयोग करना होता है। हमारी सड़कों के निर्माण में वह बात व्यान में रखी जानी चाहिए। वर्तमान अवस्था में तो अनेक गाँवों में किसी भी प्रकार की सड़के नहीं हैं, केवल कुछ रास्ता या गली सी बनी रहती है, जो कहीं ऊँची, कहीं बहुत नीची होती है, जिसमें जगह जगह गड्ढे होते हैं, और जो बरसात के मौसम में घिलकुल बेकाम हो जाती है। अनेक स्थानों में आदमिया को गाँवों में जाने के लिए नेतों के बीच में से जरूर-तेरेसे रास्ता निकालना होता है। इसमें बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। बेलगाड़ियों आदि का जाना-आना प्राय बन्द ही होता है। यह ठीक है कि हम गाँवों के एक दूसरे से बहुत व्यापार करने के पक्ष में नहीं हैं, हम उन्हें अविक

से अधिक स्वावलम्बी देखना चाहते हैं, पर यातायात की समुचित सुविधा रहना आवश्यक है तो उसके लिए सड़कों की यथेष्ट उन्नति होनी चाहिए। प्रत्येक गाँव को देश के दूसरे गाँवों से जोड़ने वाली ऐसी सड़कों का जाल होना आवश्यक है, जो खासकर बैलों के लिए सुविधाजनक हो।

मोटर—आजकल मोटरों (मोटर लारियो या ट्रको) का प्रचार बढ़ता जा रहा है। शहरों और कस्बों में ही नहीं, गाँवों से माल लाने-लेजाने के लिए भी और अनेक दशाओं में तो आधी-चौराई मील के वास्ते भी, आदमी इनमें ही काम लेते हैं। अथवा लेना चाहते हैं। इस प्रकार बैलों का काम छीना जा रहा है। अब सबाल यह है कि क्या हम अपनी अर्थव्यवस्था में, खासकर ग्राम्य क्षेत्र में, इन दोनों को बनाये रख सकते हैं। यदि दोनों को नहीं और केवल एक को ही रखना है तो किस को ? वह स्पष्ट है कि खेती आदि की दृष्टि से हमारा काम बैल के बिना नहीं चल सकता, बैल रखना जरूरी है। फिर उसके साथ यदि मोटर रहे तो बैल के लिए काफी काम नहीं रहता और किसान के लिए उसे रखना भार हो जाता है। ऐसी दशा में बैल का निर्वाह नहीं हो सकता। गाँवों में माल-दुलाई के लिए मोटरों का उपयोग करना परोक्ष रूप से बैल की आजीविका छीनना और उसे भूखा मारना है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में मोटरे साधारणतया न चलायी जानी चाहिए। केवल ऐसे ही अबसर पर इनका उपयोग होना चाहिए, जब लोकहित की दृष्टि से ऐसा बहुत ही जरूरी हो, जैसे कि अकाल, महामारी, बाढ़, मूकम्प आदि की दशा में लोगों को जल्दी ही राहत पहुँचाने के लिए।

यह भी व्यान रखा जाना जरूरी है कि मोटर चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, और भारत में यह पदार्थ बाहर से मँगाना होता है, इस प्रकार इसमें परावलम्बन है। यदि यह प्रश्न न भी हो तो भूमि में इस पदार्थ का भडार सीमित है, इसका उपयोग बहुत सोच-समझ कर किफायत से ही होना चाहिए, जिससे भावी पीढ़ियों के हित को अवहेलना न हो। इस प्रकार मोटर का चलन नियन्त्रित ही रहना ठीक है।

रेल—रेल हमारी सम्यता और प्रगति की मूल्यक मानी जाती है, उनके द्वारा हजारों आदिमियों की एक-साथी दूर-दूर को यात्रा जल्दी हो जाती है, और देश में लाखों मन अब आदि प्रतिदिन एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता है। यह सोचकर हम इन पर इतने मुग्ध हैं कि इनके दोषों की ओर हमारा व्यान ही नहीं जाता। हम इनके कारण केन्द्रित सत्ता पर निर्भर रहने वाले तो होते ही हैं। इसके अतिरिक्त हमारी यात्रा आज हमारे सामाजिक ज्ञान में बहुत अम सहायक होती है, और हम अपने भाइयों के सम्पर्क में भी बहुत कम आते हैं। हम कई-कई बार रेल से अपने देश की यात्रा करने वा अभियान करते हुए भी अनेक दशाओं में यह नहीं जान पाते कि हमारे से योड़ी ही दूर रहने वाले आदिमियों के आचार-विचार, रहन-सहन आदि कैसा है, उन्हें किन आवश्यक चक्षुओं का अभाव है, उनके क्या काट है, और हम उनकी किस प्रकार या कहाँ तक सेवा-सहायता कर सकते हैं। ये बातें तो पेदल यात्रा से ही मालूम हो सकती हैं। पर हम तो, अगर हमारा वश चले, तो चार-पाँच मील की यात्रा के लिए भी रेल का आसरा लेते हैं। इस दशा में हम अपने बेलों, घोटों आदि का यथेष्ट उपयोग नहीं कर पाते, और वे बहुधा हमारे लिए भार होते हैं। अच्छा हो, हम कम से कम पाँच-सात मील की यात्रा के लिए तो रेलों के उपयोग की बात न सोचें, पर इस बात के लिए हमें किसी कानून के बनने की प्रतीक्षा न कर, स्वयं अपने ऊपर प्रतिबन्ध लगाना बेहतर है।

विकेन्द्रीकरण और स्वावलम्बन युक्त अर्थव्यवस्था में रेलों के लिए विशेष काम नहीं रहता। ये केवल आपत्कालीन साधन के रूप में ही बनायी और खड़ी जा सकती हैं। देश के बहुत बड़े भाग में अकाल पड़ रहा हो तो खाने के पदार्थ दूसरी जगह से जहाँ वे अधिक्षु हों, जल्दी ही लाये जाकर बहुत से आदिमियों को भूखा मरने से बचाया जा सकता है। परन्तु इसका दुर्योग भी बहुत हो सकता है, और वर्तमान अवस्था में हो ही रहा है। आज रेलों से जितनी माल-डुलाई होती है, इसमें बहुत सी अनावश्यक है, व्यापारी लोग अपने फायदे के लिए यह काम कर रहे हैं, इसमें लोकहित की भावना नहीं, गाँवों का स्वावलम्बन नष्ट किया जा रहा है। इस समय हमारे नगरों और कस्तों में ही नहीं, गाँवों

तक मे कितना ही फैशन या शौकीनी आदि का सामान पहुँच रहा है, यद्यपि मूल आवश्यकताओं के पदार्थ भोजन और कपड़ा यहाँ पर्याप्त मात्रा मे नहीं है। इस शोचनीय परिस्थित के निर्माण मे रेलों का बड़ा हाथ है। इस प्रकार रेलों के उपयोग के सम्बन्ध मे हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। हमें तेज गति वाले यातायात के ऐसे साधनों पर कम से कम निर्भर रहना चाहिए, जो केन्द्रीय सत्ता के हाथ मे हो, और जो सर्वसाधारण के शोषण मे सहायक हों।

मोटर और रेलों के उपयोग मे जो दृष्टि रहना हमने आवश्यक बताया है, वह व्यापार और यातायात के सभी साधनों मे रहनी चाहिए।

सत्ताइमवां अध्याय

व्यापार नीति

व्यापारी सेवा का भाव रखे। व्यापार एक वर्म है; वर्म का मनलब लूटना नहीं होता, बल्कि सेवा करना होता है।

—विनोदा

एक चतुर विक्रेता ने मुझे कहा था कि प्राहृक को जो चीज़ चाहिए वह मेरी दुकान में न हो तो भी उसे मेरी दूसरी कोई न कोई चीज़ खरीदने को लगाये विना मुझे चैन नहीं पड़ती। घडे पैमाने के उत्पादक और विक्रेता दोनों का रवार्य इसी में है कि प्राहृक को जहरत हो या न हो, उसके पल्ले चीज़ वाध दी जाय।

—श्रावणशुद्धाम जाजू

व्यापार की दूषित पद्धति—पिछले अव्वाप मे ब्रतावा' गया है कि व्यापार एक सेवा-कार्य होना चाहिए। पर वर्तमान दशा मे आदमी उस जात को व्यवहार मे प्रायः भूल जाते हैं। वे जैसे भी बने उस कार्य से अधिक से अधिक धन प्राप्त करना चाहते हैं, इस लिए वृद्ध मुनाफेक्षोरी करते हैं, जुटा-जुटा प्राहृकों से वस्तुओं के दाम जुटा-जुटा लेते हैं, अनजान प्राहृकों के अज्ञान से अनुचित लाभ उठाते हैं, अपना माल नपाने के लिए भले-बुरे उपायों को काम में लाने से समेच नहीं रखते, यहा तक कि अर्नेच वार सरदारी नियमों की भी अवज्ञा करते हैं, अथवा उस भीमा तर ही उनका पालन रखते हैं, जहा तक कानून की पकड़ में न आये। उस प्रकार व्यापार ऐसे नेवा-कार्य न रहने लूट, शोपण और धोखा-बड़ी का काम रह गया है।

कृत्रिम सांग पैदा करना और बढ़ाना—व्यापारी जानते हैं कि साधा-रणनीत किसी वस्तु की माग जितनी अधिक होती है, उतनी ही उसमीं कीमत

अधिक हो जाती है, और उन्हे उसके बेचने में लाभ अधिक रहता है। इसलिए व्यापारी इस प्रयत्न में रहते हैं कि लोगा में उनकी वस्तु के लिए अधिक से अधिक माग हो। माल का तरह-तरह का आकर्षक और झूठा-सच्चा तथा जनता को धोखे में डालने वाला विजापन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, चतुर चालाक व्यापारी आरम्भ में अपनी चीजों को मुफ्त में बाट कर और पीछे कुछ समय तक नाममात्र के मूल्य पर देकर भी जनता में उन चीजों की माग बढ़ा देते हैं। क्रमशः वे चीजे चल निकलती हैं। लोगों में उनकी 'माग' पैदा हो जाती है। पर यह माग उनकी स्वाभाविक माग न होकर कृत्रिम रूप से बढ़ायी हुई होती है। हमने देखा है कि चाय-कम्पनियों के एजन्ट गावों में गये हैं, जहाँ पहले एक भी आदमी को चाय का नाम या 'गुण' ज्ञात न थे, और इस प्रकार उनमें इस चीज की माग का कोई प्रश्न ही नहीं था। इन एजन्टों ने ग्रामोफोन सुना कर और मुफ्त में गर्मांगर्म चाय पिला कर लोगों को चाय पीने की लत लगा दी। जब उनकी चाय पीने की आदत पड़ गयी तो चाय की पुड़िया कुछ कीमत से ढी जाने लगी। पीछे तो चाय की 'माग' इतनी बढ़ गयी कि आदमी उसकी पूरी कीमत देकर खरीदने लगे। बीडी-सिंग्रेट आदि के लिए ऐसा ही प्रचार किया जाकर जनता में 'माग' पैदा की गयी और बढ़ायी गयी है।

महंगे-संस्ते का विचार—अनेक आदमी अपने माल को अधिक से अधिक महगा बेचने और दूसरे के माल को सस्ते से सस्ता खरीदने को बड़ी चतुराई समझते हैं। जरा सोचिए, इसका परिणाम। मिल का सस्ता कपड़ा पहनने से कत्तिनों और जुलाहो का रोजगार मारा जाता है, कारखानों में बने सस्ते जूते पहनने से चमारों में बेकारी आ रही है, मिल में सस्ते दर पर पिसा हुआ आटा काम में लाने से पिसनहारियों का काम मारा गया है, जनता की स्वास्थ्य-दानि की बात रही अलग। इस तरह सस्ती चीजे खरीदने की हमारी आदत गरीबों का कष्ट बढ़ाती रहती है।

इस विषय पर एक दूसरी विष्टि से भी विचार होना चाहिए। यदि किसी गाँव का जुलाहा उसी गाँव का चमार का बनाया जूता पहनता है, और चमार जलाहे का बुना कपड़ा काम में लाता है तो जुलाहे का पैसा चमार के चर, और चमार का पैसा जुलाहे के घर जाता है। इस प्रकार गाँव का पैसा

गाँव में ही रहता है। हमजों पेसा खर्च करते हैं, वह हिरफिर कर फिर हमारे पास आ जाता है। इसमें चीजों का महगी-सम्मति होने का सवाल ही कहाँ रहता है! यदि हम एक दूसरे के माल को महगा कह रुह उसे न खरीद तो विविव कारीगरों का गरीब और वेरोजगार रहना स्पष्ट ही है। इस प्रकार मँहगे-सन्ते की हमारी विचारवारा बहुत अनिष्टकारी है।

व्यक्ति के लिए सस्ता पदार्थ समाज के लिए बहुत महंगा हो सकता है—वास्तव में जब हम किसी पदार्थ के मँहगे-सन्ते होने ग विचार करें तो केवल अपनी व्यक्तिगत दृष्टि न रखकर सामाजिक या राष्ट्रीय दृष्टि से भी उसका विचार कर लेना चाहिए। कारण, जो चीज एक व्यक्ति के लिए सत्ती हो वह समाज या राष्ट्र के लिए महंगी हो सकती है। जने फर्ज कीजिए एक व्यक्ति यदि किसी वच्चे का गला घोट कर लाये हुए गहने ग्राही कीमत में ही खरीद लेता है तो वह निस्तदेह उसके लिए सस्ता है, पर मनाज चराष्ट्र के लिए अत्यन्त महगा है। इसी प्रकार मिल की वस्तुएँ दिसने में भले ही सत्ती हैं पर उनके लिए अप्रत्यक्ष रूप में राष्ट्र की ओर से होने वाले सना के व्यय, प्रचार, शिक्षण, प्रशासन के व्यय के साथ-साथ वेतन की हानि को जोड़ा जाय तो वह कितनी महगी पड़ेगी— यह स्पष्ट है।

मानवीय दृष्टिकोण की आवश्यकता—वर्तमान अर्थगात्री मानवीय मूल्यों की उपेक्षा करते हुए आर्थिक मूल्यों को प्रवानता देते हैं, इसीलिए महगा बेचने और सस्ता खरीदने की वात कहते हैं। परन्तु वह भौतिक्याद बहुत अनिष्टकारी है। रस्किन ने इसकी अलोचना करते हुए लिखा है—

‘सब से सस्ते बाजार में खरीदो।’—ठीक है, लेकिन तुम्हारा बाजार सस्ता किससे बना? आग लगाने के बाद छृत की शहतीरों का कोयला सस्ता हो सकता है और भूचाल के बाद आप की मड़कों पर पढ़ी डैटे भी सस्ती हो सकती है—किन्तु इसीलिए ही तो अग्निकांड और भूकम्प राष्ट्रीय लाभ नहीं बन सकते। वेचो सबमें मँहगे बाजार में?—हाँ, चिलकुल ठीक, लेकिन तुम्हारा बाजार महगा किसमें बना? तुमने आज

रोटी अच्छी बेची। क्या यह एक मरते हुए आदमी को दी, जिसने उसके लिए अपना रहा-सहा सब पैसा दे डाला और जिसको अब फिर कभी रोटी की जरूरत ही नहीं होगी ?'

आवश्यकता है, हम यह समझे कि धन मनुष्य से बढ़कर नहीं, धन के कुछ लाभ के बदले यदि हमें चरित्र की हानि उठानी पड़ती है तो असल में हम घाटे में ही रहते हैं। हमारा कारोबार, हमारा व्यापार सब ऐसा होना चाहिए, जिससे हमारा विकास हो, समाज का, देश का, मनुष्यमात्र का हित हो।

मुनाफेखोरी रोकी जाय—वर्तमान व्यापार में जो अतीति है, उसका मूल कारण मुनाफेखोरी की भावना है। इसे रोकना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए पहले तो यथा-सम्भव स्थानीय माल का उपयोग करके, व्यापार-कार्य को ही कम कर दिया जाय। इसके विषय में पहले लिखा जा चुका है। दूसरा उपाय यह कि समाज में ऐसा वातावरण पैदा किया जाय कि व्यापारी अपनी आजीविका के लिए कोई उत्पादक कार्य करे। ऐसा होने पर वे एक मात्र व्यापार से होने वाली आय या मुनाफे पर निर्भर न रहें, और इस कार्य को सेवा-भाव से कर सकें। कुछ लोग सोचते हैं कि मुनाफेखोरी रोकना सरकार का काम है, परन्तु सरकारी कार्यवाही का परिणाम अकसर बहुत हानिकर होता है। वास्तविक सफलता पाने के लिए ग्राहकों को सयम, त्याग और दृढ़ता रखने की जरूरत है, जब दुकानदार न्यायनीति छोड़कर मनमाने दाम लेने लगे तो ग्राहकों को उसके माल का बहिष्कार करने, और कुछ समय उस माल के अभाव में कष्ट सहने के वास्ते तैयार रहना चाहिए। आखिर, व्यापारी को झुकना और रास्ते पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि उसे माल बेचना तो है ही।

मुनाफेखोरी रोकने के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यापारी एक गाव या एक कस्बे के भीतर होने वाले स्थानीय व्यापार को ही निजी तौर पर करे। इसे छोड़कर शेष व्यापार के लिए ऐसी व्यवस्था की जाय कि उस पर समाज का योग्य नियन्त्रण रहे और उसका लाभ भी समाज को मिले, अर्थात् कोई व्यक्ति उसे अपनी स्वार्थ-सिद्धि का साधन न बना सके। इस प्रकार एक गाँव या नगर के दूसरे गाँव या नगर से (जो चाहे उसी प्रान्त में हो, या किसी

दूसरे में, अथवा देश से बाहर, किसी दूसरे राज्य में हो) होने वाले व्यापार से कोई व्यक्ति मालामाल न हो सकेगा।

विदेशी व्यापार की वर्तमान नीति—आजकल विदेशी व्यापार-नीति के खासकर दो भेद किये जाते हैं:—(१) मुक्त या वेरोक-टोक व्यापार करने की नीति और (२) सरक्षण नीति। इनके सम्बन्ध में विविध वोरेवार चातों में न जाकर हमें वही विचार करना है कि इस समय विदेशी से व्यापार करने में खासकर क्या लक्ष्य रखा जाता है और क्या रखा जाना चाहिए।

प्रथा. आजकल जब हम अपना व्यापार बढ़ाना होता है तो मुक्त द्वारा व्यापार का नारा लगाते हैं, लेकिन अगर हमारे देश को दूसरे देश के व्यापार से हानि की आशका हो तो हम सरक्षणवादी बन जाते हैं, और लोगों को अवैदेशी की भावना अपनाने, अपने यहाँ की चीजें महगी होने पर भी उरीटने, और विलायती (दूसरे देशों का) माल सस्ता होने पर भी उसका वहिज्जार करने का उपदेश देने लगते हैं। हमारी कोई निश्चित नीति या सिद्धान्त नहीं होता।

व्यापार-वृद्धि का भ्रम—आजकल प्रथा जब किसी देश के निवासी वह देखते हैं कि पहले की अपेक्षा हमारा व्यापार अब बढ़ रहा है तो उन्हें बहुत दॄष्टि और अभिमान होता है। परन्तु असल में आयात-निर्वात के अकों के बढ़े हुए होने से किसी देश की सुख-समृद्धि सावित नहीं होती। कुछ दशाओं में उससे उसकी माली हालत का गिरना ही जाहिर होता है। कम से कम वह आवश्यक नहीं कि जिस अनुपात से व्यापार बढ़े, उसी अनुपात से देश की आर्थिक प्रगति हो। उदाहरण के लिए भारत की बात ले। अब से मो वर्ष पहले भारत का विदेशी व्यापार (आयात तथा निर्यात) कुल मिला कर लगभग पन्द्र्हीम करोड़ रुपये के माल का होता था। विगत बांस में इसके नूल्य का परिमाण चौहाह-पन्द्रह रुपये करोड़ अर्थात् चौदह-पन्द्रह अरब रुपये तक पहुँच चुका है। यह टीक है कि अब रुपये की कीमत पहले की अपेक्षा कम है, परन्तु हम पदार्थों के परिमाण का विचार करें तो भी इसमें सन्देह नहीं कि अब हमारा विदेशी व्यापार पहले की अपेक्षा कई गुना है। इसे अनेक आदमी भारत की आर्थिक उन्नति और ससार के अन्य भागों से सम्पर्क की वृद्धि के रूप में देखते हैं और बहुत खुश होते हैं।

पर कौन यह कहने का दुस्साहस करेगा कि आज दिन भारतवासी पहले से इतने गुने अविक सुखी हैं।

तैयार माल के नियांत की प्रतियोगिता और संसार-संकट—

आज कल औद्योगिक कहे जाने वाले देशों में हरेक की यह इच्छा रहती है कि वह अन्य देशों में अपना तैयार माल अधिक-से-अधिक भेजे। इस प्रकार औद्योगिक देशों में आपस में इस बात की होड़ लगी रहती है कि किस त्रैत्र में किस का माल अविक खपता है। बात यह है कि तैयार माल अधिकाश में यत्रो द्वारा बनाया जाता है और इसमें वर्तमान अर्थव्यवस्था के अनुसार मिल-मालिकों और कारखानेदारों को खूब मुनाफा होता है और ये अपने यहां की सरकारों को प्रभावित करके औद्योगिक इष्टि से पिछुड़े हुए देशों को अपना बाजार बनाने और उनका शोषण करने के प्रयत्न में लगे रहते हैं। इस प्रकार विविध औद्योगिक देशों की सरकारों का आपस में मनोमालिन्य और तनाव बना रहता है, और गुटवन्दी के कारण इनका सधर्ष बढ़कर विश्वव्यापी होने की सम्भावना रहती है। इस तरह ससार पर हर दम महायुद्ध का सकट छाया रहता है।

आयात-निर्यात नीति में सुधार की आवश्यकता—इस सकट को हटाने का उपाय यही है कि कोई देश आयात तथा निर्यात करने में स्वार्थ या खुदगर्जी की बात न करें, बल्कि सब के हित की इष्टि रखें। निर्यात के सम्बन्ध में प्रत्येक देश की नीति यह होनी चाहिए कि अपना माल खपाने के लिए वह कोई जोर-जवरदस्ती, छल-कपट, प्रलोभन आदि से काम न ले और न दूसरे देशों में विलासिता की वस्तुएं भेज कर मुनाफा कमाने की इच्छा रखें। हम निर्यात उसी वस्तु की करें जो दूसरों के लिए बहुत हितकर हो, जिससे उनका शोषण न हो।

अब आयात की बात ले। जैसा पहले कहा गया है, स्वास्कर भोजन-बच्चादि रोजमर्रा की जरूरतों के लिए हमें स्वावलम्बी होना चाहिए और शरीर-श्रम को प्रतिष्ठा देते हुए अपनी कृषि तथा ग्रामोद्योगों की उन्नति करनी चाहिए, जिससे हमें अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विदेशों से आयात न करनी पड़े। फैशन या विलासिता आदि की वस्तुओं की आवश्यकता हमें हो ही नहीं।

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से ससार और समाज का विपर्यय विभाजन—आजकल साधारण विचार यही है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार हमारी प्रगति का मापक है, यह अधिकाधिक बढ़ना चाहिए। पर इससे विविध देशों का बनी और निर्वन या उच्चत और अचन्त ऐसे दो भागों में विभाजन हो गया है, और आर्थिक विपर्यय ने अन्तर्राष्ट्रीय रूप धारण कर रखा है। ये बातें श्री भवेर भाई पटेल के आगे दिये हुए लेखाश से स्पष्ट हो जायगी।

‘अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अर्थशास्त्र के दो रहस्य छिपे हुए हैं—(१) सामान्यतया प्राथमिक आवश्यकताओं की चीजों के उत्पादन में जो कमाई होती है, उससे कई गुनी अधिक कमाई विलास की चीजों के उत्पादन में होती है, क्योंकि आदमी विलास की चीजों के मुहमारे दाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। (२) कब्जे माल के उत्पादन में जो कमाई होती है, उससे कई गुनी अधिक कमाई पक्के माल के उत्पादन में होती है। अपने उपयोग के लिए नहीं, किन्तु लाभ कमाकर धनवान बनने की महत्वाकान्दा से यूरोप और अमरीका के देशों ने अर्थशास्त्र के इन दोनों रहस्यों का पूरा लाभ उठाने की व्यवस्थित योजना बनायी थी। इस उपक्रम से दुनिया के मानों दो हिस्से हो गये—लाभ की चीजे उत्पन्न करने वाली और आवश्यक चीजे उत्पन्न करने वाली। कारखानों में अपने एकाधिकार के बल पर पश्चिम के राष्ट्रों ने दुनिया को ऐसे दो कृत्रिम हिन्मां में बाट दिया। इससे पहले हर एक देश आवश्यकता और विलास दोनों प्रभार की चीजे उत्पन्न करता था। उस समय भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तो होता था पर वह कुछ खास चीजों तक ही सीमित था। प्राथमिक आवश्यकताओं का व्यापार उस समय लोगों की कल्पना में भी नहीं था।

लाभ के लिए जो व्यापार इतना बढ़ गया, उसका सारे समाज पर पर्याप्त किन्तु दूरगामी प्रभाव पड़ा है। जिस आधार पर दुनिया दो हिस्सों में बँट गयी है, उसी से समाज भी दो भागों में बढ़ गया। एक लाभ के धघे करने वालों का वर्ग और दूसरा वेगार करने वालों का वर्ग। लाभ कमाने वाले राष्ट्रों के पर चल कर समाज के महत्वाकान्दी लोग उपयुक्त कामों को छोड़ कर अनुपयुक्त या समाज-धातक कामों का आश्रय लेते हैं। ऐसी प्रवृत्ति के कारण समाज में

उपयुक्त चीजों का उत्पादन घटता रहता है और अनावश्यक चीजों का उत्पादन बढ़ता रहता है। इसके अतिरिक्त एक नलीजा जो सामने आया है, यह है कि उपयुक्त कामों की कमाई कम और अनुपयुक्त की कमाई अधिक।

अतः लोग अपनी प्रेरणा से समझ जाते हैं कि दूसरों की मेहनत का फल छीनकर मुनाफालोरी करने में अथवा ऐसा ही और व्यापार करने में, जिनमें कोई जीवन के लिए उपयुक्त और आवश्यक चीज उत्पादन करने का परिश्रम न करना पड़े, अधिक कमाई और अधिक प्रतिष्ठा मिलती है। इसी तरह धर्वों का सामाजिक मूल्य तय होता है। परन्तु इससे समाज का सही नैतिक दृष्टिकोण नहीं रहता। ५

विशेष वक्तव्य—इस लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को यथा-सम्भव बहुत सीमित ही रखना चाहिए। यहाँ एक वात की ओर ध्यान दिलाना है। स्वदेश में किये जाने वाले व्यापार की तरह विदेशी व्यापार में भी व्यापारियों को मानवता की भावना रखनी चाहिए। दूसरे देशों से जैसे भी वने धन कमाकर लाने की नीति गलत है। हमें किसी देश में वही निर्यात करनी चाहिए, जो उस देश के निवासियों के लिए हितकर हो। इसी प्रकार बाहर से माल मगाने में हमारी नीति दोनों देशों का हित करने की हो। अवश्य ही इसके लिए त्याग और संयम की आवश्यकता है, पर यह किया ही जाना चाहिए। इस प्रसग में श्री आर्थर ई मार्गन का यह कथन हमेशा ध्यान में रखने योग्य है—

‘अगर हम ऐसी ही जगहों से माल खरीदें, जहाँ आर्थिक और सामाजिक न्याय की स्थापना हो और राजनैतिक तथा सामाजिक गुलामी का अन्त कर दिया गया हो तो हमें कई चीजों के बिना काम चलाना चाहेगा। ऐसे व्यवहार से हम सारी दुनिया के आदर और प्रशसा के पात्र बनेंगे, और पशुवल इस हड्ड तक भूखा मरेगा कि उसकी आक्रामक शक्ति विलकुल घट जायगी।’

५ ‘अर्थसंदेश’ नवम्बर-जनवरी, १९४७-४८, से

अद्वाइसवां अध्याय

पैसे की प्रभुता से मुक्ति

उद्योग के माने है उन चीजों को मुहैया करना जो हमारे पास नहीं है। व्यवसाय माने दूसरों की मड़द करना। मैं नहो समझता कि इनकी तुनियाद में शोषण या प्रतियोगिता क्यों हो। अगर आज का आर्थिक ढाचा बदल दिया जाय और इस में पैसा प्रधान न होकर, इन्सान प्रधान हो, तो शकल बहुत काफी बदल जायगी।

—विनोदा

देश को आर्थिक दुर्दशा से मुक्त करने के लिए सरकारी सिक्कों की नहीं, धनधान्य की आवश्यकता है। इसके लिए 'सर्कारी शान-आफ-मनी' (रुपये का चक) नहीं, 'सर्कारी शान आफ कमोडिटीज' (परेयों का चक्र) की आवश्यकता है, जो केवल अधिक श्रम, अधिक उत्पादन और सरल उत्पादन के द्वारा ही सम्भव है।

—रामकृष्ण शर्मा

पहले बताया जा चुका है कि मुद्रा का चलन होने और पीछे बैंकों की परिपाठी चल निकलने से आदमी उपयोग के पदार्थों की अपेक्षा मुद्रा के पीछे पड़ गया है। एक प्रकार से वह मुद्राजीवी हो गया है। इससे समाज को केसी क्षति पहुँची है, इसका परिचय 'मुद्रा-व्यवस्था' अध्याय में दिया गया है। अब इससे राहत पाने के विषय में विचार करना है।

विनिमय का माध्यम, सोने चांदी की जगह श्रम—विनिमय के माध्यम के लिए खासकर सोने चांदी की मुद्रा काम में लाई जाती है। परन्तु प्रथम तो सर्वसाधारण के रोजमर्रा के जीवन में इन धातुओं का कोई महत्व नहीं है। इनका उपयोग-मूल्य नहीं के विवर है, फिर इनका जो विनिमय-मूल्य है, वह इनके खान से निकालने और साफ करने के ही आधार पर नहीं है,

उसमे अन्य व्यय और कर आदि मिले हुए हैं, जिनका हिसाब बड़ा जटिल है। इस प्रकार धातुओं को या इनके सिक्कों को विनियम का माव्यम बनाना अनुचित है। इनकी जगह श्रम को ही माव्यम मानना ठीक है, हाँ, वह श्रम ऐसा ही होना चाहिए, जिससे सब परिचित हो, जिसके परिमाण का हिसाब आसानी से लग सके। ऐसे श्रम का स्थूल रूप कोई जीवनोपयोगी वस्तु ही हो सकती है। कहा किस वस्तु को प्राथमिकता दी जाय, यह देश-काल का विचार करके निश्चय किया जा सकता है।

इस प्रसग मे गाधी जी का कथन है कि—

‘धातु के सिक्के या कागज के नोट मूल्य का सब्जा माप नहीं है, क्योंकि उनकी कीमत कृत्रिम है। फिर भी बड़े पैमाने पर व्यापार करने के लिए यह माप आवश्यक है। ग्रामोद्योग के पीछे उलटी कल्पना है। हम बड़े पैमाने का व्यापार नहीं चाहते, हम देहात की स्वतंत्रता और स्वावलम्बन चाहते हैं। देहातों मे पारस्परिक व्यवहार के लिए धातु की या अन्य किसी कृत्रिम माप की आवश्यकता नहीं हो सकती। हमारा माप तो कोई ऐसी देहाती चीज होनी चाहिए, जिसे हर कोई बना सकता है, जिसका आसानी से सभ्रह हो सकता है, और जिसका दाम हर रोज बदलता नहीं है। ऐसी वस्तु क्या हो सकती है? साबुन नहीं, तेल नहीं, तरकारी नहीं। इस तरह गिनते-गिनते खाली सूत रह जाता है, उसे सब उत्पन्न कर सकते हैं, उसकी हमेशा जरूरत रहती है। अगर सूत-माप हम देहात मे दाखिल कर सके तो देहात की वहुत उन्नति कर सकेंगे, और शीघ्रता से रवावलम्बी बन सकेंगे।’

‘इस योजना मे प्रत्येक घर टकसाल बन जाता है, और जितने चाहिए उतने पैसे (सूत) बना सकता है। साफ है कि ऐसी दुकानों मे मादक पदार्थ, विदेशी पदार्थ, नुकसान-कारक पदार्थ आदि नहीं बिक सकते। इसलिए सूत का सम्बन्ध जहाँ तक बन सके, पवित्र रहेगा।’

मूल्य-माप के लिए सूत की गुण्डी, इसकी विशेषता—सूत के द्वारा मूल्य-माप किस प्रकार हो और उसकी क्या विशेषता होगी, यह आगे स्पष्ट किया जाता है। कल्पना करो, १० के अक की ६४० तार की (प्रति तार

४ फीट लम्बा) एक गुण्डी कातने का श्रम मापदण्ड माना जाय। यह माना जाय कि एक औसतन कुशल व्यक्ति दो घटे में एक गुण्डी कात सकता है। एक कताई-श्रमिक का काम आठ घटे के दिन का चार गुण्डी श्रम हुआ। आज की पैसे की परिमाण में मान लीजिए, वह आठ आना हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि आज आप जिस वस्तु के मूल्य का माप एक रुपया कहते हैं, उसका इस नये हिसाब के अनुसार द गुण्डी-श्रम होगा।

सूत की गुण्डी को विनिमय का माल्यम मानने से आर्थिक जीवन की सारी दिशा और गति ही बदल जाती है। आज रुपया, पौंड, डालर सोने या चादी के सिक्के के प्रतीक हैं जो भारत, हगलैन्ड या अमरीका के रजाने में नुरक्षित है, जबकि गुण्डी-श्रम उस सामान्य गाँव में रहने वाले कनवारी भाई या वहिन के श्रम का प्रतीक है, जो करोड़ों की सख्त्या में सारे देश में, देश के गाँन-गाँव में, फैले हुए है। हम अपनी सारी आवश्यकता और सुविवाजी चीजों को उससे नापकर उसके साथ समरस होते हैं। गुण्डी का विचार करने से हमारे सामने जो तसवीर आती है, वह हमारे ही जैसे हाड़मास वाले गरीब ग्रामवासी की होती है, जो चरखे के सरल और सामान्य सावन के जरिये समवत अपने खेत में पेटा हुई लड्डू को कातता है और उसके कपड़े से अपनी लज्जा निवारण करता है, और सर्दी से बचता है।

गुण्डी-श्रम को विनिमय का माल्यम स्वीकार कर लेने से स्पष्ट है कि लोगों में इसके प्रचलन की शुरूआत होगी, गुडियों की कताई स्वतं बढ़ेगी, उससे रुई के उत्पादन में बढ़ि होगी और कपड़े की आवश्यकता की पूर्ति जनता स्वयं अपने श्रम से कर लेगी। इसका प्रभाव यह भी होगा कि सोने-चादी के सिक्कों का श्रम से जायगा और श्रम तथा वस्तुओं का ही विनिमय होने की परपरा महत्व घट जायगा और श्रम तथा वस्तुओं का उत्पादन के सिक्कों की तरह बढ़े परिमाण बढ़ेगी। श्रम और वस्तुओं का सघरह सोने-चादी के सिक्कों की परपरा में तथा पीढ़ी-दर-पीढ़ी नहीं किया जा सकता। इसलिए आज की धन-लिप्ति में कमी होगी। श्रम की प्रतिष्ठा होने पर श्रम का शोपण भी नहीं हो पायेगा।

सूत की गुण्डी का चलन इससे लाभ—सूत माप की बात केवल

कहने की नहीं है, इसका चलन, कुछ परिमित क्षेत्रों में ही सही, समय-समय पर हुआ है और उसमें खासी सकृतता भी मिली है। 'गरीबों की टकसाल' शीर्षक, श्री कृष्णदास गाधी के लेख से (जो 'सर्वोदय' अन्तूवर १९४६ में प्रकाशित हुआ) स्पष्ट है कि नालवाडी (वर्धा) में नून-चलन की दुकान का प्रयोग ग्राम-सेवा-मड़ल की ओर से सन् १९४२ के आनंदोलन से भी पहले से चल रहा था। उसे देख कर वाचा लाभसिंह जी ने जालधर में सेट्टल रिलीफ कमेटी की ओर से सून-चलन की दुकान चलायी। इसमें ग्राहकों के साथ पैसे से कोई व्यवहार नहीं किया गया, सब चीजें—पूनी, चर्ला, सरजाम, खादी, निर्वासितों के केन्द्र में बना हुआ हाथ-बुनाई का कपड़ा, चप्पल-साढ़ुन और अनाज आदि—केवल सूत के ही बदले बेची गयीं। दुकान के साथ खियों और लड़कियों का तालीम-वर्ग भी चलाया गया जिसकी फीस भी सूत के रूप में ही ली गयी।

इसी लेख में कहा गया था कि 'पहले जो खियों रिलीफ-केन्द्र से मुफ्त सहायता चाहती थीं, वे अब सूत कात कर अपने परिश्रम के बदले में चीजें खरीदने लगी हैं। उनमें भिज्ञा-बृत्ति की भावना बढ़ रही थी, वह रफा होकर कताई के रूप में ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करने का होसला बिना किसी उपदेश के इस दुकान ने उनमें पैदा कर दिया है। यह दुकान केवल निर्वासितों की न रहकर आम जनता के लिए खुली रखी गयी है। अब ऐसी ही और दो दुकानें लुधियाना और अम्बाला में भी सेन्ट्रल रिलीफ कमेटी की ओर से खोल दी गयी हैं। जालधर में रोजाना करीब ३०० और अम्बाला में इससे कुछ बेशी गुडियों का माल विकता है। अब इस सूत से बनी खादी भी इन ग्राहकों को सूत-गुड़ी लेकर दी जाने लगी है। सूत-दुकान का यह तरीका पुरानी 'बदलौत (अदल-बदल)' पद्धति का स्मरण दिलाता है। निर्वासितों में परिश्रम-प्रेम बढ़ाने का काम तो इसने किया ही है, पर इसने गरीबों की टकसाल का भी काम किया है। *

*'प्रलोभन के कारण हाथ-सूत के नाम पर मिल-सूत न लाया जाय, यह देखना होगा। जो सूत आये उसकी खादी बेचने का ठीक इन्तजाम करना होगा और खासकर पैसे के हिसाब से सूत हिसाब रखने के लिए विशेष प्रामाणिक और कुशल कार्यकर्ता लगेगे।'

पैसे की प्रभुता से मुक्ति पाते के कार्य—यदि हम वह निश्चय कर लेंगे कि हमें पैसे की प्रभुता से होने वाली भयकर हानियाँ से अपना पिंड छुड़ाना है तो हमें इसका रास्ता भी मिल जायगा, और वह गम्भीर अमरा। मुख्य बात यह है कि जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं के सम्बन्ध में लोगों का, खासकर गाय वालों का स्वावलम्बन हो। भोजन, वस्त्र और मकान की सामग्री के लिए बाहर वालों के आश्रित न रहा जाय। भारत में बहुत से ऐसे भागों के आदमी चावल खाने लग गये हैं जहाँ धान पेंडा नहीं होता। कुछ लोग दूसरे न्यानों से विक्षुट और चीनी आदि मगाने हैं तथा अपने वहाँ की मोटी रुई बेचकर दूर-दूर से महीन रुई या उसका कपड़ा खरीदते हैं। इस चरीट-बेच से पैसे के नक्क में पड़ना टीक नहीं है। इससे बचने के बातें हमें सब्यम और सादगी से काम लेना चाहिए। हाँ, इसके लिए अनाज बैंक, बन्तु-विनियमन-बैंक और अम-बैंकों की जरूरत होती है। इनके बारे में पहले लिखा जा चुका है।

पैसे की प्रभुता मिटाने की बात बहुत से पाठकों को अजीब और हसी-मजाक की सी लगेगी। पर वह गम्भीरता से विचार करने की है। विविध स्थानों पर इसका प्रयोग हो रहा है, भले ही वह अभी छोटे छोटे पैमाने पर हो। उदाहरण-स्वरूप सेवाग्राम (वर्धा) आश्रम की बात लीजिये। वहाँ मार्च १९५१ को निश्चय किया गया कि १ जनवरी १९५२ से आश्रम पैसे से मुक्त हो जायगा, आश्रमवासियों द्वारा खेती आदि में किये हुए परिश्रम और लोगों से मिलने वाले अम-दान पर ही आश्रम चलेगा। इस निश्चय के अनुसार कार्य किया गया। [अब आश्रम के कार्यकर्त्ता भूदान-आन्दोलन में लगे हुए हैं।]

इसी तरह श्री विनोदा के परमधाम आश्रम (पवनार, वर्वा) की बात है। इसके कार्यकर्ता भी, जो अब भूदान के काम में जुटे हुए हैं, वह दिखला चुके हैं कि किस तरह आदमी अपने जीवन से पैसे का प्रभुत्व हटा सकता है। ये अपनी आवश्यकताओं के पदार्थ भूमि पर श्रम करके उत्पन्न कर लेते थे और उन्हीं चीजों पर निर्वाह करते थे जो ये वहा पैदा कर सकते थे। अब यही इसमें उन्हें कुछ सब्यम से काम लेना पड़ता था, क्योंकि एक ही भूमि में सभी प्रकार के अन्न, दाल, शाक-भाजी, फल, नमक, मसाले, तेलहन, आदि उत्पन्न

नहीं हो सकते। पर आदमी को तरह-तरह के अनेक पदार्थों की जरूरत भी तो नहीं है। उसका काम थोड़ी सी चीजों से अच्छी तरह चल सकता है। अस्तु, आश्रमवासी अपनी भूमि में कुछ खास-खास अन्न, फल, शाकभाजी पैदा करते थे, दूध, दही, घी के लिए गाय रखते थे, और करड़े के लिए कपास उत्पन्न कर लेते थे। इस प्रकार उन्हें साधारणतया पैसे की जरूरत ही नहीं होती थी। हाँ, कुछ काम ऐसे अवश्य थे जो बिना पैसे के नहीं हो सकते थे, जैसे रेल की यात्रा, डाक-व्यवहार, रेडियो, टेलीफोन का खर्च। आश्रमवासी इस काम को भी अपने श्रम द्वारा उत्पन्न किये हुए अनाज को बेचकर ही पूरा कर लेते थे।

मार्च १९५१ में श्री विनोदा ने सर्वोदय सम्मेलन हैदराबाद, में आने का निश्चय किया। यद्यपि अर्थोच्चेद की उनकी कल्पना में रेल आदि का परित्याग अनिवार्य नहीं था, तथापि उन्होंने यह लम्बी यात्रा पैदल और बिना पैसे के ही की। इसके बाद तो तैलगाना, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, विन्ध्य प्रदेश, बिहार, उडीसा, आध्र आदि की यात्रा होती रही है और अब (सितम्बर १९५६) तक चौदह हजार मील हो चुकी है।

श्री विनोदा के विचार—पैसे से मुक्ति के सम्बन्ध में श्री विनोदा के कुछ मुख्य विचार इस प्रकार है—

‘देहातों को हम पैसे से प्रथम छुड़ा देना चाहते हैं, और शहर अगर पूरी तरह न बदले, लेकिन ग्रामों के साथ सहकार करें, पूरी तरह उनके अनुकूल बन जाएं, तो भी बहुत है। तो इस तरह यह समाज-रचना बदलने का काम हम शीघ्र करना चाहते हैं। उसी तरह से पैसे पर आधारित समाज-रचना बदलना चाहते हैं और श्रम के आधार पर समाज-रचना करना चाहते हैं। जब हम ऐसा कहते हैं, तब लोग समझते हैं कि हम पुरानी ‘बारटर’ (वस्तु-विनिमय) की व्यवस्था लाना चाहते हैं। लेकिन मुझे ‘बस्टर’ की व्यवस्था मक्सूद नहीं है। ‘बारटर’ की व्यवस्था एक बहुत प्रथम अवस्था में हुई थी। उसमें कई अड़चने हैं। मैं उसे फिर से लाना नहीं चाहता, बल्कि मैं तो पेपर-करेन्सी (कागजी सिक्का) ही पसन्द करता हूँ।

‘गाव के लिए मैं ऐसी करेन्सी नहीं चाहता,’ जिस पर आज की तरह पैसे के अक्ष छपे हो, बल्कि ऐसी जिस पर अम के घटों के अक्ष लिये हो, और वह करेन्सी किसी मुलतान या बादशाह की मर्जी से नासिक के प्रेस में नहीं छपी हुई होगी, बल्कि जितने वटे प्रत्यक्ष परिश्रम किया होगा, उसकी नोट करने वाली करेन्सी होगी, और उस कागज पर जो नकद परिश्रम हुआ होगा, वह लिखा जायगा। जो उधार परिश्रम होगा वह नहीं लिखा जायगा। इस तरह का चलन चलेगा, और वाकी गाव की उपयोग की चीजें, जिनका कच्चा माल गाँव में ही उपलब्ध है, गाव में ही बनेगी। वह हमारी योजना है।’

पेसे का सीमित उपयोग, निर्दोष—इस समय पेसा मनुष्य का साध्य नहा हुआ है। वह जोड़ कर रखा जाता है, और दूसरों का शोषण करने में लगाया जाता है, वह मनुष्य-मनुष्य में भेद भाव पैदा करता है। यदि इसके ये दुर्गुण न रहे तो वह अब भी उपयोगी हो सकता है। उदाहरण के लिए छोटे सिक्के (भारत में पेसे, इकनी, दुग्रनी, चबत्री, अठनी आदि, डगलैड में पेस या अद्व-शिलिंग आदि) अविकृतर रोजमर्रा के ही काम में आते हैं, इन्हें कोई जमा करके नहीं रखता, और इनके द्वारा व्यापार व्यवसाय में एक टम उथल-पुथल नहीं मचती। फिर, इन सिक्कों से छोटा-छोटा भुगतान भी आसानी में हो सकता है। कल्पना करो कि एक आदमी ने पन्दह मिनट या आदा घटा हमारे लिए अम किया, इसके लिए उपर्युक्त सिक्कों में उसका हिसाब तुरन्त ही चुकाया जा सकता है।

कुछ लोगों का मत है कि रेल-किराया, मोटर किराया, टाक महसूल आदि के चुकाने के लिए रुपये या नोट की जरूरत है। इन्हें जमा करने के लिए लोगों में आरुर्पण या प्रलोभन न हो, टमके लिए हासमान मूल्य वाले नोटों का प्रस्ताव किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि एक या दो-तीन माह आदि की निर्धारित अवधि के बाद रुपये को अथवा एक रुपये के नोट को चलाना हो तो वह एक ग्राना कम कीमत में चले। इस प्रकार हर बार उपर्युक्त अवधि चीतने पर उसकी कीमत एक-एक ग्राना कम होती जाए, अथवा इनमें मूल्य का

टिकट लगाने पर नोट पूरी कीमत का माना जाय। इस योना से प्रत्येक व्यक्ति अपने नोट को जल्दी से जल्दी खर्च करेगा, नोट चलते रहेंगे, कहीं जोड़कर न रखे जायेंगे। नोटों के मूल्य में जो कमी होगा, अथवा उन पर जो टिकट लगाये जायेंगे, उनसे होने वाली आय सार्वजनिक हित में लगायी जाय या उससे सरकारी मुद्रा-विभाग का खर्च चले। इस प्रस्ताव के उद्देश्य को ध्यान से रखते हुए नोट एक-एक रूपये तथा दस-दस रूपये के ही हों, अधिक कीमत के नहीं।

विदेशी व्यापार के लिए स्वर्णपत्र—सर्वोदय व्यवस्था के अनुसार विदेशी व्यापार का परिमाण निश्चय ही बहुत कम रहेगा। तथापि यह स्वीकार करना होगा कि वह कुछ न कुछ तो रहेगा ही और उसे विलकुल हटाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। अस्तु, जब कि विदेशी व्यापार होगा—वह परिमाण में कितना ही कम क्यों न हो—तो उसके लिए विनिमय-माव्यम की व्यवस्था भी रखनी होगी। यह कार्य राष्ट्र-सभा के नियन्त्रण में जारी किये हुए ‘स्वर्ण-पत्र’ से हो सकेगा। इसके सम्बन्ध में श्री रामकृष्ण शर्मा के निम्नलिखित विचार जानने योग्य है—

‘विदेशी व्यापार में हमारे घटोत्तर (हासमान मूल्य वाले) नोटों का प्रयोग सफल न हो सकेगा। इसके लिए हम अमरीका के समान ‘स्वर्ण सनद’ का प्रस्ताव करेंगे। हमारा वैदेशिक व्यापार राष्ट्र-सभा के ‘अनुमति-पत्र’ (लैसन्स) पर निर्भर होगा। राष्ट्र-सभा आवश्यक जाच-पड़ताल, और देशीय आवश्यकताओं तथा अपने स्वर्णकोष को व्यान में रखकर ही वैदेशिक व्यापार की आज्ञा देगी। इस प्रकार सर्व-प्रयम हम मुद्रा के विनिमय-दर की उलझनों से बच जायेंगे, क्योंकि ये सनदे ‘रूपक’ नहीं, वास्तविक होगी, हुँडियों की परेशानी भी न रहेगी और इन सब की रही-सही कमी को हम आवश्यकतानुसार ‘वैदेशिक व्यापार डिपो’ द्वारा पूरी करेंगे, जहाँ प्रमाणानुसार हमारा स्वर्ण कोष * रहेगा और आवश्यकतानुसार उसका उपयोग हो सकेगा। हमारे इस प्रस्ताव का यह अर्थ नहीं कि सोना या चादी देकर ही हम बाहर से व्यापार करेंगे। जहाँ तक

* सोने के स्थान में चादी भी रख सकते हैं। यह ठीक है कि सोने या चादी का भी भाव चढ़ता-उतरता है, परन्तु कम से कम हमारा विधान एक निश्चित धातु से बधा तो रहेगा।

सम्भव होगा, हमारा वैदेशिक व्यापार भी वस्तु-विनिमय के आवार पर चलेगा, परन्तु आवश्यकता पड़ने पर हम एक बातु का सहारा लेने के लिए तत्पर तो रहेंगे। हमें यह न भूलना चाहिए कि हम या तो वस्तु-विनिमय या अपनी निश्चित बातु के आवार पर ही व्यापार करेंगे, वाह्य मुद्रा को न हम स्वीकार करेंगे, न उनसे या उनकी उलटफेर से हमें कोई वास्ता दोगा। याथ ही हमारी इन सनदों का स्वप्न हमारे अपने देश के आन्तरिक व्यवहार में कोई उपयोग न हो सकेगा। विटेशों में भी इनका केवल व्यवसायिक लेन-देन में ही उपयोग होगा। यदि कोई चाहे कि विटेशों में उन्हें जुटा कर सोना-चार्डी लेले और फिर उसे देश में लाकर गाड़ रखें, तो इस बताए से बचने के लिए उस निश्चित बातु का गेर-सगकारी आवात-नियंत्रित वर्जित कर देना होगा।

राष्ट्रीय कूपन और रेल वारंट—अच्छा, विटेश याचा आदि का

शुल्क चुकाने के लिए क्या व्यवस्था होगी। इसके लिए श्री रामझग्ण शर्मा के शब्दों में ‘हमें नेशनल कूपन (राष्ट्रीय चिट्ठी) का विधान करना पड़ेगा, उसी प्रकार जैसे रेलों में टिकट लेने के लिए माइलेज कूपन या पुलिम और सेना के वारंट चलते हैं अथवा कुछ कम्पनियों का अन्तर्राष्ट्रीय चेक चलता है। बाहर से आने वाले उनके ही देशीय दूतावासों से हमारी राष्ट्र-सभा का कूपन प्राप्त हो जायगा। उनके बदले हमारा देश सम्बद्ध देश से उक्त मूल्य की वस्तु पदार्थ, सोना, चार्डी या अपने देश वालों के लिए उनके देश में उनकी ही सुविधा का हक्कार होगा।’

ऐसे विविध प्रश्नों के द्वारा मुद्रा के प्रयोग को बहुत कुछ हटाया जा सकता है और हटाया जाना चाहिए।

पेसे की प्रभुता से मुक्ति पाने से मानव कल्याण—पहले बताया जा चुका है कि वर्तमान अवस्था में पेसे की कितनी प्रभुता है। पेसे की ही अर्थव्यवस्था (मनी-इकानोमी) चल रही है। आदमी पेसे का गुलाम हो गया है। इससे उसका सहज ही शोपण और दमन हो सकता है। यदि

— यह कोई अव्यावहारिक या नयी बात नहीं है। विज्व का इतना बड़ा युद्ध अमरीका के ‘लेड एड लीज’ के बल पर ही चला, जिसे युद्ध रूप में हम वस्तु-विनिमय ही कहेंगे। भिन्न-भिन्न देशों के बीच वहुन सीलनदेन इसी प्रकार हो रही है। श्री नेहरूजी ने अमरीका से इसी आधार पर दस लाख टन गेहूँ मागा था।

समाज से पैसे की प्रभुता हटाया कर श्रम को उचित प्रतिष्ठा दे दी जाय तो समाज का विलक्षण कायाकल्प होगा, इसमें सन्देह नहीं। श्री वासुदेव चिट्ठल दास्ताने ने कहा है—

‘रूपये और धन का जितना सम्मान किया जाता है, उससे कई गुना अधिक सम्मान शरीर-श्रम का है, अगर यह सीधी-सादी बात एक दफा गाव वालों के दिलों में जम जाय तो बड़ी भारी क्रान्ति हो जायगी। तब वे अपनी शक्ति और सामर्थ्य को समझ जायेंगे। इसका म्याभाविक परिणाम यह होगा कि उनको दबाकर रखना या उनका शोषण करना दुश्वार हो जायगा। वैसी हालत में यदि कोई सशस्त्र या हिंसक आक्रमण होगा तो वे उसके प्रतिरोध के लिए तुरन्त तैयार हो जायेंगे और यह समझ जायेंगे कि मृत्यु का सामना करके भी अपनी स्वाभिमानी जिन्दगी कायम रखनी चाहिए। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात समझने की योग्यता भी उनमें आजायगी, वे जान जायेंगे कि शस्त्रों से आक्रमण करने वाला सब लोगों को मार डालना नहीं चाहता, लेकिन चन्द लोगों को मार कर बाकी को डरा धमका कर अपनी सेवा में लगाना चाहता है। यह बात समझ में आजाने पर तो उनके अन्दर से मौत का डर कर्त्ता निकल जायगा। ऐसी आत्म-प्रतीति होजाने पर अगर-ऐटम वम का आक्रमण होगा तो भी वे नहीं डरेंगे और स्वाभिमान-शूल्य दीन-हीन जिन्दगी के बदले मृत्यु का स्वागत करना श्रेयस्कर समझेंगे। वैसी अवस्था में हार उनकी नहीं, एटम-वम की ही होगी।’*

विशेष वक्तव्य—ऐसा है पैसे के प्रभुत्व से मुक्ति का फल ! इसे ध्यान में रखकर विचारकों को इस दिशा में ढृता पूर्वक आगे बढ़ते रहना चाहिए। आदर्श तो यह है कि पैसे की माया विलकुल न रहे, काचन-मुक्ति ही हो, पर चावहरिक दृष्टि से हमने अपने विवेचन का विषय पैसे की प्रभुता से मुक्ति ही रखा है। इसके लिए भी वर्तमान समाज-व्यवस्था में कुछ कठिनाई तो उपस्थित होगी, पर जहा चाह है, वहा राह निकल ही सकती है।

*‘कस्तूरवा दर्शन’, अगस्त १९५०

पॉचवाँ खंड

वितरण

२९—वितरण की समस्या

३०—लगान

३१—मजदूरी

३२—मृद

३३—मुनाफा

३४—आर्थिक समानता

धनवानों से

तुम कहते हो, हम धनवान हैं, हमने अपने पराक्रम से धन पैदा किया है। पर यह समझ रखो कि अगर रात न होती, तो दिन न होता। सैकड़ों दरिद्र हैं, इसी लिए तुम धनवान हो। तुम्हारे पास दो रूपये हैं, तो समझलो कि तुम्हारे किसी पड़ोसी की जेव दो रूपयों से खाली है। उसे रूपयों की जरूरत है, इसलिए तुम्हारे रूपये का मूल्य है। बिना हजारों को दरिद्र बनाये तुम धनवान हो ही नहीं सकते। अगर वे दरिद्र न हो तो तुम धनवान हो ही नहीं सकते। धन की उपयोगिता सिर्फ इतनी है कि उसके द्वारा मनुष्य अपने परिश्रम के लिए जीविका प्राप्त करता है। जीवन की हानि से धन का सब्रह होता है।

×

×

×

गरीबों से

तुम्हे रोटी पाने का हक है, पर तुम्हारे दूसरे भी हक है जिन पर तुम्हे पहले ध्यान देना चाहिए। अगर तुम चाहते हो, तो रोटी के टुकड़े माँगो, पर कुत्ते की तरह मत माँगो। माँगो तो बच्चों की तरह। तुम अपने उदर-भरण के लिए लड़ो, पर उससे अधिक इस बात के लिए लड़ो कि सच्चरित्र और पवित्र जीवन व्यतीत करने का भी तुमको अधिकार है।

—रस्किन

उन्तीसवाँ अध्याय

वितरण की समस्या

उत्पादन-कार्य में हरेक मनुष्य का योग उसकी शक्ति के अनुसार होना चाहिए और उपज का वितरण उसकी आवश्यकता के अनुसार। एक ग्वाले को उतना ही मिलेगा, जितना कि पचायत के मुखिया को। ऐसा भी हो सकता है कि अगर पचायत का मुखिया घर में अकेला है, तो उसे ग्वाले से कम मिले।

—जौ० का० कुमारपा

सखूत में धन को इच्छा कहा गया है, जिसका अर्थ है, 'वहने वाला'। जब धन का इस प्रकार वितरण होता रहता है कि समाज में उसका प्रवाह बना रहे तो उससे समाज को लाभ होता है प्रवाह सुनने पर वह समाज के स्वारथ्य के लिए हानिकर होता है।

—लेखक

वितरण का महत्व—आर्थिक जगत में आजकल चारों ओर उत्पादन के लिए पुकार है। आदमी कहते हैं कि लोग भूखेनगे हैं। उनके अभाव दूर करने के लिए अधिक उत्पादन करना चाहिए, उत्पादन का परिमाण बढ़ाना जरूरी है। परन्तु इस कथन में सत्याश ही है, यह पूर्ण सत्य नहीं। बल्कि यह कहना चाहिए कि इसमें विशेष सार नहीं है। उत्पादन बढ़ जाने पर भी यदि वितरण ठीक ढग से न हो, तो लोगों के अभाव बने ही रहेंगे, वे भूखेनगे ही रहेंगे। उनकी समस्या हल न होगी। उदाहरण के लिए चार आदमियों में से प्रत्येक को चार-चार रोटी की आवश्यकता है, और उनका उत्पादन १५ रोटियों का है, तो यह उत्पादन अवश्य ही कम है, तथापि समान वितरण करके वे इसमें किसी तरह अपना काम चला सकते हैं। अब कल्पना करो कि उत्पादन बढ़ कर बीस रोटियाँ हो गयीं। परन्तु वितरण इस प्रकार रहा कि एक ने १०

उन्होंने प्रायः सभी प्रकार की स्थितियों तथा क्षेत्रों में प्रवेश कर लिया है। इस बात का प्रयत्न हो रहा है कि उनका वेतन उसी काम में लगे पुरुषों के समान हो। रूस में इस समानता को प्रायः पूरी तरह अमल में लाया जा रहा है। भारत में स्त्रियों का कार्य-क्षेत्र विशेषतया सन्तान-पालन और घर का कार्य माना जाता है। कुछ स्त्रियों को आर्थिक आवश्यकताओं अथवा स्वाभिमान पूर्वक अपनी आजीविका प्राप्ति के लिए कोई काम करना आवश्यक होता है। प्रायः उन्हें कई वाधाओं का सामना करना पड़ता है। 'समान काम के लिए समान वेतन'—यह तत्व अब व्यापक रूप से अमल में आना चाहिए। इसमें लौ-पुरुष का भेद रखना अनुचित है। यही नहीं, मानवता और समाज-हित की दृष्टि से स्त्रियों को वे सुविधाएँ भी दी जानी चाहिएँ, जो उनके मातृत्व सम्बन्धी कर्तव्य पालन करने के लिए जरूरी हो।

न्यूनतम मजदूरी या निर्वाह-वेतन—यूरोप, अमरीका के कुछ भागों में, खासकर जहाँ भिन्न-भिन्न प्रकार के धधों में काम करने वाले के संघ बन गये हैं, और निश्चित नियमों के अनुसार काम होता है, एक धन्वे के मजदूर एक नियत वेतन से कम पर मिल ही नहीं सकते। कुछ देशों में तो कानून द्वारा यह तथ्य हो गया है कि मजदूर को इतनी मजदूरी अवश्य ही मिले, जिससे उसका और उसके आधिकारियों का निर्वाह हो सके। इसे न्यूनतम मजदूरी या निर्वाह-वेतन कहा जाता है। इसकी कुछ आधार-भूत बातें ये हैं—

१—प्रायः यह माना जाता है कि प्रत्येक कुटुम्ब में औसतन एक पुरुष, एक लौ और तीन बालक होते हैं।

२—मजदूर को मजदूरी इतनी मिलनी चाहिए कि वह उससे अपने कुटुम्ब का साधारण रीति से पालन-पोपण कर सके। [कुछ सज्जन लौ और बच्चों की मजदूरी कुटुम्ब की आमदनी में शामिल नहीं करते। उनका मत है कि कुटुम्ब के बढ़ने पर स्त्रियों को अपने घरों का काम करने के बाद न तो समय ही रहता है और न शक्ति ही। इस लिए उनसे मजदूरी नहीं करायी जानी चाहिए, और, लड़कों से तो स्कूलों में पढ़ने के अलावा मजदूरी कराना ही अनुचित है।]

३—मजदूरों का निवास-स्थान काफी और हवादार होना चाहिए।

४—मजदूरों के घर-खर्च के अतिरिक्त उनकी अन्य आवश्यकताओं का भी विचार किया जाना चाहिए।

इस प्रसग में तीन बातों का ध्यान रखना जरूरी है— (१) न्यूनतम मजदूरी जुदा-जुदा स्थानों में जुदा-जुदा हो सकती है, पर एक ही स्थान में अलग-अलग वन्धों के लिए भिन्न-भिन्न नहीं होनी चाहिए। (२) न्यूनतम मजदूरी की दृष्टि से खेती और उद्योग-वन्धों के मजदूरों में कोड अन्तर नहीं मानना चाहिए। दोनों को ही इसकी आवश्यकता है। (३) यदि वास्तव में कोई उद्योग ऐसा है जो अपने मजदूरों को निर्वाह वेतन नहीं दे सकता तो सावारण तौर पर ऐसे उद्योग को चलने का अधिकार नहीं है। हाँ, कुछ उद्योग ऐसे हो सकते हैं कि राष्ट्र-हित की दृष्टि से आवश्यक हो, पर उनसे मजदूरों को निर्वाह-वेतन न दिया जा सके। ऐसे उद्योगों की सरकार को ऐसी सहायता करनी चाहिए, जिससे मजदूरों को न्यूनतम वेतन अवश्य ही दिया जा सके। अत्य, किसी भी दशा में मजदूर के न्यूनतम वेतन में कमी न होने देनी चाहिए।

कृषि-यसियों की न्यूनतम मजदूरी, वेकारी के समय का प्रश्न—

यह तो स्पष्ट ही है कि खेतिहर साल में कई माह वेकार रहते हैं और इस समय भी उन्हें भोजन-वस्त्र आदि की आवश्यकता तो होती ही है। अगर उन्हें इस समय का वेतन न मिले तो उनका निर्वाह किस तरह हो। जो लोग समाज का भरण-पोपण करते हैं, उनका भूखा-नगा रहना किसी समाज के लिए शोभनीय नहीं। उनके गुजर-वसर की यथेष्ट व्यवस्था होनी ही चाहिए। श्री जो० का० कुमारप्पा ने कहा है—उत्पादक को और उनके ऊपर अवलम्बित परिवार के लोगों को केवल हगाम के बा खेती के योड़े समय के लिए ही नहीं, बल्कि साल भर अपनी जीविका की साधन सामग्री छुट जानी चाहिए। इस नात को मदेनजर रखकर उत्पादन की मजदूरी निर्धारित करनी चाहिए। उदाहरणार्थ आज चावल चारह आने पायली के हिसाब से मिलता होगा। पर उस बारह आने में चावल पेदा करने वाले खेती के मजदूर का साल के आठ महीने फाका रहने की ही गुजाइश रहती है। समतायुक्त समाज में खेती के मजदूर को केवल खेती के मौसम में ही खाना, कपड़ा मिलने की व्यवस्था नहीं रहनी चाहिए, बल्कि वही व्यवस्था पूरे

साल भर तक उसे समुचित खुराक और कपड़ा मयस्सर कराने वाली होनी चाहिए।^१

यह कहा जा सकता है कि बहुत से लोगों को वेकारी के समय की मजदूरी हर साल कई-कई माह देने से कोई अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल सकती। इसका हाल यह है कि ऐसी व्यवस्था की जाय कि किसानों और खेत-मजदूरों को वेकार रहने का अवसर ही न आये, प्रत्येक ग्राम या ग्राम-सेमूह के व्यक्तियों के श्रम का उचित संयोजन किया जाय, जिससे वे अपने खाली समय में ग्रामोद्योगों का काम कर सके।

भारत में न्यूनतम मजदूरी—भारत में प्राचीन काल में मजदूरी निश्चित करने में उसकी जीवन-निर्वाह की आवश्यकताओं का व्यान रखा जाता था, इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। पीछे इस विषय की प्राय उपेक्षा ही रही। आधुनिक काल में सर्व-प्रथम सन् १९३५ में गांधीजी की प्रेरणा से अ. भा ग्राम उद्योग सघ ने इस विषय को हाथ में लेने का साहस किया। उसने प्रस्ताव किया कि ‘सघ की सरक्षता में तैयार होने या वेची जाने वाली तमाम चीजों के लिए हर कार्यकर्त्ता को आठ घण्टे के पूरे काम के हिसाब पर कम-से-कम इतनी मजदूरी तो मिलनी ही चाहिए जो उसकी शास्त्रीय (वैज्ञानिक) खुराक के लिए काफी हो। जैसे-जैसे और जब परिस्थिति अनुकूल हो, तब मजदूरी की दर में उस दर्जे तक उद्धिष्ठित होती जानी चाहिए, जिससे कुटुम्ब के कार्यकार्त्तम व्यक्तियों की कमाई से सारे कुटुम्ब की ठीक तरह से शुजर हो सके। इसी आशय का प्रस्ताव अ. भा चर्खा-सघ ने कत्तिनों के सम्बन्ध में स्वीकार किया।

इस योजना के अनुसार काम करने के लिए पहले यह मालूम किया गया कि कताई-क्षेत्र में रहने वाली जनता को किस प्रकार का भोजन अनुकूल होगा। फिर, इसके आधार पर योग्य डाक्टरों से सलाह-मशवरा करके, कम-से-कम आवश्यक भोजन का परिमाण निश्चित किया गया। एक आदमी के साधारण आवश्यक दैनिक भोजन के मूल्य का, आहार की वस्तुओं के स्थानीय मूल्य के अनुसार, हिसाब लगाया गया, और इसे आवश्यक खादी की कीमत के साथ जोड़कर दैनिक आठ घण्टे के संतोषजनक कार्य की कम-से-कम मजदूरी निश्चित

की गयी। यद्यपि देश के विविध हिस्सों के रहने वाले लोगों के आवश्यकीय आहारों में काफी अन्तर है तो भी यह मालूम हुआ कि उक्त आधार पर हिसाब करके कम-से-कम देनिक मजदूरी ₹३ से ₹५ तक होनी चाहिए। पहले कताई की रोजाना मजदूरी छ बात पैसे ही थी, नये आधार पर गिने हुए कर्माइ-दर २५ से ७५ पीसदी तक बढ़ गये। पिछले बारों में कताई की देनिक मजदूरी प्राय छ आने से आठ आने तक रही है। परन्तु यह कुटुम्ब के निवाह-गोप्य नहीं थी। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त प्रस्ताव पूरे तौर से अमल में नहीं आया। हाँ, इस ओर आन दिया जा रहा है।

मजदूरी समान करने का प्रयत्न—मजदूरी की वर्तमान विषमता दूर करना आवश्यक है। इस आदर्श को प्राप्त करने के लिए हमें यह निश्चय कर ही लेना चाहिए कि देश में एक श्रमी को दूसरे की अपेक्षा अविन्द से अधिक कितने शुना तक बेतन दिया जाय। आरम्भ में तीन या चार गुने तक की मर्यादा रख कर काम चलाया जा सकता है। उदाहरण के लिए खाड़ी-सब्जों में कार्यकर्ताओं का बेतन प्रायः कम-से-कम पचास और अधिक से अधिक तीन सौ रहता है। आठर्ज की टाई से इतना अन्तर भी न रहना चाहिए, तथा पि वर्तमान दशा में जब कि अन्तर की कोई सीमा ही नहीं, उपर्युक्त नियम भी गनीभूत है। अस्तु, लक्ष्य तो यही रहना चाहिए कि एक स्थान या प्रदेश के सब श्रमियों का बेतन समान हो। इस दिशा में प्रयोग आरम्भ हो गये है। सेवाग्राम (वर्धा) आदि की सार्वजनिक संस्थाएँ इस सिद्धान्त को अमल में ला रही हैं। वहाँ आश्रम के सम्बन्ध में यह व्यवस्था की गयी थी कि प्रत्येक कर्मचारी को, चाहे वह अध्यापक हो, चाहे हरिजन मजदूर, रोजी के ठो आने प्रति घटे के हिसाब से समान रूप में मिलेंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक आश्रम वासी को उसके पुत्र के सम्बन्ध व्यय के लिए एक आना प्रति घटा मिले। इस प्रकार आश्रम के प्रत्येक कार्यकर्ता को तीन आने प्रति घटे के हिसाब ने आठ घटे के काम का करीब ढेर रूपया प्रतिदिन मिलता था। यद्यपि वर्ता में मजदूरी सस्ती थी, किन्तु यदि आश्रम के किसी काम के लिए मजदूर की जरूरत होती तो उसे आश्रमवासियों के समान ही बेतन दिया जाता। (इस समय आश्रम के कार्यकर्ता भूदान वज आदि में लगे हुए हैं।)

अमी (जुलाई १९५६) यह निश्चय किया गया है कि अ.भा. खादी और ग्रामोद्योग सघ की बिहार शाखा के सेक्रेटरी से लेकर कुली तक सभी कर्मचारियों को समान वेतन मिले । यह फैसला अप्रैल १९५६ से लागू समझा जायगा । इसके अनुसार सघ के कर्मचारी को अपनी नौकरी के पहले दो सालों में ६० रु० प्रति मास, इसके आगे के दो सालों में ७५ रुपये प्रति मास और इसके बाद के वर्षों में १०० रु० प्रति मास दिया जायगा । अब किसी भी कर्मचारी को १०० रु० से अधिक नहीं दिया जायगा ।

प्रत्येक अमी को रोजी का अधिकार—सर्वोदय दृष्टि से मजदूरी के बारे में यह आवश्यक है कि समाज में कोई भी श्रम करने वाला व्यक्ति ऐसा न रहे जिसका भरण-पोषण न हो सके । जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयाप्त भोजन वस्त्रादि मिलना ही चाहिए । श्री विनोदा ने कहा है—

‘जो भी शक्तियाँ हमारे पास हैं, उन्हे हम अपनी नहीं मानते (समाज की मानते हैं) । कोई भी व्यक्ति अपनी शक्ति भर समाज का पूरा काम करता है तो वह रोजी का हकदार हो जाता है । एक आदमी, जो बिना आँख का है, अपनी उस कमी के वावजूद जो कुछ बनाता है, पूरी शक्ति से सेवा करता है तो वह खाने का हकदार है । आँख वालों की अपेक्षा उसकी सेवा की मात्रा कम हो सकती है, जब कि उसने अपने पास की ताकत तो पूरी-पूरी लगादी । कम-ज्ञादा शक्ति के अनुसार पोषण में कमी-वेशी देने की कल्पना गलत है । पोषण भौतिक वस्तु है, सेवा नैतिक वस्तु है ! नैतिक वस्तु की कीमत भौतिक वस्तु में नहीं हो सकती । क्या ड्रवने वाले को बचाने वाले की दस मिनट की सेवा का मूल्य रोजी के हिसाब से आका जा सकता है ?’ *

समाज का बातावरण ऐसा होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार श्रम अवश्य करे, भले ही उसके काम की मात्रा कम हो । बिना श्रम किये, खाली बैठे मुफ्त का खाना अपमानजनक या अशोभनीय माना जाना चाहिए ।

मजदूरों को अपना दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता—

इसके अतिरिक्त मजदूरों को अपना दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। इस समय जैसे पूँजीपति कहता है कि मैंने अपने दुद्धि-बल से सम्पत्ति प्राप्त की है, उसी प्रकार मजदूर की भी वह मान्यता है कि जो थोड़ा-बहुत मेरे पास है, वह मैंने अपने श्रम से कमाया है। इस प्रकार जहाँ तक सम्पत्ति पर स्वामित्व की भावना का प्रश्न है मालिक और मजदूर की एक ही भूमिका, एक ही आधार है। यह भूमिका जैसे मालिक को बदलनी है, वैसे ही मजदूर को भी बदलनी है। मजदूर को समझना है कि मैं अपना कर्तव्य पालन कर रहा हूँ, जो काम में करता हूँ, वह स्वार्थ के लिए नहीं, वल्कि देश और समाज के लिए कर रहा हूँ। मैं समाज और देश का सेवक हूँ। इस सच्चाई को हृदयगम करके, मजदूर उतने ही पारिश्रमिक की माँग करे, जितना उसके लिए बहुत जरूरी हो, और इस पारिश्रमिक को लेते हुए वह अविक से अधिक श्रम करे। वर्तमान अवस्था में तो वह जो श्रम करता है, वह कर्तव्य-भावना से नहीं, लान्चारी से करता है। इसलिए यथासम्भव उसे टालने की इच्छा रखता और कोशिश करता है। भजदूरी बढ़ने पर भी वह काम कम से कम करता है। नतीजा यह होता है कि उत्पादन यथेष्ट नहीं बढ़ने पाता।

श्री जयप्रकाश नारायण ने कहा है कि ‘ससार में पिछले १५० वर्षों से मजदूर आन्दोलन चल रहा है। परन्तु वह यशस्वी हुआ हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता। सम्पत्तिदान के जरिये हम उसे भी नयी दृष्टि देना चाहते हैं। हमें मजदूरों से कहना चाहिए कि यदि तुम केवल अपने ही हित के लिए सघर्ष कर रहे हो तो इससे समाज की क्या भलाई होने वाली है। शोपित और शोपक के भगड़े में समाज का कौन सा कल्याण निहित है। आज तक मजदूर आन्दोलन केवल निजी स्थायों के सघर्षों पर आवारित है। इससे समाज को लाभ के बदले हानि ही होती है। अब तो मजदूर को अपनी नैतिकता पर खड़े होकर गत्ति-भर सेवा करना है और आवश्यकनानुसार लेना है। मजदूर आन्दोलन यदि यह स्वरूप ग्रहण करे तो निश्चय ही समाज में एक विजली दौड़ जायगी, उसमें नये जीवन का सचार हो जायगा।’

बुद्धिजीवी क्रान्ति की ओर बढ़ें —ऊपर श्रमजीवियों की बात कही गयी है। बुद्धिजीवियों को भी अपनी दृष्टि बदलनी और शरीर-श्रम को प्रतिष्ठा देनी है। इस समय समाज में बुद्धिजीवी अपने आपको श्रेष्ठ मानता है, और श्रमजीवी हीन। बुद्धिजीवी अपने धन या बुद्धि के बल से अधिक पैसा कमाता है, जबकि श्रमजीवी बड़ी मुश्किल से अपना गुजर-बसर कर सकता है। इससे श्रमजीवी बुद्धिजीवी बनने की इच्छा रखता है। अगर सब लोग बुद्धिजीवी बन जाय तो क्या समाज एक दिन भी टिक सकेगा। हमारी सामाजिक विचारधारा में यह क्रान्ति होने की जरूरत है कि श्रमिक का जीवन बुद्धिजीवियों की अपेक्षा अधिक प्रतिष्ठित है। यदि समझदार बुद्धिजीवी क्रान्ति की दृष्टि से कुछ अश में भी मजदूर की तरह काम करेंगे तो उसका असर साधारण मजदूरों पर भी पड़ेगा और सोहवत सगत से उनका मानस सुधारने में और ईमानदारी से काम होने में मदद मिलेगी।^१

मजदूरी सम्बन्धी आदर्श, गाँधी जी के विचार—गाँधी जी ने कहा था—‘मैं तो मानता हूँ कि आदर्श स्थिति में वैरिस्टर और भगी दोनों को एक ही वेतन मिलना चाहिए। परन्तु और सब की तरह मैं भी जानता हूँ कि दुनिया भर के सारे समाज इस आदर्श से दूर है। मैं यह भी जानता हूँ कि वैरिस्टर को जितना मिलता है, उसका वह हकदार नहीं है। परन्तु मुवक्किल खुशी से उसे भारी फीस देते हैं। और नीचे आवे तो लोग दर्जा को चार रु० रोज खुशी से देंगे, मगर मेहतर को आठ आने रोज से ज्यादा नहीं देंगे। सारे समाज को कमाई के एक ही स्तर पर लाने के लिए उसे धीरज के साथ सतत शिक्षा देने की जरूरत है। इसलिए ऊचे और नीचे दर्जे के कर्मचारियों के बेतनों के बीच की खाई पाठने की तमाम कोशिशों की जानी चाहिए।’^२

विशेष वक्तव्य—जो सर्वोदय समाज हमारा आदर्श है, उसमें कोई व्यक्ति किसी भी उपयोगी कार्य से बचने का विचार नहीं करेगा, शरीर-श्रम

^१‘भाष्ट’, मार्च-अप्रैल १९५२ में प्रकाशित श्री श्रीकृष्णदास जाजू के लेख से।

करने की सब को इच्छा होगी, कोई कार्य धर्टिया दर्जे का नहीं माना जायगा। उस दशा में आदमी, परिवार या गाँव अधिक से अधिक स्वावलम्बी होगा, यदि किसी को दूसरे की सहायता और सहयोग की जरूरत होगी तो वह सहर्ष सेवा-भाव से टी जायगी, उसमें किसी तरह के स्वार्थ सिद्ध करने की भावना न होगी। मालिक और नौकर, हजूर और मजूर आदि का भेद न होगा। सभी मालिक होंगे, और सभी नौकर भी। इस प्रकार अम की व्येष्ट महत्ता होते हुए पारिश्रमिक या मजदूरी की विषमता या कमी न होगी और इससे सम्बन्धित विविव प्रश्न भी उपस्थित न होंगे।

वर्तीसवां अध्याय

सूद

सूद एक ऐसी बला है, जिसने समाज में कहीं टीले खड़े कर दिये हैं और कहा, पोखर खोद दिये हैं। सूद समता के लिए बहुत कड़वा विष है।

—भगवानदीनजी

रूपये का कोई व्याज न होना चाहिए, क्योंकि रूपया स्वयं कुछ उत्पन्न नहीं कर सकता। रूपया औद्योगिकता को प्रोत्साहन देने का एक-मात्र अथवा मुख्य साधन नहीं है, और न ही उसे बनाया जाना चाहिए।

—किशोरलाल मश्रूवाला

पूँजी का व्यवहार करने-देने के बदले में पूँजी वाले को पूँजी के अतिरिक्त जो द्रव्य दिया जाता है, उसे सूद या व्याज कहते हैं। इस अध्याय में हमें यह विचार करना है कि वर्तमान काल में यह क्यों लिया या दिया जाता है, तथा इस पद्धति में क्या दोष है, और क्या सर्वोदय समाज-व्यवस्था में भी इसका कोई स्थान होगा।

सूद का विचार, पूँजी का विश्लेषण — सूद के प्रश्न पर विचार करने के लिए हमें याद रखना चाहिए कि पूँजी में तीन चीजों का समवेश होता है—शोषित या अपहृत श्रम, विशेष सुविधाओं के कारण होने वाला अतिरिक्त उत्पादन, और विविध उपकरण या औजार आदि। अब इनमें प्रत्येक के सम्बन्ध में अलग-अलग विचार करें।

(१) यदि पूँजीपतियों के पास जो पूँजी है, वह उन्होंने मजदूरों को कम मजदूरी देकर, अर्थात् उनके हिस्से की कुछ-कुछ सम्पत्ति अपने लिए बचाकर संग्रह की है, तो यह उनके द्वारा मजदूरों का शोषण किये जाने से जमा हुई है।

इस पर वास्तव में उनका कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार इस पूँजी के उधार देकर उस पर सूद लिया जाना ठीक नहीं है।

(२) यदि पूँजी विशेष सुविधाओं के कारण उत्पन्न हुई हे तो उसका लाभ किसी खास व्यक्ति या सम्पत्ति को न मिलकर समाज को मिलना चाहिए, कारण, विशेष सुविधाओं का ब्रेन किसी एक को नहीं। इस प्रकार किसी का अपनी पूँजी के लिए दूसरों से व्याज चाहना अनुचित है।

(३) उपकरण या औजारों की वात लीजिए। यदि किसी उपकरण का हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, और वह हमारे किसी दूसरे भाई के काम आ सकता है, तो हमें उसको उससे काम लेने की सुविधा सहर्प और स्वेच्छा पूर्यक दे देनी चाहिए। गावों में इस समय भी अनेक आदमी परस्पर में ऐसा व्यवहार करते हैं। इसमें कुछ प्रतिफल (सूद) लेने की वात बहुत जुद्रता और सकीर्ण स्वार्थपरता की स्वत्क है।

धन तो श्रम से ही पैदा होता है—पहले कहा जा चुका है कि आज-कल आदमी अपने बन को टिकाऊ बनाने तथा उसे सुविधा-पूर्वक रखने के लिए सोना चादी या सिक्कों के रूप में बदलते रहते हैं। वे इसकी सुरक्षा और बृद्धि के बास्ते चिन्तित रहते हैं, और तरह तरह के उपाय काम में लाते हैं। अगर यह द्रव्य जमीन में गड़ा रहे, या आलामारी में बन्द रहे और इससे खेती या उत्पादक कार्य न किया जाय तो इसमें कोई बृद्धि न हो। तथापि इस द्रव्य का स्वामी जब इसे दूसरों को उधार देता है तो वह इसे एक मेहर बानी का काम समझता है और व्याज लेने की शर्त पर ही उधार देता है। परन्तु उधार लेने वाला भी अगर इसे कहीं बन्द करके रख लोडे तो इससे कुछ द्रव्य पैदा न होगा। इसलिए वह इस द्रव्य से उत्पादक कार्य करने के लिए आवश्यक साधन जुटाता है और श्रम करता है। इस श्रम के कारण ही वह इस द्रव्य को इतना बढ़ा लेता है कि उत्पादाता को उसकी रकम व्याज सहित लौटाने पर स्वयं अपने लिए भी कुछ बचा सकता है। इससे स्पष्ट है कि स्पष्ट धैदा करने का काम द्रव्य नहीं करता, श्रम करता है। बिना श्रम के स्पष्ट की कुछ बृद्धि नहीं हो सकती।

सूद का विरोध—आजकल प्रायः सभी आदमी सूद लेते हैं, इस लिए सूद के उचित होने से कोई शका नहीं की जाती। तथापि समय-समय पर

अनेक सज्जनों ने इसका विरोध और निन्दा की है। सभी सुख्य धर्मों ने इसे बुरा बताया है। इसलाम ने इसका स्पष्ट निषेध किया है। उपनिषदों में कहा गया है, 'शमल कुसीदम्' अर्थात् व्याज पाप है। ईसाई धर्म में भी इसे अनुचित माना है, तभी तो ईसाई समाज में यहूदी (सूद लेने के कारण) बहुत तिरस्कार भाव से देखे जाते हैं। सूद के शब्दार्थ की बात लीजिए। सस्कृत में व्याज शब्द का अर्थ ढोग या बहानेवाजी है। इस भाषा में व्याज के पर्यायवाची शब्द 'कुसीद' के आरम्भ से जो 'कु' उपसर्ग है, वह कृतित के अर्थ में आता है। अग्रेजी में सूद के लिए 'इन्टेरेस्ट' शब्द है, उसका अर्थ स्वार्थ भी है।

महाभारत में इस विषय की एक बड़ी विचारोत्तेजक कथा है। एक चाडाल कन्या मरे हुए कुत्ते के मास को खाने के लिए चिता की अग्नि पर पका रही थी। उसने आते-जाते राहगीरों को कहा कि मैं रसोई बना रही हूँ तुम लोग दूर रहो अपनी छाया से या स्पर्श से इसे भ्रष्ट न करो। इस पर वहा पास में रहने वाले मुनि ने उस कन्या से पूछा कि चिता पर पकाये हुए मरे कुत्ते के मास को खाने वाली तुम्ह चाडाल कन्या से अधिक पापी ऐसा कौन हो सकता है जिसका स्पर्श तेरे भोजन को अशुद्ध करदे। कन्या ने जवाब दिया, ऋण का व्याज लेने वाला धनिक, लड़की का पैसा लेने वाला वाप, झूठी गवाही देने वाला, और किसी का विश्वास-घात करने वाला ऐसे अनेक व्यक्ति मेरी अपेक्षा सैकड़ों गुने पापी हैं।' इससे स्पष्ट है कि महाभारत-कार ने व्याज लेने को कितने बड़े पापों में गिना है।

सूद का व्यवहार—सूद का इतना विरोध और निन्दा होते हुए भी अधिकाश आदमी इसकी आमदनी से परहेज नहीं करते। उपर्युक्त विरोध और निन्दा से यह भी सिद्ध होता है कि सूद लेने का रिवाज बहुत पुराना और व्यापक है, तभी तो प्राचीन साहित्य में इस का उल्लेख पाया जाता है। प्राचीन काल में सूद का इतना विरोध सम्मवतः इस लिए किया गया है कि उस समय बहुत दुखी और लाचार आदमी ही ऋण लेते थे और उनसे सूद लेना बड़ी निर्दयना या वेरहमी का काम समझा जाता था। आजकल तो बड़े-बड़े धनवान तक ऋण लेते हैं, जिससे वे अपना धन और अधिक बढ़ा सके। इस प्रकार सूद लेने देने का आजकल एक आम रिवाज है। इसकी निन्दा या विरोध

की बात कुछ इने-गिने साथु महात्माओं तक या कुछ ग्रन्थों में ही सीमित है।

मूँद की आय से हमारा तथा हमारे उत्तराधिकारियों का अनिष्ट—आजकल वहुतों की यह इच्छा रहती है कि जल्दी ही हमारे कागेवार से इतनी जमा-पूँजी डक्ट्री होजाय कि हमारा ऊम उसके व्याज से ही चलता रहे। हमें कुछ हाथ-पाव न चलाना पड़े। इस प्रकार हम सट्टखोरी से स्वयं अपने आपकी आलसी और सुफ्टखोर बनाते हैं। यही नहीं, यदि सभव हो तो हम अपने बालकों के लिए भी इतना छोड़ जाना चाहते हैं कि उन्हें हाथ पाव न हिलाना पड़े और आराम से, व्याज की आमदनी से, मौज उड़ाते रहें। इस सम्बन्ध में श्री अप्या पटवर्धन के आगे दिये विचार वहुत माननीय है—

‘सम्पत्ति का बहुत सच्चर होने से आलस्य, विलास तथा व्यसन बढ़ते हैं। पुत्र को उत्तराधिकार में सम्पत्ति देना उसको विपत्ति में ढकेलना ही है। जो पिता अपने पुत्र के लिए निर्जाग सम्पत्ति का नहीं, प्रत्युत विद्या, चारिच्य, पुस्तार्य इत्यादि जीवित सम्पत्ति का उत्तराधिकार रखेगा, वही उसका सज्जा हितैषी है।’

‘अपनी पूर्व पुरुषार्डि पर आज, या पूर्वजी के पुण्य पर इस जन्म में सुख भोगना या बड़ापन वधारना कम-से-कम आज तो एक तरह से अपनी अयोग्यता प्रकट करने के वरावर है। बूढ़े भी अपनी भलमनसाहत पर जिये, यह उत्तम पक्ष है। युवावस्था में किये पुरुषार्य पर जीता मव्यम पक्ष है, एवं पूर्वजों के कर्तृत्व पर जीना अधम पक्ष है। तो जा अब खाना उत्तम पक्ष है, सदेरे या दोपहर का दूसरी जूत सायकाल खाना मव्यम पक्ष है। लेकिन कल परसों का बासी अब खाना तो देन्य ही है। लगान या व्याज की आमदनी बासी अब ही है।’

मूँद नहीं रहना चाहिए—ऊपर कहा जा चुका है कि रुपया-पेसा हमारे पास पड़ा-पड़ा (विना हमारे श्रम के) कोई धन पैदा नहीं करता, वह व्यर्थ में जगह घेरे रहता है। हम चिन्ता रहती है कि कोई इसे चुरा न ले जाये और इसको ले जाने के लिए हमारी जान का ही प्राहक न बन जाये। क्या वह अच्छा नहीं

* ‘गाँव का गोकुल’ पुस्तक से।

है कि कोई पुरुषार्थी अमजीवी उसका उपयोग करे, और पीछे हमारी जरूरत के समय हमें लौटा दे ? ऐसा आदमी रूपये की सुरक्षा के लिए हम से कुछ मेहनताना मागे तो क्या बुरा है ! पहले ऐसा होता भी था । बड़े-बड़े महाजन या सेठ दूसरों की अमानते अपने यहाँ रखते थे तो वे उनका व्याज देने के बदले, उनकी रखवाली का शुल्क लेते थे । अब भी बहुत से वैकं आदि छोटी-छोटी रकमों पर व्याज नहीं देते, बल्कि उन्हें (तथा जेवर आदि) जमा रखने की फीस लेते हैं ।

अब साधारण अर्थव्यवस्था दूसरी ही है । जो आदमी हमारी चीज की रखवाली करता है और उसकी चिन्ता से हमें मुक्त रखता है, उसका हम कुछ उपकार नहीं मानते, उलटा यह समझने हैं कि हम उस पर उपकार कर रहे हैं, और इस अजीव धारणा के आधार पर हम उससे व्याज मांगते हैं । हमारे लोभ, तृप्ति और परिग्रह की भी कुछ सीमा है । हम अपने पास की वेकार चीज का भी दूसरों को, अस्थायी रूप से भी, उपयोग करने देना नहीं चाहते । मानवता का तकाजा है कि हम कुछ ल्याग करके, कष्ट सह कर भी, दूसरों का हित साधन करे । निदान, सामाजिक परम्परा, दूसरों की लान्चारी आदि किसी भी कारण से स्पर्ये का व्याज लेना अनुचित है ।

श्री किशोरलाल मश्रूवाला ने अपनी 'जड़-मूल से क्रान्ति' पुस्तक में लिखा है—

'व्याज जैसी चीज रहने ही नहीं देनी चाहिए, बल्कि धन-संग्रह पर उलटे कटौती होनी चाहिए । जिस तरह वेकार पड़ा हुआ अनाज विगड़ कर या सड़कर कम हो जाता है, उसी तरह वेकार पड़ा हुआ धन कम होता है । वह विगड़ कर कम भले नहो, फिर भी उसे सम्भाल कर रखने की मेहनत तो पड़ती ही है । अगर सोने-चांदी को धन समझने की आदत न हो तो यह बात आसानी से समझ में आ सकती है । सोना-चांदी धन नहीं है, बल्कि विरलता, तेजस्विता वगैरह गुणों की वदौलत प्रतिष्ठा-प्राप्त आकर्षक पदार्थ मात्र हैं । वे पड़े-पड़े विगड़ते नहीं हैं, इतना ही इनके मालिक को इनका लाभ है । इस लाभ के लिए इन पर सरा दूकोई लाभ या व्याज लेने का कारण नहीं है ।'

श्री अप्पा पटवर्ड्द्धन के विचार— इस विषय में श्री अप्पा साहब का आगे दिया कदम भी विचारणीय है :- ‘जो आदमी अपनी कमाई में से कुछ बचाता है, उसका अपनी वचत पर अधिकार रहे, वह न्यायोचित और उच्चम-प्रेरक दोनों है। लेकिन सम्पत्ति सारी नश्वर होती है अर्थात् उसकी वचत भी नश्वर होगी, स्वभावतः घटती ही जायगी। वह वचत शाश्वत आमदनी का साधन न बनने पाये। सूक्ष्म के मानी शाश्वत आमदनी है। जमीन का लगान भी उसी स्वरूप का है। दोनों नाजायज हैं।’

‘सिक्के भी नश्वर हो’ :—सच्ची सम्पत्ति नश्वर ही होती है। लेकिन जब वह सिक्कों में बदल दी जाती है तब वह न केवल अमर बनती है, बल्कि बढ़ती भी जाती है। यह निसर्ग का भग है और इरका द्वाज करना चाहिए। ’५८ के सिक्के ’५७ में काम नहीं आने चाहिए। खजाने में उन्हें ’५७ के सिक्कों, में बदलना लाजमी रहे और परिवर्तन की फीस हर साल ४ टका रहे। ’५८ के १०० सिक्के = ’५७ के ८८ = ’५८ के ६२, ऐसा हो। अगर वह किसी को कर्जे के तौर पर दिये जाय तो साहूकार को दो फीसदी सूक्ष्म मिले अर्थात् कमी दो फीसदी ही हो।’

सर्वोदय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म का स्थान नहीं— वर्तमान अवस्था में लोगों को सूक्ष्म पर रुपया उवार लेने की जरूरत निम्नलिखित कारणों से होती है—

- १—अपने जीवन निर्वाह का कार्य करने के लिए।
- २—विवाह-शादी, जन्म-मरण, तीज त्योहार आदि सामाजिक आवश्यकताओं, या रीति-रस्म और विलासिता के लिए।

३—बहुत से मजदूरों द्वारा बड़ा-बड़ा उत्पादन कार्य करके मुनाफा कमाने के लिए।

सर्वोदय अर्थव्यवस्था में ये बाते नहीं रहेगी, इस लिए सूक्ष्म देने-लेने की भी जरूरत न होगी—

५ श्री अप्पा साहब ने ये विचार हमारे पास भेजे हुए अपने एक पत्र में सुनित किये हैं।

(१) जीवन-निर्वाह के लिए रूपया उधार लेने की आवश्यकता बहुत ही निर्धन और दीन दुखी आदमी को होती है। समाज में ऐसे व्यक्ति तभी होते हैं जब जनता में पारस्परिक स्नेह, सहयोग, सहानुभूति और वधुत्व नहीं होता, एक दूसरे का शोषण करता है, और दूसरों की अज्ञानता और लाचारी का लाभ उठाता है। जब प्रत्येक व्यक्ति यथा-शक्ति श्रम करेगा, और श्रम का यथेष्ट मान होगा, कोई भी श्रम-साव्य कार्य घटिया दर्जे का न माना जायगा, और प्रत्येक श्रमी को निर्वाह-वेतन या न्यूनतम वेतन मिलने की व्यवस्था होगी तो किसी को अपने निर्वाह-कार्य के लिए रूपया उधार लेने की आवश्यकता न होगी, और यदि किसी व्यक्ति को आवश्यकता भी हुई, तो वह अपेक्षाकृत धनबान व्यक्तियों से सहज ही मिल जायगा, जो अपने धन को समाज-सेवा का साधन मानते हुए उसे एक दृस्टी के तौर पर रखेंगे।

(२) जनता में यथेष्ट ज्ञान का प्रचार होने से सामाजिक रीति-रसमों या विलासिता में अनावश्यक धन व्यय करने की बात नहीं रहती। ऐसे ज्ञान का प्रचार करने की व्यवस्था सामाजिक शिक्षा द्वारा तथा लोकसेवी सज्जनों के व्यावहारिक जीवन के उदाहरणों द्वारा की जायगी।

(३) आजकल कुछ आदमी वडे पैमाने की उत्पत्ति के कार्य प्रायः इसलिए करते हैं कि उनसे बहुत आय होती है, और सब खर्च निकालकर भी उन्हें बहुत मुनाफा होता है। ये लोग अपनी बौद्धिक योग्यता का उपयोग स्वार्थ-साधन अर्थात् धनोपार्जन में करते हैं, जब कि असल में वह लोकसेवा के लिए होना चाहिए। सर्वोदय व्यवस्था में वडे पैमाने की केन्द्रित उत्पत्ति प्रायः बन्द हो जाने से लोगों को उसमें लगने वाली बड़ी पूजी की भी जरूरत न हुआ करेगी। यदि कुछ खास कार्य केन्द्रित उत्पादन पट्टियों से करने आवश्यक ही हुए तो वे सरकार द्वारा किये जा सकते हैं। शोषणहीन सर्वोदय समाज में सरकार या अन्य संगठनों को ऐसे कार्यों के लिए यथेष्ट पूजी विना व्याज के मिलने में कोई वाधा नहीं होगी, खासकर जब कि जनता में वह लोकसेवा का एक साधन मात्र माना जाय।

क्या वैकों से भी सूद न लिया जाय ?—एक प्रश्न है। एक आदमी अपनी बचत को सुरक्षित रखने के लिए किसी बैंक में जमा करता है तो

क्या वह उससे सावरण व्याज लेना छोड़ दे, जबकि वैंक अपने ग्राहकों वा कर्जदारों से हुशुना-तिशुना व्याज लेता है। हम पहले बता आये हैं कि सर्वाट्य व्यवस्था में वैंकों का उद्देश्य अपनी पूँजी बढ़ाना नहीं होना चाहिए और इसलिए उन्हें किसी से व्याज लेने की जरूरत नहीं, उन्हें तो धाया सहकर जनता का हित करना है। ऐसे वैंक किसी व्यक्ति का स्पष्ट व्याज पर जमा नहीं करेगे। पर अभी इस तरह के वैंकों का चलन नहीं हुआ है। इस दशा में जो आदमी सर्वोदय की भावना रखने वाला हो, वह अपनी वचत का स्वयं वैंक में केवल इसलिए जमा रखेगा कि वह सुरक्षित रहे। उसे व्याज का लोभ न होगा, और उसे वैंक द्वारा साधारण नियमानुसार जो व्यज मिलेगा, उसे वह अपने परिव्रम की कमाई न भानकर किसी लोकहित कार्य में लगाता रहेगा।

किसी को ऋण लेने की नौवत न आये—व्याज का अन्त करने के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि सावरण कार्यों के लिए किसी व्यक्ति को ऋण लेने की आवश्यकता न हो, यदि किसी विशेष कारण से किसी को कुछ खास खर्च करना हो तो उसका प्रबन्ध समाज अर्थात् स्थानीय जनता या पचायत आदि के द्वारा हो जाय। प्राय आदमियों पर ऋण उनकी लम्बी बीमारी, या विवाह शादी अथवा जन्म भरण सम्बन्धी रीति रिवाजों के कारण हुआ करता है। अगर आदमी थोड़ा विवेक तथा दूरदर्शिता से काम ले, तो ऐसे अवसरा पर होने वाला खर्च बहुत घट सकता है। फिर भी जो खर्च एक परिवार की सामर्थ्य से बाहर हो उसमें वस्ती वालों को हिस्सा बढ़ाना चाहिए। खासकर विवाह शादी का खर्च तो किसी का निजी या घर खर्च नहीं होना चाहिए, सारे गाव की तरफ से होना चाहिए। श्री विनोदा के शब्दों में ‘शादी के लिए किसी को कर्ज करना पड़े, वह बात सारे समाज के लिए दोष है। शादी तय करना माता-पिता का काम है, लेकिन उसके लिए खर्च सारा गाँव करेगा, क्योंकि वह एक सार्वजनिक काम है।’

विशेष वक्तव्य—सर्वोदय विचार यह है कि इस समय के सब कर्जदार ऋण-मुक्त हों, और भविष्य में कोई ऋणी न बने। हम अपनी-अपनी शक्ति भर इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहें। ऐसा लोकमत तैयार किया

जाना चाहिए कि सूद लेना (और देना) अनुचित है। जो ऋणदाता अपने कर्जदारों से (मूल-धन तथा व्याज के मद्दे) मूलधन के बराबर या उससे कुछ अधिक रकम ले चुके हैं, वे उनका पूरा ऋण चुका हुआ समझें। अन्य ऋणदाता भी उदारता और मानवता का व्यवहार करें। जो कर्जदार अपना और अपने परिवार का निर्वाह करने में भी असमर्थ है, उस पर कर्जा चुकाने के लिए जोर देना या कानूनी कार्रवाई करना इन्सानियत के खिलाफ है। कानून से भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई ऋणदाता अपने कर्जदार के जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं के साधनों में कमी न कर सके। एक अच्छे समृद्ध समाज में जिस प्रकार सूद लेना अनुचित है, उसी प्रकार किसी का कर्जदार होना भी शोभा नहीं देता। इन दोनों बातों को बद करने के लिए सब के अपना-अपना काव्य पालन करना चाहिए।

तैतीसवां अध्याय

मुनाफा

पानी बाढ़ो नाच में, घर में बाढ़ो व्राम ।
दोनों हाथ उलीचिये, यही सयानो काम ॥

—कवीर

मालिकों को चाहिए कि वे अपने धन के समाज के कल्याण के लिए ग्राम वरोहर माने, जो कुछ मुनाफा साल भर में हो, उसका एक भाग कारखाने के विकास में लगे और एक भाग मजदूरों में बाटा जाय और एक छोटा भाग मालिक को जाना चाहिए, लेकिन लगायी गयी रकम के व्याज और मुनाफे के रूप में नहीं, वल्कि उसकी सेवाओं, व्यवस्था-कौशल और योग्यता के वेतन के रूप में उसे मिलना चाहिए और उसका यह भाग आपस के समझौते से तय होना चाहिए।

—विनोदा

मुनाफे का अर्थ—किसी पदार्थ के कुल उत्पादन-व्यय और उसकी कीमत में जो अन्तर होता है, वह मुनाफा रहलाता है। आजकल उत्पादन-व्यय में उम पदार्थ के कच्चे माल के मूल्य के अनिरिक्त लगान, मजदूरी और सूट तो शामिल होते ही हैं। इनके अतिरिक्त उसमें औजारों और वत्रों की विसाई, विजापन, वीमा-खर्च, उसे लाने-लेजाने का यातायात खर्च भी गिना जाता है। अगर वह पदार्थ विजली या भाप आदि की चालक शक्ति से बनाया जाता है तो उसका खर्च भी उत्पादन-व्यय का अग है। इन सब खर्चों में कच्चे पदार्थ तथा लगान, मजदूरी और सूट का खर्च मुख्य और अनिवार्य होता है, अन्य खर्च ऐच्छिक हैं। उदाहरण के लिए यदि उसका वीमा नहीं कराया गया तो वीमा-खर्च नहीं होगा। यदि उस वस्तु को उत्पादन-स्थान में ही बेच दिया गया तो यातायात खर्च न होगा, और अगर उसमें किसी चालक शक्ति का

उपयोग नहीं हुआ तो उससे सम्बन्धित खर्च का भी प्रसग नहीं आयेगा। इस दशा में किसी वस्तु की कीमत में कञ्चे पदार्थ, लगान मजदूरी और सूद सम्बन्धी खर्च निकाल देने पर जो शेयर रहता है, वह मुनाफा है।

मुनाफा, वौद्धिक कार्य का फल—मुनाफे को व्यवस्था का प्रतिफल कहा जाता है। व्यवस्था में प्रबन्ध और साहस का समावेश माना जाता है। ये दोनों ही वौद्धिक कार्य हैं। प्रायः प्रबन्ध को निर्धारित वेतन या पुरस्कार दिया जाता है, जिसे वर्तमान अर्थशास्त्र में प्रबन्धक की कमाई कहते हैं। इस प्रकार वास्तव में मुनाफा केवल साहस का फल रह जाता है। साहस का अर्थ ‘हानि-लाभ की जोखम उठाना, किया जाता है, पर व्यवहार में यह लाभ या मुनाफे की आशा ही है।

शोषण पर निर्भर—साहसी अपने लाभ और स्वार्थ को दृष्टि में रख कर काम करता है। वह उत्पादन व्यय में अधिक से अधिक बचत करना चाहता है। वर्तमान अवस्था में वह जमीन वाले के लगान (किराया) और पूँजी वाले के सूद में विशेष कमी नहीं कर सकता। पर मजदूरों को अपना श्रम बेच डालने की जल्दी होती है, उनकी इस कमजोरी से साहसी परिचित होता है, इसलिए वह, जहाँ तक हो सकता है, कम मजदूरी देता है। जितना वह इन्हे कम देता है, उतना ही उसका मुनाफा अधिक होता है। सार यह है कि अन्य बातें समान होते हुए, श्रम का शोषण जितना अधिक होगा, मुनाफा उतना ही अधिक होगा।

मुनाफे की मर्यादा—वर्तमान व्यवस्था में हरेक उत्पादक तथा व्यापारी अधिक से अधिक मुनाफा लेना चाहता है, वह अपने मुनाफे की कोई सीमा रखने का विचार ही नहीं करता। एक मजदूर को आठ घटे तथा इससे भी अधिक समय काम करने से क्या मिलता है, इससे उसे कुछ मतलब नहीं होता। वह तो अपने धन का परिमाण बढ़ाने की फिक्र में रहता है। वास्तव में यह कार्य सेवा की दृष्टि से, कर्तव्य या धर्म मान कर किया जाना चाहिए। इसमें मुनाफे का सवाल नहीं उठता, हा, वाजिब मेहनताना मिल जाना चाहिए।

मुनाफे का अधिकार व्यक्तियों को होने से हानि—साहसी या उत्पादक अपने मुनाफे के सामने समाज की हानि का विचार नहीं करता। अनेक

दशाओं में वह ऐसा उत्पादन करता है, जिससे उसका खूब स्वार्थ-सिद्ध हो, भले ही उससे समाज को कितनी ही हानि हो। आज दिन हम अनेक न्यानों में भोजन-वस्त्र की कमी होते हुए भी बाजारों की दूकानों को फैशन और जौकीनी की तरह-तरह की आकर्षक वस्तुओं से भरी देखते हैं। बनस्पति तेल के बड़े-बड़े कारखाने खोले जाते हैं, खाने-पीने की अनेक स्वादिष्ट या जायकेटार और चटपटी मसालेदार चीजों का प्रचार किया जाकर जनता का स्वास्थ्य नष्ट किया जाता है। यही नहीं, हिन्दूक अख-शब्दों को बड़े-बड़े पेमाने पर बनाया जाता है, तथा युद्ध-ज्वर फैला कर उन्हें खरीदने के लिए विविध राष्ट्रों को लालायित किया जाता है—इन सब बातों के मूल में उत्पादकों की मुनाफेखोरी की मनोवृत्ति ही तो है।

इस दृष्टि से (तथा पूजी और श्रम का सधार्प हटाने के लिए) कुछ लोगों का विचार है कि उत्पादन में जो लाभ हो, उसमें मजदूरों का भी काफी भाग हो। मुनाफे का निर्धारित भाग रक्षित धन में लिया जाकर जो वचे वह मालिकों और श्रमजीवियों में आधा-आधा बाट दिया जाय। पर यह योजना भी ठीक नहीं है, मालिकों या पूजीपतियों की सख्ता मजदूरों से कम होती है। इसलिए इस योजना से प्रत्येक मालिक के हिस्से में एक-एक श्रमजीवी की अपेक्षा बहुत अधिक वन आयगा, और आर्थिक विषमता बनी रहेगी। दूसरे, एक ही स्थान में एक उद्योग में दूसरे की अपेक्षा अविक मुनाफा होने की दशा में उस उद्योग के मजदूरों को दूसरे उद्योग के मजदूरों की अपेक्षा अविक आय होगी, वह भी ठीक नहीं। इस प्रकार मुनाफे के बटवारे की योजना भी व्यथेष्ट हितकर नहीं।

मुनाफे का अधिकार समाज को होना चाहिए—निदान, मुनाफे पर अविकार न तो एक व्यक्ति का हो, और न कुछ योड़े से व्यक्तियों का, वह समाज की चीज मानी जाय, वैसे भी मुनाफा वौद्धिक कार्य का फल है, जो समाज-सेवा के लिए होना चाहिए। जैसा कि श्री काका कालेलकर ने कहा है—

‘पूजीपति को स्वत्व का अधिकार सिर्फ उसकी मेहनत के जितना ही होना चाहिए। वाकी की पूजी और मुनाफा वह समाज-सेवा के लिए ही अपने पास रख सकता है। ..आज जो उसकी निजी सम्पत्ति मानी जाती है, वह सचमुच समाज की मूक सम्मति से उसके पास धरेहर

के रूप में है। राष्ट्र-हित के लिए अगर कोई जमीन, कारखाना या पूँजी देनी पड़ती है, तब प्रतिमूल्य के रूप में वह उसकी बाजार कीमत नहीं ले सकता। वह तो अधिक से अधिक अपनी जिन्दगी भर की मेहनत का मूल्य मांग सकता है। मुनाफा तो उसका कभी था ही नहीं। मुनाफा तो समाज का है। उस पर अगर व्यक्ति का अविकार माना जाय तो कारखाने के पुराने-नये सब के सब कर्मचारियों का भी उसपर अधिकार है। समाज ही उन सब का प्रतिनिधि है' [‘सर्वोदय’, अगस्त १९४६]

स्वेच्छा-रूपक त्याग का विकल्प, राष्ट्र-स्वामित्व—क्या पैसे बालों से अपनी सम्पत्ति का मोह छोड़कर उसके द्रस्टी बन जाने अर्थात् उसका केवल धरोहर के रूप में उपयोग करने की आशा की जा सकती है? आशा तो रखनी ही चाहिए। मनुष्य में ऊँचा उठने की, त्याग और सेवा-भाव का परिचय देने की असीम सम्भवनाएँ हैं, वह नर से नारायण बन सकता है। अच्छा है कि धनी लोग स्वेच्छा से सामाजिक भावना और अपरिश्रित स्वीकार करें। अन्यथा वे ऐसी स्थिति के निर्माण के लिए उत्तरदायी होंगे, जब इसके लिए बल का या कानून का आसरा लिया जायगा। निदान, धनवानों के सामने दो विकल्प हैं, वे स्वेच्छा से उसे सामाजिक कार्य के लिए लगायें, अर्थात् समाज की ओर से उसके द्रस्टी होकर रहें, अन्यथा उस सम्पत्ति पर राष्ट्र का अर्थात् सरकार का स्वामित्व होने वाला ठहरा।

सर्वोदय अर्थव्यवस्था में मुनाफे का स्थान नहीं—मुनाफे का प्रश्न खासकर वडे पैमाने के केन्द्रित और विजली आदि शक्तियों से चलाये जाने वाले यत्रोदयों में होता है, ये सर्वोदय अर्थव्यवस्था में बहुत ही सीमित होंगे, और जो होंगे भी उनपर समाज का अविकार होगा, उनका सचालन सरकार द्वारा होगा। इस अर्थव्यवस्था के अनुसार उत्पादन-कार्य का आधार स्वावलम्बन, और उसकी पद्धति विकेन्द्रीकरण की होगी। इस प्रकार इसमें मुनाफे का स्थान न होगा।

आजकल उत्पादन के अतिरिक्त व्यापार में भी खूब मुनाफा लिया जाता है। यह खुले आम कहा जाता है कि व्यापार में भूठ बोले बिना काम नहीं चलता। इस प्रकार व्यापार के नाम पर जो लूट चल रही है वह किसी भले आदमी या

अच्छे समाज को शोभा नहीं देती। अस्तु, सर्वाद्य विचारधारा के अनुसार व्यापार एक सेवा-कार्य है, इसमें मुनाफे की भावना नहीं होनी चाहिए। श्री विनोदा ने कहा है—‘वाणिज्य को गीता के अर्थ में अगर हम वर्म मान लेते हैं, तो मुनाफे का सवाल ही नहीं उठता। किसान और आम जनता हमारी मालिक है, और हमें मालिक की सेवा करनी है। इसलिए मजदूर और किसान जो कुछ निर्माण करता है, उसके वितरण में हमें सिर्फ मेहनताना लेना है और हर वक्त यह सोचना है कि देश की सामग्री कैसे बढ़ सकती है। आठ घन्टे काम करके मजदूर केवल एक रूपगत पाये, और ध्वापारी एक हजार तो यह वर्म नहीं है। धर्मयुक्त व्यापार में न मुनाफा होना चाहिए न वाटा।’

मुनाफे विना काम कैसे होगा ?—यह कहा जा सकता है कि अगर लोगों को मुनाफा कमाने का अवसर न मिलेगा तो वे उत्पादन या व्यापार कार्य में उत्साह और स्फृति कैसे प्राप्त करेंगे। स्मरण रहे कि मुनाफा कमाने या निजी सम्पत्ति रखने की मनोवृत्ति का मूल कारण यह है कि इस समय समाज में वैसे वालों का आदर है। पर यह मटा रहने वाला नहीं है। समाज अपना कल्पणा चाहता है तो उसे पैसे को उसके कृत्रिम उच्च स्थान से अपदस्थ करना ही होगा। और, क्या आज भी समाज में सेवा, ल्याग और श्रम की महिमा—वह सीमित क्षेत्र में भले ही हो—नहीं है? माता पिता अपनी सतान के लिए, भाई अपनी बहिन के लिए, बहिन अपने भाई के लिए, अनेक व्यक्ति अपने मित्रों या रिस्तेदारों के लिए विविध कष्ट सहते हैं, और कितने ही सत प्रकृति वाले तो अपने पराये का भेद हटा कर किसी भी व्यक्तिके लिए ल्याग-भाव का परिचय देते हैं। क्रमशः यह भावना बढ़ेगी। आठमीं यह समझेग कि किसी कार्य की उपयोगिता की कसौटी यही है कि उससे कितना आत्मिक सुख और सतोष मिलता है।

विशेष वक्तव्य—आशा है प्रत्येक देश में स्थान-स्थान पर कुछ माई के लाल अपने उदाहरण से ऐसी भावना के प्रचार और विस्तार में सहायक होंगे, क्रमशः अनुकूल वातावरण बन जायेगा, और हमारी कर्तव्य-बुद्धि ही हमें व्यक्तिगत पराक्रम के लिए यथेष्ट प्रेरक सिद्ध होगी। अस्तु, सर्वोदय अर्थव्यवस्था में सामाजिक मूल्यों की फिर से स्थापना होगी, और मुनाफे का महत्व न रहेगा।

चौतीसवां अध्याय

आर्थिक समानता

आर्थिक समानता के लिए काम करने का मतलब है, पूँजी और मजूरी के भगाड़ों को हमेशा के लिए मिटा देना। इसका अर्थ यह होता है कि एक और से जिन मुँड़ी भर पैसे वालों के हाथ में राष्ट्र की सम्पत्ति का बड़ा भाग इकट्ठा हो गया है, उनकी सम्पत्ति को कम करना और दूसरी ओर से जो करोड़ों लोग अधपेट खाते और नंगे हैं, उनकी सम्पत्ति में बृद्धि करना।

—गांधीजी

मनुष्य को उतना ही रखने का अधिकार है, जितना उसे अपना पेट भरने के लिए जरूरी है। इससे ज्यादा रखने वाला चोर है और दण्ड देने योग्य है।

—भगवत्

इस खण्ड के पिछ्ले अव्यायों से यह स्पष्ट है कि यदि लगान, मजदूरी, सद्द और सुनाफे के बारे में प्रचलित विचारधारा को त्याग कर यथेष्ट सुधार कर लिये जाये तो आर्थिक विषमता न रहे। तथापि आर्थिक समानता का प्रश्न इतने महत्व का है कि इस पर अलग विशेष रूप से विचार किये जाने की जरूरत है।

आर्थिक समानता, का अर्थ, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार—आदमी आर्थिक समानता का अलग-अलग अर्थ लेते हैं, इसलिए पहले यह जान लेना चाहिए कि इसका वास्तव में क्या अर्थ है, या समझा जाना चाहिए। इस विषय में गांधीजी ने कहा है—

‘आर्थिक समानता की मेरी कल्पना का यह अर्थ नहीं कि हरेक को शब्दशः एक ही रकम दी जाय। उसका सीधा-सादा मतलब यह है

कि हरेक स्त्री या पुरुष को उसकी जरूरत की रकम मिलनी ही चाहिए। मसलन, सर्दियों में मुझे जो दुशाले की जरूरत पड़ती है, जबकि मेरे भतीजे के लड़के, कनुगाधी को, जो मेरे पुत्र के समान है, एक भी गरम कपड़े की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे वकरी के दूध, सतरे और दूसरे फलों की जरूरत होती है, कनु का काम मामूली खुराक से चल जाता है। मेरे खाने का खर्च कनु से ज्यादा आता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम दोनों में आर्थिक असमानता है। आर्थिक समानता का सच्चा अर्थ है—हरेक को उसकी जरूरत के मापिक दिया जाय। मार्क्स की व्याख्या भी यही है। अगर कोई अकेला आदमी एक औरत और चार बच्चों वाले आदमी के बराबर की माग करता है तो इसको आर्थिक समानता का भग कहा जायगा।'

इस प्रकार आर्थिक समानता का अर्थ यह है कि हरेक को उसकी जरूरत के अनुसार मिले, न कम, न ज्यादा। इस प्रसंशा में अमीर गरीब, शहरी और ग्रामीण, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग आदि के भेद-भाव को लक्ष्य में रखकर लोगों की आवश्यकताओं में अन्तर समझना भ्रम-मूलक और अनिष्टकारी है। यह 'उपयोग का लक्ष्य' अव्याय में स्पष्ट किया जा चुम्बा है।

आर्थिक समानता न होने के कारण—आर्थिक समानता की स्थापना के सम्बन्ध में विचार करने के लिए यहें जानना आवश्यक है कि इस समय यह समानता क्यों नहीं है। वर्तमान आर्थिक विषयता का मुख्य कारण यह है कि अब बहुत सी उत्पत्ति गृह-उद्योग और ग्रामोद्योगों के बजाय केन्द्रीकरण पद्धति से कल-कारखानों में होती है, जिन पर कुछ इनें-गिने व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, इसी प्रकार भूमि के मालिक भी उसके जोतने वाले हजारों और लाखों किसान न होकर मुट्ठी भर जमीदार जागीरदार आदि हैं। फिर, इस समय पैसे की अर्थव्यवस्था है, उत्पादन का उद्देश्य जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं, पैसा कमाना है। पहले किसी आदमी के पास कुछ अधिक धन होता था तो वह जिन्स के रूप में होता था। अब आदि पदार्थ ऐसे हैं, जिनका सग्रह थोड़े ही समय के लिए और एक सीमित परिमाण में ही हो सकता है। अधिक समय का होने पर इनके खराब या नष्ट हो जाने

की आशका होती है। इसलिए पहले जब कोई धनी व्यक्ति देखता कि उसके पास रहने वालों को इनकी आवश्यकता है, तो वह सहर्ष उनके लिए ये चीजें दे देता था। पर अब मुद्रा का चलन है। वैको मे किसी-किसी आदमी का हजारों और लाखों रुपया जमा है। इस धन के पुराना होरुर खराब या नष्ट होने की आशका नहीं। इसलिए अकाल या दूर्भिक्ष के अवसर पर भी आदमी अपने भूखे-नगे भाइयों की जरूरतों की परवाह न करके वैको की जमा को सुरक्षित रखने, और बढ़ाने की बात सोचते रहते हैं।

असमानता से हानि; भुखमरी और नैतिक पतन—इस प्रकार समाज मे कुछ व्यक्ति तो बहुत अधिक धनवान और दूसरे बहुत अधिक दरिद्र हो जाते हैं। निर्धन लोगों को भोजन-वस्त्र आदि का कष्ट होने की सहज ही कल्पना की जा सकती है, पर धनवानों की भी हानि होती है, आर्थिक नहीं, नैतिक। लोकहित की चिन्ता करने वाले गावीजी यह अनुमत करते थे कि ‘धनी लोग वस्तुओं का अतिरिक्त संग्रह भी रखते हैं, जिसकी उन्हे आवश्यकता नहीं होती। फल-स्वरूप उसकी उपेक्षा और वरवादी होती रहती है, जबकि पोषक पदार्थों के अभाव मे लाखों आदमी भूखे मर जाते हैं।’ दक्षिण अफ्रीका मे उन्होंने यह भी देखा था कि ‘लगभग बिना किसी अपवाद के, जिनके पास जितना अधिक सचय है, उनमे उनना ही अधिक नैतिक पतन है। इस प्रकार आर्थिक विषमता समाज करके समानता स्थापित करने मे ही जनता का कल्याण है।

आर्थिक समानता की स्थापना के लिए अपरिग्रह की आवश्यकता—ऊपर कहा गया है कि आर्थिक समानता की दृष्टि से प्रत्येक आदमी को उसकी आवश्यकता के अनुसार मिलना चाहिए। पर प्रश्न यह होता है कि किसकी जरूरत कितनी है। यह तो स्पष्ट ही है कि मनुष्य की वास्तविक या बुनियादी आवश्यकताओं के विषय मे कोई विवाद नहीं होता। एक परिवार मे यदि एक आदमी की खुराक का परिमाण अधिक है या उसकी आयु या तन्दुरस्ती की दृष्टि से उसे कुछ विशेष ऐसी वस्तुओं के सेवन की आवश्यकता है, जो अपेक्षाकृत अधिक कीमती है तो इसमे कोई

झगड़ा नहीं होता। पर जब कोई आदमी स्वाद के लिए तरह-तरह के कीमती पदार्थ खाता है, अथवा शौकीनी के लिए बढ़िया कपड़े पहनता है, या परिग्रह की भावना से कई-कई जोड़ी कपड़ों का सबह रखता है, जबकि उसके दूसरे भाई वहिनों की साधारण आवश्यकता भी प्रीरी नहीं होती—कोई भूखा रहने को, कोई दिगम्बर-मेप रखने को, और कोई अद्वा-नग्न रहने को चाह तो—तो आपस में ईर्ष्या होने वाली टहरी। मकान की बात लीजिए, दो आदमियों के पास अपने रहने के साधारण न्यूच्छ, मकान हो तो उनके आकार प्रभार में कुछ अन्तर होना नहीं अखरता। अखरने वाली बात तो यह होती है कि एक दो पास कई-कई मजिलों के विशाल सुन्दर सजे हुए दण्ड-भवन हों, और दूसरों के पास घास-फूस की टूटी-फूटी झोपड़ी ही हों, अथवा उसका भी अभाव हो।

इसी प्रकार बनवानों के धरों से विविव प्रभार का सामान या सम्पत्ति देन कर यह सहज ही स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने कितनी चीजे ऐसी सब्रह कर रखी हैं, जिनकी उन्हे वास्तव में आवश्यकता नहीं है, परन्तु जिनके लिए उनके मन में वासना या मोह है। निदान, विप्रमता का मूल कृत्रिम आवश्यकताएं और परिग्रह की भावना है। आर्थिक समानता लाने के लिए अपरिग्रह की निनान्त आवश्यकता है।

स्वामित्व विसर्जन—समाज में आर्थिक समानता स्थापित करने का प्रश्न इसीलिए सामने आता है कि अभी आर्थिक विप्रमता है। और, आर्थिक विप्रमता का मूल है लोगों की निजी सम्पत्ति की भावना। आदमी सम्पत्ति के जुटा-जुटा ढुकड़ों पर अपना स्वामित्व अविचार मानते हैं, और किसी का हिस्सा बहुत कम है, और किसी का बहुत अधिक। इसी से सब ईर्ष्या, कलह या झगड़ा है। स्पष्ट है कि यदि समाज में स्वामित्व-विसर्जन की भावना यथोट रूप में हो जाय, सम्पत्ति का सब लोग एक परिवार के सदस्यों की तरह समान रूप से उपयोग करने लगे तो फिर कोई विवाद रहने की गुजार न हो।

विचार कर देखा जाय तो सम्पत्ति का कोई भी भाग किसी व्यक्ति विशेष द्वारा उत्पन्न किया हुआ नहीं है, उसे पैदा करने में अनेक आदमियों ने, कुछ दशाओं में तो कई-कई पीढ़ियों ने, योग दिया। वास्तव में अकेला कोई भी आदमी, कोई सम्पत्ति पैदा नहीं कर सकता। सम्पत्ति तभी पैदा होती है, जब कई-

आदमियों का, समाज का सहयोग है। इसलिए न्याय का तकाजा है कि सम्पत्ति के उपयोग में भी व्यक्ति का अधिकार मान्य न हो कर, समाज का अधिकार माना जाय। श्री विनोदा ने कहा है—

‘हमे गांव-गाँव में जमीन की मालकियत मिटानी चाहिए। जमीन गाँव की बनानी चाहिए और कारखाने देश के। मालिक कोई नहीं। यही सुख-प्राप्ति का साधन है।’

उत्पादन के साधनों का वटवारा—स्वामित्व-विसर्जन की बात सभी प्रकार की सम्पत्ति के लिए है। खासकर उत्पादन के सावनों के स्वामित्व और नियन्त्रण का वटवारा ऐसा होना चाहिए कि जनता का सामान्य हित उचित रीति से संघ सके। भारत में आज अर्थ-उत्पादन के रूप में सबसे महत्वपूर्ण सावन जमीन है। इसलिए उसके न्यायपूर्ण वटवारे की बुनियाद पर ही आर्थिक समता और न्यायपूर्ण समाज-रचना का निर्माण हो सकता है। श्री विनोदा ने भूदान-यज्ञ इसी उद्देश्य से चलाया है। वैसे सम्पत्तिदान-यज्ञ का कार्य भी इसके साथ हो रहा है, जिसमें कारखाने आदि सभी प्रकार की आय को समाज की मानने की, और इस दिशा में कार्य रूप से पहला कदम समाज को छठा हिस्सा देने की बात है।

ट्रस्टीशिप—पहले कहा गया है कि आर्थिक समानता को व्यवहार में लाने के लिए आदमी को अपनी जरूरत के अनुसार ही सम्पत्ति रखनी चाहिए, यों किसी चीज को जरूरत से ज्यादा रखना भी बुरा नहीं, वशर्ते कि पहले गरीबों की जरूरते पूरी हो जाये अथवा उस चीज का उपयोग सार्वजनिक हित की दृष्टि से, एक ट्रस्टी की हैसियत से किया जाय। गांधीजी ने इस सम्बन्ध में कहा है—

‘आज के धनवानों को वर्ग-संघर्ष के और स्वेच्छा से धन के ट्रस्टी बन जाने के दो रास्तों में से एक हक को चुन लेना होगा। उन्हें अपनी मिलिकियत की रक्षा का अधिकार होगा। उन्हें यह भी हक होगा कि अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि मुल्क के भले के लिए, दूसरों का शोषण न करके वे धन को बढ़ाने

* इस विषय पर खुलासा विचार हमारी ‘भूदान, श्रमदान, जीवनदान’ पुस्तक में किया गया है।

में अपनी बुद्धि का उपयोग करे। उनकी सेवा और उसके द्वारा होने वाले समाज के कल्यास को व्यान में रख कर उन्हें निश्चित कर्मशान ही राज्य देगा। उनके बच्चे अगर योग्य हुए तो वे भी उस जायदाद के रक्षक बन सकेंगे।

गाधी जी ने इस विषय पर और प्रकाश डालते हुए कहा है कि ‘धनवानों का टीक व्यवहार न हो तो वे न्यायालय द्वारा अपने अमानतदार के पद से हटा दिये जायेंगे। इसके विपरीत, अगर वे अपना यह कर्तव्य विवेक-पृवेक और ईनानदारी से पालन करेंगे तो उन्हें अपनी धरोहर-सम्पत्ति से होने वाली शुद्ध आव या मुनाफे में से पॉच-छ ग्राविशत भाग को पुरस्कार के रूप में पाने का अविकारी बनाया जा सकता है, शेष मुनाफा सार्वजनिक हित में लग जायगा।’

व्यापारिक उत्पादन पर नियन्त्रण—आर्थिक समानता के लिए व्यापारिक उत्पादन पर नियन्त्रण होने की आवश्यकता स्पष्ट ही है। पहले बताया जा चुका है कि इस समय अनेक किसान जनता की प्रायमिक आवश्यकताओं की उपेक्षा करके तमाखू-आदि चीजें पेदा करते हैं या ग्रामोद्योगों में काम आने वाले पदार्थों की जगह कल-कारखानों में काम आने वाले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, जिससे उन्हें अधिक लाभ हो। कारखाने वाले जीवनोपयोगी आवश्यक पदार्थों की अवहेलना कर तरह-तरह की शौकीनी या विलासिता की चीजें बनाते हैं, क्योंकि उनके न्यूब दाम उठते हैं। यह व्यापारिक उत्पादन समाज के विविध वर्गों में तथा जुदा-जुदा देशों में उन्नत और पिछड़े हुए या अर्द्ध-गरीब आदि का भेद-भाव पैदा करता है। इस विप्रमता की धातक खाटी को पाठने का उग्र यही है कि केन्द्रित, मुनाफे वाला, अमजीवियों का जोपरण करने वाला, विलासिता बढ़ाने वाला व्यापारिक उत्पादन बन्द हो, इस पर यथेष्ट नियन्त्रण हो, चाहे इससे स्वदेश में या विदेश में कितना ही लाभ होता हुआ प्रतीत हो।

लोगों का कर्तव्य—हम यह न सोचें कि आर्थिक समानता की स्थापना राज्य करेगा या यह कानून द्वारा होगी। यह समानता हिसा या लोर जबरटस्टी से भी होने वाली नहीं है। यह तो तभी यथेष्ट हितकर और स्थायी होगी जब

वह अर्हिंसक पद्धति में, लोगों को समझा बुझाकर, उनमें करुणा, दया और मानवता जगा कर की जायगी। अस्तु, यह कार्य प्रेमपूर्वक स्वयं जनता को ही करना है। किसी आदमी को समाज की, अर्थात् दूसरे आदमियों की प्रतीक्षा में बैठे रहना नहीं चाहिए। हरेक को अपने ऊपर तथा अपने क्षेत्र में जहाँ तक उसकी पहुँच हो, इसका प्रयोग करना चाहिए। यह कार्य सबसे पहले उन लोगों का है, जिन्हें आवश्यकता से अधिक मिला हुआ है या मिल रहा है। उच्च वर्ग अर्थात् सेठ साहूकारों और जमीदारों आदि को स्वयं अपने हित के लिए अपरिग्रही बनना और इस्टीशिप की भावना को अमल में लाना चाहिए। नवी व्यवस्था से वे बवराये नहीं, सभव है, जो आज कई-कई जोड़ी क्षेत्रों रखते हैं, उन्हे दो-तीन से ही काम चलाना हो, या रेशमी की जगह सूती से सतोप करना हो, जो अब तरह तरह के जायकेदार पदार्थों का उपयोग करते हैं, और जरूरत से ज्यादा खाकर भी कुछ जूठन छोड़ देते हैं, उन्हे साधारण पुष्टिकर भोजन पर निर्वाह करना हो, जो मोटर दौड़ाते फिरते हैं, उन्हें तागों पर यात्रा करनी हो। पर ये कोई ऐसी बातें नहीं हैं, जो सहन न की जा सके। उन्हें तथा उनके मित्रों या रिश्तेदारों को विचार करना चाहिए अपने उन भाइयों का जिन्हें भरपेट भोजन और ऋतु की आवश्यकता के अनुसार वस्त्र नहीं मिलता, और जिन्हें दूर दूर की मजिले तय करने के लिए अपनी टागों का ही भरोसा रखना पड़ता है। मानवता के नाते प्रत्येक व्यक्ति को बड़े-बड़े न्याग और बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

दूसरा वर्ग जिस पर आर्थिक समानता लाने का दायित्व है, वह है मध्यम वर्ग। समाज में ब्रान्तियों का सत्रपात तथा नेतृत्व यहीं वर्ग किया करता है। इस वर्ग के आदमियों को चाहिए कि पूँजीपतियों के हाथ का औजार और निम्नवर्ग के शोषण में सहायक होने से इनकार करे और सामाजिक प्रतिष्ठा या उच्चता की भावना छोड़कर अपने आपको किसान मजदूर के उत्पाटक वर्ग में शामिल करे। इस समय किसानों और मजदूरों में उच्च वर्ग की नकल करने की इच्छा रहती है और वह न कर सकने से उनमें हीनता की भावना होती है। मध्यम और शिक्षित वर्ग के सम्पर्क से उनकी यह बात दूर होगी। मध्यम वर्ग के उपर्युक्त परिवर्तन का प्रभाव धनवानों पर भी पड़ेगा, कारण, इस दशा में उनकी

सोधण शक्ति का हास हो जायेगा, उनका जीवन अधिक सवभी, लोकहितकर तथा मानवीय भावना से पूर्ण होगा ।

विचारणीय बात—गांधीजी ने कहा है—‘समाजवाद की जड़ में आर्थिक समानता है । थोड़ो को करोड़ और वाकी लोगों को कमी रोटी भी नहीं, ऐसी भवानक असमानता में रामराज्य का दर्शन करने की आज्ञा कभी न की जाय । ... हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि समाज में अविकाश लोगों के पास इतनी सम्पत्ति न हो कि उसे छीन लेने के लिए दूसरी की नीति विराट जाय । इसी प्रकार हर एक के पास इतनी सम्पत्ति हो कि सब सन्तोष से रह सके, जिससे दूसरों की सम्पत्ति छीनने का उनदा मन ही न हो ।’

मैं राज्य-शक्ति की वृद्धि की ओर अधिकतम डर के साथ देखता हूँ; क्योंकि मालूम चाहे यह पड़ता हो कि राज्य शोपण को कम करके हमें लाभ पहुँचा रहा है, पर वह व्यक्ति का, जो सम्पूर्ण प्रगति का आधार है, विनाश करता है और इस प्रकार मनुष्य-समाज को अधिकतम हानि पहुँचाता है। हमें बहुत से उदाहरण ऐसे मालूम हैं, जिनमें मनुष्यों ने सरक्षक का सा वर्ताव किया, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि राज्य का जीवन वास्तव में निर्वनों के लिए हो।



जिस समाज का प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि उसे क्या चाहिए और इससे भी बढ़ कर जहाँ यह माना जाता है कि वरावरी की मेहनत करके भी दूसरों को जो चीज नहीं मिलती, वह स्वयं भी किसी को नहीं लेनी चाहिए, वह समाज जरूर ही बहुत ऊंचे दर्जे की सभ्यता वाला होना चाहिए। ऐसे समाज की रचना सत्य और अहिन्सा पर ही हो सकती है। ऐसा समाज अनगिनत गांधों का बना होगा। उसका फैलाव एक के ऊपर एक के ढंग पर नहीं, बल्कि लहरों की तरह एक के बाद एक की शक्ल में होगा।

गांधी जी

छठा खंड

अर्थव्यवस्था और राज्य

३५—राज्य का स्वरूप

३६—राज्य और उपयोग

३७—गज्य और उत्पत्ति

३८—राज्य और विनिमय तथा वितरण

३९—राज्य और शान्ति तथा रक्षा

४०—राज्य और अर्थनीति

पैंतीसवां अध्याय

राज्य का स्वरूप

हर एक गाँव में पंचायत-राज होगा। उसके पास पूरी सत्ता होगी। इसका मतलब यह है कि हर एक गाँव को अपने पाँव पर खड़ा होना होगा, अपनी ज़खरते खुद पूरी करनी होगी ताकि वह अपना सारा कारो-बार खुद चला सके, यहां तक कि वह सारी दुनिया के खिलाफ अपनी रक्षा आप कर सके।

—गांधीजी

सरकार निमित मात्र होती है। उसका काम यह नहीं है कि गाँव को हर चीज बाहर से ला दे। सब गाँवों का सम्बन्ध बना रखने के लिए सरकार है। सरकार का काम हरेक गाँव को स्वावलम्बो बनने में मद्दद देने का है।

—विनोबा

यह बताया जा चुका है कि सर्वोदय नीति के अनुसार अर्थ-व्यवस्था कैसी होनी चाहिए—उपयोग, उत्पादन, विनियम और वितरण में किन-किन बातों का व्यान रखा जाना चाहिए। अब इस बात का विचार किया जाता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था से राज्य का सम्बन्ध कैसा और कहाँ तक रहेगा। सरकार के कार्य क्या-क्या होगे अर्थात् उसके द्वारा किस प्रकार के कार्य किये जाने आवश्यक हैं। पहले सचेप में यह जान लेना उपयोगी होगा कि क्या समाज के लिए वास्तव में किसी सरकार का होना अनिवार्य है। और, यदि उसके बिना समाज का काम न चले तो, उसका स्वरूप कैसा हो।*

अराजवाद का आदर्श—मनुष्य बहुत समय से किसी न किसी

* इन विषयों पर विस्तार-पूर्वक विचार हमारी 'राजव्यवस्था, सर्वोदय दृष्टि से' पुस्तक में किया गया है।

प्रकार के शासन में रहता आया है। साधारण आदमी सरकार के द्वाने अन्यस्त हो गये हैं कि उन्हें ऐसी समाज-व्यवस्था की कल्पना नहीं होती जो सरकार-रहित हो। तथापि समय-समय पर समाज में सरकार ल्पी स्थित होने का विरोध होता रहा है। क्रमशः ऐसी विचार-वारा उत्पन्न हो गयी कि सरकार एक हानि कारक बन्तु है, इसकी आवश्यकता सिर्फ इसलिए है कि आदमी में लोभ, मोह, अहकार काम-क्रोध आदि दुर्भावनाएं हैं, और समाज की सुव्यवस्था के लिए इनका नियन्त्रण होना चाहिए। अस्तु, मौजूदा हालत में समाज को गल्य की आवश्यकता अनिवार्य रूप से है। वह राज्य-रहित तभी बन सकता है, जब आदमी अपने ऊपर यथोच्च नियन्त्रण रखने वाला और अपने सब सामाजिक कर्तव्यों को त्वेन्छा-प्रवृक्, विना किसी कानूनी दबाव के पूरा करने वाला हो। राज्य-रहित समाज में हिन्सा या दबाव को कोई स्थान नहीं है। वह पूर्ण रूप से अहिंसक होगा। इस प्रकार समाज के लिए अराजवाद एक आदर्श है, उसकी और बढ़ते रहने का, वहा तक पहुँचने का प्रगति होते रहना चाहिए।

अहिंसक राज्य—राज्य-रहित होने का आदर्श रखते हुए समाज के लिए व्यावहारिक मार्ग यही है कि वह अहिंसक राज्य का विकास करे, यो राज्य में कुछ हिंसा तो होती ही है। ऐसे राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, जो पूरे तौर से अहिंसक हो, हा, वह अहिंसा की ओर अधिकाधिक प्रगति कर सकता है। जब वह पूरा अहिंसक हो जायगा तो उसके राजन्य का लोप हो जायगा, समाज राज्य-रहित हो जायगा। अस्तु, यहा राज्य-रहित समाज का नहीं, अहिंसक राज्य का विचार किया जाता है—जिसका अधिकार-क्षेत्र कम से कम, और न्यूर्लप विकेन्द्रित हो। ज्यो-ज्यों मनुष्य सबसी और सेवा-भावी होता जायगा, सरकार को रखने की आवश्यकता कम होती जायगी। इस प्रकार सब से अच्छी सरकार वह है, जो शासन-कार्य सब से कम करती है, समाज की आदर्श व्यवस्था वह होगी, जिसमें राज्य की विलक्ष्ण जरूरत न रहेगी।

सरकार का कार्य-क्षेत्र सीमित रहने की आवश्यकता—ऊपर सरकार की शक्ति या कार्यक्षेत्र सीमित रहने की बात कही गयी है। वर्तमान अवस्था में सरकार हमारे जीवन व्यवहार पर कितना अधिकार जमाये हुए है,

यह स्पष्ट ही है। हमारा भोजन वल, खानपान, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, लेन-देन, रीति व्यवहार, क्रय विक्रय, पारस्परिक सम्बन्ध आदि—सभी मेरे सरकार का दखल है। विवाह शादी जैसे सामाजिक कार्य और दान पुण्य जैसे धार्मिक कार्यों का भी सरकार से धनिष्ठ सम्बन्ध है। यह स्थिति मनुष्य का दम घोटने वाली सी है, व्यक्ति को खुली हवा में सास लेने नहीं देती। आवश्यकता है सरकार का कार्यक्रम बहुत सीमित रहे, रोजमर्रा के साधारण जीवन में मनुष्य पर कम से कम प्रतिबन्ध रहे, और यह प्रतिबन्ध भी खासकर अपने नजदीक के तथा अपने जाने-पहचाने आदमियों की स्थानीय स्थायित्रों द्वारा हो।

सरकार का सगठन—सर्वोदय व्यवस्था मेरे शासन सम्बन्धी शक्ति और अधिकारों का मूल स्रोत सर्वसाधारण को माना जायगा। जनता की स्थानीय अर्थात् ग्राम और नगर की स्थायें—जिनका वर्तमान रूप पचायते और मुनिसिपेलिटियों हैं—अपने अपने क्षेत्र के आदमियों की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करेंगी। गणित की भाषा में कहें तो प्रत्येक क्षेत्र लगभग नव्वे पिन्चानवे प्रतिशत वातों के लिए स्वावलम्बी होगा। गाँवों और नगरों का एक दूसरे से सम्बन्ध बनाये रखने के लिए ही सरकार की जरूरत रहेगी, और उसका सगठन किया जायगा। गाँव पचायत और नगर पचायत कुछ आवश्यक निर्धारित अधिकार वाली जिला पंचायतों का निर्माण करेंगी, जिला पचायते प्रादेशिक सरकार को और प्रादेशिक सरकारे सदस्यों को बनायेंगी। इस प्रकार ग्राम और नगर स्थायें शासन की प्रारम्भिक इकाइया होंगी और उन्हें अपने क्षेत्र मेरे शासन-प्रबन्ध के सब प्रकार के पर्याप्त अधिकार रहेंगे। वे अपने से बड़े क्षेत्र के हित का यथेष्ट धान रखेंगी। इन स्थायित्रों से ऊपर की इकाइयों के अधिकार और शासन-विधायक कमशू कम होंगे, और केन्द्र का तो कुछ खास निर्धारित विधायियों के अतिरिक्त अन्य वातों में कोई हस्तक्षेप ही न होगा।

निर्वाचन पद्धति कैसी हो?—आजकल चुनाव किस तरह होते हैं, उनमें कैसी अनीति, छुल-कपट वर्ता जाता है, पैसे की कितनी जरूरत होती है, और पैसे के बल पर किस प्रकार आधुनिक जनतत्र व्यवहार में धनतत्र बन जाता है—इन वातों के ब्योरे में जाने की आवश्यकता नहीं। सर्वोदय व्यवस्था

में जिला पचायतों, प्रादेशिक विधान सभाओं और (केन्द्रीय) ससद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव की पद्धति काम में नहीं लायी जायगी, इनके बास्ते चुनाव परोक्त होगा। प्रत्यक्ष चुनाव केवल गाँवों या नगरों की न्यानीय स्थानों तक परिमित रहेगा, जहाँ आटमी यह जानते हैं कि जिस व्यक्ति को हम चुनना चाहते हैं वह कैसे चरित्र और विचार वाला है, उसमें त्याग, परिश्रम-शीलता, निपक्ष विचार और लोकसेवा की भावना कितनी है।^५

गांधीजी का मत था कि ग्राम पचायत के पाँच मेम्बर हीं, जिनका चुनाव प्रतिवर्ष गाँव के सब वालिंग ली-पुर्खों द्वारा हो। पचायत सम्मिलित व्यवस्थाएँ, कार्यपालिका और न्यायपालिका हो अर्थात् वह कानून बनाने, प्रबन्ध करने और न्याय करने का कार्य करे। गाँव जिले के प्रबन्ध करने वालों को चुने और इस चुनाव में प्रत्येक गाँव का एक मत हो। जिले के प्रतिनिधि प्रान्तीय प्रतिनिधियों को चुने और प्रान्तीय प्रतिनिधि गण्डपति का चुनाव करें। इस पद्धति से शासन शक्ति का ग्राम इकाइयों में विकेन्द्रीकरण हो जायगा। इन ग्रामों में नागरिक स्वेच्छा से सहयोग करेंगे और टमसे वास्तविक स्वतंत्रता उपजेगी।

शासन-संस्थाएँ—शासन में खास विचारणीय बात यह है कि जनता का, जनता के नीचे से नीचे दिखायी देने या समझे जाने वाले वर्ग का हित हमेशा सामने रहे। इसके अतिरिक्त हमारा लद्य राड़ की स्वतंत्रता, मुरदा और एकता हो, कोई बात मानवता-विरोधी होने का तो अवसर ही न आये। अस्तु, सर्वोदय व्यवस्था में हमारी जो शासन-संस्थाएँ होंगी, उन्हें आजमल की भाषा में ये नाम दिये जा सकते हैं—(१) ग्राम-पचायते या नगर-पचायते, (२) जिला-पचायते, (३) प्रादेशिक विधान सभाएँ और (४) ससद। न्याय सम्बन्धी स्थानीय कार्य अधिकाश में पचायतों द्वारा ही हो जायगा, और

^५प्रधान मंत्री श्री नेहरू ने अपना निजी मत प्रकट करते हुए १३ जन १९५६ को कहा था संविधान बनाने से पहले से ही मेरा विचार है कि अगर चुनाव आंशिक रूप से अप्रत्यक्ष पद्धति से किये जायें तो खर्च भी कम पड़ेगा और समय भी बचेगा। प्रारम्भिक चुनाव अप्रत्यक्ष पद्धति से ही किये जायें। कभी बाद में इनके लिए भी अप्रत्यक्ष पद्धति अपनायी जा सकती है।

जब तक किसी नैतिक विषय की अवहेलना या कानून का दुरुपयोग न हो, पचायती फैसला अतिम होगा। कुछ विशेष इने-गिने मामलों की अपील हो सकेगी, उसके लिए तथा प्रादेशिक मामलों के लिए राज्य के न्यायालय होगे। इस प्रकार न्याय विकेन्द्रित होने के साथ निस्पन्न, सरल, सस्ता और जल्दी होगा।

स्परण रहे कि भावी शासन-संस्थाओं का स्वरूप वर्तमान संस्थाओं से भिन्न प्रकार का होगा। उदाहरण के लिए वर्तमान पचायतों को जो अविकार प्राप्त है, वे प्रादेशिक सरकारों द्वारा दिये हुए हैं और उन पर जिला-मजिस्ट्रेट आदि का बहुत नियन्त्रण है। इसी प्रकार वर्तमान प्रादेशिक विधान सभाओं के ऊपर केन्द्र की सत्ता है। इसके विपरीत, भावी संस्थाओं में मूल सत्ता स्थानीय संस्थाओं में रहेगी, पचायते स्वावलम्बी होंगी, वे अपने सब मामलों का प्रबन्ध स्वयं करेंगी, यहाँ तक कि रक्ता के लिए भी उनकी यथेष्ट तैयारी रहेगी। रक्ता के विषय में खुलासा आगे लिखा जायगा।

सरकारी नौकर, उनकी योग्यता और वेतन—शासन-प्रबन्ध में सरकारी नौकरों का महत्व स्पष्ट है। किसी आदमी को सीधे या एकदम उत्तर-दायी पद पर नियुक्त करना ठीक नहीं। केन्द्रीय क्षेत्र में ऐसे ही व्यक्ति नियुक्त किये जाने चाहिए, जिन्होंने प्रादेशिक क्षेत्र में योग्यता और लोकसेवा का परिचय दिया हो, इसी प्रकार प्रादेशिक क्षेत्र में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति स्थानीय क्षेत्र में यथेष्ट अनुभव प्राप्त किये हुए सज्जन होने चाहिए। सरकारी कर्मचारियों का परिश्रमशील, ईमानदार, और सच्चरित्र होना अनिवार्य है। उन्हें वेतन सार्वजनिक कोष से दिया जायगा—ग्राम-सेवकों को पचायती कोष से, प्रादेशिक सरकारों और केन्द्रीय सरकार के कार्यकर्ताओं को इन-इन सरकारों के कोष से। सबका वेतन अधिकाश में जिन्स के रूप में होगा, अर्थात् उनके लिए तथा उनके आश्रितों के वास्ते आवश्यक भोजन-वस्त्र और मकान की व्यवस्था की जायेगी। शिक्षा और चिकित्सा सार्वजनिक संस्थाओं में हो ही जायगी। उन्हे अपनी निजी फुटकर आवश्यकताओं के लिए—जो बहुत कम ही होगी—विशेष द्रव्य की आवश्यकता न होगी। वे अल्प वेतन में सतुष्ट

रहेंगे। इस प्रकार कोई व्यक्ति खासकर वेतन के लोभ से सरकारी पदों की ओर आकर्षित न होगा। हाँ, कर्मचारियों के सेवा-कार्य के लिए उन्हें सरकार और जनता में आदर-प्रतिष्ठा स्वयं मिलेगी, पर वे उसके पीछे नहीं पढ़ेंगे।

विशेष वक्तव्य—सर्वोदय-अवस्था में शासन द्वारा। लोगों के व्यक्तित्व का दमन वा हिन्सा न होगी, वरन् उसकी उन्नति, विस्तार या विकास का यथेष्ट अवसर मिलेगी। व्यक्ति ही तो समाज का केन्द्र-विन्दु होगा और उसका कल्याण करेगा। गांधी जी ने कहा है—

‘जीवन एक मीनार के रूप में नहीं होगा, जहाँ ऊपर की तरफ चोटी को नीचे के चौड़े पाये पर खड़ा होना होता है। वह समुद्र की लहरों की तरह एक के बाद एक, घेरे की शक्ति में होगा और व्यक्ति इनका मध्य विन्दु होगा। वह व्यक्ति सदैव अपने गाँव के लिए मिटने को तेयार होगा। गाँव अपने आस-पास के देहात के लिए मिटने को तेयार होगा। इस तरह सारा समाज ऐसे लोगों का बन जायगा, जो घमडी बनकर कभी किसी पर हमला नहीं करते बल्कि हमेशा नम्र रहते, हैं और अपने में समुद्र की शान अनुभव करते हैं, जिसके बे एक आवश्यक अग है।’



छृतीसवां अध्याय

राज्य और उपयोग

हरेक काम के लिए अगर हम सरकार पर अवलम्बित रहेगे, तो वह स्वराज्य होगा या गुलामी ? विशेष मौके पर हम पुलिस की मदद मांगों तो सरकार दे सकती है। बाकी हमारी रोज की शान्ति, हमारा अनाज, कपड़ा, हमारी सफाई, हमारा शिक्षण सारे गाँव में ही करना चाहिए।

—विनोद

देश की सरकार किसी भी दल की क्यों न हो, उसके हाथों से कम-से कम शक्ति होनी चाहिए। जनता का जीवन, रहन-सहन, खाना-पीना जितना भी सरकारी कंट्रोल (नियंत्रण) से आजाद हो, उतना ही देश अधिक खुशहाल होगा और फूले-फलेगा।

—सुन्दरलाल

मिछले अध्याय में यह विचार किया गया कि सर्वोदय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से राज्य का स्वरूप या सगठन कैसा होना चाहिए। अब हमें देखना है कि जनता की विविध आर्थिक क्रियाओं में अथवा अर्थशास्त्र के विविध भागों की दृष्टि से सरकार का सम्बन्ध कहाँ तक और किस प्रकार रहना चाहिए। पहले उपयोग का विषय लें।

सरकार, उपयोक्ता के रूप में—वर्तमान अवस्था में सरकार के सैनिक तथा असैनिक कई विभाग होते हैं, जिनमें राज्य के आकार या शासन-क्षेत्र के अनुसार कई-कई हजार और कुछ दशाओं में तो लाखों आदमी काम करते हैं। इन विभागों के लिए सरकार को समय-समय पर बहुत से तथा विविध प्रकार के सामान की आवश्यकता होती है। सैनिकों के लिए भोजन-सत्र तथा मकान आदि की भी व्यवस्था करनी होती है, इसके अतिरिक्त, वह कम्बल, पैले, बोरे और तम्बुओं की, तथा सैनिक सामग्री के रूप में अख-सत्र, जहाज,

वायुयान, मोटर और सैनिक स्टोर की व्यवस्था करती है। सरकार को सैनिकों की भौति पुलिस बालों तथा कुछ अन्य कर्मचारियों की बड़ी आठि की भी जरूरत होती है। इस प्रकार उसे अपने कितने ही विभागों के लिए बहुत सा सामान चाहिए। जिन राज्यों में सरकार रेल का सञ्चालन करती है, वहाँ इसी एक विभाग के लिए उसे डजिन आठि बहुत सा सामान जरूरी होता है। स्टेशनरी—कागज, पेन्सिल, फाउन्टेनपेन, रोशनाई, कलम आदि—ज़ा भी काफी परिमाण में उपयोग होता है। इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक राज्य में सरकार कितनी बड़ी उपयोक्ता है।

मित्रव्ययिता की आवश्यकता—एक साधारण व्यक्ति की योड़ी सी वेपरवाही से सामान की बहुत वर्द्धी या फजूलखर्च हो सकती है। इससे यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि सरकार को उपयोग में कितने विचार की आवश्यकता है। अनेक स्थानों में सरकार अपनी जरूरतों का बहुत बढ़ा-चढ़ा कर अन्दाज कर लेती है, और अपने लिए इतनी भूमि तथा अन्य सामान की व्यवस्था करती है कि रुब्बरावारण के हितों की उपेक्षा हो जाती है। उसके विविध विभागों के पास बहुत सी भूमि वेकार पड़ी होती है, जबकि देश में जनता को अन्नाटि की पदावार के लिए उसकी कमी वा अनुभव होता है। राष्ट्रपति वा गवर्नर अंग्रेजी की कोठियों के पास खाली मैटान, ‘लान’ वा ‘पार्क’ अंग्रेज से कुछ पैदावार न हो कर, उलटा खर्च होना अनुचित है। इसी प्रकार अन्य सामान की बात है। कुछ समय हुआ भारत में रेल विभाग के सम्बन्ध में जाच होने पर मालूम हुआ था कि कहीं-कहीं खुछ चीजे इतने परिमाण में सप्रह की हुई थीं, जो पचास-सौ साल में जाकर खर्च होंगी। यदि सरकार के प्रत्येक विभाग के सामान की जाच की जाय तो सब में थोड़े बहुत इस तरह के दुश्ययोग के उदाहरण मिल सकते हैं। जरूरत है कि इस विषय में बहुत सावधान रहा जाय, और समय-समय पर इस बात की कई जाच की जाय कि किसी विभाग में कोई चीज आवश्यकता से अधिक तो नहीं है, और कोई चीज खराब तो नहीं हो रही है।

सरकारी कर्मचारियों के ध्यान देने की बात—वर्तमान अवस्था में सरकारी कर्मचारी जितनी देखभाल वा सार-समार अपनेनिर्जी चामा नकी

खते हैं उसकी अपेक्षा सरकारी या सार्वजनिक सामान की बहुत कम करते हैं। साधारण तौर पर कोई व्यक्ति किसी मोटर, साइकिल, या टाइपराइटर आदि से जितने समय काम चला सकता है, उसकी अपेक्षा सरकारी अधिकारी उसे बहुत जल्दी ही रद्द कर डाजते हैं। खासकर स्टेरेनरी के सम्बन्ध में होने वाले सरकारी अवच्छ य से तो सर्वसाधारण बहुत ही परिचित हैं। भारत जैसे अपेक्षा-कृत निर्धन देश में भी सरकारी अधिकारियों को दो लाइन के समाचार के लिए भी पोस्टकार्ड से काम चलाना अच्छा नहीं लगता। फिर, उन्हें लिफाफा और चिट्ठी का कागज भी खूब बढ़िया चाहिए। आवश्यकता है कि अधिकारी 'माले मुफ्त, दिले वेरहम' की नीति छोड़कर प्रत्येक वस्तु का अच्छे-से-अच्छा उपयोग करे और मितव्ययिता से काम ले।

सरकारो उपयोग-नीति का प्रभाव—सरकार को अपने विविध विभागों के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, उनमें से कुछ तो वह स्वयं बनवाती है, शेष वह खरीदती है। उसकी निर्माण और क्रय नीति का देश के उद्योग-धन्धों पर भारी प्रभाव पड़ता है। यदि कोई सरकार अपनी आवश्यकता का अविक से अधिक सामान अपने ही राज्य में तैयार करवाती तथा खरीदती है, तो वहाँ के उद्योग धन्धों को प्रोत्साहन मिलना स्वाभाविक ही है। इसी प्रकार यदि उसकी रुचि या प्रवृत्ति ग्रामोद्योगों की ओर हो तो वह अपनी क्रय-नीति से इन उद्योगों द्वारा बनी हुई वस्तुओं की खरपत बढ़ाती हुई इनकी उन्नति में बहुत योग दे सकती है। इस प्रकार, जब कि देश में विकेन्द्रित उत्पादन और ग्रामोद्योग पद्धति की उपयोगिता स्वष्ट है, सरकार का कर्तव्य है कि वह इन्हें अच्छी तरह अपनाये। देश में बुनियादी तालीम की आवश्यकता पहले चतारी जा चुकी है, उसकी सफलता के लिए जरूरी है कि उसकी स्थानीय द्वारा जो सामान बने, उसे सरकार खरीदे और काम में लाये।

सरकारी नियन्त्रण, मादक वस्तु विचार—यह तो सरकार द्वारा होने वाले उपयोग की बात हुई। अब जनता द्वारा होने वाले उपयोग में सरकारी नीति का विषय ले। सरकार को उसमें दखल न देना चाहिए। प्रत्येक स्थान पर, स्थानीय पचायतों के मार्ग-दर्शन से आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन हो कर, उनका प्रायः वहाँ ही उपयोग होता रहे। वर्तमान काल में उत्पादन उचित रूप में, अथवा

पर्याप्त मात्रा में नहीं होता और सरकार उसके उपयोग में नियन्त्रण-नीति काम में लाती है, यह वर्तमान अर्थव्यवस्था के दूषित होने के कारण है, सर्वोदय अर्थव्यवस्था में इसकी जरूरत न होगी।

यह कहा जाता है कि सरकार द्वारा शराब आदि मादक पदार्थों के उपयोग का नियन्त्रण होना आवश्यक है। पर इन चीजों की तो नशे के लिए उत्पादन और विक्री बन्द ही होनी चाहिए। इसके सम्बन्ध में विशेष आगे राज्य की अर्थ-नीति के प्रसरण में लिखा जायगा। वास्तव में लोगों की शिक्षा दीक्षा और सम्कार ही ऐसे होने चाहिए कि वे स्वयं मादक तथा अन्य अनावश्यक या हानिकारक पदार्थों से परहेज करें। हा, सरकार का भी कोई कार्य जनता में इन चीजों के प्रति आकर्षण पैदा करने वाला न हो, उसे लोगों में इनके लिए असुचि बढ़ाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। अस्तु, सर्वोदय अर्थव्यवस्था में अकाल, महगाई, उत्पादन की कमी आदि न होगी, जिन के नाम पर सरकार इस समय जनता द्वारा किये जाने वाले उपयोग में तरह-तरह के नियन्त्रण लगाया करती है।

विशेष वक्तव्य—हमने पहले बताया है कि सर्वोदय अर्थशास्त्र के अनुसार हवा, पानी, मिट्टी और प्रकाश भी बन हैं। इसलिए इन्हें दूषित करना या इनका दुरुपयोग करना एक सामाजिक अपराध है, चाहे इसे कोई व्यक्ति या संस्था करे और चाहे सरकार करे। आज कल सरकारे हिन्दूत्मक भावना से प्रेरित हो कर हवा को जहरीली करती है, नदियों, झीलों और रसमुद्रों का पानी खराब करती है, रोगों के कीटाणु फैलाती है, फसलों और मकानों को इस लिए नष्ट करती है कि 'शत्रु' उनका उपयोग न कर सके। वह अग्नुवम आदि से 'शत्रु' के नगरों को भस्म करती हैं इससे जो नर-हत्या होती है वह तो निन्दनीय है ही, सार्वजनिक उपयोग में आने वाली हवा पानी और मिट्टी का खराब किया जाना भी मानवता के विरुद्ध घोर अपराध है। सर्वोदय व्यवस्था में सरकार ऐसा दुष्कर्म नहीं करेगी।

सैतीसवां अध्याय

राज्य और उत्पत्ति

देश के भाग्य-विधाताओं को सोचना चाहिए कि केवल सुचि, व्यसन या माँग का ही ख्याल करके ऐसे (वनस्पति 'धी' जैसे) हानिकर उद्योग चलने दे, या जिसमें लोगों का सच्चा हित है, वे ही काम चलने दे। . . कभी यश मिले, कभी न मिले, पर जिस बात में हमें विश्वास है, उस पर डटे रह कर यथा-शक्ति प्रयत्न करना है।

—श्रीकृष्णदास जाजू

जिसे उद्योग-धधों का नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीकरण, या 'कोमियाना' कहा जाता है, वह आजकल की हालत में केवल 'सरकारियाना' है। अधिकतर देशवासियों का अब तक का तजरवा यही है कि जो धधे जनता के हाथों से छिनकर सरकार और सरकारी आदमियों के हाथों में आगये, उनमें जनता की दिक्कते बढ़ी है, घटी नहीं।

—सुन्दरलाल

सर्वोदय की दृष्टि से सरकार का उत्पत्ति से सम्बन्ध कम ही होगा, यह उसी सीमा तक रहेगा, जहाँ तक लोकहित के लिए बहुत ही जल्दी हो, अधिकाश उत्पादन स्थानीय स्थानों अर्थात् पचायतो आदि की देखरेख और नियन्त्रण में रहेगा, कुछ परिमित क्षेत्र में प्रादेशिक सरकारों का हस्तक्षेप होगा, केन्द्रीय सरकार को प्रायः इस प्रकार का अवसर ही नहीं आना है।

ग्राम-पंचायतें और उत्पादन कार्य—पहले कहा गया है कि देश में खेती सतुलित होनी चाहिए, अर्थात् उसमें जनता की मूल आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पचायतों का यह कर्तव्य होगा कि वे किसानों को उन खास-खास फसलों को ही पैदा करने की अनुमति या परामर्श दे, जो लोकहित की दृष्टि से आवश्यक हो, वे व्यापारिक या मुनाफे की फसलों पर

भारी शुल्क लगा कर प्रतिवन्ध लगाये। इस प्रकार खेती न तो नफा कमाने की चीज हो, और न भूका-नगा रखने वाला काम। पचायतें भूमि की उन्नति और वितरण की व्यवस्था करे, प्रत्येक किसान को आवश्यक हल, बैल, खाद, चीज, तथा अन्य विविध उपकरण प्राप्त करने की, और स्वाभिमान-पूर्वक जीवन विताने की सुविधाएँ दे। गाँव भर में 'प्रत्येक व्यक्ति सब के लिए, और सब प्रत्येक के लिए' का आठर्ष हो। लोकहितकारी सुनिर्वारित नियमों के अनुसार भूमि पर न्यायिल अधिकार उसे जोनने वाला का ही हो। अनाथों या असनयों को छोड़ कर किसी को अपनी भूमि किराये पर देने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। गाँव की पड़ती भूमि, जगल, तालाब आदि गाँव की सम्मिलित सम्पत्ति पर पचायत का नियन्त्रण रहे और वह सामूहिक हित की दृष्टि से उसका उपयोग करे। प्रादेशिक सरकार द्वारा खेती के अन्देरे तरीके बढ़िया चीज, और दुधरं हुए ओजारा के विपर में अनुसधान और परीक्षण होते रहें तथा उनका लाभ पचायता द्वारा सर्वसाधारण को मिलता रहे।

वही बात उच्चोग-वधों के सम्बन्ध में है, उनमें भी जनता की मूर्छावज पक्ताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पचायतों का नाम होगा कि उच्चोग धधों द्वारा ऐसा उत्पादन न होने दे कि जनता को भोजन-वस्त्र आदि की कमा रहे और विलासिता या नशे आदि की चीजें बनायी जाये। पचायतों द्वारा इस विपर में यथेष्ट सतर्कता रहने पर उत्पत्ति लोकहितकारी होगी।

पचायत उत्पादन-कार्य में कई प्रकार सहायक होगी, शुनियादी तालीम का प्रचार करके वह लोगों में श्रम की प्रतिष्ठा बढ़ायेगी, न्याय-रक्षा का प्रबन्ध करने वह नागरिकों की उत्पादक शक्ति की बृद्धि करेगी, कुदरती खाद की व्यवस्था करने के वह फसलों के लिए वहुमूल्य पोषक पदार्थ प्रदान करेगी, नये कुओं और तालाबों को बनाया कर तथा पुरानों की मरम्मत करा कर नह सिंचाई का साधन बुटायेगी। इसी प्रकार स्थानीय आवश्यकता के अनुसार वह अन्य उत्पादक कार्यों में भाग लेगी।

उत्पत्ति में सरकारी सहायता—सिंचाई आदि में सरकारी महापता के उपायों का उल्लेख खेती के अव्याप में किया जा चुका है। यह भी पहले कहा जा चुका है कि शिक्षा ऐसी हो जो खेती और उच्चोग वधों की उन्नति में सहायक

हो। यहाँ उद्योग धधो सम्बन्धी अन्य सरकारी सहायता का विचार किया जाता है। जहाँ सर्वजनिक दृष्टि से आवश्यक हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हाथ-उद्योगों का काम करने वाले व्यक्ति विजली आदि की शक्ति से काम ले सके और सहकारिता के सिद्धान्तों से लाभ उठा सकें। कभी-कभी किसी नये उद्योग को आरम्भ करते हुए आदमियों को हानि की बहुत आशका होती है, ऐसे उद्योग को, यदि वह सर्वसाधारण की दृष्टि से उपयोगी हो, सरकार समुचित सहायता दे। उदाहरण के लिए वह उसके कच्चे माल, औजारों, तथा उसके तैयार माल को सब प्रकार के शुल्कों से मुक्त रखें, और उसके बास्ते जगल की पैदावार, लोहा, कोयला आदि अन्य आवश्यक सामान सब से प्रथम दे। इसके अतिरिक्त सरकार ऐसे उद्योग के विकास के लिए उचित शिक्षण द्वारा सुयोग्य कार्यकर्ताओं का वर्ग तैयार करे एव आवश्यक वैज्ञानिक अनुसधान कराये।

पहले कहा जा चुका है कि सर्वोदय व्यवस्था में जनता की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले उद्योग विकेन्द्रित और हाथ-उद्योग पद्धति से होंगे। सरकार का कर्तव्य होगा कि ऐसे उद्योगों को छाट ले और ऐसी व्यवस्था करे कि उनसे तैयार होने वाला माल विदेशी से तो आये ही नहीं, देश के कारखानों में भी न बने, और, यदि कुछ खास कारणों से कुछ समय तक बनना जरूरी समझा जाय तो उससे हाथ-उद्योग को विशेष धक्का न लगे। उदाहरण के लिए कपड़े की बात ले, कानून द्वारा ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि मिलों को एक खास हद से मोटा (उदाहरण के लिए १५-२० नम्बर से नीचे का) सूत कातने या कपड़ा न तुनने दिया जाय, इसके अतिरिक्त मिल के और हाथ के कपड़े की कीमत में समानता लायी जाय।

इसके सम्बन्ध में श्री किशोरलाल मश्रूवाला का कथन है कि ‘वर्तमान अवस्था में हाथ-श्रम से जो उत्पादन होगा, वह बहुत कम ही होगा। हो सकता है कि जहाँ मिल से २०० पौंड सूत काता जाता है, वहाँ इस पद्धति से १ पौंड या उससे भी कम हो, तब यदि हाथ-उत्पादन की महँगाई मिल-उत्पादन पर फैला दी जाय, तो मिल-उत्पादन की कीमत कुछ खास नहीं बढ़ेगी, बहुत हुआ तो एक पौंड पर दो पाई। बुनाई के बारे में भी यही हो सकता है, कीमत में नगरण सी बढ़ती होगी, और खरीदार उसे महसूस भी नहीं करेगा। इस तरह

हाथ-कर्ती और हाथ-बुनी खाड़ी (या मिल के सूत से हाथ-करवे पर बुना हुआ कपड़ा) मिल के ही कपड़े की कीमत पर बेचा जा सकेगा।

‘ऐसे कई ग्रामोद्योग हमारे यहाँ हैं, जिन्हें यात्रिक उद्योगों से होड़ करनी पड़ती है—जैसे धानी को तेल-मिल से, तेल और धी को जमाये तेलों से, हाथ-कागज को मिल-कागज से, शुड़ को गम्भकर से, इत्यादि। इन सब उद्योगों में होड़ का वही एक प्रकार है। यात्रिक उद्योगों में जहाँ उत्पादन बढ़े पेमाने पर होता है और मजदूरों की सख्त्या कम होती है, वहाँ हाथ-कामों में उत्पादन कम प्रमाण में होता है और मजदूर ज्यादा लगते हैं। यहाँ खाड़ी के उदाहरण में जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन हुआ है, उसका उपयोग इन सब ग्रामोद्योगों के लिए किया जा सकता है। यातायात के लिए बैलगाड़ी जैसे प्राणि-चाहनों के उपयोग का सवाल भी इसी सिद्धान्त के अनुसार हल करना होगा, अगरचे उसके अमल का ढग कुछ दूसरा हो सकता है। ज्यादातर उदाहरणों में कारखानाओं के माल में थोड़ी सी महँगाई कर देने से हाथ का तैयार माल सस्ते भावों पर बेचा जा सकेगा, और लाखों मजदूरों को, जो बेकार हो जाते हैं, पेट भरने का साधन छुट जायगा। इसके सिवा, कारखानों के किसी-न-किसी बजह से अचानक बन्द पड़ जाने की हालत में जीवन और देश-रक्षा का एक प्रबल साधन तैयार रहेगा, और यदि किसी क्षेत्र में हमारे तैयार माल के निर्वात-व्यापार की गुजाइश हो, जैसे कि आज मिल के कपड़े में हे, तो उसे देश में कर्मी पेदा किये बिना चलाया जा सकेगा।’

सरकार द्वारा उत्पत्ति बहुत सीमित हो—कुछ उत्पादन ऐसा होता है कि उसे व्यक्ति या कम्पनी आदें की अपेक्षा केन्द्रीय सरकार द्वारा किये जाने से सार्वजनिक सुविधा तथा मितव्ययिता अधिक होने की आशा की जाती है। इस विचार से रेल, डाक, तार का तथा विजली-शक्ति बढ़े पेमाने पर उत्पन्न करने का कार्य बहुत से राज्यों में सरकार द्वारा किया जाता है। इनके अतिरिक्त कुछ कार्यों से उनका खर्च भी नहीं निकलता, परन्तु वे जनता के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, जैसे पुल या सड़कें आदि। ऐसे कार्य सरकार स्वयं करती है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं, जो विशेषतया आर्थिक नहीं होते, जैसे अस्त्र-शस्त्र का निर्माण। ऐसे कार्य पूर्णतया व्यक्तियों के भरोसे नहीं छोड़े जा सकते।

इसलिए इनका सचालन या उत्पादन सरकार ही करती है। इसमे पूँजी सरकार की ही लगती है। यह पद्धति राष्ट्रीकरण कहलाती है। इसमे केन्द्रीकरण का खतरा है, जिससे हमेशा वचे रहने की जरूरत है। फिर, यदि ऐसे उत्पादन में पूँजी दूसरे देशों से उधार लेकर लगायी जाय तो उन देशों का राजनैतिक दबाव भी पड़ने की आशा का रहती है—यह पहले, ‘पूँजी’ नाम के अध्याय में बताया जा चुका है। इस प्रकार यह पद्धति बहुत सीमित क्षेत्र में और स्वदेशी पूँजी के ही बल पर अमल में लायी जानी चाहिए।

आर्थिक योजनाओं के सम्बन्ध में विचार—प्रत्येक देश में समय-समय पर जनता के सुख सुविधा के लिए आर्थिक उन्नति के विविध कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। इनके सम्पादन के यथेष्ट साधन पूँजीपतियों तथा सरकारों के पास होते हैं, इसलिए वे ही बड़ी-बड़ी योजनाएँ बनाया करती हैं। भारत में पिछली दशावधि में कई गैर-सरकारी योजनाएँ भी बनायी गयी थीं। पर अन्त में सरकारी योजना ही अमल में आयी। पहली पञ्चवर्षीय योजना की अवधि पूरी हो गयी, अब दूसरी योजना चल रही है। इनका परिचय हमने अपने ‘भारतीय अर्थशास्त्र’ में दिया है। यहाँ योजनाओं के सम्बन्ध में सर्वोदय दृष्टि से विचार करें।

बड़ी-बड़ी आर्थिक योजनाएँ चाहे उद्योगपतियों और पुँजीपतियों की हो और चाहे सरकार की, ये वास्तव में जनतत्र की पोषक नहीं होती, बल्कि उसके लिए शोषक ही होती हैं। एक में शोषण खुले आम या प्रत्यक्ष होता है, दूसरे में कुछ गुप्त या परोक्ष रूप में। दोनों ही आर्थिक केन्द्रीकरण के दो जुदा-जुदा स्वरूप हैं, इनमें वे सब दोप होते हैं जो विशाल यत्रोद्योगों में होने स्वाभाविक हैं, और जिनके विषय में पहले लिखा जा चुका है।

हमारा यह आशय नहीं है कि ऐसी योजनाओं से कुछ भी लाभ नहीं होता। पर हमें स्पष्ट कहना है कि इनसे देश को जैसा और जितना फायदा होना चाहिए, नहीं होता। कारण, इन पर जो विशाल धन राशि खर्च होती है, उसका लाभ नीचे के लोगों को बहुत ही कम मिलता है। उत्पादन का यथेष्ट उपयोग तभी है, जब उसके वितरण की समुचित और स्वाभाविक च्यवस्था हो और यह विकेन्द्रीकरण में ही अच्छी तरह होता है। उत्पादन बढ़ाने

की अपेक्षा इस बात का महत्व किसी प्रकार कुछ कम नहीं कि लोगों द्वे पूरा काम मिले और सामाजिक न्याय प्राप्त हो ।

भारत की दूसरी योजना भी पूँजी-प्रगति है, श्रम-प्रवान नहीं । इसका लक्ष्य देश का बन बढ़ाना है, सब आदमियों को काम देना नहीं । इससे पूँजीवालों को ही अधिक लाभ होने की सम्भावना है । उनमें और निर्धनों में जो साड़े इस समय है, उसे पाठने का प्रयत्न नहीं है । इस योजना के अमल में आने ने सरकार जनता का जीवन और भी अधिक नियंत्रित कर सकेगी । सरमाणी कार्यकर्ताओं की सख्ता, और सत्ता अवसे कहीं अधिक होगी और स्वतंत्र लोकशक्ति का निर्माण होने में कटिनाई बढ़ जायगी ।

विशेष वक्तव्य—भारत की सरकारी योजनाओं की स्थिति ही लेखनों ने चहुत गुलाबी तसवीर उपस्थित की है । कुछ विदेशियों ने भी इनके अनुसार होने वाले निर्माण कार्यों को देखकर इनकी प्रशंसा की है । तथापि वह भुलाया नहीं जा सकता कि देश में हजारों करोड़ रुपये से किये जाने वाले इतने भारी और विशाल कार्यक्रम होने पर भी सर्वसा गरण के मन में पिण्ड उत्पाद लगन और स्फूर्ति नहीं दिखायी दी, मानों यह उनका काम नहीं था, और जाम उनके लिए भी नहीं था । श्री किशोरलाल मश्तूवाला ने लिखा था—‘इसरी बातों को छोड़ दे, तो केवल भारी आर्थिक पुनर्निर्माण के बल पर राष्ट्रीय पुनर्निर्माण सिंड नहीं हो सकता । ठोस नीव पर हमारे देश का नेतृत्व पुनर्निर्माण होना आर्थिक पुनर्निर्माण से द्वादा महत्वपूर्ण और ज्यादा बुनियादी है । अगर नेतृत्व पुनर्निर्माण ठीक ढग से होता रहा तो आर्थिक पुनर्निर्माण उसके साथ थीरे थीरे होता ही रहेगा ।’^५

अस्तु, हमारी योजनाएं केवल आर्थिक या आर्योगिक न होकर मानवता-मूलक होनी चाहिए । कोई योजना राष्ट्रीय योजना व्हे जाने योग्य नहीं, जिसमें राष्ट्र के नीचे से नीचे स्तर के लोगों की सबसे पहले और सबउ अधिक चिन्ता न की गयी हो अर्थात् जिसमें सर्वांदिव दृष्टि न हो ।

अड़तीसवाँ अध्याय

राज्य और विनिमय तथा वितरण

आज व्यापार का मन्दा यह बन गया है कि आदमी को बुनियादी जरूरत की चीजे न दे कर उसका ध्यान, पैसे के जोर से, ऐश-आराम की चीजों पर लाया जाय। इन्सानी पहलू से देखने पर पता चलता है कि पैसे के जरिये से आर्थिक चहल-पहल समाज-विरोधी ढर्डे पर आ गयी। यह और इस किस्म की दूसरी बुराइयाँ हिसा और वेइमानी से भरी है। लेन-देन में पैसे के बजाय चीजों की अदला-बदली से ऐसा खतरा बहुत हद तक कम हो जायगा।

—जौ. का. कुमारपा

सार्वजनिक सेवा के काम (डाक, तार, यातायात के साधन, किसानों के लिए 'ट्रैक्टरो' की या बीज की व्यवस्था, नमक आदि आवश्यक चीजों का उत्पादन वितरण आदि) का सचालन सरकार करे या सार्वजनिक संघ या कोई खानगी व्यापारिक संस्था करे—ये काम मुनाफे या बचत की दृष्टि से न किये जायें।

—किशोरलाल मश्रुवाला

पहले बताया जा चुका है कि वर्तमान व्यवरथा में विनिमय और वितरण ने बहुत विस्तृत और जटिल रूप धारण कर रखा है। सर्वोदय अर्थव्यवस्था में ये बहुत सीमित ही रहेंगे। तब स्वभावतः सरकार का भी इन विषयों से विशेष सम्बन्ध न होगा। अतः इस सम्बन्ध के बारे में ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, कुछ खास बातों की ही ओर व्यान दिलाना है। पहले विनिमय का विषय ले।

[१] राज्य और विनिमय

मुद्रा—सर्वोदय व्यवस्था में उत्पादन-कार्य स्वावलम्बन और विकेन्द्रीकरण पद्धति से होगा। आदमियों की मुख्य आवश्यकताएँ उनके ही क्षेत्र में बनी

चीजों से पूरी होंगी, दूर-दूर के स्थानों से मँगाने और खरीदने की जरूरत न रहेगी। व्यापार अधिकतर छोटे-छोटे प्रदेशों तक ही सीमित होगा। एक प्रदेश में किसी को दूसरे की बनायी चीज लेनी होगी तो उसका सीधा अवयवा किसी रोजपर्दी की आवश्यकता की वस्तु के माध्यम से, अदलबदल हो सकेगा। मजदूरी, वेतन और कर आदि वथा-सम्भव जिन्स के नप में टिके जायेंगे। ऐसी और उत्तेज धर्वों के लिए ऋण बैंक विशेष परिस्थितियां में, कुछ सास घोजनाओं के लिए ही लिया जायगा। इन सब कानूनों से नक्कड़ी का व्यवहार अपने-आप बहुत कम रह जायगा। तथापि जितने परिमाण में भी वह होगा, उसके लिए उचित व्यवस्था करनी होगी।

प्रत्येक राज्य में मुद्रा की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा ही की जायगी, इससे वह राज्य भर में एकसी होने से जनता जे लिए तुविधाजनक होगी। राज्य को यह व्यान रखना होगा कि मुद्रा पद्धति सम्बन्धी अब तक जे अनुभवों से लाभ उठाते हुए ऐसी व्यवस्था करे कि इस समय मुद्रा-स्फीति या तेजी-भद्री आदि के रूप में जो कष्ट और असुविधाएँ होती हैं, वे न होने पाये। एक राज्य की मुद्रा किसी सास दूसरे राज्य की मुद्रा के आधित न हो, वह प्रामाणिक हो, और अपने राज्य की आवश्यकतानुसार हो।

वैंक—वैंकों के बारे में खुलासा पहले लिखा जा चुका है। सर्वोदय व्यवस्था में इनका स्वरूप, कार्य-क्षेत्र और नीति बहुत बदल जायगी। अन्न-वैंक, वस्तु-विनिमय-वैंक आदि यंगट-सख्ता में होने से राज्य में मुद्रा-वैंकों की आवश्यकता बहुत कम रहेगी। इस समय इनमें जो स्वार्थ-साधन और सुनाके-खोरी हो रही है, वह न रहे और यह सेवा-भाव से, धारा उठा कर काम करने वाले हो—इसलिए, राज्य सहकारी वैंकों को छोड़ कर, बड़े-बड़े वैंकों का नियन्त्रण अवयवा राज्यीकरण करेगा। राज्य के वैंक स्वावलम्बी होंगे, किसी दूसरे बड़े राज्य के प्रमुख वैंक के अधीन या आधित नहीं।

यातायात और आमदारपत के साधन—सर्वोदय व्यवस्था में व्यापार का परिमाण कम रहने से उसके लिए रेल, जहाज आदि की आवश्यकता कम होगी तथापि आमदारपत के साधन के रूप में इनका महत्व रहेगा। ये तथा

डाक तार आदि सार्वजनिक उपयोग के साधन केन्द्रीय सरकार के अधिकार में रहेंगे और वह इनके सम्बन्ध में लोकहित की दृष्टि रखेगी।

पूँजी के अव्याय में रेलों और सड़कों के विषय में खुलासा लिखा गया है। उनका तथा आन्तरिक जल-मार्गों, किनारे के जहाज-मार्गों, डाक, तार, हवाई जहाज आदि सार्वजनिक साधनों की व्यवस्था ऐसी होगी कि असख्य गाँव वालों के हित की उपेक्षा न हो। हमारी अर्थत्यवस्था विकेन्द्रित होगी, मनुष्यों तथा पशुओं को पूरा काम देने के लिए देहातों में माल ढोने का मुख्य साधन बैलगाड़ी ही रहेगी और उनके लिए गाँव-गाँव में पहुँचने वाली सड़कों की उच्चति की ओर येन्ट व्यान दिया जायगा। गाँवों में डाक, तार और टेलीफोन आदि की सुविधाएँ इस समय सभी देशों में बहुत कम हैं, सर्वोदय व्यवस्था में इन्हे काफी बढ़ाया जायगा। इसी प्रकार इस समय रेलों और जहाजों आदि में यात्रियों के दर्जे, उनकी किराया देने की समर्थन के अनुसार निर्धारित किये जाते हैं। सर्वोदय व्यवस्था में उनमें ऐसा भेद-भाव न रखकर सब की आवश्यकताओं और सुविधाओं का विचार किया जायगा। यातायात और आमदरपत्त के सभी साधनों के दर निर्धारित करने में यह लक्ष्य रखना तो आवश्यक ही है कि विकेन्द्रित उद्योगों को अधिक-से-अधिक प्रोत्साहन मिले।

राज्य का व्यापार सम्बन्धी दृष्टिभौगण—पहले बताया जा चुका है कि सर्वोदय व्यवस्था में व्यापार की आवश्यकता बहुत कम रहेगी और उसके बहुत से भाग पर पचायतों का ही नियन्त्रण होगा। सरकार का सम्बन्ध एक देश के दूसरे देश से होने वाले व्यापार से ही रहेगा। कोई देश उन्हीं वस्तुओं की आयात करेगा, जिनके बिना उसका काम न चले, और साथ ही वे दूसरे देश में वहाँ की आवश्यकता से अधिक हो, अर्थात् मुनाफे या विलासित की दृष्टि से आयात नहीं की जायगी। यही बात निर्यात के सम्बन्ध में रहेगी। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत परिमित ही रहेगा। सर्वोदय की दृष्टि से ऐसा होना जरूरी ही है, प्रत्येक देश को अधिक-से-अधिक स्वावलम्बी रहना है। वास्तव में हरेक राज्य को ऐसा आयात-निर्यात बन्द कर देनी चाहिए, जो ऊपर बताये हुए सिद्धान्त के विरुद्ध हो। इस प्रकार अनिवार्य आवश्यकताओं की वस्तुओं को छोड़ कर अन्य विदेशी माल के प्रति वहिष्कार नीति रहनी चाहिए।

विदेशी वहिष्कार की वात कुछ लोगों को अखरेगी। वे विश्ववन्धुन्व की वात करेंगे। सर्वोदय भी आदर्श वही है कि ससां के सब देश एक दूसरे के साथ एक विशाल परिवार के सदस्यों की तरह प्रेम और समानता ना व्यवहार करे। कोई देश किसी को अपने अधीन न करे। पर सोचना चाहिए इस समय जो राष्ट्र दूसरे को अपने अधीन करने के लिए नाना प्रकार के नीच प्रयत्न कर रहे हैं, उसका एक प्रमुख कारण यह है कि उन्हें अपने अधीन देशों में अपना माल खपाने, तथा उनका आर्थिक शोषण कर सकने की आशा है। जब उनकी यह आशा न गंडेगी, जब उन्हें विश्वास हो जायगा कि प्रत्येक देश म्बावली ही और विदेशी माल ना बहिष्कार करता है तो उन राष्ट्रों की नामाज्य-विस्तार की लालसा भी नहीं हो जायगी। इस प्रकार यदि हम विदेशी वस्तुओं के सत्तेपन के लोभ से न पड़े और स्वदेशी वस्तुओं से ही काम चलाने लगे—चाहे वे कुछ महगी ही क्यों न हो—तो हम ससार को युद्ध-सकट से दूर करने में भी बहुत सहायक हो सकते हैं, और स्वयं भी शांति का आनन्द प्राप्त कर सकते हैं। सच्चे विश्ववन्धुन्व का आदर्श चरितार्थ करने का यही मार्ग है।

[२] राज्य और वितरण

पहले बताया जा चुका है कि सर्वोदय अर्थव्यवस्था में वितरण की समन्वय आज की सी जटिल न होगी, एक प्रकार से उस समरया का अन्त ही हो जायगा। इस प्रकार राज्य को भी उसके विषय में विशेष कुछ करना न होगा। हा, समाज को ऐसी स्थिति में लाने के लिए राज्य बहुत सहायक हो सकता है। उसकी सहायता का लक्ष्य आर्थिक विप्रमता दूर करने का होना चाहिए।

आर्थिक-विप्रमता-निवारण—इस समय उत्पत्ति के चार साधनो-भूमि, श्रम, पूँजी और साहस—के स्वामियों को उनका प्रतिफल अर्थात् लगान, मजदूरी, सूद और मुनाफा दिया जाता है। सर्वोदय अर्थव्यवस्था में लगान, सूद और मुनाफे को हटा देना है, और श्रमियों को मजदूरी इस प्रकार मिलेगी कि न तो उन्हें अपने जीवन-निर्वाह आदि में कुछ कठिनाई हो, और न उनमें एक दूसरे से विशेष अन्तर हो अर्थात् खीं और पुरुष को, बुद्धिजीवी और शरीर-श्रमी को समान घटे ईमानदारी से काम करने पर समान ही वेतन दिया जायगा।

उपर्युक्त लक्ष्य को ध्यान में रख कर राज्य को वर्तमान अवस्था में निम्न-लिखित उपाय काम में लाने चाहिए :—

१—जमीदारी और जागीरदारी आदि की प्रथा जहाँ बुछु शेष है, उठा देनी चाहिए। खेती करने वाले प्रत्येक परिवार को देश की कुल भूमि का ध्यान रखते हुए इतनी भूमि दी जानी चाहिए, जितनी की आय से उसका निर्वाह हो जाय। इस विषय पर विस्तार से पहले लिखा जा चुका है।

२—समाज में स्वामित्व-विसर्जन की भावना का प्रचार किया जाय। ऐसी अवस्था की जानी चाहिए कि अपनी आवश्यकता से अधिक पुजी को आदमी दृस्टी के रूप में ही रखें, वे उसका उपयोग समाज या राज्य के लिए करें और उसके उत्तरदायित्व-नहीं स्वामी न हो। जो ऐसा न करते हों, उन पर भारी और उत्तरोत्तर अधिक कर लगाया जाय। धनी मनुष्य के मरने पर उसकी जायदाद पर यथेष्ट कर लगाया जाय और उत्तराधिकारियों से विरासत कर लिया जाय।

३—विकेन्द्रीकरण पद्धति से चलने वाले उद्योग-धधों की वृद्धि की जाय, जिससे उनके द्वारा ही जनता की प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति का सामान तैयार हो जाया करे। उत्तरोत्तर-सामान तैयार करने के लिए नये केन्द्रीभूत उद्योग स्थापित न होने दिये जाय, वरन् ऐसे जो उद्योग इस समय चल रहे हैं उनकी भी मरीन और पुजाँ के घिस जाने पर उन्हें बदलने न दिया जाय।

४—अधिकतम सम्पत्ति और आय तथा न्यूनतम सम्पत्ति और आय का अन्तर कम करना और क्रमशः घटाते रहना चाहिए, इस विषय में श्री किशोर-लाल मश्रूवाला का कथन था कि यदि हम सरकारी तथा सार्वजनिक स्थानों में काम करने वाले सेवकों के लिए मासिक दो हजार रुपये तथा अधिकतम निजी सम्पत्ति की मर्यादा सभी के लिए दस लाख रुपये तय कर सके तो पहले कदम के रूप में मैं उसे निभालूगा। न्यूनतम आय रुपये के रूप में उन्होंने इस प्रकार दरसायी है * —

२५ वर्ष तक की उम्र वालों के लिए

६० रु०

२५ से ३० वर्ष तक ” ”

८० रु०

३० वर्ष से अधिक ” ”

१०० रु०

कुछ लोगों का यह मत हो सकता है कि आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए श्री मथुराला के ये प्रस्ताव काफी तेज नहीं हैं। इन सज्जनों को याद रखना चाहिए कि इन सुभावों को इसी रूप में अमल में लाने का आप्रह नहीं है, ये तो इस विषय का विचार करने में सहायता देने के लिए उपस्थित किये गये थे। यदि कोई सज्जन, अथवा सत्य। या सरकार अधिक जोरदार कदम उठा सके तो और भी अच्छा।

जब रोजमर्ग की आवश्यकताओं की प्रीर्णि के लिए उत्पादन विकेन्ड्रीकरण पद्धति से अथवा ग्रामोद्योगों से होगा तो श्रमियों को वेतन देने का प्रश्न ही बहुत कम रह जायगा, कारण, अधिकाश आदमी अपने-अपने घर में, अपने परिवार के व्यक्तियों के साथ स्वतंत्र रूप से श्रम करने वाले होंगे। वे स्वयं ही अपने द्वारा उत्पन्न वस्तु के मालिक होंगे, अथवा, जब कि वे सहकारी पद्धति से उत्पादन करेंगे तो वहां भी सब काम करने वाले वरावरी के होंगे, मालिक (पृजीपनि) और मजदूर का भेट न होगा, मजदूरी का प्रश्न न उठेगा। मजदूरी का सवाल केवल उन्हीं उद्योग वर्गों में उपस्थित होगा, जिन्हें लोकहित की दृष्टि से केन्द्रित रूप में ही करवाना आवश्यक होगा। इनका निरीक्षण और नियन्त्रण सरकार द्वारा किया जाना चाहिए अथवा इनका राष्ट्रीकरण होना चाहिए। प्रत्येक सरकार को मजदूरी सम्बन्धी वातों में जीवन-वेतन और समानता के आदर्श को अपने सामने रखना चाहिए।

इन उपरों को अमल में लाने से आधुनिक सरकारे अपने अपने गत्ति में आर्थिक विषमता को कमश बढ़ा कर उसे बहुत-कुछ हटा सकती हैं और सर्वोदय अर्थव्यवस्था के लिए क्षेत्र तैयार कर सकती है, जिसमें, जैवा पहले कहा गया है, वितरण की जटिलता का अन्त ही हो जायगा।

विशेष वक्तव्य—वर्तमान आर्थिक विषमता का एक मुख्य नागर रह है कि इस समय प्रत्येक राज्य का व्यय बहुत बढ़ा हुआ है। प्रत्येक राज्य को पुलिस और खासकर सेनाएं रखने तथा सैनिक सामग्री तैयार करने के लिए बहुत रुपया चाहिए। इस लिए वह ऐसे ही उत्पादन को प्रोत्साहन देता है, जिससे उसे आसानी से तथा बड़े परिमाण में आय हो। इस प्रभार ग्रामोद्योगों

की अपेक्षा यत्रोदयोगों की उत्तरोत्तर उन्नति और विस्तार किया जाता है, जिसका फल आर्थिक विप्रमता बढ़ाना होता है। इसी प्रकार राज्य पुलिस और सेना के पदाधिकारियों को बहुत ऊचा वेतन देता है, उसमें और अन्य श्रमियों को मिलने वाले वेतन में बहुत अन्तर रहता है। इस तरह की सब बातें आर्थिक समानता में भयकर बाधाए हैं, इनके निवारण के लिए राज्य की रक्षा-नीति में आमूल परिवर्तन होने की आवश्यकता है। सर्वोदय व्यवस्था में यह किस प्रकार होगा, इसका विचार अगले अव्याय में किया जायगा।

और व्यव ग्राम पचायते हीं करे। जेप पचास प्रतिशत उनसे ऊर के मगठनों के लिए छोड़ देना चाहिए।^१

प्रादेशिक सरकारों की आय, मालगुजारी—प्रादेशिक सरकार अपने-अपने क्षेत्र की ग्राम और नगर पचायतों का अपनी समर्पक और महत्वोंग बटाती हुई उन्हें भूमि तथा विकेन्द्रित उद्योगों सम्बन्धी आवश्यक सहायता देती है। ये ऐसी शिक्षा तथा अनुसधान आदि की व्यवस्था करेंगी, जिससे गांवों और नगरों के निवासियों की प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति तथा आत्मोन्नति वी सुविधा होगी। ये यातायात के लिए सड़कों का, और मिचाई के लिए—जहाँ आवश्यक और उपयोगी हो—नहरों, नल करों और बांधों का, निर्माण चरेंगी।

प्रादेशिक सरकारों की आय का मुख्य सावन मालगुजारी होगी जो पचायतों द्वारा बग्ल की जायेगी। इसमें वर्तमान काल के दौषिण रहेंगे, आवश्यक सुवर कर दिये जाएंगे। यह तो पहले ही कह दिया गया है कि सर्वोदय व्यवस्था में किसानों से लगानी न लिया जायगा, और रही वे-मुनाफे की खेती न होगी, बीच के समय में यदि कहीं वे-मुनाफे की खेती हो, तो उमरी मालगुजारी न ली जानी चाहिए। जिस खेती से किसान की और उसके परिवार के लोगों की मजदूरी आदि लागत-खर्च नियम आने पर मुनाफा रहे, उस पर ही मालगुजारी ली जाय। मालगुजारी की दर निर्धारित करने में टेग-काल या लोकहित का, और उसे बसूल करने में किसानों की सुविधाओं का व्येष्ट व्यान रखा जाय। जो वस्तु मानव जीवन के लिए जितनी अविज्ञ आवश्यक हो, उतनी ही उसकी पेदावार पर मालगुजारी की दर कम होगी।

मालगुजारी जिन्स के रूप में होनी चाहिए—वर्तमान व्यवस्था में सरकारी मालगुजारी प्राय नकदी में निर्धारित रहती है। इससे किसानों को अपनी फसल की पेदावार बेचने की जल्दी करनी पड़ती है, आर इस जल्दी से उसे बहुधा बहुत बाटा सहना होता है। कुछ दशाओं में तो किसान को अपनी पेदावार का इतना हिस्सा बेच देना होता है कि उसके पास अगली

^१ ‘सर्वोदय योजना’ से।

^२ लगान और मालगुजारी का भेद पहले बताया जा चुका है।

फसल तैयार होने तक गुजारा करने के लिए भी काफी नहीं बचता, और उसे स्वयं अपने वास्ते बाजार से खरीद करनी पड़ती है। इस पर फिर उसे घाटा रहता है। अनेक बार तो अन्न आदि दूर-दूर की मणियों में ले जा कर बेचा जाता है, पीछे जब गाव वालों को इसकी जरूरत होती है तो वे उन मणियों से खरीद कर गाव में जाते हैं। इसमें यातायात का खर्च और परेशानी कितनी होती है, यह स्पष्ट ही है। इन दोषों को दूर करने के लिए मालगुजारी नकदी के बजाय, जिन्स में ही ली जानी उचित है। इसका आशय यह नहीं है कि सरकार खेती की प्रत्येक पेदावार का हिस्सा ले। असल में प्रत्येक प्रादेशिक सरकार पचासतों के परामर्श से हरेक क्षेत्र की कुछ खास-खास पेदावारों की सूची बनाले, इन पेदावारों में से ही वह, अपनी तथा किसानों की सुविधा का व्यान रखते हुए, मालगुजारी वमूल करे। मालगुजारी को जिन्स के रूप में लेने की कठिनाई विविध सहकारी संस्थाओं तथा प्रत्येक गाव में एक अनाज-बैंक सगठित होने से सहज ही हल हो जायेगी।

थ्रम के रूप में चुकाने की व्यवस्था—मालगुजारी थ्रम के रूप में भी चुकाये जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। जो किसान किसी कारण से माल-गुजारी अन्न आदि में नाचुकाना चाहे, वे उसके बजाय आवश्यक थ्रम करके चुका सके—इस दृष्टि से ग्राम-पचायते आवश्यक व्यवस्था करे। थ्रम की आवश्यकता सभी कामों में होती है। इसलिए उसका उपयोग अनेक प्रकार से हो सकता है, और उसके द्वारा ग्रामीण जनता के हित के विविध कार्य किये जाकर उसकी भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, चिकित्सा और यातायात आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। मालगुजारी को थ्रम के रूप में चुकाने से यह लाभ है कि इससे प्रत्येक नागरिक सरकारी अर्थ-वृद्धि में अपना कर्तव्य पालन सहज ही कर सकता है।

केन्द्रीय सरकार का सीमित अधिकार—सर्वोदय अर्थ-व्यवस्था का मूल तत्व विकेन्द्रीकरण तथा लोकहित है, इससे यह स्वयं सिद्ध है कि केन्द्रीय सरकार का अन्य विषयों की भाँति सार्वजनिक आय-व्यय पर सीमित ही अधिकार होगा। रेल, बिजली, डाक, तार, हवाई यातायात, मुद्रा और बैंक आदि-सार्वजनिक उपयोग के कार्यों में मुनाफे की दृष्टि नहीं होगी। बुझदौड़, मादक

पदार्थ, लाटरी आदि बन्द होने से इनसे आय न होगी। अर्थव्यवस्था विकेन्द्रित और सेवाभावी होने के कारण लोगों को बड़ी-बड़ी आमदनी न होने से और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत ही कम होने से आय कर आपात-निर्वात कर, सम्पत्ति कर, विक्री कर से होने वाली सरकारी आय मामूली ही होगी। उसकी आय का एक मुख्य साधन सार्वजनिक स्वामित्व वाले केन्द्रित उत्तरोग होगे। हॉ, आवश्यकतानुसार उसे प्रादेशिक सरकारों से सहायता मिलती रहेगी।

सरकारी अर्थनीति का लच्य, आय-व्यय की वृद्धि नहीं, जनता का कल्याण—जानव में सरकारी अर्थनीति का लच्य केवल अधिक से अधिक आय प्राप्त करना और अधिक से अधिक खर्च करना नहीं होना चाहिए। देखना वह होगा कि आप जिन साधनों से प्राप्त होती है, वे लोकहिन की दृष्टि से कहाँ तक उचित है, और सरकारी व्यय जिन कामों में होता है, उनसे जनता का कहा तक कल्याण होता है। इस कस्टी पर यदि आप और व्यय दोनों ही ठीक नहीं उत्तरते तब तो सरकारी अर्थनीति दूषित होने में भन्दे ही नहीं है, पर यदि व्यय हितकर भी है तो भी इस बात की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि आय किस प्रकार हुई है। उदाहरण के तोर पर यदि सरकार शिक्षा के कार्य में भी पैसा लगाना चाहे तो इसके लिए उसका शराब्बोरी को जारी रखकर आप प्राप्त करना उचित नहीं ठहराया जा सकता। मन्त्रिपेद वा शाराव-बन्दी की नीति को स्थगित करना वा उसमें टील ढेने भा समर्पन इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि सरकार को शिक्षा-प्रचार के लिए पैसा चाहिए। इसी प्रकार सरकार का केन्द्रित यत्नोद्योग को केवल उस व्यावर पर प्रोत्साहन देना अनुचित है कि उनसे सरकार को सहज ही बड़े परिमाण में आय प्राप्त हो जाती है, और उसके विविध लोकहितसारी विभागों का न्यून चल सकता है। पहले बताया जा चुका है कि केन्द्रित यत्नोद्योगों में जनता में बेजारी फैलाने, और आर्थिक असमानता बढ़ाने आदि के अनेक दोष हैं, और उन्हें खास अपवादों को छोड़ कर उनसी वृद्धि अनिष्टकारी ही है। इस लिए सरकार भी इन्हे यथा-सम्भव नियन्त्रित और सीमित ही रखना चाहिए।

सरकार को वरावर यह देखते रहना है कि श्रम करने के अभिलाषा प्रचेन

व्यक्ति को काम मिले और सर्वसाधारण को जीवन-निवांह के यथेष्ट साधन सुलभ हो। यदि किसी व्यक्ति या समस्या को इससे अधिक आय होती है तो यह कुछ विशेष सुविधाजनक परिस्थिति के कारण है, जिसका अधिकाश लाभ सरकार द्वारा जनता को मिलना चाहिए। वास्तव में परिस्थितिवश जो आय-वृद्धि होती है, उसका श्रेय समाज को है और उसका अधिकाश लाभ भी किसी व्यक्ति या समस्या को न मिल कर सर्वसाधारण को ही मिलना चाहिए। अस्तु, सर्वोदय अर्थव्यवस्था में सरकार इस बात का यथेष्ट व्यान रखेगी, कारण, उसकी अर्थ-नीति का मुख्य उद्देश्य यह नहीं होगा कि अपनी आय बढ़ाये या आय बढ़ाने के लिए ऐसी पद्धति को प्रोत्साहन दे, जिससे कुछ थोड़े से व्यक्तियों को ही लाभ हो, उसका लक्ष्य तो सर्वसाधारण जनता का कल्याण होगा।

आय का रूप : नकदी, माल और मजदूरी—अन्यत्र कहा गया है कि मालगुजारी जिन्स तथा मजदूरी के रूप में ली जानी चाहिए। इसी प्रकार अन्य सरकारी करों के सम्बन्ध में लोगों को यह अधिकार रहना चाहिए कि वे चाहें तो अपने करों को इसी रूप में दे सकें, किसी पर यह प्रतिबन्ध न हो कि वह अपना कर नकदी में ही चुकाये। इससे जनता को पैसे की अर्थव्यवस्था से मुक्ति पाने का मार्ग प्रशस्त होगा, जिसकी आवश्यकता और उपयोगिता पहले चतायी जा चुकी है। जब लोगों को सरकारी कर जिन्स या श्रम के रूप में चुकाने की आजादी रहेगी तो स्वभावतः उन्हें लोकोपयोगी वस्तुएँ बनाने तथा अपने श्रम को हितकारी कार्यों में लगाने की प्रेरणा होगी और राज्य में जनता की स्थिति अधिक सुखमय होगी।

सर्वोदय व्यवस्था में खर्च बहुत कम होगा—आजकल सरकारे अधिकाधिक खर्च करती जाती है, और ऐसा करने में गर्व मानती है। साधारण तौर पर सरकार द्वारा खर्च अधिक होने का अर्थ यह लिया जाता है कि सरकार जनता की सुख-सुविधा और उन्नति की व्यवस्था अधिक करती है। परन्तु जानने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि सरकार द्वारा किये जाने वाले विविध कायों का विशेष लाभ फी सैकड़ा कुछ थोड़े से ही व्यक्तियों को मिलता है। यदि सरकार उच्च शिक्षा की व्यवस्था करती है तो उसमें सरकार का बहुत सा रूपया खर्च होने पर भी साधारण हैसियत के नागरिकों की ऐसी सामर्थ्य नहीं होती कि वे

उसकी फीस आदि का भार उठा सके। राजवानियों में वडे-वडे ऊचे टक्के के अस्पताल होने हैं, पर मामूली नागरिकों की उनमें पहुँच नहीं हो पाती। यहाँ तक कि हमारी सड़कों की मट में इतना खच्चा खर्च होने पर भी देश में जो सीमेन्ट या तारफोल की सड़कें बनती हैं, वे योड़े से नागरिकों के काम आती हैं, हमारी जनसख्ता का अधिकारा भाग तो गांवों में रहता है, और गांववालों के लिए मामूली कच्ची सड़कों की भी बहुत कमी रहती है। निदान, इस समय सरकारी खर्च का परिमाण खूब अधिक होता है, उसमें सब नागरिकों को भाग लेना होता है, पर उससे लाभ योड़े से ही व्यक्तियों को मिलता है।

सर्वादप अर्थव्यवस्था में सबके हित का व्यान रखा जायगा। सरकार को स्कूल, अस्पताल और मड़कें आदि बनवाने में तथा उनके सञ्चालन में खर्च बहुत कम पड़ने की बात पहले कही गयी है। उसके अतिरिक्त गामन बहुत सरल हो जाने से भी खर्च बहुत घट जायगा। इस समय ऐसे की प्रतिष्ठा होने से सरकारी पदाधिकारी अधिक से अधिक वेतन और भत्ते आदि पाना चाहते हैं, और अनेक बार ऊचे वेतन वाले भी ब्रज्ञाचार, रिश्वतखोरी आदि के गिकार करते पाये जाते हैं। वन के बजाय अम का प्रतिष्ठा होने से, लोगों में सेवा-भाव की वृद्धि होगी, साधारण वेतन से ही काम करने के लिए अच्छे योग्य व्यक्ति यथेष्ट सख्ता में मिलेंगे। राज्य की नीति अहिन्सा रहने पर, पुलिस और सेना का रूप बदलने के साथ इसका खर्च भी घट जायगा। शान्ति काल में इनके द्वारा रचनात्मक काम होने से राज्य को इस मट से जो लाभ होगा, वह रहा अलग। निदान, इनके खर्च का भार बहुत कम रहेगा।

विशेष बक्तव्य—इस तरह सर्वोदय व्यवस्था में, इस समय की अपेक्षा, खर्च बहुत कम होगा। विशेष बत यह होगी, कि सरकार का खर्च करने का ढग ऐसा होगा कि उससे योड़े से लोगों की आरामतलवी या विलासिता, और योग्य अधिकारा जनता की मूल-भूत ग्रामशक्तियों के भी पदार्थों में कमी न होकर सब के हित का यथेष्ट व्यान रखा जायगा। ऊचे कहे जाने वाले लोगों को विलासिता रोग से मुक्त रखने की व्यवस्था होगी, और सब की प्रसुत आर-शक्तियों की पूर्ति के अतिरिक्त उनके सास्कृतिक विकास का भी प्रदन्व रहेगा।

कुद्रत अपने काम में पूरा समय लेती है। जल्दवाजी करने वाला आदमी न तो तरक्की कर सकता है, और न वैज्ञानिक वन सकता है। हमें जिन्डगी में धीरज और समतोल रखने की जरूरत है। सायन्स के सही इस्तेमाल और सच्ची तरक्की का रास्ता यही है कि हम गाव के छोटे-छोटे उद्योग धन्धों के जरिये ही हर रोज की जरूरत पूरी करें।

॥

*

*

क्या इन्सान में इतनी अकल आयेगी कि दूरन्देशी के साथ सही रास्ते को देख ले ? गांधीजी ने जो रास्ता बताया, वह ऐसा नहीं है, जिस पर सिर्फ कुछ वड़े-वड़े आदमी ही चल सके। यह इतना सीधा-सादा है कि हम मे से छोटे से छोटा इस पर अमल कर सकता है। इस रास्ते की मुराद यही है कि हम अपना निजी जीवन उस प्रकार के मुताबिक विताये जो हमारे अन्दर की अपनी सब से ऊँची पुकार है। यह जरूरत है कि इसके लिए आजकल की मौज-मस्ती के बजाय खुद पर कावू रख कर और आत्म-संयम से चलना होगा। हमें काम का ऐसा ढर्हा और चीजों का एक ऐसा तर्ज बना लेना है, जिसका आधार सामाजिक, नैतिक और रुहानी वातों पर हो। वस, यही वह रास्ता है, जिसके जरिये सब के लिए राम राज्य कायम हो सकेगा, यही वह रास्ता है, जिसके जरिये हर इन्सान को सच्ची खुशहाली और शान्ति नसीब हो सकती है।

—जो० का० कुमारपा

सातवाँ स्वंड

उपसंहार

४१—सर्वोदय अर्थशास्त्र की विशेषताएँ

४२—हमारा कर्तव्य

इकतालीसवां अध्याय

सर्वोदय अर्थशास्त्र की विशेषताएँ

आर्थिक लोकतत्र के अभाव में राजनैतिक लोकतत्र होना न होना समान है। आर्थिक लोकतत्र का अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति का अधिकार मिलना चाहिए।

—विश्वप्रकाश

जिस समाज में शोषण चल रहा है और शोषण-प्रधान व्यवस्था चल रही है—ऐसे समाज में हमें शोषण रद्दित व्यवस्था लानी है। इसलिए हमें पुरानी समाजे रचना को तोड़ना होगा। आज हमें तोड़ना और जोड़ना साथ-साथ करना होगा।

—धीरेन्द्र मजूमदार

पिछले अव्यायों में सर्वोदय अर्थशास्त्र का विवेचन करके अब हम पाठकों का व्यान उसकी खास-खास बातों की ओर दिलाना चाहते हैं।

इस अर्थशास्त्र से सब का हित—वर्तमान अर्थशास्त्र का लक्ष्य राष्ट्र की आर्थिक उन्नति करना माना जाता है। इसे मानने वाले समझते हैं कि हमें सब व्यक्तियों के हित की ओर व्यान देना आवश्यक नहीं। बहुमत्व्यक दल या वर्ग विशेष का विचार करना काफी है। इसी प्रकार यदि कोई आदमी या सम्पदा ऐसी खेती या उद्योग-धन्धा करती है, जिससे उत्पादन की मात्रा बढ़ती है तो हम उसे प्रोत्साहन देते हैं। पर इसमें यह नहीं विचार किया जाता कि इस उत्पादन का जन साधारण के स्वास्थ्य आदि पर क्या प्रभाव पड़ा। फिर किसी राष्ट्र का, दूसरे देशों की जनता के हित की उपेक्षा करके, अथवा उसमें वाधक होकर केवल अपने उत्कर्ष में लगा रहना भी अनिष्टकारी है। प्रत्येक राष्ट्र का कई-कई राष्ट्रों से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है और वर्तमान काल में यह घनिष्ठता बढ़ती ही जा रही है। भौतिक दृष्टि से दुनिया एक हो रही है, और यातायात

के विचार से बहुत छोटी भी। एक राष्ट्र के कायों का प्रभाव दूर-दूर के देशों पर पड़ता है। इसलिए यदि उदारता से व्यवहार न किया जाय तो हमारे कार्य दूसरों के लिए बहुत हानिकर हो सकते हैं और यह बात अन्तत हमारे राष्ट्र के लिए भी अच्छी सिद्ध नहीं होती। अस्तु, वर्तमान अर्थशास्त्र कुछ व्यक्तिगत, वर्गों या प्रदेशों को अपने सुख के साधन खोने और दूसरों का शोषण करने की अनुमति देता है। यह मानव समाज के दुकड़े-दुकड़े करता है और एक हिस्से को दूसरे का प्रतिद्वन्दी बनाता है।

इसके विपरीत, सर्वोदय अर्थशास्त्र सम्मत समाज का हित सोचता है। उसमें रग भेद, जाति भेद या राष्ट्र-भेद नहीं होता। उसका लक्ष्य विश्ववन्धुत्व होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह मनुष्य को दूर-दूर की बातों में फसा कर उसे अपने स्थानीय कर्तव्य से विमुख करता है। उसका तो आदेश है कि हमें अपने नजदीक के आदमी के साथ अधिक से अधिक सहयोग बढ़ाना है, उसकी आवश्यकता का विचार करके उत्पादन करना है, और हमें अपने उपयोग की वस्तुओं के लिए दूर-दूर न भटक कर उन्हें अपने गाव या नगर से ही लेना है, जिससे हमारे स्थानीय उत्पादकों और कारीगरों को आजीविका और विकास के साधन मिले। हा, हमें अपने व्यवहार में कृत्रिम सामाजिक भेद-भाव न रख कर सब के हित का प्रयत्न करना है और उसी में अपना हित मानना है। यह सर्वोदय अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषता है और इसके नाम के ‘सर्वोदय’ शब्द को सार्यक करती है।

भौतिक पदार्थों की अपेक्षा मनुष्य का महत्व अधिक—वर्तमान अर्थशास्त्र भौतिक उन्नति के साधन खोने में लगा है, यह भुला दिया जाता है कि वे साधन अन्तत मनुष्यों के लिए हैं, मनुष्य उनके लिए नहीं। अस्तु, अमज्जीवियों से अधिक उत्पादन कराने के हेतु ऐसे उपाय काम में लागा जाना अनुचित है जिनसे उनकी शारीरिक, मानसिक तथा नेतृत्व उन्नति में वाधा हो, अथवा उन्हें थोड़े-बहुत समय में वेकार होकर दूसरे के आश्रित होने या राज्य पर भार बनने की नौकरत आये। हमारा लक्ष्य अच्छे नांतमान मनुष्य तैयार करना है, उनके बास्ते जहा तक भौतिक साधनों की आवश्यकता हो, उसकी व्यवस्था होना ठीक ही है, पर ऐसा न होना चाहिए कि मनुष्यों की

बलि देकर भौतिक उन्नति का आयोजन हो। जब मनुष्य अच्छे नीतिमान और सदाचारी तथा सेवाभावी होगे तो वे भौतिक साधनों का उपयोग एक-दूसरे के हित के लिए करेंगे, अन्यथा वे उन साधनों से समाज का अहित करने की ठानेंगे, जैसा कि आज के युग में अणु-बम और हिंसक शस्त्रास्त्रों के सन्वर्स में हो रहा है। इसलिए सर्वोदय अर्थशास्त्र भौतिक पदार्थों की अपेक्षा अच्छे मनुष्यों के तैयार किये जाने पर जोर देता है।

उत्पादन को नहीं, उपयोग को प्राथमिकता— वर्तमान अर्थशास्त्र में उत्पादन को केन्द्र-विन्दु माना जाता है। लोगों को सर्व-प्रथम किन वस्तुओं की आवश्यकता है, इस पर व्यान नहीं दिया जाता। अनेक प्रदेशों में जूट, कपास और गन्ने आदि की व्यापारिक फसले पैदा की जाती हैं, और फैशन या शृंगार की विविध वस्तुएं बनायी जाती हैं। देश में ऐसे उत्पादन का परिमाण बढ़ाकर उसके लिए बाजार ढूढ़ना तथा झूठे-सच्चे विज्ञापन देकर लोगों को आकर्षित करना वर्तमान अर्थनीति में बड़ी कुशलता समझी जाती है। इसी का परिणाम यह है कि औद्योगिक दृष्टि से उन्नत कहे जाने वाले देशों के स्वार्थ एक-दूसरे से टकराते हैं और युद्धों तथा महायुद्धों को निमित्त करते हैं। ससार पर हर घड़ी सकट छाया रहता है। शाँति की जगह युद्ध ही इस समय का सत्य बना हुआ है। इसलिए सर्वोदय अर्थशास्त्र में उपयोग को प्राथमिकता देकर उसकी दृष्टि से उत्पादन करने का विचार किया जाता है। अनावश्यक या अहितकर उत्पादन को रोक कर उसमें लगने वाले समय और शक्ति को जनता का सास्कृतिक विकास करने वाले उत्पादन में लगाने का सत्परामर्श दिया जाता है।

उपयोग हो, उपभोग नहीं— ऊपर उपयोग की बात कही गयी है। साधारण प्रचलित अर्थशास्त्र में उपभोग का विचार होता है। पर सर्वोदय अर्थशास्त्र में उसके बजाय उपयोग की बात होती है। यहाँ अन्तर नामका नहीं है, जीवन-दृष्टि का है। प्रचलित अर्थशास्त्र के अनुसार यह समझा जाता है कि जीवन में आवश्यकताएँ जितनी बढ़े, मौज-शौक या भोग-विलास की सामग्री का सेवन जितना अधिक हो, उतना ही आदमी अधिक उन्नत, सम्य या ऊचे दर्जे का है। इसके विरुद्ध सर्वोदय अर्थशास्त्र की मान्यता है कि आदमी यथा-

सम्भव अपनी भौतिक तथा कृत्रिम आवश्यकताओं को नियन्त्रित करे, भोग-विलास से बचे, स्वयम् से रहे और लोकसेवा में लगे, तभी उसका जीवन ऊचे टर्जे का कहा जायगा। इसका अर्थ वह नहीं कि आदमी भूतान्ग रहे। इसका आशय यही है कि भोजन-वस्त्र हमारे शरीर के लिए हो, उनका भेवन उनी सीमा तक किया जाय, जहाँ तक कि वे शरीर के लिए उपयोगी हो, जीवन-निर्वाह और विकास में सहायक हो। गांधी जी के शब्दों में ‘उपयोगी वह है जिससे मानव जाति का भरण पोषण हो। भरण-पोषण वह है, जिससे मनुष्य को यथेष्ट भोजन-वस्त्र मिल सके वा जिससे वह नीति के मार्ग पर स्थित रह कर आजीवन श्रम करता रहे।’

औद्योगिक विकेन्द्रीकरण तथा स्वावलम्बन—वर्तमान अर्थव्यवस्था में बड़े-बड़े यत्र वा मरीनो से कुछ खास-खास केन्द्रों में उत्पादन-कार्य होता है। वे सत्ता या शक्ति को मुट्ठी भर व्यक्तियों से केन्द्रित करके हजारों और लाखों आदमियों को उनके अधीन शोपित और पीड़ित रहने को बाध्य करती है जिससे हिंसा और बल-प्रयोग द्वारा समाज की सब व्यवस्था दूषित होती है और लोकतंत्र और मानवता का भयकर हास होता है। सर्वोदय अर्थशास्त्र औद्योगिक केन्द्रीकरण के इन दोषों को जानता है, अतः वह विकेन्द्रीकरण का मार्ग दर्शाता है, और जनता को छोटे-छोटे क्षेत्रों में स्वावलम्बी जीवन चिताने का आदेश करता है।

पैसा साध्य नहीं, साधन मात्र—आधुनिक अर्थव्यवस्था में पेसा आदमी के जीवन में साध्य बन बैठा है। आदमी दिन रात इसके संग्रह की चिन्ता में है। अपने पड़ोसियों को आर्थिक सकट में पड़ा देख कर भी हम उनके लिए विशेष क्रियात्मक सहानुभूति नहीं दिखाते। हमें यह फिर रहती है कि हमारी बैंक की उस जमा में कुछ कमी न आ जाय, जिसे उत्तरोत्तर बढ़ाते रहना हमने अपना मुख्य कर्तव्य समझ रखा है। साधारण श्रेणी के आदमी भी पैसे के चक्र में बुरी तरह फसे हैं। गवालिया अपना दूध, और माली अपने यहा के फल, अपने बाल-बच्चों को न देकर उन्हे बेचकर उनके दाम उठाते हैं। किसान अपने लिए घटिया अब रख कर बढ़िया अब मड़ी में ले जाकर बेच देता है। सर्वोदय अर्थशास्त्र ऐसे व्यवहार को दूषित ठहराता है। यह

केवल अतिरिक्त पैदावार को बेचने की अनुमति देता है। वह पैसे को साधन के रूप में देखता है, उसे जीवन का सभ्य नहीं बनने देता। वह पैसे को मानवता की सेवा में उपस्थित रहने का, और स्वामी नहीं, दास बने रहने का आदेश करता है। इस प्रकार वर्तमान काल में जो बहुत से आदमी केवल विनिमय या खरीद-बेच में लगे हुए हैं, उन्हे उससे मुक्त कर उत्पादन कार्य में लगाते हुए सर्वसाधारण के वास्ते उपयोग की सामग्री सुलभ करने का यह अर्थशास्त्र सुखदायी विधान है।

प्रतिष्ठा पैसे की नहीं, श्रम की—ग्राहुनिक अर्थव्यवस्था में ‘सर्वे गुणाः काचनमाश्रयन्ते’ की कहावत चरितार्थ होती है। पैसे वालों को समाज में, सभा-सोसायटी में, राज्य में, हर जगह खूब आदर-मान मिलता है, भले ही उन्होंने बड़े-बड़े कारखाने खोल कर हजारोंलाखों आदमियों को बेकार और भूखा-नगा रहने पर वाव्य किया हो, या फैशन और विलासिता का सामान बनाकर, और उसके विजापन से लोगों को फुसला कर, देश में जनता की मूल-भूत आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा उपस्थित की हो। सर्वोदय अर्थशास्त्र के अनुसार प्रतिष्ठा पैसे की नहीं, श्रम की होनी चाहिए। अपनी मेहनत से अपना भरण-पोषण करने, और देश को आवश्यक पदार्थ देने वाले किसान और मजदूर को उस पैसे वाले से अधिक इच्छत-आनंद मिलनी चाहिए, जो अपनी, चतुराई और चालाकी से दूसरों का शोषण करता है, या खाली बैठे अपने बापदादा की कमाई पर भौज उड़ाता है। इस अर्थशास्त्र में मुफ्तखोरों आलसियों, अनुत्पादकों, अपने पसीने की कमाई खाने वालों के लिए यह सब प्रकार आदर प्रतिष्ठा प्रदान करता है।

बुद्धि का उपयोग लोक-सेवा के लिए—आजकल बुद्धिजीवियों ने अपनी बुद्धि का कैसा दुरुपयोग कर रखा है! ये श्रमजीवियों की अपेक्षा कितनी आरामतलबी का जीवन विताते हैं। अनेक न्यायाधीश, प्रोफेसर, विधान-सभाओं के सदस्य, और राजकर्मचारी आदि प्रायः साल में छ. अर्हने, और दिन में दो-चार घन्टे ही काम करते हैं। इस समय भी उन्हे गर्मी में विजली के पंखे और खस की टहियों को जरूरत होती है। सर्दी में उनके कमरे को

गमे करने की व्यवस्था रहनी चाहिए। तिस पर भी उनका वेतन माध्यारण श्रमी की अपेक्षा १५-२० गुना, और कुछ दशाओं में इससे भी अधिक होता है। इसके विपरीत, अभियों के सत्ताह में छ या सठे पाच दिन और दिन में छः बन्टे काम करने का नियम बनाना भी बड़ा अनुग्रह समझा जाता है। सर्वोदय अर्थशास्त्र को यह असमानता मान्य नहीं। उसकी सूचना है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मरण-पोपण के लिए शरीर-अम करे, बुद्धि का उपयोग दूसरों का शोपण करने या उनके अम से अनुचित लाभ उठाने में न किया जाकर लोकसेवा या ज्ञान-प्रचार के लिए ही किया जाय, पारित्रिमित या मुआवजे के लिए नहीं।

विनिमय की मर्यादा—वर्तमान अर्थव्यवस्था में उत्पादन का केन्द्रीकरण होने से खास-खास स्थानों में बहुत सा सामान तेवार होता है, वहाँ से क्रमशः छोटे केन्द्रों में होता हुआ, कई-कई व्यापारियों या दलालों के द्वारा गाँवों और नगरों के उपमोक्ताओं के पास पहुँचता है। इसके लिए माल गाड़ियों, मोटर-ट्रकों आदि वाहनों की कितनी व्यवस्था करनी होती है, जगह जगह माल उतारने-चढ़ाने की कितनी झटकट होती है, माल कितना खराब होता है, व्यापारियों और दलालों के खर्च और मुनाफे का उपमोक्ताओं पर कितना भार पड़ता है—यह सहज ही अनुमान हो सकता है। सर्वोदय अर्थशास्त्र के अनुसार माल का उत्पादन विकेन्द्रित रूप से स्थान-स्थान पर उपमोक्ताओं के पास ही होगा, विनिमय का यह विकराल रूप न रहने पायेगा, इसके अस्तीनवे प्रतिशत की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। मुनाफाखोरी का प्रसग स्वतं बहुत कम रह जायगा, और उपमोक्ता को विनिमय के दुश्चक्र से बहुत राहत मिल जायगी। अस्तु, सर्वोदय अर्थशास्त्र लोगों को ऐसे पदार्थों को उपयोग करने के लिए कहता है, जो उनके गाव या नगर में बनते हैं या बनाये जाते हैं, और जिनका अदल-बदल वहाँ का वहाँ ही आसानी से हो सकता है, जिसके लिए दूर-दूर के स्थानों में विनिमय नहीं करना पड़ता, विदेशों से तो प्राय विलुप्त ही नहीं।

वितरण की समस्या का अन्त—वर्तमान अर्थशास्त्र से वितरण की समस्या ने बहुत जटिलता ग्रहण कर रखी है। उत्पादन के साधनों के मालिकों में से जमीन वाले को लगान किस हिसाब से दिया जाये, पूँजी वाला किनना

सूद पाने का अधिकारी है, श्रमियों को वेतन देने में क्या आदर्श रहे, और व्यवस्थापक या साहसी को मुनाफा कहा तक मिले—ये प्रश्न बहुत विवाद-ग्रस्त है। सर्वोदय अर्थशास्त्र के अनुसार समस्या बिल्कुल सरल हो गयी है। जमीन उसी को और उतनी ही मिले, जो जितनी स्वयं जोते-बोये। इस जमीन को वह समाज की सम्पत्ति के रूप में काम में लाये, और जब वह इसे काम में न ला सके तो वह इसका अधिकारी न रहे। इस जमीन पर किसी प्रकार का लगान न रहेगा और मालगुजारी उचित ही ली जायगी, उसमें किसानों को जीवन-वेतन मिलने का व्यान रखा जायेगा। पूँजी वाले को सूद लेने का अधिकार न होगा। पूँजी इस प्रकार विभाजित होगी कि प्रायः न किसी को दूसरे से लेने की जरूरत रहेगी, और न किसी के पास वह फालतू पड़ी होगी। यदि किसी के पास कुछ अतिरिक्त पूँजी होगी भी तो वह समाज की मानी जायगी और उसका उपयोग उसी दृष्टिसे किया जायगा। व्यवस्थापक या साहसी को अपने श्रम का पारिश्रमिक मात्र लेने का अधिकार होगा। मुनाफा निजी लाभ की चीज न होगी, वह समाज-हित के लिए काम में लाया जायेगा। अब रहा, श्रमी। उत्पादन विकेन्द्रित रूप में होने तथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए शारीर-श्रम करना आवश्यक होने से प्रायः प्रत्येक परिवार स्वावलम्बी होगा। जिन व्यक्तियों को दूसरों का अथवा सरकारी काम करने की आवश्यकता होगी, उन्हें उनके परिवार के भरण-पोषण आदि के लिए न्यूनतम वेतन अवश्य ही दिया जायगा। इस प्रकार किसी व्यक्ति को अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति से बचित होने का अवसर नहीं आयेगा, सब आनन्द-पूर्वक अपना विकास करते हुए दूसरों की उन्नति में सहायक होंगे। मुनाफेखोरी या शोषण का प्रसग न रहेगा।

विकेन्द्रित और लोकतंत्री राजसत्ता—ऐसे आर्थिक संगठन में सम्पत्ति कुछ थोड़े से व्यक्तियों के पास जमा न हो कर विकेन्द्रित होगी, सब लोग अच्छी तरह शुजर-बसर करने वाले होंगे, कोई बड़े-बड़े मालदार, जागीरदार, पूँजीपति आदि न होंगे, जिनके महलों और राजमवनों की चौकसी के लिए, जिनके धन की चोरों और डाकुओं से रक्षा करने के लिए, हथियारबन्द सिपाही या पुलिस आदि की आवश्यकता होती है। जनता अपने अधिकाश कार्य-व्यवहार में स्वावलम्बी होगी, उत्पादन, वित्सण, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, रक्षा आदि

सब कार्य स्थानीय पचायतो के द्वारा सम्पन्न होने से केन्द्रीय सरकार का कार्य-क्षेत्र स्वभावतः सीमित होगा। इस प्रकार राजसत्ता विकेन्द्रित होगी शासन-क्षेत्र की हुर इकाई के प्रवन्ध आदि में प्राय वहां के ही आदमी सहयोग देगे। उनका अपने वहां की जनता से वनिष्ठ समर्पक रहेगा, वे वास्तव में जनता दे ही आदमी होंगे, और हुक्मत करने या धौस जमाने की भावना न रखनेर लोक-सेवा के भाव से काम करेंगे। उनमें रिश्वतखोरी या दमन की प्रवृत्ति न होगी, वरन् आवश्यकतानुसार जनता की प्रत्येक बात में सहायता करना अपना कर्तव्य समझेंगे। इस प्रकार आदमी हर जगह वास्तविक लोकतंत्र अनुभव करेंगे।

राज्यों में व्यापारिक संघर्ष का अभाव—सर्वोदय अर्थव्यवस्था में प्रत्येक राज्य अपनी प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति में स्वावलम्बी होगा, किन्तु देश को अपनी निर्यात का माल दूसरों पर लादने की उत्तुकता न होगी, और, क्योंकि वह अपनी प्रमुख आवश्यकताओं के सम्बन्ध में स्वावलम्बी होगा, दूसरे देशों को वहा अपना माल भेजने और खपाने की गुजाइश न होगी। इस प्रकार न तो हमें दूसरे आजारों को हथियाने के लिए किसी से संघर्ष लेना होगा, और न दूसरों को हमारे वहा आकर व्यापारिक दौव-पेच करने और प्रतिद्वन्द्विता और संघर्ष का परिचय देने का अवसर रहेगा।

विश्व-शान्ति का मार्ग प्रशस्त—हम स्वाधीनता की कड़ करने वाले होंगे और किसी पर आक्रमण करने की हमारे मन में भावना ही न होगी। इसलिए बड़ी-बड़ी सेनाएँ और हिसक सामग्री की भी हमें जरूरत न होगी। हमारे प्रेम और भाईचारे की नीति के कारण सासार के सब देशों की सहानुभूति हमारे साथ होगी, तथापि किसी राज्य के आकस्मिक आक्रमण के लिए हम दूसरों पर निर्भर न रह कर अपनी तैयारी रखेंगे। हाँ, वह तैयारी दूसरों को मारने की न होकर स्वयं मर-मिटने की होगी। हमारे अर्हिसक भैनिन्स सत्याप्रदृढ़ और असहयोग के बल पर, अपने विपक्षि यों के हृदयों पर विजय प्राप्त करेंगे और उनको अपना मित्र बना लेंगे। अस्तु, आक्रमण हो, तो आत्म-रक्षा—किसी भी दृष्टि से हमें हिसक बल की आवश्यकता न होगी। स्वयं अर्हिसक नीति के लिए अपनी तैयारी दिखाकर हम दूसरों के लिए इस विप्र

का अच्छा उदाहरण उपस्थित कर सकेंगे। इस तरह विश्व-शान्ति और निरखी-करण का मार्ग प्रशस्त होएगा। मनुष्य जाति युद्ध और विनाश की चिन्ता से मुक्त रहती हुई अपनी शक्ति और समय का उपयोग अपने विकास और उत्थान के लिए कर सकेगी।

ऊपर सर्वोदय अर्थशास्त्र की कुछ 'मुख विशेषताओं का ही उल्लेख किया गया है, विचारशील पाठक अन्य विशेषताओं का विचार स्वयं कर ले। इन चातों को अमल में लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसका विचार अगले अध्याय में किया जायेगा।

वियालीसवां अध्याय

हमारा कर्तव्य

अगर कोई आदमी अपने स्वप्नों की दिशा में विश्वास के साथ आगे बढ़ता रहे और ऐसा जीवन व्यतीत करने की कोशिश करता रहे, जैसा कि उसने सोच रखा हे, तो उसे वह सफलता मिलेगी, जिसकी मामूली समय में आशा नहीं की जा सकती।

—थोरो

आपने जन-स्वास्थ्य, यातायात (सड़क), सहकारिता आदि पर व्यान दिया हे। एक छोटे से गाँव में काम करते हुए आप सम्पूर्ण देश की ही नहीं, बल्कि समस्त मानवता की सेवा कर रहे हैं। इस तरह आपका काम सिर्फ एक गाँव तक सीमित नहीं रहेगा, वरन् उन्हीं प्रयत्नों से सम्पूर्ण विश्व में शान्ति लायी जा सकती है।

—जो का कुमारपा

सर्वोदय अर्थव्यवस्था के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसका विचार करने से पहले हम वह जान ले कि हमें क्या नहीं करना चाहिए।

सरकार के भरोसे न रहें—इस प्रसग में एक मुख्य बात यह हे कि हमें यह न सोचना चाहिए कि सरकार इसे चलायेगी, या इसके समन्वय में कानून बनायेगी, तभी यह व्यवस्था चलेगी। सरकारों से, यासकर जनतारी सरकारों से, किसी विशेष क्रान्तिकारी कदम की आशा नहीं की जानी चाहिए। वे तो जनता का रुख देख कर चलती हैं, जब कोई बात अविकाश जनसमाज व्यवहार में लाने का इच्छुक होता है, या किसी बात को जनता के बड़े भाग का समर्थन मिलने की आशा होती है, तभी वे कोई बात हाय में लेती हैं। कानून से उस बात को बल मिलता हे और वह जनता में अविकृ नुविधा-पूर्वक तथा तेजी से चल निकलने योग्य हो जाती है। पर इसमें पहले प्राव. समाज

को आगे बढ़ना होता है, तभी सरकारी सहायता कुछ काम आ सकती है। जनता की तैयारी बिना, सरकारी व्यवस्था की प्रायः दुर्दशा ही होती है। निदान, इस दिशा में पहले सरकार द्वारा कदम उठाये जाने की प्रतीक्षा करना बेकार है।

दूसरे आदमियों की प्रतीक्षा में भी न रहना चाहिए—इस प्रकार यह सोचना भी ठीक नहीं कि जब हमारे देश के अथवा दूसरे देशों के आदमी इस प्रकार का व्यवहार करने लगेंगे तो हम भी ऐसा करना आरम्भ कर देंगे। अगर ससार में सब आदमी यहीं सोचा करे तो समाज में किसी प्रकार की प्रगति होने का अवसर ही न आये। जो भी सामाजिक व्यवस्था बनी है, और जो भी सुधार हुआ है, वह पहले किसी एक ही व्यक्ति के व्यान में आया था, पीछे जाकर धीरे-धीरे उसका प्रचार हुआ। अनेक दशाओं में ऐसा भी हुआ कि जिस महानुभाव ने पहले पहल किसी नयी बात का विचार और प्रचार किया, उसे पागल और शेखचिल्ली तक कहा गया, पर पीछे जाकर आदमी उस महापुरुष की महत्ता मानने लगे। अस्तु, किसी व्यक्ति को किसी शुभ धिचार को कार्य-रूप में परिणत करने के लिए दूसरों के सहयोग की प्रतीक्षा में न बैठ रहना चाहिए।

व्यक्ति आगे बढ़े, श्रद्धा; धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता —इस प्रकार जिन व्यक्तियों को सर्वोदय अर्थव्यवस्था हितकर प्रतीत हो, वे किसी साथी की राह न देख कर, इस ओर चल पड़े। उन्हें अकेले ही रास्ता तय करना पड़े तो भी श्रद्धापूर्वक बढ़े चले। वे विनाश-वाधाओं से, अथवा निन्दा या उपद्यास आदि के कारण विचलित न हो, आशावादी रहते हुए, अपनी धुन में लगे रहें, यह निश्चय है कि उनकी बात क्रमशः अनेक आदमियों का व्यान आकर्षित करेगी और उनके द्वारा अपनायी जायेगी। समय पाकर वह मानव समाज के अधिकाधिक भाग की अपनी चीज हों जायेगी। यह बात कब होगी, इसमें कितने वर्ष या दशान्दिया लगेगी, इसकी चिन्ता करने की जरूरत नहीं। हमें तो अपने समय में अपना कर्तव्य पालन करना है, आज के दिन हम आज का कर्तव्य पूरा करे।

विचारवानों के लिए सर्वोदय व्यवस्था अब निरी कल्पना की वस्तु नहीं रही। रस्किन और टालस्टाय से प्रेरणा पाकर गाधीजी ने इस विषय का खूब

मनन किया। वह अपने जीवन भर इसे कार्यरूप में परिणत करते रहे। इस समय आचार्य विनोदा तथा अन्य सज्जन अपने-अपने केव्र में इसका प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार के कुछ प्रयोगों का उल्लेख हमने पहले किया है, और जिज्ञासु पाठक देश में होने वाले अन्य प्रयोगों की जानकारी स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार सर्वोदय भावना को अमल में लाने वालों को ऐसे मार्ग पर यात्रा करनी है, जिस पर कुछ महानुभाव चल चुके हैं, और कुछ इस समय चल रहे हैं। इनके पथ-प्रदर्शन से हम सहज ही लाभ उठा सकते हैं।

कुछ व्यावहारिक बातें—पिछले अव्याप्ति में उपयोग, उत्पादन, विनियम, वितरण और राजस्व सम्बन्धी विविध बातें बतायी गयी हैं। सम्भव है कि किसी पाठक का उन सभी बातों से सीधा सम्बन्ध न आये, तो भी ध्यान-पूर्वक विचार करने से प्रत्येक व्यक्ति को काफी बातें ऐसी मिलेंगी, जिनके सम्बन्ध में उसे अपना कर्तव्य निर्णयत करना और पालन करना है। उदाहरण के लिए हरेक आदमी को अपने भरण-पोषण आदि के लिए विविध वस्तुओं का उपयोग करना होता है। हमें सोचना चाहिए कि सर्वोदय की दृष्टि से हमारा यह व्यवहार कहा तक ठीक है, और किन-किन बातों में क्या-क्या नुधार किया जाना आवश्यक है, हमारी आवश्यकताओं में कौन-कौनसी ऐसी है, जिसकी पूर्ति होना, वैयक्तिक तथा सामाजिक दृष्टि से उचित है, और कौनसी आवश्यकताएँ ऐसी हैं, जो हमने दूसरों की देखा-देखी, फैशन या शौकीनी के कारण, अथवा अज्ञान-वश बढ़ा रखी हैं। जो आवश्यकताएँ अहितकर तथा अनावश्यक है, उन पर कड़ा नियत्रण होना चाहिए। फिर, विविध वस्तुओं का हम जो उपयोग करते हैं, उसकी विधि कहा तक उचित है, अर्थात् किन-किन दशाओं में हम सदुपयोग न कर, दुरुपयोग करते हैं, इसका निश्चय कर लेने पर भविष्य में हमारे द्वारा दुरुपयोग न हो ऐसा अभ्यास ठालना चाहिए। आज दिन लोगों में प्राय रहनसहन ‘ऊँचा’ करने की बड़ी सनक है, जो बातत्र में उसे जटिल बनाना है, हमें उसके बजाय अपना जीवन-स्तर ऊँचा करने की। और व्यान देना चाहिए। उपयोग सम्बन्धी इन तथा ऐसी अन्य बानों पर व्योरेवार पहले लिखा जा चुका है। गम्भीरता-पूर्वक पढ़ने वाले को उसमें काफी मिचार-साम्राजी मिलेगी, जिससे वह अपना कर्तव्य निर्धारित करने में अच्छी सहायता ले सकेगा।

यह तो उपयोग सम्बन्धी बात हुई, इसी तरह उत्पादन, विनियम, वितरण, तथा अर्थव्यवस्था और राज्य इन खड़ो में स्थान-स्थान पर साधकों की सहायक सामग्री मिल समती है, यहाँ उदाहरणों की सख्ति बढ़ाना जरूरी नहीं।

विचार-धारा के प्रचार की आवश्यकता—रचनात्मक कार्य का प्रभाव उपदेश या व्याख्यान आदि की अपेक्षा हमेशा ही अधिक पड़ता है, और वह अधिक स्थायी भी होता है, तथापि उसकी अपनी सीमाएँ हैं। एक जगह होने वाली रचनात्मक कार्य को वहुधा पास के भी अनेक आदमी नहीं जान पाते, फिर, दूर रहने वालों की तो बात ही और है। इसलिए किसी भी अच्छी विचार-धारा के प्रचार की बहुत आवश्यकता हुआ करती है। यदि प्रचारक ऐसे व्यक्ति हों, जिन्होंने रचनात्मक कार्य किया है और वे प्रचार-कार्य में कुशल भी हों तो उनका असर अच्छा पड़ा स्वाभाविक ही है, यदि रचनात्मक कार्य नहीं किया है तो उस विचार-धारा से यथेष्ट विश्वास और श्रद्धा तो होनी ही चाहिए, और इस बात का परिचय उनके जीवन-व्यवहार से मिलना चाहिए। वे प्रचारक जगह-जगह धूम-फिर कर सर्वोदय का सदेश पहुँचाये और ऐसी निष्ठा, त्याग और लगन से प्रचार करें, जैसे किसी धर्म के प्रचारक किया करते हैं। उन्हें यात्रा बरने में तथा अपरिचित स्थानों में ठहरने आदि में चाहे जिन वाधाओं का सामना करना। पड़े, और जो भी कष्ट सहने हों, वे अपने कर्तव्य-कार्य से जरा भी विमुख न हो। अशिक्षित जनता में प्रचार इन्हीं के द्वारा हो सकता है, और होना चाहिए। प्रिय पाठक! क्या आप इस दिशा में अपना कर्तव्य पालन करेंगे? आप अव्यापक हों, या विद्वाथीं, लेखक, सम्पादक, कृपक, व्यापारी, वैद्य या डाक्टर—अपने-अपने क्षेत्र में आपको यथेष्ट कार्य करना है, यह निश्चय कीजिए।

विशेष वक्तव्य—सम्भव है कि कुछ पाठक यह सोचने लगे कि 'सर्वोदय अर्थात् सब की भलाई का काम तो बहुत बड़ा है। इसका सम्बन्ध तो समस्त मानव समाज से, सासार भर के सब देशों की जनता से है, हम तो अपने गाव या नगर में रहते हैं, वहाँ के भी सब आदमियों से हमें काम नहीं पड़ता, अपने जिले, प्रान्त और देश के तो उत्तरोत्तर कम व्यक्तियों से हमारा सम्बन्ध है, और

देश से बाहर के आदमियों से हमारा सम्पर्क प्राप्त नहीं के बराबर है। हम ससार भर के हित के कार्य कैसे कर सकते हैं, जब हमारा सम्बन्ध ही अपेक्षाकृत उन्हुन थोड़े लोगों से हैं !

यह शका इतनी गृह्ण नहीं है, जितनी प्रतीत होती है। हमारी शक्ति या साधन कम है, उसकी चिन्ता में हम न पढ़े। यह कोई निराशा की बात न हो। हमारा दीपक भले ही छोटा सा हो, उसमें इतनी जमता तो है ही कि हम उनसे अपने पड़ोसी का दीया जला सके। यह क्रम चलने पर समाज में प्रभाग बढ़ता जायगा। विश्व का अन्यकार दूर फ़रने में न-भालूम कितने दीरों को भाग लेना है। उनके विशाल समूह में एक दीया हमारा भी हो, प्रकाश के महान यज्ञ में एक विनम्र आहुति हमारी भी हो—इतना ही हमारे सतोष के लिए काफी है। अपनी शक्ति भर कर्तव्य पालन करना ही हमारी आकाश हो।

सहायक साहित्य

सर्वोदय	गांधी जी
अर्हिंसक समाज की ओर	”
सर्वोदय यात्रा	विनोबा
जड़ मूल से क्रान्ति	किशोरलाल थ. मश्रुवाला
गांधी और साम्यवाद	” ” ”
सम्पत्ति दान पक्ष	श्रीकृष्णदास जाजू
गांधी अर्थ विचार	जो. का. कुमारप्पा
मानव अर्थशास्त्र (गुजराती)	नरहरि परीख
नव भारत	रामकृष्ण शर्मा
विनोबा एंड हिंज मिशन (अग्रेजी)	सुरेश रामभाई
गांधी मार्ग	जी. भ. कृपलानी
सर्वोदय अर्थव्यवस्था	जवाहरलाल जैन
विजय पथ	रस्किन
सर्वोदय तत्व दर्शन	गोपीनाथ धावन
गांधीवाद की रूप-रेखा	रामनाथ सुमन
सर्वोदय का सिद्धान्त	नवजीवन प्रकाशन, अहमदाबाद
जीवन दान	जयप्रकाश नारायण
च्याज वट्ठाचा निषेध (मराठी)	अप्पा पटवर्द्धन
गाव का गोकुल	”
समाज रचना, सर्वोदय दृष्टि से	भगवानदास केला
राजव्यवस्था, सर्वोदय दृष्टि से	”
भूदान, श्रमदान, जीवनदान	”
भारतीय अर्थशास्त्र (सर्वोदय विचार सहित)	”
भूदान यज्ञ (काशी), ग्रामराज (जयपुर), साम्ययोग (नरसिंगापुर), जीवन साहित्य (नयी दिल्ली), नया हिन्द (प्रयाग), लोककाशी (जयपुर), आदि पत्र-पत्रिकाएँ ।	—

सर्वोदय अन्थमाला

१—मवोदय अर्थशास्त्र—इसके ४२ अध्यायों में से कुछ ये हैं—
(१) सर्वोदय अर्थशास्त्र क्या है ? (२) अर्थ किसे कहें (३) उपयोग का लक्ष्य, (४) ग्रामोदयोग, (५) विनिमय की उपयोगिता की सीमा, (६) वितरण की समस्या, (७) आर्थिक समानता, (८) हमारा कर्तव्य। श्री श्रीकृष्णदास जाजूने इसकी भूमिका में लिखा है—‘विद्यार्थियों के लिए यह किताब विशेष उपयोगी साक्षित होगी। अध्यापकों को सर्वोदय अर्थशास्त्र की विचारवारा से परिचित होना जरूरी है। आशा है वे भी इस पुस्तक से योग्य लाभ उठानेगे।’ दूसरा सस्करण।

मूल्य, चार रुपये

२—सर्वोदय अर्थव्यवस्था—ले०—श्री जवाहरलाल जन। भूमिका-लेखक—श्री किशोरलाल मश्रूवाला। पूजीवाद और साम्प्रवाद से सर्वोदय अर्थव्यवस्था की थेप्तताओं का सुन्दर विवेचन। कुछ अव्याप—(१) पूजीवादी अर्थव्यवस्था और उसके दोप, (२) साम्यवादी अर्थव्यवस्था की कमियाँ, (३) मानव का लक्ष्य और मार्ग सत्य और अहिंसा, (४) जीवन की समग्र दृष्टि, (५) यत्र केवल मानव के लिए, (६) व्यापार एक समाज-सेवा। दूसरा सन्करण।

मूल्य छठे रुपया।

३—हमारा अर्थशास्त्र कैसा हो ?—कुछ विषय—(१) वर्तमान अर्थशास्त्र कसौटी पर, (२) नैतिक अर्थशास्त्र की आवश्यकता (३) सर्वोदय अर्थशास्त्र ही क्यों ? पृष्ठ सख्ता ४२।

मूल्य, चार आने।

४—सर्वोदय गज, क्यों और कैमे ?—कुछ विषय—(१) राजनेतिक बुजुगों और साथियों से, (२) स्वदेशी राज हुआ, न्यगत नहीं, (३) नवी दृष्टि को आवश्यकता, (४) रामराज्य का आदर्श, (५) मार्गदर्शन। तीसरा सस्करण। पृष्ठ सख्ता ७१।

मूल्य, दस आने।

५—मानव संस्कृति—भूमिका-लेखक—श्री बनारसीदास चतुर्वेदी। कुछ विषय—(१) संस्कृति और भाषा, (२) मानव संस्कृति की एकता, (३)

मानव स्वस्कृति का विकास, (४) मानव स्वस्कृति और अलग-अलग स्वस्कृतियों।
पृष्ठ सख्त्या २७२+२२।

मूल्य, ढाई रुपया।

६—समाजवाद, साम्यवाद और सर्वोदय—दूसरा स्वस्कृति।
‘लेखक ने पुस्तक में समाजवाद, साम्यवाद और सर्वोदय का तुलनात्मक विवेचन उपस्थिति किया है। साम्यवाद और समाजवाद में क्या मौलिक अन्तर है एवं वे दोनों गाधीजी के सर्वोदयवाद से किस प्रकार भिन्न है, वह भी इस पुस्तक में स्पष्टतः दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय प्राचीन वर्णाश्रम व्यवस्था एवं अफलातून के सामाजिक विचारों पर भी गम्भीरतापूर्वक विचार व्यक्त किये हैं। श्री केलाजी की पुस्तक मार्ग-दर्शक का कार्य कर सकेगी।’

पृष्ठ सख्त्या १०३।

मूल्य, बारह आने

७—मेरा जीवन, सर्वोदय की ओर-- दूसरा स्वस्कृति। ‘पुस्तक में श्री केलाजी ने समष्टि करने का प्रयत्न किया है कि वह सर्वोदय के प्रति किस प्रकार ग्राहकर्त्ता हुए तथा उन्होंने निरन्तर विकास कर किस प्रकार स्वजीवन को सर्वोदय की सेवा में अर्पित कर दिया। पुस्तक छोटी किन्तु सर्वोदय के साधकों के लिए विशेष उपयोगी प्रतीत होती है।’

मूल्य, पाँच आने

८—सर्वोदय, दैनिक जीवन में—कुछ विषय—(१) सर्वोदय की बात, (२) खानपान और सर्वोदय, (३) पहसुआवा और सर्वोदय (४) खेती और सर्वोदय, (५) उद्योग धन्वे और सर्वोदय, (६) व्यापार और सर्वोदय।

पृष्ठ सख्त्या ४२

मूल्य, छह आने

९—राजव्यवस्था, सर्वोदय हृषि से—‘श्री केलाजी ने गाधी जी, विनोबा तथा अन्य सर्वोदयवादियों के विचार को समझ कर उन्हे राजनीतिशास्त्र का एक मूर्त रूप दिया है। इस प्रकार यह पुस्तक विचारों को जागृत करती है,

‘इस पुस्तक में राजनीति के स्थान पर लोकनीति, बहुजनहिताय के स्थान पर सर्वजन हिताय नीति, दण्ड-व्यवस्था युक्त शासन प्रणाली के स्थान पर दण्ड तथा शासन निरपेक्ष समाज, और दलगत राजनीति के बजाय पक्षातीत तथा सेवा-परायण लोकनीति की सख्त्या की गयी है। इस प्रकार, संक्षेप में इस पुस्तक में केलाजी ने भारत की परम्परागत आन्यात्मिक परम्परा एवं विचारधारा

क आधार पर नये युग के अनुसार 'शोपणहीन समरस समाज' की स्थापना का विवेचन किया है।"

पृष्ठ सख्त्या १६० + १६

मूल्य, डेढ रुपया

१०—आर्थिक क्रान्ति के आवश्यक कदम—'श्री जवाहिरलाल जैन सर्वादिय अर्थव्यवस्था पर कई पुस्तके लिख चुके हैं। इस पुस्तक में उन्होंने सर्वोदयी आनंदोलन द्वारा निश्चित उन मुख्य मुख्य कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला है जिनके बिना आर्थिक क्रान्ति सम्भव नहीं है। सर्वोदयी विचारधारा का सर इस प्रकार इस छोटी सी साफ सुथरी पुस्तिका में आ गया है।'

पृष्ठ सख्त्या ५६।

मूल्य, सात आने

११—प्राकृतिक चिकित्सा ही क्यों ?—'केलाजी ने इस पुस्तक में प्राकृतिक चिकित्सा के कुछ अनुभव तथा सिद्धान्त लिखे हैं, जिनसे अन्य व्यक्तियों में भी प्राकृतिक चिकित्सा का प्रचार हो। पुस्तक में मुख्यतः गावीनगर प्राकृतिक चिकित्सालय के अध्यक्ष डॉ किशनलाल की कहानी है जो कि महान रोगी से महान चिकित्सक बन गये। पुस्तक मनोरजक व उपयोगी है।'

पृष्ठ सख्त्या ८६

मूल्य, पाँच आने

१२—सेरी सर्वोदय यात्रा—'प्रस्तुत पुस्तक में केला जी ने सर्वोदय विचारधारा के प्रचार-प्रसार के लिए किये गये अपने देशव्यापी प्रवास के अनुभव को लिपिबद्ध किया है। सर्वोदय की कसौटी पर यत्र-तत्र हमारे नागरिक जीवन, अर्थगांधी, जिन्हा तथा साहित्य आदि अनेक विषयों की आलोचना मिलती है। उदाहरणार्थ भारत की राजधानी दिल्ली की तटक-भड़क को देखकर लिखा है— 'यह राजधानी दिल्ली मुझे गरीब भारत की राजधानी नहीं जान पड़ती। हजारों गाँवों को नष्ट करके बनाई गई यह महानगरी आत्माहीन है, बास्तविकता का नाम नहीं। यहाँ मानवता का लोप हो रहा है। क्या यहाँ उन लोगों के प्रति-निधि हैं जो भोपड़ों में रहते हैं। आदि।'

पृष्ठ सख्त्या ८४।

मूल्य, सात आने

१३—समाज-रचना, सर्वोदय दृष्टि से—इनमें चार खड़ हैं—

(१) सर्वोदय दृष्टि (२) समाज-रचना की पद्धति (३) व्यक्ति का विकास, और (४) परिवार, गाँव और ससार। गांधी, विनोदा आदि महापुरुषों और विद्वानों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए लेखक एक कवि के शब्दों में कहता है—

‘गीत तुम्हारे, राग तुम्हारा, लिखने का बरदान मुझे है ।

पुरय बनी अनजान साधना,
ज्योतिर्मय हो गयी कामना,

दीप तुम्हारे, स्नेह तुम्हारा, जलने का बरदान मुझे है ।’

पृष्ठ सख्ता १६२

मूल्य, डेढ रुपया

१४—भूदान, श्रमदान, जीवनदान—कुछ विषय (१) ग्रहण लगा है, दान दो (२) भूदान यज्ञ, (३) सम्पत्ति दान यज्ञ, (४) श्रमदान यज्ञ, (५) बुद्धि-दान यज्ञ, (६) जीवन-दान, (७) सेवक की प्रार्थना ! पृष्ठ सख्ता १०४।

मूल्य, एक रुपया

१५—सर्वोदय अर्थशास्त्र की मूल वातें—(१) अर्थशास्त्र और सर्वोदय, (२) सर्वोदय अर्थशास्त्र और धन, (३) जनता, (४) उपयोग, (५) उत्पत्ति, (६) विनिमय, और (७) वितरण। मूल्य, एक रुपया चार आने

१६—अर्थनीति, सर्वोदय दृष्टि से—कुछ विषय—(१) सच्चा धन अच्छा आदमी ही है, (२) उपयोग हो, उपयोग नहीं, (३) सादा जीवन उच्च विचार, (४) उत्पादन उपयोग के लिए, पैसे के लिए नहीं, (५) भूमि किसकी ? जो जोते उसकी, (६) भार जनसख्या का नहीं, दुर्गुणों का, (७) बुद्धि लोकसेवा के लिए, (८) सम्पत्ति, समाज की, (९) व्यापार : एक सेवा-कार्य, (१०) मजदूरी में सामाजिक न्याय, (११) मुनाफा नहीं मेहनताना।

मूल्य, एक रुपया

भगवानदास केला, ६० हिवेट रोड, इलाहाबाद।

भारतीय ग्रंथमाला

भारतीय शासन	(तेरहवाँ सत्करण) ३)
हमारी राष्ट्रीय समस्याएँ	(नेरहवाँ „) १॥)
भा० सहकारिता आन्दोलन	(चौथा „) ३॥)
भारतीय जागृति	(पाचवाँ „) २॥)
भारतीय राजन्य	(तीसरा „) ३)
राजनीति शब्दावली	(चौथा „) २॥)
नागरिक शिक्षा	(आठवाँ „) १॥)
राष्ट्र मडल शासन	(चौथा „) १॥)
अर्थशास्त्र शब्दावली	(चौथा „) २)
गाँव की बात	(तीसरा „) २॥)
कौटल्य के अर्थिक विचार	(चौथा „) १॥)
अपराध चिकित्सा	(दूसरा „) २॥)
भारतीय अर्थशास्त्र	(सातवाँ „) ५)
व्यवसाय का आदर्श	(दूसरा „) १)
साम्राज्य और उनका पतन	(दूसरा „) २॥)
नागरिक शास्त्र	(तीसरा „) २।)
देशी राज्यों की जन-जागृति	५)
विश्व-सघ की ओर	(दूसरा „) ३)
मावी नागरिकों से	(दूसरा „) १॥)
मनुष्य जाति की प्रगति	(दूसरा „) ३॥)
हमारी आदिभजातियाँ	(„ „) ३॥)
मेरा साहित्यिक जीवन	३)
भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन	१।)
मातृ-वन्दना	(चौथा ') ॥)

भगवानदास केला

६०, हीवेट रोड, इलाहाबाद

देश सेवा प्रेस, इलाहाबाद

ले ली, दूसरे ने ६, और तीसरे और चौथे के पास केवल २-२ रह गयी। इस दशा में उत्पादन बढ़ने पर भी दो आदमी भूखे रहेंगे। इससे सब्जट है कि केवल अधिक उत्पादन की बात में टम नहीं है। उसका न्यायपूर्ण बटवारा न होगा तो मनुष्य भूखे ही रहने वाले ठहरे। इससे हमारा यह आशय नहीं कि उत्पादन न बढ़ाया जाय। हमारा कहना यही है कि उत्पादन बढ़ाने के साथ वितरण उचित होने की बहुत आवश्यकता है। उचित वितरण न हो तो उत्पादन बढ़ाने मात्र से उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सकता।

वितरण के दो प्रकार—उत्पन्न पदार्थ के वितरण में दो प्रकार से विचार होता है—(१) उपयोक्ता की दृष्टि से, और (२) उत्पादक की दृष्टि से। पहली दृष्टि से यह विचार करना होता है कि जो माल पैदा या तैयार किया गया है उसे उपयोक्ता तक किस प्रकार पहुँचाया जाय, उसकी खरीद-वेच किस तरह हो, इस कार्य में किस तरह अधिक से अधिक सुविवाएँ की जाय कि यह कार्य जल्दी-से-जल्दी, तथा कम खर्च से हो जाय। इन बातों का विचार पिछले ('विनिमय') खड़ में किया जा चुका है। यहाँ उत्पादक की दृष्टि से ही विचार करना है। इसमें उत्पत्ति के साधनों (भूमि, श्रम, पूँजी और व्यवस्था) के प्रतिफल दिये जाने का विचार किया जाता है। आजकल भूमि वाले को लगान, श्रमी को मजदूरी, पूँजी वाले को सूट और व्यवस्थापक को मुनाफा दिया जाता है।

नितरण की जटिलता—उत्पादक की दृष्टि से वितरण की समस्या बहुत जटिल है। इसका एक भाग लगान है। लगान कितना हो, इसका आधार या स्वरूप तथा वसूल करने का समय क्या हो—इस विषय में कितनी कठिनाइयाँ और मुसीबतें रहती हैं, इसका भारतवासियों को काफी कटु अनुभव है। भारत की भौति अन्य कई देशों में भी लगान की यह जटिलता प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रही है।

लगान के अतिरिक्त, वितरण की समस्या का एक भाग मजदूरी का है। मजदूरों और पूँजीपतियों का सर्वष्ट आधुनिक अर्थव्यवस्था का नित्य वर्म है। विविव देशों की सरकारों ने इसे मिटाने के नहीं, कम करने के विविव प्रयत्न किये। पर वे कभी कुछ विशेष समय के लिए सतोषप्रद नहीं हुए। वे प्रायः

अपर्याप्त ही रहे। अस्तु, मजदूरी और पूँजी के सघर्ष से आधुनिक जगत् बहुत अग्रान्त और पीड़ित है।

इसी प्रकार सट की समस्या भी काफी उलझन-भरी है। पहले तो यही विचारणीय है कि सूद लिया जाना कहाँ तक उचित है। फिर, सूद की दर के सम्बन्ध में भी देश-काल के अनुसार अलग-अलग विचार रहे हैं, और व्यवहार-जगत् में अनेक बार उन सब विचारों को तिलाजली देकर ऋण लेने वालों से मनमाना बर्ताव होता रहा है। ऋणग्रतों की रक्षा के लिए कानून प्रायः कभी भी, यथेष्ट शक्तिमान या प्रभावशाली नहीं हुआ है।

वितरण की समस्या का एक भाग मुनाफा है। उत्पादन और विनियम का लक्ष्य आज दिन सेवा न होकर मुनाफा हो रहा है। अकसर किसान, कारीगर, दुकानदार कल-कारखाने वाले तथा व्यापारी—सब मुनाफे के पीछे पड़े हुए हैं, और अपनी आत्मा को बेच कर धन जोड़ने में लगे हैं। मानवता का भयकर हास हो रहा है, उसकी रक्षा के लिए मुनाफेखोरी का और इसलिए वितरण का नियन्त्रण होना चाहिए।

समस्या हल करने की आवश्यकता—इस प्रकार लगान, मजदूरी, सट और मुनाफा—प्रत्येक दृष्टि से गम्भीर विचार की आवश्यकता है। यदि विविध परिवार यथासम्भव स्वावलम्बी जीवन विताये, अपनी भूमि पर, अपने श्रम तथा अपनी ही पूँजी से खासकर भोजन-वस्त्रादि का उत्पादन करले (और अपनी अन्य आवश्यकताओं पर नियन्त्रण रखें) तो लगान, मजदूरी, सूद और मुनाफे की समस्या बहुत-कुछ पैदा ही न हो। निदान, वितरण के वर्तमान विशाल रूप को बहुत बटाया जा सकता है और बटाया जाना चाहिए। इनमें से प्रत्येक के बारे में खुलासा विचार अव्यायों में किया जायेगा।

तीमवाँ अध्याय

लगान

पृथ्वी के मालिक जमीदार नहीं, बल्कि ईश्वर है, इसलिए उससे उत्पन्न अन्न के स्वामी वे लोग हैं, जो उसमें मेहनत कर अन्न उत्पन्न करते हैं।

—गाँधीजी

अपनी भूमि पर खेती करने वाला किसान सरकार को जो द्रव्य देता है, वह मालगुजारी है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे की भूमि का उपयोग करता है तो इस उपयोग के बदले वह जो द्रव्य दूसरे व्यक्ति को दे, यह लगान है। भारत में किसान से जमीदार को मिलने वाली रकम लगान कही जाती है, यद्यपि इस रकम में लगान और मालगुजारी दोनों मिली रहती है।

लगान का विरोध—बहुत से देशों में जमीदारी प्रथा उठ गयी है, और कुछ में उठ रही है या उठने वाली है। जमीदारी हटाने की विधि या शर्तों की व्योरेवार बातों में भले ही कुछ लोगों में मतभेद हो, प्रगतिशील व्यक्ति इस विषय में एकमत है कि अपने आप कुछ परिश्रम न करने वाले जमींदार वर्ग को लगान के रूप में आय प्राप्त होना नीति-सम्मत नहीं।¹ जमीन की पैदावार पर अधिकार उसी व्यक्ति का होना चाहिए, जो उसे जोत-बोकर उस पर खेती करता है, उसके सिवा किसी दूसरे का नहीं, चाहे उसे जमींदार, जागीरदार या तालुकेदार आदि कुछ ही कहा जाता हो।

भूमि वैयक्तिक सम्पत्ति नहीं, सामाजिक है—अब एक विचारणीय प्रश्न यह है कि भूमि पर (जिसके अन्तर्गत खान, समुद्र-तट, नदी-तट, जगल आदि भी सम्मिलित हैं) अधिकार किसका माना जाय। इस पर किसी व्यक्ति विशेष का स्वामित्व होना कहाँ तक उचित है? आज कल अनेक स्थानों में एक-एक आदमी के पास कई-कई सौ एकड़ जमीन या बड़े-बड़े जगल आदि

हैं। वह इनके लिए कोई श्रम नहीं करता, खाली बैठे इनका किराया या लगान बमूल करता है, दूसरे सहबों आदमी ऐसे हैं, जिन वेचारों के पास उनकी कही जा सकने वाली एक वर्ग गज भी भूमि नहीं। यह स्थिति नितान्त अन्याय-पूर्ण है।

भूमि के किसी भी हिस्से का विचार करें, वह प्रकृति की ही देन है, हाँ, उस पर अनेक आदमियों ने श्रम किया है, अर्थात् हमें जो भूमि मिली है, उसे वर्तमान अवस्था में लाने का श्रेय समाज को है। इससे स्पष्ट है कि भूमि का वर्तमान विभाजन अनुचित है। किसी व्यक्ति को उतनी भूमि तथा उतने ही समय तक उपयोग करने का अधिकार होना चाहिए, जितनी भूमि पर और जब तक वह अधिकार मामाजिक न्याय की दृष्टि से उचित हो।

निज मालक्रियत और लगान का मूल, (१) परिश्रम—भूमि की निजी मालक्रियत और लगान कैसे शुरू हुआ, यह आगे श्री आपा साहब पटवर्धन की पुस्तक के आधार पर संक्षेप में बताया जाना है—

भूमि की मालक्रियत का प्रारम्भ खासकर तीन प्रकार से हुआ (१) जमीन पर परिश्रम करने से, (२) जोर जबरदस्ती से, और (३) शोषक साहूकारी से। पहले जमीन पर परिश्रम करने की बात ले। यह स्वामाविक और उचित भी या कि जो मनुष्य जिस जमीन पर बस गया और जिसे उसने ख़ब़ मेहनत करके साफ और स्फतल किया और खेती की, वा पेड़ लगाये, वह जमीन उसकी नमकी जाय। खेती जमीन की चाकरी है और फसल है उसका वेतन। जो चाकरी करता है, उसी को पूरा नेतन मिलता है। उमे अपने वेतन का कुछ हिस्सा पहले के नौकर को नहीं देना पड़ता। पर मौजूदा काश्तकार को यानी भूमि के वर्तमान चाकर को वेतन यानी फसल का कुछ हिस्सा देना चाहिए, ऐसा रिवाज पढ़ गया है। बात यह है कि सबसे पहले के किसान ने प्रारम्भ में वजर भूमि में अपने ख़त का अर्थात् परिश्रम का खाद देकर उसे कमाया, उपजाऊ बनारा, पेड़ लगाये, दीर्घ काल तक सेवा चाकरी की, तब उसे उनके फल चलने को

मिले। आज जब वह जमीन को दूसरे के हवाले करके जाने लगा तो दूसरा मनुष्य बिना परिश्रम के मिले हुए आम अमरुद आदि का कुछ हिस्सा मूल किसान को दे, यह उचित ही है। यही 'लगान' कहलाया। जैसा आम-अमरुद आदि फल-चूक्षों का लगान, वैसा ही धान की खेती का भी। परन्तु अगर वह लगान लेना उचित है तो इसकी मर्यादा होनी चाहिए, आगामी दस-बीस साल तक रहे और उसका अनुपात उत्तरोत्तर कम होता जाना चाहिए, हमेशा के लिए लेते रहना उपयुक्त नहीं हो सकता।

(२) **जोर-जवरदस्ती**—भूमि की मालकियत, मेहनत मशक्कत के अलावा, जोर-जवरदस्ती से भी प्राप्त हुई है। यूरोपियनों ने अफ्रीका, अमरीका आदि भिन्न-भिन्न प्रदेशों पर अपने-अपने राष्ट्र के निशान फहराये। उस समय से वे देश अपने मूल निवासियों सहित उन राष्ट्रों की मालकियत बन गये। अब एशिया के लोग वहाँ जाकर खेती करना चाहेंगे तो उन्हें वहाँ के मत्ता-धारियों की तोपां का शिकार होना पड़ेगा।

जिस प्रकार बड़े-बड़ों की जोर जवरदस्ती चल रही है, उसी प्रकार जमीन के पड़ेदारों (खातेदारों) की हुक्मत भी चाहे वह कानून से भले ही कायम की गयी हो, कम या अधिक मात्रा में जवरदस्ती पर ही आधारित है। जिसके लिए सम्भव हुआ, उसने अच्छी और उपजाऊ भूमि हड्डप ली। बाद में आने वालों को या तो निकृष्ट भूमि से सतुष्ट रहना पड़ा या फिर दूसरों का आसामी बन कर उनकी मेहरबानी पर जीना पड़ा। जमीन-मालिक ही कानून बनाने वाले भी थे। (हिन्दुस्तान में भी स्वराज्य-प्राप्ति के पूर्व बड़े-बड़े पड़ेदारों को ही मतदान का अधिकार था।) वे अपनी सुविधा के ही कानून बनाते थे। बलवानों ने जमीन आपस में बॉट ली और वे दुर्वलों को मेहनती किसान बना कर बिना अम से मिलने वाले लगान पर ऐश-आराम करने लगे।

(३) **शोषक साहूकारी**—आमम में हर एक आदमी अपनी-अपनी जमीन का मालिक था। और, किसी को किसी से कुछ लेना देना नहीं था। किन्तु निकृष्ट जमीन वाले किसानों को सावन-भादो में अब की कमी पड़ती थी। तब उन्हें दूसरे खुशहाल किसानों से मदद लेनी होती थी। इससे

दूसरों की मुसीबत से फायदा उठाने की लोभी वृत्ति के लिए मौका मिला। अर्थात् इससे शोषक साहूकारी पेदा हुई। साहूकारी के पोषक एवं शोषक, उपकारक तथा अपकारक, वहें साते की और व्याजखोरी की, इस प्रकार की दोनों पद्धतियाँ ससार में चल रही हैं। उपकारक साहूकारी कभी अटालत के दरवाजे पर कदम नहीं रखती। इसमें व्याज नहीं होता, वल्कि मूलधन में ही कुछ छूट देने की रीति है।

परन्तु शोषक साहूकारी तो सवाया लेती है। नतीजा यह होता है कि जिस किसान को पिछले साल में एक मन का घाटा आया, उसे फसल काटते ही उस अपर्याप्त फसल में से भी सवा मन अनाज निकाल कर देना पड़ता है। फलतः आगामी वर्ष में उसे सवा दो मन का घाटा आता है और साढ़े बाईस सेर व्याज में देने पड़ते हैं। तीसरे साल घाटा तीन मन साढ़े बत्तीस सेर और व्याज अड़तीस सेर दस छट्ठौंक। इस प्रकार कर्जदार की गृहस्थी उत्तरोत्तर गिरती जाती है और अन्त में साहूकार उसकी भूमि ही मोल ले लेता है और पहले जो व्याज लेता था, वह उसकी जगह अब लगान लेने लगता है। जिसका निर्वाह सारी खेती की उपज में भी नहीं होता था, उसका निर्वाह अब लगान देने के उपरान्त बची हुई उपज में किस तरह होगा। अर्थात् उसे बैल बेच कर बटाईदार से कृषि-मजदूर बनना पड़ता है और पुराने जमाने से तो उसे एक के बाद एक अपने लड़के भी बेचने पड़ते थे। इस प्रकार गरीबों की यह गृहस्थी बे-पेंदे की होती है। उबर साहूकार भी स्वयं खेती करना छोड़ देता है और लगान बग़ली और मजदूरों से खेती करवाने का काम करता है। किन्तु थोड़े ही समय में वह गॉव के नीरस जीवन से ऊब कर शहर का रास्ता पकड़ता है। गॉव से व्याज और लगान तो मिलता ही रहता है, वहाँ दूसरी आय का काम करने पर वह गॉव से आमदनी वसूल करने का काम अपने कारिन्दे को सोप देता है या वह अपनी गॉव की जायदाद किसी व्यक्ति के हाथ बेच कर उससे मुक्त हो जाता है। इस प्रकार किसानों की जमीनें बेधानिक पद्धति से साहूकारों के कब्जे में जाती हैं और लगान देने वाली हो जाती है।

जमीन खरीदने की बात —कुछ जगीदार कहेंगे कि हमने तो जमीन नकद कीमत देकर खरीदी है। पर आपने वह खरीदी किससे। या तो जुल्मी मालिक

से ली होगी, या जोतने वाले मालिक से । अस्तु, वेचने वाले को जितना और जैसा अधिकार था, उतना ही अधिकार आपको प्राप्त हुआ । जब तक चोरी का पता नहीं लगता तभी तक उस पर खरीदार की मालकियत रहती है, बात खुलते ही माल जब्त होता है और खरीदार अपराधी करार दिया जाता है ।

अब अगर जमीन आपने जोतने वाले परिश्रमी किसान से खरीदी हो तो उसे सिर्फ अपनी साल यानी जमीन में की हुई तरक्की ही वेचने का अधिकार था । (सब भूमि का असली मालिक तो ईश्वर ही है), अर्थात् आपने जोतने वाले मालिक को 'पगड़ी' (नजराना) दी, कीमत नहीं । अस्तु इन दोनों अवस्थाओं में से किसी में भी आपको भूमि के न्यायानुकूट वितरण में रुकावट डालने का अधिकार नहीं है ।

भूमि की न्यायानुकूल व्यवस्था — इस प्रकार भूमि का स्थायी रूप से स्वामी कोई भी नहीं माना जाना चाहिए । भूमि मनुष्य के स्वामित्व की वस्तु है ही नहीं । भारत में जो भूदान यज्ञ चल रहा है (इसके बारे में चौदहवें अध्याय में लिखा जा चुका है), उसमें आधारभूत विचार यही है । भूमि-हीनों को जो भूमि मिलेगी, वह भी स्वामित्व के अधिकार से नहीं मिलेगी । जब तक वे उस भूमि को अच्छी तरह से कमायेगे, और जब तक उनके पास जीविका का और कोई अधिक लाभदायी साधन नहीं होगा, तभी तक उनके पास भूमि रहेगी । वे उसे वेच नहीं सकेंगे, तथा ठेके पर किसी और को देकर खुद किसी दूसरे रोजगार के लिए नहीं जा सकेंगे ।

विशेष वक्तव्य, लगान का अन्त — निदान, सर्वोदय विचारघार के अनुसार किसी व्यक्ति की, भूमि पर निजी मालकियत नहीं, जैसी आज कल प्राय समझा जाती है । वह उस पर खेती कर सकता है, पर उसे उसको ठेके पर दूसरे को देने का अधिकार नहीं है । ऐसी दशा में भूमि का लगान लेने-देने या लगान का परिमाण निश्चित करने का प्रश्न ही नहीं रहता । हाँ, जब कि समाज में राजव्यवस्था है, उसके सचालनादि के लिए धन की जरूरत रहेगी, जिसकी पूर्ति में सभी नागरिक भाग लेंगे । इस स्थिति में किसान अपना हिस्सा मालशुजारी के रूप में देगा, इसका विचार आगे किया जायगा ।

इकतीसवां अध्याय

मजदूरी

सब के भले में अपना भला है। वकील और नाई दोनों के काम की कीमत एकसी होनी चाहिए, क्योंकि आजीविका का हक दोनों का एकसा है। सादा मजदूर का और किमान का जीवन ही सच्चा जीवन है।

—गांधीजी

पैसे के द्वारा ऊपर नीचे होते हैं। आप मजदूरों को निश्चित परिमाण में ज्यार क्यों नहीं देते! मेरा सुझाव है कि यह परिमाण रोजाना कम से कम पचास तोला हो। स्त्री हो, चाहे पुरुष, ज्यार में फरक न किया जाय। मजदूरी में जो फरक करना है, वह पैसे में किया जाय।

—विनोदा

थ्रम या मेहनत करने वाले को उनके थ्रम के बदले जो वन दिया जाता है, उसे 'मजदूरी' कहते हैं। मासिक मजदूरी प्राय वेतन या तनख्वाह कहलाती है। सर्वसाधारण में मजदूरी की अपेक्षा 'वेतन' शब्द अधिक आदर-सूत्रक है, परन्तु अर्थशाल में ऐसा कोई भेद नहीं माना जाता।

मजदूरी मध्यन्ती विविध ब्रातों का विचार करने के लिए पहले नकद और असली मजदूरी का भेद समझ ले।

नकद और असली मजदूरी—ग्राजकल थ्रमजीवियों को उनके थ्रम का प्रतिकूल प्राय रूपये-पैसे में चुकाया जाता है। इसे नकद मजदूरी कहते हैं। यदि मजदूरी अन्न-बछ आदि पदार्थों में दी जाय, तो उसे असली मजदूरी कहा जाता है। इसमें मकान, शिक्षा, या मनोरजन आदि, वे विशेष उपयोग भी मिली होती हैं, जो मजदूरों को उनके मालिकों की ओर से प्राप्त

होती हैं। नकद मजदूरी से श्रमजीवियों की दशा का ठीक अनुमान नहीं होता। यह स्पष्ट है कि दो श्रमजीवियों से से, जिसे पदार्थ और सुविधाएँ अधिक मिलती हैं, उसकी दशा दूसरे से अच्छी होगी।

भारतवर्ष में पहले अधिकतर मजदूरी अब में चुकायी जाती थी। आचार्य कौटल्य ने अपने अर्थशास्त्र में नकद और असली दोनों प्रकार के वेतन की व्यवस्था की है। वह साधारण तौर से प्रत्येक ऐसे श्रमी के लिए जो एक ही व्यक्ति या सम्पथ का कार्य करे, कुछ नकद वेतन निश्चित करता है, तो साथ ही कुछ भोजन आदि भी ठहराता है। उसकी व्यवस्था के अनुसार श्रमी अपने खाने-पीने की आवश्यकता से वेक्षिक रहता था, और नकद वेतन से अपनी दूसरी जरूरते पूरी कर सकता था। इस दशा में, पदार्थों के मूल्य के घटने-बढ़ने का श्रमजीवियों की आय पर बहुत कम प्रभाव पड़ता था। बद्दत से देहातों में अब भी यही दशा है, कृषि-श्रमजीवी अपनी मजदूरी अब के रूप में ही पाते हैं। परन्तु आधुनिक 'सभ्यता' के विकास से, नगरों या औद्योगिक गाँवों में मजदूरी नकद रूपे-पैसे के रूप में ही दी जाती है। इससे श्रमजीवियों पर जीवन-रक्षक पदार्थों की तेजी-मद्दी का बहुत प्रभाव पड़ता है।

नकद वेतन में प्रायः न तो इस बात का विचार किया जाता है कि वह, श्रमजीवी के शुजारे के लिए पर्याप्त है या नहीं, और न इसी बात का कुछ निपत्रण रहता है कि श्रमी उससे भोजन-वस्त्र खरीदता है या विलासिता की वस्तुएँ। अनेक मजदूर सवेरे से शाम तक मजदूरी करके अपने मालिक से कुछ गिने-गिनाये पैसे पाते हैं, जो उनके निर्वाह के लिए काफी नहीं होते, फिर, वे उनमें से भी काफी पैसे शराब आदि में खर्च कर डालते हैं।

अधिकांश मजदूरी अब और वस्त्र के रूप में मिले—इसका हल यही है कि श्रमियों को वेतन नकदी में न मिल कर अब-वस्त्र के रूप में मिला करे, जिससे वह अपने जीवन की इन प्रधान अवश्यकताओं की पूर्ति की ओर से निश्चित हो जाय, उसे भोजन वस्त्र के अतिरिक्त जो अन्य अवश्यकताएँ हो, उनकी पूर्ति का सामान वह इन पदार्थों के अतिरिक्त अश के विनिमय से प्राप्त कर ले, यदि कहीं कुल वेतन अब-वस्त्र के रूप में देने की व्यवस्था न हो तो

इतना वेतन तो इस रूप में दिया ही जाय कि वह इन चीजों के लिए किसी के आग्रहित न हो। मनुष्य को साधारणतया अब बन्ध की आवश्यकता कितनी होती है, इसका अनुमान करना कुछ कठिन नहीं है, उनना प्रत्येक व्यक्ति को मिलना ही चाहिए, इसमें भिन्नता न होनी चाहिए, हाँ, अब के बारे में उह बान में रखना ठीक होगा कि जिस प्रदेश में जो पदार्थ पेटा होता है, वही दिया जाय। यदि दो-तरह का अब पेटा होता है तो ये अब निर्धारित अनुपात में दिये जा सकते हैं। अब-बन्ध के अतिरिक्त जो वेतन नकटी में दिया जाय, उसमें विविध प्रकार के अभियान में कुछ अन्तर रह सकता है, पर वह भी एक भीमा तक ही होना चाहिए, जिससे यथा सम्भव समता का व्यवहार हो। नकटी में दिये जाने वाले वेतन से आठभी अपनी अन्य जल्दतें प्री कर सकते हैं। पेसे की दूषित अर्थ-व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए आवश्यक है कि नकट वेतन देना ऋण घटाकर असली वेतन ज्ञा बलन बढ़ावा जाय।

मजदूरी की विषयमता—मजदूरी के विविध पहलुओं पर विचार करते समय पहले उनकी विषयमता का प्रश्न सामने आता है। वर्तमान अवस्था में यह बड़े विकागल स्तर में उत्पन्न है। भारत की बात ले। यहाँ राष्ट्रपति का मासिक वेतन दस हजार रुपये और दूसरे कितने ही अधिकारियों का तीन हजार में साढे पाँच हजार रुपये मासिक तरु है (विविव भत्तो आदि की रकमें अलग गई)। इसके विपरीत, अनेक निम्न कर्मचारियों को पैतीस-चालीस रुपये महीने में सतोप रखना पड़ता है। इस प्रकार यहाँ एक अधिकारी दूसरे की अपेक्षा सौ शुने से लेकर टाई सौ शुने तक वेतन पाता है।

शामन के अतिरिक्त अन्य ज्ञेत्र की बात भी, मिल का मेनेजर चार-चार पाँच-पाँच हजार रुपये मासिक वेतन करो पाना है, जब कि उहाँ दिन भर सख्त मेहनत करने वाले अनेक मजदूरों को तीस-पेतीस रुपये महीना या इससे भी कम मिलता है। यह ठीक है कि मेनेजर की गोग्यता वाले व्यक्तियों की सख्त बहुत रुम होती है, इसके विपरीत, मजदूर तो अनेक मिल सकते हैं। माँग और पूर्ति के नियम के अनुसार मेनेजर को वेतन बहुत अधिक, और मजदूर की बहुत कम होती है, किन्तु क्या वेतन की इतनी विषयमता उचित है?

और, क्या दो व्यक्तियों की, भोजन-वस्त्र आदि की मूल अर्थात् प्राकृतिक आवश्यकताओं में इतना अन्तर होता है? इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों की मजदूरी की बात है।

बौद्धिक और शरीर थ्रम का पारिथ्रमिक—मजदूरी की विषमता बौद्धिक कार्यकर्त्ता और शरीर थ्रमी में व्यापक रूप से मौजूद है। पहले को साल में कम दिन और प्रति दिन कम घटे काम करने पर भी शरीर-थ्रमी की अपेक्षा कही अधिक सुविधाएँ तथा बहुत अधिक वेतन दिया जाता है। उदाहरण के लिए विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर साल में कुल मिला कर प्रायः छ, माह से भी अधिक की छुट्टी मनाते हैं तो भी वेतन बारह महीने का पाते हैं। जिन दिनों वे काम करते हैं उनमें औसत दो-तीन घटे ही काम होता है। फिर भी उनका वेतन साधारण शरीर-थ्रमी की अपेक्षा कई-कई गुना होता है। यही बात न्यायाधीशों, राज्यपालों, मंत्रियों तथा अन्य अनेक सरकारी पदाधिकारियों की है। कितने ही व्यक्ति तो औसतन दो घटे भी हर रोज काम नहीं करते और उनका काम भी बहुधा उन कागजों पर हस्ताक्षर कर देने का होता है, जो उनके अधीन कर्मचारी तैयार करते हैं। समाज में इन लोगों को कितना आदर-प्रतिष्ठा और कितना अधिक वेतन मिलता है। यह सब अन्याय-मूलक है। इसका अन्त होना आवश्यक है।

समाज-विरोधी बौद्धिक व्यवसाय—वर्तमान अवस्था में कितने ही बौद्धिक व्यवसाय समाज-विरोधी हैं। ये व्यवसाय वीमारी, गुनाह और व्यसनों को प्रोत्साहन नहीं देते तो उनकी वृद्धि के अभिलाषी तो हैं ही। डाक्टर सोचता है कि खूब वीमारी की मौसम आये, रोगियों की संख्या बढ़े और उसका धधा अच्छा चले। वकील की यह चाह है कि लोगों में लडाई-झगड़े, मारपीट और मुकदमेवाजी हो, जिससे उसकी वकालत की आमदनी बढ़े। शराब (और भौंग, चाय, बीर्डी-सिग्रेट) का दुकानदार यही मनाता है कि जनता में नशीली और के सेवन की प्रवृत्ति बढ़े, तभी तो उसकी दुकान अच्छी चलेगी। गल्ले का व्यापारी चाहता है कि किसी तरह अकाल या दुर्भिक्ष पड़ जाय जिससे उसके अन्न-भडार ऊचे भाव से विके और उसे खूब मुनाफा हो। इस प्रकार ये बुद्धिजीवी दूसरों के सकट को अपना सुयोग समझते हैं।

बुद्धि और धनोपार्जन—किसी व्यक्ति का अपनी बुद्धि को ऐसे कामों में लगाना उसका दुरुपयोग ही करना है। वह तो जनता-जनार्दन की सेवा में लगनी चाहिए, यदि उससे जीवन-निर्वाह का काम लिया जाय तो भी कुछ ठीक कहा जा सकता है, पर उससे दूसरों का अहित करके अपना स्वार्थ साधन करना सर्वथा अनुचित है, अमानुपिक है। श्री वियोगी हरि ने लिखा हे—

‘पढ़े-लिखे कहते हैं हम बुद्धि से काम करते हैं। लेकिन जीविका क्रमाने के लिए भगवान ने हाथ दिये हैं, और, बुद्धि टी है परोपकार के लिए। वकील डॉक्टर, प्रोफेसर—इनके पास बुद्धि है तो वे समाज की देवा करे। बुद्धि व्रह्म-रस है। उसे वेचना पाप है। बुद्धि के उपयोग पर पेट भरने को कोई कुछ ले तो उतना उचित है। पर तिजोरी भरने के लिए बुद्धि का उपयोग करना अनर्थ है।’

‘कवीर आदि सतो ने प्रत्यक्ष अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि हाय से काम करते हुए सत्य के दर्शन किये जा सकते हैं। उन्होंने तो गाया है न कि—

साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाय।

मैं भी भूखा ना रहू साहु न भूखा जाय॥

‘लोग कहते हैं अधिक पैदा हो तो क्या करे । बॉट दो भाई। हाय से अप-पूर्वक कोई काम करे तो इतनी पैदा होगी ही नहीं। लाल और करोड़ की कमाई तो बुद्धि के दुरुपयोग से ही होती है।’ ५. अस्तु, बुद्धि का यह दुरुपयोग और मजदूरी की यह विषमता अन्याय-मूलक है। इसका अन्त होना चाहिए।

मिल मजदूरों का मिलों में साभा—आजकल मजदूरों के वेतन का समय-समय पर विचार होता है। कभी नकद वेतन बढ़ता है, कभी उन्हें कोई सहूलियत देने की व्यवस्था होती है। इससे सुवारकों को कुछ हर्ष और सतोप हो सकता है। पर ऐसे परिवर्तनों से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। इष्टि तो यह हो कि मजदूर और मालिक का भेद हटे, दोनों एक दूसरे के नजदीक आवे मिल की आमदनी में दोनों को लगभग में समान हिम्मा मिले। श्री विनोदा ने कहा है—

‘होना यह चाहिए कि मिले मालिक और मजदूरों के साथे मे हो, साल भर मे जो कुछ मुनाफा हो, उसका कुछ हिस्सा धधे के बढ़ावे के लिए रहे, कुछ मालिक को और कुछ मजदूरों को दिया जाय। मालिक को कितना हिस्सा दिया जाय, यह मालिक नहीं कहेगा। वह कहेगा, मैंने बुद्धि लगायी है। पूँजी मेरे पास की है, लेकिन मेरी नहीं है। पूँजी देश की है और मालिक भी देश का है। वह एक मेनेजर है, उसने अकल लगायी है। इसलिए मजदूर उसको जो देंगे, उस पर उसे सतुष्ट रहना चाहिए।

‘उन्हे (मजदूरों को) तालीम मिले। वे जो काम कर रहे हैं, उसके ईर्द-गिर्द का सारा ज्ञान उन्हे होना चाहिए। आज वे बुनने का काम करते हैं, लेकिन बुनने का विज्ञान नहीं जानते। माल कहाँ से आता है, कहाँ विक्री है यह नहीं जानते। उनके लिए ऐसे स्कूल होंगे, जहाँ यह सब जान उन्हे दिया जायगा। तो उनकी कार्यशक्ति बढ़ेगी, इज्जत बढ़ेगी और मालिकों को लगेगा कि इनको मिल का कारोबार भी सौंप दिया जा सकता है।’

‘मिल-मजदूरों और हाथ-मजदूरों की वेतन एकसी हो—वेतन सम्बन्धी एक अन्याय आज कल यह हो रहा है कि मिलों और कारखानों मे काम करने वालों को हाथ-मजदूरों की अपेक्षा बहुत अधिक वेतन दिया जाता है। इसका परिणाम यह है कि हाथ-उद्योगों मे काम करने वालों के लिए निरतर अपना काम छोड़ने और कल-कारखानों मे जाने का प्रलोभन बना रहता है। हाथ-उद्योग नष्ट हो रहे हैं, जिससे होने वाली विविध हानियों का विचार पहले किया जा चुका है। वास्तव मे, जैसा कि श्री मश्रूवाला ने लिखा है—

‘हाथ-मजदूरों का मेहनताना उनके माल का परिमाण ओर गुण देखकर नहीं ठहराया जा सकता, उनके काम का समय देख कर ही तय करना पड़ेगा। मिल का तकुआ एक दिन से एक पौँड सूत कात सकता है, और एक ही मजदूर एक साथ चल रहे ऐसे कई तकुओं की देख-रेख कर सकता है। ऊपरी तौर पर यह दिखेगा कि मिल-मजदूर ने एक दिन मे कई पौँड सूत काता है, जबकि हाथ-कर्ताई के द्वारा हमारे चरखा चलाने वाले ने सिर्फ आधा पौँड काता है। लेकिन मिल-मजदूर के अधिक उत्पादन का कारण उसका अतिरिक्त कौशल या मेहनत नहीं है। वह

तो उसके नये औजारों का फल है। हाथ-कताई की, और हाथ-कताई करने वालों की रक्ता राप्ट्र के हित में जस्ती है, इसलिए तथा जिन कठिन परिस्थितियों में हाथ-कत्तिन की जिन्दगी बसर होती है, उनमें उसके ठीक निर्वाह के लिए, हमें मानना चाहिए कि हाथ कताई का यह आवा पौड़ सूत उतना ही कीमती है जितना मिल-मजदूर का कई पौड़। इसलिए पूरे काम की समान घटों की मजदूरी दोनों मजदूरों को एकसी देनी चाहिए।’^१

प्राथमिक आवश्यकताओं की चीजों के उत्पादकों को अधिक वेतन मिलना चाहिए—वर्तमान अर्थव्यवस्था में वेतन के विषय में कितनी अवेरगार्ड हो रही है, इसका एक ज्वलत उदाहरण यह है कि जो किसान सभी जनता के लिए भोजन वस्त्र जैसी प्राथमिक आवश्यकताओं की चीजें पेदा करता है, उसे तो वहुवा अपने जीवन-निर्वाह के साधनों की प्राप्ति नहीं होती, और जो आदमी लोगों के लिए नशे, उत्तेजना, चिलासिता या मारकाट आदि का सामान तेयार करता है, उसे किसान की तुलना में न्यूच ऊँचा वेतन मिलता है। क्या आश्चर्य कि चतुर चालाक आदमी खेती के ‘गवान’ काम से वृणा करे और बीड़ी सिग्रेट, शराब, लेमन-ज्यूस, आइस-क्रीम, तथा युद्धोपयोगी हिन्सक अस्त्र-शस्त्र बनाने की ओर आकर्षित हो। जरूरत है कि जो चाजे मनुष्य का स्वास्थ्य, तथा चरित्र विगड़ने वाली हो, वे पेदा ही न की जाये। यदि इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कुछ देर लगे और बीच के समय में ऐसी चीजें क्रमशः कम करने की वोजना अमल में लायी जाय, तो जब तक ये चीजें थोड़े-बहुत परिमाण में बनती रहें, लोगों में यह सोचने और समझने का विवेक तो होना चाहिए कि प्राथमिक आवश्यकता की चीजों के उत्पादकों को जो वेतन मिले, इसकी अपेक्षा गौण ‘आवश्यकता’ की चीजें बनाने वालों को बहुत कम दिया जाय।

खीं पुरुष के वेतन में मेद रखना अनुचित है—पश्चिमी देशों में अधिकाधिक स्त्रियाँ अपनी आजीविका के लिए काम धवा करती जा रही हैं।